



हिन्दुस्तानी एकेडेमी पुस्तकालय
इलाहाबाद

वर्ग संख्या	५९८	...
पुस्तक संख्या	बाबू/सा	.
क्रम संख्या	१२५५२	

सामान्य भाषाविज्ञान

बाबूराम तखसेना

एम० ए०, डी० लिट्० (प्रयाग)



१८८३ शक

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग

प्रथम	संस्करण	१०००
द्वितीय	संस्करण	२०००
तृतीय	संस्करण	४०००
चतुर्थ	संस्करण	३०००
पंचम	संस्करण	४१००
षष्ठ	संस्करण	४१००

मूल्य ६००

शक सवत् १८८३

मुद्रक

सम्मेलन मुद्रणालय, प्रयाग

दिन्नसमग्गहृदयाय अलक्खितरूपाय
तस्मा देविया ससिनेह समप्पिता
कामनाहि नेदिट्ठा वि
मुद्धरा येव अम्हे यस्स

4

6

7

8

9

प्रकाशकीय

भूतपूर्व बठौदा नरेश महाराजा सयाजी रग्व गायकवाड ने हिन्दी साहित्य सम्मेलन के बम्बई अधिवेशन में सम्मिलित होकर सम्मेलन को पाँच सहस्र रुपए की सहायता प्रदान की थी। उस निधि का सदुपयोग सम्मेलन ने 'सुलभ साहित्य माला' नाम की एक ग्रथमाला सञ्चालित कर उसके अन्तर्गत अनेक उपयोगी पुस्तकें प्रकाशित की हैं।

उक्त ग्रथमाला के अन्तर्गत प्रस्तुत 'भामान्य भाषा विज्ञान' को प्रकाशित कर सम्मेलन का प्रकाशन विभाग गौरवावित हुआ है। इस ग्रथ के लेखक डा० बाबूराम भक्तेना अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति-प्राप्त भाषा-विज्ञानवेत्ता हैं। इस ग्रथ का लिख कर डाक्टर भादव ने हिन्दी में भाषाविज्ञान जैसे गूढ़ विषय को सरल, सुबोध ढंग में लिखने का एक नयी पद्धति का मजन किया है। विषय-विवेचन एवं शैली-साठव की दृष्टि से यह ग्रथ इतना अधिक लोकप्रिय और उपयोगी बना कि इसके ऊठे संस्करण को प्रकाशित करने का हमें मुअकसर मिला है। भाषातन्त्रवेत्ताओं न इस पुस्तक को हिन्दी में भाषाविज्ञानविषयक पिछली प्रकाशित पुस्तकों की पाँत में सर्वाच्च स्थान दिया है। आशा है भाषाविज्ञान के विद्यार्थियों के लिए यह ग्रथ इस क्षेत्र का प्रवेश-द्वार सिद्ध होगा।

सहायक मनी

1

2

3

4

प्रथम सस्करण की भूमिका

क्यों ?

भाषाविज्ञान पर हिन्दी में तीन-चार पुस्तकें पहले से मौजूद हैं। तब भी कागज की इस महगाई के समय भी नई पुस्तकें क्यों निकाली जा रही हैं, इसका उत्तर मुख्य रूप से साख्य-तत्वों में से वही तत्व है जो महत् और पचनमात्राओं के बीच में पड़ता है। गौण रूप से, छोटी सी एक और वासना को अतृप्त न रखकर पुनर्जन्म के कारणों की कमी करना भी इस पुस्तक के प्रकाशन का हेतु ही मकता है। १९२१-२२ में मैं हिन्दू विश्वविद्यालय काशी में पूज्य प्रोफेसर टर्नर के चरणों में बैठकर भाषा-विज्ञान का अध्ययन करना था। श्री बाबू श्यामसुन्दरदास जी कभी-कभी कृपा कर मेरे कमरे में आकर प्रोत्साहन देने और वार्त्ता करते थे। जब मैं प्रयाग में अध्यापक होकर आ गया, तो उन्हीं परिचय के ताने १९२३ में श्री बाबू साहब ने मुझसे भाषाविज्ञान पर हिन्दी में पुस्तकें लिख देने को कहा। मैंने सामग्री इकट्ठी कर ली और कुछ महीनों में पुस्तक का प्रथम अध्याय लिखकर उनके अवलोकनार्थ भेजा। उन्होंने उसे पसन्द किया और आज्ञा की कि छह महीने में पुस्तक तैयार कर दी जाय। मेरे ऐसे अल्पज्ञ के लिए इतनी जल्दी ऐसे गहन विषय पर पुस्तक तैयार कर पाना असम्भव था। इसलिए मैंने अपनी अममयता प्रकट कर दी। हताश श्री बाबू साहब को स्वयं यह काम करना पड़ा और कुछ ही दिनों में "भाषाविज्ञान" नाम की उनकी पुस्तक प्रकाशित हो गई। दिग्गज और अल्पज्ञ की सामान्य जन की क्षमता में इतना अन्तर होता है! मैंने जो भाग लिखा था वह जबलपुर से निकलने वाली 'श्री शारदा' में छपा दिया, और आगे कुछ न लिखा। पर वासना अन्तःकरण में बनी रही।

ईश्वर को धन्यवाद है कि उन्होंने यह काम उस समय रुकवा दिया। इस बीस साल के अन्तर में, मैंने विषय का थोड़ा बहुत अनुशीलन, परिशीलन कर लिया है, अध्यापन भी यथेष्ट कर चुका हूँ। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक अधिक आत्म-विश्वास से उपस्थित कर सका हूँ। आशा है कि यह कम दोष-पूर्ण होगी। इसमें मैं कोई बात मौलिक दे सका हूँ, यह नहीं कह सकता। विषय का दर्शन मैंने अंगरेजी चक्षु में से किया है। दृष्टि वैसे ही कमजोर है। पर भारतीय परिशीलन की ओर भक्ति अधिक दृढ़ होती जा रही है।

यह पुस्तक सामान्य पाठक का विचार में रखकर लिखी गई है और विषय के प्रारम्भिक विद्यार्थियों को। इसीलिए शैली को थोड़ा कम नीरस बनाने का उद्योग किया है। 'वालाना मुखबोधाय' वाला ध्येय है।

इस विषय का ज्ञान मैंने कई गुरुजो की उपासना में और अंगरेजी और उच्च पुस्तक के अध्ययन से प्राप्त किया है। यह सारी सामग्री प्रायः विदेशी थी। इसलिए प्रस्तुत पुस्तक में, पाठको को वर्तमान पच्छिमी अनुसन्धान का पूर्ण प्रतिबिम्ब और गन्ध मिले तो अचरज नहीं। जिन पुस्तको से सहायता ली है, उनके नाम अन्य-सूची में मिलेंगे। मैं उन लेखको का कृतज्ञ हूँ। विशेष रूप से सरश्री टनर, चटर्जी, नारदपुरवाला, अज्ञा, वान्द्रियाज, जैसासन, टकर, ग्रैफ का चित्र ऋणी रहूँगा। इनकी पुस्तको की छाया और उद्धरण जहाँ-तहाँ मिलेंगे। पुस्तक सामान्य पाठक के लिए लिखी है, इसलिए जगद-नगह कृतज्ञता-स्वरूप उल्लेख नहीं किया गया।

पुस्तक का चौथाई अर्ध लैम्डाउन में १९४१ की गर्मी की अक्टूबर में, हमारा चौथाई १९४२ के प्रीटमावकाश में रामगढ़ (नैनोनाल) में और शेष भाग पिछले छ महीनों में यहाँ प्रयाग में लिखा गया है। इन तीनों स्थानों पर जिन देवता और देवी-देवों के प्रेमपूर्ण आश्रय में यह काम हुआ है उनके प्रति मैं अपनी विनम्र रनेहपूर्ण कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। पुस्तक प्रकाशन में मिावर वारेन्द्र वर्मा जो और माननीय श्री पुरुषोत्तमदाम टण्डन जीने कृपापूर्वक प्रोत्साहन दिया है और यदि वे आग्रह न करने तो शायद अभी दो-रक माल और यह काम पड़ा रहना। उन दोनों का मैं आभारी हूँ।

छनाई न सम्मेलन के वर्तमान नाहित्य मंत्री मेरे मित्र श्री रामचन्द्र टण्डन ने तथा हिन्दी नाहित्य प्रेस के कर्मचारियों ने पूरी मदद और सहयोग प्रदान किया है। उनका भी आभार मानता हूँ। छपते समय मेरे तत्कालीन अज्ञान या अनवधान से जो गलतियाँ रह गई हैं उनका प्रायश्चित्त 'समाधान' में कर दिया गया है। पाठक पढ़ने के पूर्व उसका अवलोकन करने की कृपा करें। यदि और कहीं भूलें या अपूर्णताएँ रह गईं हों तो उनकी सूचना मिलने पर वे अगले संस्करण में कृतज्ञता-पूर्वक ठीक-ठाक कर दी जाएँगी।

अपने पाठक की सीमाओं का विचार कर, नित्यन्त आवश्यक ही नए लिपि-चिह्न इस पुस्तक में रखे गए हैं। वर्णों के नीचे की बिन्दो (यथा च व) सामान्य से कुछ विभिन्न ध्वनि का भकेत करती है। वर्ण के नीचे का गुलाकार चिह्न (सू, नू)

स्वरत्व को ओर तारा-चिह्न (°) शब्द के अनुमान-सिद्ध रूप को जतलाता है। भिन्न सकेत न होने पर षण के ऊपर ~ चिह्न उसके लृस्वत्व की सूचना देता है। ऐं औ की मात्राएँ ° है।

इस पुस्तक में पाठक को इतिहासिक, भूगोलिक आदि कुछ शब्द अपरिचित (और अशुद्ध ?) से मिलेंगे। मेरी धारणा है कि हिन्दी को सरकृत-अप्राकरण का अनावश्यक आश्रय छोड़ देना चाहिए, इसलिए ये नए रूप समाविष्ट किए गए हैं। उसका यह मतलब नहीं कि संस्कृत से शब्द न लिए जाय। मेरी निश्चित सम्मति है कि जहाँ हिन्दी में शब्द न हा वहाँ जरूरी, फारसी, अगरेजी आदि की अपेक्षा, संस्कृत और प्राकृता में ही लेने चाहिए। यदि कज ही काटना हो तो अपना से लिया जाय। पारिभाषिक शब्द संस्कृत को ही आवार मानकर बताने चाहिए। मेरे विचारों के बारे में कुछ 'कृपाशुओं' के बीच भ्रान्ति है इसलिए ये शब्द यहाँ लिख देना उचित समझा। इतिहासिक आदि विकृत (?) शब्द देकर यदि 'पठित बग' को दुख हो तो मेरी सनक समझकर क्षमा करने की उदागता दिखाएँ।

समाज की भाषाओं की स्थिति का दिग्दर्शन करनेवाला एक नकशा भी इस पुस्तक के साथ जा रहा है। इसका खाका तिलक ग्रंथ की पुस्तक से लिया गया है।

समाज पर घोर सकट है और अपने देश पर विषम। दामता की कटुता का नगा चित्र इतर पुरे रूप में सामने आया है। जो महापुरुष समाज का आदर्श बतार रहे हैं, मत्त, अहिंसा और मुक्त का मार्ग दिखार रहे हैं और हमारे प्राणों के भी प्राण है उनके जीवन का सकट में देकर हम लोग विह्वल हा गए थ। कौन भारतीय विशेषकर राष्ट्रीय भावनावाला, ऐसा होगा जिसमें अन्तस्तर में इन महापुरुष ने वारा और स्वातन्त्र्य-प्रेम का प्रकाश न पहुँचाया हो। ईश्वर को कोटिश वन्य-वाद है कि आज वह घोर तपस्या में उत्तीण हुए हैं और उज्ज्वलतर निखर है। ईश्वर उन्हें चिगायु करे। इस पुस्तक का सौभाग्य है कि वह आज ऐसी पुण्य तिथि पर प्रकाश में आ रही है।

२४ चौथम लाइन
प्रकाश }
पुण्य तिथि, ३-३-१९४३ }

—बाबूराम लक्ष्मण

छठा संस्करण

इस बार नई सामग्री जोड़कर भाषाविज्ञान के अध्ययन की नई प्रवृत्तियाँ को भी समाविष्ट कर लेने का प्रयत्न किया गया है। सहायन आर सामग्री-सकलन म इस मतवा श्री विद्यानिवास मिश्र और श्री रमेशचन्द्र मेहरोत्रा ने बड़ी मदद की, इसके लिए मैं इन दोनों का आभार मानता हूँ। इसके पूर्व के संस्करणों में श्री रमानाथ महाय श्रीवास्तव तथा श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी ने सहायता पहुँचाई थी। उनकी सेवा भी स्मरणीय है। वर्तमान संस्करण के प्रूफ सशोधन का कायभार डा० उदयनारायण तिवारी ने लिया था। उनका भी कृतज्ञ हूँ। (गुभम्)

२४-४-६१

—वात्रराम सक्सेना

विषय-सूची

प्रथम खंड

पहला अध्याय—विषय-प्रवेश

पृ० १-५

भाषा का व्यापक (१) तथा मकुचित अर्थ (२)। ज्ञान के दो भेद—नैसर्गिक, बुद्धिग्राह्य, (३) फिर बुद्धिग्राह्य के दो भेद—विज्ञान और कला, (३) इन दोनों में अन्तर (४)। भाषाविज्ञान या भाषाशास्त्र ? (४-५)।

दूसरा अध्याय—भाषा

पृ० ६-१३

भाषा का लक्षण (६), बोलते समय मुखाकृति, इंगित आदि का प्रयोग (६), इंगित भाषा (७), लेखबद्ध अक्षर भी विचार-विनिमय के साधन (७), मकेत, स्पष्ट-चिह्न, गुप्त भाषा व लिपि आदि (८)। भाषा विचार का भी साधन (९-१०) भाषा तथा विचार में एक माध्यम-प्रतिमा (१०)। भाषा सीखने की सामर्थ्य स्वभावतः ही, परन्तु सीखना है अनुकूल वातावरण में जन-समुदाय में (१०-११) इसे सीखने के ही कारण परिवर्तन अवश्यभावी (११)। भाषा का प्रवाह है अनादि और अनन्त (१२)। भाषा का व्यक्त जीव व वस्तु से केवल सामयिक व्यवहार का सम्बन्ध (१२) ध्वनियाँ विश्लेषण-मह्य है (१२-१३) भाषा के द्योतक विभिन्न भाषाओं के शब्द (१३)।

तीसरा अध्याय—भाषा का सघटन

पृ० १४-१७

भाषा की परिभाषा (१४)—भाषा एक सघटना है (१४), भाषा प्रतीकमय है (१४-१५), ये प्रतीक यादृच्छिक है (१५-१६), और भाषा एक समुदाय के परस्पर व्यवहार का प्रकृततम माध्यम है (१६-१७)। भाषा वह है, जो बोली जाती है (१७)।

चौथा अध्याय—भाषा की इकाइयाँ

पृ० १८-२१

विभाजन की बात धारणात्मक स्तर पर ही, पारमार्थिक स्तर पर नहीं (१८)। अभिव्यक्ति और अर्थ (१८-१९)। अर्थ मानसिक सत्ता है, इसलिए उसकी सीमाया इतनी निश्चिन्त और स्पष्ट नहीं की जा सकती, जितनी अभिव्यक्ति की (१९)।

अभिव्यक्ति के तीन स्तर हैं, वाक्य रूप और ध्वनिग्राम (१९)-वाक्य विचार की पूर्णता की इकाई है (१९), रूप छोटी में छोटी अथवा न इकाई है (२०), और ध्वनिग्राम किसी भाषा-विशेषण उक्ति की वह अंतिम इकाई है जिसके बाद विशेषण करता उस भाषा की दृष्टि में निष्प्रयोजन है (२०-२१)।

पाँचवाँ अध्याय—संघटनात्मक भाषा-विज्ञान सम्प्रदाय पृ० २२-२४

सम्प्रदाय की मान्यताएँ (२२)—भाषा का बाला जाने वाला रूप ही उसका वास्तविक रूप है (२२), भाषा के अवयव एक-दूसरे से असंलग्न या अमबद्ध नहीं हो सकते (२२-२३), भाषा के सबंध में जन्मजात हृदि-अरुचि का कोई प्रश्न नहीं उठता (२३), भाषा का शुद्ध-अशुद्ध, कामल-परुष आदि कहना ठीक नहीं (२३), एक भाषा का दूसरी भाषा से यथाऽ अनुवाद नहीं किया जा सकता (२३)। संघटनात्मक भाषाविज्ञान का प्रसार (२४)।

छठा अध्याय—भाषा का उद्गम

पृ० २५-३१

यम ग्रन्थ के अनुसार भाषा ईश्वर-प्रदत्त है (२५) या यमग्रन्थीय भाषा ही मूल तथा यदि भाषा है (२५-२६) परन्तु विकामवाद माननेवालों के इस समस्या के विविध हल (२७)—(क) जापम के समझौते में भाषा बनी, पर भाषा की अनुपस्थिति में कैसा ताद्विवाद या समझौता? (२७), (ग) पशुपत्निया तथा सृष्टि के अन्य पदार्थों से भाषा सीखी गई, पर अनुरणनात्मा और अनुरणनात्मक शब्द बहुत थोड़े हैं तथा मनुष्य के पास भी भाषा जानने का शक्ति नहीं होगी (२७-२८), (ग) मन के भावा और आवेशों की व्यक्त करनी ध्वनिया में भाषा की सृष्टि, पर विष्मयादि-जीवक अवयव बहुत कम तथा भिन्न भाषाओं में भिन्न-भिन्न है (२८-२९)। यह अपज्ञानी मनुष्य के लिए जटिल समस्या है पर वह है प्रयत्नशील (३०), वस्तुतः भाषा तथा विचार का अटूट सम्बन्ध है और विचार का आविर्भाव मनुष्य-समाज के विकास की समस्या के साथ सम्बन्ध हुआ है (३०-३१)।

सातवाँ अध्याय—भाषाविज्ञान तथा अन्य विज्ञान

३२-४१

भाषा का विचार के बाह्य स्वरूप होने के नाते विचारणात्मक ज्ञान में प्रतिष्ठित सम्बन्ध (३२)। भाषाविज्ञान का सम्बन्ध—मनोविज्ञान से (३२), तकशास्त्र से (३२-३२), समाजशास्त्र से (३३-३४), शरीरविज्ञान से (३४), भूत-विज्ञान से (३४-३५), इतिहास से (३५-३६), भूगोल से (३६), नृ-तत्त्वज्ञान से (३६) वाङ्मय से (३६-३७) तथा व्याकरण से (३७)। भाषा वाक्यों का समूह है (३८)।

भाषा ऋ चार अंग है—वाक्य, गठ, ध्वनि और अर्थ (३९), और इनके अनुसार भाषाविज्ञान की चार शाखाएँ—वाक्यविज्ञान (३९), पदविज्ञान (३९), ध्वनि विज्ञान (३९-४०) और अर्थविज्ञान (४०)। भाषाविज्ञान का उपयोग (४०) और अधिकारी (४१)।

आठवाँ अध्याय—भाषा का विकास पृ० ४२-४७

समय परिवर्तनशील है और भाषा भी (४२), पर यह परिवर्तन न तो उन्नति ही है, न अवनति, यह है केवल विकास (४२-४३)। परंपरा तथा जन-संसार की विभिन्नता के कारण यह परिवर्तन (४३), प्रत्येक व्यक्ति के उच्चारण-यन्त्र की भिन्नता के कारण उच्चारण सम्बन्धी विभिन्नता और स्मृति तथा अनुभव की भिन्नता के कारण अर्थ सम्बन्धी विभिन्नता (४३-४४) फिर भी व्यवहार में अभिन्नता (४४) बोलनेवालों के संगठन तथा बाह्य संसर्गहीनता के अनुपात से एकत्वता (४४-४५), परिवर्तन का व्यक्तिकरण में बाधा डालने के कारण क्षीयता (४५-४६)। परिवर्तन का तुच्छत्व तथा महत्व तद्भाषा-भाषी समुदाय से ही निर्णीत है (४६-४७) पर यह परिवर्तन होता है अवश्य, सदा (४७)।

नवाँ अध्याय—विकास का मूल कारण ४८-६०

साधारणतः चार वाद—(क) शारीरिक विभिन्नता पर प्रत्यक्ष ही है कि भिन्न शरीरवाला भी एक भाषा तथा समान शरीर वाले भी भिन्न भाषा बोल लेते हैं (४८-४९), (ख) भौगोलिक विभिन्नता पर समीक्षा करने पर यह भी खरा नहीं ठहरता (४९-५०), (ग) जातीय मानसिक अवस्था-भेद पर भाषा का द्रुत-गति में विकास समाज की विश्रुतलता पर निर्भर है और मौखिक, लालित्य आदि गुण तो निज रुचि पर ही जयेक्षित है (५०-५१), (घ) प्रयत्न लाघव, मानव मनोवृत्ति के अनुकूल होने के कारण यह उचित है (५२)। प्रयत्नलाघव से उत्पन्न भाषा में परिवर्तन के विभिन्न उदाहरण—बहुधा प्रयोग में आनेवाले शब्दों का शरीर अधिकतर विकल हो जाता है जैसे मइ है, जादि (५३-५४), बग़ायात तथा भावातिरेक में भी प्रयत्नलाघव के कारण परिवर्तन (५४-५५), बड़े शब्दों को संक्षेप रूप में व्यक्त करना आदि (५५)। प्रयत्नलाघव की दृष्टि में मन का आगे की ध्वनिज्ञा पर पहुँचना और विभिन्न ध्वनिविषयों का भाषा में आगम—परस्पर विनिमय (५६), ध्वनिलोप या अक्षरलोप (५६), समीकरण—पुरोगामी तथा पश्चगामी (५६-५७), विषमीकरण (५७)। अन्य प्रयत्न लाघव-जन्य परिवर्तन-मधुक्ताक्षरों के बीच प्राप्य स्वरागम (स्वरभक्ति और अग्रागम)

(५८) एक ही विचार के वाचक दो शब्दों (५८-५९) या दो वाक्य-विन्यासों का मिश्रण (५९) तथा विदेशी शब्दों का स्वदेशी परिचित शब्दों से मिलना-जुलना उच्चारण (५९-६०) ।

दसवाँ अध्याय—ध्वनियत्र

पृ० ६१-६७

ध्वनि यत्र (६१) श्वास की विचित्र विकृति से ध्वनिमण्डि (६२) श्वासानालिका तथा भोजननालिका (६३), स्वरयत्र तथा स्वरतन्त्रियों की चार विभिन्न स्थितियाँ (६२-६३) । ध्वनियत्र के विभिन्न अवयव—मुखविवर आदि (६३) अलिजिह्व की तीन विभिन्न अवस्थाएँ (६३-६४), जीभ की विविध अवस्थाएँ (६४-६५), दस प्रकार म्यानभेद व प्रयत्नभेद से अनन्त ध्वनियों की मृष्टि (६६) । ध्वनि का लक्षण (६६) तथा तीन अवस्थाएँ (६६), प्रो० डेनियल जोन्स के मत से ध्वनि का लक्षण (६६-६७) । ध्वनिग्राम (६७) ।

ग्यारहवाँ अध्याय—ध्वनियों का वर्गीकरण

पृ० ६८-७६

स्थान तथा प्रयत्न पर ध्वनियों का द्विगुण वर्गीकरण (६८) । स्वर तथा व्यजन (६८-६९) और उनके लक्षण—प्राचीन (६९) तथा आधुनिक (६९), स्वर तथा व्यजन का भेद (६९-७०) । स्वरों का वर्गीकरण (क) जीभ के विभिन्न स्थानों पर—अग्र, मध्य तथा पश्च स्थान (७०) तथा (ख) मुख के खुलने पर मवृत, विवृत, अथसवृत तथा अवविवृत (७०-७१) । व्यजनो का वर्गीकरण (क) मघोष तथा अघोष (७२), (ख) द्वयोष्ठ्य, दन्त्योष्ठ्य, दन्त्य, वत्स्य, तालव्य, मूर्धन्य, अलिजिह्वीय, उपालिजिह्वीय तथा स्वरयत्र-स्थानीय (७३), (ग) प्रयत्न-भेद से—स्पश सप्रर्षी, पार्श्विक, लोडित तथा उन्क्षिप्त (७३-७४), (घ) निरनुनासिक तथा अनुनासिक (७४-७५) । य् और व् के दो रूप (७४), अल्पप्राण और महाप्राण (७५) । मुख्य तथा गौण स्थान (७५-७६) ।

बारहवाँ अध्याय—ध्वनियों के गुण

पृ० ७७-८१

मात्रा, सुर और बलाघात (७७) । मात्रा के तीन प्रकार—ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत (७७), ह्रस्वत्व दीर्घत्व का निणय (७८), मात्रा को अकित करने के साधन (७८-७९) । सुर—उच्च, नीच तथा सम (७९) इनका भाषाओं में प्रयोग (७९-८०) । बलाघात उसके प्रयोग तथा प्रयोग के नियम (८०) । इन गुणों का भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न प्रयोग (८०-८१) ।

नेरहवा अध्याय—सयुक्त-ध्वनियाँ पृ० ८२-८८

वाक्य मे ध्वनियों के समूह ही का प्रयोग (८२), इन समूह के अन्तगत स्वर व व्यंजनो के मयोजन के प्रत्येक भाषा मे विभिन्न नियम (८२-८३), अव्यवहृत मयोग (८३) । दो म्वरा के पास-पास आने पर—बीच मे जरा रुकना या श्रुति का आगम या मिश्र स्वर की उत्पत्ति (८३) । मिश्र स्वर के दो भेद (८३-८४), मूलस्वर तथा मिश्र स्वर मे भेद (८४) । अक्षर के लक्षण (८४), ध्वनियों के प्रवाह को अक्षरो मे विभाजित करना (८५), श्रव्यता (८६) ।

चौदहवाँ अध्याय—ध्वनिग्राम-विज्ञान—१ पृ० ८९-९६

ध्वनिग्रामो के आवार पर किसी भाषा की वैज्ञानिक लिपि प्रस्तुत करना इम विज्ञान का एक काम है (८९) । ध्वनिग्राम क्या है (८९-९०) ? ध्वनिग्राम-विज्ञान की सीमाएँ और उपयोग (९०-९२) । इम विज्ञान की प्रक्रिया के चार आधारभूत सिद्धान्त (९२-९३) । ध्वनिग्राम छोटने मे उच्चागण मे वितरण का ज्यादा महत्व (९३-९४) । एक ध्वनिग्राम के अतगत होने के लिए ध्वनिया के लिए आवश्यक शर्ते (९४-९५) । हिन्दी से उदाहरण—‘व्’ और ‘व्’ तथा ‘द्’ आर ‘ड्’ (९५-९६) ।

पन्द्रहवाँ अध्याय—ध्वनिग्राम विज्ञान—२ पृ० ९७-१०७

ध्वनिग्राम की परिभाषा (९७) के तीन जग—१ ध्वनिग्राम किसी भाषा-विशेष का एक साथक ध्वनिगत भेद-प्रदशक है, जबकि ध्वनि भाषा-निरपेक्ष एक भौतिक घटना-मात्र की प्रदशक है (९७-९७) २ ध्वनिग्राम के ध्वनि-समूह की ध्वनियों परस्पर उच्चारण-मादृश्य रखती है, उन ध्वनियों की परिस्थितियाँ एक-दूसरे की पूरक होती है—ध्वनियों मे पडने वाले अनियमित भेदो की भीमासा भाषा-विज्ञानी नही करता—(९८-९९) ३ ध्वनिग्राम सघटना की इकाई होने के कारण सघटना के ‘प्रतिरूपना का समनुहार’ के बाहर नही जाता (९९-१००) । यद्यपि हम बोलते और सुनते सदा ध्वनि हैं, पर हमारी मानसिक प्रक्रिया मे सदा ध्वनिग्राम रहता है (१००-१०१) । ध्वनिग्राम के दो प्रकार—खडरूप और अखडरूप (१०१) । स्वर, व्यंजन और अतस्थ (१०१-१०२) । शुद्ध स्वर और मध्वि स्वर (१०२) । मात्रा, श्रुति, सुर, बलाघात, काकु और विवृत (१०२-१०४) अंग्रेजी और हिन्दी के व्यंजन ध्वनिग्रामो की तुलना (१०५) । ध्वनिग्राम-विश्लेषण करते समय के तीन खतरे (१०५-१०६), और ध्वनिग्राम-विश्लेषण (१०६-१०७) ।

सोलहवाँ अध्याय—ध्वनि-विकास

पृ० १०८--११७

ध्वनिविकास के मूल में प्रयत्न-लाघव ही है (१०८) पर ध्वनि उच्चारण की सरलता या कठिनाई का निर्णय करना मुश्किल है (१०८-१०९), यह ध्वनि-विकास बहुत ही धीरे व अनजान में होता है (१०९) और एक मुमगठित मनुष्य-मसुदात्र में सत्रव व्यापक होता है (११०)। यह विकास वाक्य या शब्द में ध्वनि की परिस्थिति ही पर निर्भर है (११०-१११) और प्रारम्भ होने पर निश्चित दिशा की ओर ही बढ़ना रहता है (१११) अतएव उसके नियम निर्धारित किये जाते हैं (१११-११२), पर ये नियम, न तो भविष्य में हाने वाले विकास के नियामक हैं (११२-११३) और न भूतविज्ञान के नियमों की तरह अटक (११३)। ध्वनिविकास के कुछ उदाहरण—(क) नई ध्वनि का आगम (११३), (ख) समानध्वन्यात्मक पर भिन्नार्थबोधक शब्दों की उत्पत्ति (११३-११४), (ग) सन्धि आदि के कारण अस्थान ध्वनि विकार (११५), (घ) पूर्ववर्ती अथवा विदेशी भाषाओं के अज्ञानवश अस्थान गलन प्रयोग (११५-११६) और (ङ) विनोदजन्य तथा कवि-मृष्टि शब्द रूपों का आगम (११६-११७)।

सत्रहवाँ अध्याय—पदरचना

पृ० ११८-१२४

ध्वनिों का अर्थ-व्यञ्जकता की सुविधा के अनुसार विभाजन-शब्द या पद (११८), वाक्य की प्रतिमा का मस्तिष्क में हाना व उच्चारण (११८)। वाक्य के पदों का मस्तिष्क द्वारा ग्रहण समष्टि रूप में होता है पर कुछ ध्वनिया अथ-तत्त्व की और कुछ परम्परा सम्बन्ध की बोधक होती हैं (११९)। प्रत्येक भाषा की अपनी स्वयं की विचार को व्यक्त करने की शक्ति है (११९) और यह सम्बन्धतत्त्वा का प्रगट करने के ढंग में मालूम होती है (१२०)। सम्बन्ध का व्यक्त करने के ढंग—(क) सम्बन्ध-तत्त्व का जन्म शब्द ही होता (१२०), (ख) सम्बन्ध तत्त्व का अथतत्त्व में जुड़कर उसी का अंग हो जाना (१२०), (ग) जन्म तत्त्व की ध्वनियों में कुछ परिवर्तन करना (१२१) (घ) अथतत्त्व का जानना में ध्वनिगण का भेद करना (१२१), (ङ) अथ-तत्त्व को अविज्ञित छोड़ देना (१२१) (च) अथतत्त्व का वाक्यांश में विशेष स्थान पर ही रखना (१२१-१२२)। प्रत्येक भाषा उपरि-लिखित उपायों में से एक या अनेक उपायों को ग्रहण करती है। (१२२)। पद या शब्द का प्राचीन (१२२-१२४) तथा अर्वाचीन (१२२-१२४) लक्षण। ध्वन्यात्मक तथा व्याकरणात्मक शब्द (१२४)।

अठारहवाँ अध्याय—रूप विज्ञान

पृ० १२५—१३०

रूप ध्वनिग्राम और अर्थ को जोड़नेवाली कड़ी है (१२५)। रूप अभिव्यक्ति के स्तर पर छोटी से छोटी अयवती इकाई है (१२५)। क्या रूप का ध्वनिग्राममय होना जरूरी है ? (१२५-१२६) रूप परस्पर संबन्ध और पूरक वितरण रखने वाले आकारों के समूह का प्रतिनिधित्व करता है (१२७)। ध्वनिग्राभीय कारण से एक रूप के व्यष्टि-रूपों में परस्पर भेद पडना मधि कहलाता है (१२८) और अन्य कारण से व्यष्टि-रूपों में भेद पडना रूपात्मक कारणजन्य व्यष्टि-भेद कहलाता है (१२८)। रूप का वर्गीकरण क्रम के—विन्यास के—और उसके बद्ध या मुक्त स्वभाव के—आधारों पर किया जाता है (१२९)। रूप का महत्व पद के भीतरी उपादान तत्वों के परस्पर संबन्ध की दृष्टि से है और पद का महत्व वाक्य की दृष्टि से है (१२९-१३०)।

उन्नीसवाँ अध्याय—सधि

पृ० १३१—१३४

सधि के दो प्रकार—(१) पद के बाहर, वैकल्पिक (२) पद के भीतर, नित्य (१३१)। सधि के विचार से ध्वनिग्राम-विकार—अपश्रुति (१३२), म्वराघात में परिवर्तन (१३३), बलाघात के स्तर में परिवर्तन (१३३), आगम (१३३), लोप (१३४) और आदेश (१३४)।

बीसवाँ अध्याय—पद विकास

पृ० १३५—१४९

वाक्य द्वारा उद्बोधित अर्थ का विश्लेषण प्रत्येक भाषा में किन्हीं धाराओं में होता है और ये धाराएँ सम्बन्ध-तत्वों द्वारा निर्धारित होती हैं (१३५) जो कि निम्नलिखित भावों को प्रायः प्रकट करते हैं—(क) लिंग, पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, पर इनका नैसर्गिक पुरुषत्वादि से असम्बद्ध होना (१३६), अचेतन व चेतन पदार्थ (१३७), (ख) वचन—एकवचन, द्विवचन और बहुवचन तथा व्यक्तिवाचक या समूहवाचक शब्द (१३८-१३९), (ग) काल—वर्तमान और उसकी महायता से भविष्य तथा भूतकाल (१४०-१४१) (घ), प्रेरणाथक आदि—संस्कृत के दस गुण आदि (१४१-१४२), (ङ) वाच्य—कर्तृ, कर्म और भाव (१४२-१४३), (च) पद—परस्मैपद और आत्मनेपद (१४३), (छ) वृत्ति (१४४), (ज) विभक्ति—प्रथमादि और हिन्दी में विकारी तथा अधिकारी (१४४-१४५), परसर्ग (१४५) (झ) कारक (१४६), ये धाराएँ न तो नैसर्गिक हैं न किन्हीं तार्किक सिद्धान्तों पर निर्भर (१४६)। न अटल (१४७) और न सब

भाषाओं में एक-सी (१४७-१४८)। ध्वनिविकास की भाँति इनका भी विकास अनायास और अनजान में होना रहता है (१४८-१४९)।

द्वितीयाध्याय—पदव्याख्या पृ० १५०-१५४

वैयाकरण पद-व्याख्याएँ (१५०) अव्यय—विस्मयादि बोधक (१५०), ममुच्चयादि बोधक, परसग और उपसग (१५०), सज्ञा और विशेषण में मूलतः अभेद (१५१), मत्ता जोर क्रिया में भेद (१५१-१५२), व्यापारात्मक तथा सज्ञा-त्मक वाक्य में परस्पर भेदाभेद (१५२), तुलना और निष्ठादि प्रत्ययान्त शब्द क्रियाकाम्ब के मूल में होना (१५२-१५३), गुणवाचक सज्ञाएँ और उणादि सूत्र से सिद्ध शब्द (१५३-१५४), शब्द की एकता (१५४)।

तृतीयाध्याय—पदविकास का कारण पृ० १५५-१५९

पदों की एकरूपता और अनकरूपता की प्रवृत्तियाँ (१५५), प्रयत्न-लाघव-जन्य एकरूपता की प्रवृत्ति (१५५-१५६) मादृश्य मूलक है (१५६) और वचन की भाषा में पहले-पहल सुनाई पड़ती है (१५७)। व्याकरण के अपवाद, सबल, निर्बल आदि (१५७-१५८)। समानता और विभिन्नता के बीच भाषा बढ़ती जाती है और शब्दों की सृष्टि तथा विनष्टि होती जाती है (१५८-१५९)।

चतुर्थी अध्याय—अर्थ-विचार पृ० १६०-१७६

ध्वनि-मसर्ग से अर्थ का आगम पर अर्थ की परिवर्तनशीलता (१६०), अर्थ अनुभव-जन्य है और प्रकरण से निर्धारित होता है (१६०-१६१), अर्थ पर जन-समुदाय की घनिष्ठता का प्रभाव (१६२) तथा सामाजिक वातावरण का प्रभाव (१६३)। अर्थविकास की तीन दिशाएँ—अर्थविग्नार (१६३-१६४), अर्थ-सकाच (१६४-१६५) और अर्थविदेश (१६५)। इनका विभिन्न रूपों में काम करना (१६५) और मनुष्य की विचारधारा पर निर्भर होना (१६६)। अर्थ परिवर्तन का मूल विचार-विभिन्नता (१६६-१६७)। मसर्ग से (१६७), अशुभ बात का बचा कर बोलने में (१६७) शिष्टाचार में साधु शब्द बोलने से (१६७), तत्सम को अधिक आदर देने से (१६८), भाव साहचर्यादि से (१६८) और उल्टा बोलने आदि में (१६८-१६९) अर्थ का परिवर्तन होता रहता है। पर होता है उपनि-लिखित तीन दिशाओं में ही (१६९)। अर्थविकास में राक (१७०)। अर्थविकास के अध्ययन से सामाजिक इतिहास का निरूपण (१७०-१७१), शब्दसमूह और निश्चित (१७१), शब्दसमूह के पाँच भाग—तत्सम, बद्धभव, देशी, विदेशी तथा

देशज (१७१-१७२), कुछ भाषाओं में विदेशी शब्द (१७२), व्यवहृत शब्दों की गणना (१७३), कुशल ग्रन्थकारों द्वारा शब्दों का प्रयोग (१७३)। विदेशी शब्दों का अपनाना (१७४), भाषा की शुद्धता (१७४-१७५), विदेशी शब्दों का आगमन (१७५-१७६), पारिभाषिक शब्दावली (१७६)।

चौबीसवाँ अध्याय—भाषा की गठन पृ० १७७-१९२

भाषा में एकता और अनेकता (१७७), बोली (१७७-१७८), विवेचना-चक्र (१७८), बोली की एकता का निर्णय (१७९), बोली और भाषा (१७९-१८०), बोली की प्रमुखता के मुख्य कारण—राजनीतिक प्रमुखता, साहित्यिक श्रेष्ठता और जनगण का प्रभाव (१८०-१८१), भाषा और बोली में अन्तर (१८१), भाषा का बोली बनना (१८१-१८२), बोली और भाषा का अन्य अन्तर (१८२), बोली और राजनीतिक सीमाएँ (१८२), भाषा का छिन्न-भिन्न होना (१८२-१८३)। स्टैंडर्ड भाषा (१८३-१८४), उसका प्राचीन रूप रखना (१८४), वर्तमानकालिक प्रभाव पड़ने पर भी (१८४), प्राचीनता का, लेखबद्धता और परम्परा से कायम रहना (१८४-१८५), साहित्यिक लेखबद्ध भाषा से अन्तर होना। लेखबद्ध साहित्यिक भाषा विशिष्ट भाषा है पर है यह भी परिवर्तनशील (१८५-१८६)। विशिष्ट भाषा (१८६), विकृत बोली (१८६-१८८), रहस्यात्मक प्रभाव (१८८-१८९) सामाजिक श्रेष्ठता या हीनता से भी रहस्यात्मक भेद (१८९)। न्याकरण द्वारा प्रतिपादित रूप ही भाषा का असली रूप नहीं है (१८९-१९०), लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा में अन्तर (१९१), बच्चे की बोली (१९१), विशेष भाषा और विशेष जाति में परम्पर समवाय नहीं है (१९१-१९२)।

पच्चीसवाँ अध्याय—भाषा का वर्गीकरण पृ० १९३-२०५

विभिन्न भाषाओं में समानता दो प्रकार से—पदरचना और अथतत्त्व की समानता में (१९३), अतएव द्विविध वर्गीकरण—आकृतिमूलक तथा इतिहासिक या पारिवारिक (१९३)। आकृतिमूलक के अनुसार दो वर्ग—अयोगात्मक (१९३-१९४) और योगात्मक (१९४-१९५)। फिर योगात्मक के तीन भेद—अश्लिष्ट (१९४-१९५), श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट (१९६-१९७)। भाषाओं का एक वर्ग से दूसरे वर्ग में विकास (१९७-१९८)। ऐतिहासिक वर्गीकरण, परम्पर समीपता से ऐतिहासिक सम्बन्ध (१९८-१९९)। शब्दसमूह के चार भाग (१९९-२००), शब्दसमानता अपेक्षित है (२०१), व्याकरणात्मक समानता (२०१-२०२), ध्वनिसमूह की समानता (२०२-२०३), ध्वनियमाकी समानता (२०३-२०४),

स्वामिक सम्मानता (२०४) । आदिभाषा (२०४) और अन्य अनिधारित भाषाओं का निर्धारण करना (२०५) ।

छठ्ठीसवाँ अध्याय—वाक्यविचार पृ० २०६-२१५

वाक्य भी एक अवयव है पर वक्तव्य का (२०६-२०७) जो कि स्वयं हमारी विचारधारा का छोटा अवयव मात्र है (२०७), इस विचारधारा का अटूटत्व (२०८-२०९) और यह हमारी विचारधारा स्वयं एक बृहत्तर विचारधारा का अवयव मात्र है (२०९-२१०) । प्रकरण इगित और आकार की महायता (२१०-२११), शिक्षित और अशिक्षित के वाक्यों का भेद (२११) । वाक्य के दो अंग—उद्देश्य और विधेय (२१२), वाक्य की लम्बाई (२१३) । वाक्य में पदक्रम (२१३-२१४), वाक्य-विश्लेषण में विभिन्नता (२१४-२१५) ।

सत्ताईसवाँ अध्याय—भाषाविज्ञान का इतिहास पृ० २१६-२४५

भाषा-विषयक सर्वप्रथम विवेचन भारतवर्ष में हुआ । वैदिक संहिताओं को यथातथ्य रखने के प्रयत्न, शाकल्य का पदपाठ (२१६-२१७), प्रातिशाख्यो और निरुक्त का निर्माण (२१७), सर्वप्रथम वैयाकरण इन्द्र, पाणिनि और उनकी अष्टाध्यायी (२१८-२१९), मुनित्रय, अन्य उत्तरकालीन वैयाकरण (२२०-२२२), वैयाकरणों की अन्य शाखाएँ तथा प्राकृत व्याकरण का तुलनात्मक अध्ययन, भारतीय अध्ययन का सिंहावलोकन (२२२-२२३), जख तथा चीन के विद्वानों की खोज, ग्रीस के दामनिको की खोज (२२४-२२५), ग्रीक और लैटिन का अध्ययन तथा उसका प्रभाव (२२५-२२७), १८वीं सदी में भाषाविज्ञान की नींव (२२७), भाषाविज्ञान के बनने में संस्कृत का प्रभाव (२२८), प्राचीन युग के अन्वेषक—फ्रे० श्लेगल् (२२८-२२९), रैम्क, ग्रिम, बाप (२२९-२३०), हम्बोल्ट (२३१), फाट, रैप, ग्लाड्स्टर (२३२-२३३), कुट्टिउम, मैक्समूलर, हिटनी (२३३-२३५), नवीन युग के कार्यकर्ता स्टाइनथाल (२३५), ब्रुगमन, डेलब्रुक, आस्टोफ, हर्मन पाउल (२३६), हेनरीस्वीट (२३७), वर्तमान प्रवृत्तियाँ (२३८), अध्ययन के केन्द्र जर्मनी और पेगिस, वर्तमान भारत के मनीषी, सर्वप्रथम रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, भारत में आए हुए अंग्रेजों का उपकार, टनर और ज्यूलव्लाक की शिक्षा का प्रभाव, सुनीतिकुमार चटर्जी (२३९-२४३) मिश्रेश्वर वर्मा तथा अन्य विद्वान भारतीयों का कनव्य (२४३-२४५) ।

अट्ठाईसवाँ अध्याय—लिपि का इतिहास पृ० २४६-२६७

शब्द को उत्तरकालीन या परदेशस्थ मनुष्य तक पहुँचाने की आवश्यकता और

उमकी पूर्ति के प्राथमिक उपाय (२४६-२४७) चित्रलिपि (२४७-२४८) चित्र सकेत (२४८-२४९) सकेतो के अक्षरो का उद्गम चीन और मिश्र मे (२४९-२५०) सुमेरी जाति के कीलाक्षर ग्रीक लिपि (२५०) अन्य देशो के प्राथमिक लेख, भारत के सवप्रथम लेख अशोक के, ग्रीक लिपि से उद्गम ? (२५१-२५२), फोनीशी लिपि आदि सामी लिपियाँ, इन सब का उद्गम मिश्र से, भारतीय लिपि की नामग्री (२५२-२५५), भारतीय लिपि-ज्ञान की प्राचीनता (२५६), खरोष्ठी की उत्पत्ति, ब्राह्मी की उत्पत्ति (२५८-२६०), उत्तरी और दखिनी ब्राह्मी और उनके प्रभेद (२६२-२६४), नागरी लिपि (२६४-२६५), उर्दू और रोमन (२६६-२६७) ।

दूसरा खंड

उन्तीसवाँ अध्याय—विविध भाषा परिवार पृ० २७१-२८५

मसार की भाषाजा के चार चक्र (२७१), अमरीका चक्र के अमरीका महाद्वीप के मूलनिवासियों की सभी भाषाएँ, विशेष विवरण का अभाव, इनका सौ सवा सौ परिवारो मे विभाजन (२७१-२७२), इनका वर्गीकरण (२७३), प्रशान्त महासागर चक्र की भाषाओ का विस्तार, मैकडो भाषाएँ (२७३-२७४), पोंच परिवारो मे विभाजन, लक्षण (२७४-२७५), बालनेवालो की सख्या (२७५), इन भाषाओ पर मन्कृत का प्रभाव (२७६), इन परिवारो का क्षेत्र (२७७-२७८), इनके लक्षण (२७७-२७८), अफ्रीका चक्र के परिवार (२७८), अमरीका चक्र की अपेक्षा ये अधिक उन्नत (२७८), ब्रुगमैन परिवार (२७९), बाटू परिवार (२७९-२८०), सुडान परिवार (२८१), सामी-हामी परिवार (२८२), हामी समूह के लक्षण (२८३-२८५) ।

तीसवाँ अध्याय—यूरेशिया के भाषा परिवार पृ० २८६-३०२

सामी समूह के लक्षण (२८६-२८७), इस समूह के वग और अन्तगन भाषाए (२८८-२८९), उराल-अल्ताई समुदाय के दो परिवार (२९०), इन दोनों के समान लक्षण (२९०-२९१), फिनी-उग्रो समूह (२९१), समायेदी समूह (२९२), अल्ताई परिवार की भाषाओ के समान लक्षण (२९२), मगोली (२९२) तुगूजी (२९२), तुर्की (२९२-२९३); चीनी परिवार का महत्व और भाषा-समूह (२९३-२९४), चीनी लिपिका प्रभाव (२९४), चीनी के तीन काल और मुख्य लक्षण (२९४-२९५), एकाक्षर शब्द (२९५), चीनी शब्दो के दो विभाग (२९६),

व्याकरण हीनता (२९६), सुर का प्रयोग (२९७), थार्ड समूह की बोलियाँ (२९७), तिब्बती भाग (२९८), चीनी समूह की मुख्य भाषा मन्दारी (२९८), अनामी (२९८), काकेशी परिवार (२९८-२९९), सुमेरी (२९९), मितानी आदि (३००), एब्रुस्कन (३००), जापानी (३००-३०१), कोरियाई (३०१), ऐनू (३०१) हाईपर-बोरी (३०१), बाम्ब (३०१-३०२) ।

इकतीसवाँ अध्याय—आर्येतर भारतीय परिवार पृ० ३०३-३१५

भारत में चार परिवारों की भाषाएँ (३०३), तिब्बती-चीनी (३०३), मीनहमेर और खासी की स्थिति (३०३), मुडा का नाम और क्षेत्र (३०४), प्रभाव, भाषाएँ, ध्वनि समूह (३०४-३०६), व्याकरण (३०६), मुडा और द्राविडी का अन्तर (३०७-३०९), द्राविडी—नाम, सबध (३०९), भाषाएँ (३१०), तामिल, मलयालम, कन्नड, तुलू (३११-३१२), गोडी, तेलगू, ब्राहुई (३१२-३१३), द्राविडी परिवार के लक्षण (३१३-३१४), द्राविडी का प्रभाव (३१५) ।

बत्तीसवाँ अध्याय—आर्य परिवार पृ० ३१६-३३२

महत्त्व और नाम (३१६-३१७), आदिम भाषा (३१८), आदिम की ध्वनियाँ (३१९-३२१), आदिम की पदरचना (३२२), आदिम की तीन बाने—समास, स्वर क्रम और सुर (३२४), मूल निवासस्थान (३२५), वीरा (३२८), आदिम की शाखाएँ (३२९), आर्य परिवार के दो समूह—कैटुम, मतम् और उनके नेदक लक्षण (३३१-३३२) ।

तेतीसवाँ अध्याय—आर्य परिवार की शाखाएँ पृ० ३३३-३४६

केल्टी (३३३), इटाली (३३४), ग्रीक (३३६), जमनी (३३७), जमनी के तीन समूह (३३८), जमनी समूह की बोलियाँ (३३९), जमनी शाखा के ध्वनि-नियम (३४०), ग्रिम-नियम (३४१), ग्रासमन-नियम (३४२), वनर-नियम (३४२), इस शाखा का द्वितीय ध्वनि-परिवर्तन (३४३), तीखारी (३४३), अल्बनी (३४३-३४४), हिट्टाइट (३४४), बाल्टी (३४४), म्लावी (३४५), आर्मीनी (३४६) ।

चौतीसवाँ अध्याय—हिंद ईरानी शाखा पृ० ३४७-३७७

इस शाखा का महत्त्व (३४७), उसके परस्पर समान लक्षण (३४७-३४८), ईरानी और भारतीय का साम्य (३४७), ईरानी और भारतीय के भेदक लक्षण (३४९), ईरानी की उप-शाखाएँ फारसी और अवेस्ती (३५०), फारसी (३५०),

ब्रह्मिस्ती (३५०), दर्दी (३५१), भारतीय आय के तीन युग (३५२), प्राचीन युग (३५३) वैदिक और लौकिक के मुख्य भेदक लक्षण (३५४-३५८), मध्ययुग और उसके तीन काल (३५९), आदि-काल की भाषाएँ (३६०), पालि (३६०), अशोकी प्राकृत (३६२), मध्यकाल की भाषाएँ (३६३), गोरखनी (३६४), महाराष्ट्री (३६५), मार्गवी (३६५), अधमार्गवी (३६६), पैशाची (३६६), अन्य प्राकृत (३६६), उत्तर काल के लक्षण और भाषा (३६७), वर्तमान युग और उसके लक्षण (३६९), वर्तमान युग की भाषाओं को जनसंख्या (३६९), लहदी, सिन्धी, मराठी, उडिया, बिहारी, असामी (३७२), बंगाली, हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती (३७४), पंजाबी, भीली, पहाडी, हवूडी, सिंहली (३७५), अन्तर्प्रान्तीय भाषा (३७६)।

प्रथम परिशेष ग्रन्थ-सूची

पृष्ठ ३७८-३८०

द्वितीय परिशेष पारिभाषिक शब्द-सूची

पृष्ठ ३८१-३९३

अनुक्रमणिका

पृष्ठ ३९४-४१३



पहला अध्याय

विषय-प्रवेश

भाषा

भाषा शब्द का प्रयोग कभी व्यापक अर्थ में होता है तो कभी सकुचित । मूक भाषा, पशुपक्षियों की भाषा अथवा मस्कृत त्रयो के टीकाकारों द्वारा इति भाषायाम् द्वारा अभिप्रेत भाषा में सर्वत्र एक ही भाव छिपा हुआ है—वह साधन जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है । वेकार की डाट खाकर शिशु जब माँ की ओर टुकुर-टुकुर निहारता है और कुछ बोलता नहीं, तब क्या माँ उस बच्चे के अतस्तल की बात नहीं समझ पाती ? अथवा जब भिखारी विमुख होकर द्वार पर से लौटने लगता है तब उसकी आकृति से जो भाव प्रकट होना है वह किस सहृदय में छिपा रहता है ? इसी प्रकार यदि कोई गंगा मुँह के पास हाथ ले जाकर चुल्लू बनाता है अथवा पेट पर हाथ फेरता है, तो देखने वाले को उसकी प्यास या भूख का अन्दाज हो ही जाता है । पेड़ की सघन छाया में बैठे हुए पक्षियों में से यदि किसी को दूर से आती हुई विल्ली दिखाई दे जाय तो उस पक्षी के शब्द करते ही उसके सारे साथी तुरत उड़ कर पेड़ पर क्यों बैठ जाते, यदि उनको उस शब्द द्वारा भय की सूचना न मिलती ? बछड़े के अम्मा शब्द में वह शक्ति है कि कहीं अन्यत्र बाँधी हुई भी उसकी माँ चारा खाना छोड़ कर विकल हो उठती है । इन सभी उदाहरणों से इतना स्पष्ट है कि एक प्राणी अपने किसी अवयव द्वारा दूसरे प्राणी पर जो कुछ व्यक्त कर देता है—वही विस्तृत अर्थ में भाषा है । इसे सर्व-साधारण भाषा कहते हैं ।

कवि की प्रतिभा इससे भी वृहत्तर अर्थ में भाषा समझ सकती है उस अप्राणी भी परस्पर भाव व्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तुलसीदास जी ने वर्षाकाल में ताल-तलइयो के परस्पर स्नेह का जो आदान-प्रदान देखा वह साधारण जन की वृद्धि नहीं देख सकी थी। सुमित्रानन्दन पन्त को उदधि का गान सुनाइ पडा। महादेवी वर्मा का सुमन' तो

स्वप्नलोक की मधुर कहानी

कहता सुनता अपने आप।

और उनकी प्रतिभा को

नीरत्र तारो से,

बाली किरणो की अलके,

ऐसा स्पष्ट दिखाई देता है। पर सामान्य मनुष्य की समझ में यह सब, अचेतन ससार का व्यापार, नहीं आता और इसीलिए वह भाषा शब्द का इतना व्यापक अर्थ नहीं करता।

भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए भाषा का और भी सजुजित अर्थ लिया जाता है। सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि यदि किसी मौखिक या अन्य क्रिया के दुहराने से कोई अभिप्राय प्रकट होता है तो वहाँ भाषा मौजूद है। इसलिए पशुओं या पक्षियों की ऐसी आवाजे जिनको दुहरा कर दूसरे पशु-पक्षी श्रृंगार या भय या चेतावनी की अभिव्यक्ति कर सके, भाषा के अन्तर्गत हैं। एक तो अन्य प्राणियों को छोड़कर हम अपना ध्येय मनुष्य की भाषा तक सीमित रखते हैं, दूसरे, मनुष्य द्वारा प्रयुक्त अन्य अवयवों का त्याग कर केवल वाणी को ही अवलम्बन मानते हैं। बच्चे अथवा भिखारी की मूक भाषा का अथवा इंगित भाषा का यहाँ कोई स्थान नहीं। इसके अतिरिक्त, मनुष्य की वाणी द्वारा व्यक्त सभी ध्वनियों का भी इस वैज्ञानिक अध्ययन में प्रयोजन नहीं—न हमें अट्टहास से काम, न रोदन में और न घोड़े को चलने के लिए प्रेरित करने के टू टू टू शब्द अथवा किसी की विपत्ति में सहानुभूति और करुणा सूचक चू चू चू चू शब्द से। हमें तो काम है वाणी द्वारा प्रयुक्त ऐसी ध्वनियों से जो अध्ययन द्वारा

विश्लेषण में आ सके और जिनके इधर-उधर के हेर-फेर से अन्य शब्द बन सके। हमें प्रयोजन है ऐसी ध्वनियों से जिनके द्वारा एक मनुष्य अन्य मनुष्य पर अपने विचार प्रकट कर सके। यह व्यापार मनुष्यों तक ही परिमित है—इसमें अन्य प्राणी के प्रवेश की गुजाइश नहीं। कथा-कहानियों के वे अंश जिनमें मनुष्य और अन्य प्राणियों के सवाद अंकित हैं विज्ञान की दृष्टि से कवि की कल्पना की श्रेणी में आते हैं और यदि किमी की श्रद्धा इतना स्वीकार नहीं करती तो भी इस अध्ययन को प्रारम्भ करने के पूर्व उसे इतना मानकर ही चलना होगा कि उस प्रकार के सवाद आदि हमारे क्षेत्र से परे हैं।

विज्ञान

दर्शनकारों ने जीवात्मा के लक्षणों में ज्ञान को मुख्य माना है। प्रत्येक चेतन पदार्थ में ज्ञान की कोई न कोई मात्रा अवश्य रहती है। यह ज्ञान दो प्रकार का होता है—एक तो नैसर्गिक (स्वत सिद्ध) दूसरा बुद्धिग्राह्य। स्वत सिद्ध ज्ञान की मात्रा पशुपक्षियों में अधिक रहती है और दूसरे की मनुष्य में। गाय का बछड़ा स्वभाव से ही आग की ज्वाला के पास नहीं फटकता पर मनुष्य का बच्चा आग पकड़ लेता है और बुद्धि से सीख कर ही उससे बचा करता है। कुत्ते की, पानी में तैरने की शक्ति स्वत सिद्ध है, आदमी के बच्चे को कठिन प्रयत्न करने पर प्राप्त होती है।

बुद्धिग्राह्य ज्ञान को प्रायः दो विभागों में विभाजित करते हैं—विज्ञान और कला में। विज्ञान विशिष्ट ज्ञान है जिसमें विप्रतिपत्ति और विकल्प की गुजाइश नहीं और इसके तत्त्व सर्वत्र व्यापक हैं। दो और दो मिलकर चार सब कही होते हैं, ऐसा नहीं कि गरीबों के यहाँ तीन और अमीरों के यहाँ चार या पाँच। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षणशक्ति व्यापक है, ऐसा नहीं कि न्यूटन के देश में उसका एक अर्थ हो और कपिल ऋषि के देश में दूसरा। ये विज्ञान के मूल तत्त्वों के उदाहरण हैं। कला वाला ज्ञान सीमित और विकल्पात्मक होता है। बंगाली

चित्रकार दूर तक लम्बी चली जाने वाली उगलियों से स्त्री के सौन्दर्य को अंकित करता है, पर रविवर्मा के चित्रों की साधारण नाप की उगलियों को भी हम अमुन्दर नहीं समझते। रीतिकाल की, भरपूर अलंकारों से लदी हुई कविता भी काव्य की श्रेणी में आती है और साथ ही छायावाद के नीरव अलंकारों से सुशोभित अनन्त की ओर की उड़ान भी सुन्दर और मनोहारिणी कविता है। दोनों प्रकार का ज्ञान कला के अंतर्गत है। एक ओर मणिपुर और गुजरात का नृत्य है और दूसरी ओर रूस का, एक ओर भारतीय सगीत तो दूसरी ओर अंगरेजी। कला के अंतर्गत ये सभी हैं पर भारतीय सगीत जो माधुर्य एक भारतीय के ममुख उपस्थित कर हृत्तन्त्री को झकृत कर देता है, चाहे वह शब्द एक भी न समझे, उतने अंश में अंगरेजी सगीत नहीं। इसी प्रकार अंगरेजी नागरिक की भावना अपने सगीत के पक्ष में और हमारे सगीत के विपक्ष में होती है। कला का यही विकल्प है, यही उसकी विप्रतिपत्ति है। कला का जितना अंश मनुष्यमात्र पर व्यापक है वह विज्ञान का है— कला का स्वकीय नहीं।

विज्ञान और कला का एक और गौण अंतर है—विज्ञान का ध्येय शुद्ध ज्ञान है और कला का व्यवहार-ज्ञान, मनोरजन और उपयोग। काव्यकला से हमारा मनोरजन होता है, और उसका इसके अलावा भी उपयोग है। पर पृथ्वी घूमती है या सूर्य, हम क्यों बोलते हैं, सभी मनुष्य एक ही भाषा क्यों नहीं बोलते, इत्यादि प्रश्नों का समाधान हमारी ज्ञान की प्यास को ही अधिक बुझाता है, उपयोग की श्रेणी में प्रायः कम आता है।

कला का प्रतिपादन शास्त्र करता है। उसका व्येय साधारण व्यवहार होता है और उसमें काल और देश के अनुसार विकल्प होते रहते हैं। ऐसा समझना कि एक देश और काल का शास्त्र सब देशों और कालों के लिए स्थिर सत्ता रखता है, मनुष्य की बुद्धि की अवहेलना करना है।

कोई भी ज्ञान, विज्ञान की श्रेणी में स्थान पाने के पूर्व वाद की

अवस्था में रहता है। जब उसकी अपवादरिहत सत्ता स्थिर हो जाती है तब उसको विज्ञान कहते हैं।

उन्नीसवीं सदी के विद्वानों में, भाषा के तत्त्वों का अध्ययन विज्ञान की कोटि में आना है अथवा शास्त्र या वाद की कोटि में—इस विषय को लेकर बहुत वादविवाद चलता रहा। पर अब इतना स्थिर है कि भाषा-विषयक जिन मूल तत्त्वों को मनुष्य की बुद्धि ने पकड़ लिया है वे इस अध्ययन को विज्ञान की श्रेणी में स्थान पाने का अधिकारी बनाते हैं। इसीलिए इस अध्ययन का नाम भाषाविज्ञान उपयुक्त है, भाषाशास्त्र नहीं।

प्रस्तुत पुस्तक में भाषाविज्ञान-संबंधी सामान्य सिद्धान्तों की विवेचना करना ही अभिप्रेत है, किसी विशिष्ट भाषा के तत्त्वों की विवेचना नहीं।

दूसरा अध्याय

भाषा

मनुष्य तरह-तरह की भाषाएँ बोलते हैं, कोई हिन्दी, कोई मराठी, कोई गुजराती, कोई बंगाली, तो कोई अँगरेजी, जर्मन, तुर्की, चीनी, जापानी आदि। यदि और भेद की दृष्टि से देखा जाय तो एक भाषा के अतर्गत ही मनुष्य कई तरह की बोलियाँ बोलते हैं, हिन्दी वाले ही कोई अवधी, कोई अज, कोई खड़ी बोली आदि। और इन बोलियों के भीतर भी बहुत से भेद हैं। परन्तु इन सब की तह में एक एकत्व है—मनुष्य के विचारों, भावों और इच्छाओं को प्रकट करना।

जिन ध्वनिचिह्नों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय करता है उनकी समष्टि को भाषा कहते हैं। भाषा के इस लक्षण में विचार के अतर्गत भाव और इच्छा भी है। विशेषकर असभ्य जानियों की भाषा में अधिकतर भाव इच्छाएँ, प्रवृत्तियाँ आदि ही द्योतित होती हैं, विचारों की मात्रा अपेक्षाकृत कम होती है। बोलने समय हमारे विचारों की पूर्ण अभिव्यक्ति ध्वनिचिह्नों ही से नहीं होती। उनकी मदद के लिए हम इगित का भी प्रयोग करते हैं। उस समय मुखाकृति, आँखों का भाव और हाथ के हिलने-डुलने से हमारे भाव को समझने में दूसरे को सहायता मिलती है। सभी भाषा में इगित का कोई न कोई अंश मौजूद रहता है, प्रायः उसी तरह जैसे पैरों के चलने के समय मनुष्य के हाथों का हिलना। यह और बात है कि कोई इगित की मात्रा का कम इस्तेमाल करते हैं कोई ज्यादा। व्याख्यानाओं में कोई मेज पर हाथ पटकता है, कोई चुटकी बजाता है, तो कोई हाथ पाँव और आँखें नचाता है। इगित और मुखराग से, बोले हुए शब्दों का अर्थ निश्चित ही नहीं होता, परिपुष्ट भी होता है। साहित्य में काव्य की विशेष महिमा बनाई

गई है। भाव के व्यक्तीकरण में इगित का महत्त्व विशेष रहता है, जो बात शब्द से नहीं प्रकट होती वह इगित से हो जाती है, और परस्पर विरोध होने पर इसके द्वारा जताया हुआ भाव ही विजयी होता है। इगित की मदद न पाकर वाणी, भाव के व्यक्तीकरण में बहुत अपूर्ण रह जाती है। सम्य समज की ऐसी शिक्षा होती है कि भाषण करते समय इगित और मुखराग को दूर रक्खा जाय। इस शिक्षा के फलस्वरूप मात्रा कम हो जाती है, पर मिटती नहीं।

किमी-किमी जाति में भाषा के अलावा इगित-भाषा भी मिलती है जिसका वे लोग विशेष समय पर उपयोग करते हैं। अमरीका के पश्चिमी प्रदेशों में इण्डियन जातियों में ऐसी इगित भाषा देखी गई है। ऐसा जान पड़ता है कि इस तरह की भाषा का विकास सामान्य इगितों में ही हुआ है और शायद वाणी के सहारे से ही यह उठ खड़ी हुई है। आस्ट्रेलिया के कुछ आदिम जन-गणों को रात को बातचीत करते समय आग का सहारा लेना पड़ता है, नहीं तो भाषा इगितों के न देख पाने से समझ ही में न आए। कुछ भाषाओं में पुरुषवाचक सर्वनामों का बोध केवल इगितों में होता है।

ध्वनिचिह्नों के अतिरिक्त अन्य चिह्न भी हैं जिनके द्वारा हम अपने विचार परस्पर प्रकट करते हैं, जिनमें प्रधान है लेखबद्ध अक्षर। आजकल प्रायः लेख द्वारा ही देश-देशांतर से विचार-विनिमय होता है। ध्वनि का क्षेत्र सीमित है, लेख का अपेक्षाकृत अपरिमित। वाणी के इस रूप के द्वारा ही उसकी स्थिरता और विस्तार संभव हुआ। वाल्मीकि की बात हम आज भी सुन सकते हैं और भारत में बैठे-बैठे शेक्सपियर के ड्रामे देख सकते हैं। पर यह चक्षुग्राह्य अक्षर ध्वनि पर ही निर्भर है, इसलिए भाषा की दृष्टि से ध्वनिचिह्नों की अपेक्षा इनकी नेत्रग्राह्य मत्ता गौण है। और इनमें भी गौण मत्ता है स्पर्शग्राह्य अक्षरों की जो अधो के उपकारार्थ तय्यार•की गई किताबों में इस्तेमाल में आते हैं। स्काउट लोग झड्डियों द्वारा जो संदेश भेजते हैं उनमें प्रयुक्त अक्षरों की भी बहुत गौण मत्ता है। और इसी प्रकार तार द्वारा टिक-टिक करके

जो मदेश भेजे जात है उनकी भी। हाँ टेलीफोन द्वारा जा ध्वनिचिह्न एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं उनकी सन्ना प्रायः वही है जो भाषा के ध्वनिचिह्नो की। इस प्रकार भाषा का अभिप्राय, विचारो का व्यक्तीकरण, प्रमुख रूप से श्रोत्रग्राह्य ध्वनिचिह्नो से सिद्ध होता है और गौण रूप से दर्शन, सकेत अथवा स्पर्श द्वारा ग्राह्य लेख, लपार्ड, स्काउट-चिह्न आदि से। गौण रूप से प्रयुक्त ये चिह्न विभिन्न मनुष्य-समुदाय ने अपने-अपने लिए बना रखे हैं और इनके मूल से हैं विशेष समुदाय के व्यक्तियों की स्वीकारी। एक समुदाय द्वारा व्यक्त की हुई ध्वनि को अ (बंगाली अ) से व्यक्त करता है तो दूसरा किसी अन्य से। इन समुदायों का अस्तित्व आवश्यकता के अनुसार विस्तृत और संकुचित भी किया जा सकता है। इस प्रकार कोड (गुप्त) भाषाओं और लिपियों की सृष्टि होती है। एक मित्र-समुदाय का कोड यह था—

अटिफन कमठ चक्र टङ्कारा।

तरुवर पवन युवा सुस्कारा॥

अंगुलिन अच्छर चुटकिन मात्रा।

कह हनुमन्त माहु मौमित्रा॥

और इस कोड की भाषा में जिसे दीक्षित कर लिया जाता था उस पर मौ मन एहसान का बोझ लाद कर अभिन्न मित्र बना लिया जाता था। रहस्यमयी भाषा बोलने की उत्सुकता शायद मनुष्य से स्वभाव से ही है। बच्चे जब उल्टे वर्णों की भाषा (तुम क्या कर रहे हो को मुत इका रक हरे ओह) सीख लेते हैं तब अपना कौशल दिखाने के लिए मित्रों में ही

१ इस कोड की कुजी यह है। फणकार हाथ दिखाने स्वर, कणलाकार से कवर्ग, पहिए के आकार से चवर्ग, हाथ से टङ्कार ध्वनि करने से टवर्ग, हाथ को तना हुआ तरह बनाने से तवर्ग और उससे हवा करने से पवर्ग का बोध होता है। मूटो पर हाथ फेरने से अन्त स्थ वर्ण और मूह से सुस्कार ध्वनि निकालने से अक्ष वर्णों का व्यक्तीकरण होता है। एक उगली दिखाने से प्रथम और दो से द्वितीय, इस तरह से वर्णों का अलग-अलग, और एक बार चुटकी बजाने से ह्रस्व और दो बार से दीर्घ मात्रा का बोध कराया जाता है।

इसका प्रयोग नहीं करने, अपने चचा, मामा जादि में भी बोलने लगते हैं।

यदि वैज्ञानिक और सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाय तो भाषा मनुष्य के केवल विचार-विनिमय का ही साधन नहीं है, विचार का भी साधन है। दो-तीन बरस का बच्चा जब बोलना भीख लेना है तब अकेले में बैठ खिलौनों से खेलता हुआ वह मन की बात प्रकट करता रहता है, किसी को सुनाने के लिए नहीं। वयस्क मनुष्य भी भावावेश में अकेला ही मन की बात शब्दों में कह जाता है। इस प्रकार यह सिद्ध होना है कि भाषा और विचार एक ही रस्तु के दो अभिन्न पहलू हैं। गांधी जी ने मोतीलाल जी को मरने समय राम कहने की प्रेरणा की आर यद्यपि उनके मुख में, अशक्त होने के कारण, कोई ध्वनि नहीं सुनाई दी तथापि उनके ओठों की आकृति में वहाँ बैठे लोगों को प्रत्यक्ष मालूम हुआ कि मरणासन्न प्राणी राम शब्द 'मनमा' बोल रहा है। निरंतर प्रयोग करते-करते ही हम लोग ऐसी शक्ति प्राप्त कर लेते हैं जिसमें बिना प्रत्यक्ष बोले ही विचार कर लेते हैं और प्रत्यक्ष कुछ बोल कर विचार कुछ कर सकते हैं। कर्मठ पुजारी पूजा करते समय बोलता कुछ जाता है और साथ ही साथ विचार किसी और बात का करता जाता है। अर्थ जानने वाला विचारशील भक्त भी बटुवा सध्या का मंत्र कुछ बोलता है और सोचता कुछ और है। ऐसी दशाओं में शब्द और विचार का सामंजस्य नहीं बैठता और इससे ऐसा मालूम होता है कि विचार और शब्द में तादात्म्य नहीं है। परन्तु बात ऐसी नहीं है। उदाहरण दशाओं में मन में जो विचार है वही मुख्य है और उनके तादात्म्य वाले शब्द (ध्वनिचिह्न समूह) अस्तित्व में हैं पर प्रकट नहीं हुए। उन विचारों के साथ-साथ जो ध्वनियाँ मुँह में निकली वह अनर्गल और उन विचारों में विलकुल असंबद्ध हैं। उनका उच्चारण केवल अभ्यास से किया जाता है, जिस प्रकार अर्थविहीन शब्दों का अथवा बिना मसज़ी हुई परदेशी भाषा के शब्दों का।

भाषा विचार करने का भी साधन है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यही है कि

यदि कोई भी विचार करने बैठे तो भाषा की मदद के बिना नहीं कर सकते। जिसको सदेह हो वह प्रयत्न करके देख ले। साधारण रीति से हम कह सकते हैं कि ध्वनियाँ विचारों से उद्भाविता होती हैं और विचार ध्वनियों से, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखने पर विद्वानों का मत है कि इन दोनों के बीच में एक माध्यम है—एक रूप या प्रतिमा। इसको चाहे ध्वनि-प्रतिमा कहे या विचार-प्रतिमा, पर यही ध्वनियों और विचारों में सबंध उपस्थित करती है। किसी विचार के मन में आने के लिए इतना जरूरी है कि विचार और यह प्रतिमा आ जायँ, मुख से बोली ध्वनियाँ चाहे आएँ चाहे नहीं। विचारों के साथ ही साथ यह प्रतिमा भी चलती बिगड़ती रहती है। मनुष्य जब एक बार भाषा का व्यवहार सीख लेता है, तो ध्वनिचिह्न अनायास ही उसकी इच्छा के अनुकूल अपने आप विचारों के साथ निकला करते हैं, अपने मतलब प्रयत्न से वह कभी अभ्यास से किन्हीं ध्वनियों को निकाल कर तन्मन्वी विचारों को मस्तिष्क में स्थान न देकर अनर्गल ही उनको बकता है, अथवा उच्चारण को बिल्कुल दबाकर विचारों को मस्तिष्क में रखकर काम किया करता है। इन अवस्थाओं का साधक है केवल अभ्यास।

इस प्रकार भाषा का विचार से अटूट सबंध है। इसे मनुष्य अपने पूर्वजों से सीखता आया है। भाषा सीखने की सामर्थ्य मनुष्य में स्वभाव से ही होती है और यदि उसे अनुकूल वातावरण मिल गया, तो वह उसे सीख लेता है, अन्यथा नहीं। जिन बच्चों को भेड़िये उठा ले जाते हैं और किसी कारण जिनको मार कर खा नहीं जाते वे बड़े होकर मनुष्य की भाषा नहीं बोल पाते। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य कोई भी भाषा माँ के पेट से सीख कर नहीं आता। मनुष्य ने इसे अपने समुदाय में सीखा है और यह मनुष्य की सस्कृति की देन है, उसी प्रकार जैसे धर्म, कला आदि। केवल भाषा ऐसी है जो मनुष्य मात्र में सर्वत्र फैली है, इस विस्तार तक धर्म या कला नहीं। और यह भी संभव है कि सस्कृति की सब से पुरानी चीज भाषा ही है—उसने आग के प्रयोग के पूर्व ही इसको सीखा होगा।

जिस चीज को हम दूसरो से सीखते हैं उसे हम ठीक वैसी ही नहीं सीख पाते जैसी उनकी होती है जिनसे हम सीखते हैं, और विशेषकर जब हम कोई चीज सहवास से ही सीखते हैं। बच्चा भाषा अपने पास-पड़ोस के मनुष्यों से अपने आप सीखता रहता है, कोई उसे सिखाने नहीं बैठता। पढ़ने-लिखने की बात दूसरी है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक नहीं कि किसी ध्वनि को वह ठीक उसी तरह बोले जिस तरह वह मनुष्य या मनुष्य-समुदाय बोलता है, जिससे सुनकर उसने सीखा है, और न ठीक उसी अर्थ में। उदाहरण के लिए, गाय शब्द को बच्चा घर में सुनता है और एक विशेष चलता-फिरता जानवर देखता है, जिसके प्रति उस शब्द का व्यवहार होता है। जब तक उसका अनुभव उसी गाय तक सीमित है तब तक वह उस शब्द का वही सीमित अर्थ समझता है। जैसे-जैसे उसका अनुभव बढ़ता जाता है उसके गाय शब्द के अर्थ में भी हेर-फेर होता जाता है। इसी तरह पिता जब गाय शब्द बोलता है और उसका पुत्र जब उसका अनुकरण करके उसी शब्द का उच्चारण करता है तब संभव है कि बच्चा ठीक उसी स्थान और उतने ही प्रयत्न से उस शब्द का उच्चारण न कर रहा हो क्योंकि ग् आदि ध्वनियाँ उच्चारण के अवयवों के कई प्रकार के सूक्ष्म परिवर्तनों से करीब-करीब एक ही तरह की, कई निकल सकती हैं, और इनकी पकड़ हमारी स्थूल श्रोत्रेन्द्रिय से नहीं होती।

इस सीखने के कारण ही भाषा में विकार अथवा परिवर्तन अवश्य-म्भावी है, और यही कारण उसकी अपूर्णता का है। जब हम बोलते हैं तब प्रतिक्षण यही अनुभव होता रहता है कि हम अपने मन की पूरी बात नहीं कह पा रहे हैं और पूर्णता लाने के लिए मुखराग, चितवन, हाथ आदि से सहारा लेते हैं। वाचिक भाषा की अपेक्षा लिखित भाषा तो और भी अपूर्ण है, क्योंकि जो सहायक वस्तुएँ वाचिक को प्राप्त हैं, उमको वे भी नहीं। इसी कारण लेख से कभी-कभी अनायास ही अनर्थ हो जाते हैं, उसमें आँख का "शील" नहीं मिलता।

मनुष्य की भाषा उसकी सृष्टि के आरम्भ से, निरन्तर गति से,

प्रवाह रूप में चली आ रही है। इस प्रवाह के आदि और अन्त का कोई पता नहीं मिलता। मनुष्य उसे सीखता चला आया है और यावज्जीवन सीखता और व्यवहार करता चला जायगा। नदी के वेग का समान उसकी भाषा का वेग अनियंत्रित है। आज हमें भाषा की विभिन्नता मिलती है। कह नहीं सकते कि यह विभिन्नता कितनी पुरानी है। कोई निश्चयपूर्वक नहीं कह सकता कि मनुष्य की सृष्टि या विकास पृथ्वी के किसी एक विविष्ट स्थान में हुआ है या अलग-अलग स्थानों पर। किसी भी अवस्था में भाषा की विभिन्नता समय और देश के अनुसार भाषा के स्वभाव से ही अवश्यम्भावी थी। प्रत्येक भाषा के पीछे उसका इतिहास है जिसका अनुमान हम उसके वर्तमान स्वरूप से लगा सकते हैं। उसके भविष्य का भी थोड़ा बहुत अनुमान शायद कर सकें।

भाषा के बारे में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जिन ध्वनियों से किसी विशेष जीव या वस्तु का बोध होता है, उनका उम जीव या वस्तु से कोई नियत स्वाभाविक संबंध नहीं, केवल सामयिक व्यवहार का संबंध है। यदि कोई नियत स्वाभाविक संबंध होना तो प्रत्येक काल और देश में गाय और कमल का वही अर्थ होता जो हम हिन्दी वाले समझते हैं। तब न भाषा में परिवर्तन होता और न विभिन्नता ही आ पाती। जब हम यह कहते हैं कि शब्द (ध्वनि-समूह) और अर्थ का नित्य और अटूट संबंध है तब इस कथन में केवल इतना प्रयोजन है कि प्रत्येक शब्द का कुछ-न-कुछ अर्थ है, चाहे यहाँ चाहे अन्यत्र, चाहे आज कल चाहे किसी और समय में। सम्भव है कि बहुतेरे ऐसे शब्द जिनको आज मनुष्य-समुदाय निरर्थक समझता है, किसी समय सार्थक रहे हों, या भविष्य में सार्थक हो सकें। अल्पज्ञानी होने के कारण हम उनका बोध नहीं है।

मनुष्य ध्वनि-मकेतो का अनायास ही व्यवहार करता रहता है और कभी उनका विच्छेदन करने नहीं बैठता, परन्तु ये ध्वनियाँ विच्छेदन-मह्य हैं। विघाता की इस सृष्टि में इन ध्वनियों की संख्या अनन्त है

और प्रत्येक जन-समुदाय केवल एक थोड़ी सी सरया का प्रयोग करता है, ध्वनियों का विश्लेषण सर्वप्रथम वैयाकरणों ने किया। श्रुति के अनुसार इन्द्र ने 'वाणो' को दो हिस्सों में विभक्त किया था। भाषा के विश्लेषण का यह प्रथम उल्लेख है।

भाषा के द्योतक हमारे पुराने शब्द वाक् और वाणी हैं जिनमें बोलने का अर्थ निहित है। वाक् का दूसरा अर्थ जिह्वा का भी होता है। जिह्वा बालने में प्रमुख भाग लेती है, इसीलिए बहुधा अन्य भाषाओं में भी जिह्वा और भाषा के लिए समान शब्द हैं। फारसी का जबान, अंगरेज़ी का टग, फ्रेंच का लाग, लॉगाज, लैटिन का लिगुआ और ग्रीक का लइप्येइन जो भाषा के अर्थ में प्रयोग में आते हैं, सभी के मूल में जिह्वा का अर्थ है। अंग्रेज़ी का स्पीच, जर्मन श्प्राखे और अरबी लिबसान प्रायः उसी अर्थ के द्योतक हैं जिसका कि हमारा शब्द भाषा।

तीसरा अध्याय

भाषा का संघटन

संघटनात्मक भाषा-विज्ञान के मनीषियों ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार की है—“भाषा यादृच्छिक वाचिक प्रतीको की वह संघटना है, जिसके माध्यम से एक मानव समुदाय परस्पर व्यवहार करता है।” इस परिभाषा के चार अंश हैं।

पहला अंश यह, भाषा एक संघटना है अर्थात् ऐसी सुव्यवस्थित योजना है जिसमें प्रत्येक अवयव के बाद आनेवाले औरो की संख्या एवं प्रकार की मर्यादा सुनिश्चित है। हम जब संस्कृत भाषा के संघटन का विचार करते हैं तो यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि किसी भी संस्कृत-शब्द के आदि में ण् या ङ नहीं आ सकता, या जब हम हिन्दी द्वारा संघटन की बात सोचते हैं तो भली भाँति जानते हैं कि अकर्मक क्रिया के पहले सामान्य भूतकाल के द्योतन में कर्ता के बाद “ने” नहीं आयेगा। इस प्रकार चूँकि आदमी भाषा समाज से सीखता है और समाज में रहने ही के लिये उसका प्रयोग करता है, इसलिए उसे समाज द्वारा स्वीकार्य परिधि के भीतर अपनी भाषा को रखना पड़ता है। इस समाज-स्वीकार्य मर्यादा या दूसरे शब्दों में भाषा की व्यवस्था के पूर्व-निश्चय का ज्ञान ही हमें भाषा को संघटन कहने के लिए विवश करना है। संघटन होने ही के कारण भाषा के अवयवों का वैज्ञानिक विश्लेषण किया जा सकता है और संघटन होने के कारण भाषा में सम्प्रेषणीयता आती है।

भाषा की दूसरी विशेषता है प्रतीकमय होना। प्रतीक और संकेत इन दोनों में एक विशेष अन्तर यही है कि जहाँ संकेत और संकेतित में किसी न किसी प्रकार का नियत सम्बन्ध हुआ करता है वहाँ प्रतीक

और प्रतीयमान में यह सम्बन्ध नियत न होकर काफी अनिश्चित होता है। जैसा ऊपर कह आये है, वस्तुतः यदि भाषा सकेतो के सहारे चले तो ससार में भाषा के इतने भेद ही न हों। 'अब्ब' कहने मात्र से किसी भी भाषा-भाषी के द्वारा केवल घोंडे का ही बोध हो ऐसी बात नहीं है। जिन्हे हम अनुरणनात्मक शब्द कहते हैं, वे भी प्रत्येक भाषा में अलग-अलग होते हैं। हिन्दी की नदी 'कलकल' करती है, पर अँग्रेजी की नदी 'मरमर' करती है। हिन्दी का घोडा 'हिनहिनाता' है पर अँग्रेजी का घोडा 'नेइग' करता है। इसीलिए हम भाषा में सकेत न ढूँढकर प्रतीक ढूँढते हैं। प्रतीक और प्रतीयमान का सम्बन्ध वक्ता और श्रोता के आपसी समझौते पर निर्भर होता है। वह किसी भौतिक-नियम से नियंत्रित नहीं है। सकेत और सकेतित के बीच एक निश्चित मादृश्य होता है। इसलिए उसको ग्रहण करने के लिए किसी भी समुदाय-विशेष के समय (Convention) की आवश्यकता नहीं पडती है। मडक पर स्कूल के सामने आने के पहले बच्चों का चित्र रहता है और वह मोटर वालों को सावधानी का सकेत दे देता है, चाहे वह मोटर वाला उम्र जगह की भाषा समझे या न समझे। परन्तु भाषा ठीक इसके विपरीत जिन प्रतीकों की सघटना है, वे प्रतीक उस भाषा के बोलने वाले समुदाय के बाहर समझे ही नहीं जा सकते। साथ ही ये प्रतीक वाचिक होते हैं। वे मनुष्य के वाग्यन्त्र में श्वास की अनेक प्रकार की प्रक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। सघटनात्मक भाषा-विज्ञान वालों की दृष्टि में भाषा प्रथमतः बोली जाने के लिये है, उसका लिखा जाना एक सीमित और गौण उपयोग है। लिखित प्रतीक वाचिक प्रतीक से देश-काल की परिधि में बाहर ले जाने की कोशिश करता है, पर वह होता है वाचिक प्रतीक पर ही आधारित, क्योंकि उनके द्वारा अर्थ-ग्रहण करने के पूर्व उनके पाठक मन में वाचिक प्रतीक ही को दुहराते हैं।

इस परिभाषा की तीसरी विशेषता इन प्रतीकों को यादृच्छिक कहना है। "यादृच्छिक प्रतीकों की सघटना" यह कहना ही विरोध सा

प्रतीत होता है। एक ओर हम यह कहते हैं कि भाषा सघटनात्मक हानि के कारण पूर्व-निश्चित होती है और वही दूसरी ओर हम यह भी कहते हैं कि सघटना यादृच्छिक प्रतीको की बनी है। इसका समाधान कैसे होगा? वस्तुतः भाषा एक जड़ और गतिहीन पदार्थ नहीं है, वह एक निरन्तर वर्तमान प्रतिक्रिया है, जिसमें प्रतिक्षण असलक्ष्य गति से परिवर्तन होता रहता है। इस परिवर्तन का कारण है उसके बोलन वाले समुदाय के प्रति व्यक्ति की बोधशक्ति की अलग सत्ता और उसके विकास की अलग प्रतिक्रिया। भाषा बोलते समय जब कोई व्यक्ति कुछ प्रतीको का प्रयोग करता है तो वह अपने समुदाय की स्वीकार्य सीमा के भीतर रहते हुए भी कुछ न कुछ एक-दूसरे से विभिन्न अर्थ एव ध्वनि रखता ही है। धीरे-धीरे जब उस समुदाय के अधिकांश लोग भेद के ऐसे समान स्तर पर पहुँच जाते हैं, जब एक पूरी की पूरी व्यवस्था ही बेकार हो जाती है तो हम यह कहते हैं कि भाषा में एक नया सघटन आ गया। भाषा में इसलिए कोई भी परिवर्तन विच्छिन्न या एकाकी रूप में नहीं होता। परिवर्तन तभी होना है जब पूरा सघटन बदल जाता है। परिवर्तन पर नियंत्रण रखने वाले हेतु मनुष्य के आधीन हैं, इसीलिए हम इन प्रतीको को यादृच्छिक कहते हैं। उदाहरण के लिए हम संस्कृत में 'द्वारा' को पुल्लिङ्ग कहते हैं, जबकि इसका अर्थ स्त्री है। 'मित्र' को नपुंसकलिङ्ग कहते हैं, जब यह पुरुष मित्र के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है। हिन्दी में हम 'राम ने उसको मारा' कहेंगे और 'राम न उसे मारा' भी कहेंगे पर 'राम ने अध्यापक मारा' न कह कर केवल 'राम ने अध्यापक को मारा' कहेंगे। इस प्रकार एक तरह की इसकी यादृच्छिक व्यवस्था है। व्यवस्था बदलती रहती है, क्योंकि जिन प्रतीको का हम व्यवहार करने हैं वे प्रतीक हमारी यादृच्छा क द्वारा निर्मित किये गये हैं और निर्मित किये भी जा रहे हैं, परन्तु वह दृमरी व्यवस्था को जन्म देती रहती है।

परिभाषा का अन्तिम अंश है भाषा का एक समुदाय के परस्पर व्यवहार का प्रकृततम माध्यम माना जाना। भाषा मनुष्य के अनेक

अर्जित सम्कारों में से एक सम्कार है जिसे वह जन्म से नहीं प्राप्त करता, बल्कि जिस समुदाय के बीच में वह बरतता है, उसी से उसे अर्जित करता है। जैसे आदमी खाने का तौर-तरीका सीखता है, उसी तरह भाषा के प्रतीकों का भी तरीका सीखता है। दूसरे तौर-तरीके से भाषा में यह समानता है कि भाषा भी मनुष्य के जीवन में उसी की तरह आरोपित व्यापार है, वह भाषा-समुदाय के दैनन्दिन जीवन का प्रकृष्टतम माध्यम है, बल्कि कहना चाहिए कि समाज और भाषा में एक अविभाज्य सम्बन्ध है। हम भाषा के बिना किसी समुदाय की कल्पना ही नहीं कर सकते। मनुष्य के सामाजिक जीवन में भाषा का स्थान इसीलिए है कि यह दूसरे तौर-तरीकों की अपेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण और अपरिहार्य है। समुदाय कम से कम दो का तो होना ही चाहिए। ऐसी भी भाषाएँ हैं, जो क्रमशः लुप्त होती जा रही हैं, पर तब तक बनी रहती हैं, जब तक कि उनके कम से कम दो बोलने वाले एक-दूसरे के पास बने रहते हैं।

हम अन्त में भाषा के इस लक्षण के पद का समाहार करते समय यह कह सकते हैं कि भाषा वह है जो बोली जाती है, जो विविध समुदाय में बोली जाती है, और जो मनुष्य और उसके समाज के भीतर की ऐसी कड़ी है जो निरन्तर आगे जुड़ती रहती है।

चौथा अध्याय

भाषा की इकाइयाँ

भाषा को सघटन मानने पर हमें अब यह विचार करना है कि भाषा की सघटना के स्तर कौन-कौन से हैं, उस सघटना के उन स्तरों पर इकाइयाँ कौन-कौन सी हैं और ये इकाइयाँ कितनी भौतिक हैं और कितनी मानसिक हैं। यद्यपि हम भाषा को दो स्तरों में विभक्त करते हैं तथापि विभक्त करने के पहले इस पर जरूर बल देना चाहते हैं कि वस्तुतः सघटित के अर्थ ही यह होते हैं कि परस्पर सयुक्त भाव इसमें हो, इसलिये जितनी भी विभाजन की हम बातें करते हैं वह धारणात्मक स्तर पर ही, पारमार्थिक स्तर पर नहीं। संस्कृत के महाकवि कालिदास ने शब्द और अर्थ को जो शिव-पार्वती की तरह सयुक्त माना है, वही वस्तुतः चरम सत्य है। केवल समझने के लिए इन दो भेदों की कल्पना कर लेते हैं। ये दो भेद हैं—अभिव्यक्ति (Expression) और अर्थ (Content)। “अभिव्यक्ति” को हम ‘शब्द’ भी कह सकते हैं, शब्द एक ऐसा सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग अनेक अर्थों में बहुत छूट के साथ होता है। अभिव्यक्ति से हमारा तात्पर्य भाषा के उस अंश से है, जो एक भौतिक घटना के रूप में हमारे वाग्यन्त्र से घटित होकर हमारे श्रवण-यन्त्र के द्वारा गृहीत होता है और अर्थ से हमारा तात्पर्य उस भौतिक घटना के प्रेरक स्रोत और उसके परिणाम दोनों से है।

अर्थ शुद्ध रूप से मानसिक सत्ता है। इसीलिए अभिव्यक्ति के विश्लेषण की अपेक्षा उसका वैज्ञानिक विश्लेषण अधिक कठिन है। अर्थ वस्तुतः वक्ता और ग्रहीता की पूर्ण सामाजिक इच्छा का ही प्रतिभास है। गाँव में रहने वाले आदमी के सामने जब पेड़ का शब्द आयेगा तो वह अपने गाँव के आस-पास मिलने वाले पेड़ों के बाहर पेड़ की सत्ता

नहीं देख पायेगा। मरुस्थल के निवासी के मन में पेड़ नागफनी बनकर ही रह जायगी, पर हिमालय की तराई का निवासी उसे देवदारु ही के रूप में देखेगा। इसी कारण अर्थ की मीमांसा उतनी निश्चित और स्पष्ट नहीं की जा सकती। उसकी अपेक्षा अभिव्यक्ति की मीमांसा अधिक स्पष्टता में की जा सकती है, यद्यपि अभिव्यक्ति की मीमांसा करते समय भी हम उसके प्रेरक अर्थ को भूल नहीं सकते पर वह अर्थ विशेषाकारक न होकर सामान्याकारक होता है। आगे हम इसे अधिक स्पष्ट करेंगे, यहाँ हम केवल यह इंगित करना चाहते हैं कि सघटनात्मक भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए नये अमरीकी भाषाविदों ने अर्थ की आवश्यकता से अधिक उपेक्षा की है और अब यह स्थिति आ गयी है कि उनकी दृष्टि इसी कारण अधिकांश दूसरे वर्ग के विचारकों के द्वारा एकांगी भी मानी जाने लगी है।

इस अभिव्यक्ति के स्तर पर भी हम भाषा के तीन स्तर सोच सकते हैं—वाक्य, रूप और ध्वनिग्राम। वाक्य विचार की पूर्णता की इकाई है और इसका ज्ञापन भौतिक घटना में एक अपेक्षाकृत लम्बे विराम के द्वारा होता है। वाक्य ही व्यवहार में अपने में उक्ति का एक पूर्ण रूप होता है। वाक्य को हम ऐसे शब्दों या रूपों में विभक्त पाते हैं, जो हर एक तरह से परस्पर सम्बद्ध होते हैं। यह सम्बन्ध चाहे एक रूप से दूसरे रूप में हो, या एक रूप-समूह से दूसरे रूप में हो, या एक रूप-समूह से दूसरे रूप-समूह में हो। वाक्य के स्तर पर हम जब सघटना का विचार करते हैं तो इन्हीं सम्बन्धों का विवेचन करते हैं और इन सम्बन्धों के विविध प्रकार के विन्यास के आधार पर वाक्यों की विविधता की व्यवस्था निर्धारित करते हैं। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि जिन भाषाओं में रूप-प्रक्रिया है, उनमें पदों का दूसरे पदों से बाह्य सम्बन्ध वाक्य-विश्लेषण का अंग है, और पदों के भीतर प्रकृति और प्रत्यय का अन्तःसंबंध पद-विश्लेषण या रूप-विश्लेषण का विषय है। जिन भाषाओं में रूप-प्रक्रिया नहीं है अर्थात् जिनमें एक रूप दूसरे रूप से असलग्न होकर भाषा में सन्निधि या क्रम-मात्र से ही सम्बन्ध की स्थापना करते

है उन भाषाओं में वाक्य-विचार और रूप-विचार के बीच में रेखा नहीं खींची जा सकती।

रूप (morpheme) भाषा के अभिव्यक्ति-स्तर पर वह इकाई है जो एक सम्बन्धवाचक ध्वनिग्राम-राशि की होती है और जो अर्थवान् होती हुई भी स्वयं अर्थ नहीं होती। एक तरह से यह ध्वनिग्राम-राशि और अर्थ के बीच जोड़ने वाली कड़ी है। जहाँ तक कि इसके आकार का प्रत्यय है वह प्रत्यय भौतिक है पर जहाँ तक कि इसमें निहित अर्थ का प्रत्यय है वह प्रत्यय मानसिक है। उदाहरण के लिए यदि हम संस्कृत के "राम" शब्द को ले तो इसमें हमें तीन रूपत्वों का संश्लेष मिलता है।

$$\left\{ \text{रम} \right\} + \left\{ \text{षञ् (अ)} \right\} + \left\{ \text{सुप् (म्)} \right\}$$

जब हम 'रम्' रूप की बात करते हैं तो हम केवल उसके तिङन्त और कृदन्त प्रत्यय से सम्बन्ध स्थापित करने की आकांक्षा रखने वाले "रम्" को ही ध्यान में रखते हैं, न कि उसके "रमना" अर्थ को। इसी तरह "षञ्" प्रत्यय की जब बात करते हैं तो हम केवल उसकी वातु में कर्तृत्व सम्बन्ध जोड़ने की शक्ति की ही कल्पना करते हैं और अन्त में "सु" रूप से हमारे मन में कर्मा के रूप में आदमी नहीं खड़ा होता है बल्कि उससे केवल "राम" जैसे किसी प्रातिपदिक का किसी कार्य-विशेष से सम्बन्ध-विशेष ही हमारे मन में उदित होता है। इसलिये यह ध्यान देने योग्य है कि रूप छोटी से छोटी अर्थवान् इकाई है मही, पर वह अर्थ से भिन्न है और इस प्रकार वह ध्वनियामाकार होने हुए भी ध्वनिग्राम की तरह अर्थ-शून्य नहीं है।

अन्त में हम भाषा के अन्त्य अवयव ध्वनिग्राम पर आते हैं। ध्वनिग्राम किसी भाषा विशेषगत उक्ति का वह अन्त्य गुणनखंड है, जिसके बाद विश्लेषण करना उस भाषा की दृष्टि से निष्प्रयोजन है, पर जो साभिप्राय होते हुए भी स्वयं कोई अर्थ न रखता हो। इस तरह से ध्वनिग्राम पूर्णतः भौतिक घटना पर आधारित है, यद्यपि स्वयं यह भौतिक तथ्य

का प्रतिनिधित्व मात्र करता है स्वयं भौतिक तथ्य उपस्थित नहीं करता। भाषा के विश्लेषण की ऊपर भी जो इकाइयाँ बतायी गयी हैं वे भी भौतिक घटना या तथ्य की (Presentation) आकृति न होकर (Representation) प्रतिकृति के ही रूप में कल्पित की गयी हैं। वस्तुतः एक तरह से वे अपने सवादी तथ्य की अपेक्षा वैज्ञानिक दृष्टि से अधिक परिच्छिन्न एवं मृत्य हैं। उदाहरण के लिए हिन्दी भाषा-भाषी जब 'कमल' शब्द का उच्चारण करता है तो वह चाहे इस शब्द के आद्य अवयव 'क्' का उच्चारण पृष्ठ कोमल तालु से करे, चाहे कोमल-तालु से करे, चाहे उससे भी कुछ आगे आकर करे, पर उसके हिन्दी-श्रोता तीन प्रकार के "क" के उच्चारणों को एकाकार ही मानेगा। उसके लिए "क्" की तीन सत्ताएँ निरर्थक हैं और उससे यदि कहा भी जाय कि उसने कमल के "क्" का उच्चारण तीन प्रकार से किया है तो वह विश्वास नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए "क्" की तीन नहीं केवल एक इकाई ही सत्य है।

इस प्रकार हम वैज्ञानिक परिकल्पना के आधार पर सक्षेप में चार स्तरों पर भाषा की सघटना का विश्लेषण कर सकते हैं (१) अर्थ-स्तर पर अर्थतत्व का विश्लेषण जिसे हम अर्थ-विज्ञान कह सकते हैं। (२) वाक्य-स्तर पर वाक्य-तत्वों में विश्लेषण जिसे हम वाक्य-विज्ञान कह सकते हैं। (३) रूप-स्तर पर रूप-तत्वों में विश्लेषण जिसे हम रूप-विज्ञान कह सकते हैं और (४) ध्वनिग्राम-स्तर पर ध्वनिग्राम-तत्वों में जिसे हम ध्वनिग्राम-विज्ञान कह सकते हैं।

पाँचवाँ अध्याय

संघटनात्मक भाषाविज्ञान-सम्प्रदाय

भाषा की उपरिलिखित परिभाषा के अनुसार उक्त प्रकार से भाषा की संघटना के विश्लेषण में जो सम्प्रदाय विश्वास रखता है, वह अपने को संघटनावादी भाषाविद् कहता है। यह सम्प्रदाय ऐतिहासिक या तुलनात्मक अध्ययन के सम्प्रदाय से मुख्यतः इसलिए कुछ अलग है कि यह भाषा को उसके जीवित और वर्तमान रूप में ही ग्रहण करना चाहता है, न कि उसके विगत और मृत रूपों के सदृश में। इसके लिए भाषा का इतिहास नहीं बल्कि भाषा का भूगोल ही महत्व रखता है। इस सम्प्रदाय को भाषा के इतिहास में गौण रुचि है और इसकी मान्यताएँ संक्षेप में ये हैं —

(१) भाषा का बोला जानेवाला रूप ही उसका वास्तविक रूप है इसीलिए भाषा लिखने के पहले भाषा बोलनी चाहिए और बोलने के पहले सुननी चाहिए।

(२) भाषा के संघटनात्मक होने के कारण उसके अवयव एक दूसरे से असंलग्न या असम्बद्ध नहीं हो सकते। वस्तुतः भाषा का विश्लेषण उसके अवयवों की निरपेक्ष या पारमार्थिक सत्ता के आधार पर नहीं किया जाना, वह विश्लेषण जाधृत होना है भाषा की विविध प्रकार की सम्पर्क-सीमाओं के स्थापन पर। इस विश्लेषण में पारमार्थिक (Absolute) सत्ताओं को परिधियों में बाँध देने की चेष्टा की जाती है। इन परिधियों को बनाने की चेष्टा इसलिए की जाती है कि जिन परिधियों के भीतर चाहे जितने भी विकल्प हों, वे अनेक नहीं माने जाकर केवल एक ही माने जाते हैं। भाषा की इन परिधियों की सीमाएँ जब टूटती हैं, तब पूरी भाषा की ऋखला टूट जाती है और फिर नयी परिधि से नयी

शृंखला बनती है। सक्षेप में भाषा में कोई परिवर्तन एकाकी नहीं होता। वह परिवर्तन पूरी शृंखला में होता है।

(३) भाषा एक अर्जित सस्कार है इसलिए भाषा के सम्बन्ध में जन्मजात रुचि-अरुचि का प्रश्न नहीं उठता। भाषा बच्चा अपने बड़ों से अधिक अपने समकालीनों से सीखता है, बड़े केवल उस भाषा में अनावश्यक और अप्रभावकारी नियन्त्रण का ही कार्य करते हैं। यदि बच्चा बड़ों की भाषा को यथावत् स्वीकार करता तो भाषा कभी बदल ही नहीं पाती।

(४) भाषा के मवध में कोमल-परुष, सरल-कठिन या शुद्ध-अशुद्ध जैसे विकल्प वैज्ञानिक दृष्टि से अनुपयुक्त हैं। प्रत्येक भाषा अपने समुदाय के लिए अपने समुदाय की दृष्टि से जैसी होती है वैसी दूसरे समुदाय के लिए नहीं हो सकती। इसका कारण केवल इतना ही है कि अभ्यासवश आदमी एक समुदाय के रहन-सहन से इतना अभिभूत हो जाता है कि वह दूसरे प्रकार के रहन-सहन में विचित्रता अपने-आप देखने लगता है। प्रत्येक मनुष्य की भाषा अपने में पूर्ण व्यवस्था होती है, इसलिए जिसे शुद्ध भाषा कहते हैं और जिसका प्रचलन मनवाना चाहते हैं, वह समाज की स्वीकृति पर ही अवलंबित है। भाषा के ऊपर अधिकार उसके औसत बोलने वाले का है, किसी जन-विशेष का नहीं। महाभाष्यकार ने भी लोक को ही भाषा के सम्बन्ध में प्रमाण माना है।

(५) भाषा की सघटना में प्रतीको का विन्यास, यादृच्छिक होने के कारण प्रत्येक सघटना को दूसरी सघटना से इतनी दूर कर देता है कि यथार्थ रूप को एक भाषा का दूसरी भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता। यह कहना कि यह विन्यास उस भाषा के बोलने वाले समुदाय की सांस्कृतिक सम्पद् या हीनता का मापदंड हो सकता है, एक बहुत बड़े अमन्य की प्रतिष्ठा होगी। इस विन्यास में शुद्ध रूप से मनुष्य की यदृच्छा काम करती है। •मीमांसा शास्त्र में इसी सिद्धान्त को भूमौ अर्थ मुखे राब्द, औत्पत्तिक शब्दस्य अर्थेन सह सम्बन्ध जमीन में प्रतीयमान और मूँह में शब्द, भला इन दोनों के बीच “यादृच्छिक

सम्बन्ध माने बिना कैसे काम चलेगा" इस कथन के द्वारा समर्थन किया गया है।

सघटनात्मक भाषाविज्ञान ने इधर हाल में वाक्यविन्यास के विच्छेपण पर भी व्यान दिया है और रूलन वेल्स ने आगल घटक (Immediate Constituents) सिद्धान्त की स्थापना करके वाक्यविच्छेपण का एक नया तरीका निकाला है। पर अभी वाक्यस्तर पर विश्लेषण माध्यावस्था में है। इसीलिए इसके विस्तार में जाना आवश्यक नहीं। अर्थ के क्षेत्र की ओर में पहले जितनी उदासीनता थी, उतनी अब नहीं है, यह एक शुभ लक्षण है। तब भी अर्थ-विचार की दिशा में प्रगति मन्द है।

सघटनात्मक भाषाविज्ञान का समुचित उपयोग भाषा-शिक्षण वोटियों के भौगोलिक सर्वेक्षण, भाषा-रीति विज्ञान (Linguistic Typology), ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में प्रत्याकलन (reconstruction), नृतत्व एव समाजशास्त्र में हुआ है। भाषा-शिक्षण के क्षेत्र में प्रत्यक्ष समय और प्रयत्न का लाघव इस शाखा के उपयोग के फलस्वरूप आया है। गत पच्चीस वर्षों के निरन्तर प्रयोग के बाद यह स्थिति आ गयी है कि सघटनात्मक भाषाविज्ञान ने इस भाषाशास्त्र को विज्ञान के स्तर पर पहुँचाने की दिशा में बहुत बड़ी मजिल तै कर ली है और अब उसका अव्ययन अपरिहार्य हो गया है।

छठा अध्याय

भाषा का उद्गम

दूसरे अध्याय में हम देख चुके हैं कि मनुष्य अपने पूर्वजों से भाषा सीखता आया है। हमने अपने माँ-बाप से सीखी, उन्होंने अपने माँ-बाप से। इस तरह चलते-चलते उस आदि अवस्था तक हम पहुँच जाते हैं जब भाषा पहले पहल सीखी गई होगी। उस समय मनुष्य को भाषा किसने सिखाई? और यदि सिखाने वाला कोई नहीं था तो मनुष्य ने किस प्रकार भाषा का सृजन किया। यह मवाल विचारणीय है।

धर्मग्रन्थों में थोड़ा रखने वाला के लिए इस प्रश्न की तह में कोई समस्या नहीं मालूम होती। प्रत्येक सृष्टि के आरम्भ में परमेश्वर ऋषियों को ईश्वरीय ज्ञान (वेद के रूप में) प्रदान करता है। इन आदिम ऋषियों को उस वैदिक भाषा का स्वतः ज्ञान होता है और ये परम्परा में अपने बाद वालों को और ये अपने बाद आने वालों को सिखाते चले आए हैं। यास्क की दृष्टि से प्रवरो ने अवरो को यह ज्ञान दिया और पतञ्जलि के मत से ईश्वर से पूर्व कोई गुरु नहीं था—वही अनन्त काल में आदि गुरु है। इस प्रकार देववाणी संस्कृत ही आदि भाषा है जिसे परमेश्वर ने सृष्टि के आरम्भ में ऋषियों को सिखाया और जिससे बाद को अन्य भाषाएँ और उपभाषाएँ फूट निकलीं। इज्जिल को धर्मग्रन्थ मानने वालों के लिए तो यहूदी भाषा (इब्रानी) ही आदिम भाषा थी जो परमेश्वर-प्रदत्त है और यदि बेबल के मीनार की दुर्घटना न हुई होती तो आज भी वही अकेली भाषा सारे ससार में प्रचलित होती और भाषा की विभिन्नता के कारण मनुष्य जाति की जो दुर्गति हो रही है उसमें वह बच जाती।

आदि में किसी परमेश्वर की कल्पना न करने वाले और गृष्टि की प्रवाह रूप में अनादि और अनन्त मानने वाले धर्म भी आदि भाषा की सत्ता स्वीकार करते हैं। बौद्ध लोग पालि (मागधी) को मूल भाषा मानते हैं और विश्वास करते हैं कि आदि कल्प के मनुष्य, ब्राह्मण और सबुद्ध इमी का व्यवहार करते थे। जैन लोग तो आर्ष (अर्द्धमागधी) को मूल भाषा (प्राक्कृत) मान कर उसे ननुष्यमात्र ही तक सीमित नहीं रखते। उनका विश्वास है कि श्री महावीर स्वामी की इस भाषा का उपदेग निर्यग्योनि (पद्म-पक्षी आदि) के और मिद्ध, देव आदि योनियों के जीव भी समझते थे, और सुन कर लाभ उठाते थे।

मतमतान्तरों पर श्रद्धा रखने वाले और यह मानने वाले कि मनुष्य परमेश्वर के यहाँ से हम सप्ताह में आते समय ही भाषा सीखकर आता है, एक दृष्टि ही समस्या से विचलित रहे हैं—कौन-सी भाषा लेकर मनुष्य यहाँ उतरता है? ई० पू० ५वीं सदी के ग्रन्थकार हेरोडोटस ने लिखा है कि मिस्र देश के राजा मैमेटिकुस ने यह जानने के लिए कि सप्ताह में सबसे प्राचीन कौन मनुष्य-जाति है, दो तन्काठ पैदा हुए बच्चों को एक पार्क में अन्य मनुष्यों से विलग रक्खा। उन्होंने जब बोलना आरम्भ किया तो उनके मुँह से बेकोस शब्द निकला जो फ्रिजियन है और जिसका अर्थ है 'रोटी'। उन बच्चों के सामने किसी को भी बोलने का निषेध था। बेकोस शब्द जो उन बच्चों के मुँह से निकला वह भी रोटी लाने वाले प्रहरी की जवान में अनजान में कभी निकल गया था। इस प्रयोग से यह निश्चय न किया जा सका कि मिस्री लोग आदि पुरुष हैं या फ्रिजियन। इसी प्रकार का एक प्रयोग कुछ बच्चों पर अकबर बादशाह ने भी करवाया था और वे बच्चे भी गूँगे निकले। इससे इतना स्पष्ट है कि मनुष्य का बच्चा कोई भी भाषा सीख कर नहीं आता, जो सीखना है यही इस सप्ताह में। धर्म में अटूट विश्वास रखने वाले इन प्रमाणों से हतवृद्धि नहीं होते। वे कहते हैं कि माना कि अब मनुष्य जाति, जन्म से कोई भाषा सीखकर नहीं आती पर सृष्टि के आरम्भ में अवश्य भाषा मनुष्य को सिखाई गई थी अन्यथा आज की तरह सब लोग गूँगे ही

आत और जब मनुष्य को और कोई पूवज स्वजातीय शिक्षक नहीं सिखा सकता था उस समय निश्चय ही उसको यह ज्ञान किसी दैवी शक्ति से मिला होगा।

आधुनिक विज्ञान मनुष्य की सृष्टि को विकासवाद की दृढ़ नींव पर ही स्वीकार करता है, इसीलिए भाषा के उद्गम की समस्या उसके सामने जटिल समस्या के रूप में उपस्थित होती है और इसको हल करने का विद्वानों ने प्रयास किया है।

एक मत यह है कि आरम्भ में जब सकेत आदि से मनुष्य-समुदाय का यथेष्ट काम नहीं चला, तब समुदाय ने एकत्र होकर विचारपूर्वक निश्चय किया कि अमुक वस्तु का यह नाम होगा और अमुक का यह। इस प्रकार उसने आपस के समझौते से भाषा का सृजन किया। परन्तु यह मत थोड़े दिन भी समीक्षा की कसौटी पर नहीं ठहर सका। मवाल उठा कि जब मनुष्य के पास कोई भाषा थी ही नहीं, केवल सकेत थे तब उसने एक दूसरे पर अपने समझौते के समय के विचार किम साधन से प्रकट किये होंगे? क्या यह संभव नहीं कि एक वस्तु के लिए किमी सदस्य ने एक नाम पेश किया हो और दूसरे ने दूसरा और फिर वाद-विवाद हुआ हो कि कौन स्वीकार किया जाय और कौन नहीं? यह वाद-विवाद क्या केवल सकेतों में हुआ होगा? फिर किसी वस्तु का विचार उठते ही उसकी व्वन्यात्मक प्रतिमा मन में आ जाती है। तो, जब किसी वस्तु का क्या नाम रक्खा जाय यह बात निश्चित नहीं हुई थी तब यह प्रतिमा कैसे मस्तिष्क में आई और किस रूप में? और उसकी अनुपस्थिति में विचार ही कैसे आया? इस प्रकार समीक्षा करने पर विचारपूर्वक आदि भाषा के निर्माण का मत कितनी कमजोर दीवार पर खड़ा है यह स्पष्ट हो जाता है।

भाषा की उत्पत्ति का समाधान करने के लिए दूसरा मत यह है कि मनुष्य ने भाषा अपने आस-मास के पशु-पक्षियों तथा सृष्टि के अन्य पदार्थों से सीखी। कोयल को कुहू, कुहू करते सुना तो उसका नाम कुहू रक्खा, बिल्ली को म्याऊँ, म्याऊँ करते सुना तो उसकी सज्ञा

म्याऊं बनाई, पेड से पत्ता गिरते देखा और उसकी आवाज परखी तो पत् धातु गिरने के अर्थ में निश्चित की, पानी की तेज धार को बहते सूनकर नद् धातु का निश्चय किया और नदी शब्द बनाया। आज भी इस प्रकार शब्द बनते हैं। बच्चे मोटर को मोटर न कहकर पो-पो कहते हैं क्योंकि उनको हटाने के लिए मोटर पो-पो शब्द करती है और मोटर के हार्न को हम लोग अपनी भाषा में भोपू नाम शायद इसीलिये दे बैठे हैं। परन्तु यह मत भी समीक्षा करने पर पक्का और मतोषजनक नहीं ठहरता। पहली बात तो यह है कि ससार की पुरानी से पुरानी भाषा का भी अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि ऐसे शब्द जो इस प्रकार पशु-पक्षियों के अनुकरण और अन्य पदार्थों के अनुकरण पर बने हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। कोई कह सकता है कि समस्कृत आदि सब में पुरानी भाषाएँ जिस अवस्था में हमको मिलती हैं वह हजारों वर्ष की विकसित अवस्था हैं, इस कारण यह तर्क पुष्ट प्रमाण नहीं। इस सदेह में कुछ तर्क है। परन्तु ससार की असभ्य और अमस्कृत जातियों की भाषाओं का भी विद्वानों ने अध्ययन किया है और तब भी इसी नतीजे पर पहुँचे हैं कि अनुकरणात्मक और अनुरणनात्मक शब्दों का अनुपात उन भाषाओं में भी बहुत थोड़ा है। अमरीका की, मेकेजी नदी के किनारे बसी हुई असभ्य जाति अथवस्कन की भाषा में तो ऐसे शब्दों का नितान्त अभाव पाया गया है। दूसरी बात यह है कि क्या जब पशु-पक्षियों को प्रकृति ने ध्वनियों के उच्चारण करने की शक्ति प्रदान की थी तो आदिम मनुष्य को कोई भी शक्ति प्राप्त नहीं थी? क्या वह स्वयं दृश्यों और वस्तुओं को देखकर कुछ गौर न कर सकता था? जब उसे भी यह शक्ति प्राप्त थी तब वह भाषा के सृजन के लिए दूसरों का ही महाराग क्यों लेता?

दूसरे मत की समीक्षा से ही तीसरा मत निकल आया। प्रकृति के जीवों का अवलोकन करते समय हम देखते हैं कि उन के भावों और आवेगों के ही समय विशेष रूप से ध्वनियाँ निकलती हैं। पक्षी आनन्दोल्लास, भय, भूख आदि के ही समय शोर मचाने हैं अन्यथा चुप रहते हैं।

गाय का बच्चा भी कुदक्की मारत समय, भूख स या मा को दख कर उल्लास से अम्माँ-अम्माँ करता है। गाये, मैसे बहुधा मैथुन की प्रवल अदम्य आकाक्षा होने पर रँभाती है। श्री वेशाखनदनजी भी पीछे नजर घुमाकर और यह ज्ञान प्राप्त कर कि इतनी भारी जगह की घास हमने साफ कर दी, आनदातिरेक से रेकने लगते हैं। इसी प्रकार, तृतीय मल को पेश करने वाले विद्वानो के अनुसार आरभ मे मनुष्य मे भी इसी प्रकार भाव प्रकट करने की शक्ति थी और विम्मयादिवोधक शब्द इसी शक्ति के परिणाम है। इन विद्वानो का कहना है कि प्रारभ मे मनुष्य इन्ही का उच्चारण कर सकता था और धीरे-धीरे इसी प्रकार की उच्चारित वनियो का उन आवेशो और भावो से अलग भी उच्चारण करने की उमे शक्ति प्राप्त हो गई। जैसे कि हम देखते हैं कि प्रारभ मे बच्चा जो सोचता है उसे अकेला बैठा हुआ भी शब्द मे प्रकट करता जाना है, पर धीरे-धीरे वह विचार और व्वनि को अलग करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है, ठीक उसी प्रकार आदिम मनुष्य-समुदाय की शक्ति का विकास हुआ होगा। उदाहरण के लिए छि छि, धत, हुश, हला, आदि अथवा अँगरेजी के फाइ, बाश, आदि शब्द पेश किये जाते हैं। मजदूर जब बोझा उठाता हुआ थका रहता है तब उसके मुँह से अनायास हे, हो आदि शब्द निकल पडते हैं और इसी से उठाने के अर्थ की अँगरेजी धानु हीव की उत्पत्ति बताई जाती है। इसी प्रकार तिरस्कार-सूचक फाइ शब्द से तिरस्कारपूर्ण काम करने वाले फिएड (शैतान) शब्द का सवध जोडा जाता है।

दूसरे मत को काटने के लिए यह मत उपकारक साबित हुआ। पर स्वयं यह मत भी पूरे तौर से सतोषजनक नहीं है। पहली बात यह है कि विम्मयादि-बोधक अव्यय भाषा के मुख्य अंग नहीं और किसी भी भाषा में उनकी संख्या बहुत परिमित है। वे वाक्य के अदर तो आते ही नहीं उनका अस्तित्व अलग ही है। दूसरे, यह बात भी कि ये अव्यय सदा और सर्वत्र मनोरोग, आवेश आदि के द्योतक हैं ठीक नहीं जँचती, क्योंकि कहीं और कभी कोई अव्यय प्रयोग में आते हैं और दूसरे देशकाल में अन्य।

तब भी दूसरे और तीसरे मत के अनुसार भाषा के थोड़े से (पगन्तु बहुत थोड़े से) शब्दों की उत्पत्ति समझ में आ जाती है। शेष के विषय में वे केवल असतोषजनक वाद की सत्ता पर स्थित रहते हैं।

फिर इस जटिल समस्या का क्या हल है? अल्पज्ञानी मनुष्य के ज्ञान की वर्तमान स्थिति में इस समस्या का हल नहीं सूझता। इसी कारण पिछली पीढ़ी के भाषा-वैज्ञानिकों ने इस प्रश्न को उठाया तो, पर टाल दिया था और यह कहा था कि इससे हमें सरोकार नहीं, हम तो जैसी भाषा पाते हैं उसका अध्ययन करते हैं और उसके मूलतत्त्वों तक पहुँचने की कोशिश करते हैं, भाषा की उत्पत्ति का विषय तो दर्शन के क्षेत्र में आता है। पर आधुनिक भाषा-वैज्ञानिक यह नहीं कहता। वह स्वीकार करता है कि भाषा की मूल उत्पत्ति का पता लगाना उसी का कर्तव्य है। वह प्रयत्नशील है—असभ्य और बर्बर जातियों की तथा बच्चों की बोलियों का अध्ययन करता है, दूर-दूर की भाषाओं की परस्पर तुलना करता है और भाषा के मूल आधार पर पहुँचने का उद्योग करता है। वह हिम्मत नहीं हारता।

भाषा और विचार का अटूट संबंध है। मनुष्य के मस्तिष्क में जब विचार उठे होंगे तभी भाषा भी आई होगी। पाणिनीय शिक्षा में कहा है—

आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान् मनो युङ्क्ते विवक्षया।

मन कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम् ॥

अर्थात् आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को समझ कर मन को बोलने की इच्छा से प्रेरित करती है। मन शरीर की अग्नि (शक्ति) पर जोर डालता है और वह वायु को प्रेरित करती है (इस प्रकार शब्द निकलता है)। आदि काल में यदि भिन्न-भिन्न स्थानों पर मनुष्य का विकास हुआ होगा तो संभव है कि भिन्न-भिन्न भाषाएँ प्रारंभ से ही उपस्थित हुई हों। यदि एक ही स्थान पर सुसंगठित मनुष्य-समुदाय का आविर्भाव हुआ होगा, तो प्रारंभ में एक ही भाषा रही होगी और कालान्तर में उसमें विभिन्नता आई होगी।

मनुष्य को विचार करने की शक्ति कब मिली? इस प्रश्न का उत्तर मनोवैज्ञानिक नहीं दे पाते।

भाषा और विचार के आविर्भाव का प्रश्न मनुष्य-समाज के विकास की समस्या के साथ अनिवार्य रूप से उलझा हुआ है, और जब तक विकासवाद के उपस्थापक डार्विन आदि विद्वानों के खोए हुए पूर्वजों का पता नहीं चलता और विकासवाद की शृंखला की टूटी हुई कड़ी नहीं मिलती तब तक भाषा-वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक, भाषा और विचार के आदि स्रोत तक पहुँचने में नितांत असमर्थ हैं और रहेंगे। धर्म पर श्रद्धा रखने वाले को यह माया नहीं व्यापती, क्योंकि उसके सिद्धान्त है “श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्” और “सतोष परम सुखम्।”



सातवाँ अध्याय

भाषाविज्ञान तथा अन्य विज्ञान

ऊपर हम देख चुके हैं कि मनुष्य के विचारात्मक ज्ञान से भाषा का घनिष्ठ संबंध है—भाषा विचार का बाह्य स्वरूप है और विचार भाषा का मानसिक स्वरूप, ऐसा भी कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं। ऐसी दशा में भाषा-विज्ञान का मनुष्य के ज्ञान की अन्य शाखाओं में गहरा संबंध है।

भाषाविज्ञान का अटूट संबंध मनोविज्ञान में है। मनुष्य के सभी कार्य उसकी अदम्य इच्छा से प्रेरित होते हैं, भाषा भी। यह इच्छा कैसा उठती है इस प्रश्न का उत्तर मनोविज्ञान ही दे सकता है। फिर मन में विचार कैसे उठते हैं, मस्तिष्क में कैसे संग्रहीत रहते हैं, एक शब्द के कई अर्थ रहते हुए भी किसी समय एक विशिष्ट अर्थ ही क्यों उद्बोधित होता है, शब्दों के अर्थ में परिवर्तन किम प्रकार होते हैं, इन सब प्रश्नों का उत्तर भाषाविज्ञान मनोविज्ञान का सहारा लिए बिना देने में असमर्थ है। हम देखते हैं कि कोई-कोई मनुष्य बोली के सभी अवयवों के सहो रहते हुए भी तुतलाते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं, इस दोष का हेतु मनो-विज्ञान ही बता सकता है। इसी तरह भाषा में जो परिवर्तन एक पीढ़ी से दूसरी तीसरी पीढ़ी तक आते-आते हो जाते हैं उनका मुख्य रूप से मनोविज्ञान से ही कारण मालूम हो सकता है। इस प्रकार भाषाविज्ञान मनोविज्ञान का ऋणी है परन्तु बदले में मनोविज्ञान भी भाषाविज्ञान का ऋणी है। उसे भी विचारों के विश्लेषण, अनुभव की संपूर्णता, अपूर्णता आदि के अध्ययन में भाषाविज्ञान का सहारा लेना पड़ता है।

भाषाविज्ञान का तर्कशास्त्र से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है यद्यपि शब्दों का अर्थ व्यक्तित्व से सामान्यता को कैसे पहुँचता है तथा सामान्य

अर्थबोधक शब्द किसी व्यक्ति का द्योतक किस तरह हो सकता है इसके अध्ययन में तर्कशास्त्र से कुछ सहायता मिलती है। पर साधारण रीति में भाषा तर्क के अनुसार नहीं चलती और प्राणी और अप्राणी, स्वेदज, अडज, उद्भिज्ज आदि शब्द जिनमें तर्कशास्त्र का प्रत्यक्ष प्रभाव दीखता है, अनुसन्धानकर्ता के मस्तिष्क की उपज है, साधारण भाषा के नहीं।

भाषाविज्ञान का समाजशास्त्र से भी गहरा संबंध है। भाषा विचार-विनिमय का साधन है, यह विचार-विनिमय मनुष्य-समाज में ही होता है, समाज ही अपने समुदाय के व्यक्ति पर भाषा थोपता है, व्यक्ति को जसी है वैसी ही स्वीकार करनी पड़ती है, वह ची-चपड नहीं कर सकता, उसमें अपनी इच्छा के अनुकूल, बिना दूसरे व्यक्तियों की सम्मति के, कोई विकार भी प्रविष्ट नहीं कर सकता। समाजशास्त्र के अध्ययन से ही भाषाविज्ञान के विद्यार्थी को उन अवस्थाओं का पता चलता है जिनमें भाषा का विकास होता है। समाजशास्त्र के किन प्रभावों द्वारा भारतीय स्त्री अपने पति के नाम का उच्चारण नहीं कर सकती, किन प्रभावों द्वारा साप को कीड़ा और लाश को मिट्टी कहते हैं, क्यों गाय बियाती है स्त्री नहीं, क्यों पाखाना (वस्तुतः पैर रखने की जगह) कहा जाता है और उस क्रिया का नाम नहीं लिया जाता जो इस स्थान पर की जाती है, इन सब बातों का उत्तर समाजशास्त्र के सूक्ष्म अध्ययन से ही मिल सकता है। इसी प्रकार किसी विशेष समाज की अवस्था का अध्ययन भी इतिहासिक या तुलनात्मक भाषाविज्ञान द्वारा सहारा पाना है। अवेस्ता की ईरानी भाषा में आँख, कान आदि करीब बीस अर्थों के बोधक दो-दो शब्द हैं—एक शुभ और दूसरा अशुभ। इनके रखने की उम्र समाज में क्यों जरूरत पड़ी? ईरान में देव (देव) शब्द अशुभ और मस्कृत में उसका विपरीत क्यों है? वैदिक सूक्तों में असुर शब्द कहीं देवता-वाचक और कहीं राक्षस-वाचक क्यों है? मस्कृत में यज्ञ शब्द अच्छे अर्थ में और पालि में बुरे अर्थ में क्यों प्रयोग में आया है? अशोक महाराज ने देवानी प्रिय' इस वचन का अपने लिए सर्वत्र लेखो

में प्रयोग किया है और उनके बाद वाले संस्कृत के ग्रन्थों में इसका अर्थ है मूर्ख। क्यों? असोक के लेखों में पाखंडी शब्द धर्मविलग्न की अर्थ में आया है और आज उस शब्द का क्या अर्थ है? अपनी भाषा में जो शब्द फिल्ला कुत्त के बच्चे के अर्थ में अर्थ-सकोच से रूढ़ है वही द्राविड भाषाओं में मनुष्य, जानवरों, पक्षियों आदि के बच्चे वच्ची के अर्थ में आता है। इन सबसे विशेष देश और काल के समाज की मनोवृत्ति और अवस्थाओं का पता लग जाता है।

भाषाविज्ञान को मनुष्य के शरीर-विज्ञान का भी महारा लेना पड़ना है। भाषा मनुष्य के शरीर से निकलती है। ज्ञानतनु मस्तिष्क में मुख, नासिका, जिह्वा, तालु आदि अवयवों को प्रेरित करते हैं। ध्वनि के अध्ययन के तीन भाग हैं—ध्वनि का निर्माण, उसका दमरे के प्रति वहन और उसकी दमरे द्वारा प्राप्ति। ध्वनि किस प्रकार बनती है, किस प्रकार जदर में आती हुई प्राणवायु स्वरयंत्र, अलिजिह्व, तालु, दाँत, ओठ नाक आदि में स्थान पाकर और उसके कारण ध्वनि की विशेषता को प्राप्त होती है यह मनुष्य के वाचिक अवयवों के अध्ययन में ही जाना जा सकता है। फिर यह ध्वनियाँ किस प्रकार श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा ग्रहण की जाती हैं और उस इन्द्रिय की गठन क्या है यह भी शरीर-विज्ञान के अध्ययन से ही मालूम किया जा सकता है। आधुनिक काल में लिखित भाषा का व्यवहार बहुत विस्तृत है। नेत्रेन्द्रिय किस तरह लेख को ग्रहण करती है और किस प्रकार अनुच्चारित शब्द को मस्तिष्क तक पहुँचाती है यह भी नेत्रेन्द्रिय और ज्ञानतनुओं के अध्ययन से ही समझ में आ सकता है। मारास यह कि भाषाविज्ञान की ध्वनि के अध्ययन के लिए शरीर-विज्ञान के अध्ययन की जरूरत पड़ती है।

ध्वनि किस प्रकार मुँह में निकल कर दूसरे आदमी के कान तक पहुँचती है यह बात हमें भूत-विज्ञान बतलाता है। शब्द आकाश में लहर मारना है या वायु में भाषा की ध्वनियों से और अन्य ध्वनियों में क्या अंतर है ये सब बाने भूत-विज्ञान के ही अध्ययन से मालूम होती हैं। और आजकल तो प्रयोगात्मक ध्वनि-विज्ञान ने भूत-विज्ञान की कार्य-

गैली का अनुकरण करके और उसकी सामग्री के उपयोग में लाकर ध्वनि के मूलतत्त्वों की प्राप्ति में यथेष्ट सफलता पा ली है।

भाषाविज्ञान का इतिहास से भी सबंध है—राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक आदि सभी इतिहास से। भारतीय भाषाओं में प्रचुर मात्रा में अरबी, फारसी और तुर्की आदि शब्दों का अस्तित्व हमारी, पिछले आठ-नौ सौ साल की गुलामी का परिचायक है। पंजाब और उत्तरप्रदेश की हिन्दी-उर्दू समस्या पिछले दो-तीन सौ वर्षों की राजनीतिक विषमता की उपज है। बंगाली और मराठी आदि भाषाओं में प्रचलित ब्रज-शब्द ब्रजमण्डल के वैष्णवधर्म के देशव्यापी प्रभाव के द्योतक हैं। इसी प्रकार प्राचीन आर्य भाषाओं में 'विधवा' शब्द का अस्तित्व, तथा जिसकी पत्नी का देहान्त हो चुका हो उस अभागिने के लिए किसी विशेष शब्द का अभाव, संभवतः इस बात का सूचक है कि प्राचीन आर्यों के समाज में पत्नी के देहान्त पर अपना विवाह कर लेने का अधिकार पुरुष ने अक्षुण्ण रखा था और वही समान अधिकार स्त्री को नहीं दे रखा था। प्राकृत भाषाओं के काल के पूर्व माँ की बहिन (मातृष्वसा) और बाप की बहिन (पितृष्वसा) के लिए अलग-अलग शब्द थे पर मौसा और फूफा के लिए नहीं, यद्यपि लडकी के पति (जामातृ) के लिए विशिष्ट शब्द था। इससे स्पष्ट है कि कुटुम्ब में मौसा और फूफा का कोई स्थान नहीं था। भाषा का ऐतिहासिक या तुलनात्मक अध्ययन इतिहास के उन अंगों पर जिन पर पर्दा पड़ा हुआ है, प्रकाश डाल सकता है। इस तरह भाषा-विज्ञान द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह अन्य इतिहासिक सामग्री के अभाव में अमूल्य होता है।

भाषाविज्ञान की मदद से प्रागैतिहासिक काल के बारे में भी कुछ न कुछ ज्ञान मिल जाता है, उदाहरणार्थ प्राचीनतम आर्यों के विषय में प्राचीन आर्य भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन से बड़ी रोचक सामग्री प्राप्त होती है। ये परिवार बना कर रहते थे—जिसमें माँ-बाप, भाई, बहिन, लडकी आदि होते थे तथा स्त्री विवाह के अनंतर पति के परिवार में आकर शामिल हो जाती थी। पशुपालन मुख्य व्यवसाय था—विशेष

कर गाय और घांड़े का। सम्भवन नगर बना कर नहीं रहते थे और कृषि भी बहुत नहीं जानते थे। कई वृक्षों से परिचय था तथा कई प्रकार के पशु-पक्षियों से। मौतक के गिनती के शब्द थे, हजार का नहीं। ईश्वर के लिए कोई एक शब्द नहीं मालूम होता—शायद धौं पिता बाद को बना। इनका आदि निवासस्थान कहाँ था इसका शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन से प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं प्राप्त होता, अनुमान कई वाद उपस्थित करता है—(क) उत्तरपूर्वी यूरुप, (ख) मध्य एशिया, (ग) उत्तरी ध्रुवप्रदेश तथा (घ) सप्तसिंधु का देश।

भाषाविज्ञान के अध्ययन में भूगोल से भी मदद मिलती है। पहाड़ मरुभूमि, सागर आदि भाषा के प्रसार में कौसी कठिनाइयाँ उपस्थित करते हैं, किन्हीं प्रदेशों में बोलियों की संख्या अधिक क्यों हो जाती है किन्हीं में कम क्यों—इत्यादि प्रश्नों पर तत्संबन्धी भूगोल के अध्ययन से यथेष्ट प्रकाश पड़ सकता है। स्थानों, नदियों आदि के नामों के इतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन से भूगोल-संबन्धी रोचक सामग्री उपस्थित हो सकती है जो ऐतिहासिक भूगोल के काम की चीज है।

भाषाविज्ञान तथा नृतत्वज्ञान का भी गहरा संबंध है। आदिम मनुष्य की अवस्था तथा उसके विकास की सीढियों को समझने में भाषा की उत्पत्ति की जटिल समस्या पर प्रकाश पड़ता है। जातीय सम्मिश्रण का भाषा पर प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं, विभिन्न जातियाँ क्या एक भाषा का प्रयोग कर सकती हैं, जाति तथा भाषा का कोई अन्योन्याश्रय संबंध है या नहीं इन तथा इस प्रकार के अन्य महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को सुलझाने में नृतत्वज्ञान भाषाविज्ञान की सहायता करता है। आदिम तथा वर्बर जातियों की बोली के सम्यक् अध्ययन में भी नृतत्वज्ञान की सहायता अपेक्षित होती है।

भाषा और वाङ्मय का भी संबंध है। वाङ्मय द्वारा हमें प्राचीन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त होता है जिससे भाषा के ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन में सहायता मिलती है। वैदिक वाङ्मय मौखिक

परपरा से, और भारतीय प्राचीन पंडितों के पदपाठ, संहितापाठ, घनपाठ आदि कृत्रिम विनु बहुपकारक साधनों द्वारा सुरक्षित रहा, और आज बड़े काम की चीज है। प्राचीन गाथाएँ प्रायः पद्यबद्ध, धर्म-सवधी अथवा वीरपूजा-सवधी भी प्राचीनकाल से ही मौखिकरूप से सुरक्षित रहती आई हैं, और भाषा के अध्ययन के लिए बहुमूल्य साबित हुई हैं। जब से मनुष्य को लेखन-कला का सहारा मिल गया तब से तो वाङ्मय को सुरक्षित रखने में बड़ी आसानी हो गई। भाषाविज्ञान के लिए यही बहुमूल्य सामग्री है, इस वाङ्मय के बिना भाषाविज्ञान की टांग टूटी रहती। लेख से जहाँ इतना सहारा मिलता है वहाँ कभी-कभी भाषा के शब्दों में भ्रान्ति भी उपस्थित हो जाती है—हम बोलते हैं सिध्, भूक्, हात् पर लिखते हैं सिंह, भूख और हाथ। जहाँ पानी का बरसना सरल मार्ग से आया है वहाँ वर्षा (वर्षा) संस्कृत के पंडित के मुख से निकली है। यह संभव नहीं कि लेख ध्वनियों को तिलकुल यथातथ्य रूप में उपस्थित कर सके पर तब भी उसमें उच्चारण का एक व्यावहारिक प्रतिबिम्ब तो आवश्यक है ही। वाङ्मय का अस्तित्व भाषा के विकास के अस्तित्व की रोक-थाम नहीं कर सकता, हाँ यदि पढ़ने-लिखने की मात्रा अनुरण-समुदाय में बढ़ जाती है और सब जगह फैल जाती है तो लेख का प्रभाव भाषा के विकास पर पड़े बिना नहीं रहता।

भाषाविज्ञान का व्याकरण (भाषाशास्त्र) में केवल इतना सबंध है कि व्याकरण किसी भाषा की ध्वनियों और शब्द-रूपों का यथातथ्य सामान इकट्ठा करके दे देता है और उसका उपयोग भाषाविज्ञान कर लेता है। इसके अलावा और कुछ नहीं। जैसे किसी व्याकरण का ज्ञान उस भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उपादेय है उसी प्रकार कई भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण तत्सम्बन्धी तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के लिए।

संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भाषा के विज्ञान का सबंध मनुष्य के सभी इतर ज्ञान से है और यह ठीक भी है, क्योंकि दर्शनकार बताते

ही है कि ज्ञान अखंड, अनंत तथा एक है—सत्य ज्ञानमखंड ब्रह्म एकमेवाद्वितीय ।

भाषा वाक्यों का समूह है। विज्ञान की दृष्टि से हम लोग वाक्य ही बोलते हैं, ये वाक्य प्रायः पाँच-छ शब्दों से अधिक के नहीं रहते। लम्बे-लम्बे वाक्य जो हमें साहित्यिक भाषा में मिलते हैं स्वाभाविक नहीं, कृत्रिम हैं। कभी-कभी वाक्य में एक ही दो शब्द रहते हैं। ऐसे वाक्यों के वाक्य के शब्द अपेक्षित होते हैं और उच्चारण के बिना ही सुनने वाला उन्हें समझ जाता है। इस प्रकार वाक्य स्वतः पूर्ण होता है। वाक्य शब्दों से बनता है, यद्यपि इन शब्दों का अस्तित्व और पार्थक्य, विज्ञान की दृष्टि में, उतना प्रमाणित नहीं जितना वाक्य का। प्रत्येक वाक्य के उपरान्त मनुष्य क्षणमात्र के लिए रुकता है तब दूसरे वाक्य को प्रारम्भ करता है। परन्तु शब्दों के वारे में ऐसी कोई बान नहीं आती। उच्चारण में बहुवा हम अव्यया को पूर्ववर्ती शब्दों से मिलाकर बोलते हैं और जहाँ संधि का प्रयोग अधिक हो वहाँ तो दो प्रधान शब्दों को भी मिला देते हैं, जैसे (१) इन्द्रश्च वरुणाश्च (२) इन्द्रश्चाग्निश्च (३) चोल्ले गया, (४) माड्डाला (५) पडिज्जी। इन सभी उदाहरणों में व्याकरण की दृष्टि से जितने शब्द हैं, उच्चारण की दृष्टि से उतने नहीं। प्रथम उदाहरण में व्याकरण चार शब्द बताता है, पर उच्चारण दो ही। कभी-कभी व्याकरण की दृष्टि से जिसे एक शब्द कहेंगे वह वाक्य में दो विभिन्न स्थानों में दो टुकड़े हो कर दिखाई देना है। वैदिक भाषा में उपसर्ग और क्रिया के बीच में बहुवा कई शब्द आ जाते हैं। फेच न पा एक शब्द है और उसका अर्थ है नहीं पर वाक्य में न आरम्भ की ओर, और पा अत की ओर आता है, और बीच में अन्य शब्द। इस प्रकार शब्द का अस्तित्व नितान्त असदिग्ध नहीं है। इस प्रकार पर आगे पुनः विचार करेंगे। परन्तु शब्द का कोई अस्तित्व उच्चारण में न भी झलके तो भी दिमाग में रहता ही है अन्यथा हम शब्द के रूप न बना सकते। वाक्य में प्रत्येक शब्द एक दूसरे की आकाक्षा रखता है। और सान्निध्य तो चाहिए ही। इस प्रकार का शब्द-समूह

अथवा वाक्य ध्वनियो का समूह होता है। भाषाविज्ञानी ध्वनियो का पृथक्-पृथक् अस्तित्व मानते हैं। प्रत्येक वाक्य का अर्थ वाक्यार्थ तथा प्रत्येक शब्द का पदार्थ होता है। शब्द की अभिधा शक्ति से एक अर्थ हो, पर लक्षणा और व्यजना से दूसरा ही तात्पर्य निकल सकता है, इस बात का बड़ा सुन्दर स्पष्टीकरण भारतीय भाषातत्त्वविदो ने सदियो पूर्व कर रक्खा है।

भाषा के इस प्रकार क्रमशः चार अंग हुए—वाक्य, पद, ध्वनि और अर्थ। और इन्ही के अनुसार भाषाविज्ञान की भी चार शाखाएँ हैं—वाक्यविज्ञान, पदविज्ञान, ध्वनिविज्ञान, और अर्थविज्ञान।

वाक्यविज्ञान में वाक्यो का परस्पर संबन्ध, किसी वाक्य में पदो का परस्पर संबन्ध तथा उनका अपेक्षाकृत स्थान, पदो की परस्पर अपेक्षा, आकाक्षा और सान्निध्य आदि का विचार होता है। हिन्दी के वाक्य में पहले कर्ता, फिर कर्म और अन्त में क्रिया क्यो होती है और इतिहासिक दृष्टि से देखते हुए यह क्रम कब से आया है? अंगरेजी में तुलना करने पर वाक्यविज्ञान ही इस कुतूहल को शांत कर सकता है कि हिन्दी में कर्म बीच में और अंगरेजी में अंत में क्यो आता है। वाक्य विज्ञान शायद इस प्रकार के व्यावहारिक प्रश्नो का भी उत्तर दे कि हिन्दी के परसर्ग (विभक्तिसूचक अव्यय) सज्ञाओ के साथ मिला कर रखने चाहिए या अलग।

पदविज्ञान का कर्तव्य पदो का प्रत्येक दृष्टि से अध्ययन करना है। पद में अर्थसूचक कौन अंश है और संबन्धसूचक कौन, धातु, प्रत्यय, उपसर्ग आदि का परस्पर क्या संबन्ध है, सज्ञा, क्रिया, विशेषण आदि में परस्पर क्या भेद है और क्यो उत्पन्न हुआ, व्याकरण द्वारा निर्धारित यह श्रेणी-विभाग कहाँ तक विज्ञान पर निर्भर है और कहाँ तक वैयाकरण की सुविधा पर, इत्यादि विविध प्रश्न जो पद के संबन्ध में उठते हैं उनका समाधान पदविज्ञान ही कर सकता है और पदविज्ञान भी भाषा की इतिहासिक और तुलनात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है।

ध्वनिविज्ञान द्वारा ध्वनियो का अध्ययन होता है। ध्वनियत्र

का सिद्धावलोकन, ध्वनियों का विश्लेषण ध्वनियों के मात्रा, बलाघात, सुर आदि गुण, ध्वनिविकार, अक्षर का निर्माण इत्यादि प्रश्नों का विचार ध्वनिविज्ञान के ही अतर्गत है।

अर्थविज्ञान अर्थ के विषय में पूर्ण रूप से विचार करना है। व्यक्ति-वाचक, भाववाचक, वस्तुवाचक आदि सजाएँ किम प्रकार अर्थ ग्रहण करती है, कैसे वातु का कुछ अर्थ होता है किंतु पद का कुछ और ही, पद की ध्वनियों और अर्थ का परस्पर संबंध, अर्थ में परिवर्तन और इस परिवर्तन के कारण, इन सब बातों पर अर्थविज्ञान ही प्रकाश डालता है। किसी भाषा के अर्थ का अध्ययन ऐतिहासिक अथवा तुलनात्मक दृष्टि में भी हो सकता है।

इन चारों शाखाओं की सहायता लेकर व्युत्पत्ति का विज्ञान चलता है। किसी शब्द के मूल रूप और ऐतिहासिक दृष्टि से उसके विकास-क्रम की खोज करना व्युत्पत्ति के अतर्गत आता है।

इन मुख्य शाखाओं के अतिरिक्त किसी भाषा के शब्दकोश का उठा कर अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से अध्ययन करना भी भाषा-विज्ञान के ही अतर्गत समझना चाहिए। यही नहीं, किसी प्रदेश अथवा जाति के पुरो, ग्रामों और व्यक्तियों के नामों का अध्ययन भी उस प्रदेश अथवा जाति की संस्कृति आदि के बारे में बड़ी रोचक सामग्री उपस्थित करता है और सामान्य रूप से भाषाविज्ञान के अतर्गत है।

कभी-कभी लोग पूछ बैठते हैं कि भाषाविज्ञान का अध्ययन क्यों करना चाहिए इसका उपयोग ही क्या है? इस प्रश्न का सामान्य उत्तर यही है कि विज्ञान का उपयोग मनुष्य को, ज्ञान की नैसर्गिक पिपासा को मन्तोष देना है। जैसे दर्शन, भूतविज्ञान, इतिहास आदि के अध्ययन से हमें शान्ति मिलती है उसी प्रकार की शान्ति, भाषा-विषयक कात्त्व की तृप्ति, भाषाविज्ञान के अध्ययन के द्वारा प्राप्त होती है। नितांत व्यवहार की दृष्टि से भाषाविज्ञान के अध्ययन से भाषा का स्वरूप तथा पूर्ववर्ती भाषाओं का ज्ञान सुगमता से प्राप्त हो सकता है। भाषा-संबंधी जो जटिल समस्याएँ (पारिभाषिक शब्द, लिपि, राष्ट्रभाषा आदि

के बारे में) किसी देश और काल में उपस्थित होती है उनका मूलज्ञाना जिम खूबी से भाषाविज्ञान-विद् कर सकते हैं अन्य नहीं।

भाषाविज्ञान के अध्ययन का अधिकारी कौन है? प्रत्येक ऐसा ममझदार व्यक्ति, जो भाषा-संबंधी उच्च ज्ञान की पिपासा रखना है इस विषय के अध्ययन का अधिकारी है। अध्ययन प्रारंभ करने के पूर्व यदि मनोविज्ञान और मनुष्य-शरीर के ऊपरी भाग की गठन का साधारण भी अध्ययन करके आदमी भाषाविज्ञान की ओर कदम बढ़ाएगा तो उसे सुविधा होगी।

इस विज्ञान के मूलतत्वों का अध्ययन करते समय विद्यार्थी को उनकी परख अपनी मातृभाषा पर (अपने और निकटवर्ती जनों पर) घटित करके, करते रहना चाहिए और उदाहरण यथासंभव अपनी मातृभाषा से सगृहीत करने चाहिए। ध्वनियों के अध्ययन के समय कानों को सदा सतर्क रखना चाहिए और यथासंभव लिखित भाषा द्वारा उत्पादित भ्रमजाल से दूर ही रहना चाहिए। भाषा के मूलतत्वों को ग्रहण करके इतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन की ओर बढ़ा जा सकता है। इसका कुछ-कुछ आभास तो सामान्य सिद्धांतों के अध्ययन के समय भी उदाहरणों द्वारा उपस्थित हो जाता है।

आठवाँ अध्याय

भाषा का विकास

इस समार की हर चीज परिवर्तनशील है। कुछ का परिवर्तन इतनी जल्दी-जल्दी होता है कि वह हमें प्रत्यक्ष जान पड़ता है, कुछ का बहुत धीरे-धीरे, इतने धीरे कि हमें मालूम नहीं पड़ता। मेज पर के फूलदान के फल कितनी जल्दी कुम्हलाते हैं और फिर कितने गीघ्र उनकी पसकडियाँ गिग्ने लगती हैं, इसका अनुभव साधारण मनुष्य को भी हो जाता है। पर मेज में भी परिवर्तन हो रहा है इसका अनुभव दो-चार महीने या दो-चार साल के अनुभव और इस्तेमाल से नहीं होता। बच्चा कितनी जल्दी-जल्दी बढ़ता है, उसके परिवर्तन का अनुभव आसानी से हो जाता है, पर जवान आदमी में भी परिवर्तन होता है, उसे सरलता से नहीं मालूम किया जाता। प्रतिक्षण प्रति ऐहिक वस्तु में परिवर्तन होता रहना है, कोई चीज स्थिर नहीं है। यही भारतीय क्षणिकवाद का अटल सिद्धांत है, जो 'इद सर्व यत्किञ्च जगत्या जगत्' द्वारा प्रकट है। कवि की दृष्टि में यह परिवर्तन ही जीवन है। अस्तु।

भाषा भी परिवर्तनशील है। किसी भी भाषा को उदाहरण के लिये ले ले। प्रति अवयव में—क्या व्वनि, क्या पद, क्या वाक्य-विन्यास और क्या अर्थ, सभी में परिवर्तन होता रहता है और इसका अंदाज किसी भी भाषा के सो-दो सौ वर्ष पूर्व के रूप के साथ तुलना करने से लग सकता है। भाषा को देश काल के अनुसार जिस अनेक-रूपता का हमें अनुभव होता है वह भाषा की परिवर्तनशीलता की गवाही दे रहा है।

इस परिवर्तन को कोई उन्नति, कोई अवगति के नाम से पुकारते

ह, कोई कहत है कि फलों रूप घिस कर एसा हो गया, कोई कहत है कि अमुक रूप ने बढ कर ऐसी शकल ग्रहण कर ली। इन सारे परिवर्तनो को विकास कहना चाहिए—आदित्यवार विकसित होकर इतवार हुआ और एकादश ग्यारह। इसी प्रकार अलावु से आल् और लौका का तथा भवत से भगत का विकास हुआ। विकास मे उन्नति और अवनति का सवाल नहीं उठता, वह अवश्यभाविता का परिचायक है। भाषाविज्ञानी यह मानने को तय्यार नहीं कि आज जो भाषा एक समुदाय बोलता है वह दो पीढी पूर्व या उपरात बोली जाने वाली भाषा से अच्छी या बुरी है। अपने-अपने समय के लिये सभी अच्छी है। विकास मे एक आशावादित्व छिपा हुआ है, जो अभाव मे भी उपयोग की आशा रखता है। बीज अपने को बरती मे खोकर ही सैकड़ो बीजो की सृष्टि करता है।

भाषा के परिवर्तन के कारण भाषा मे ही मौजूद है। उसे हम परपरा से सीखते है, इस कारण यह निश्चय ही है कि हम उसे ठीक वैसी ही नहीं ग्रहण कर पाते जैसी कि वह उनके पास है जिनसे हम सीखते है। भाषा अन्य मनुष्यो के ससर्ग से सीखी जाती है ओर प्रत्येक मनुष्य का ससर्ग भिन्न होता है। एक ही परिवार मे कोई वकील हें तो कोई अव्यापक, कोई व्यापारी। ये सभी अलग-अलग समुदायो मे काम करते है, अलग-अलग क प्रभाव इन पर पडते है। परिवार मे स्त्रियो की स्थिति बहुधा पुरुषो से भिन्न रहती है। इनको वाह्य मसर्ग का उतना मौका नहीं रहता जितना पुरुषो को, इसीलिए इनकी बोली मे परिवर्तन उतनी तेजी से नहीं होता जितनी से पुरुषो की बोली में। इस पर भी, सुसंगठित परिवार के व्यक्तियो की भाषा उतनी जल्दी परिवर्तन नहीं ग्रहण करती जितनी एक विश्रुखल परिवार वालो की।

वैज्ञानिक रीति से देखा जाय तो मानना पडेगा कि कोई दो व्यक्ति विल्कुल एक तरह की भाषा नहीं बोल सकते। दो व्यक्तियो के बोलने के भेद को हम पहचान लेते है, पर उसे व्यक्त नहीं कर पाते। यदि जरा दूर पर हमारी नजरें से ओझल दो परिचित जन बोल रहे हो तो

हम उनकी आवाज से ही जान लेते हैं कि कौन बोल रहा है। पर कभी-कभी दो बहिनो की या दो भाइयो की या भाई-बहन की आवाज में भेद की मात्रा इतनी कम स्पष्ट होती है कि भ्रम हो जाता है। इस भेद का कारण व्यक्तियों के अभ्यास पर मुख्य रूप से और उनकी शारीरिक गठन पर आंशिक रूप से निर्भर है। हमारा उच्चारण-यंत्र इतना बढिया बना हुआ है कि हम सूक्ष्म भेद वाली अनेक ध्वनियों को बोल सकते हैं पर वे मलने वाले को एक सी प्रतीत होगी। कई तरह का क्, कई प्रकार का प्, बोला जा सकता है, जिसकी सूक्ष्मता की परख मनुष्य का कान अथवा कोई भी यंत्र नहीं कर सकता। एक ही मनुष्य ठीक एक ही स्थान और उतने ही प्रयत्न में एक ध्वनि का उच्चारण करता है, यह भी तब नहीं कहा जा सकता। फिर शब्द में स्थान के अनुसार भी किसी ध्वनि के स्वरूप में अंतर पड सकता है—“काला” का अंतिम “आ” विकुल उतनी ही मात्रा का नहीं है जितनी का पहले का। इस प्रकार व्यक्तियों की भाषा की विभिन्नता उच्चारण में रहती है। इसी तरह अर्थ-संबंधी विभिन्नता भी स्वाभाविक है क्योंकि अर्थ अनुभाव-जन्य है और स्मृति और अनुभव के संयोग से बदलता रहता है। परत्येक व्यक्ति की स्मृति और अनुभव दूसरे की स्मृति और अनुभव से भिन्न होते हैं।

इस प्रकार चाहे उच्चारण की परिस्थिति (भाषा के वाह्य स्वरूप) अथवा अर्थ की परिस्थिति (भाषा के आंतरिक स्वरूप) में देखा जाय, किन्हीं भी दो व्यक्तियों की भाषा यथार्थ रूप में समान नहीं होती। किंतु व्यक्तियों की यह भाषा-विभिन्नता वैज्ञानिक विच्छ्लेषण द्वारा ज्ञात होती है व्यवहार में नहीं। व्यवहार में यह विभिन्नता उभी प्रकार समुदाय की भाषा में लय हो जाती है जिस प्रकार लहर में वृंद। एक समुदाय और दूसरे समुदाय में जब तक ससर्ग की प्रचुरता रहेगी, विभिन्नता कम होगी, पर उसमें ढिलाई पडते ही विभिन्नता को अपना प्रस्तार करने का अवकाश मिल जायगा।

सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि एक मुश्किल कुटुम्ब की भाषा

एकरूप होती है और इससे कम मात्रा में एकरूपता काड कुटुम्बो के सुमगठित समुदाय—ग्राम—में होती है। गाँव में यदि जातियों के अनुसार मुहत्ले वसे हो, जैसा कि बहुधा होता है, तो विभिन्नता के मोके अधिक रहने हैं। कवरिए जुलाहे पास के गाँवो के मुल्ला-मौलवियो के ससर्ग से कुछ अधिक विदेशी शब्दो के (विशेष कर अपने दीन के सबध के) इस्तेमाल के आदी हो जाते हैं। पूजा-व्रत में लीन पुजारी वावा की बोली में गलत-सही कुछ सम्कृत के शब्द आ ही जायेंगे और पट्टा, कब्लियत, खमरा खेतौनी में करामात करने वाले लेखपाल जी की बोलचाल में भी कुछ नागरिकता का आ जाना स्वाभाविक है। करवे के स्कल से पढ कर आये हुए विद्यार्थी भी कुछ-न-कुछ परिवर्तन उपस्थित ही कर देगे और कलकत्ता बम्बई अथवा कानपुर से दस-पाँच साल मजदूरी कर के बढिया कपडे और गहने खरीद कर लाने वाला सफल आदमी भी गाँव में यदि दस-पाँच शब्दो का प्रवेश करा दे तो कोई अचरज नहीं। और यदि दूर के गाँवो से बहुत-सी बहुएँ व्याह कर आ जाएँ तो भी कुछ नए शब्दो के समावेश की सभावना है। साधारण रीति से बहुएँ बहुत जल्दी ससुराल की बोली बोलने लगती है और मायके की भूल जाती है। उनको केवल सास-समुर, जेठ-जेठानी की डाट का ही डर नहीं रहता बल्कि अपने पति और देवर-देवरानियो के हँसी-मजाक का भी भय रहता है। इसलिए निकरब के स्थान पर निसरब अथवा ईख के स्थान पर ऊख का उच्चारण विषम वातावरण में नहीं ठहर पाता। पर जहाँ परिवार का इतना अकुश नहीं है वहाँ नए शब्द प्रवेश कर ही जाते हैं। इस तरह ससर्ग अपने प्रभाव के चमत्कार अनेक (और कभी-कभी दुर्ज्ञेय) प्रकार से दिखाया करता है।

सवाल होता है कि परिवर्तन के इतने ठोस हेतुओ क अस्तित्व में, परिवर्तन अधिक तीव्र गति से क्यों नहीं होता? इसका उत्तर यही है कि भाषा के प्रयोजन में ही परिवर्तन की गति की बाधा मौजूद है। भाषा का प्रयोजन मनुष्य के विचारो को परस्पर व्यक्त करना है। इस व्यक्तीकरण में जो बाधाएँ उच्चारण-सबधी और अर्थ-सबधी, उपस्थित

होगी, उनके विरुद्ध मनुष्य-समुदाय झुंझलाएगा। जितनी अनायास आ जाएंगी उन्हे वह सह लेगा। भाषा के समझने में जो विषमता उपस्थित होगी उनके विरुद्ध समुदाय खड़ा होगा। यदि बच्चा लै पाना के वजन पर पा पाना कहेगा, तो उनके माँ-बाप तुरन्त उसे समझा देंगे कि 'पाना' धातु के साथ दूसरा पाना, सकने के अर्थ में प्रयोग में नहीं आता इसलिए पा सकना कहो, चाहे कारण बताए या न बताएँ पर प्रयोग की शुद्धि-अशुद्धि का ज्ञान उसे करा ही देंगे। इसी प्रकार यदि विद्यार्थी ने कर् धातु से करा रूप बनाया और उसे अपने लेख में लिखा तो गुरुजी करा को काट कर किया लिख देंगे। अथवा बालक जब घली और छात कहेगा तब उसके बड़े भाई और बहिन मुस्कराएँगे, दो-एक बार उस चिढ़ाएँगे भी और वह धीरे प्रयत्न करके थोड़े ही दिनों में घर्ली और सात कहने लगेगा। उच्चारण और अर्थ दोनों में, परिवर्तन अपने आप अनजान में होता रहता है, जान में भी ऐसा परिवर्तन जो तुच्छ है सहा जा सकता है। पर धीरे परिवर्तन बहुत कम होता है और जब होता भी है तब समुदाय जब उसे अंगीकार कर लेने को तैयार ही रहता है तभी होता है। असुर शब्द क अर्थ का स्वता से राक्षस में परिवर्तित हो जाना आर्य जाति को किसी बड़ी ठेस के लगने का चिन्तक है। इसी प्रकार देवाना प्रिय का अर्थ मूर्ख हो जाना पंडितवर्ग के बौद्धमत और उसके महापुरुषों के प्रति द्वेष का ही सूचक हो सकता है। अंगरेजों को भारत के 'न्यायप्रिय शासक' के स्थान से देश को गुलामी में जकड़े रखने वाली 'बेईमान जाति' की हीनता पर ला पटकने वाली भारतीय मनोवृत्ति भी तो मनोवृत्ति के धीरे-धीरे और फिर किसी महा-पुरुष की प्रेरणा से झटके के साथ जोर से बदल जाने का ही तो उदाहरण थी जो स्वराज-प्राप्ति के बाद बदल रही है।

क्या परिवर्तन तुच्छ है और क्या महत्त्व के, इसका निर्णय हर भाषा अथवा उसे बोलने वाला समुदाय स्वयं करता रहता है। बंगाली और नेपाली भाषाओं में स्वरों की मात्रा में व्यतिक्रम होने से उतना भ्रम नहीं होगा, इसलिए वहाँ वह सह्य है परन्तु हिन्दी में उसका महत्त्व

हैं (नहीं तो कटना काटना, मरना मारना में अंतर न रहे), इसलिए व्यतिक्रम नहीं आने पाता। जर्मन भाषा में अंतिम व्यंजन सघोष हो अथवा अघोष इसमें विशेष अंतर नहीं पड़ता, इसलिए द् लिख कर भी त् बोल सकते हैं (और गुद् को गुत् कह सकते हैं) पर अंगरेजी में ऐसा नहीं करने पाते क्योंकि डेरो ऐसे शब्द हैं जहाँ डम अंतर के न रखने से घपला हो जाय (और इसीलिए किट्-किड्, कैम्-कैव्, रिप्-रिब् में उच्चारण का भेद रखा जाता है)।

इस प्रकार भाषा के विकास में परिवर्तन कुछ अंश में होता रहता है और कुछ में नहीं। सृष्टि के ऋत (गति के नियम) और सत्य (स्थिति के नियम) सदा ही काम किया करते हैं और इस जगती के जगत् का एक उदाहरण भाषा इन नियमों के चक्र के बाहर नहीं जा सकती। काल-भेद से एक ही भाषा की अवस्थाओं के अनुसार हम अनेक नाम देते आए हैं पर वह धारा एक ही है। एक ही धारा कही भंगीरथी, कही गंगा तो कही हुगली हो जाती है। दर्शनकारों ने मवाल उठाया था कि साल भर का बच्चा जब विकसित होता होता दस साल का हो जाता है तब वह वही रहता है या दूसरा हो जाता है? उत्तर मिला था कि न हम यही कह सकते हैं कि वही है और न यही कह सकते हैं कि अन्य है। वह वही भी है और नहीं है, और अन्य भी है और नहीं है। दार्शनिक ढंग से यही उत्तर भाषा के बारे में भी दिया जा सकता है।

नवौं अध्याय

विकास का मूल कारण

पिछले अध्याय में हम देख चुके हैं कि ससार की प्रत्येक अन्य वस्तु की तरह भाषा का भी निरंतर विकास होता रहता है, यह विकास ही सृष्टि के हर पदार्थ का नियम है। यह विकास गति और स्थिति का विचित्र समिश्रण के रूप में प्रगट होता है। भाषा-विज्ञानियों ने इस विकास के मूल कारण को ढूँढने का प्रयत्न किया है और इस संबंध में विविध विद्वानों के विविध मत हैं। सामान्य रूप से चार वाद उपस्थित किए जाते हैं।

पहला वाद

शारीरिक विभिन्नता—प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से शरीर का सस्थान की दृष्टि से भिन्न है, उसके उच्चारण के अवयवों की नाप तथा उसके मस्तिष्क की गुरुता दूसरे के अवयवों और मस्तिष्क से भिन्न है। जो शरीर विशालकाय जर्मन का है वह जापानी का नहीं, और जा मस्तिष्क आर्य ब्राह्मण के कंधे के ऊपर स्थित है वह पचम जाति के अछूत का नहीं। इसी प्रकार इससे कम मात्रा में विभिन्नता एक ही जाति अथवा देश के विभिन्न व्यक्तियों में पाई जाती है। परमेश्वर ने कोई दो व्यक्ति समान नहीं बनाए।

शरीर-भेद के कारण भाषा-भेद होता है, यह वाद परीक्षा करने पर युक्ति-सगत नहीं जंचता। हमारे रोज के अनुभव की बात है कि एक ही समुदाय में बड़े कद के भी आदमी होते हैं और छोटे भी, मोटे भी और दुबले-पतले भी, बड़े सिर वाले भी और छोटे सिर वाले भी, लंबे सिर वाले भी और गोल सिर वाले भी, पर इनके कारण समुदाय की भाषा में विभिन्नता नहीं आती। इसी बात को और सकुचित और सुश्लिष्ट

क्षेत्र (परिवार) में जाँचे तो वहाँ भी यही परिणाम पाएँगे। ससर्ग का भेद न होने पर, कन्नौज के ब्राह्मण से अपनी उत्पत्ति बताने वाला बगाली ब्राह्मण और सीधे हजरत मुहम्मद के खानदान से सिलमिला जोड़ने वाला बगाली मुसलमान बगाल के किसी गाँव में पैदा होकर और जन्म वित्त कर एक ही बोली बोलते दिखाई देते हैं। जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण कुमायूँ में जाकर दो सौ वर्ष पहले बस गए थे उनके वंशज उतनी ही शुद्ध कुमाऊँनी बोलते हैं जितनी कि वहाँ बहुत पहले से रहने वाली क्षत्रिय अथवा डोम की मन्तान। गढ़वाल में कई पीढ़ी पूर्व आकर बसा हुआ चीनी परिवार उतनी ही मुन्दर गढ़वाली का प्रयोग करता है जितनी कि कोई अन्य गढ़वाली। कोई-कोई हिन्दुस्तानी परिवार विलायत में जाकर बस गए हैं और उनके वच्चे वहाँ शुद्ध अँगरेजी बोलते हैं। इसी प्रकार कोई कोई हिन्दुस्तानी अँगरेजी में व्याह कर ले आते हैं। इनके वच्चे भाषा की दृष्टि से पूर्णरूप से परिवार में खप जाते हैं। फिर शारीरिक भेद पर भाषा-भेद की निर्भरता कहाँ रही ?

दूसरा वाद

भूगोलिक विभिन्नता—कुछ विद्वानों का मत है कि भूगोलिक परिस्थिति के अनुसार भाषा में विभिन्नता आ जाती है। पहाड़ आदि ठंडे प्रदेशों के निवासी जाड़े के कारण उतना मुँह नहीं खोल सकते जितना कि मैदान वाले रेगिस्तान वाले मुँह ढके रहते हैं। इन कारणों से एक प्रकार की भूगोलिक स्थिति वाले प्रदेश की भाषा दूसरे प्रदेश की भाषा से भिन्न होती है। यही भाषा-विभेद का कारण है।

यह वाद भी तर्क-कसौटी पर खरा नहीं उतरता। एक बार जब भाषा प्रवाह में आ गई तो भूगोलिक परिस्थिति उसके बनाने या बिगाड़ने में सहायक या बाधक नहीं होती। और जो व्यक्ति इस वाद के पक्ष में दी जाती है वही इसके विपरीत बैठ सकती है। पहाड़ों और रेगिस्तानों के निवासी जलवायु की अनुविधा के कारण ही तो ज्यादा मजबूत होते हैं, कठिन परिश्रम के आदी होते हैं, फिर उन्हें मुँह खोल कर

स्पष्ट उच्चारण करने में क्या दिक्कत होनी चाहिए? और मैदानों के आदमी मुगम जलवायु के कारण शिथिल भी रहते हैं। जरूरी न होने के कारण कठिन मेहनत भी नहीं कर पाते। फिर मुँह खोल कर वे स्पष्ट उच्चारण क्यों करें? वर्तमान भाषाओं की समीक्षा से भी यह परिणाम नहीं निकलता कि पहाड़ी अथवा रेगिस्तानी प्रदेशों की भाषा में ओर मैदानों की भाषा में, स्पष्टता अस्पष्टता आदि का कोई भेद है।

तीसरा वाद

जातीय मानसिक अवस्था-भेद—कुछ लोगों का विचार है कि किसी किसी जाति (अथवा राष्ट्र) की मानसिक अवस्था दूसरी जाति अथवा राष्ट्र की मानसिक अवस्था से ऊँची या नीची होती है और इसी कारण भाषा में भेद उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए जर्मन विद्वानों का मत है कि उनकी भाषा में एक सौठव और गति है जो अंग्रेजी आदि भाषाओं में नहीं है और उनकी राय से भाषा का यह साठव और यह गति उनकी जातीय मानसिक गति और सौठव के कारण है। इसी प्रकार फ्रेंच भाषा में एक अद्भुत लालित्य है जो उस जाति की ललित मानसिक अवस्था का परिचायक है। इसी तरह कोई कह सकता है कि बंगाली भाषा में दुरूह सयुक्त व्यंजनों तथा मूर्धन्य व्यंजनों के अभाव से जो माधुर्य आता है वह उनके सौन्दर्यानुभव और स्त्रीत्व के प्रभाव से तथा भाषा की द्रुतगति उनके तेज दिमाग के कारण है। और मद्रासी जो खटाखट कठिन में कठिन मूर्धन्य व्यंजन जट्टी-जट्टी बोलता जाता है वह उसकी इस मानसिक अवस्था का परिचायक है कि वह विषम जलवायु की परिस्थिति में भी अपना काम मुगमता और खूबी से कर सकता है।

कोई भाषा अन्य भाषा की अपेक्षा अधिक द्रुतगति से विकसित होती है, इसमें मूल कारण सगठन की शिथिलता, और सुश्लिष्टता की कमी ही होती है, किसी जाति की मानसिक अवस्था की उच्चता

या नीचता नहीं। ऐसा देखा गया है कि यदि किसी देश में कई साल तक युद्ध जारी रहे जिसके कारण पुरुष अधिक संख्या में सश्रम में जुटे रहे और न्त्रियाँ अन्यान्य व्यवसायों में, तो उस समय भाषा में परिवर्तन की गति द्रुत हो जाती है। इसका कारण यही है कि सीखने वाले, वच्चों की पीढ़ी पर यथेष्ट नियन्त्रण नहीं रह पाता और इस प्रकार सगठन की कमी आ जाती है। यह भी संभव है कि राजनीतिक, सामाजिक आदि परिस्थितियों के कारण, युद्ध न होने पर भी, स्वतन्त्रता और निरकुशता की लहर युवकवर्ग में फैल जाय और अन्य क्षेत्रों की तरह भाषा के क्षेत्र में भी फैल जाय, उस समय भी भाषा में परिवर्तनों की गति के द्रुत होने की संभावना है, क्योंकि वच्चे और लड़के लड़कियाँ भाषा के संशोधनों की परवाह न करेंगे और अव्ययक तथा मातापिता खीज कर रह जायेंगे। भाषा के प्रवाह में द्रुत और विलम्बित गति रहती है, और यह भी समझ में आता है कि आपेक्षिक दृष्टि से किसी भाषा में दूसरे की अपेक्षा द्रुत या विलम्बित गति हो। पर इसका मूल कारण केवल जातीय मानसिक अवस्था को ही समझना ठीक नहीं मालूम होता। सौष्ठव, लालित्य और माधुर्य आदि गुणों की मर्यादा तो अपनी-अपनी रचि पर निर्भर है। जिम चीज को जर्मन अपनी भाषा का सौष्ठव कहता है उसी को अंग्रेज या फ्रेंच रूक्षता के नाम में पुकारता है। बंगाली जिमको अपनी भाषा की सुन्दरता कहता है उसी को पंजाबी जनानापन कह कर हँसी उड़ा सकता है। भारतीय संस्कृति वाले को संस्कृत के जो पद ललित और सुरस जान पड़ते हैं वही पद इसी देश के ऐसे निवासी को जो विदेशी संस्कृति के पालने पर झुलाया गया है, करीब नजर आते। दसवीं सदी के महाकवि राजशेखर के मत में “संस्कृत की रचना रूक्ष और प्राकृत की सुकुमार है। पुरुष और महिला में जितना अन्तर है। उतना इन दोनों में है” किन्तु आज जब हम प्राकृत का टवर्गध्वनि-प्रचुरता देखते हैं तब हमें कवि की उस उक्ति में सदेह होने लगता है। फारसी की एक कहावत का अर्थ है—

“फारसी मधुर भाषा है।” इस प्रकार हर एक को अपनी भाषा में गुण और अन्यो की भाषा में अपेक्षाकृत अवगुण दिखाई देते हैं और इस क्षेत्र में भी हमें तुलसीदास की यह अनुभूति याद आ जाती है —

निज कवित्त केहि लाग न नीका । सरस होउ अथवा अति फीका ।

चौथा वाद

प्रयत्न-लाघव—मनुष्य का स्वभाव है कि अपने प्रयोजन की मिद्धि के लिए, लक्ष्य तक पहुँचने के लिए कम से कम प्रयत्न करे और यदि एक ही जगह पर पहुँचने के लिए दो मार्ग हो तो छोटी-मोटी बाधाओं की भी पर्वाह न कर छोटा और सीधा रास्ता ही पकड़े। पहाड़ पर रोज ही का अनुभव है कि चक्करदार चौड़ी सड़क को छोड़ कर ऊबड़-खाबड़ पगडंडी पर ही अधिक लोग चढ़ कर रास्ता और समय की बचत कर लते हैं। फाटक पर ‘आम रास्ता नहीं’ का नोटिस मोटे अक्षरों में टंगे होने पर भी यदि आप के बगले से कहीं जाने का सीधा रास्ता मिलता है तो आपकी नजर बचा कर लोग आपके बगले में हो कर जाने की अनधिकार चेष्टा करेंगे ही। और गाँवों में मेढ़-मेढ़ न चलकर बौए हुए खेतों को रौंद कर जाने वालों की शिकायत और ऊपर से गाली-गलौज की बाँछार हुआ ही करती है। कुली को छ पैसे की जगह अगर चार ही पैसे देने पर वह चला जाय तो कौन समझदार आदमी दो पैसे की बचत कर लेना न चाहेगा? केवल परीक्षा में पास हो जाने को ही अपना परम लक्ष्य रखने वाले विद्यार्थी को महत्त्व के ही अर्थों पर निर्भर रहने और ग्रंथों के शेष अर्थों को छोड़ जाने से कौन अध्यापक रोक सकता है? इस प्रकार जिधर भी निगाह डाली जाय हमें मनुष्य के कार्यों में प्रयत्न की बचत करने का सिद्धांत अतिनिहित दिखाई देता है। यही सिद्धान्त भाषा के परिवर्तनों के मूल में भी हो सकता है।

प्रयत्न-लाघव का यह सिद्धान्त तरह-तरह में भाषा में काम करता

हुआ दिखाई देता है। और कहीं एक चीज में प्रयत्न-लाभ कर के दूसरी में प्रयत्न-वृद्धि से ही सुविधा मालूम होती है। सुविधा ही प्रयत्न-लाभ की जड़ है।

भाषा के वे अक्षर जो बहुधा प्रयोग में आते हैं उनका मूल अक्षर तो रह जाता है किन्तु शरीर विकल हो जाता है। अभिवादन के शब्द व्यक्तियों के नाम, मर्वनाम, बहुव्यवहृत अव्यय इत्यादि में काफी विकार होने पर भी मूल स्थित रहता है। इसका कारण यही है कि बहुव्यवहार के कारण इनका अस्तित्व मस्तिष्क में निश्चित स्थान प्राप्त कर लेता है पर प्रयोग की अधिकता के कारण इनको अक्षरों से बोलने से ही काम चल जाता है। शास्त्र में दडवत् प्रणिपात करके गुरु को अभिवादन करने का विधान दिया है और अनुमान है कि रघु-वश के निर्माता के काल में ऐसी प्रथा भी थी। धीरे-धीरे सारी देह को जमीन पर न टिका कर केवल दोनों हाथों को जोड़ कर टिकाने का प्रयत्न-लाभ किया गया। इसके लिए शरीर झुकाना तो पड़ना ही था, फिर जमीन तक हाथों को न ले जाने की प्रथा चल पड़ी होगी। यह प्रयत्न-लाभ की दूसरी अवस्था आई। और तीसरी अवस्था थी अपने सिर को थोड़ा झुका कर अजलि उम पर टेक देना। और अब गुरु के अभिवादन की चरम-सीमा बिना शरीर का काँई भी अवयव झुकाए हाथ जोड़ देना है, और कभी-कभी ये हाथ मस्तक के ठीक सामने न आकर दाएँ-बाएँ कंधे के सामने ही दिग्वाँई पड़ने हैं जिममें दडवत् प्रणिपात की तो नहीं, हाँ दडवत् प्रहार की मुद्रा की आशंका होती है। इसी प्रकार बदगी करने का पुराना ढंग यह था कि शरीर को काफी झुका कर दाहिने हाथ को अपने मस्तक पर ले जाकर अर्ज करना और इसकी चरम सीमा आज यह है कि हाथ (कभी-कभी बाँया भी) मस्तक तक जाता है जिससे यह आशंका होती है कि मस्तक पर बैठी हुई मक्खी को उड़ा देने का उद्योग तो नहीं है। इसी प्रकार भाषा के भी प्रयत्न-लाभ के उदाहरण दिए जा सकते हैं। कुछ ये हैं —

अपर > अवर > अउर > और > औ > अ

तत > तत्रो > नउ > त

खलु > कखु > हु > उ

साहव > साव

जय गमजी की > जय राम > जै राम

हुजूर > जुर

बाब् > बाउ

बाप साहव > बा साव, मास्टर साहव > माट् साव > माभसाव

माई > भइ

घीरेन्द्र > धीरेन, रामेश्वर > रमेमुर, गोपीकृष्ण > गोपी, कृष्णमानसिंह > कृष्णा आदि। अथवा हीराबल्लभ दादा > हिरदा, पद्मादत्त दादा > पद्दा
मुर्वारा > मुईरा, बडी जिर्जी > बडी जी।

अम्लि > अतिय > आपि

आक्षेति > आछइ > आछे > आहि > हउ > है

वर्तते > बइइ > बाटइ > बा

त्वया > तुए > तुइ, तू

मया > मए > मइ, में

बलाघात और भावातिरेक में भी भाषा में परिवर्तन होता है और इसके मूल में भी सुविधाजनक प्रयत्न-लाघव है। बलाघात के समय हम किसी विशेष अक्षर पर अधिक प्राणशक्ति खर्च कर देते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि उस अक्षर का अस्तित्व तो दृढतर हो जाता है पर पास-पड़ोस के अक्षर कमजोर पड़ जाते हैं और एक आध उनमें से गायब भी हो जायें तो अचरज नहीं। प्राचीन अलावु शब्द के वर्तमान दो रूप आल् (मालवी) और लौकी (हिन्दी) मिलते हैं। इनमें आल् उम प्राकृत से आया हुआ रूप है जिसमें बलाघात प्रथम अक्षर पर था और लौ-(की) उसका जिसमें बलाघात उपधा के अक्षर पर था। इसी प्रकार भावातिरेक में भी भाषा में परिवर्तन आ जाता है। बच्चे के पाँव को दुलार में पड़ियाँ और गाल को गल्लू कहने लगते हैं। ब्रजनारी की बाँह का बाँहियाँ रूप, मोहक मोहन के

अतिशय प्रेम का ही द्योतक हो सकता है। इसी प्रकार गुस्से में रामेश्वर का रमसुरा हो जाना अथवा कल्लू का कल्लुआ हो जाना स्वाभाविक है। अतिशय प्रेमातिरेक में भी मनुष्य अपने स्निग्ध जनो के नाम विगाड़ कर बोलता है—बहू का बहुरिया, ननद का ननँदिया या भौजाई का भौजइया रूप स्नेह का सूचक है। कभी-कभी जोर देने के लिए स्वर अथवा व्यजन की मात्रा दीर्घ हो जाती है—नदी (नदी), बन्धू (बावू) आदि उदाहरण है। इन्हीं में से एकाध कारण शब्दों के वर्धित रूपों के मूल में है—उत्तरप्रदेश के पूर्वी जिलों में सज्ञाओं को बढ़ा कर बोला जाता है यथा, लोटवा, धोडवा, कुतवा-कुतउना, मुअना आदि। दिल्ली की तरफ ह की जगह हैगा, है की जगह हेंगे का प्रयोग भी जोर देने की भाषा का उदाहरण है।

बड़े-बड़े शब्दों के पूरे रूप का उच्चारण न करके उनके आदि के अक्षरों को अथवा समस्त शब्द के प्रथम पद को ही बोल कर काम निकालना भी प्रयत्न-लाघव के सिद्धान्त का ही उदाहरण है। इक्का (गाड़ी), कापी (-बुक) क्वाटिंग (-पेपर), जोड़ी (घोड़ों आदि की) मोटर (कार) तथा वा० सी० (वाइसचैसलर) डी० सी० (डिप्टीकमिश्नर) सुदि (शुक्ल त्रिवस—शुक्ल पक्ष का दिन अर्थात् तिथि), बदि (बहुल-कृष्ण दिन, कृष्णपक्ष का दिन अर्थात् तिथि) आदि तथा अंग्रेजी एन्० सी० ओ, एम० डी० ओ, एस० ओ० आदि इसके उदाहरण हैं। शब्दों या शब्दसमूहों को प्रयत्न-लाघव के लिए छोटा कर के बोलने के कुछ विलक्षण परिणाम हो जाते हैं। गली में “लेउ साग बयुई का” यह आवाज सुन कर हम बेचने वाले को “ए बथुई” कह कर बुलाते हैं। जानकी (प्रसाद), लक्ष्मी (शकर), शारदा (प्रसाद) आदि पुरुष प्रयत्न-लाघव में जानकी आदि कहे जाते हैं, और इन्दु (मती) इन्द्रा (-शी) आदि स्त्रियों इन्दु आदि। फैजाबाद आई, बनारस गई लखनऊ जाई आदि में विशेष प्रयत्न-लाघव दिखाई पड़ता है और इन पृथिल्लग नगरवाची शब्दों से स्टेशनों पर इन नगरों को आने-जाने वाली गाड़ियों का बोध होता है।

बोलते समय प्रयत्न-लाघव की दृष्टि से मन बहुधा आगे की ध्वनियों पर दौड़ जाता है और इसके कारण तरह-तरह के ध्वनि-विपर्यय भाषा में आ जाते हैं। सामान्य रीति से नीचे लिखे प्रकार के परिवर्तन देखे गए हैं।

(१) ध्वनि-विपर्यय—जिन पदों में म् या ल् की ध्वनि रहती है उनमें विशेष रूप से यह देखा गया है। यह विपर्यय कभी दो ध्वनियों में ही होता है और कभी सम्पूर्ण अक्षरों में। और यह परिवर्तन पहले-पहल वच्चों और अज्ञों की बोली से आरम्भ होता है और नियंत्रण न होने पर टिक जाता है। हिन्दी के नरसलज (लखनज), डबना (बुडना), कुलफी (कुफली), अरमूद (अमरूद), चिन्ह (चिह), मतबल (मतलब), नहाना > हनाना, तकुआ > कतुआ, बसक (बकस), जवेली (जलवी), और संस्कृत का वल्मीक (वैदिक वम्री वम्र) तथा अंग्रेजी वर्ड (थिड्ड), ऑम्क (आपस), वॉस्प (वॉस) अवे० वफ (स० वप्र) फा० बर्फ इसी के उदाहरण हैं। दो-तीन ध्वनियाँ यदि पास ही पास लगानार आवे तो इस भूल की संभावना अधिक रहती है। बचपन में बहुधा तो तचतउ तचत तो तचिहै आदि वाक्यों के उच्चारण का अभ्यास ग्विलवाड में ही भाषा की शुद्धि कायम रखने के लिए करा दिया जाता है।

(२) ध्वनि-लोप या अक्षर-लोप—जब दो समान ध्वनियाँ या समान अक्षर पास ही पास आते हैं तब प्रयत्न-लाघव से अनजान में ही उनमें से एक का लोप हो जाता है, यथा स० जहि > जहीहि, स० मधुध - मधुधुध, स० वृथा < वृत था, पा० आपतिस्सावो आपतिस्सववासो अव० बिलइया < बिलालिआ < विडालिका तथा गहटीन > गह्नीन, हि० बडी जिज्जी > बडिजी, हि० छोटी जिज्जी > छोटी जी।

(३) समीकरण—जब दो विभिन्न ध्वनियाँ पास-पास आती हैं तो प्रयत्न-लाघव में वे दोनों सम हो जाती हैं। यह समीकरण दो प्रकार का होता है—(क) मस्तिष्क एक ध्वनि पर जमा हुआ है और उसी समय आगे आने वाली ध्वनि का आभास आ गया तब पिछली ध्वनि ही आगे आने वाली ध्वनि को अपनी-सी कर लेती है, अथवा (ख) जब मस्तिष्क एक ध्वनि पर आधा ही ठहरा था तभी

अगली ध्वनि आ बमकी और उसने पिछली ध्वनि को सम कर लिया। इस प्रकार जब परवर्ती ध्वनि पूर्ववर्ती के समान हो जाय तो उसे पुरोगामी समीकरण और जब पूर्ववर्ती ध्वनि परवर्ती के समान हो जाय तो उसे पश्चगामी समीकरण कहते हैं। किसी शब्द में इन दो समीकरणों में से कौन-सा होगा यह बात प्रायः सदा ही उन दोनों ध्वनियों के आपेक्षिक बल तथा उनके बलाघात पर निर्भर होती है और बलवती ध्वनि सदा निर्बल को दबा देती है।

उदाहरणार्थ—

(क) पुरोगामी—म० लग्न > प्रा० लग्न, स्तृणोति (स्तृ + नोति), दाटम् (दश् + तम्), स० यस्य > प्रा० जस्स, स० निषरण > प्रा० निसिन्नो।

(ख) पश्चगामी—स० भक्त > प्रा० भत्त, म० सर्प > प्रा० सप्प, स० वल्कल > प्रा० वक्कल, स० चतुष्क > प्रा० चउक्क, स० दुग्ध प्रा० दुद्ध, म० असूया, > प्रा० उसूया, स० इक्षु > प्रा० इक्खु हि० मार डाला > माड्डाला, हि० चोर ले गाा, चोल्ले गया, हि० उँगली उँगुली < स० अगुली।

उच्चारण की सुविधा की दृष्टि से और कई प्रकार के प्रयत्न-लाघव देखे गये हैं। जब हम कोई उच्चारण क्रम से करते हैं और उस क्रम के बीच में कोई अवयव विषम बैठता है तब उसको भी क्रम में सम कर लेने की प्रवृत्ति होती है, यथा गिनती गिनते समय तैतालीस और पैतालीस के बीच के विषम चौआलीस का चौतालीस हो जाना, अथवा तिरपन और पचपन के बीच चौअन का चौपन हो जाना समझ में आता है।

(४) विषमीकरण—कभी-कभी पार्श्ववर्ती सम ध्वनियों के उच्चारण में असुविधा जान पड़ती है तब प्रयत्न-लाघव के लिए उनको विषम (परस्पर भिन्न) कर लेते हैं, यथा म० पक्व > प्रा० पिक्क, स० मुकुट > प्रा० मउड हि० मौर, स० मुकुल > प्रा० मउल हि० बौर, श्रथ् धातु से स० शब्द श्रिथिर बनना चाहिए पर उससे श्रिथिल के द्वारा शिथिल हुआ, स० अष्टमी > हि० अट्टिमी।

(५) **स्वरभक्ति**—सयुक्ताक्षरो के बोलने में विशेष प्रयत्नगील रहने की जरूरत होती है। इस असुविधा को हटाने के लिए मन अपने आप उस सयोग को, बीच में ओर कोई ध्वनि लाकर, दूर कर देता है और दो व्यजनो के सयोग को दूर करने के लिए एक छोटा-या स्वर ला धरता है। सस्कृत से प्राकृता में विकसित होते समय इस प्रवृत्ति के बहुतेरे उदाहरण मिलते हैं, स० रत्न < प्रा० रदण, स० कृष्ण प्रा० कृष्ण, इसी प्रकार मत् > भगत, इन्द्र > इन्दर, प्रसाद > परसाद। सस्कृत शब्दों का पंजाबी लोगो के मुख से उच्चारण आज भी इसके बहुत से उदाहरण उपस्थित करता है। इस प्रकार दो व्यजनो के बीच स्वर रख देने को स्वरभक्ति कहते हैं। दो सयुक्त ध्वनियो के बीच में स्वर ही नहीं, कभी-कभी व्यजन (बहुधा ह्, या न) भी ले आते हैं, यथा हि० तैरना का उच्चारण तहैरना, प्रा० वक्क हि० बाका, स० दर्शन पा० दम्सन प्रा० दसन।

कभी-कभी दो स्वरो के बीच में व्यजन रखने के उदाहरण भी प्राकृत में मिलते हैं, यथा अपस्सि उत्तिरणपद > अपस्सि मुत्तिरणपट।

(६) **अग्रगम**—बोलते समय आरम्भ में ही कोई ऐसी ध्वनि आ जाती है या सयुक्ताक्षर आ जाता है जिसके उच्चारण में कठिनता मालूम होती है तब उस शब्द के पूर्व कोई स्वर अनजान ही आकर सहायता करता है। स्त, स्त्र, स्न आदि सयुक्ताक्षर प्राकृत काल में ही उच्चारण में दुख देते रहे हैं, इसी कारण प्राकृत का इत्थी स० स्त्री मिलता है। आज भी स्त्री, स्नान, स्कूल, स्टेशन, को हम इस्त्री, अस्नान इस्कूल, इस्टेशन कहते हैं और पंजाबी भाई स्वरभक्ति का सहारा लेकर सणारण, सकल, सटेशन, बोलते हैं। र-ध्वनि भी शब्द के आरम्भ में कठिन प्रतीत होती है, इसीलिए कुछ लोगो के उच्चारण में राम का अराम सुनाई देता है, यद्यपि वे यही समझते हैं कि हम राम ही कह रहे हैं। इस सुविधा के प्रयोग को अग्रगम कहते हैं।

(७) **उभय सम्मिश्रण**—बोलते समय एक ही विचार के वाचक दो-शब्द कभी-कभी एक साथ मस्तिष्क में उद्बोधित हो जाते हैं और

परिणाम-स्वरूप दोनों के सम्मिश्रण से (जिसमें एक का अग्रग और दूसरे का अतिमात्र होता है, एक नया ही शब्द बन जाता है। प्राकृत *देक्स्*, *दिस्सइ* तथा *पेक्खई* के मेल से, अव० *फिन*, *फिर* और *पुनि* के मेल से, पा० *दुवे* और *उभय* से *दुभय* आदि रूप उदाहरण हैं।

जिस प्रकार समानार्थक दो शब्दों के सम्मिश्रण से नया ही शब्द बन जाता है, उसी प्रकार वाक्य में दो वकल्पिक विन्यासों के कारण नया ही भ्रान्त विन्यास हो जाता है। प्राकृत (बोलचाल की) भाषाओं में बहुधा इसके उदाहरण मिलते हैं। सकर्मक, अकर्मक प्रयोगों तथा कर्तृवाच्य कर्मवाच्य आदि के व्यवहार में यह भूल अधिकांश में देवी जाती है। गलत परसर्ग के प्रयोग में भी यही बात मूल में है। उदाहरणार्थ

पा० *तुम्हेहि खादित्त्वाहारतो द्वा खादेय्याय* (ससर्जातक)।

हि० हमने गये (हम गये), (हमने देखा), हम लकड़ी तोरी (हमने लकड़ियाँ तोड़ी)।

(८) स्थान-विपर्यय—कभी-कभी बोलने में ध्वनियों के स्थान में उलट-फेर हो जाता है जो प्रयत्न-लाघव का ही उदाहरण है, जैसे, स० *आश्चर्य* > प्रा० *अच्छेर*, म० *कार्य* फेर। यहाँ *अर्य* और *आर्य* में बीच में *र* था और *इधर उधर अ य* तथा *आ य*। प्राकृत के नियम से *अय* > *ए* और *आय* > *अय* > *ए* बदल गए और *र* उनके बाद जा पड़ा।


विदेशी शब्दों के अगीकार करने में जो परिवर्तन स्वाभाविक रीति से हो जाते हैं वे भी प्रयत्न-लाघव के कारण ही होते हैं। *गरीब* > *गरीब*, *सिग्नल* *सिगल*, *वाइट्जमैन* > *पैटमन*, *बगत* > *बखत*, *टाइम* *टेम*, *गार्ड* > *गारद*, *हॉस्पिटल* > *अस्पताल*, *फा० रास्ता* > *रस्ता*, *अव० रस्ता*, *फा० बस्ती* > *अव० बहती* आदि इसी के उदाहरण हैं। हिन्दू-विश्वविद्यालय का *आर्ट्स कालेज* इक्के-ताँगे वाले के मुख से *आठ कालेज* हो गया और बाद में जो *सायस् कालेज* बना उसका नाम उच्चारण की शुद्धता स्वरूप *आठ कालेज* के वजन पर नौ *कालेज* बन गया। प्रयाग में *यूनिवर्सिटी* को प्रायः ताँगे वाले *अनवरसीटी* कहते हैं। पूर्व काल के

स्वदेशी शब्द भी परकाल में तत्कालीन शब्दों के मेल-जोल में बदल में जाते हैं, अवध की अपठ गाने वालियों के मुख से मगलाचार की जगह मगलाचारि मुना गया है क्योंकि चारि (सम्ब्यावाचक) शब्द पूर्व-परिचित था। प्रयाग में कोई-कोई समझदार भिखमगे आशीर्वाद देते समय 'बाबू लाट कमडल होइ जा' कहते हैं। कमडल शब्द स्पष्ट ही विदेशी कमाण्डर का स्वदेशी रूप है जिससे भिखारी पहले से ही परिचित है। हर भाषा के कोष में थोड़े-बहुत विदेशी शब्द पूर्ण रूप से घुली-मिली अवस्था में रहते हैं।

संस्कृत भाषा की सधियों के प्रायः सभी नियम सुविधा अर्थात् प्रयत्न-लाघव के द्वारा ही भाषा में आए होंगे।

दसवाँ अध्याय

ध्वनि-यंत्र



पर के जो अवयव बोलने के काम में लाए जाते हैं उनके समूह यंत्र कहते हैं। पर अवयवों के इस समूह का यह नाम विद्वानों

ने केवल सृष्टि की दृष्टि से ही रख छोड़ा है, वस्तुतः यह नाम उचित नहीं क्योंकि पशुओं के भी ये अवयव होते हैं और उन्हीं की भाँति हम भी इन अंगों से, मुख्य रूप से, दूसरा ही काम लेते हैं। ध्वनियों का उच्चारण इनका गौण काम है। जैसे मुरख रूप से अन्य काम के लिए बनी हुई उँगलियों से हम हारमोनियम, सितार आदि बजा लेते हैं उसी प्रकार इन अवयवों से ध्वनियों का भी उच्चारण कर लेते हैं।

मनुष्य जीवन भर निरंतर श्वास लेता और बाहर फेकना रहता है, जिस श्वास को हम बाहर फेकते हैं उसी की विचित्र विकृति से ध्वनियों की सृष्टि होती है। साँस लेने और फेकने के लिए हमारे सीने में दो फेफड़े हैं जो श्वासी का काम देते हैं और ये श्वास-नालियों द्वारा हमारे गले की श्वास-नालिका से संबद्ध हैं। गले में श्वास-नालिका के अलावा एरु और नालिका है जिसके द्वारा खाना-पानी आमाशय में पहुँचना रहता है और आमाशय, पक्वाशय, मलाशय में जो वायु बनती है वह अपान वायु होकर निकल जाती है और कभी-कभी ऊपर की भी उकार के रूप में आ जाती है। पर यह उकार भोजन नालिका से ही निकलती है, श्वास-नालिका से नहीं। श्वास-नालिका और भोजन-नालिका दोनों को अलग-अलग रखने के लिए बीच में एक मजबूत झिल्ली की दीवार है, पहली का संबंध श्वास-नालियों द्वारा फेफड़ों से है, दूसरी का आमाशय से, पहली आगे की ओर है, दूसरी पीछे की ओर। इन दोनों नालिकाओं का अलग-अलग काम है। श्वास-नालिका में जरा भी पानी या खाना अंदर नहीं पहुँचाया जा सकता। आदमी कभी-कभी यदि खाते-पीते समय बोल या हँस पड़े तो पानी या पान आदि का कोई अंश श्वास-नालिका के ऊपरी हिस्से में पहुँच जाता है। और तुरन्त उछू और निरंतर खाँसी के द्वारा बाहर आ जाता है। यदि बाहर न आए और श्वास-नालिका में टिक जाय तो मनुष्य का जीवन रहना संदिग्ध हो जाता है। सुपारी कम टुकड़ा एकाध बार श्वास-नालिका में पहुँचा नहीं कि कुछ ही क्षण में मौत आ गई।

श्वास-नालिका के ऊपरी हिस्से में स्वर-यंत्र है। स्वर-यंत्र स्वर-

तत्रियों का समूह है। इसमें बहुत महीन-महीन तत्रियाँ होती हैं, मनुष्य-निर्मित बढिया से बढिया और सूक्ष्म से सूक्ष्म वाजे के भी तारों से कई गुना महीन। ये तत्रियाँ श्वास-नालिका के ऊपरी हिस्से के दो कोनों में आमने-सामने दो हिस्सों में बटी हुई रहती हैं। आपेक्षिक दृष्टि से ये तार बच्चों के छोटे होते हैं और मनुष्य की शारीरिक वृद्धि के अनुपात से बढ़ते रहते हैं। तब भी पुरुष के स्वर-यत्र के तार स्त्री के तारों से बड़े होते हैं। स्वर-तत्रियाँ चार विभिन्न प्रकारों से स्थित रहती हैं—(१) दोनों समूह अलग-अलग निस्पन्द पड़े रहते हैं और बीच से साँस आती-जाती रहती है, (२) दोनों समूह आकर वीणा के तारों की भाँति आपस में टक्कर मारते हैं और गान के स्वरों, ध्वनि के गुण सुर, अथवा ध्वनि के घोष की सृष्टि करते हैं, (३) दोनों समूह आपस में जुट कर खड़े हो जाते हैं और श्वास के निकलने में पूरी तरह एक क्षण के लिए बाधा उपस्थित कर देते हैं और (४) दोनों समूह आकर जुट जाते हैं पर नीचे की ओर थोड़ा-सा भाग श्वास के आने-जाने के लिए छोड़ देते हैं। प्रथम अवस्था, जब हम नाधारण रीति में साँस लेते हैं या अघोष ध्वनियों का उच्चारण करते हैं तब की है, दूसरी जब सघोष ध्वनियों का उच्चारण करते हैं, तीसरी जब हम स्वर-यत्रोद्भूत व्यंजन (हमजा) बोलना चाहते हैं, और चौथी फुमफुसाहट के समय की है। इस प्रकार श्वास में ध्वन्यात्मक विकृति पैदा करने वाला प्रथम अवयव स्वर-यत्र है। इस विकृति की स्थिति के काल के अनुसार घोष की मात्रा, प्रकार के अनुसार उदात्त आदि अथवा षड्ज आदि स्वर तथा तारों के खिंचाव अथवा ढीलेपन के अनुसार तीव्रता उत्पन्न होती है।

श्वास-नालिका में विकृत हुई या अविकृत इस प्रकार की साँस मुख-विवर या नासिका-विवर में आती है। इन विवरों की दीवारों में, यदि स्वर-यत्र द्वारा विकृत होकर आई है तो उसकी प्रतिध्वनि करने की सामर्थ्य होती है। मुख-विवर और नासिका-विवर दोनों को अलग-अलग रखने के लिए एक दीवार है जो अदर की ओर कौबे

(अलिजिह्व) से आरंभ होकर ऊपर के दाँतो में समाप्त होती है—
 उधर से ही गिनने में इसके, कौवा सुकुमार तालु, कठोर तालु, वर्त्म-
 भाग (मसूडे) तथा दाँत हैं और दाँतो के बाहरी भाग में मसूडे के
 पाम जुड़ा हुआ ऊपर का ओठ है। मुख-विवर की नीचे की दीवार
 जीभ है जिसको विवरण की सुविधा के लिए चार भागों (जिह्वामूल,
 पश्चभाग, अग्रभाग और नोक) में विभाजित करते हैं। जिह्वा के
 नीचे एक विवर है जिसके नीचे की दीवार का अंतिम भाग मसूडे और
 नीचे के दाँत हैं और नीचे की दंतपक्ति के बाहरी भाग में जुड़ा हुआ
 नीचे का ओठ (अधर) है।

अलिजिह्व (कौवा) तीन अवस्थाएँ ग्रहण करता है —

(१) तन कर खड़ा हो जाता है (पट पड़ जाता है) और श्वास-
 नालिका और नासिका-विवर के परस्पर संबन्ध को बिल्कुल रोक देता
 है। परिणाम-स्वरूप सारी साँस मुख-विवर में ही आती है, नासिका-
 विवर में नहीं जाने पाती।

(२) बिल्कुल ढीला, शिथिल, गिरा हुआ रहता है और इस
 प्रकार श्वास-नालिका और मुख-विवर के संबन्ध को रोक रखता है।
 परिणाम-स्वरूप सारी साँस नासिका-विवर में ही आती जाती है।

(३) मध्यम अवस्था में रहता है जिसमें कुछ साँस मुख-विवर
 में आती है और कुछ नासिका-विवर में।

साधारण रीति में जब हम साँस लेते रहते हैं तब द्वितीय अवस्था
 होती है पर जब जुकाम के कारण नासिका-विवर बिल्कुल आच्छन्न
 रहता है और हम मुँह में साँस लेते हैं तब पहली अवस्था होती है।

ध्वनियों की दृष्टि से, अनुस्वार के उच्चारण में द्वितीय अवस्था,
 अनुनासिक व्यंजनो और सानुनासिक स्वरों के उच्चारण में तृतीय
 अवस्था और गेष में प्रथम अवस्था होती है।

जीभ भी विविध अवस्थाएँ ग्रहण करती है। साधारण रीति में
 साँस लेते समय वह ढीली पड़ी रहती है, बिल्कुल निष्पद, निष्क्रिय।
 कभी-कभी मुख-विवर में आई हुई साँस को वह बाहर निकलने में

रोकती तो नहीं, पर अपना कोई भाग थोड़ा बहुत उठा कर ऊपर (तालु) की दीवार और अपने बीच का रास्ता आपेक्षिक दृष्टि से सकुचित कर देती है (इस अवस्था में अकारादि स्वरों का उच्चारण होता है)। ऊपर की दीवार के किसी भाग का स्पर्श करके क्षण भर श्वास को रोक कर (क आदि) स्पर्श व्यजनो की सृष्टि करती है, अथवा ऊपर के किसी भाग के काफी समीप पहुँचकर (जिस अवस्था में पूर्ण रूप से श्वास के निकलने का मार्ग बंद भी नहीं रहता और बिल्कुल खुला भी नहीं रहता) (स् आदि) सघर्षी वर्णों की सृष्टि करती है। अथवा ऊपर काल की थोड़ी-सी मात्रा के लिए स्पर्श द्वारा श्वास का निर्गम रोक कर फिर सघर्ष करा के (च् ज् आदि) स्पर्शसघर्षी ध्वनियाँ बनाती है। कभी-कभी एक या दोनों पाठ्यों को ऊपर उठाकर ओर बीच में खाली रहकर प्रोक्षणीपात्र की शकल ग्रहण कर (ल) पार्श्विक ध्वनि का सृजन करती है। अन्यत्र प्रोक्षणी के आकार के पत्ते की तरह ऊपर उठ कर (र आदि) लोडित ध्वनि तथा इस प्रकार ऊपर उठकर और क्षणांतर में वह गिर कर (ड) उत्क्षिप्त ध्वनि बनाती है। जीभ की नोक नीचे के दाँतो पर, ऊपर चिकने हिस्से पर, और ऊपर खुरखुरे हिस्से पर अपने ऊपरी तल से या इसके भी ऊपर मूर्द्धाभाग (सुकुमार तालु और कठोर तालु के मधिमस्थान) पर अपने निचले तल से स्पर्श, सघर्ष आदि कर सकती है। जीभ का पिछला भाग सुकुमार तालु से अथवा अलिजिह्व से संयोग में आ सकता है। इस प्रकार यह चंचल जिह्वा विविध अवस्थाएँ ग्रहण करके श्वास-नालिका से बाहर आती हुई साँस को तरह-तरह से विकृत कर भाँति-भाँति की ध्वनियों की सृष्टि करने में सहायक होती है।

ओठ भी कई अवस्थाएँ ग्रहण करते हैं। दोनों आपस में सटकर अन्दर से आती हुई साँस को क्षण भर रोक कर ओष्ठ्य और दाँतो के स्पर्श में दतोष्ठ्य स्पर्श व्यजनो की सृष्टि कर देते हैं। दोनों आपस में अथवा दाँतो के बहुत निकट आकर ओष्ठ्य अथवा दतोष्ठ्य सघर्षी ध्वनियाँ बनाते हैं। स्वरों के उच्चारण में दोनों मिलकर थोड़ी या

बहुत गोलाकार शकल या कोनो की ओर फैलकर चौड़ाई ग्रहण करते हैं।

इस प्रकार हमारे ध्वनियंत्र में स्थानभेद और प्रयत्नभेद से अनंत ध्वनियों के उत्पादन की शक्ति है और प्रत्येक भाषा इन ध्वनियों की एक बहुत परिमित सख्या से ही अपना काम आसानी से चलाती है।

ध्वनि का लक्षण क्या है? आकाश में उत्पन्न विशेष लहरियों को जिन्हे मन श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा ग्रहण करता है उन्हें शास्त्रज्ञ शब्द कहते हैं और भाषा-विज्ञान की दृष्टि से मनुष्य के ध्वनियंत्र से निःसृत शब्द को ध्वनि कहते हैं। ध्वनियंत्र से निकला यह शब्द ग्रामोफोन आदि यंत्रों में सुरक्षित रक्खा जा सकता है और आवश्यकता के अनुसार श्रोत्रेन्द्रियद्वारा वार-वार ग्रहण किया जा सकता है। पर उसके ध्वनि होने के लिए मनुष्य के ध्वनियंत्र से प्रथम निःसरण आवश्यक है।

ध्वनि की इस प्रकार तीन अवस्थाएँ हैं—उत्पत्ति, प्राप्ति और वहन। प्रथम और द्वितीय अवस्थाओं का अध्ययन ध्वनि-विज्ञानी करता है और तृतीय का भूत-विज्ञानी।

ध्वनियंत्र से निकली हुई ध्वनियों को, उच्चारण करने वाला आदमी अपने लिए नहीं बोलता बल्कि दूसरे के लिए। और सुनने वाले मनुष्य में उन ध्वनियों को ग्रहण कर तुरत विचारधारा की सृष्टि हो जाती है और आवश्यकता के अनुसार वह प्रत्युत्तर देता है। इस प्रकार आदान-प्रदान ही उच्चारण का मुख्य ध्येय है और यह उच्चारण प्रेषक और प्रापक दोनों के बस में होता है।

ध्वनि का साधारण लक्षण ऊपर दिया गया है। मगर यदि और वारीकी से किसी विशेष ध्वनि का लक्षण करे तो प्रो० डेनियल जोस के अनुसार “ध्वनि मनुष्य के विकल्प-परिहीन नियत स्थान और निश्चित प्रयत्न द्वारा उत्पादित और श्रोत्रेन्द्रिय द्वारा अविकल्प रूप से गृहीत शब्द-लहरी है।” मनुष्य कोई भी ध्वनि नियत रूप से एक ही स्थान और प्रयत्न की नहीं बोलता। का, को, कू इन तीनों क् के उच्चारण में स्थान-भेद संभव है। काका के प्रथम और द्वितीय आ में मात्राभेद

संभव है। इस प्रकार हम लोग वाक्य की अन्य ध्वनियों के बीच में आपेक्षिक दृष्टि में स्थान के अनुसार तरह तरह की कू, खू, गू अथवा अ, आ, इ आदि ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। व्यवहार की दृष्टि से हम इनको अलग-अलग ध्वनियाँ नहीं मानते। का, की कू इन सब के कू को हम कू ध्वनि समझते हैं। विज्ञान की दृष्टि से इन्हे ध्वनि न कह कर ध्वनि-ग्राम (Phoneme) कहना चाहिए।

ध्वनि-ग्राम में स्थान और प्रयत्न की दृष्टि से प्रायः एकरूप कई ध्वनियाँ (यथा का की, कू, के आदि के क, मकर, बलकल, पक्का आदि के मध्य के क, वाक, धिक् आदि के अन्त के कू) समूहरूप से होती हैं और इनमें कोई ध्वनि जो उस भाषा में अधिक व्यवहार में आती है मुख्य सत्ता रखती है। प्रत्येक भाषा में इन ध्वनि-ग्रामों की संख्या परिमित होती है। जहाँ ध्वनियों के विषय में सूक्ष्म विवेचन नहीं किया जाता, वहाँ ध्वनि शब्द से तत्संबन्धी ध्वनि-ग्राम का ही अभिप्राय समझना चाहिए।

नोट—ध्वनि-यन्त्र का ऊपर दिया चित्र पिल्जबरी व मीडर की पुस्तक (दी साइकोलाजी ऑफ लैंग्वेज (The Psychology of Language) से लिया गया है। उसमें (क), (ख), (ग), (घ) स्वर-यन्त्रपिटक को सहारा देने की चार कोमल अस्थियाँ हैं। (क्ष), (त्र), (ज्ञ) ठुड्डी और जिह्वा के पास की हड्डियाँ हैं। (ह) जीभ के नीचे और ठुड्डी के ऊपर का विवर है। (अ), (आ) नाड़ियों के स्थान हैं। (इ) खोपड़ी के नीचे भाग की हड्डी है। (ई) खोपड़ी को सहारा देने वाली, गर्दन की रीढ़ का सबसे ऊपर का भाग है। (उ) गर्दन का केन्द्र भाग है। स्वरयन्त्र-पिटक से लेकर ऊपर नासिका-विवर के पास तक के श्वास-नालिका के भाग को उपरिनालिका कहते हैं। इसी नालिका के आगे निकले हुए भाग, कमरे से, मुख-विवर और नासिका-विवर हैं।

ग्यारहवाँ अध्याय

ध्वनियों का वर्गीकरण

पिछले अध्याय में ध्वनियों के उच्चारण के उपयोग में आने वाले अवयवों का उल्लेख किया गया है और बताया गया है कि भीतर में जो साँस बाहर की ओर श्वास-नालिका से होकर आती है, उसी में स्वरयन्त्र या मुख-विवर या नासिका-विवर आदि में कुछ रोक-थाम, विकार आदि उत्पन्न किए जाने से, ध्वनियाँ पैदा होती हैं। यह भी बताया गया है कि इन ध्वनियों की गिनती नहीं की जा सकती। हर एक भाषा अपनी ज़रूरत के अनुसार इनकी परिमित संख्या का इस्तेमाल करती है। ध्वनियों का वर्गीकरण दो बातों पर निर्भर है—स्थान और प्रयत्न। अन्दर से आती साँस को जिस जगह विकृत करते हैं उसी को उस ध्वनि का स्थान कहते हैं। यथा अन्दर से आती हुई साँस को यदि दाँतों के पास विकृत करे तो ध्वनि दन्त्य कहलाएगी। त् और स् दन्त्य ध्वनियाँ हैं क्योंकि भीतर से आनेवाली साँस को जीभ की नोक ने उठकर और दाँतों के पास पहुँचकर रोक दिया, अबाध गति से बाहर नहीं निकल जाने दिया। इस रोक-थाम, विकार के लाने में हमें जो काम करना पड़ता है उसको प्रयत्न कहते हैं। त् और स् दोनों दन्त्य हैं, पर त् स्पर्श ध्वनि है क्योंकि जीभ ने केवल थोड़ी देर के लिए दाँतों को छुआ, लेकिन स् सघर्षी ध्वनि है क्योंकि इसके बोलने में जीभ ने उठकर हवा निकलने के मार्ग को इतना सकुचित कर दिया कि हवा थोड़ी देर तक दाँतों पर सघर्षण करती रही। नीचे लिखे विवरण में स्थान और प्रयत्न का यह महत्त्व विशेष ध्यान से समझ लेना चाहिए।

प्राचीन काल से ही ध्वनियों के प्रायः दो वर्ग किए जाते हैं—स्वर और व्यंजन। और स्वर से तात्पर्य समझा जाता है उस ध्वनि

ने जो स्वतः बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बोली जा सके और अक्षर बनाने की सामर्थ्य रखती हो, तथा व्यजन वह ध्वनि है जिसका स्वन उच्चारण न हो सके और जो स्वयं स्वर की मदद के बिना अक्षर न बना सके। स्वर और व्यजन के ये लक्षण भी प्राचीन काल से व्याकरणों में चले आए हैं।


ध्वनि-विज्ञान के आधुनिक अनुसंधान से पता चलता है कि स्वर और व्यजन के ये लक्षण सर्वाधिक ठीक नहीं। व्यजन का भी स्वतः, बिना किसी स्वर की सहायता के, उच्चारण संभव है, यह प्रयोगों से सिद्ध हो चुका है। स, ल् आदि अकेली ध्वनियों को यदि हम सावधानी से बोले तो बिना स्वर की किंचित् भी मात्रा लाए इन्हे बोल सकने हैं। यह और बात है कि इन अकेली ध्वनियों का कोई अभिप्राय न हो। और भयुक्त व्यजन अक्षर भी बना सकते हैं, यथा अंगरेजी के गॉडन (garden) और बॉटल (bottle) शब्दों के द्वितीय अक्षर (डन् और ट्ल्) में कोई स्वर नहीं है तब भी वे अक्षर बन गए हैं। इनमें न् और ल् वर्णों ने अक्षर बनाने में सहायता दी है।

पिछले अध्याय में स्वर-यन्त्र के व्यापार का व्योरा देते समय बताया गया है कि जब इसके तार, वीणा के तारों की तरह आपस में टक्कर मारकर भीतर से आती हुई साँस को विकृत करते हैं तब घोष उत्पन्न होता है। सभी स्वरों में यह घोष मौजूद रहता है। ध्वनि-विज्ञान के अनुसार स्वर वह सघोष ध्वनि है जिसके उच्चारण में श्वास-नालिका से आती हुई श्वास धारा-प्रवाह से अबाध गति से मुख से निकलती जाती है और मुख-विवर में ऐसा कोई सकोच नहीं होता कि किंचित् मात्र भी सघर्ष या स्पर्श हो। आँ, ईँ, ऐँ आदि मानुषासिक स्वरों में साँस की कुछ मात्रा नासिका-विवर से भी अबाध गति से निकलती रहती है। स्वर के अतिरिक्त शेष सभी ध्वनियाँ व्यजन हैं। व्यजन वह सघोष या अघोष ध्वनि है जिसके मुख-विवर से निकलने में पूर्णरूप से अथवा कुछ मात्रा में बाधा उत्पन्न होती है। इस प्रकार स्वर और व्यजन के बीच का स्थूल भेदक लक्षण श्वास की गति का अबाध या सबाध होना

है। किन्हीं-किन्हीं व्यजनो में और उनके तद्रूप स्वरो में भेद की भित्ति बहुत अल्प है। वैदिकपूर्व प्राथमिक आर्य भाषा में छ अतस्थ (बीच की) ध्वनियाँ थी जो शब्द में अपने स्थान के अनुसार ही स्वर या व्यजन की सजा पाती थी। उन समय व्यजन रूप में ये य् र् ल् व् म् न् थी और स्वर रूप में इ ऋ ए, उ तथा स्वर ङ और ण थी। यह प्राथमिक आर्य भाषा, आर्य प्राचीनतम भाषाओं, वैदिक, ईरानी, लैटिन, ग्रीक आदि की जननी है इसका विवरण आगे दिया जायगा। वैदिक तथा उत्तर कालीन संस्कृत में अंतिम दो स्वर (म और न) विलुप्त हो गए और इनके स्थान पर अ का आदेश हो गया, उदाहरणार्थ गम् और मन् घातुओं के क्त-प्रत्ययात् रूप गत (ग + अ + त् + अ) और मत (म + अ + त् + अ) बनते हैं पर होने चाहिए थे (ग् + म् + त् + अ) और (म् + न् + त् + अ) इन म और न स्वरो की ध्वनि सभवतः उन म और न स्वरो की-सी रही होगी जो अँगरेजी आदि भाषाओं में गॉडन आदि शब्दों में आजकल भी स्वर का काम देते हैं। संस्कृत के बाकी चार अन्तस्थ स्वरो में से भी लृ और कुछ समय बाद ऋ का भी लोप हो गया। लृ और ऋ का क्या स्वरूप था, इसका ठीक-ठीक ज्ञान आज नहीं है। सभव है लृ अँगरेजी के बॉट्ल आदि शब्दों में प्रयुक्त ल के ढग की कोई ध्वनि रही हो। य् और व् व्यजन रूप में बहुत कमजोर पड़ गईं। सारांश यह कि वाक्य की ध्वनियों में कुछ का स्वरत्व या व्यजनत्व वाक्य की ध्वनियों में उनके विशेष स्थान पर ही निर्भर है।

स्वरो के उच्चारण में जीभ का कोई न कोई भाग थोड़ा या बहुत ऊपर को उठता है और इस भाग के नाम के अनुसार स्वरो में अग्र, मध्य, और पश्च का भेद किया जाता है। फिर श्वास के निकलने के लिए मुख आपेक्षिक दृष्टि से बहुत या कम खुलता है, इस दृष्टि में स्वरो की सजा विवृत (पूरा खुला हुआ), अर्धविवृत (अधखुला), अर्धसंवृत (आधा

बन्द) तथा सबृत (पूरा बन्द) होती है। ध्वनि-विज्ञान में चार अग्र स्वर और चार परच स्वर मूलरूप माने गए हैं—



सबृत (१ और ८) उच्चारण की वह आदर्श अवस्था है जिसमें जिह्वा का अग्र या परच भाग ऊँचे से ऊँचा उठ सकता है और स्वरत्व कायम रहता है, इससे जरा भी ऊँचा उठा कि स्पर्श या सघर्ष उत्पन्न होकर व्यंजन प्राप्त हो जायगा। विवृत (४ और ५) उच्चारण की वह अवस्था है जिसमें मुख-विवर अधिक से अधिक खुल सकता है, इससे अधिक की सभावना नहीं। अर्धसबृत (२ और ७) और अर्धविवृत (३ और ६) सबृत और विवृत के क्रम से इनके बीच की अवस्थाएँ हैं। विभिन्न भाषाओं के स्वरों का विवरण देने के लिए ये आठ स्वर आदर्श माने गए हैं और जिस प्रकार किसी गाँव में सरकारी (सर्वे) नाप विभाग द्वारा कुछ खूँटे गाड़ दिए जायँ तो उनकी दूरता और निकटता का उल्लेख करके प्रत्येक गृहस्थ अपने-अपने घर का निश्चित स्थान बता सकता है कि अर्मुक खूँटे से इतने गज पूरब, पच्छिम, उत्तर, दक्खिन में मेरा घर स्थित है, इसी प्रकार इन मूल स्वरों के उल्लेख में विशिष्ट भाषाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले विद्वान् उन भाषाओं

के म्वरो का विवरण दे सकत है। उदाहरण के लिए हिन्दी का इ स्वर म्वृति मे मूल म्वर न० १ से कुछ कम है और उसका आ स्वर मूल स्वर न० ५ के निकट है और पञ्च स्वर है न कि अग्र स्वर।

अग्रस्वरो के उच्चारण मे ओठ प्रायः न० ४ से लेकर न० १ तक उत्तरोत्तर फैलते ही जाते है और पश्चस्वरो के उच्चारण मे न० ५ से न० ८ तक अधिकाधिक गोलाकार होते जाते है। पर जर्मन, फ्रेच आदि भाषाओ मे ऐसे भी स्वर है जिनके अग्र होते हुए भी उच्चारण मे ओठ गोलाकार होते है, और शान भाषा से पश्च होने पर भी उच्चारण मे ओठ कोनो की तरफ फैलते है।

व्यजनो का वर्गीकरण स्थान और प्रयत्न के भेद के कारण होता है। म्वरयन्त्र मे उत्पन्न घोष के कारण व्यजन सघोष और अघोष कहे जाते है। सघोष व्यजन के भी दो भेद है—पूर्ण सघोष, अपूर्ण सघोष। पूर्ण सघोष वह व्यजन होता है जिके उच्चारण मे जिस समय जिह्वा उस स्थान पर पहुँच जाती है जहाँ से उस व्यजन का उच्चारण होता है उस समय से जब तक उस व्यजन का उच्चारण समाप्त नहीं होता तब तक बराबर घोष जारी रहता है, और अपूर्ण सघोष व्यजन मे बराबर जारी नहीं रहता, उच्चारण के आदि भाग, मध्य भाग या अन्त भाग मे होता है। उदाहरण के लिए अँगरेजो की ब् अपूर्ण सघोष है (क्योकि इसके उच्चारण के अन्तिम भाग मे ही घोष रहता है) और हिन्दी की पूर्ण सघोष।

जब भीतर से आती हुई साँस मे दोनो ओठो के द्वारा विकार लाया जाता है, तब उन ध्वनियो को द्वयोष्ठ्य कहते है। जब विकार नीचे के ओठ और ऊपर के दाँतो से उत्पन्न होता है तब ध्वनियाँ दन्तोष्ठ्य कहलाती है और जब केवल दाँतो से तब दन्त्य। ऊपर की दन्तपक्ति मे आगे जब तालु की ओर बढे तो मसूडे मिलते है। इस जगह को वर्त्स भाग कहते है और रहाँ उत्पन्न हुई ध्वनियो की वर्त्स्य। इस भाग से और ऊपर जो तालु का भाग है और जो उगली से छ्ने पर कडा (लुचलुबा नहीं) मालूम पडता है उसको तालु का नाम दिया गया है और उस

जगह पैदा हुई ध्वनियो को तालव्य का। इसके और आगे एक ऐसा सन्धि-स्थान है जहाँ पर आगे का भाग (कठोर तालु) और पीछे का भाग (कोमल तालु) मिलते हैं। इस सन्धि-स्थान का नाम मूर्धन्य है, और यहाँ पर पैदा हुई ध्वनियो का मूर्धन्य। कोमल (लुचलुचे) तालु पर उत्पन्न हुई ध्वनियो को आज भी कठ्य कहते हैं, यद्यपि यह नाम बहुत उपयुक्त नहीं क्योंकि यह स्थान कठ से भिन्न है। अलिजिह्व (कोवा) का उल्लेख विस्तार से पिछले अध्याय में हो चुका है। यहाँ उत्पन्न हुई ध्वनियो को अलिजिह्वीय कहते हैं। स्वरयन्त्र के भाग से ऊपर और नासिकाविवर से नीचे वाले श्वातनाटिका के हिस्से को उपरिनालिका और वहाँ पैदा हुई ध्वनियो को उपालिजिह्वीय कहने हैं। स्वरयन्त्र पर भी श्वास को एक साथ रोककर, या वहाँ विशेष घषण करा के जब विकार उत्पन्न किया जाता है तो उस ध्वनियो को स्वर-यन्त्र-स्थानीय कहते हैं। इस तरह स्थान के अनुसार व्यजन द्वयोष्ठ्य (प् आदि), दन्तोष्ठ्य (व्), दन्त्य (त आदि), दन्त्य (श), तालव्य (कठोर तालु वाल ट् आदि हिन्दी के), मूर्धन्य (सस्कृत के ट आदि), कठ्य (कोमल तालु वाले हिन्दी के क् आदि) अलिजिह्वीय (कग्) उपालिजिह्वीय (अरबी बड़ी हे और ऐन ह्, झ्) तथा स्वरयन्त्र स्थानीय (हमजा, ह्) होते हैं। इनके भी मक्षम भेद किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए दाँतो के अग्र, मध्य ओर पश्च भाग के स्पर्श के अनुसार अग्रदन्त्य, मध्यदन्त्य और पश्चदन्त्य होते हैं।

ध्वनियो के उच्चारण में तरह-तरह के प्रयत्न किए जाते हैं। यदि केवल दो अवयवों का स्पर्श करके भीतर से आती हुई साँस को रोक रक्खा जाय तो इस प्रयत्न से बनी ध्वनि को स्पर्श कहते हैं। यदि दो अवयव परस्पर इतने पास आ जायें कि उनके बीच से हवा सघर्षित होकर निकले, तो इस तरह पैदा हुई ध्वनि को सघर्षी कहा जाता है। यदि जीभ के एक या दोनो पाद्वी को उठा कर आती हुई साँस के बाहर निकलने में बाधा डाली जाय तो इस प्रयत्न में उत्पन्न हुई ध्वनि धार्श्विक कहलाती है। अगर जीभ को यथासभव लपेट कर ध्वनि निकाली जाय

तो वह ध्वनि लोडित की सजा पाती है। यदि इस तरह लिपटी हुई जीभ को एक क्षण उस अवस्था में रखकर, उसे झटके से फिर सीधा कर लिया जाय तो इस प्रकार श्वासे में उत्पन्न हुए विकार से बनी हुई ध्वनि को उत्क्षिप्त कहते हैं। स्पर्शसघर्षी ध्वनि के उच्चारण में किञ्चिन्मात्र स्पर्श और फिर सघर्ष होता है। इस तरह प्रयत्न के अनुभार व्यजनो के स्पर्श (क् आदि), सघर्षी (स् आदि), (स्पर्श-सघर्षी च् आदि), पार्श्विक (ल्), लोडित (र्), उत्क्षिप्त (ड्) आदि भेद होते हैं। इनमें से भी बहुतों के सूक्ष्म प्रभेद हो सकते हैं। उदाहरणार्थ स्पर्शव्यजनो के बहि स्फोटात्मक (जैसे हिन्दी के) अत स्फोटात्मक (सिधी की ज् व्) तथा उत्क्षेपात्मक प्रभेद होते हैं। प्रथम में साँस स्पर्श हटने ही फट् से बाहर निकल जाती है, द्वितीय में बाहर निकलने के पूर्व साँस को अंदर की ओर चूसने का-सा भाव होता है और तृतीय में एकत्रित की हुई साँस को ढकेल फेकने का-सा भाव होता है। विलक ध्वनियों का भी विशेष प्रयत्न से दत्, वर्त्स, तालु आदि स्थानों पर उच्चारण किया जाता है। हिन्दी आदि भारतीय भाषाओं में इनका प्रयोग करुणा (च च् च्) प्रेरणा (ट ट् ट्) आदि भावातिरेक को व्यक्त करने के लिए होता है पर अफ्रीका आदि कुछ विदेशों में भाषा में उनका उसी प्रकार प्रयोग होता है जैसे अपनी भाषाओं में स्पर्श आदि ध्वनियों का।

स्थानभेद का विचार करते समय नासिका का भी उल्लेख अभीष्ट है। स्पर्श व्यजनो में दन्त्य आदि के उच्चारण में जब साँस नाक से निकलती है तब न्, म्, ण् आदि अनुनासिक व्यजनो का उच्चारण होता है। इस प्रकार ब् और म् के उच्चारण में केवल इतना भेद है कि ब् के उच्चारण में सम्पूर्ण साँस मुख से निकलती है और म् के में वह नाक से निकलती है। प्राचीन भारतीय भाषाविज्ञानियों के अनुसार, अनुस्वार का स्थान केवल नासिका बताया गया है। यह ध्वनि आधुनिक भारतीय भाषाओं में नहीं मिलती, जहाँ हम इसका संकेत लिखते हैं वहाँ उच्चारण में कोई न कोई, वर्गों का पंचमाक्षर (ड, ब्, ण्, न्, म्) उपस्थित रहता है। प्राचीन भाषा के विषय में ऐसा अनुमान होता है कि

शब्द की ध्वनियों के मौखिक उच्चारण के उपरांत नासिकाविवर से गेष श्वास स्वतंत्र (और आपेक्षिक दृष्टि से पूर्वापर ध्वनियों से असंबद्ध) रूप से निकलती थी और यही अनुस्वार था।

य् और व् के दो रूप भाषाओं में मिलते हैं, एक तो पूर्ण व्यजनरूप जो शब्द के आदि में या किसी अन्य व्यजन के उपरांत आता है और दूसरा श्रुतिरूप जो दो स्वरों के बीच में (यथा लिया, हुवा), विशेष कर क्रमशः इकार और उकार के उपरांत आता है। इनका श्रुतिरूप बहुत थोड़ी मात्रा का होता है। यदि ये ध्वनियाँ कहीं दो व्यजनों या व्यजन और स्वर के बीच में आवे तब तो बहुधा तद्रूप स्वर (इ और उ) का रूप ग्रहण कर लेती हैं। साहित्यिक का वर्तमान हिन्दी में वास्तविक उच्चारण साहित्यिक ही है अन्य कुछ नहीं, और इसी प्रकार यदि कोई शब्द धात्वुक बनता तो उसका उच्चारण हिन्दी में धात्वुक ही होता और कुछ नहीं।

प्राचीन भाषाविज्ञानियों ने स्पर्श व्यजनों के दो भेद और माने हैं—अल्पप्राण और महाप्राण। प्राण अन्दर से आती हुई श्वास के बल का ही दूसरा नाम है। आपेक्षिक दृष्टि से ही अल्पता और महत्ता का प्रश्न है। ऐसा जान पड़ता है कि उस समय क् ग् आदि का एक साधारण प्राण के साथ उच्चारण था और एक अधिक प्राणशक्ति के साथ। आज भी अँगरेजी आदि भाषाओं में जहाँ महाप्राणत्व बलाघात के रूप में प्रकट होता है बलाघातयुक्त क् ध्वनि ख् सी सुनाई देती है, जैसे खात्र (कॉर) और खाट (कार्ट) में। प्राचीन संस्कृत की ख् घ् ङ्, ढ् आदि ध्वनियाँ इसी प्रकार की महाप्राणत्व-प्राप्त ध्वनियाँ रही होंगी। उत्तर काल में तो भारतीय भाषाओं में ख् घ् आदि ध्वनियाँ केवल सयुक्त ध्वनियाँ (क्+ह्, ग्+ह्) हो गईं और म्ह्, न्ह्, ल्ह्, र्ह्, ढ् (ङ्+ह्) आदि सयुक्त ध्वनियों की श्रेणी में आ गईं।

इस स्थान पर एक बात का और विचार कर लेना चाहिए। ध्वनियों के उच्चारण में कभी-कभी एक मुख्य स्थान होता है और साथ ही साथ युगपत् एक गौण स्थान भी हो सकता है। स्वरों के विवरण में

हम देव चुके हैं कि अग्र स्वरों के उच्चारण में प्रायः ओठों का फेंकना गौण रूप से मौजूद रहता है। इसी प्रकार व्यंजनो के उच्चारण में भी संभव है कि मुख्य स्थान कोई एक हो और गौण रूप में अन्य स्थान भी सहायता करना रहे। ऐसी अवस्था में ध्वनि का व्यक्तित्व अक्षुण्ण रहेगा, वह सयुक्तत्व को प्राप्त हुई नहीं कही जा सकती। उदाहरण के लिए वैदिक-पूर्व आर्य भाषा में ओष्ठ्य-गौणत्व-प्राप्त कवर्ग आर तालव्य-गौणत्व-प्राप्त कवर्ग के पृथक्-पृथक् अस्तित्व का अनुमान किया जाना है। इनका विशेष विवरण आगे चल कर आर्य परिवार की आदिम भाषा के व्यंगे में मिलेगा। संस्कृत के वैयाकरण चवर्ग को स्पर्श वर्ण मानते आए हैं और पद-रचना में क् और च् का व्यत्यय (पाक-पचाते, जलमुक-जलमुचौ) बराबर देखा जाता है। आधुनिक हिन्दी के उच्चारण में चवर्ग की ध्वनियाँ स्पर्श-सघर्षी हैं, केवल स्पर्श नहीं। इस विषयता की उपस्थिति में ऐसा अनुमान होता है कि वैदिक भाषा का चवर्ग, कवर्ग का ही तालव्य-गौणत्व-प्राप्त रूप था जिसमें च् आदि का स्पष्ट उच्चारण क् आदि के साथ य् की अल्पाति-अल्प श्रुति से मिश्रित होता होगा।

बारहवाँ अध्याय ध्वनियों के गुण

मात्रा, सुर और बलाघात—ये तीन, ध्वनियों के गुण कहलाते हैं। मात्रा काल की उस मात्रा का नाम है जो किसी विशेष ध्वनि के उच्चारण में लगती है। व्यवहार की दृष्टि से मात्रा ह्रस्व और दीर्घ होती है। स्वरतन्त्रियों के तनाव के कारण सुर उत्पन्न होता है और माधारण रीति से सुर उच्च, नीच और सम कहा जाता है। किसी विशेष ध्वनि पर, वाक्य अथवा पद की अन्य ध्वनियों की अपेक्षा, उच्चारण में अधिक प्राण-शक्ति लगाना बलाघात कहलाता है।

भाषा की प्रत्येक ध्वनि के बोलने में कुछ न कुछ समय लगता है। प्राचीन भारतीय भाषाविज्ञान ने केवल स्वरों की ही मात्रा का उल्लेख किया है और उनकी ह्रस्व दीर्घ और प्लुत सज्ञाएँ की हैं। एक-मात्रिक ह्रस्व, द्विमात्रिक दीर्घ और त्रिमात्रिक प्लुत कहलाते थे। सामान्यरूप से प्लुत स्वरों का भाषा में प्रयोग नहीं होता था, पुकारने आदि में वे काम में आते थे। अन्य दोनों का प्रयोग प्रचुर मात्रा में प्राप्त है। आधुनिक अनुसन्धानों से इतना और मालूम हुआ है कि व्यंजनो के उच्चारण में भी काल की मात्रा से नाप हो सकती है और यहाँ भी ह्रस्वदीर्घ आदि सज्ञाओं का व्यवहार किया जा सकता है, उदाहरणार्थ पका में क् ह्रस्व और पका में क् दीर्घ, कसक में स् ह्रस्व और कसस में स् दीर्घ है। व्यंजन का दीर्घत्व लिखाई में द्वित्व से व्यक्त किया जाता है। वस्तुतः देखा जाय तो हिन्दी में स्वरों की अपेक्षा व्यंजनों को ह्रस्व दीर्घ कहना अधिक उपयुक्त होगा क्योंकि उल्लिखित ह्रस्व और दीर्घ स्वरों (अ आ अथवा इ ई आदि) में स्थानभेद पर्याप्त है किन्तु ह्रस्व और दीर्घ (क् क् आदि व्यंजनों में स्थान-भेद बिल्कुल ही नहीं है, केवल उच्चारण में लगने

वाले समय की मात्रा में ही भेद है। ह्रस्व ध्वनि में दीर्घ ध्वनि की अपेक्षा ठीक-ठीक आधा ही समय लगता है, यह समझ बैठना भूल होगी। एक ही शब्द में एक ही ध्वनि दो विभिन्न स्थानों पर आने से ही मात्रा में भिन्न होगी। शब्द के अन्त में आने वाला स्वर बहुधा उसी शब्द में प्रयुक्त अन्य-स्थानीय उसी स्वर से मात्रा में कम होता है। काला शब्द का उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है। पटवर्धन शब्द में प ट व तीनों के स्वर ह्रस्व कहे जाते हैं पर ट के अ की अपेक्षा प का अ और उसकी भी अपेक्षा व का अ मात्रा में अधिक है। सयुक्त व्यंजनो अथवा दीर्घ व्यंजनो के पूर्व आने वाला स्वर मात्रा में दीर्घ होता है चाहे लिखाई में ह्रस्व ही अंकित किया जाय। स्पर्श ध्वनियों की अपेक्षा सघर्षी ध्वनियाँ मात्रा में दीर्घ होती हैं। बलाघात प्राप्त करके भी ध्वनि मात्रा में दीर्घ हो जाती है।

जब ह्रस्वत्व दीर्घत्व का ठीक-ठीक आधा नहीं होता और ह्रस्व ध्वनि लिखाई में ह्रस्व होती हुई भी उच्चारण में दीर्घ हो सकती है तब ह्रस्व और दीर्घ सज्ञाओं का व्यवहार किस प्रकार साध्य है? इसका उत्तर यही है कि हर भाषा का व्यवहार करने वाला जहाँ भाषा की अन्य बातें सीखता है वहाँ अपनी भाषा के ह्रस्व-दीर्घ के भेद को भी हृदयगम करता रहता है और यदि किसी विशेष शब्द में अकार की मात्रा ३० इकाई और आकार की ४० इकाई हुई तो भी एक ही वाक्य में ३० इकाई के आकार के प्रयोग को ऊपर लिखे हुए ३० इकाई के अकार से भिन्न समझ लेगा। ऐसा भेद करना वह अपनी भाषा के प्रवाह से जानता है।

वर्तमान लिपियों में मात्रा को अंकित करने का कोई विशिष्ट साधन नहीं है, वर्णों की आकृति में (अ, आ, इ, ई, उ, ऊ) ही दीर्घत्व दिखाने के लिए अंतर कर दिया जाता है—दीर्घत्व का कोई विशेष संकेत या चिह्न नहीं। ध्वनि विज्ञानियों ने, रोमन लिपि में वर्णों के आगे विसर्ग का सा संकेत () लगा कर दीर्घत्व का और केवल एक विदु () लगा कर अर्धदीर्घत्व का निर्देश किया है। अन्य विद्वानों ने वर्णों के ऊपर ब्रेडी पाई (—) लगाकर दीर्घत्व को व्यक्त किया है। देव-

नागरी आदि भारतीय लिपियों में ये दोनों उपाय उपयुक्त साबित न होंगे यह स्पष्ट है। यहाँ छन्द में s (दीर्घ) और। (ऋस्व) चिह्न वर्ण के ऊपर लगाये जाते हैं।

वीणा सितार आदि सगीत के साधनों में हम देखते हैं कि तारों के तानने और ढीला करने में सगीत के स्वरों में विभिन्नता पैदा होती है। यही हाल स्वरतन्त्रियों का है। उनके तानने और ढीला होने से सुर उत्पन्न होता है। सुर केवल (स्वर आदि) ऐसी ध्वनियों में सम्भव है जिनमें घोष हो क्योंकि जब स्वरतन्त्रियाँ निष्क्रिय पड़ी होंगी तब उनमें तनाव या ढीलेपन का सवाल ही नहीं उठता। साधारण रीति से सुर के तीन भेद किए जाते हैं, उच्च, नीच और सम। तनाव को अधिकता देना उच्च, उसे कम करना नीच और उसे बराबर एक ही अवस्था में रखना सम सुर का लक्षण है और क्रमशः इन—तीन सकेतों से आधुनिक ध्वनिविज्ञानियों द्वारा व्यक्त किया जाता है। वैदिक ग्रन्थों के उदात्त, अनुदात्त और स्वरित भी सुर के ही भेद थे। इसी प्रकार ग्रीक भाषा के प्रेव, अक्यूट आदि भेद भी सुर में सम्बन्ध रखते थे।

आर्य भाषाओं के प्राचीनकाल में वैदिक संस्कृत और ग्रीक में सुर के अस्तित्व के यथेष्ट प्रमाण हैं। परन्तु शब्दों के अर्थभेद के लिए इसका विशेष प्रयोग नहीं होता था। साथही उच्चारण की शुद्धता पर जोर था ही। इन्द्रशत्रु शब्द में अस्थान सुर के प्रयोग से दैत्यों का नाश हो गया यद्यपि वे देवों का नाश करने चले थे, यह कथा पुराण में प्रसिद्ध ही है। वर्तमान काल में आर्य भाषाओं में सुर का प्रयोग केवल मनोराग अथवा भावातिरेक, विधि, निषेध, प्रश्न, स्वीकृति, मन्तोष, विस्मय आदि को व्यक्त करने के लिए होता है, अर्थ में विभिन्नता नहीं आती। हिन्दी की भोजपुरी बोली में वाक्य के अन्तिम भाग में सुर का प्रयोग होता है, अन्य बोलियों में प्रयोग स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता। चीन और अफ्रीका की भाषाओं में सुर का अधिक मात्रा में प्रयोग होता है और सुरभेद से अर्थभेद हो जाता है। उदाहरण के लिए चीनी भाषा में 'ब' शब्द में धीरे सुर होने से उसका अर्थ होता है महिला उच्च होने से उसी 'ब' का

उमैठना और तीक्ष्ण होने से अर्थ होता है राजा का कृपापात्र। अफ्रीका की फुल नाम की भाषा में 'मिबरत का अर्थ होगा मैं मार डालूँगा, यदि अन्तिम अ का वही सुर हो जो वाक्य की गेप ध्वनियों का है किन्तु यदि उसी अ का सुर अन्य ध्वनियों की अपेक्षा उच्च हो तो उसी वाक्य का निवेदात्मक (यें नहीं मारूँगा) अर्थ होगा। चीनी भाषा में आठ प्रकार का सुर वर्तमान है ऐसा मना जाता है। फेरी लगा कर कपडा बेचने वाला चीन देश का निवासी जब हिन्दी बोलने का प्रयत्न करता है तब उसके उच्चारण में सुर के उदाहरण अनायास ही सुनाई पड़ते हैं।

बलाघात का प्रयोग आर्य भाषाओं (विशेषकर यूरोप की अँगरेजी आदि) में प्रचुर मात्रा में मिलता है। हिन्दी विद्वानों ने कभी-कभी इसको स्वराघात की सजा दी है किन्तु सुर से इसकी विभिन्नता रखने तथा इसका स्वरूप ठीक-ठीक व्यक्त करने के लिए बलाघात शब्द ही अधिक उपयुक्त है। बलाघात पद अथवा वाक्य में किसी विशेष ध्वनि अथवा ध्वनि-समूह पर अपेक्षाकृत अधिक प्राणशक्ति के व्यय करने में पैदा होता है। देवनागरी लिपि में इसे अंकित करने का कोई विशेष संकेत नहीं है, पर रोमन में जिस अक्षर या ध्वनि पर बलाघात हो उसके उपरान्त ऊपर की ओर चिह्न लगा कर व्यक्त किया जाता है, अन्तर-राष्ट्रीय ध्वनि-विज्ञान-परिषद् (International Phonetics Association) की प्रथा के अनुसार बलाघात-प्राप्त ध्वनि या अक्षर के पूर्व जरा ऊपर की ओर सडी पाई (।) लिखकर बताया जाता है।

बलाघात किस ध्वनि या अक्षर पर हो और कितना, यह अलग-अलग भाषाओं के अलग-अलग प्रवाह के अनुसार प्रचलित है। पर सामान्य रूप से यह कहा जा सकता है कि अघोष ध्वनियों पर सघोष ध्वनियों की अपेक्षा कुछ अधिक बलाघात होता है।

ध्वनियों के गुणों का महत्त्व प्रत्येक भाषा का अलग-अलग होता है, साधारण रीति से कोई भी भाषा तीनों का बराबर मात्रा में प्रयोग नहीं करती। हिन्दी में मात्रा (काल) का, अँगरेजी में बलाघात का और चीनी में सुर का महत्त्व है और इन भाषाओं में इन गुणों का व्यतिक्रम अर्थ का

अनर्थ कर सकता है। उदाहरण के लिए सरना, मारना, पिटना, पीटना; सुर, सूर, पता, पत्ता, रसा, रस्सा में अर्थभेद मात्राभेद के ही कारण है।

ये गुण भाषाओं के महत्त्वपूर्ण अङ्ग हैं। यदि कोई ध्वनियों का ठीक उच्चारण करता हुआ भी गुणों के उच्चारण में गलतियाँ करे तो उस भाषा के समझने में बड़ी कठिनाई हो जाती है। विदेशियों द्वारा निज भाषा के उच्चारण की असफलता का अनुभव प्रायः सभी करते हैं।

प्रत्येक भाषा में (काल की) मात्रा छन्द-शास्त्र के लिए, सुर मगीत-शास्त्र के लिए तथा बलाघात (विशेषकर रगमच पर की) वाग्मिता के लिए उपयोगी होता है।

तेरहवाँ अध्याय

संयुक्त ध्वनियाँ

वाक्यों में ध्वनियों के समूह का ही प्रयोग होता है। किसी विदेशी भाषा को सुनकर हम केवल इतना बता सकते हैं कि वाक्य यहाँ से आरम्भ हुआ और यहाँ अन्त हुआ। यह भी इसलिए कि प्रत्येक वाक्य के उपरान्त हर आदमी थोड़ी देर के लिए रुकता है। पर वाक्य के भीतर शब्दों और अक्षरों को अलग-अलग जमाकर रखना, विदेशी भाषा क्या निज भाषा में भी तब तक संभव नहीं जब तक मनुष्य ने उस भाषा का अध्ययन न किया हो। किसी अपठ आदमी से कहा जाय कि तुम इतने धीरे-धीरे बोलो कि सब शब्द और अक्षर अलग-अलग ही रहे तो निश्चय है कि वह इस आदेश का पालन न कर सकेगा।

ऊपर हम देख चुके हैं कि प्रत्येक भाषा में इस सृष्टि के अनन्त ध्वनि-भंडार में से कुछ परिमित संख्या की ध्वनियों का प्रयोग होता है। और ये वाक्य में भिन्न-भिन्न संयोगों में उपस्थित होती हैं। व्यंजन और स्वर परस्पर आते रहते हैं। पर कौन-कौन व्यंजन एक साथ आ सकते हैं और कौन-कौन स्वर, यह हर एक भाषा अपने आप निश्चित करती है। उदाहरण के लिए, संस्कृत में कई व्यंजन तो पास-पास रह सकते थे (जैसे कात्स्न्यं घाष्ट्यं में) पर दो स्वर एक साथ नहीं रहने पाते थे, सन्धि के नियमों के अनुसार या तो बीच में कोई व्यंजन आ जाय (जैसे (गो + एषणा = गवेषणा, पौ + अक = पावक) या दोनों मिलकर एक हो जायें (कुसुम + अवलि = कुसुमावलि, गज + इन्द्र = गजेन्द्र)। पर प्राकृत काल में प्रायः इसकी उलटी ही स्थिति आ गई। दो से अधिक व्यंजन एक साथ आने की नपात थी (दष्ट्रा > दाढा) और दो भी आते

व्यजन (ह्रस्व या दीर्घ) एक साथ रहता था। पर मस्कृत की प्रथा के विपरीत एक से अधिक स्वर एक साथ पास-पास रह सकते थे (एउर, अन्तेउर, वपइराआ)। इस प्रकार भाषा यही केवल निश्चय नहीं करती कि कौन-कौन सी ध्वनियों के संयोग वह ग्रहण करेगी बल्कि यह भी कि उनको कहाँ स्थान देगी।

सामान्य रूप से हम कह सकते हैं कि भाषा में सघोष और अघोष स्पर्श ध्वनियाँ साथ नहीं आने पाती। यदि ऐसे संयोग की संभावना होती है तो वे दोनों समीकरण को प्राप्त होती हैं मुञ् + त = मुक्त, वाक् + जाल = वाग्जाल)। महाप्राण ध्वनियाँ एक साथ उच्चारण में नहीं आती, एक अल्पप्राण कर दी जाती है (भूक्)। सघोष अल्पप्राण स्पर्श सघोष ही महाप्राण के साथ आ सकता है और अघोष अघोष के साथ। पचमाक्षर सघोष अघोष दोनों के साथ आ सकते हैं और इसी प्रकार अत स्थ वर्ण भी। श स् ऊम्म वर्णों के साथ अघोष स्पर्श ध्वनि ही आ सकती है, सघोष नहीं। सघोष ह के साथ सघोषस्पर्श और अघोष के साथ अघोष स्पर्श आते हैं। संस्कृत में म् न् हकार के उपरान्त आते थे, प्राकृत और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं में पूर्व (ब्रह्मा > ब्रम्हा, बरम्हा, चिह् > चिन्ह चीन्ह)

जब दो स्वर पास-पास आते हैं तो उनके स्पष्ट उच्चारण के लिए बीच में जरा रुकना होता है, यथा वप्पइराआ के उच्चारण में और अ इ तथा आ और आ के बीच में यदि रुका न जाय तो अ + इ का उच्चारण ए हो जाय और आ + आ का आ। कभी-कभी न रुकने से बीच में य् या व् श्रुति आ जाती है (राआ > राया)। किन्हीं दो स्वरों का यदि अलग-अलग स्पष्ट उच्चारण न करके एक साथ उच्चारण किया जाय तो दोनों के इस संयोग को मिश्रस्वर कहते हैं। ऐसी अवस्था में जिह्वा एक स्वर के उच्चारण-स्थान से एक साथ दूसरे स्वर के उच्चारण-स्थान को पहुँच जाती है और ऐसे समय में संभावना यही होती है कि दोनों स्वरों के व्यक्तित्व में कमी होकर एक समिश्रित स्वर का उच्चारण हो। उदाहरण के लिए पइसा शब्द के अ इ स्वरों में अ का उच्चारण प्रथम

आता है। इसका स्थान मध्य (पश्च की ओर थोडा हटा हुआ) और प्रयत्न प्राय अर्धविवृत है तथा इ का स्थान अग्र और प्रयत्न सवृत और अर्धसवृत के बीच का है। अब इन दोनों को एक साथ बोलने में जिह्वा अ के स्थान से तुरत हट कर जाना चाहती है, और इ तक पहुँचना चाहती है पर बीच में अग्र ओर मध्य स्थान ग्रहण करके प्राय अर्ध-विवृत प्रयत्न से ही उच्चारण कर देती है। परिणामस्वरूप मिश्र स्वर ऐ (मूल स्वर ऐ से भिन्न) दोनों के स्थान पर सुनाई पडता है। मिश्र स्वर में जिन दो मूल स्वरो से वह बना है उन दोनों का व्यक्तित्व कुछ न कुछ रहता है, यदि प्रथम का व्यक्तित्व प्रबल हुआ तो उसे, दूसरे स्वर के व्यक्तित्व की हीनता के कारण अवनायक मिश्र स्वर कहते हैं और दूसरा प्रबल व्यक्तित्व वाला है तो उसे उन्नायक मिश्र स्वर कहते हैं। पैमा कैसा, पौना, ढंओंचा आदि उन्नायक मिश्र स्वर के उदाहरण हैं तथा देउता, नेइया आदि अवनायक मिश्र स्वर के।

इस जगह हमें मूल स्वर और मिश्र स्वर के परस्पर अंतर का विचार कर लेना चाहिए। मूल स्वर में जिह्वा एक स्थिति में आरंभ से अंत तक रहती है और इसलिए स्वर का एकरस उच्चारण होता है, मिश्र स्वर में जिह्वा दो स्थितियों ग्रहण करती है, एक स्थिति में उच्चारण आरंभ होता है और दूसरी में उसका अंत होता है, इस कारण वह एकरस नहीं रहता। उदाहरण के लिए वर्तमान भारतीय आर्य भाषाओं में ऐ और औ संकेतो द्वारा व्यक्त की हुई ध्वनियाँ मूल स्वर हैं, इनका उच्चारण एकरस होता है। संस्कृत में ये मिश्र कही जाती हैं, इससे प्राय निश्चय ही सम्भूता चाहिए कि उस समय का उच्चारण वर्तमान उच्चारण से भिन्न (संभवत मिश्र ऐ और औ) रहा होगा।

संयुक्त ध्वनियों के छोटे से छोटे समूह को अक्षर कहते हैं और अक्षर की ध्वनियों का एक साथ (अति सन्निकटता) में उच्चारण होता है। प्राचीन-भाषा-विज्ञान का विचार था कि स्वर ही अक्षर बनाने में अर्थ होता है और जितने व्यंजन उसके साथ लिपटे हों उनको साथ लेकर वह

अक्षर कहलाना है। पर ऊपर हम देख चुके हैं कि म, न भी अक्षर बनाने में समर्थ हैं।

बोलते समय हमारे ध्वनियत्र से ध्वनियों का प्रवाह-सा निकलता है। उस प्रवाह को अक्षरों में विभक्त करना भाषाविज्ञानी का कर्तव्य है। बहुधा लिखाई के ढंग से हम लोगों को भ्रम हो जाता है, विगेप कर देवनागरी आदि अक्षरात्मक लिपियों में पापा, माशा, क्षिप्र, रस्सा में प्रायः पा। पा, मा। शा, क्षि। प्र और र। स्सा इस प्रकार अक्षर-विभाग किया जायगा। पर उच्चारण पर थोड़ा भी ध्यान देने वाला क्षिप्र और रस्सा का अक्षर-विभाग क्षिप् र और रस्। सा करेगा, पा। पा और मा। शा श को वह वैसा ही छोड़ देगा। परन्तु भाषाविज्ञानी और गहराई में जाता है। रस्सा के उच्चारण में स्पष्ट मालूम होता है कि दीर्घ स् का कुछ भाग प्रथम अक्षर में और और कुछ द्वितीय अक्षर में जाता है। इसी प्रकार कुत्ता के त् का कुछ भाग प्रथम अक्षर में और कुछ द्वितीय में। स् में तो यह विभाजन समझ में आ सकता है क्योंकि स् सघर्षी वर्ण है और उसका उच्चारण धारारूप में होता है, पर त् के विषय में कठिनाई है। उसका उच्चारण तो स्फोटात्मक है। उसमें श्रोत्रेन्द्रिय को स्फोट ही सुनाई पड़ता है, एक अविभक्त रूप में। धारा का आप विभाजन कर सकते हैं, मानसिक ही सही, पर स्फोट का विभाजन कैसे किया जाय? त् प् आदि स्फोटात्मक (स्पर्श) ध्वनियों के उच्चारण में तीन अवयव होते हैं—जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थान की प्राप्ति (अर्थात् उम तक पहुँचने का प्रयत्न), उस स्थान पर कुछ काल तक स्थिति और फिर उम स्थान से भटके के साथ हटना। इसमें से अन्तिम अवस्था ही हमें सुनाई देती है। कुत्ता, कुप्पा, छक्का, बट्टा आदि के त्, प्, क्, ट् का अन्तिम अवयव (स्फोट) दूसरे अक्षर के साथ जाता है और प्रथम अवयव (प्राप्ति) प्रथम अक्षर के साथ, द्वितीय अवयव क्षणिक अवस्थिति (मौन) इन दोनों को अलग-अलग कर देती है। इसी प्रकार क्षिप्र की पूरी प् न क्षि के साथ है न र के साथ। उसका

प्रथम भाग प्रथम अक्षर के साथ और तृतीय, द्वितीय अक्षर के साथ जायगा। इन्हीं उदाहरणों के अनुसार पापा और माशा में भी अक्षर-विभाजन करना चाहिए। माशा की श् का कुछ भाग प्रथम अक्षर में और कुछ द्वितीय में जायगा। पापा की दूसरी प् का प्रथम अवयव प्रथम अक्षर में शामिल होगा और तृतीय द्वितीय में। प् का द्वितीय अवयव विभाजक रहेगा। यह भाषा के प्रवाह के अनुकूल ही विभाजन हुआ। वाक्यों का परस्पर पृथक्करण हम दो वाक्यों के बीच के मौन से ही तो करते हैं। इसी आदर्श पर वाक्यांशों का भी विभाजन होना चाहिए। वाक्य के भीतर भी थोड़ा बहुत रुकना होता है यद्यपि वह वाक्यान्त के रुकने से, आपेक्षिक दृष्टि से, कम होता है और इसी प्रकार दो अक्षरों के बीच में भी अन्पाति-अल्प रुकना पड़ता है। इस रुकने का स्थान उन दो अक्षरों के बीच की मौन स्थिति (स्पर्श वर्णों का द्वितीय अवयव) या श्रव्यता की अल्पता होती है। स्वरत्व की अधिक मात्रा स्वरों में, उमसे कम अतस्थों में, फिर सघर्षी वर्णों में और कम से कम स्पर्श वर्णों में होती है। इस प्रकार प्रवाह में आई हुई ध्वनियों का विभाजन किया जा सकता है। भाषण में हमें निरंतर स्वरत्व का उत्थान और पतन सुनाई पड़ता है, इसमें स्वरत्व की अल्पता उमी प्रकार दिखाई देती है जैसे दो पहाड़ियों के बीच की बगड (तराई)। जैसे बगड दो पहाड़ियों के अलग-अलग अस्तित्व को जताती है उसी प्रकार स्वरत्व की अल्पता दो अक्षरों की सीमा निर्धारित करती है। जैसे दो बगडों के बीच के भाग को हम पहाड़ी कहते हैं, उसी प्रकार दो अल्प-स्वरत्व वाली ध्वनियों के बीच के ध्वनि-समूह को हम अक्षर कहते हैं।

यदि हम किसी ध्वनि-समूह की दो ध्वनियों के, बीच में उन दोनों से कम स्वरत्व रखने वाली ध्वनि के होने के कारण, पृथक्त्व का अनुभव करते हैं तब हम निश्चय-पूर्वक कह सकते हैं कि वे दो ध्वनियाँ अलग-अलग दो अक्षरों की हैं।

इतना ध्यान रखना चाहिए कि स्वरत्व की मात्रा का ज्ञान अन्य ध्वनियों की तुलना की अपेक्षा पर निर्भर रहता है।

चौदहवाँ अध्याय ध्वनिग्राम-विज्ञान—१

[PHONEMICS]

(भाषाओं को लिपिबद्ध करने की एक प्रणाली)

आधुनिक समय में भाषाविज्ञान की प्रगति जिन दिशाओं में हुई है, उनमें ध्वनिग्राम-विज्ञान का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है। किसी भाषा के ध्वनिग्रामों के आधार पर वैज्ञानिक पद्धति से उस भाषा के लिए एक सुव्यवस्थित लिपि के निर्माण में जो सिद्धान्त सहायता देते हैं, उनका सम्यक् विवेचन ध्वनिग्राम-विज्ञान के अंतर्गत होता है। भाषाविज्ञान की यह नवीन शाखा अमरीका में प्रायः अमरीकी विद्वानों की गवेषणा से विकसित हुई है। ध्वनिग्राम का विश्लेषण तो पिछली पीढ़ी के अमरीकी भाषाविज्ञानी ब्लूमफील्ड तथा एडवर्ड सैपीर कर ही चुके थे। उनके आगे की दिशाएँ खोजने में अमरीका के नवयुवक भाषाशास्त्रियों ने सराहनीय कार्य किया है। इन उत्साही विद्वानों में प्रमुख हैं—केनेथ एल० पाइक, बर्नर्ड ब्लॉक, ट्रेगर तथा ग्लिसन। आजकल अमरीका के विश्वविद्यालयों में जीवित भाषाओं के अध्ययन के लिए ध्वनिग्राम-विज्ञान के सिद्धान्तों का प्रयोग बड़े मनोयोग से किया जा रहा है। वैसे तो इस क्षेत्र में अनेक विद्वानों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है, परंतु इस विज्ञान के सबसे बड़े उन्नायक रहे हैं केनेथ एल० पाइक। उनकी पुस्तक 'फोनीमिक्स' एक प्रकार से इस विज्ञान के लिए इजील सदृश है।

जैसा ऊपर कहा गया है, ध्वनिग्राम की खोज तथा परिचय आधुनिक नहीं है। इस क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण विवेचन पुराने विद्वान् कर चुके हैं। उनके सिद्धान्तों के अनुसार ध्वनिग्राम ऐसी मिलती-जुलती ध्वनियों के समूह को कहते हैं जो एक-दूसरी से 'शब्दार्थ-भेदकारी विरोध'

प्रदर्शित न करे। यहाँ विरोध का अर्थ है कि यदि एक ध्वनि के स्थान पर दूसरी को रख दिया जाय, तो अर्थ-भेद पड़ जाय, जैसे हिन्दी 'कट' और 'खट' में 'क्' और 'ख्' का परस्पर गन्धार्थ-भेदकारी (Distinctive) या ध्वनिग्रामीय विरोध (Phonemic contrast) है। इसके विपरीत, अंग्रेजी में 'क्' और 'ख्' परस्पर विरोध नहीं प्रदर्शित करती। ये दोनों मिलती-जुलती ध्वनियाँ अंग्रेजी में एक ही ध्वनिग्राम के अंतर्गत हैं, क्योंकि यदि हम उदाहरणार्थ 'खट' (Cut) को 'कट' कह दे, तो अर्थों में कोई भेद नहीं पड़ता। हिन्दी भाषा में क् एक ध्वनिग्राम है, ख् दूसरा। क् ध्वनिग्राम के अंतर्गत हम इससे मिलती-जुलती अनेक ऐसी ध्वनियों को मानते हैं, जिन्हें व्यक्त करने के लिए हम स्वतन्त्र लिपि-चिह्नों की व्यवस्था सुविधापूर्वक नहीं कर सकते। यदि हम प्रत्येक उच्चरित ध्वनि के लिए एक अलग लिपि-चिह्न रखना चाहे तो यह एक प्रकार से असंभव होगा क्योंकि कोई भी दो व्यक्ति एक ही ध्वनि का उच्चारण एक प्रकार से नहीं करते और न एक ही व्यक्ति एक ध्वनि को सदैव एक ढंग से उच्चारित करता है। वस्तुस्थिति तो यह है कि कोई भी ध्वनि किसी भी व्यक्ति द्वारा केवल एक बार ही उच्चारित हो सकती है, एक ही ध्वनि के एक ही व्यक्ति द्वारा किए गए दो उच्चारण एक में नहीं हो सकते। अतः संपूर्ण मानवीय ध्वनियों को अंकित करने के लिए हमें कितने लिपिचिह्न चाहिए इसकी कोई गणना ही नहीं हो सकती।

ध्वनिग्राम-विज्ञान के सिद्धांत इस भाषावैज्ञानिक अव्यवस्था को दूर करने के लिए बनाए गए हैं। वैसे तो सभी लिपियों को व्यावहारिक दृष्टि में एक वर्णमाला का चुनाव करना पड़ता है, परन्तु यह चुनाव प्रायः वैज्ञानिक तथा व्यवस्थित नहीं होता। ध्वनिग्राम-विज्ञान के सहारे हम किसी भाषा-विशेष की अनेकानेक ध्वनियों में से कुछ निश्चित नियमों के आधार पर एक प्रतिनिधि ध्वनिमूह को छोट लेते हैं, और केवल इन्हीं ध्वनियों को अंकित करने के लिए लिपि-चिह्नों का निर्माण करते हैं। दूसरे शब्दों में, उस वैज्ञानिक-लिपि में हम ध्वनिग्रामों को तो चिह्नित करते हैं परन्तु ध्वनियों को नहीं। इन ध्वनिग्रामों को छोटने की प्रक्रिया

का विवेचन ध्वनि-ग्राम विज्ञान में होता है। इस प्रकार ध्वनिग्राम-विज्ञान किसी भाषा की ध्वनियों का स्वतन्त्र रूप से परीक्षण करने के साथ-साथ उस भाषा की प्रतिनिधि तथा आवश्यक ध्वनियों के समूचे ढाँचे का भी एक स्पष्ट रूप हमारे सम्मुख उपस्थित करता है।

जर्मन देश के नव्य-वैयाकरणों ने जिन चार सिद्धांतों पर विशेष रूप से बल दिया था, उनमें से एक था जीवित बोलियों का सम्यक् तथा विस्तृत अध्ययन। ध्वनिग्राम-विज्ञान इन जीवित बोलियों को लिपिबद्ध करने की व्यवस्थित प्रणाली देने के साथ-साथ प्राचीन लिखित भाषाओं को लिपिबद्ध करने के लिए भी कुछ सुझाव हमें देता है। इस दृष्टि से भाषाविज्ञान में ध्वनिग्राम-विज्ञान की व्यावहारिक उपयोगिता बहुत अधिक है। इतने पर भी इस विज्ञान में अभी विद्वानों की बहुत आस्था नहीं है। इसके दो प्रधान कारण माने जा सकते हैं। एक तो यह कि यह अभी बहुत कुछ विकास की अवस्था में है, इसके सिद्धांत अभी तक अंतिम रूप से निश्चित नहीं हो सके हैं। इस विज्ञान के प्रमुख व्याख्याता भी अपने सिद्धांतों को कुछ शर्तों के साथ ही प्रस्तुत करते हैं। ध्वनिग्रामीय दृष्टिकोण से बहुत सीमित ढंग से अंग्रेजी की कुछ उप-भाषाओं को छोड़कर अन्य किसी जीवित या प्राचीन भाषा की अभी तक परीक्षा न हो सकने के कारण इसके सिद्धांतों को स्पष्ट करने के लिए एक काल्पनिक भाषा का सहारा लेना पड़ता है। इस भाषा को 'कलबा' की बोली कहते हैं। दूसरी बात इस संबंध में यह है कि इस विज्ञान के साथ अभी तक भाषाविज्ञान के किसी महान् पंडित का नाम नहीं जुड़ सका है। इन्हीं कारणों से इसके सिद्धांत अभी तक कुछ सन्देह की निगाह से देखे जाते हैं।

ध्वनिग्राम-विज्ञान बहुत कुछ अविकसित तथा अनिश्चित दशा में होने पर भी, अपनी प्रकृति में गणित से सादृश्य रखता है। इस विज्ञान के अव्येता को प्रायः ही गणित जैसे अभ्यास करने के लिए दिए जाते हैं। निष्कर्ष को क्रमबद्ध किया जाता है, अपवादों को अलग कर उनके कारणों को समझा जाता है। इसके सिद्धांतों को इतना स्थिर तथा

निश्चित बनाने का यत्न हो रहा है कि ध्वनिग्रामो को छांटने की प्रक्रिया में ध्वनि के भाषागत वितरण पर उसके उच्चारण की अपेक्षा अधिक बल दिया जाता है। किसी भाषा में किसी ध्वनि-विशेष के वितरण को प्रायः गणित जैसे नियमों की सहायता में समझा जाता है, और इस वितरण के आधार पर ही यह निश्चित होता है कि वह ध्वनि वस्तुतः ध्वनि है अथवा ध्वनिग्राम। इस सम्बन्ध में उच्चारण के परम्परागत महत्व को भ्रामक कहकर ध्वनिग्राम-विज्ञान अस्वीकार करता है। इस विज्ञान की संपूर्ण प्रक्रिया कुछ मौलिक सिद्धांतों को मान कर चलती है। इन मौलिक तथा आधारभूत सिद्धांतों की संख्या वैसे तो अधिक है, परन्तु इनमें से भी चार सिद्धांत बहुत प्रमुख हैं—

१ ध्वनियों की प्रवृत्ति है कि वे अपने समीपवर्ती वातावरण—से प्रभावित होती हैं। जीवित भाषा में ध्वनियों का उच्चारण हम स्वतन्त्र रूप से अलग-अलग कभी नहीं करते। ध्वनियाँ क्रम से उच्चारित होती हैं। ऐसी दशा में ध्वनियाँ समीपवर्ती ध्वनियों से बराबर प्रभावित होती रहती हैं 'हनुमान' में 'ह' का उच्चारण 'ह' के रूप में होता है। यह अनुनासिकता 'ह' का समीपवर्ती अनुनासिक ध्वनियाँ के कारण हुई है। इसी प्रकार बहुत-सी ध्वनियाँ एक-दूसरे में अंतर्लीन हो जाया करती हैं। ऐसी स्थिति में अंतर्लीन हुई ध्वनि को लिपिबद्ध नहीं किया जाना चाहिए।

२ ध्वनि-समूह की प्रवृत्ति ध्वन्यात्मक साम्य की ओर होती है। किसी भाषा-विशेष की ध्वनियों की व्याख्या में उस भाषा का सामान्य ध्वनि-समूह सहायक होता है। उदाहरणार्थ किसी भाषा-विशेष में ध्वनिग्राम क्, ग्, च्, ज्, ट्, ड्, त् तथा प् पाए जाते हैं। इन पर दृष्टि-पात करने से यह स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस भाषा-विशेष के स्पर्श-व्यंजनो की माला में प्रत्येक अघोष स्पर्श के साथ उसके साथ वाला सघोष स्पर्श भी है। यह नियम अघोष स्पर्श प् के बारे में नहीं लागू होता अर्थात् इसके साथ के सघोष स्पर्श ब् का अभाव है। ऐसी स्थिति में ध्वनिग्राम-विज्ञान के द्वितीय आधारभूत सिद्धांत के अनुसार यह अभाव

मुननेवाले के किसी भ्रम के कारण भी हो सकता है चूँकि भाषा के ध्वनि-समूह की प्रवृत्ति साम्य की ओर होती है, अतः इस भाषा में प के अतिरिक्त अन्य सभी स्पर्श व्यंजनो का अघोष तथा सघोष के युग्म में होना इस बात की ओर संकेत करता है कि अघोष स्पर्श प के साथ का सघोष स्पर्श ब् भी इस भाषा में होना चाहिए। संभवतः मुननेवाले की गलती के कारण ब् भी प ही समझ लिया गया हो।

३ ध्वनियों की प्रवृत्ति परिवर्तन (Fluctuation) की होती है। मनुष्य का ध्वनि-यन्त्र अपरिवर्तित रूप से ध्वनियों के एक रूप उच्चारण के लिए अयोग्य है। एक ही शब्द का दो बार उच्चारण वस्तुतः भिन्न-भिन्न रूपों में होता है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भाषा-विशेष की एक ध्वनि, बोलने वाले के बीच में किसी मिलती-जुलती ध्वनि का रूप धारण कर लेती है। किसी भाषा-विशेष के बोलने वाले के लिए त् तथा द् ध्वनियाँ परस्पर परिवर्तनीय हो सकती हैं। बोलनेवाले स्वतः इस अभेद के प्रति प्रायः सजग नहीं रहते, परन्तु किसी विदेशी श्रोता के लिए ध्वनियों का अन्तर सुनते ही स्पष्ट हो जाएगा।

४ किसी भाषा-विशेष के अपने ध्वनि-क्रम उस भाषा की सदिग्ध ध्वनियों की व्याख्या में सहायक होते हैं। इस नियम के अनुसार प्रत्येक भाषा के अपने विशेष ध्वनि-क्रम (Sound-sequence) होते हैं। दूसरे शब्दों में भाषाओं में ध्वनियों का क्रम, बहुत कुछ एक योजना के अन्तर्गत निश्चिन्त होता है। उदाहरणार्थ किसी भाषा-विशेष में स्वर और व्यंजनों का वितरण साधारणतः इस प्रकार है—स्वर व्यंजन, व्यंजन स्वर। अब यदि इस भाषा के किसी शब्द में चार वर्ण हैं—स्वर व्यंजन स्वर, और तीसरा वर्ण सदिग्ध है तो भाषा के सामान्य ध्वनि-क्रम के आधार पर हम यह निश्चिन्त कर सकते हैं कि तीसरी ध्वनि व्यंजन है।

ध्वनिग्राम-विज्ञान के इन चार प्रमुख तथा अन्य गौण आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार किसी भाषा-विशेष के ध्वनिग्राम छाँटे जाते हैं। ध्वनिग्रामों को छाँटने की प्रक्रिया ही इस विज्ञान की, भाषा-विज्ञान के

क्षेत्र में मौलिक देन मानी जा सकती है। जैसा कहा जा चुका है, इस प्रक्रिया के सम्बन्ध में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसके अन्तर्गत ध्वनियों के उच्चारण को कोई महत्व नहीं दिया जाता। मतलब यह है कि उदाहरणार्थ 'प' और 'फ' उच्चारण की दृष्टि से तो दो अलग-अलग वस्तुएँ हैं, पर इस बात का पता हमें इन दो ध्वनियों के अमुक भाषा में वितरण को देख कर ही चल सकता है कि ये दो ध्वनियाँ एक ही ध्वनिग्राम के दो परिस्थितिजन्य उपरूप (allophones) हैं (जैसे अंग्रेजी में) या दो अलग-अलग ध्वनिग्राम हैं (जैसे हिन्दी में)।

दो या अधिक ध्वनियों को एक ध्वनिग्राम के उपरूप होने के लिए दो बातें आवश्यक हैं—

(१) उनमें परस्पर ध्वन्यात्मक साम्य (phonetic similarity) होना चाहिए—स्थान का, या प्रयत्न का, या दोनों का। उदाहरणार्थ 'क' और 'म्' में परस्पर ध्वन्यात्मक साम्य नहीं है, इसलिए ये दो ध्वनियाँ एक ध्वनिग्राम के अंतर्गत नहीं हो सकती। इसके विपरीत, 'क्' और 'खू' (या 'कू' और 'गू', या 'ङ' और 'नू' आदि) में परस्पर उच्चारण में सादृश्य है, इसलिए ये दोनों ध्वनियाँ एक ध्वनिग्राम की सदस्य हो सकती हैं।

(२) एक ध्वनिग्राम की दो सदस्य-ध्वनियाँ इस प्रकार बँटी होती हैं कि उनमें से एक जहाँ आती है, वहाँ दूसरी नहीं आती। उदाहरणार्थ अंग्रेजी में 'फ' बलाघातयुक्त स्वर के पूर्व आता है जब कि उसके पहले 'स्' न हो, जैसे 'पिन' (pin) में, और 'प' तब आता है जब उसके पहले 'स्' हो, जैसे 'स्पिन' (Spin) में। pin को 'पिन' और Spin को 'स्पिन' कभी नहीं बोला जाता।

उक्त दूसरी विशेषता का एक अपवाद भी है। यदि किसी भी शब्द में जहाँ एक ध्वनि आती है वहाँ उसके बदले दूसरी भी प्रयुक्त की जा सके और शब्दार्थ बिल्कुल न बदले, तब भी उन दो ध्वनियों को एक ही ध्वनिग्राम के अंतर्गत माना जाता है, और वे ध्वनियाँ स्वच्छन्द परिवर्तन (free variation) में कही जाती हैं, जैसे अंग्रेजी के एक प्रकार में

अंतिम 'प्' को चाहे 'प' बोल दे, चाहे 'फ' (up) 'अप' या 'अफ' कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्वनि में पड़ने वाले अनियंत्रित अवश्यम्भावी भेद भी इसी के अन्तर्गत हैं।

हिन्दी में एक दतोष्ण्य सघर्षहीन सप्रवाह 'व्' ध्वनि है (v), और दूसरी द्वयोष्ण्य 'व्' (w) जिसका उच्चारण 'उ अ' जैसा होता है। इन दोनों में ध्वन्यात्मक साम्य इस प्रकार है कि दोनों ओष्ण्य ध्वनियाँ हैं, दोनों सघोष हैं और दोनों स्पर्श या सघर्षी ध्वनियाँ नहीं हैं। इनका वितरण इस प्रकार है कि दोनों एक-सी ध्वन्यात्मक स्थितियों में कभी नहीं आती—

दतोष्ण्य 'व्'—शब्दारभ में आती है, जैसे 'वहाँ' में। व्यजन के पूर्व आती है, जैसे 'अवकाश' में। दीर्घ या द्वित्व होकर आती है, जैसे 'कव्वाली' में इत्यादि। इत्यादि।

द्वयोष्ण्य 'व्'—आरम्भिक व्यजन के बाद आती है, जैसे 'स्वाद' में। 'उ' के बाद स्वर के पहले आती है, जैसे 'कनकउवा' में। इत्यादि।

निष्कर्षतः ये दो ध्वनियाँ एक ही ध्वनिग्राम के अन्तर्गत हैं।

यदि भाषा में एक भी ऐसा उदाहरण मिल जाना है कि जहाँ दो ध्वनियाँ अलग-अलग अर्थों से युक्त शब्दों में एक ही ध्वन्यात्मक परिस्थितियों में आएँ, तो वे दो पृथक् ध्वनिग्राम होंगी, जैसे हिंदी 'ड' और 'ड्', क्योंकि 'ड्' की भाँति "ड" भी दो स्वरों के बीच में आती है, जैसे 'रेडियो' और 'सोडा' में, और शब्दान्त में भी, जैसे 'रोड' में। (जो लोग ऐसे शब्दों को 'रेडियो', 'सोडा' और 'रोड' की भाँति बोलते हैं उनकी बोली में 'ड' और 'ड्' ध्वनियाँ एक ही ध्वनिग्राम के अन्तर्गत होंगी।) अब यह प्रश्न उठता है कि उदाहरणार्थ हिंदी 'व्' और 'व्' में ध्वनि किसे माना जाय और ध्वनिग्राम किसे माना जाय? इस सम्बन्ध में ध्वनिग्राम-विज्ञानियों का निर्णय है कि सम्बन्धित ध्वनियों में जिसका वितरण अधिक तथा कई स्थानों पर हो उसी को ध्वनिग्राम माना जाना चाहिए। इस दृष्टि से व् और व् में हम व् को ध्वनिग्राम मानेंगे और

व् को उसके अतर्गत ध्वनि। ध्वनिग्राम-विज्ञान द्वारा निर्णीत लिपि में केवल ध्वनिग्रामों को ही अंकित किया जाना है, ध्वनियों को नहीं। फलतः हिंदी की ध्वनिग्रामीय लिपि में व् को भी हम व् से ही अंकित करेंगे, जैसा कि देवनागरी लिपि में किया जाना है। इसी प्रकार से इस विज्ञान के सिद्धांतों द्वारा किसी भाषा की हम एक वर्णमाला स्थिर करते हैं, और उसे अंकित करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति पर लिपि की व्यवस्था करते हैं। ध्वनिग्राम-विज्ञान के ये प्रारंभिक सिद्धांत अपनी प्रकृति में अत्यन्त सरल तथा सामान्य जान पड़ते हैं। परन्तु जीवित भाषाओं में इनके प्रयोग के समय बहुत सी नयी कठिनाइयों तथा जटिलताओं का सामना करना पड़ता है।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है, ध्वनिग्राम-विज्ञान के सिद्धांतों को परखने की कोई विनिष्ट कमीठी हमारे पास नहीं है। जब तक जीवित भाषाओं पर इनका सफल प्रयोग न किया जाय, हम इसकी प्रामाणिकता के बारे में कुछ नहीं कह सकते। विज्ञान अपनी प्रकृति में शुद्ध होता है, उसका कोई तात्कालिक उद्देश्य नहीं होता। परन्तु इसके विपरीत ध्वनिग्रामों का विज्ञान सोद्देश्य है। वह ध्वनियों तथा ध्वनिग्रामों का सूक्ष्म विश्लेषण तो करता है परन्तु इस बारे में विश्लेषण में उसका उद्देश्य रहता है भाषा के लिए एक वैज्ञानिक वर्णमाला तथा लिपि का स्थिरीकरण। यदि ध्वनिग्राम-विज्ञान अपने सिद्धांतों के आधार पर जीवित या प्राचीन भाषाओं के लिए व्यवस्थित वर्णमाला तथा वैज्ञानिक लिपि निश्चित कर सका तो उसकी प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध होगी।

पन्द्रहवाँ अध्याय

ध्वनिग्राम-विज्ञान-२

ऊपर कह आए हैं कि ध्वनिग्राम वस्तुतः किसी एक ध्वनि का वाचक न होकर एक सदृश ध्वनि-समूह का वाचक है। दूसरे शब्दों में यह उन सदृश ध्वनियों की उस परिधि का वाचक है, जिसके बाहर जाने ही उनमें से कोई ध्वनि उस परिधि की दृष्टि से अपने समूह से पृथक् प्रतिभाषित होने लगती है। इसीलिए ध्वनिग्राम की परिभाषा करना सरल कार्य नहीं है। इसकी परिभाषा में तीन विशेषताओं का सन्निवेश किया गया है।

ध्वनिग्राम ध्वनि से इस अर्थ में अलग है कि ध्वनि भाषा-निरपेक्ष होकर भौतिक घटना-मात्र को निर्दिष्ट करती है, जब कि ध्वनिग्राम एक भाषा-विशेष की सघटना की दृष्टि से सार्थक एक ध्वनिगत भेद मात्र को। ध्वनियों का वर्गीकरण स्थान, प्रयत्न प्रकार और अनुप्रदान (Secondary articulation) के द्वारा लगभग तीन लाख प्रकार से किया जा सकता है, जब कि प्रत्येक भाषा में सार्थक ध्वनि-भेदों की संख्या किसी भी दशा में ६० से अधिक नहीं होगी। वस्तुतः प्रत्येक भाषा-भाषी के मन में केवल यह सार्थक भेद ही समते हैं और उसके कान इमीलिए अन्य भाषा के लिए अनभ्यस्त रहते हैं। यही कारण है कि अंग्रेजी भाषा-भाषी हिन्दी के 'त्' और 'ट्' का भेद नहीं कर पाता, 'तुम' को 'टुम' कहता है, और दूसरी ओर हिन्दी भाषा-भाषी अंग्रेजी के स्पर्श और मघर्षी और द् और ट् में अन्तर नहीं कर पाता। इसप्रकार ध्वनिग्राम की परिभाषा का पहला अंग यह है कि वह भाषा की अभिव्यक्ति सघटना के छोटे से छोटे साभिप्राय ध्वनि-समूह के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। उदाहरण के लिए संस्कृत में 'क्' का उच्चारण कोमल तालु के आगे

से भी हो सकता है, जब वह अग्र स्वर के साथ बोला जाय और पीछे से भी हो सकता है जब कि वह पश्चस्वर के साथ बोला जाय। पर उसके दोनो प्रकार के उच्चारण एक-दूसरे में विविक्त नहीं माने जाते। इसी-लिए संस्कृत भाषा की दृष्टि में हम दो प्रकार के 'क्' केवल 'क्' ध्वनिग्राम के अन्तर्गत रखते हैं, और यह द्योतित करना चाहते हैं कि वस्तुतः 'क्' का भेद 'ख्' से है या 'ग' से है, न कि 'क' में ही दो भेद हैं।

ध्वनिग्राम की परिभाषा का दूसरा अंग यह है कि वह जिस ध्वनि समूह का वाचकत्व या प्रतिनिधित्व करता है, उस ध्वनि-समूह में उच्चारण की दृष्टि से परस्पर सादृश्य होता है। यह सादृश्य स्थानगत हो सकता है, यह प्रयत्नगत भी हो सकती है। जैसे 'दत्त्य' 'त्' और वत्स्य स्पर्शों में स्थान के सामीप्य के, और दोनो के स्पर्श प्रयत्न के कारण तुल्यता है। हिन्दी में वत्स्य और मूर्धन्य 'ट' के बीच भेद नहीं है। इसलिए हिन्दी की दृष्टि में वत्स्य और मूर्धन्य 'ट' सदृश ध्वनियाँ हैं। किन्तु इस सादृश्य के साथ एक और विशेषता भी इस परिभाषा में अभीष्ट है, जिसके बिना यह परिभाषा तर्कमग्न नहीं है। परिष्कृत रूप में हम अब ऐसी परिभाषा करते हैं कि ध्वनिग्राम ऐसी सदृश ध्वनियों के समूह का वाचक है 'जिनकी परिस्थितियाँ एक-दूसरे की पूरक हैं, अंग्रेजी में इसको कम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रिब्यूशन (complementary distribution) कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि हम मान लें कि एक ध्वनिग्राम ५ ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करता है तो १ ध्वनि जिस परिस्थिति में आती है उस परिस्थिति में २, ३, ४, ५ नहीं आती, और क्रमशः इसी तरह जिनमें २, ३, ४, ५ आती हैं, उनमें उनके अलावा शेष चार नहीं आती। वस्तुतः भाषा की कोई भी ध्वनि अकेले नहीं आती, किसी न किसी दूसरी ध्वनि के परिवेश में ही आती है, इसीलिए उस ध्वनि के प्रभाव से वह मुक्त नहीं हो सकती। जब यह प्रभाव उसमें विभेद उपस्थित करता है, तब उन विभेदों को हम उस भाषा की दृष्टि से नगण्य मानते हैं और यह कहते हैं कि वस्तुतः यह विभेद उसकी परिस्थिति के कारण मलक्ष्य है। उस भाषा की दृष्टि से ये विभेद तात्त्विक

नहीं है, परन्तु जिस क्षण परिस्थिति के समान रहने पर भी दूसरी ध्वनियाँ जो जितनी भी सदृश क्यों न हों, उच्चारण होते ही अलग प्रतिमा, शब्द और अर्थ दोनों की उपस्थिति कर देती हैं, उसी क्षण हम उस ध्वनि को पृथक् ध्वनिग्राम के अन्तर्गत रखने के लिए विवश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अंग्रेजी में अल्पप्राण और महाप्राण स्पर्श ध्वनियाँ अलग-अलग ध्वनिग्राम न बनाकर एक-एक ध्वनिग्राम के अन्तर्गत ही रखी जाती हैं, क्योंकि, अंग्रेजी की उदाहरणार्थ, महाप्राण 'ख्' ध्वनि केवल किसी भी शब्द के प्रारम्भ में किसी बलाघात युक्तस्वर के पूर्व आ सकती है जब कि अल्पप्राण 'क्' 'स्' के बाद आती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंग्रेजी के 'क्' और 'ख्' का वितरण परस्पर पूरक है। यह परस्पर पूरकता वस्तुतः भाषा की परिस्थितियों पर ही निर्भर है। भाषा में ध्वनि-भेद भाषातिरिक्त कारणों से भी हो सकते हैं, जैसे किसी के वाग्यन्त्र में कोई त्रुटि हो, कोई भावनातिरेक से बोल रहा हो, बोझ उठाने के बाद बोल रहा हो, मुँह में कुछ रखकर बोल रहा हो। ऐसे जो ध्वनि-भेद होंगे उनका सम्बन्ध भाषागत परिस्थिति से न होकर भाषा से बाहर की परिस्थितियों से है। और ऐसे भेदों को हम इसीलिए अनियंत्रित भेद (free variation) कहते हैं। इन अनियंत्रित भेदों का विश्लेषण भाषा-विज्ञान का विषय नहीं है। ध्वनि-विज्ञान का अध्येता इन भेदों का आकलन करके छोड़ देता है। इनके कारणों की मीमांसा में वह नहीं पड़ता। इसके विपरीत जो भेद भाषागत परिस्थितियों के कारण होते हैं और जिनके वितरण का क्षेत्र भाषा के अवयवों के द्वारा किया जा सकता है, उनका हम न केवल आकलन करते हैं बल्कि उनके कारणों का निर्देश भी। इस तरह अब हम परिभाषा में इस प्रकार सस्कार करते हैं—“ध्वनिग्राम ऐसी सदृश ध्वनियों का समूह स्थापित करता है जो एक-दूसरे के परिवेश में नहीं आती या जो नियंत्रित प्रकार से एक-दूसरे से भिन्न हो जाती हैं।” ध्वनि-ग्राम की परिभाषा की अन्तिम विशेषता यह है कि वह एक सघटना की इकाई होता है, इसलिए उस सघटना में जो प्रतिरूपता का

समनुहार (Pattern congruence) होता है, उसके वह विपरीत नहीं जाना। इसका अर्थ यह है कि मान लीजिए किसी भाषा में 'ड्' और 'ढ्' के वितरण के क्षेत्र एक-दूसरे के पूरक हैं और इस प्रकार किसी न किसी अंश तक उच्चारण-सादृश्य होने के कारण तथा 'ड्' और 'ढ्' में परिम्यति-विरोध भी नहीं है तो इस कारण भी हम 'ड्' और 'ढ्' को एक ध्वनिग्राम के अन्तर्गत मान लेंगे। परन्तु यदि हम दूसरी स्पर्श श्रेणियों के घोष अल्पप्राण और घोष महाप्राण में विरोध (contrast) देखते हैं तो हमारी इस तीसरी कमौटी के कारण 'ड्' और 'ढ्' को एक ध्वनिग्राम में रखना उचित नहीं होगा। उस भाषा के प्रतिरूप का जो परस्पर समनुहार है वह 'ड्' और 'ढ्' में भी भेद की अपेक्षा रखता है 'ड्' और 'ढ्' का एक ध्वनिग्राम बना देने से यह समनुहार विगड जाता है।

इस प्रकार अन्तिम रूप से ध्वनिग्राम की परिभाषा सक्षिप्तरूप में यह हुई —

(१) ध्वनिग्राम ऐसा ध्वनि-समूह है, जो किसी भाषा में दूसरे ध्वनि-समूह से पृथक् प्रतीत होता है, और उसके पार्थक्य के अलावा दूसरे पार्थक्य का महत्व उस भाषा में ध्वनि के स्तर पर नहीं होता।

(२) ध्वनिग्राम जिस सदृश ध्वनियों के समूह को ज्ञापित करता है, वे ध्वनियाँ या तो एक-दूसरे के वितरण के क्षेत्र की पूरक होती हैं या उनका भेद अनियंत्रित कारणों से होता है।

(३) ध्वनिग्राम-राशि भाषा-विशेष की सघटनों के प्रतिरूप समनुहार का पालन करती है।

ध्वनिग्राम की यह परिभाषा शुद्ध धारणात्मक आकलन है और इस अंश तक इसकी कोई भी परिभाषा पूर्ण नहीं कही जा सकती। वस्तुतः हम ध्वनिग्राम का उच्चारण करते भी नहीं हैं और कानों में भी जो लहरे आती हैं वे लहरे ध्वनि की होती हैं, ध्वनिग्राम की नहीं। परन्तु हम किसी भी भाषा की किसी भी ध्वनि के उच्चारण के पूर्व और उसके श्रवण के पश्चात् उम ध्वनि के दूसरी ध्वनि के साथ जिस सम्बन्ध का मन में तात्त्विक और सार्थक समझते हैं, उन्हीं के अनुसार प्रेरित होकर हम वैसा

प्रयत्न करते हैं और वैसे ही ग्रहण करते हैं। इसलिए हमारी मानसिक प्रक्रिया में ध्वनिग्राम ही रहता है, ध्वनि नहीं। ध्वनि तो ध्वनिग्राम के प्रतिव्ययजक मात्र है और ध्वनिग्राम शब्दार्थ की सम्पृक्त प्रतिमा के प्रतिव्ययजक है। दूसरे शब्दों में प्रयत्न के प्रारम्भ और ग्रहण दोनों ही ध्वनिग्राम प्रेरित होते हैं।

ध्वनिग्राम के मुख्यतः दो भेद किए जाते हैं—खड-रूप (Segmental) और अखड-रूप (Supra Segmental)। खड-रूप से हमारा तात्पर्य ऐसे ध्वनिग्रामों से है, जो दूसरे ध्वनिग्रामों से समय एव प्रयत्न में खड-खड कर के विश्लेषित किए जा सकते हैं, और अखड-रूप से हमारा तात्पर्य उन ध्वनिग्रामों से है, जो खड-रूप ध्वनिग्रामों से पृथक् होते हुए भी उनके बिना नहीं आ सकते, अर्थात् जो उनके साथ समकालिक और सहप्रयत्नकृतरूप से ही उपस्थित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए हिन्दी में 'ड' और 'ई' को हम ले। 'इ' और 'ई' में भेद मात्रा का है। यह मात्रा वस्तुतः ध्वनिग्राम के उच्चारण-काल की ही मापदंड है। अपेक्षाकृत उसी अवस्था में उसी स्थान में जीभ को अधिक समय तक रखने से दीर्घ उच्चारण होता है और कम समय तक रखने से ह्रस्व उच्चारण होता है। अब इस मात्रा के लिए अलग से प्रयत्न या खड-रूप ध्वनिग्राम के अलावा कोई समय नहीं लगना। इसलिए हम 'ड' और 'ई' को प्राचीन सस्कृत वैयाकरण पाणिनि के अनुसार एक ध्वनिग्राम रखेंगे, पर उनके परस्पर भेद को ज्ञापित करने के लिए मात्रा को एक अलग विवेचक गुण मान लेंगे। इस प्रकार अखड-रूप ध्वनिग्राम खड-रूप ध्वनिग्राम का गुण होता है। अधिक मोटे तौर में समझना चाहे तो खड-रूप ध्वनिग्राम व्यक्त है और उसकी अपेक्षा अखड-रूप अव्यक्त। कुछ विद्वानों ने अखड-रूप ध्वनिग्राम को ध्वनिग्राम-गुण ही माना है, ध्वनिग्राम नहीं, और उसे ध्वनिग्राम का छन्द (अन्तर्निहित गुण) (Prosodic feature) माना है।

खड-रूप ध्वनिग्राम-राशि प्रायः दो भागों में विभक्त की जाती है, स्वर एव व्ययजम। यह विभाजन वस्तुतः ध्वनि-भेद पर न आधारित होकर

अक्षर-रचना (Syllabic Structure) पर आधारित है। अन्त स्थ (Semi Vowel) वस्तुतः भिन्न-भिन्न प्रकार के आचरण के कारण कभी स्वर के अन्तर्गत कभी व्यजन के अन्तर्गत रखे जाते हैं, पर उस दशा में वे दोनों प्रकार की ध्वनिग्राम-राशियों में अलग-अलग ध्वनिग्राम के रूप में रखे जाते हैं। जैसे सस्कृत में ऋ, लृ तथा ए, लृ क्रमशः स्वर-सघटन और व्यजन-सघटन में रखे गये हैं। इनका अन्तर केवल इनकी सवहन क्षमता का ही है। अपने साथ दूसरे व्यजनो का सवहन करने में सक्षम हैं अन्यथा ऋ ए, लृ और लृ ये दोनों युग्म एक ही प्रकार के एक ही स्थान से निर्गत होने वाले घोष, विवृत ध्वनि-समूह के ज्ञापक हैं।

स्वर-सघटना में प्रायः दो प्रकार के स्वर आते हैं, शुद्ध (monophthong) और मिश्र (diphthong)। मिश्र-स्वर, शुद्ध स्वर और श्रुति के योग से बना हुआ एकाक्षर स्वर होता है, जैसे सस्कृत में ऐ, औ। अंग्रेजी में सधि-स्वरो की संख्या सस्कृत की अपेक्षा अधिक है और इसलिए लाघव की दृष्टि से अंग्रेजी में ९ मूल स्वरो के अलावा हम य, व् और ह् श्रुतियों की कल्पना कर लेते हैं।

i इ	t ई	u उ
e ए	a अ	o ओ
æ ऐ	a आ	o औ

और इसप्रकार स्वर-ध्वनिग्रामों की संख्या १२ में ही सीमित हो जाती है। सस्कृत में चूँकि केवल ऐ और औ ये ही दो सधि अक्षर हैं इसलिए श्रुतियों (Glide) की कल्पना न करके इन्हीं को हम दो ध्वनिग्राम मान लेते हैं। स्वर-सघटना तथा श्रुति के अलावा मात्रा (length), सुर (संगीतात्मकता), (pitch) और बल (Stress) जैसे अतिरिक्त

गुण जिन्हे हम अखड रूप ध्वनिग्राम कहते है, भी है। अग्रेजी में श्रुति की सार्थकता है, मात्रा की नहीं। इसलिए अग्रेजी में हम श्रुति-ध्वनिग्राम की कल्पना करते है मात्रा को विवेचक नहीं मानते, और मात्रा को ध्वनिग्राम नहीं मानते। संस्कृत में ऐ और औ को पृथक् ध्वनिग्राम मान लेने के बाद हमें श्रुति को अलग ध्वनिग्राम मानने की आवश्यकता नहीं पडती।

अ	-	आ	-	अ ३
इ	-	ई	-	ई ३
उ	-	ऊ	-	ऊ ३
ऋ	-	ॠ		

इन भेदों को मात्रा पर आवृत मानकर और अ इ उ ऋ ॠ को तीन मात्रा-भेदों में ३ मात्रा रूप खड ध्वनिग्राम मानते है।

इसी प्रकार वैदिक संस्कृत में स्वराधान के तीन स्तर उदात्त, अनुदात्त और स्वरित जब एक-दूसरे से विविक्त दीखते है और भाषा की सघटना में हम इस विविक्तता का प्रमाण भी पाते है तो उन्हें भी हम ३ सुर-रूप अखड ध्वनिग्राम परिकल्पित कर लेते है। लौकिक संस्कृत में यह सुर-भेद अपनी सार्थकता खो बैठा और इसलिए वहाँ पर हम कह देते है कि लौकिक संस्कृत में सुर ध्वनिग्राम नहीं है। अग्रेजी भाषा के बलाघात के ४ स्तर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ—चारों की कल्पना इसलिए करते है कि ये चारों स्तर एक-दूसरे से विविक्त है। इन अखड-रूप ध्वनिग्रामों को कुछ लोग विशेषाधायक गुण (attributes) भी कहते है। कुछ ऐसे भी अखड-ध्वनिग्राम होते है, जो एक स्वर या एक अक्षर तक सीमित न रहकर स्वर-समूह या अक्षर-समूह को व्याप्त करके आते है। ऐसे अखड-रूप ध्वनिग्रामों के दो प्रकार है—

- (१) काकु (Intonation)
- (२) विवृति (Juncture)

काकु और विवृति की मीमासा अभी हाल ही में शुरू हुई है और इन्हे ध्वनिग्राम-राशि के अन्तर्गत ग्रहण करने में पुराने विचारों के लोग

अभी सकोच करते हैं, पर इनसे ध्वनिग्राम-राशि को ग्रहण करने में भाषा की वाक्य-सघटना को समझने में अधिक सहायता मिलती है। हम यहाँ विस्तार में न जाकर केवल इतना ही मकेत कर देना चाहते हैं कि काकु-भेद और विवृति-भेद में शब्दार्थ में बहुत अधिक भेद आ जाता है। एक ही ध्वनिग्राम-विन्यास भिन्न-भिन्न काकु में यदि उच्चरित हो तो वही सामान्य कथन भी हो सकता है, वही आक्षेपमय कथन भी हो सकता है और वही प्रश्न भी बन सकता है। उदाहरण के लिए—“आप बड़े बहादुर हैं” को तीन काकुओं में तीन अर्थ-प्रदान किये जा सकते हैं—

(१) आप बड़े बहादुर हैं। सामान्य कथन

(२) क्या आप बड़े बहादुर हैं?—प्रश्न

(३) आप बड़े बहादुर अपने को झूठमूठ कहते हैं—आक्षेप वचन

इसलिए एक ही वाक्य में तीन काकुओं की परिकल्पना करनी पड़ेगी विवृति के चार अभिधान हो सकते हैं, अल्प (Open transition or plus juncture), निलम्बित (Sustained), आरोही (Rising) तथा अवरोही (Falling)। दो शब्दों के बीच में अल्प विवृति होती है। जैसे संस्कृत के ये दो वाक्य ले—

न तेन लिखितो लेख = उसने लेख नहीं लिखा।

नतेन लिखितो लेख = उसने झुक कर लेख लिखा।

इनमें मित्राक्षर इसके कि पहले वाक्य में ‘न’ और ‘तेन’ के बीच में एक अत्यल्प विवृति अर्थात् अवकाश की कल्पना करे, दूसरा कोई भेद दूसरे वाक्य से ध्वनिग्राम के स्तर पर नहीं सोच सकते, क्योंकि दोनों वाक्यों में प्रयुक्त ध्वनिग्राम राशि बिल्कुल एक है। निलम्बित विवृति को हम लिखने में प्रायः अल्प विराम से घोषित करते हैं। साधारणतः आरोही विवृति को प्रश्नवाचक चिह्न से और अवरोही को पूर्ण विराम से दिखाया जाता है।

व्यजन-ध्वनिग्रामों की सघटना में हम ध्वनिग्रामों का वर्गीकरण मुख्यतः स्पर्श, सघर्षी और विवृत इन तीन श्रेणियों में करते हैं व्यजनो के वैरूप्य का चरम उत्कर्ष चिपेव्यन भाषा में मिलता है, जिसमें स्पर्श एवं

सघर्षी व्यजन ध्वनिग्रामो की मख्या ४० है और सवस अधिक अपकर्षं हवाई द्वीप की भाषा मे मिलता है, जिसमे सघर्षी व्यजन नहीं है और केवल दो स्पर्श व्यजन ध्वनिग्राम है। इस प्रकार व्यजन ध्वनिग्रामो की सघटना के स्तरो मे अन्तर की गुजाइश बहुत ज्यादा है। अग्रेजी मे

p t k b d g ċ ĵ f θ v δ
 प्त्क् ब्द् ग्च्ज् फ्थ् व्द्
 s ś z z h y w r l m n ŋ
 स्श् ज्फ् ह्थ्व् र्ल्म्न् ड्

कुल २४ व्यजन ध्वनिग्राम है और मस्कृत मे

क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध
 प फ ब भ ड ण न् म् श ष स ह य र ल व।

३२ व्यजन ध्वनिग्राम है। इन दोनो भाषाओ की व्यजनराशि की तुलना करने मे तीन चीजे स्पष्ट प्रतीत होती है—(१) मस्कृत मे अल्पप्राण और महाप्राण म विरोध या वैरूप्य है जो अग्रेजी मे नहीं है (२) मस्कृत मे दन्त्य और मूर्धन्त्य मे वैरूप्य है, जो अग्रेजी मे नहीं है। (३) अग्रेजी मे प्त्द् का वैरूप्य क्रमश मघर्षी फ्थ्द् से है, जो मस्कृत मे नहीं है। (४) मस्कृत मे ऊष्म स्श्ष् ध्वनिग्रामो मे घोष-अघोष का भेद नहीं है, जब कि अग्रेजी स्श्स्में है। इसप्रकार प्रत्येक भाषा मे, हम यह कह सकते है कि वैरूप्य और सारूप्य के स्तर भिन्न-भिन्न होते है और इसी कारण हम एक भाषा के ध्वनिग्राम को दूसरी भाषा के ध्वनिग्रामो के द्वारा ज्ञापित नहीं कर सकते।

ध्वनिग्राम की परिभाषा और भेदा को ममज्ञ लेने के बाद उसका विश्लेषण आसान हो जाता है। ध्वनिग्राम-विश्लेषण करने समय तीन प्रकार के खतरो से बचने की जरूरत है—(१) अतिभेद न किया जाय अर्थात् जो भेद उस भाषा-विशेष मे सार्थकता नहीं भी रखते हो, उनको हम अपने ग्रहण के मूक्षम सकौन के कारण पृथक् ही ध्वनिग्राम रख दे। ऐसा प्राय तब होता है, जब हम ऐसी भाषा के अभ्यस्त रहते है, जिसमे वे भेद सार्थक हो और जिम दूसरी भाषा का विवेचन करना हो,

उसमे वे भेद सार्थकता न रखते हो। (२) अत्यधिक अभेद से बचना। हम ऐसी भाषा के अभ्यस्त होते हैं, जिसमे कुछ ध्वनि-समूह भिन्न नहीं जान पड़ते, तो उस भाषा का विवेचन करते समय जिसमे उन ध्वनि-समूहो मे भेद सार्थकता रखते हैं, प्रायः अभेद भी करने लगते हैं। (३) हम मिश्र और सधि ध्वनिग्रामो को गलत ढंग से विकलित करे। उदाहरण के लिए जहाँ जर्मन मे ट् श् एक ध्वनिग्राम न होकर दो ध्वनिग्रामो का योग है, वहाँ अमरीकी अंग्रेजी बोलने वाले इनसे केवल एक ध्वनिग्राम च् ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भाषा मे च् दो ध्वनिग्रामो का सध्यक्षर नहीं है। या जैसे पूर्वी हिन्दी भाषा-भाषी cat मे आने वाले स्वर को सध्यक्षर मान सकते हैं जब कि अंग्रेजी में वह शुद्ध स्वर है।

इन खतरों से बचते हुए हम जब ध्वनिग्राम-विश्लेषण करने बैठते हैं तो हम पहले ध्वनियो को जैसा ग्रहण करते हैं, वैसे ही अंकित करते चले जाते हैं। यह अकन सूक्ष्म होता है और इसको सूक्ष्म लेखन (Narrow transcription) कहते हैं और इनको बड़े कोष्ठ [] के भीतर रखते हैं। बाद मे हम प्रत्येक ध्वनि के परिवेशो का आकलन करते हैं और यदि हमे ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि दो सदृश ध्वनियो के परिवेश एक-दूसरे के पूरक है तो हम उन दो सदृश ध्वनियो को एक ध्वनिग्राम के अन्तर्गत रखकर आगे बढ़ते हैं। पूरी ध्वनिग्राम-राशि को इस तरह वर्गबद्ध करके पुनः उनकी सघटना की तुलना करते हैं और अन्त मे ध्वनिग्राम-राशि का निश्चय करते हैं। अन्तिम रूप से निर्धारित ध्वनिग्रामो को हम दो तिर्छी / / रेखाओ के बीच मे रखते हैं और पूरक वितरण को इस प्रकार द्योतित करते हैं—

अंग्रेजी मे /क/ [$\begin{matrix} \text{ह} \\ \text{क} \end{matrix} \right]$ आद्य स्थिति मे

तथा [क] स् के बाद

और क ध्वनिग्राम के अन्तर्गत दो परिस्थितिजन्य उपरूपो या ध्वनिग्राम-

व्यष्टियों Allophones को रखते हैं। हम विश्लेषण करते समय अनियंत्रित भेदों की मचना-मात्र देकर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके कारण भाषागत नहीं हुआ करते। ध्वनिग्राम भेद पर विशेष बल देने के कारण ही देवनागरी लिपि संस्कृत भाषा के लिए वैज्ञानिक लिपि कही जाती है।



सोलहवाँ अध्याय

ध्वनि-विकास

गत पृष्ठों में भाषा के विकास पर विचार करते हुए हम देख चुके हैं कि भाषा के प्रत्येक अवयव, ध्वनि, अर्थ, वाक्यविन्यास आदि का विकास परिवर्तन के रूप में बराबर होता रहता है और इसका मूल कारण प्रयत्न-लाघव या सुविधा है। ध्वनियों के परिवर्तन में यह कारण विभिन्न प्रकार से काम करता रहता है। यह प्रयत्न-लाघव तरह तरह में व्यक्त होता है। पीछे बताया गया मगलाचार के चार के स्थान पर चारि और कमडल की जगह कमडल का उच्चारण भी मस्तिष्क की गिथिलता और इसलिए प्रयत्न-लाघव का ही उदाहरण है। सादृश्य से भी विकास होता है। जब गरीब की जगह गरीब और सिगल की जगह सिगल बोला जाता है, तब विदेशी अपरिचित ध्वनियों के स्थान पर वैसी ही निकटतम परिचित ध्वनियों या ध्वनि-समूहों के प्रयोग में भी प्रयत्न-लाघव ही छिपे रूप से काम कर रहा है। विदेशी अपरिचित ध्वनि का उच्चारण कष्ट-साध्य था, उसके सदृश चिरपरिचित स्वदेशी ध्वनि का सरल। प्रयत्न-लाघव केवल बोली हुई ध्वनियों के परिमाण को कम ही करे, ऐसी भी बात नहीं है। छोटा लोटा की जगह जब छोटा वाला लोटा कहा जाता है, तब साफ ही अधिक ध्वनियाँ बोली गईं। या जब बेटा की जगह बेटवा कहा गया तब भी कुछ अधिक ध्वनि निकली। पर इन विस्तृत ध्वनि-समूहों के बोलने ही में मस्तिष्क को कुछ अधिक अग्राम मिला, इसलिए यहाँ भी मूल कारण प्रयत्न-लाघव ही है।

सहसा यह कह देना कि अमुक ध्वनि अथवा अमुक ध्वनि-गुण का उच्चारण सहल है और अमुक का कठिन, जरा मुश्किल बात है। ध्वनियों की सरलता और कठिनाई भाषा के प्रवाह पर निर्भर है।

हिन्दी वालो के लिए फ्, थ्, द्, ज्, आदि सघर्षी सघोष अथवा अघोष ध्वनियाँ जितनी ही कठिन हैं, उतनी ही अगरेजी वालो के लिए हमारी दन्त्य त्, थ्, द्, ध्, अथवा फारसी वालो को हमारी प्, घ्, य्, ष्, आदि महाप्राण । हिन्दी में ही बोलियो के अनुसार, किसी को चन्दन की जगह चबन और अँधारी (अँधेरी) की जगह अन्हारी सहल मालूम पडता है तो दूसरे को इसके विपरीत जोन्हय्या की जगह जोँधय्या और कन्हय्या की जगह कँधय्या अधिक सहल है । वैदिक भाषा-भाषी जिस ऋ को अनायास स्वाभाविक रूप से बोल सकते थे, उन्ही के उत्तराधिकारी वर्तमान भारतीयो में इस ध्वनि का शुद्ध उच्चारण करने वाला तलाश करने पर भी नहीं मिलता । हिन्दी की कुछ पच्छिमी बोलियो में दो म्वरो के बीच में आनेवाला हकार गायब होना दिखाई देता है (रहता > रैता) तो कुछ अन्य बोलियो में हकार आता हुआ नजर आता है (तैरता > तहेरता) । इसप्रकार कवि के शब्दों में शब्द-ब्रह्म हम लोगो से खिलवाड-रुा करता दिखाई देता है । नीचे ध्वनि-विकास का स्वभाव दिया जाता है ।

(१) ध्वनि-विकास बहुत धीरे-धीरे मन्दातिमन्द गति से चलता रहता है । संस्कृत का अग्नि आज आग के रूप में दीखता है । इसके बीच के रूप अग्नी, अग्नि, आगि, आदि मिलते ही हैं । परन्तु अग्नि और अग्नी के बीच में न जाने कितनी सदियाँ लगी होगी । ओर फिर अन्तिम ई का ह्रस्व इ और उससे फिर लोप हो जाना यह भी कम समय का द्योतक नहीं । यदि ई की कालमात्रा ४० इकाई रही होगी तो उसको शून्य तक पहुँचने में कई सौ वर्ष लगे होंगे । इसप्रकार का ध्वनि-विकास अपने आप मनुष्य-समुदाय के अनजान में ही हुआ करता है । यदि जान-बूझ कर होता तो भाषा के समझने में दिक्कत होती और लोग इसको रोकते । यह अनायास अपने आप होता रहता है और बहुत धीरे-धीरे होने के कारण ही मालूम नहीं पडता । मालूम तो तब होता है, जब भाषाविज्ञानी बैठकर उस भाषा के विकास का अध्ययन करता है, तब वह इस परिवर्तन पर दृष्टि डालता है ।

(२) ध्वनि-विकास शनै-शनै और अनजान में तो होता ही है वह एक सुमगठित मनुष्य-समुदाय में सर्वत्र व्यापक होता है। यह नहीं कि वह समुदाय के दस व्यक्तियों या परिवारों में तो हो रहा हो और शेष अछूते छूट गए हों। ध्वनि-विकास की विभिन्नता मनुष्य-समुदाय की सुश्लिष्टता की कमी की द्योतक होती है। यदि दो स्वरों के बीच में आने वाली त् ध्वनि का महाराष्ट्री प्राकृत में लोप और शौरसेनी में द् आदेश मिलता है तो इतना निश्चय समझना चाहिए कि इन दोनों प्राकृतों के बोलने वाले भिन्न-भिन्न प्रदेशों में रहते थे और एक में उपर्युक्त परिवर्तन की गति तीव्र थी और दूसरे समुदाय में मन्द। सस्कृत गत का स्थानापन्न ब्रज में गञ्जो और खड़ी बोली (हिन्दुस्तानी) में गया भी प्रदेश और मनुष्य-समुदाय की विभिन्नता ही बताता है। यह ध्वनि-विकास किसी की नकल करने का परिणाम नहीं होता क्योंकि वैसी अवस्था में कुछ लोग ही तो नकल करते, सभी न करते, न कर पाते और परिवर्तन में विभिन्नता दिखाई पड़ती। और फिर नकल अनजान में तो होती नहीं।

(३) ध्वनि की, वाक्य अथवा शब्द में जो परिस्थिति होती है उसके अनुसार ही उसका विकास होता है। ध्वनि शब्द के आदि में है, मध्य में है या अन्त में, आगे पीछे समान ध्वनियाँ हैं या असमान, स्वयं स्वर है या व्यजन, अनुनासिक है या केवल मौखिक इत्यादि बातों पर ध्यान देना पड़ता है। सस्कृत के स्नान, सप्त, वत्स, सब में स् है पर प्राकृत में इन शब्दों के उन्नराधिकारी राहाण, सत्त, वञ्ज मिलते हैं और एक ही ध्वनि स् के तीन रूप (ह्, स्, ङ्) अलग-अलग स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं। सस्कृत के तत्, कति, भवन्ति के प्राकृत रूप तञ्जा, कड, होन्ति हैं और यहाँ भी त् के बारे में परिणाम की विभिन्नता नजर आती है। इससे यह स्पष्ट है कि एक ही ध्वनि की विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न विकास होता है। पर बिनाकुल ही एक ही परिस्थिति में केवल एक ही विकास होना चाहिए। यदि शब्द के आदि का अन्य व्यजनों से असंयुक्त स् गौरसेनी प्राकृत में ज्यो का त्यो वर्तमान

रहना है तो सभी शब्दों में उस परिस्थिति में वर्तमान रहना चाहिए, (सप्त - सत्त, सर्प > सप्प, सूत - सूद, संवते > नेवदि आदि)। दो स्वरो के मध्य का त्स्-यदि वत्स में च्छ के रूप में परिणित होता है तो मत्स्य > मच्छ, उत्सव > उच्छव में भी। उत्सव का रूप यदि जसव भी मिलता हो तो उस्मव को किसी अन्य बोली में आया हुआ समझना चाहिए या परिस्थिति की विभिन्नता खोजनी चाहिए। इसी प्रकार अवधी में शब्द को मध्यवर्ती क्ष माझी (मक्षिका) में छ के रूप में और आंखी (अक्षि) और ममाखी (मधु-मक्षिका) में ख के रूप में मिलती है तो या तो परिस्थिति की विभिन्नता होनी चाहिए या इनमें से एक (छ अथवा ख) रूप किसी दूसरी बोली में आया होगा। परिस्थिति की अभिन्नता में एक मुद्दिल्लिष्ट भाषा में किसी ध्वनि का केवल एक ही विकाम समान रूप में जहाँ-जहाँ उस बोली का क्षेत्र है सर्वत्र होता है।

(४) यह ध्वनि-विकाम पूर्व पीढियों के बोलने वालों के उच्चारण में नियत किया हुआ एक निश्चित दिशा की ओर बढ़ता रहता है। टवर्ग का उच्चारण उत्तर भारत में पाणिनि के समय में मर्धा स्थान में होता था और आज हिन्दी टवर्ग का उच्चारण वर्त्म स्थान के ठीक ऊपर से होता है। जिह्वा जो यह सम्पूर्ण कठोर तालु का क्षेत्र पार कर लाई यह सतत उसके आगे बढ़ने से ही हुआ है। ऐसा संभव नहीं कि जिह्वा ने एक-दो पीढियों तक तो आगे पग धरा हो और तब पीछे चली गई हो और फिर दो-चार पीढियों तक पीछे जाकर बाद को फिर आगे बढ़ना शुरू किया हो। एक ओर इन स्पर्श व्यञ्जनों को आगे बढ़कर उच्चारण करने का जो सिलसिला जारी हुआ वह आज तक जारी है। टवर्ग में ही नहीं कवर्ग और तवर्ग में भी जिह्वा के इस आगे बढ़ने के झुकाव की गवाही मिलती है। अन्तु, ध्वनि-विकाम पूर्व उच्चारण से निश्चित किए हुए मार्ग से मूक गति से वशवद भृत्य की तरह चलता रहता है।

ध्वनि-नियम—ध्वनि-विकास की इस निश्चित तथा नियत गति के कारण ही ध्वनि-परिवर्तन के नियम निर्धारित किए जाते हैं और हम यह कह सकते हैं कि अमुक भाषा से अमुक भाषा में ध्वनि-विकाम

निश्चित नियमों के अनुसार हुआ है। अथवा उस विकास की परिस्थितियों का सूक्ष्मातिसूक्ष्म विश्लेषण कर उनको निश्चित शब्दों में व्यक्त कर देना ही नियम बना देना है। शब्द के आदि का परन्तु व्यजन से असंयुक्त संस्कृत का प सब प्राकृतों में प ही रहता है, यह एक ध्वनि-नियम है। यह सब प्राकृतों में व्यापक है। शब्द के आदि का संस्कृत 'य' प्राकृतों में ज हो जाता है यह भी एक ध्वनि-नियम है पर यह सब प्राकृतों पर लागू नहीं, मागधी में य ही रहता है। और लट्ठी (याष्टि में ल्) हो जाना जो अपवाद दिखाई पड़ता है (शायद समानार्थक लगुड का प्रभाव आदि) उसकी परिस्थिति की विभिन्नता ढूँढनी चाहिए। इस प्रकार ध्वनि-विकास के नियम कोई अधिक व्यापक और कोई कम व्यापक होते हैं। संस्कृत के शब्दों के आदि का स शौरसेनी प्राकृत में स ही रहता है पर आदि का होते हुए भी न या म के परवर्ती होने पर ह हो जाता है और स्थानविपर्यय भी कर लेता है (स्नान \rightarrow राहाण, स्म \rightarrow म्हो)। इस प्रकार एक नियम जो भाषा भर में व्यापक मालूम होता था वह परिस्थितियों के अनुकूल संकुचित हो गया। संस्कृत के एक ही शब्द मध्ये के मॉक्, मँह मॉं, में आदि कई रूप हिन्दी बोलियों में मिलते हैं और यह अनेक-रूपता काल अथवा देश की भिन्नता के कारण ही हो सकती है। फिर पग-पग पर भाषा अपनी पूर्वकालीन अथवा समकालीन भाषाओं से नए-नए शब्द ग्रहण करती रहती है और इस प्रकार एक ही पुराने शब्द के अनेक विकास एक ही बोली में नजर आते हैं।

ध्वनि-विकास के ये नियम भूतकाल ही के बारे में हमें जानकारी प्राप्त कराते हैं, और इस प्रकार किसी भाषा का पूर्ववर्ती भाषा से विकास निर्धारित करते हैं पर इस वर्तमान भाषा के भविष्य के बारे में कुछ नहीं बताते। संस्कृत के दोस्वरो के मध्यवर्ती क्, ग्, त्, व् स्पर्श वर्ण, ह्रस्व मात्रा वाले, वर्तमान भारतीय आर्य भाषाओं में लुप्त हैं, पर संस्कृत के कुछ संयुक्त व्यजन, प्रथम दीर्घ व्यजन, क्, र्ग, त्, ल् आदि में परिवर्तित होकर आज ह्रस्व स्वरूप में (पका माग पाती सूद आदि में) वर्तमान हैं। क्या इनकी भी भविष्य में संस्कृत के क्

म्, त् द की-सी गति होगी? इस प्रश्न का उत्तर माहसी भाषा-विज्ञानी भी नहीं दे सकता। जो विकास होता आया है उसकी प्रवृत्ति उसी मार्ग पर होगी, बस इनना भर बतलाया जा सकता है। टवर्ग के उच्चारण में अथवा कवर्ग और तवर्ग के उच्चारण में जिह्वा जो आगे को बढ़ती आई है वह बढ़ती रहेगी, वम ऐसी प्रवृत्ति का निर्देशमात्र भाषाविज्ञान कर सकता है। इसके आगे क्या होगा नहीं कहा जा सकता। और कौन जाने यदि परिस्थिति भिन्न हो गई और उत्तर-भारत में ऐसी जाति ने यहाँ के निवासियों को ऐसा छाप लिया जिसकी प्रवृत्ति उच्चारण में जिह्वा को पीछे ले जाने वाली हो तो क्या जाने उस प्रभाव में सदियों से आई हुई यह प्रवृत्ति कुठित हो जाय।

इस प्रकार ध्वनि-विकास के नियम को अटल कहना और भूतविज्ञान आदि के नियमों से उसकी तुलना करना उचित नहीं। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत खोज निकाला वह सब कालों और देशों में व्यापक है। भाषा-विज्ञानी द्वारा ढँढा हुआ ध्वनि-विकास का नियम नियत देश और नियत काल के विषय में ही लागू होता है। भूतकाल के एक निश्चित जनसमुदाय की निश्चित भाषा की निश्चित परिस्थिति में ही ध्वनि-विकास के नियम की अटलता है, इतना ध्यान रखना चाहिए।

ध्वनि-विकास के इन नियमों की जानकारी से हमें भाषा का विकास समझ पड़ता है और उस भाषा से सम्बद्ध पूर्ववर्ती अथवा वर्तमान भाषाओं के अध्ययन में सुगमता होती है, यही इन नियमों की उपयोगिता है।

ध्वनि-विकास से कभी-कभी परिस्थिति के अनुसार बिल्कुल नई ध्वनि भाषा में आ जाती है, जैसे मसूरी आदि स्थानों पर गोर्खा कुलियों (दाइयों) के उच्चारण में ज (आज > आज)।

ध्वनि-विकास के परिणाम-स्वरूप कभी ऐसे शब्द जो विभिन्न ध्वनियों के और विभिन्न अर्थ के थे, समान-ध्वन्यात्मक हो जाते हैं पर अर्थ विभिन्न ही रहता है, उदाहरणार्थ—काज, काज; काम, काम, हार, हार, पैना, पैना, गाडी, गाडी, खोया, खोया गया, गया (तीर्थ विशेष),

जुआ (यूफा) जुआ (युग) जुआ (घृत) खाना. खाना (खाना) जाना, जाना (सालूम किया), स० भक्त, भक्त, सेन्धव, मैन्धव, गौ, गौ, पा० अम्स (अम्य) अम्स (स्यात्), अस्स (अस्व), प्रा० कड (कवि), कड (कृति), कइ (कपि)।

इसप्रकार के समान ध्वनिवाले किन्तु विभिन्न अर्थ का बोध कराने वाले शब्द प्रायः प्रत्येक भाषा में होते हैं और जब तक प्रकरण के अनुसार उनके द्वारा भ्रम की कोई सभावना नहीं होती, उनको कोई छेड़ता नहीं और वे ज्यों के त्यों भाषा में वर्तमान रहते हैं। पर यदि उनके प्रयोग से भ्रम होने लगता है तो फिर उस भ्रम को दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं। भ्रम की सभावना तभी होनी है जब एक ही प्रकरण में दोनों का प्रयोग हो सकता हो। उदाहरण के लिए हिन्दी का बड़ा शब्द है। इसका प्रयोग कद में बड़ा या आयु में बड़ा दोनों अर्थों में होता है। यदि छोटे वच्चे देवदत्त के दो भाई उससे बड़े हैं एक रामदत्त और दूसरा यज्ञदत्त और रामदत्त यज्ञदत्त से अवस्था में तो बड़ा है पर कद में छोटा है तब देवदत्त को रामदत्त को बड़े दादा और यज्ञदत्त को छोट दादा कहने में उलझन होती है। वह साक्षात् देखता है कि यज्ञदत्त रामदत्त से है तो (कद में) बड़ा पर कहलाता है छोटा। उम्र की बात उस समय उसकी समझ में नहीं आती। इसप्रकार की विपरीत परिस्थिति को सरल करने का उपाय यही है कि कद की या अवस्था की बड़ाई छोटाई के लिए अलग-अलग शब्द रक्वे जायें। या तो जेठा शब्द से अवस्था की बड़ाई सूचित की जाय या लम्बा शब्द से कद की। संस्कृत का सन्ध्या शब्द जो सबेरे शाम (प्रातः-सन्ध्या, सायः-सन्ध्या) दोनों अर्थों में प्रयुक्त होता था, भ्रम के कारण ही केवल अब शाम (सन्ध्या, सन्धा, सासु) के अर्थ में प्रयोग में आता है। अंग्रेजी में सन् शब्द दो अर्थों में आता है बेटा और सूरज। भ्रम की सभावना है क्योंकि सबेरे दोनों उठते (उगते) हैं। इसीलिए अब बेटा का बोध कराने वाले सन् शब्द के लिए ब्याय या लैड शब्द का बोलचाल की भाषा में प्रयोग होने लगा है। बार-बार की व्याख्या के भ्रम की अपेक्षा दो में से एक अर्थ का बोध कराने वाले शब्द के लिए किसी भिन्न ध्वन्यात्मक शब्द का प्रयोग आ जाना अधिक

स्वाभाविक है सुरप्रधान चीनी आदि भाषाओं में सम्म * ८ पर भिन्नाथ बोधक बहुत से शब्द हात ह ओर उनका विभक्त सुर की विभिन्नता से ही किया जाता है। इसीप्रकार वलाघात-प्रधान भाषाओं में वलाघात द्वारा।

मन्वि आदि के कारण भाषा में आया हुआ ध्वनि-विकार कभी-कभी अस्थान भी आ जाता है। उदाहरणार्थ—प्राकृत भाषाओं में संस्कृत के अंतिम व्यंजन का लोप पाया जाता है (सम्यक् > सम्मा, यावत् > जाव) किन्तु एव के पूर्व यदि वही शब्द आए तो उसे व्यंजन का पुनर्जीवन (आदेश के रूप में) हो जाता है (यावदेव > जावदेव) पर सम्यदेव (<सम्यक् एव = सम्यगेव) में द का अस्तित्व है जो अस्थान है क्योंकि ग होना चाहिए था। प्रत्यक्ष ही यह जावदेव के दृष्टान्त पर हुआ है। इसी प्रकार पा० उसभोग्नि (वृषभ० इव = उसभो इव) अरिरीव आदि के साथ अस्थान सादृश्य के कारण प्रयोग में आया है। संस्कृत भाषा में ही ब-व, स-श के विकल्प की नींव भी कुछ ऐसे ही कारणों पर निर्भर रही होगी।

सादृश्य का प्रभाव जोड़ी के शब्दों में बहुधा दिखाई पड़ता है। स० स्वर्ग नरक हिन्दी में स्वर्ग-नर्क हो गए और बहुधा नरक के स्थान पर नर्क पढ़े-लिखे के मुख से निकलता है। इसीप्रकार सुख के सादृश्य पर हि० दुख (स० दु ख) अवधी अँधेर (हि० अँधेरा) के व्यंजन पर अब उजेर (हि० उजाला) आदि उदाहरण हैं। बच्चों की लोरी के गीत सोने चाँदी का है पलका। विस्तर तकिया है मखमल का मे सोने के स्थान पर छोटी बच्ची सोंदे बोलती है जो स्पष्ट ही चाँदी का प्रभाव है।

सादृश्य के अस्थान में प्रयोग करने के उदाहरण पंडितमन्य व्यक्तियों के मुख से बहुधा सुनाई पड़ते हैं। संस्कृत जानने वाले 'विद्वान्' इच्छा को इच्छा, श्राप को श्राप और बन्धन को बन्धन बोल कर अपनी पंडिताई का परिचय देते हैं। श्राप का श्राप तो कई सदियों से प्रचलित पुराना रूप है। इसी का विकसित सराप, सरापब रूप

अवधी में चलता है, शाप तो कभी का गायब हो गया। बहुतेरे प्रण, गल्प और सगठन को मस्कृत के शब्द समझते हैं। इससे यह मालूम होता है कि यह अस्थान सादृश्य वाले शब्द कुछ व्यक्तियों की भूल की सनक तक ही सीमित नहीं रहते, भाषा में वस्तुतः व्यापक रूप में आ जाते हैं।

पूर्वकालवर्ती स्वदेशी भाषा के विषय में इसप्रकार के प्रयोगों के बहुतेरे उदाहरण पालि भाषा में मिलते हैं। संस्कृत के अघोष स्पर्श वर्णों का पालि के समय में सघोष वर्णों द्वारा आदेश प्रायः हो गया था पर ऐसा अनुमान है कि पालि ग्रन्थ-संपादकों ने अपनी पुस्तकों को प्राचीनता का आकार देने के लिए संस्कृत के अघोष वर्णों का ही प्रयोग किया। इस काम में वह बहुत ही अस्थान प्रयोग कर गए। धम्मपद से ही कुछ उदाहरण ये हैं—कुसीत (<कुसीद) अलापू (<अलादून्), पाचेति (<प्राजयति), पिथियति (<पिथीयते)।

विदेशी-भाषा के शब्दों के, इसप्रकार के अनर्थ प्रयोग के, भी प्रचुर उदाहरण मिलते हैं। नवाबी शहर लग्नऊ को लसनऊ कह कर लोग समझते हैं कि हम ठीक नाम ले रहे हैं। जबाब को जबाब, रवाज को रवाज, जिगर को जिगर आदि कहने वालों की भी कमी नहीं है।

जिसप्रकार पूर्ववर्ती भाषाओं अथवा विदेशी भाषाओं के अज्ञानवश अस्थान गलत प्रयोग होते हैं उसीप्रकार वर्तमान भाषाओं और बोलियों के भी। अक्सर देखा गया है कि किसी चुनाव के लिए खड़ा हुआ नगर-वासी जब देहात में सभाओं में बोलता है तब निजत्व स्थापित करने के लिए वह ग्रामवासियों की बोली बोलने का उद्योग करता है। उसके इस प्रकार के उद्योग से उसे वोट भले ही मिल जायँ पर वह गाँव में हँसी-दिल्ली के लिए अपनी भाषा के रूप में काफी सामग्री छोड़ जाता है।

ऊपर लिखे सारे प्रयोग वक्ता के अज्ञान से होते हैं। पर कभी-कभी मनुष्य अपनी भाषा से तिलवाड करता है और शब्दों को बिगाड़ कर बोलता है। यह प्रयोग जानकर, विनोद आदि के लिए होते हैं और कोई-कोई कभी-कभी भाषा में टिक जाते हैं।

कवि भी भाषा को अपनी कल्पना का अपर्याप्त माध्यम पाकर शब्दा के नए रूपों का प्रयोग करता है। इनमें से भी कुछ भाषा में स्थिर स्थान पा जाते हैं।

सत्तरहवाँ अध्याय

पद-रचना

पीछे हम देख चुके हैं कि भाषा का अवयव वाक्य है, अथवा भाषा वाक्यों का समूह है। वाक्य में ध्वनियों का समूह रहता है। इस ध्वनि-समूह के भी छोटे-छोटे समूह बनते हैं, एक तो उच्चारण की सुविधा के अनुसार और दूसरे अर्थ-व्यञ्जकता की सुविधा के अनुसार। पहली श्रेणी के समूहों की जानकारी ध्वनिविज्ञान में प्राप्त होती है और दूसरी की पद-रचना-विज्ञान के द्वारा। दूसरी श्रेणी के समूहों को शब्द या पद कहते हैं। दूसरे वाक्य की प्रतिमा मस्तिष्क में रहती है और यही ध्वनि-समूह द्वारा मुख में निकलती है और इन ध्वनियों के द्वारा ही अन्य मनुष्य हमारे मस्तिष्क में स्थित विचारों को समझ सकते हैं। ध्वनियों का प्रतिबिम्ब भी मस्तिष्क में रहता है। पर शब्दों का अस्तित्व इनमें निश्चित रूप से वहाँ नहीं रहता, तब भी अन्तःकरण में कही न कही इनका रूप भी रहता है जहाँ से ये बनते-बिगड़ते रहते हैं।

कभी-कभी वाक्यात्मक प्रतिमा मस्तिष्क में कुछ रहती है और उच्चारण कुछ हो जाता है। पस में हवा भर दो आदि वाक्य इसी के उदाहरण हैं। अथवा सामने खड़ी हुई सावित्री को पुकारना चाहे और उसे पुकारे सरोजनी (इसी को साहित्यगाम्त्री गोनस्खलन कहते हैं)। लिखी हुई चीज पढ़ने में इसप्रकार की भूल अनायास ही हो जाती है। उसका कारण यह होता है कि प्रयत्न-लाघव के लिए बहुधा हम पूरे शब्द न पढ़कर उसके अग्रमात्र से शब्द का अस्तित्व प्राप्त कर आगे बढ जाते हैं। इस जतदी में भूल हो जाना कोई अचरज की बात नहीं। यही जतदी अथवा मस्तिष्क की शिथिलता कभी-कभी उच्चारण की भूलों के मूल में रहती है।

वाक्य में कभी-कभी एक ही पद रहता है और बहुधा कई। पर वाक्य में चाहे जितने पद रहे, उसका ग्रहण समष्टि-रूप से होता है। वाक्यार्थ ग्रहण करते समय हमारा मन प्रत्येक ध्वनि या प्रत्येक शब्द (पद) पर नहीं रुकता। परन्तु वाक्य का विश्लेषण करने पर हमें पता चलता है कि उसमें दो तन्व मिले रहते हैं—कुछ ध्वनियाँ अर्थ-तन्व का बोध कराती हैं और अन्य उन अर्थ तन्वों के परस्पर सम्बन्ध का। यह सुन्दर रचना तुलसीदास की है इस वाक्य में सुन्दर रचना तुलसीदास के त्रिशिष्ट अर्थोद्बोधक ध्वनि-समूह है। इनसे हमारे दिमाग में उपस्थित निश्चित विचारों का बोध होता है। बाकी के यह, की और हे शब्द कोई विशिष्ट अर्थ नहीं बताते केवल रचना और तुलसीदास के परस्पर सम्बन्ध जतलाते हैं। यह शब्द किसी विशेष रचना का निर्देश करके उससे वक्ता के निकटस्थ होने की सूचना देता है, की तुलसीदास और रचना का परस्पर कर्तृत्व-कृति सम्बन्ध स्थापित करता है और है उस रचना के वर्तमान अस्तित्व और उस सम्बन्ध के वर्तमानत्व की सूचना देता है।

अर्थ-तत्त्व में अभिप्राय भाषा के उन अंशों से हैं जो अर्थ अथवा विचार का उद्बोध कराते हैं। सम्बन्ध-तत्त्व से तात्पर्य उन अंशों में है जो अर्थ-तत्त्व द्वारा व्यक्त किए हुए विचारों के परस्पर सम्बन्ध की सूचना देते हैं।

किसी भी भाषा का अध्ययन करने से पता चलता है कि मनुष्य-समुदाय में विचारों को व्यक्त करने की कुछ धाराएँ बन जाती हैं, जो प्रवाह रूप से चलती रहती हैं, और जिनमें सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार हेर-फेर होता रहता है। संस्कृत बोलने वालों की विचारधारा एक प्रवाह में चल रही थी जिसका ज्ञान हमें संस्कृत के वाक्यों के विश्लेषण से होता है, पाणि आदि उत्तरकालीन भाषाओं की धीरे-धीरे बदलती गई पर प्रवाह अक्षुण्णरूप से आधुनिक आर्य-भाषाओं तक मिलता है। यह प्रवाह चीनी-भाषा द्वारा व्यक्त हुए प्रवाह से अथवा अरबी-भाषा द्वारा व्यक्त किए गए प्रवाह से बहुत भिन्न है। अंगरेजी

के प्रवाह से भी काफी भिन्न है, पर भेद की वह मात्रा नहीं जो चीनी या अरबी से है।

विचारधारा का यह प्रवाह सम्बन्धतत्त्वों को प्रकट करने के ढंग से मालूम होता है। हर भाषा का यह ढंग जुदा-जुदा होता है। विविध भाषाओं का अध्ययन करके भाषा-विज्ञानियों ने सम्बन्धतत्त्व को व्यक्त करने के नीचे लिखे प्रकार बताया है।

(१) सम्बन्धतत्त्व अलग शब्द ही हो सकता है। उदाहरणार्थ—संस्कृत के इति, एव, अपि, च, पर आदि, हिन्दी के से, का, के, में, पर और तब, जब, जहाँ, तहाँ आदि। सभी सर्वनाम-शब्द सम्बन्धतत्त्व ही प्रदर्शित करते हैं। कभी-कभी दो शब्द वाक्य में सम्बन्धतत्त्व जतलाते हैं और इनका स्थान भिन्न रहता है, जैसे हि० यदि तो, न न, यद्यपि तथापि।

(२) सम्बन्धतत्त्व अर्थतत्त्व में ही जोड़ दिया जाना है, इस प्रकार वह उसी शब्द का अंग बन जाता है। यह शब्द के आदि, मध्य, अन्त में कहीं भी हो सकता है, उदाहरणार्थ स० में लड़ में और लुड़ में आदि में अ (अगच्छत्, अगमत्, अचोरयत्, अचूचुरत्) जो भूतकाल की क्रिया का द्योतक हो गया अथवा अ (अकुर्वन्, अगच्छन्, अपाणिपाद्) जो क्रियाओं और मज्ञाओं में निषेध का सूचक हो गया, मध्य में य—(गम्यते, हस्यते, चोर्यते) भाववाच्य अथवा कर्मवाच्य का द्योतक, अथवा अय पय (करति-कारयति, स्नाति-स्नापयति) जो प्रेरणा की सूचना देने लगा, अन्त में स्य, -स्मिन् (रामस्य, सर्वस्मिन्) आदि विभक्त्यर्थक, शतृ क्त (गच्छत्, गत) आदि क्रिया के काल भाव आदि के द्योतक। इसी प्रकार हिन्दी का निषेधात्मक अ, प्रेरणार्थक वा (करना करवाना) स्त्रीप्रत्यय-आनी, -आइन (पडितानी, पडिताइन) आदि, विभक्त्यर्थक-हि-ए (घरहि, दुआरे) आदि इसी के उदाहरण हैं। सभी भाषाओं में इस उपाय का अवलम्बन प्रचुर मात्रा में किया जाता है। वहाँ अर्थतत्त्व तीन व्यंजनो द्वारा उद्बोधित होता है और प्रायः सभी शब्द आगे, पीछे, बीच में कुछ ध्वनियों (विशेष कर स्वरो)

को जोड़ कर बनते हैं, जैसे व् ल् द इन तीन की इसी क्रम की सपष्टि का अर्थ पेदा करना होता है, इसी से वात्तिद वल्द, तवल्लुद आदि शब्द बनते हैं, इसीप्रकार क् त् ल् की सपष्टि से कातिल, क्तल, मकतल, कतल, कुतिल, यकतुलु, कितल, किताल, कातल, क, त् व् से किताव, कुतुब, कातिब, मकतूब, तकतुब, कतबत आदि ।

(३) अर्थतत्त्व की ध्वनियों में कुछ परिवर्तन कर देने (एकाध का लोप करके उसके स्थान पर दूसरी बिठा देने) में भी सम्बन्धतत्त्व का बोध कराया जाता है, उदाहरणार्थ सन्स्कृत में शृङ्ग (सींग), शार्ङ्ग (सींग का बना हुआ), पुत्र पौत्र, हिन्दी में पिटना-पीटना, कटना-काटना, मरना-मारना, बकरा-बकरी, पोथा-पोथी, फूला-फूली आदि ।

(४) अर्थतत्त्व की ध्वनियों में ध्वनिगुण (मात्रा, मुर या बलाघात) का भेद उपस्थित कर देने में भी सम्बन्धतत्त्व का बोध हो जाता है, जैसे अगरेजी में बलाघात के ही द्वारा, शब्द क्रिया है या सज्ञा इसका बोध होता है, यथा, 'कन्डक्ट (सज्ञा) कन्डक्ट (क्रिया) ('Conduct-Con' duct), 'रेकर्ड (सज्ञा) रेकर्ड क्रिया ('Record-Re'cord) । चीनी और अफरीकी भाषाओं में सुर के द्वारा निषेध आदि का बोध होता है । अफरीकी भाषा फुल के एक वाक्य का उदाहरण ध्वनिगुण के अध्याय में ऊपर पृ० ६७ पर दिया गया है ।

(५) जैसे गाने में क्षणिक विराम, अथवा वाक्यों के बीच का विराम पर्याप्त भाव का बोधक होता है, वैसे ही किसी अर्थतत्त्व में ध्वनियों को जोड़कर या उनमें परिवर्तन करके जब रूपों की श्रेणी बनती है तब अर्थत्व में कोई विकार न उत्पन्न करना और उसको ज्यों का त्यों छोड़ देना भी सम्बन्धतत्त्व का द्योतक हो सकता है । वैदिक-पूर्व और उत्तरकालीन सस्कृत भाषा में किसी-किसी सज्ञा का अविकृत रूप ही (पात्, सरित्, जल्लमुक्, वणिक्, यश) प्रथमा एकवचन का द्योतक होता था । हिन्दी में धातु का अविकृत रूप (कर, चल, जा, सा) क्रिया के आज्ञार्थ का बोधक होता है ।

(६) अर्थतत्त्व का वाक्य में अथवा वाक्यांश में स्थानमात्र ही

कभी-कभी सम्बन्धतत्त्व का बोधक होता है। उदाहरणार्थ हिन्दी में राम गीत गाता है गीत अच्छा लगता है, इन दो वाक्यों में गीत शब्द का वाक्य में स्थान ही उसके कारक का बोधक है। समास में तो शब्द के स्थान पर बहुत कुछ निर्भर रहता है। मल्लग्राम (पहलवानों का गाँव) और ग्राममल्ल (गाँव का पहलवान), राजपुत्र (राजा का लडका) और पुत्रराज (लडको में राजा, श्रेष्ठ) आदि प्रयोगों में अपेक्षाकृत प्रथम या द्वितीय स्थान ही सम्बन्धतत्त्व को जतलाता है।

इस तरह सम्बन्धतत्त्व को प्रकट करने के विभिन्न उपायों के होने के कारण भाषाओं की रचना की भिन्न-भिन्न शैलियाँ मालूम पड़ती हैं। किसी-किसी भाषा में अर्थतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व इस ढंग से मिला-हुआ रहता है कि एक ही शब्द दोनों तत्त्वों का पूर्णरूप से बोधक होता है। प्राचीन आर्य और सामी भाषाएँ अविकाश में इसी ढंग की हैं। इनमें सम्बन्धतत्त्व को बताने के लिए स्वरक्रम (गुण, वृद्धि आदि अवश्रुति) आदि, मध्य या अन्त में प्रत्यय लगाना, ध्वनियों में कुछ लोप, आदेश आदि कर देना—इत्यादि उपाय काम में लाए गए हैं। कुछ अन्य भाषाओं में सम्बन्धतत्त्व के अर्थ अलग ही शब्द रहते हैं, जैसे चीनी भाषा में सम्बन्धतत्त्व वाले शब्दों को रिक्त और अर्थतत्त्व वाले को पूर्ण कहते हैं। दोनों का अस्तित्व अलग-अलग रहना है। अफ्रीका की कुछ (बाटू आदि) भाषाओं में एक ही सम्बन्धतत्त्व को व्यक्त करने के लिए एक में अधिक शब्द रहते हैं। कुछ भाषा-परिवारों (फ़ीनो-उग्रो या तुर्की-नातारी) में सम्बन्धतत्त्व अर्थतत्त्व के साथ जुड़ा रहता है परन्तु उसका अस्तित्व इतना प्रत्यक्ष होता है कि बिना अर्थतत्त्व को ज़रा भी छेड़े हुए उसको अलग कर सकते हैं। कोई भी भाषा ऊपर लिखे उपायों में से केवल एक ही का अवलम्बन नहीं करती। इनमें से एक उपाय की प्रचुरता देखकर ही हम कह देते हैं कि अमुक भाषा अमुक उपाय का अवलम्बन करती है। हिन्दी ही को ले लीजिए। आर्य भाषा होने के कारण बहुत से शब्दों में सम्बन्धतत्त्व अर्थतत्त्व से जुड़ा हुआ अभिन्न रूप से दिखाई देता है, किन्तु इस अभिन्नता की मात्रा

संस्कृत से कम है। चीनी भाषा की तरह इसमें सम्बन्धतत्त्व को बतलाने के लिए विभक्त्यर्थक आदि अलग ही अस्तित्व रखने वाले शब्दों की संख्या है और सों भी कम नहीं। बाटू भाषा की तरह कुछ प्रयोगों (यदि तां आदि) में एक से अधिक शब्द सम्बन्धतत्त्व का बोध कराते हैं। बहुत में ऐसे शब्द हैं जिनमें फीनी या तुर्की भाषा की तरह सम्बन्धतत्त्व का अर्थ बिना अर्थतत्त्व को छोड़े अलग ही झलकना है।

अर्थतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व का परस्पर भेद समझ लेने पर भी, शब्द क्या है यह मवात्त हल नहीं होता। संस्कृत के वैयाकरणों ने शब्द के प्रयोग को पद की संज्ञा दी है। ध्वनियों का समूह ही शब्द माना गया है। यदि उसमें प्रत्यय जोड़कर उसे वाक्य में व्यवहार के योग्य कर लिया जाय (जिस प्रक्रिया से उसमें अर्थ को उद्बोधित करने की सामर्थ्य आ जाय) तो उसे पद कहते हैं। यही पाणिनि द्वारा दिए गए पद के लक्षण (मुप्ति-इत्त पदम्) का अभिप्राय है। वैयाकरण की दृष्टि में जब तक प्रकृति में प्रत्यय नहीं जुड़ता तब तक उसके अर्थ का कोई बोध नहीं होता है और इसी-लिए ऐसे पदों में (यहाँ तक कि नीचे आदि अव्ययों में) भी जिनमें कुछ भी विकृति नहीं आती, उसे प्रत्ययों की कल्पना करनी पड़ी है और उन प्रत्ययों के तात्कालिक लोप की। तथापि सिद्ध शब्द के लिए पद शब्द का प्रयोग और असिद्ध के लिए केवल शब्द का प्रयोग करके दोनों का भेद रखना उचित है। किसी-किसी भाषा में पद ही पूरा वाक्य होता है अथवा वाक्य ही पूरा पद होता है। एम्किमो ऐसी ही एक भाषा है। बाटू में हम देख ही चुके हैं कि दो शब्दों को मिलाकर ही सम्बन्धतत्त्व-बोधक पद का बोध होता है। चीनी भाषा में कभी-कभी एक से अधिक शब्द मिलाकर ही अर्थतत्त्व का बोध होता है। उदाहरणार्थ 我 + 父 (वस्व) 父 + 我 (पिता)। इन दो-दो शब्दों के समूह को ही पद कह सकते हैं। कहीं-कहीं ये दो शब्द वाक्य में अलग अलग एक दूसरे से दूरस्थित रह सकते हैं। फ्रेच भाषा का न पा (नहीं) उदाहरण है (ज न ले पा वू—मैंने नहीं देखा)। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए पद का नीचे लिखा लक्षण ठीक मालूम होता है—

‘पद उस ध्वनि या ध्वनिसमूह को कहते हैं जिसका वाक्य में भाषा की परम्परा के अनुसार सम्बन्धतत्त्व का, अर्थतत्त्व का अथवा उन दोनों के अर्थ का बोध कराने के लिए प्रयोग होता है। यदि ध्वनि समूह है तो एकत्र और कभी-कभी अनेकत्र भी उसके अंशों की स्थिति रहती है।’

हर भाषा में उसकी परम्परा के अनुसार ही पद का विशिष्ट लक्षण करना पड़ेगा। पर साधारण रीति से उपर्युक्त लक्षण सभी भाषाओं के पदों के लिए उपयुक्त होगा।

पद का लक्षण कर देने पर, शब्द के विषय में भी कुछ कहना जरूरी है। ऊपर ही कह चुके हैं कि शब्द पद की उस अवस्था का नाम है जब उसमें अर्थ का उद्बोध नहीं हुआ। परन्तु सामान्य रूप से उसमें अर्थ निहित रहता है। ध्वन्यात्मक शब्द और व्याकरणात्मक शब्द में यह अन्तर है कि ध्वन्यात्मक शब्द एक साथ उच्चारण में आता है। सुविधा के अनुसार उसमें एक ही व्याकरणात्मक शब्द (जैसे नीच, प्रविशति में) एकाधिक व्याकरण-शब्द (अग्निश्च) अथवा एक व्याकरण-शब्द और द्वितीय का कुछ अंश (पुत्र अम्माक—पुत्रोऽम्माक) हो सकता है। व्याकरणात्मक शब्द में अर्थ का बोध कराने की, विशिष्ट भाषा की परम्परा से, शक्ति रहती है। जब ध्वनियों के किमी समूह में व्याकरण के प्रयोग के अनुसार अर्थ के बोध कराने की शक्ति होती है तब उसे शब्द की सजा देते हैं।

अठारहवाँ अध्याय

रूप-विज्ञान

यह हम पहले इंगित कर चुके हैं कि ध्वनिग्राम स्वयं अर्थहीन होता है और अर्थ का भान केवल रूप के स्तर में ही प्रारम्भ होता है। ध्वनिग्राम का महत्व रूप की पहचान में मदद देना है, क्योंकि रूप की आकृति ध्वनिग्राममय ही होती है। इसप्रकार ध्वनिग्राम-समुदाय का अर्थ में सम्बन्ध, रूप के माध्यम से ही होता है। रूप, दूसरे शब्दों में, ध्वनिग्राम और अर्थ को जोड़ने वाली कड़ी है। रूप का दुहरा उद्देश्य होता है, एक अर्थवान् ध्वनिग्राम-समुदाय और दूसरे अर्थवान् ध्वनिग्राम समुदाय के बीच सम्बन्ध की स्थापना करना, तथा इन ध्वनिग्राम-समुदायों के योग से पद की रचना करना।

रूप की परिभाषा यदि इसप्रकार की जाय कि “वह किसी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है जो व्याकरण की दृष्टि में सगन हो” तो हमें फिर व्याकरण की परिभाषा करनी पड़ जायेगी और व्याकरण की परिभाषा भी हम रूप की प्रक्रिया के अलावा कोई अन्य नहीं मिलेगी। उस दशा में हम अन्योन्याश्रय दोष में पड़ जायेंगे। हाँ, यदि हम रूप की परिभाषा इसप्रकार करें कि “रूप भाषा की वह छोटी से छोटी अर्थवती इकाई है जो अपने आकार, रूप, ध्वनिग्राम-समुदाय को अभिव्यक्ति की सघटना में जोड़ती है” तो इस दोष में मुक्त हो सकते हैं। फिर प्रश्न यह उठता है कि रूप के लिए ध्वनिग्राममय होना क्या आवश्यक है? क्या रूप शून्य ध्वनिग्राम नहीं हो सकता, ‘जैसे राम घर गया’ में ‘राम’ और ‘घर’ के वाद कर्तृ सम्बन्ध और कर्म सम्बन्ध को ज्ञापित करने के लिए कोई प्रत्यय नहीं लगे है और वहाँ इस सम्बन्ध में भाषाविदों से सहारा मतसंदेह है। कुछ लोग शून्य रूप (Zero morph) को रूप की

एक व्यष्टि मात्र मानते हैं और उसकी एक कल्पित आकार-समष्टि सिद्धान्त रच लेना आवश्यक समझते हैं। पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण में इसी पद्धति को अपनाया है, और उन्होंने शून्य रूप प्रत्ययों को भी कोई न कोई काल्पनिक नाम देकर उनके द्वारा रूप-प्रक्रिया समझाने की कोशिश की है। दूसरे लोग इस शून्य रूप को भाषा के वर्णन में कहीं-न-कहीं नितान्त आवश्यक मानते हैं और उसकी स्वतन्त्र सत्ता कायम रखना चाहते हैं। विशेष रूप से विशिष्ट भाषाओं के वर्णन में शून्य रूप की आवश्यकता अधिक पड़ती है, क्योंकि उनमें केवल शब्दों के क्रम से ही सम्बन्ध का भेद बोधित हो जाता है। अंग्रेजी में जान किल्ड जेम्स, (John killed James) और जेम्स किल्ड जान (James killed John) इन दो वाक्यों में केवल क्रम बदल देने में ही जेम्स और जान के सम्बन्ध (कर्तृत्व कर्मत्व) बदल जाते हैं। चीनी भाषा में तो इसके अनन्त उदाहरण मिलेंगे। मार्फ (morph) और रूप दोनों के व्युत्पत्तिजन्य अर्थ उसके साकार ही रूप की ओर इशारा करते हैं और यद्यपि शून्य को भी एक आकार मान लेने से गणित की दृष्टि में कोई बाधा नहीं आती, पर उससे सब से बड़ी गड़बड़ी यह पड़ती है कि शून्य से अनेक स्थलों पर काम लेने में सम्भ्रम हो जाता है। उदाहरण के लिए हिन्दी में यदि हम 'जा' को एक रूप मानते हैं और 'राम' को भी एक रूप मानते हैं तो 'राम जा' वाक्य में दोनों के आगे क्रमशः सम्बोधन एवं आज्ञा का बोध कराने के लिए शून्य रूप जोड़ने की आवश्यकता पड़ेगी। उस दशा में शून्य के दो भेद करने होंगे। पर हम यदि यह कहते हैं कि "राम के आगे लगने वाला रूप शून्य न होकर "ने" है जिसका शून्य एक व्यष्टि रूप है (Allomorph) तथा "जा" के आगे लगने वाला रूप "जो" है जिसका भी एक व्यष्टि रूप शून्य है, तो हम इस गड़बड़ी से बच सकते हैं। सारांश यह है कि रूप को ध्वनिग्राममय मानना ही अधिक सुविधाजनक है। अब, ध्वनिग्राम का द्योतन जैसा कि पहले लिखा जा चुका है स्वर, व्यंजन, मात्रा, सुर, विवृत्ति आदि कई प्रकार से किया जा सकता है, हमें किसी भी प्रकार के ध्वनिग्राम-समुदाय

क रूप को बनाने में कठिनाई नहीं हो सकती। पाणिनि ने अपने रूप की इकाइयाँ इस प्रकार अनुवधित की हैं कि उनसे रूप के योग के कारण होने वाली ममस्त मधि-प्रतिक्रिया का विधान सम्भव है। उदाहरण के लिए अ् अनुबन्ध वाले प्रत्यय जोड़ने पर प्रकृति के स्वर में वृद्धि होती है, यह कल्पना कर लेने से ही हम एक ही भौतिक आकार वाले दो प्रत्ययों का पृथक्करण आसानी से कर सकते हैं।

रूप की परिभाषा अभी अवूरी रह गयी है। जैसे ध्वनिग्राम एक ध्वनि को उपस्थित न कर के एक मद्दुग्ध ध्वनिसमूह को उपस्थित करता है उसी प्रकार रूप भी केवल एक आकार को उपस्थित न कर के एक सम्बन्धार्थ रखने वाले अनेक आकारों का प्रतिनिधित्व करता है जो एक मधि-प्रतिक्रिया और परिवेग समान रखते हुए भी वितरण की दृष्टि से एक-दूसरे के पूरक होते हैं। उदाहरण के लिए संस्कृत में निष्ठा प्रत्यय का भाव वर्ग के अन्तर्गत आने वाला भाव कर्मवाची भूतकालिक कृत प्रत्यय {-क्त} के व्यष्टि रूप ।-ता,।-इता,।-टा,।-ना,।-णा,।-वा,।-का इतने मिलेंगे

नी + क्त = नीत, चल् + क्त = चलित, कृष् + क्त = कृष्ट, छिद्र + क्त = छिन्न, पृ + क्त = पूर्ण, पच् + क्त = पक्व, शुष् + क्त = शुष्क।

अब हम इनको अलग अलग रूप नहीं कह सकते, क्योंकि ये सभी एक ही प्रकार का सम्बन्धार्थ—भूतकालिक कृत-द्योतित करते हैं, ये सभी प्रकृति के बाद आते हैं, इन सब के पूर्व प्रकृति का हसित रूप ही आ सकता है और ये एक-दूसरे के वितरण-क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करते। संस्कृत से ही हम सुबन्त प्रत्यय-वर्ग का भी एक उदाहरण ले। कर्त्ता-कारक एकवचन के अर्थ को ज्ञापित करने के लिए हमें इतने प्रकार के रूप मिलते हैं—

लता + सु = लता, (शून्य)

राम + सु = रामस्, •

विद्वस् + सु = विद्वान् (प्रातिपदिक में वृद्धि + शून्य)

ये तीन रूप शून्य, स् और प्रातिपदिक के वृद्धिपूर्वक शून्य वस्तुतः एक-

दूसरे के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करने। जिन प्रातिपदिका के बाद केवल शून्य आता है, उनके बाद न तो स् आता है और न प्रातिपदिक में वृद्धि ही होती है, जिनके आगे स् आता है उनके आगे किसी भी प्रकार का शून्य नहीं आता, और जिनके शून्य आने के साथ-साथ उममें वृद्धि भी होती है उसके आगे न तो स् आता है न केवल शून्य आता है। इसप्रकार रूप की इकाई जहाँ सम्बन्ध की एकता की अपेक्षा रखती है, वहाँ वह ध्वनिग्रामीय आकार की एकता या सादृश्य की अपेक्षा नहीं रखती। एक इकाई वस्तुतः एक सम्बन्धार्थ का अन्त्य गुणखण्ड है, उसके आगे सम्बन्धार्थ का विखण्डन नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार हमें रूप के भी अन्तर्गत अनेक व्यष्टि-रूप (allomorph) मिलते हैं, जिनकी सार्थकता ध्वनिग्राम-सघटना की दृष्टि से तो होती है, पर रूप-रचना की दृष्टि से नहीं होती। व्यष्टि-रूपों का वितरण दो कारणों से नियंत्रित होना है—ध्वनिग्रामीय एव रूपात्मक। ध्वनिग्रामीय परिवेश-भेद से जो रूप-भेद उपस्थित होते हैं, उनकी प्रक्रिया को हम सधि (morphophonemics) कहते हैं। वस्तुतः एक रूप का दूसरे रूप से ध्वनिग्रामीय संश्लेष ही सधि है। एक रूप के भीतर सधि होने का प्रश्न नहीं उठता। यह प्रश्न तभी उठता है जब वह रूप दूसरे रूप के सन्निकर्ष में आये। उदाहरण के लिए ष् में अन्त होने वाली धातु के बाद जब त् प्रत्यय आयेगा तो उसका रूप ट् हो जायगा। अब यह ट्-रूपता ध्वनिग्रामीय परिवेश के कारण है—ष् के मूर्धन्य होने के कारण त् को मूर्धन्य रूप धारण करना पड़ता है। परन्तु जब रूप का व्यष्टि-भेद ध्वनिग्राम के परिसर पर आधृत न होकर किसी अन्य कारण से रूप के परिसर पर आधृत होता है, तो हम उसे रूपात्मक कारण पर आधृत एक व्यष्टि-भेद कहते हैं। इसप्रकार ये दो कारण रूप के व्यष्टि-भेदों का नियंत्रण करते हैं। शुष् धातु के बाद आने वाले त् का क् रूप शुष् के किसी ध्वनिग्राम के कारण न होकर पूरे शुष् रूप के कारण है और इसलिए इसे रूपात्मक कारणजन्य व्यष्टि-भेद कहते हैं।

रूप का वर्गीकरण कई प्रकार से किया गया है। वर्गीकरण का

पहला आधार-क्रम (order) है। जिस क्रम में कोई रूप आता है, जिसके अनुसार उसका जो वर्गीकरण किया जायगा, वह क्रमात्मक वर्गीकरण कहा जायगा। उदाहरण के लिए संस्कृत में तिङन्त रूप में उपसर्ग को प्रथम स्थान प्राप्त है। अध्यास द्वारा अटागम को द्वितीय स्थान, धातु को तृतीय स्थान, विकरण को चतुर्थ स्थान, लकार ज्ञापक प्रत्यय को पंचम स्थान और तिङ् को षष्ठ स्थान प्राप्त होना है। ये क्रमशः प्रथम क्रम, द्वितीय क्रम तृतीय क्रम, चतुर्थ क्रम, पंचम क्रम षष्ठ क्रम में प्रयोग में आयेगे। दूसरा वर्गीकरण का आधार विन्यास (sequence) है। कोई रूप किस प्रकार के रूप के बाद विन्यस्त किया जाता है, इसके आधार पर वर्गीकरण करना विन्यासात्मक वर्गीकरण कहलाता है। उदाहरण के लिए सुप वर्ग एक ऐसा वर्ग है जो प्रातिपदिक वर्ग के बाद आता है और तिङ् वर्ग एक ऐसा वर्ग है, जो धातु के बाद आता है। अधिकतर दूसरे प्रकार का वर्गीकरण ही विशेष महत्व रखता है।

रूपों के वर्गीकरण का एक अन्य आधार भी है। वह है, उसके बद्ध और मुक्त स्वभाव पर आधारित। कोई-कोई रूप स्वतन्त्र रूप में दूसरे से मुक्त होकर भी पद बना लेते हैं, और कोई-कोई बिना किसी दूसरे से बंधे हुए पद या शब्द बनाने की क्षमता नहीं रखते। हिन्दी में 'राम' मुक्त रूप की कोटि में आता है, और 'न' या 'ओ' जैसे रूप बद्ध रूप की कोटि में आते हैं। अयोगात्मक (analytic) भाषाओं में सभी रूप मुक्त होते हैं और प्रलेपात्मक भाषाओं में सभी रूप बद्ध होने हैं। श्लिष्टात्मक भाषा में दोनों प्रकार के रूप पाये जाते हैं। पर वर्गीकरण के ये भेद विश्लेषण में उतने उपयोगी नहीं होते, जितने कि ऊपर दिये गये दोनों वर्गीकरण।

अन्त में रूप और पद का भाषा में क्या स्थान है, इस पर कुछ विचार करना चाहिए। भाषा के रूप का महत्व पद के भीतरी उपादान-तत्वों के परस्पर सम्बन्ध का ज्ञापन कराना है। पर प्रयोग की दृष्टि से पद ही अधिक सलक्ष्य होने वाली इकाई है। कुछ विचारकों ने पद की दो धारणाएँ मानी हैं (१) ध्वनिप्रामीय (Phonological) और

(२) विशुद्ध रूपमय । उनके अनुसार अल्प विवृति (Open transition) ही ध्वनिग्रामीय शब्द को विभाजक-रेखा है । उदाहरण के लिए सोयम्, रामश्च, त्वमपि, ये ध्वनिग्रामीय दृष्टि से सोचने पर एक-एक शब्द है, किन्तु रूप की रचना की दृष्टि से देखने पर ये दो-दो पदों के युग्म बनते हैं । भाषा की सघटना की दृष्टि से पद का इन दो रूपों में निर्धारित किया जाना इतना ही महत्व रखता है कि अल्प विवृति आने ही सधि-प्रक्रिया बाह्य और वैकल्पित हो जाती है और दो अल्प विवृतियों के बीच आने वाले पद के भीतर सधि की प्रक्रिया आभ्यन्तर और नित्य रहती है, पर वाक्य-विचार की दृष्टि में रूपमय पद ही का महत्व होता है, क्योंकि वाक्य में जिस पद का सम्बन्ध दूसरे पद से होता है, वह ध्वनिग्रामीय कल्पना न होकर रूपात्मक कल्पना पर ही आधृत रह सकता है ।

हम संक्षेप में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि रूपराशि और रूप-व्यवस्था ही का योग किसी भाषा का आन्तरिक व्याकरण होता है और पद तथा पद-व्यवस्था उसका बाह्य व्याकरण होता है ।

उत्तरीसर्वा अध्याय

सन्धि

सन्धि की परिभाषा पिछले अध्याय में इसप्रकार दी जा चुकी है कि एक रूप और दूसरे रूप के परसन्निकर्ष के कारण उपस्थित व्यष्टि-रूपों में भेद की प्रक्रिया को ही सन्धि कहते हैं। इसप्रकार सन्धि-प्रक्रिया के अन्तर्गत दो रूपों के सश्लेष के कारण होने वाले जितने भी ध्वनिग्राम-विकार हो सकते हैं—वे सभी आ जाते हैं। यह सन्धि दो प्रकार की होती है—(१) पद के बाहर और (२) उसी पद के भीतर, पद के भीतर सन्धि नित्य होती है। पद के बाहर सन्धि वैकल्पिक होती है अर्थात् पद को दूसरे पद में जोड़ते समय वक्ता की विवक्षा जिसके मश्लेष पर बल देने की होगी, उसी के अनुसार सन्धि होगी। उदाहरण के लिए जब कोई शिक्षक भाषा का प्रयोग सिखलाता है तो वह एक एक पद को अलग अलग करके प्रत्येक के बीच में विराम देकर बहुत धीमी गति से ध्वनिग्रामों का उच्चारण करता है। उस दशा में एक पद और दूसरे पद के बीच सन्धि का प्रश्न कभी नहीं उठता। पर आदमी साधारण व्यवहार में जब भाषा का प्रयोग करता है तो उस समय प्रायः दो या दो से अधिक भी पदों को एक साथ सहित करके बोलता है, जैसे—“क्या कर रहे हो” वाक्य जब सामान्य बोल-चाल में बोला जायगा, तो “कर” और “रहे” की सन्धि होकर “कर” का “र” “रहे” के “र” में मिल जायगा। या संस्कृत में जब एक एक पद को अलग करके हम पढ़ें तो ‘अयम् एव स’ इन तीन पदों को असहित ही पढ़ेंगे, परन्तु सामान्यतः ‘अयमेव’ को साथ सहित ही पढ़ेंगे। प्रायः अव्यय-रूप नाम या आख्यात पद के साथ सहित ही पढ़ने पर, अपना बल अभिव्यक्त कर पाते हैं। “जीवत्यहो” में जो ‘अहो’ की सार्थकता है वह “जीवति अहो” में नहीं आ

सकती। यदि हम ध्वनिग्राम-सघटना की दृष्टि में कहना चाहे तो वह सफ़ते हैं कि जहाँ दो पदों के बीच अल्प विवृति होती है, वहाँ संधि नहीं होती। मस्कृत भाषा में लिपिबद्ध रूप में जो जटिल बाह्य संधि-प्रक्रिया दिखलायी पडती है वह स्वाभाविक न होकर कृत्रिम है। उमका महत्व केवल काव्य-रचना में हो सकता है, काव्य-रचना के बाहर साधारण सलाप की भाषा में या विचार की भाषा में नित्य बाह्य संधि एक असंभव कल्पना है।

संधि के विचार से ध्वनिग्राम के निम्नलिखित प्रकार के विकार संभव हैं—

(१) एक विशिष्ट प्रकार के रूप के जुड़ने के कारण उसके परवर्ती रूप की स्वर-श्रेणी में परिवर्तन हो सकता है। भारोपीय भाषाओं में इस स्वर-परिवर्तन की प्रक्रिया का विशेष महत्व है। इसे स्वर-शृङ्खला या अपश्रुति (ablaut) कहते हैं। यह अपश्रुति दो प्रकार की हो सकती है—गुणात्मक और मात्रात्मक। गुणात्मक अपश्रुति के मुख्य तीन स्तर हो सकते हैं—वृद्धि, गुण और सम्प्रसारण (ह्रमित)। मात्रा के ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। भारोपीय भाषाओं के ऐतिहासिक अध्ययन से यह सूचित होता है कि इस स्वर-शृङ्खला की प्रक्रिया पर सगीतात्मक सुर का प्रभाव रहा है। कालान्तर में स्वर और स्वरघात दोनों ही प्रक्रियाएँ स्वतन्त्र हो गयीं।

उदाहरण के लिए संस्कृत में—

वृद्धि—ए, औ, आर, आन्, आम्, आ

गुण—ए ओ अर् अन्, अम्, अ अय् अव्

ह्रमित—इ, य् उ, व् ऋ, र, अ, न् अ, म् इ, शून्य

गुण रूप—जुहोति, वृद्धिरूप—अहोषीत्, ह्रमित रूप—हुत

गुण रूप—कर + ओति वृद्धि रूप—अकारषीत् ह्रमित रूप—

कृत आर चक्र

” ”—अजेष्ट ” —अजैषीत् ” जित
अजयत

ध्वनिग्राम-विकार का दूसरा प्रकार उमक स्वरघात में परिवर्तन हो सकता है। प्राचीन-ग्रीक और वैदिक-संस्कृत में स्वरघात के तीन सार्थक स्तर पाये जाते हैं। वैदिक संस्कृत में स्वरिण के दो भेद हैं—(१) स्वतन्त्र और (२) परतन्त्र। स्वतन्त्र स्वरित के तीन भेद—क्षैप्र, अभिनिहित और प्रश्लिष्ट होते हैं जो केवल स्वर-संधि के तीन भेदों पर आधुन हैं। परतन्त्र स्वरित स्वर उम अनुदात्त का स्वरित में रूपान्तर होता है जो उदात्त के बाद आये पर जिसके बाद उदात्त और स्वतन्त्र स्वरित न आये। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, ये स्वरघात स्वर या अक्षर में संबद्ध होते हैं।

वैदिक संस्कृत से उदाहरण —

(१) आहिता में आ उदात्त ता का आ अनुदात्त और हि का इ परतन्त्र स्वरित हैं।

(२) इन्वैष्व में ये के ए पर क्षैप्र स्वतन्त्र स्वरित है।

ध्वनिग्राम-विकार का तीसरा प्रकार बलाघात के स्तर का परिवर्तन होता है। अंग्रेजी भाषा में इस प्रक्रिया का विशेष महत्व है। उदाहरण के लिए कंडक्ट ('Conduct) (मज्ञा) तथा (Con'duct) (क्रिया) इन दो शब्दों में मज्ञावाची और क्रियावाची ये दो अर्थ केवल बलाघात स्तर के उधर से उधर करने से ही विद्विन होते हैं। अंग्रेजी में प्रत्येक वाक्य में निलंबित विवृति ही उक्ति-खंड की वह सीमा-रेखा होती है, जिसमें केवल एक ही प्राथमिक स्तर का बलाघात आ सकता है। यह वैदिक भाषा के "अनुदात्त पदमेकवर्जम्" वाली व्यवस्था के समानान्तर व्यवस्था है।

ध्वनिग्राम-विकार का चौथा प्रकार आगम है। जब कभी दो ऐसे ध्वनिग्राम पास-पास आ जाते हैं जिनके आने में सुविधा नहीं होती है तो उन दोनों के बीच में एक तीसरा ध्वनिग्राम आगम के रूप में आता है। उदाहरण के लिए।

ई + उस्	=	•	ई + य् + उस्	=	ईयु
वभू + उस्	=		वभू + व् + उस्	=	वभूवु
सुनर	=		सु + न् + इ् + अर	=	सुन्दर
भृ + य [यत्]	=		भृ + य् + य	=	भृत्य

पाँचवाँ विकार लोप है। प्रत्येक भाषा की ध्वनिग्राम-सघटना में आद्य और अन्त्य स्थिति में आने वाले ध्वनिग्रामों और उनके सयोगों की संख्या सीमित होती है। जो ध्वनिग्राम या उनके सयोग अन्त्य स्थिति में नहीं आ सकते उनका या तो लोप हो सकता है या उनके स्थान पर वह ध्वनिग्राम आ सकता है जो उस सघटना में अन्त्य स्थिति में आता है। लोप की प्रक्रिया प्रायः उन्हीं ध्वनिग्रामों की होती है जिनकी अन्त्य स्थिति ध्वनिग्राम-सघटना में बाधित होती है। उदाहरण के लिए मस्कृत में अभ्यास में कृन्त् + कृन्त् = कृ + कृन्त् = च + कृन्त् इस प्रकार न् का लोप हो गया है, या सम्राज् + स् = सम्राश + स् = सम्राट् + स् = सम्राट्, म् का लोप हो गया है क्योंकि अन्त में केवल एक ही व्यंजन रह सकता है।

सन्धि में ध्वनिग्राम का छठवाँ विकार आदेश है। जब दूसरे ध्वनिग्राम के सन्निकर्ष में पूर्व ध्वनिग्राम या उत्तर ध्वनिग्राम दोनों में से कोई भी दूसरा ध्वनिग्रामत्व धारण कर लेता है तो हम उसे आदेश की प्रक्रिया कहते हैं। यह आदेश की प्रक्रिया समीकरण और विषमीकरण दोनों के कारण होती है।

उदाहरण के लिए मस्कृत में —

(१) अभ्यास में महाप्राण धातु का पहला अक्षर अल्पप्राण हो जाता है, ह + ह = ज + ह = जहार।

(२) अन्त्य स्थिति में चवर्गीय स्पर्श के लिए क्, ज् के लिए इ आदिष्ट हो जाता है। सर्वस्पृच् = सर्वस्पृक्, प्रत्यच् = प्रत्यज् = प्रत्यङ्।

(३) घोष महाप्राण स्पर्श के पूर्व अधोष अल्पप्राण स्पर्श के स्थान पर स्वर्गीय अल्पप्राण स्पर्श का आदेश होता है, सरिन् + भ्याम् = सरिद्भ्याम्।

इस प्रकार सन्धि-प्रक्रिया अनेक प्रकार की होती है। यह प्रक्रिया ध्वनिग्राम एव रूप की कड़ी है। एक तरह से दो रूपों के विभाजन का ज्ञापन भी सन्धि-प्रक्रिया द्वारा ही होता है। यह प्रक्रिया भाषा की ध्वनिग्राम-सघटना के अनुकूल होती है।

बीसवाँ अध्याय

पद-विकास

व्याकरणात्मक धाराएँ—ऊपर कह चुके हैं कि भाषा का अवयव वाक्य है। हमें सम्पूर्ण वाक्य से अर्थ का बोध होता है। हमारा अनुभव प्रथम वस्तुओं और जीवों पर केन्द्रित होता है, फिर गुणों पर। वस्तुओं से भिन्न, अलग से गुण का बोध धीरे-धीरे जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है, होता जाता है। वाक्य द्वारा उद्बोधित अर्थ का विश्लेषण प्रत्येक भाषा में किन्हीं धाराओं में होता है जो स्वाभाविक और सर्वसाधारण हो जाती हैं। आज हम हिन्दी-भाषी लोग क्रिया में भी लिग रखते हैं, यह हमारे लिए सर्वसाधारण और स्वाभाविक-सी बात है। हमारी भाषा इसी धारा में चली आई है, जिस धारा का विकास संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश के क्रम में स्पष्ट दिखाई पड़ता है। पर क्रिया में लिग का भेद करना अंग्रेजी या बंगाली में नहीं होता—इन भाषाओं की स्वाभाविक धारा इस बारे में हमारी से बिल्कुल विपरीत है। इसी प्रकार की भाषाओं का हमारी भाषा से जितनी दूर का सम्बन्ध है उनकी धाराएँ उतनी ही भिन्न होंगी। इन धाराओं का विश्लेषण व्याकरण द्वारा होता है। विशिष्ट सम्बन्ध तत्त्वों द्वारा ही इन धाराओं का निर्धारण होता है। इस प्रकार शब्द का रूप ही इन धाराओं का निरूपण करता है, यदि शब्द के रूप की विभिन्नता नहीं है तो समझना चाहिए कि वह धारा नहीं है। संस्कृत में विशेष्य के लिग के अनुसार विशेषण का लिग होता था—(सुन्दर पुरुष, सुन्दरी स्त्री, सुन्दर कमलम्) परन्तु आज हिन्दी में अधिकांश विशेषणों में लिग का भेद नहीं होता (सुन्दर पुरुष, सुन्दर स्त्री, सुन्दर कमल) जैसा कि रूप की अभिन्नता से स्पष्ट है और जिनमें है भी (मोटा आदमी, मोटी

ओरत) वहाँ भी मिट जाने के लक्षण दूर से दिखाई पड़ रहे हैं। यदि किसी भी सम्बन्धतत्त्व द्वारा लक्षित रूप विभिन्न न हो तो समझ लेना चाहिए कि वह धारा उस भाषा के इतिहास में या तो थी ही नहीं, या थी तो विलुप्त हो गई। संस्कृत में आगीन्द्रि और विधिलिङ के लिए जुदा-जुदा रूप थे, प्राकृत-काल में इनकी एकरूपता हो गई। और आज हिन्दी में इनकी तथा प्राचीन आज्ञा (लोट्) के रूपों की एकरूपता पाई जाती है। वचा मुखी रहे (आशीर्वाद), वह चित्रौने से उठकर मुह वोग (विधि), वह खाना खाए (आज्ञा), और यदि वह वीमार पड़े (सकेत) इन सब प्रयोगों में क्रिया के रूप के लिए एक ही सम्बन्ध-तत्त्व है। ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि हिन्दी में आशीर्वाद आदि के लिए विभिन्न धाराएँ नहीं हैं। इस प्रकार इन व्याकरण-सम्बन्धी धाराओं का अध्ययन विशिष्ट भाषा के सम्बन्ध में ही और सो भी उसके इतिहास के किसी विशिष्ट समय के बारे में ही हो सकता है।

लिंग, वचन कारक (कर्तृत्व, कर्मत्व, करणत्व आदि), पुरुष (उत्तम, मध्यम, अन्य), काल (भूत, वर्तमान, भविष्य), प्रश्न, निषेध आदि के भाव सम्बन्धतत्त्वों द्वारा बतलाए जाते हैं। जिन भाषाओं में इनमें से कुछ के लिए अलग सम्बन्धतत्त्व नहीं हैं उनके विषय में निश्चयात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि उन भाषाओं में सोचने-विचारने की वे धाराएँ नहीं हैं। इस जगह पर इन सम्बन्धतत्त्वों द्वारा निर्दिष्ट धाराओं के इतिहास पर विचार कर लिया जाय।

लिंग

व्याकरण के अनुसार शब्दों में तीन लिंग मिलते हैं—पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। परन्तु इस लिंग का नैसर्गिक पुरुषत्व और स्त्रीत्व में कोई सम्बन्ध नहीं। संस्कृत में स्त्रीवाचक शब्द सभी लिंगों (दारा पु०, स्त्री महिला स्त्री०, क्लत्र नपु०) में मिलते हैं। संस्कृत, हिन्दी, अरबी, फ़्रेंच आदि भाषाओं में अचेतन पदार्थों को बतलाने वाले शब्द कोई पुल्लिंग होते हैं तो कोई स्त्रीलिंग, जैसे—पानी के लिए

संस्कृत में वारि जल आदि नपु० पर आप स्त्री० हिन्दी में बाट (स्त्री०) रस्ता (पु०), डगर (स्त्री०), मार्ग (पु०) अरबी में फिताव (स्त्री०), मौत (स्त्री०)।

मुडा भाषाओं में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद नहीं है। जहाँ भेद जनलाने की जरूरत होती है वहाँ फारसी की तरह नर और मादह के लिए शब्द जोड़कर लिंग-भेद किया जाता है, जैसे आडिया कूल (वाघ), एगा कूल (बाघिन)। सजाओं के चेतन और अचेतन ये विभाग मिलते हैं। द्राविड भाषाओं में सजाओं के दो भेद पाए जाते हैं— उच्चजातीय और जातिहीन, तथा फारसी की तरह पुरुष और स्त्री सूचक शब्द जोड़कर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भी भेद कराया जाता है। अंग्रेजी में अचेतन पदार्थों पर भी कभी-कभी पुरुषत्व और स्त्रीत्व का आरोप जानबूझ कर किया जाता है, उम भाषा में सूर्यवाचक शब्द सन् पु० और चन्द्र-वाचक शब्द सन् स्त्री० होता है, शिप् (जहाज) और ट्रेन स्त्री० होते हैं। इस प्रकार भाषाओं में लिंग के बारे में बड़ी विभिन्नता है।

यदि अचेतन पदार्थों के लिए मदा नपुंसकलिंग और चेतन जीवों में पुरुषों के लिए पुल्लिंग और स्त्रियों के लिए स्त्रीलिंग होता तो बात युक्तिसंगत होती। पर अधिकतर बात इसके विपरीत है। इसका क्या कोई कारण है? प्रश्न के तीन भाग हैं—(क) पुरुष के लिए स्त्रीलिंग शब्द क्यों, अथवा स्त्री के लिए पुल्लिंग शब्द क्यों? (ख) चेतन के लिए नपु० शब्द क्यों और (ग) अचेतन के लिए पु० और स्त्री० शब्द क्यों? वर्तमान भाषाओं के लिंग को हम खोजते-खोजते पुरानी भाषाओं तक पहुँचते हैं। हिन्दी का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का प्रयोग अपना इतिहास वैदिक संस्कृत तक पाता है। गुजराती और मराठी में का स्वतःपावशिष्ट नपुंसकलिंग भी संस्कृत तक पहुँचना है। इसी प्रकार अन्य भाषाओं के बारे में भी कह सकते हैं। आदिम भाषाओं के विषय में विचार करना है।

(क) पुरुष के लिए स्त्री० और स्त्री० के लिए पु० शब्द का प्रयोग

त्व संभव है, जब पुरुष स स्त्री के कोई विशिष्ट गुण, विशेष परिस्थिति में, देखे गए होंगे और स्त्री० में पुरुष के गुण, तभी विपरीत लिंग का प्रयोग हुआ होगा। संस्कृत का स्त्रीवाचक पु० द्वारा शब्द शायद स्त्री के गृहप्रबन्ध के कौशल को देखकर ही पु० हुआ होगा।

(ख) चेतन के लिए नपु० शब्द का प्रयोग, संभव है कि, कुछ अचेतनत्व देखकर ही प्रयोग में आया होगा। संस्कृत का स्त्रीवाचक नपु० कलत्र शब्द शायद इस बात का द्योतक है कि स्त्री और सामग्री की तरह पिता के घर से पति के घर पहुँचा दी जाती थी।

(ग) अचेतन के लिए पु० या स्त्री० का प्रयोग अचेतन पदार्थों में जीवन की कल्पना करने से ही संभव हुआ होगा। अग्निवाचक संस्कृत के पावक, अग्नि, दहन आदि शब्द शक्ति और प्रकाश आदि गुणों को जतलाने हैं। शब्दों देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतय आदि मन्त्र में जलवाचक आप का स्त्री० में प्रयोग उसके सुख, शान्ति देने के गुण का द्योतक है।

जहाँ कोमलत्व, शान्ति आदि की कल्पना की जाय वहाँ स्त्रीलिंग का प्रयोग और जहाँ वीरत्व, ओज आदि की कल्पना हो वहाँ पुल्लिंग का प्रयोग युक्तिसंगत जान पड़ता है। और किसी भाषा में यदि एक बार इस तरह का प्रयोग कुछ शब्दों में चल पड़ा तो दूसरों में भी होकर भाषा का स्वाभाविक अंग बन जाता है। वर्तमान भाषाओं में जहाँ लिंग-भेद है वहाँ से उसे हटाने की या उसे छोड़ने की यदि जरा भी बात की जाती है तो उस भाषा के बोलने वालों को बुरा लगता है। अपने आप दूर हो जाय तो कोई बात नहीं।

वचन

संसार की वर्तमान अधिकांश भाषाओं में एकवचन और बहुवचन को व्यक्त करने का प्रबन्ध है। लिथुएनी में अब भी द्विवचन अवशिष्ट मिलता है। अफ्रीका की कुछ भाषाओं में त्रिवचन के भी रूप मिलते हैं। द्विवचन और त्रिवचन के अस्तित्व से यह न समझना चाहिए कि

जिन भाषाओं में यह उनक बोलने वाल दो या तीन स आग की गिनती नहीं जात थ, समार में जीव और वस्तुए एक और अनक दिखाई देती है। इसलिए एकवचन और बहुवचन को व्यक्त करने के लिए भाषाओं में साधन होना स्वाभाविक ही है। द्विवचन का आविर्भाव किन्हीं वस्तुओं को समान और साथ-साथ देखने से हुआ होगा, जैसे *दा यः, दो हाथ, दो आँखें, दो कान, अश्विनौ* आदि। धीरे-धीरे निरन्तर साथ रहने वाली पर भिन्न वस्तुओं अथवा जीवों के लिए भी इस वचन का प्रयोग होने लगा। इन्द्राग्नी, मित्रावरुणौ, धावापृथिवी, पितरौ आदि प्रयोग इसी के उदाहरण हैं। और फिर द्विवचन सर्वसाधारण प्रयोग में आ गया। संस्कृत में द्विवचन या, पर पालि और बाद वाली आर्य भाषाओं में वह गायब हो गया। उसके लोप का कारण यही हो सकता है कि द्विवचन की स्वतन्त्र सत्ता का उसके विस्तृत व्यवहार के कारण कोई उपयोग नहीं दिखाई पडा। किन्हीं दो वस्तुओं का बोध कराने के लिए संख्यावाचक दो का प्रयोग करके अनेकवाचक बहुवचन को लाकर काम चल गया। इसी प्रकार जिन भाषाओं में त्रिवचन का व्यवहार है वहाँ किन्हीं वस्तुओं को तीन के समूह में देखना और उसे विशेष रूप से व्यक्त करना आवश्यक समझा गया होगा।

इन वचनों के अतिरिक्त भाषाओं में व्यक्ति और समूह को अलग-अलग व्यक्त करने के भी साधन मौजूद रहते हैं। वैदिक संस्कृत में कई प्रयोग ऐसे मिलते हैं जिनमें सजा बहुवचन में है और क्रिया एकवचन में। ऐसे स्थलों में बहुवचन से केवल समूह का बोध होता है। बाद को समूहवाचक बहुत से शब्द बन गए। *गण* पुराना शब्द है। *द्वितय, त्रितय, चतुष्टय* आदि भी समूहवाचक हैं। हिन्दी के *जोडा जोड़ी, गडा (४), पजा (५), दर्जन, कोड़ी* आदि शब्द इसी श्रेणी के हैं। और साहित्य-शास्त्री तो, विशेष समूहों की संख्या को व्यक्त करने के लिए—*वैद, रस, ऋषि, वसु, रुद्र, आदित्य* आदि कितने ही शब्दों का प्रयोग करते हैं। किसी समूह की कल्पना करके अनेक समूहों की भी कल्पना हो सकती है, इसी कारण समूहवाचक शब्द एकवचन या बहुवचन में हो सकते हैं।

काल

काल का विचार आज जितना स्पष्ट जान पड़ता है उनसे स्पष्ट रूप से पूर्व समय की भाषाओं में नहीं व्यक्त पाया जाता। संस्कृत के भूतकाल के लिए तीन रूप (अनद्यतन, परोक्ष और सामान्य) मिलते हैं। उनमें क्रिया के समाप्त होने की भावना अविक निहित है, भूतकार्य की काम, और वह काम आज से पहले खत्म हुआ, या दूर के पूर्ववर्ती समय में जिसको बक्ता ने अपनी आँखों नहीं देखा, इत्यादि भावों की विवेचना पर जोर रहता था। वर्तमान भाषाओं की काल-प्रक्रिया को यदि सूक्ष्म दृष्टि से देखे तो पता चलता है कि वर्तमानकाल के रूप तो अनन्दिग्ध और सुस्पष्ट हैं, अन्यो के नहीं। उदाहरण के लिए भविष्य को ही ले लीजिए। अंगरेजी में इसको व्यक्त करने के लिए अलग रूप नहीं—धातु में वर्तमान-कालिक इच्छावाचक कोई विल (will) शैल् (shall) अन्य धातु जोड़कर ही उसका बोध कराया जाता है। फ्रेंच में भी भविष्य और भूत के रूपों में विलक्षण घोलमेल है। हिन्दी में तो खड़ीबोली का भविष्यकाल वर्तमान और भूतकाल के रूपों को जोड़ कर ही बनाया जाता है। जायगा में दो अव हे जाए याति (जाता है) और -गा-गत (गया)। यह (-गा-गाने) भूत वर्तमान-कालिक अन्य धातुरूपों के बाद जुड़ा मिलता है। अथवा जादि बोलियों में जाब, जाइब, जइवे आदि रूप प्राचीन कृत्य रूपों पर निर्भर हैं जिनका नात्पर्य था चाहिये होगा। ब्रज आदि में जइहें, जाई आदि रूप प्राचीन (संस्कृत) भविष्य में वीरे-धीरे विकसित हुए हैं पर संस्कृत में ही धातु और वर्तमान काल के प्रत्ययों के बीच में -य जोड़कर ही तो भविष्य का बोध कराया जाता था।

इसी प्रकार भूतकाल का बोध पक्की नींव पर नहीं है। हिन्दी में (तथा अन्य भारतीय आर्य भाषाओं में भी) इस काल का बोध निष्ठा पर अवलम्बित है जो केवल किसी काम, के पूरे होने का बोध कराती थी—काल का नहीं। यदि वर्धा गया तो महात्मा जी की कुटिया के अवश्य दर्शन करूँगा आदि प्रयोगों में भूतकाल का बोधक गया, भविष्य की बात कहता है।

मनुष्य के जीवन में वर्तमान ही निश्चित है 'कल की राम जाने' भूत की भी वही बात निश्चित है जो अपने अनुभव में आई हो। इसी प्रकार भाषा में भी अधिक स्थिर रूप वर्तमान काल के ही होना स्वभाविक है अन्यो के अपेक्षाकृत अस्थिर।

प्रेरणार्थक आदि

संस्कृत में क्रिया में काल के ऊपर अधिक जोर न था, किन्तु क्रिया का प्रकार पर स्पष्ट जोर दिया जाता था। कर्ता स्वयं क्रिया करता है या उसे कोई करने को प्रेरित करता है—इन दोनों के लिए अलग अलग (गच्छति, गमयति) रूप थे। किसी काम को करने की इच्छा करने के लिए जुदा रूप (जिगमिषति), बार बार या खूब करता हूँ तो भिन्न ही रूप (देदीयते—बार बार देता हूँ या खूब देता हूँ) इत्यादि। आज हिन्दी आदि आधुनिक आर्य भाषाओं में विचार की ये धाराएँ समाप्त हो गई हैं। यदि इन विचारों को प्रकट करने की जरूरत होती है तो अलग अलग शब्दों से इनका बोध होता है न कि उसी धातु के विभिन्न रूपों से। इनमें से केवल प्रेरणार्थक के रूप मिलते हैं, करना करवाना, पटना पटाना आदि। अंग्रेजी में प्रेरणार्थक का भी भाव क्रिया के भिन्न रूपों से न जतला कर प्रेरणा का अर्थ बतलाने वाली किसी धातु (काँज Cause मेंक make) के प्रयोग द्वारा सिद्ध करते हैं। संस्कृत के बहुत से, इस प्रकार के भिन्न रूपों द्वारा जतलाए हुए प्रयोग आज हिन्दी में दो या अधिक शब्दों के जोड़ से जतलाए जाते हैं, मैं जाना चाहता हूँ, मैं खूब खाता हूँ, मैं चलता रहा, मैं चल पड़ा, मैंने खाया, मैं खा गया, मैंने खा डाला, मैं खा चुका आदि प्रयोगों में विचार की जो वारीकी सुस्पष्ट है वह शब्दों द्वारा प्रकट नहीं की जा सकती। संस्कृत इन्हीं में से बहुतों को क्रिया के ही भिन्न-भिन्न रूपों से प्रकट करती थी।

संस्कृत की धातुएँ वैयाकरणों द्वारा दस गणों में बाटी गई हैं, एक गण की धातुओं के रूप दूसरी से आशिक रूप से भिन्न हैं—किन्हीं धातुओं के बाद ही तुरन्त तिङ् प्रत्यय लग जाते हैं (अद् + सि), कुछ

के उपरान्त तिङ् के पूर्व कुछ जुटता है (वप् + अ + ति, विट् + य + ते, छ् + णो + ति, पूज् + अय + त आदि), कुछ धातुओं की ध्वनियों में ही कुछ परिवर्तन हो जाता है (रुध् + ति = रु + णध् + ति = रुणद्धि)। किमी धातु का रूप अभ्यास प्राप्त करता है (हु + ति = जुहु + ति = जुहोति)। रूप की इस विभिन्नता की तह में विचारधारा की कोई विभिन्नता रही होगी, ऐसा अनुमान करना युक्ति-संगत है। संभव है कि जिन धातुओं को अभ्यास प्राप्त होता है उनसे, पहले बार बार किए जाने वाली क्रिया का ही बोध होता रहा हो, जुहोति (आहुति देता है) से बलि (आहुति) बार बार ही देवता को समर्पित की जाती थी। यद्यपि आज इस विभिन्नता के इतिहास की खोज करना असंभव सा है तथापि भाषाविज्ञानी का विचार इस बात पर स्थिर है कि रूप-विभिन्नता के साथ विचार-धारा की विभिन्नता अवश्य रही होगी।

वाच्य

संस्कृत में तीन प्रयोग या वाच्य होते हैं—कर्तृ, कर्म और भाव। यदि किसी वाक्य में कर्तृत्व पर जोर होता है तो कर्तृवाच्य, कर्म पर तो कर्मवाच्य और क्रिया क भाव पर हो तो भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता स्वयं काम करता दिखाई देता है। कृष्ण भक्तों का उद्धार करते हैं इस वाक्य में कृष्ण का कर्तृत्व स्पष्ट है, किन्तु भक्तों का उद्धार किया जाता है इस वाक्य में उद्धार पर जोर है, चाहे कृष्ण करे या राधा या राधेश्याम। इसी प्रकार खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता, आदि प्रयोगों में क्रिया द्वारा बतलाए हुए भाव पर जोर है, किसमें नहीं खाया जाता या क्या नहीं खाया जाता अथवा किसमें नहीं चला जाता इस पर नहीं। इन तीनों प्रयोगों के लिए संस्कृत में धातुओं के अलग अलग रूप पाए जाते थे। पर आगे चल कर कर्मवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग भिन्न रूपों से न बतलाकर संयुक्त क्रिया द्वारा सिद्ध किया गया। उद्धार किया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, चला नहीं जाता आदि वाक्यों में प्रधान क्रिया को जा का सहयोग प्राप्त है और इसी संयोग से

कमवाच्य और का बोध कराया गया है। कतवाच्य सकर्मक अकर्मक दानो तरह की धातुओ क रूपो म सभव है कमवाच्य कवल सकर्मक धातुओ मे और भाववाच्य अकर्मक मे ही। गुरु शिष्य को पटाता है इम प्रयोग मे ऐसा नही कि केवल गुरु ही काम कर रहा हो शिष्य नही, क्योकि यदि शिष्य भावधान न हो तो गुरु क्या खाक पटा पाएगा। पर इम प्रयोग मे कर्तृत्व का प्रयोग इमलिए है कि कर्ता का भाग प्रधान है शिष्य का गौण। चौकीदार चोर को पीटता हे इम वाक्य मे सम्पूर्ण कर्तृत्व कर्ता का ही है, कर्म की न सहायता है न सहयोग, विरोध भले ही हो। इस प्रकार सकर्मक धातुओ का प्रभाव कर्म पर अवश्य पडना है, अकर्मक धातुओ मे वह कर्ता तक ही सीमित रहता है। कुछ भाषा-विज्ञानियो ने कुछ सकर्मक धातुओ के कर्तृत्व के विषय मे सन्देह किया है, जैसे देखना। उनका कहना है कि देखने की क्रिया मे कर्ता कुछ नही करता, उमके दीदे पर सामने की चीज की छाया पडती है और उसे बेबस देखना पडता है, इसी प्रकार सुनना है। पर यदि गहराई से विवेचन किया जाय तो बात ऐसी नही है। यदि हमारा अन्त करण क्रियाहीन हो तो सामने की ही वस्तु न दिखाई पडे और निकटतम शब्द भी न सुनाई पडे। इसलिए इन धातुओ के बारे मे कर्तृत्व उनना ही निश्चित है जितना अन्यो मे।

पद

सस्कृत मे धातुएँ दो भागो मे बटी थी—परस्मैपद और आत्मने-पद। इस विभाग की तह मे क्रिया के फल का विभाग था, यदि क्रिया का फल कर्ता को स्वय मिले तो आत्मनेपद और यदि दूसरे को तो परस्मैपद। उदाहरण के लिए यजमान यजते और ऋत्विक् यजति। पहले मे आत्मनेपदी क्रिया है दूसरे मे परस्मैपदी। क्रियाओ का ठीक ठीक इस अर्थ मे प्रयोग उत्तरोत्तर घटता गया और पालि, प्राकृत आदि भाषाओ मे पदो के अनुसार क्रिया की रूप-विभिन्नता लुप्त हो गईं।

वृत्ति

संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि प्राचीन भाषाओं में आशीलिङ्ग विधिलिङ्ग आज्ञा जादि विभिन्न वृत्तियों के लिए भिन्न भिन्न रूप थे किन्तु हिन्दी आदि वर्तमान भाषाओं में यह विभिन्नता नहीं पाई जाती। अंगरेजी के व्याकरणों में यद्यपि कई वृत्तियों का उल्लेख मिलता है, तब भी भाषा में अब बहुधा वर्तमान काल के रूपों से ही सभी का बोध कराया जाने लगा है।

विभक्ति

सज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के विभिन्न रूपों को विभक्ति कहते हैं। संस्कृत में ज्ञात विभक्तियाँ प्रथमा में सप्तमी तक हैं और सम्बोधन के लिए प्रथमा का ही अधिकांश में प्रयोग होता था, केवल एकवचन में अन्तर था। यदि उसको भी अलग विभक्ति मानें तो जाठ होगी। इन विभक्तियों का अलग अलग उपयोग होता था जिसका बड़ा यथाथ और सुन्दर विवेचन पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। इन ज्ञात विभक्तियों के स्थान पर पालि, प्राकृत और जपञ्चन को पार करके हिन्दी में आज दो ही मिलती हैं—एक विकारी और दूसरी अविकारी अर्थात् एक ऐसी जिसका मूल रूप ज्यों का त्यों रहता है और दूसरी जिसमें कुछ विकार होता है, उदाहरणार्थ—

अविकारी

पून, गाय

घोडा

माई, कान

म

तुम

विकारी

पूता गाएँ; गायों

घोड़े घोड़ों

किस

मुझ मेरा

तुम्हें, तुम्हारा

खड़ी बोली में व्यजनान्त सज्ञा (लिखाई में अकारान्त सज्ञा) का एकवचन में कोई विकारी रूप नहीं होता पर ब्रज, अवधी आदि में इनमें से कुछ सज्ञाओं का एकवचन में भी होना है (जैसे घर—घरहि,

घरइ दुआर-दुआरे) । सवनामो क प्राय सभी बोलियो मे दो विकारी रूप मिलते हे, एक पुरानी षष्ठी विभक्ति का स्थानापन्न और दूसरा अन्य विभक्तियों के लिए । अंगरेजी की ऐसी ही स्थिति है । जर्मन के सर्वनामो मे पुरानी सम्प्रदान विभक्ति का भी अवशेष मिलता है । पालि भाषा मे सस्कृत की सभी विभक्तियाँ पाई जाती है, केवल षष्ठी और चतुर्थी के प्रयोग मे अस्थिरता दिखाई पडती है, कभी षष्ठी की जगह चतुर्थी और चतुर्थी के स्थान पर षष्ठी । महाराष्ट्री आदि के समय तक चतुर्थी विलुप्त हो गई और अन्य विभक्तियों के स्थान पर षष्ठी का प्रयोग कुछ बढ़ गया । अपभ्रंशो के समय तक ध्वनि-विकास के सहयोग मे रूप-विभिन्नता और कम हो गई और थोडा-थोडा परसर्गों का प्रयोग दिखाई देने लगा । और आज हिन्दी की अधिकांश सज्ञाओ मे केवल दो ही रूप दिखाई देने हैं—एक अविकारी, दूसरा विकारी । विभक्तियों के अर्थ का बोध परसर्गों द्वारा होता है । विकारी रूप बहुधा बहुवचन का होता है और लक्षण ऐसे दिखाई पडते है कि बहुवचन का विकारी रूप वहाँ भी प्रयोग मे आने लगेगा जहा अब अविकारी आता है । खडी बोली मे हम कहते है—पूत आया, पूत को प्यार करो, पूत आए, पूतों को पियार करो । पर अवधी की कुछ बोलियो मे पूतन आए, पूतन को पिआर करउ आदि प्रयोग खूब प्रचलित है ।

जब विभक्तियों के लिए अलग अलग रूप मिलते हो तब निश्चय समझना चाहिए कि विचारधारा मे इनके द्वारा व्यक्त किए गए भावों की विभिन्नता है । इन विभक्तियों के ह्रास के अनुपात से इस विचार-धारा का भी ह्रास समझना चाहिए । आज इन विभक्तियों के स्थान पर परसर्गों का प्रयोग प्रचलित है और इनमे भी अपादानत्व और करणत्व (से) तथा सवधत्व और सम्प्रदानत्व और कर्मत्व (को, का, की) मे भी विशेष भेद नहीं । इन सबमे यही नतीजा निकलता है कि सज्ञाओ के विषय की वह बारीकी जिमे सस्कृत बोलने वाला बर्तता था हम नहीं बर्तते ।

कारक

क्रिया के साथ विभक्तियों के सम्बन्ध को कारक कहते हैं, यदि किसी क्रिया के साथ किसी विभक्ति का संबन्ध न हो तो उम विभक्ति को कारक न कहेंगे—जैसे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग एक सजा या सर्वनाम का दूसरी सजा या सर्वनाम के साथ संबन्ध जोड़ने के लिए ही होता था, इसी से संबन्ध कारक नहीं माना जाता।

संबन्ध-तन्त्रों द्वारा व्यक्त की गई और व्याकरण द्वारा लक्षित इन धाराओं का जितनी ही सूक्ष्मता में हम विचार करते हैं उतना ही यह स्पष्ट होता जाता है कि ये धाराएँ न तो नैसर्गिक अर्थात् स्वभाव-सिद्ध ही हैं और न किन्हीं तार्किक सिद्धान्तों पर निर्भर। मनुष्य-समाज कहीं, कब, किन परिस्थितियों में इन धाराओं को बनाता बिगाड़ता रहता है यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। संस्कृति की दृष्टि से किसी सुसंस्कृत जन-समुदाय में ऐसी धाराएँ वर्तमान रह सकती हैं जो साधारण रीति से अनावश्यक प्रतीत हों। उदाहरण के लिए आर्य भाषाओं में अचेतन पदार्थों का लिंगभेद है। मसाल की भाषाओं के विकास का अव्ययन करके भाषा-विज्ञानी इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मनुष्य की विचारधारा क्रमशः स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ रही है। संभव है कि यह बात इस समय ठीक हो। हम देख ही चुके हैं कि विशेष को देखकर सामान्य और गुणी को देखकर गुण का अनुभव होता है। काली, लाल, सफेद, छोटी, बड़ी तरह-तरह की गायों को देखकर ही हमारे दिमाग में गाय का सामान्य रूप बनता है। तरह-तरह की चीजों में सफेद रंग को देखकर ही हमें सफेद का निश्चिन्त रूप मालूम होता है। पहले हम घी, आटा, भाजी आदि का तौलना देखकर ही बात तौलना सीखते हैं, धर जलना देखकर ही जी जलता है मिर्च आदि की कड़ुआहट पाकर ही कड़ुई बात को त्याग देने हैं। शक्कर आदि की मिठास का भजा चखकर ही मीठी बात करते हैं। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर जा रहे हैं। पर इतना निश्चय समझना चाहिए कि जब सूक्ष्मता की सीमा पहुँच जायगी तब फिर

स्थूलता की ओर बढ़ग यही सृष्टि का क्रम है और यही विकास का मूलमंत्र

सूक्ष्म की ओर जाने से यह न समझना चाहिए कि यदि किन्हीं भाषाओं के किन्हीं अंशों में धाराओं की स्थूलता पाई जाती है तो वे भाषाएँ असभ्य जन-समुदायों की हैं। वचन का विवेचन करने हुए हम ऊपर कह चुके हैं कि द्विवचन या त्रिवचन के अस्तित्व से यह न समझना चाहिए कि लिथुएनी या अफ्रीकी बोलने वाले दो या तीन ही तक गिन सकते हैं। यदि संस्कृत में काल की निश्चित अभिव्यक्ति पर जोर न था तो यह न सोचना चाहिए कि प्राचीन जार्य दार्शनिकों को काल का ज्ञान ही न था। कुछ असभ्य जातियों में भिन्न भिन्न वृक्षों के लिए तो शब्द हैं पर सामान्य वृक्ष के लिए कोई शब्द नहीं, अथवा भिन्न भिन्न कीड़े के लिए शब्द हैं पर सामान्य कीड़े के लिए नहीं। संभव है कि ये वृक्ष और कीड़े की सूक्ष्मता तक न पहुँच पाए हों, पर और चीजों में सभ्य कहलाई जाने वाली जातियों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्मता को पहुँच चुके हों।

ध्वनियों के विकास का विचार करते समय ऊपर हम देख चुके हैं कि भाषा में कुछ ध्वनियाँ लुप्त होकर अपना स्थान दूसरी ध्वनियों को देती रहती हैं। यही बान इन धाराओं पर लागू है। पुरानी धाराएँ विगडती हैं और नई आती रहती हैं। जैसे सृष्टि के अनन्त ध्वनि-भंडार में से कोई भाषा ध्वनियों की परिमित सख्या को ही व्यवहार में लाती है, इसी प्रकार धाराओं में से भी भाषा परिमित ही सख्या ग्रहण करती है।

भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न धाराएँ होती हैं। चीनी भाषा में षष्ठी विभक्ति के वजन की कोई चीज नहीं। उसमें सम्बन्धतत्त्व का बोध वाक्य में पदों के क्रमिक स्थान में होता है और यह क्रम भी संस्कृत का ठीक उलटा। जितनी ही एक भाषा से दूसरी की दूरी है उतनी ही इन धाराओं की दूरी। और इस दूरी के अनुपात से ही एक भाषा के भावों विचारों को दूसरी में प्रकट करने की मुश्किल बढ़ती

घटती रहती है। किसी को संस्कृत और बंगाली का ज्ञान हो तो उनके ग्रन्थों का हिन्दी में आसानी से अनुवाद कर सकता है। अंगरेजी से हिन्दी में अनुवाद करना अपेक्षा-दृष्टि से ज्यादा कठिन है, भिन्न परिवार वाली अरबी या चीनी आदि में और भी कठिन। इस मिर्च में बिल्कुल मिर्च नहीं है, चीनी में खा डाली, मैं गिर गया, मैं आ गया और मैं आ पहुँचा आदि हिन्दी के वाक्यों का अंगरेजी में क्या कोई सन्तोषजनक अनुवाद कर सकेगा ? मुझ में दवात गिर पड़ी का मुहावरेदार अंगरेजी में अनुवाद होता है—आइ ड्रॉप द इंकपॉट (I dropped the inkpot) पर क्या अंगरेजी के इस वाक्य से दवात के गिरने में मेरी असमर्थता और इस घटना के अकस्मात् ही पड़ने का आभास मिला ? मेरा सिर चकरा रहा है को अंगरेजी में कैसे व्यक्त किया जाय ?

हर भाषा में अलग अलग कुछ ऐसी अपनी धाराएँ होती हैं जिनको उस भाषा का बोलने वाला ही समझता है। दण्डी ने काव्यादर्श में अलंकारों का विवेचन करते हुए एक स्थान पर उदाहरण रूप कहा है—

इक्षुक्षीरगुडादीना माधुर्यस्यान्तर महत् ।

तथापि न पदाख्यातु सरस्वत्याऽपि शक्यते ॥

अर्थात् गन्ना, दूध, गुड आदि की मिठास में परस्पर बड़ा फर्क है पर उसको सरस्वती भी शब्दों द्वारा नहीं व्यक्त कर सकती। ठीक ऐसी ही बात इन विभिन्न विचार-धाराओं की है, कौन चित्रकार उसे त्रिलिका पर उतारे, कौन कवि उसे शब्दों में लावे और कौन तानसेन उसे सरगम पर चढ़ावे ?

भाषा की ये धाराएँ संगठित समाज में ही उठती हैं और जब किसी विशेष धारा से समाज कुछ कठिनाई का अनुभव करता है तब उसमें अनायास और अनजान में परिवर्तन हो जाता है। प्रयास की वचत के लिए जहाँ एक ओर रूप-विभिन्नता के विरुद्ध और एक रूपता की ओर मनुष्य निरन्तर बहता रहता है वहाँ साथ ही साथ विभ्रम को

दूर रखने और स्पष्टता को कायम रखने के लिए रूपों की अनेकता भी चली चलती है। सृष्टि की प्रत्यक्ष एकता और अनेकता के ममान इन धाराओं की भी एकता और अनेकता साथ साथ रहती है। इस अवधि में जो बात ध्वनि-विकास में देखी गई वही पद-विकास में भी भलकती है।

इक्कीसवाँ अध्याय

पद-व्याख्या

वैयाकरणो ने पदो के भेद बताए है। ग्रीक व्याकरणो मे इस प्रकार के दस पद बताए गए है किन्तु अविकाश मे यह विभाजन केवल व्याकरणो की ही चीज है। इसी प्रकार अन्य प्राचीन भाषाओ के वैयाकरणोने पदो का विभाग किया है। इन सब मे मस्कृत वैयाकरणो द्वारा की गई पद-व्याख्या सब मे अधिक युक्तिमगन मालूम पडती है।

पदो म कुछ अव्यय होते है और वाकी अन्य। अव्यय भी कई प्रकार के होते है—विस्मयादिवोधक, समुच्चयादिवोधक, उपसर्ग, परसर्ग आदि।

विस्मयादिवोधक अव्यय अन्य पदो से भिन्न होते है उनका वाक्य मे कोई सवध नही होता, और ये अलग ही मनोराग का बोध कराते है। धिक्, हा, आ, त्रि, वत्—आदि विशेष विगेष मनोरागो की ही अभिव्यक्ति करते है। कभी कभी इन अव्ययो मे ऐसी व्वनियाँ होती है जो उस भाषा के अन्य पदो मे नही मिलती, जैसे किमी करुण दृश्य को देखकर सहसा हम लोमो के मुँह से च च च की ध्वनि निकलती है। किमी को डाटते समय भी हम विशेष ध्वनि करते है। इन सब का वाक्य की अन्य ध्वनियो मे कोई सवध नही होता, यह स्पष्ट है।

समुच्चयादिवोधक (और, पर, बल्कि आदि) परसर्ग (को मे, का, से पर आदि), उपसर्ग (प्र, परा आदि) विशेषकर अर्थतत्वो का सवध ही बताते है, किमी अलग अर्थ का बोध नही कराते। केवल उपसर्ग ही धातु के अर्थ मे कुछ विकृति उत्पन्न कर देता है और उम दशा मे वह धातु क अनुसार ही विकार प्राप्त करता है। अंगरेजी का पद आर्टिकल् भी अव अव्यय है यद्यपि वह विशेषण से निकला है। क्रिया विशेषण

अव्यय है पर व विशेषण स ही निकले है, विशेषण की बात इन पर लागू होती है सर्वनाम शब्द यद्यपि विकारी है तथापि य कवल मबधतत्त्व का बोध कराते है, किसी अर्थतत्त्व का नहीं—यह, वह, मैं, तू, कौन कोई, जो आदि ऐसे ही शब्द है। अत मे विचारार्थ बचते है—सज्ञा, विशेषण और क्रिया।

विशेषण और सज्ञा मे विभेद की जड बहुत नाजुक है। प्राचीन आर्यभाषा मे दोनो का विकाम साथ साथ पाया जाता है और अधिकाश मे उनका समान रूप मिलता है। वैदिकभाषा मे सुर-विभिन्नता से ही मालूम होता है कि अमुक शब्द सज्ञा है या विशेषण। आधुनिक भाषाओ मे भी सज्ञा के स्थान पर केवल विशेषण ही आ जाता है, जैसे आम मीठे मी हाते हे और खट्टे भी, मीठे मीठे ही है और खट्टे खट्टे अथवा अच्छे लडके आए और बुरे भी, अच्छों को मिठाई मिली और बुरों को डॉट फटकार। इस प्रकार विवेचना करने पर अत मे सज्ञा और क्रिया दो ही मुख्य भेद स्थिर से दिखाई देने है। क्या इनमे कोई मौलिक भेद है ?

कुछ भाषाओ मे सज्ञा और क्रिया मे मौलिक भेद रहा है, आर्य-भाषाएं इनमे प्रमुख है। आर्य-भाषाओ की पदरचना मे सज्ञा के लिए प्रत्यय एक प्रकार के (सस्कृत के सुप्) और क्रिया के लिए दूसरे (सस्कृत के तिङ्) होते है। पर सामी भाषाओ मे प्रत्ययो के विषय मे इस प्रकार का कोई निश्चयात्मक भेद होने का कोई प्रमाण नहीं है। उदाहरणार्थ अरबी मे उन प्रत्यय पुल्लिङ्ग बहुवचन बनाता है और क्रिया के पुल्लिङ्ग मध्यमपुरुष और अन्यपुरुष का अपूर्णकाल भी। फीनी-उग्री भाषाओ की सज्ञा और क्रिया की रचना मे इतनी समानता है कि हम यह कह सकते है कि इन दोनो को अलग अलग परख लेना असभव है। उदाहरण के लिए बोगुली मे मिर्ना (वह जाता है), अलि (वह मारता है) शब्द क्रिया है और पुरि (लेना) उरि (पकडना) सज्ञाए—इन सब मे एक ही प्रत्यय इ जुडा है। मुद्गर-पूर्व की भाषाओ मे सज्ञा और क्रिया की भेदहीनता ही मौलिक अश है। चीनी भाषाओ मे एक ही शब्द वाक्य मे

अपने स्थान के अनुसार मज्ञा या क्रिया समझा जाता है। उदाहरण के लिए लञ्चो लञ्चो, येञ्चो येञ्चो (बुढ़ो की ओर बृद्धोचित व्यवहार करना और बच्चो की ओर बालोचित) इस वाक्य में दोनों पदों में एक सज्ञा है और एक क्रिया। चीनी वैयाकरण अपने अर्थतत्त्व वाले शब्दों में भी क्रिया-पदों को जीवित और मज्ञा तथा विशेषण को मृत मानते हैं और एक ही जीवित पद केवल सूरभेद से मृत हो जाता है। अगरेजी में भी बलाघात के भेद से शब्द सज्ञा या क्रिया समझा जाता है। पर उसमें सज्ञा और क्रिया का भेद विशिष्ट रहता है। इस प्रकार चीनी में सर्वत्र और अगरेजी में कुछ शब्दों के वाक्य में व्यवहार से ही यह पता चल सकता है कि अमुक शब्द सज्ञा है या क्रिया।

भाषाओं में क्रिया और सज्ञा का स्पष्ट भेद न भी हो तो भी क्रियात्मक (व्यापारात्मक) वाक्य और सज्ञात्मक वाक्य का भेद स्पष्ट रहता है। व्यापारात्मक वाक्य में व्यापार पर ही जोर रहता है। ऐसा वाक्य काल, अवधि, कर्तृ-सबद्ध अथवा कर्म-सबद्ध व्यापार का ही निर्देश करता है, उदाहरणार्थ खाइए, गाना सुनो, चल गए, बस हो गया आदि। सज्ञात्मक वाक्य में सज्ञा को ही मुख्य मान कर क्रिया उसके साथ विशेषण के रूप में रहती है, जैसे यह मकान नया है, दौड़ता हुआ घोड़ा, पुस्तक पाठक हो जाइए आदि।

संस्कृत में महाभारत के प्रणयन के समय से ही तिङन्त पदों के प्रयोग के स्थान पर शतृ, शानच्, क्त, क्तवतु आदि प्रत्ययों में अत होने वाले पदों को अधिक काम में लाने की प्रथा चल पड़ी थी। इसी में समझना चाहिए कि व्यापारात्मक वाक्य का स्थान सज्ञात्मक वाक्य लेने लगा था। क्रिया-पदों के ऋग्वेद में के प्रयोग की यदि भगवद्गीता आदि उत्तरकालीन ग्रन्थों से तुलना की जाय तो पता चलता है कि उत्तरोत्तर ह्रास होता गया है और आज आधुनिक आर्य-भाषाओं की क्रियाएँ तो अधिकांश में पुराने शतृ और क्त प्रत्ययों में अत होने वाले पदों के विकसित रूप हैं। तुम कहाँ रहे [क यूयमुषिता], तू कहाँ रहा (क्व त्वमुषिता), तू कहाँ रही (क्त्त्वमुषिता) आदि उदाहरणों में

क्रिया मज्ञा (या मर्वनाम) के अनुस्वार विधेयण सी बनकर अपना रूप बदलती है पर तिङन्त रूपों में ऐसा नहीं होता था। इन उदाहरणों से व्यापारात्मक वाक्य का स्थान मज्ञात्मक वाक्य ग्रहण कर रहा था—
इनका स्पष्ट है।

इसी प्रकार से केट्टी भाषा में तुमत् रूपों ने तिङन्त रूपों को दूर भगा दिया। वैदिक संस्कृत में तुमन्त शब्द में उसी प्रकार विभक्तियाँ लगती थी, जिस प्रकार सज्ञाओं में।

तुमत् और क्तादि प्रत्ययों में अन्त होने वाले पदों को अन्त सज्ञा और अन्त क्रिया समझना चाहिए। इनमें प्रत्यय तो मज्ञा की तरह लगते हैं और भाव क्रिया का व्यक्त होता है, जैसे—

खाना 'खाने में' सकोच न करना चाहिए। *

खाना 'खाते समय' कोई कोई मौन रहते हैं।

खाना 'खाए हुआ' आदमी मतोष का अनुभव करता है।

इन वाक्यों में खाने, खाते, खाए पदों के सज्ञा के समान रूप हैं पर इनके द्वारा जतलाया हुआ भाव क्रिया का है।

यदि अर्थ की दृष्टि में सज्ञाओं का विश्लेषण किया जाय तो पता चलता है कि मूल रूप में उनमें क्रिया छिपी हुई है। भोजन, रोदन, हास, भजन, भक्ति पूजा, बध, मोक्ष आदि शब्दों में नहीं, बल्कि अन्यो में भी, जैसे—

साधन—ऐसी वस्तु जिससे कुछ सिद्ध किया जाय (करण)।

नदन—खुश करने वाला (पुत्र)।

धाव—(घान) चोट लगा हुआ स्थान।

सर्प—रेगने वाला कीड़ा।

दत्त रदन—फाड़ने वाली चीज (दाँत)।

गुणवाचक (उजलापन, रग आदि) सज्ञाएँ क्रियापदों से बनी हुईं नहीं मान्य होती, परन्तु यदि इनकी भी चीरफाड़ की जाय तो पता लगेगा कि ये भी अपने भाई बिरादरा (अन्य सज्ञाओं) से भिन्न नहीं। उजलापन बना है उजला (उज्वल) विधेयण में जिसके संस्कृत के रूप



उज्ज्वल क्रिया है जिसका अर्थ है 'खूब चमकना' और इसी प्रकार रश्मि से रञ् धातु है। संस्कृत के वैयाकरणों ने इस प्रकार का विश्लेषण करके धातुकोष तय्यार किया है और उसी पर सम्स्कृत के शब्द-समूह की इमारत खड़ी की है। और इसी के आधार पर मैक्समलर ने भाषा के उद्गम का विचार करने हुए यह स्केत किया था कि आदिम मनुष्य धातुएँ बोलता था। धातुओं तक सब सज्ञाओं को पहुँचाने का प्रयत्न तब उपहासास्पद हो जाता है जब व्यक्तियों के यद्दृच्छा नामों को अथवा विदेशी सज्ञाओं को भी अपनी धातुओं पर अवलंबित करने की कोशिश की जाती है—उणादियूत्रों में कई जगह ऐसी ही भूल दिखाई पड़ती है। पर मभवत यह बात सिद्धांतरूप से ठीक है कि हमारे अधिकांश शब्द किन्हीं धातुओं पर आश्रित हैं और वे धातुएँ ही हमारे अर्थतन्त्रों की मूलरूप हैं। हमारी शब्दावली दिमाग में बिखरी-बिखरी ऊट-पटाग नहीं पड़ी रहती—वह सजाई हुई, विभागों में कायदे से रक्खी हुई है जब जरूरत पड़ी तब उस स्थान से निकल कर प्रयोग में आ गई और काम निबट जाने पर फिर अपने स्थान पर जाकर जम गई।

इस प्रकार हमने देखा कि हम आर्यभाषा-भाषियों को जो सज्ञा और क्रिया में मौलिक भेद मौजूद मालूम होता है, वह वस्तुतः मौलिक नहीं। क्रिया सज्ञा से मिली हुई है और सज्ञा विशेषण से। यदि कोई मौलिक भेद तो नहीं, पर अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भेद किसी भाषा में हो सकता है तो वह है सबधतत्त्व और अर्थतत्त्व का भेद। नहीं तो शब्द एक है।

बाईसवाँ अध्याय

पद-विकास का कारण

पद-विकास पर विचार करते हुए ऊपर हम देख चुके हैं कि पदों के व्यवहार में निरंतर दो प्रवृत्तियाँ साथ साथ काम करती रहती हैं—एक तो पदों की एकरूपता लाने की और दूसरी अनेकरूपता कायम रखने की।

पुरानी से पुरानी भाषाओं के रूपों का विश्लेषण करने से मालूम होता है कि ऐसी कोई भाषा नहीं जिन्में व्याकरण के नियमों के अपवाद न मिले। इससे यही नतीजा निकलता है कि पदों की एकरूपता और अनेकरूपता की ये प्रवृत्तियाँ भाषा के पुरातन अंग हैं। जैसे ध्वनि-विकास के कारण भाषा में अन्वहित है वैसे ही पदविकार के भी। अन्तर केवल इतना है कि ध्वनि-विकार सर्वसाधारण और संपूर्ण जनसमुदाय पर होता है, पदविकार में अपवाद रह जाते हैं। पद-विकार को पदों की पूरी अपेक्षा रहती है, ध्वनि-विकार की उतनी नहीं। ध्वनि-विकार शब्दों की परतंत्रता में बहुधा नहीं रहती।

प्रयाम की वचन के लिए पदों के रूपों में एकता लाने की प्रवृत्ति बराबर काम करती रहती है। संस्कृत में अकारान्त सज्ञाओं की संख्या बहुत बड़ी है, इस कारण स्वाभाविक ही था कि संस्कृत बोलने वाले के मन्त्रिक में अकारान्त सज्ञा के रूप अधिक स्थिरता जमा ले और दूसरे (इकारान्त, उकारान्त, व्यञ्जनात्) अपेक्षाकृत कम स्थिर रहे। इसी कारण प्राकृतों में जहाँ पुत्तम्म (<पुत्रस्य), सब्वस्स (<सर्वस्य) आदि रूप पाए जाते हैं वहाँ उन्ही के वजन पर अग्गिस्स (संस्कृत अग्ने के स्थान पर), वाउम्म (वायो के स्थान पर) और हिमवन्तस्स (हिमवत के स्थान पर) भी मिलते हैं। प्रत्यक्ष ही इन रूपों के विकास में एकरूपता लाने की प्रवृत्ति दिखाई देती है। संस्कृत में कुछ वातुओं का

ही एक स्थान पर एक रूप (जैसे गच्छ्) और दूसरी जगह दूसरा रूप (गच्छ् के स्थान पर गम्) मिलता है, पर प्राकृतों में बहुधा इन दोनों की जगह एक ही (संस्कृत गमिष्यति के स्थान पर पालि गच्छिस्सति) पाया जाता है। इसी प्रकार संस्कृत में भ्वादिगण की वातुओं का बाहुल्य ढले मिलने है, जैसे गृह्णाति-गृह्णाति के लिए गरहति गरहन्ति। हिन्दी में भी बोलियों में इस एकरूपता की प्रवृत्ति के बहुत से उदाहरण दिखाई देते हैं, जैसे पडना में प्रेरणार्थक पडवाना, डालना का अकर्मक डलना, करना का भूतकाल में करा (किए के स्थान पर) इत्यादि, अथवा राजा का विकारी रूप राजे।

एकरूपता लाने की यह प्रवृत्ति सादृश्य-भूलक है, दिमाग में बहुत से सदृश रूप जमे हुए हैं, दो चार असदृश रूप कायम रखने से दिमाग पर बोझ पडता है, स्वाभाविक ही है कि यह बोझ हल्का किया जाय। इसप्रकार पदविकास की भी तह में प्रयत्नलाघव ही कारण है। नपुंसकलिङ्ग की सज्ञाओं का रूप अपभ्रंश काल में पुत्लिङ्ग के अनुरूप मिलता है—पुत्तु, नरु, देवु आदि के वजन पर फलु भी। हिन्दी में सबोधन बहुवचन के लिए अत में होने वाला रूप (पूतो, लडकियों, बहुओं, राजाओं आदि (और विकारी विभक्ति के लिए—) वाला (पूनों लडकियों, बहुओं राजाओं आदि) स्टैंडर्ड है। पर इधर सबोधन-रूप के स्थान पर विकारी विभक्ति का रूप बहुधा (प० जवाहरलाल नेहरू की स्पीचों में विशेष रूप से) सुनाई पडता है और सम्भावना यही जान पडती है कि सबोधनवाला रूप गायब हो जायगा। अपेक्षा की दृष्टि से भाषा में उसका प्रयोग कम था ही।

यह सादृश्य जैसे गणित में काम करता है प्रायः उसी प्रकार पद-विकाम में। गणित में हम देखते हैं कि—

४ का जो भाग १ है वही

८ का भाग २ है।

उसी प्रकार जैसे पुत्त अन्त पुत्तेण अन्तेण

वैसे ही

गच्छन्त

गच्छन्तेण

हिमवन्त

हिमवन्तेण

यहाँ गच्छन्तेण की (गच्छता के स्थान पर) आर हिमवन्तेण की (हिमवता के स्थान पर) सिद्धि हुई है। विभिन्नता का लोप और एकरूपता का आगम इसी आदर्श पर भाषा में होता रहता है, गणित और भाषा-विक्रम में अन्तर इतना ही है कि गणित का नियम सर्वत्र व्यापक है। पद-विकास का नहीं। पद-विकास में भाषा की स्पष्टता कायम रखने के लिए सर्वत्र एकरूपता लाई जा सकती। किस रूप में अपेक्षाकृत दिमाग में अधिक स्थिरता है और किस में कम, यह बात हम परिणाम देखकर ही जान पाते हैं, गणित में वह वस्तु पूर्वसिद्ध है। भाषा में जहाँ एकरूपता की प्रवृत्ति काम करती है वहाँ साथ ही साथ विभ्रम दूर रखने के लिए भिन्नरूपता भी चलती रहती है। इसलिए कैसे निश्चयपूर्वक कहा जा सके कि अमुक रूप रहेगा या बदल जायगा? जहाँ दिमाग का बोझा हल्का करने के लिए एकरूपता लाना जरूरी समझा जाता है वहाँ साथ ही साथ बहुत से विभिन्न (पद-मबधी) अर्थों के लिए यदि एक ही रूप हुआ तो भ्रान्ति उत्पन्न होगी और दिमाग को थकान लगेगी। यही कारण है कि समान एकरूपता नहीं आने पाती।

सादृश्य द्वारा एकरूपता पहले पहल बच्चों की भाषा में सुनाई पड़ती है। मुबोध वालक कर नहीं पाता, खा नहीं पाता, चल नहीं पाता, आदि के वजन पर आरभ में पा नहीं पाता बोलता है, और उसका बाप चचा मुस्कराकर इस प्रयोग को पा नहीं सकते कह कर सुधार देता है। इसी प्रकार करा का किया, पडवाना का डालना, डलना का पडना आदि रूप भी बच्चों से आरभ होकर शुद्ध किये गये होंगे। पर इन पिछले प्रयोगों में स्थिरता की मात्रा इतनी कम थी कि वे न बच सके, और उधर पा सकना प्रयोग में स्थिरता अधिक थी कि शुद्धीकरण काम कर गया और पा नहीं पाता न टिक सका।

सादृश्य जिन रूपों को नहीं मिटा पाता उन्हीं को वैयाकरण अपवाद,

अनियमित या सबल का नाम देते हैं और जो इस सादृश्य का शिकार बन जाते हैं उन्हें वे निर्बल या नियमित कहते हैं। कारण यही है कि सबलता ही अस्तित्व कायम रखने में सहायक होती है। यह सबलता प्रायः प्रयोग की बहुलता से आती है, यदि कोई बार बार प्रयोग में आता है तो संभावना है कि वह टिक जाय, चाहे अपने साथ के रूपों से वह भिन्न ही क्यों न हो। आर्य भाषाओं की सहायक क्रिया $\sqrt{\text{अस}}$, $\sqrt{\text{आ-क्षि}}$ (होना) के रूप इसके उदाहरण हैं। अन्य क्रियाओं की अपेक्षा यह इतनी ज्यादा काम में आती है कि जहाँ और क्रियाएँ रूप बदल कर नियम के अन्दर आ गईं यह (व्यंजि-विकास का पालन करती हुई भी) अपना रूप पदविकास के प्रतिकूल वातावरण में भी कायम रख सकीं (हैं—या) इसी प्रकार जाने का अर्थ बताने वाली $\sqrt{\text{जा}}$ का भूतकाल का रूप गया स्थिर है, यद्यपि अन्य क्रियाओं में वर्तमान और भूत के रूपों में समानता है (खाना-खाया, पीना-पिया आदि)।

सादृश्य के खिलवाड़ में कौन रूप रहा और कौन गायब हुआ इस बात का विचार हर एक रूप के बारे में अलग अलग करना होगा और कुछ ही रूपों का विचार करके इतना स्पष्ट हो जायगा कि इस खिलवाड़ की माया विचित्र है। सादृश्य के प्रत्येक उदाहरण को युक्तिपूर्वक सिद्ध करने के लिए बड़ा परिश्रम आवश्यक है और ज़रा सी असावधानी से भाषाविज्ञान के भ्रमजाल में पड़ जाने की संभावना है। कभी अपवाद-स्वरूप सबल रूप नियम में आए हुए निर्बल रूपों पर ऐसा प्रभाव डाल देते हैं कि निर्बल रूप ही सबलों का अनुकरण कर अपवाद से हो जाते हैं।

सादृश्य से एकरूपता आ जाने पर स्पष्टता के लिए नए रूपों की सृष्टि होती है, अथवा पद-भंडार में मौजूद अन्य रूपों का प्रयोग विस्तार पा जाता है। संस्कृत में अकारान्त सज्ञाओं के प्रथमा और द्वितीया के बहुवचन के रूप (पुत्रा) और (-न् पुत्रान्) थे। प्राकृतों में ध्वनि विकास के कारण पदों के अंतिम व्यंजन का लोप हुआ तो प्रथमा और द्वितीया के रूपों (प्र० पुत्ता द्वि०*पुत्ता) में एकरूपता आई होगी जिसको

मेटने के लिए ही द्वितीया के पुत्ता रूप को हटाकर पुत्ते लाया गया होगा। अवधी में कर्ता कारक में एकवचन और बहुवचन में एकरूपता आ गई थी (चोर-चोर, लरिका-लरिका, गइया-गइया) जो शाब्द दुखदाईं मालूम हुई। इसी को मिटाने के लिए अन्य चारको में प्रयोग में आने वाला -न रूप (लरिकन, गइयन) कर्ता में भी काम में आने लगा (लरिकन पढन जैहं, गइयन चरै गईं ।) इस-न रूप ने जहाँ एक ओर भिन्न-रूपता स्थापित की वहाँ साथ ही साथ कर्ता और अन्य कारको के प्रयोग में समानता उपस्थित कर दी। इसी तरह अन्य उदाहरणों में जान पड़ता है कि समानता और विभिन्नता भाषा के माथ आँख-भिचौनी का खेल खेला करती है।

विभक्ति आदि के रूपों में एकरूपता आ जाने से जिन नए रूपों की सृष्टि होती है उनमें सवधतत्त्वों का बोध कराने वाले परसर्ग आदि विशेष रूप से उल्लेख के योग्य हैं। में (मध्य) का (कृत) स्म आदि अथवा अँगरेजी के ए, ऐन, (लि a, an, ly < like) आदि पहले स्वतंत्र शब्द थे जो सहायक शब्दों के रूप में पहले-पहल व्यवहार में आए और बाद में सहायकत्व का गौण अस्तित्व स्वीकार करने के कारण अपनी स्वतंत्रता खो बैठे और विकलॉग भी हो गए। राजनीतिक परतत्रता की तरह भाषा के शब्दों की परतत्रता भी स्वतंत्रता खो बैठने वालों के लिए घातक है।

तेईसवाँ अध्याय

अर्थ-विचार

बोलना सीखने पर बच्चा सर्वप्रथम कुछ निरर्थक गू, वा वा आदि ध्वनियाँ करता है, इसके बाद धीरे-धीरे वह, ध्वनियों और उनके अर्थ का संबन्ध जोड़ने की शक्ति प्राप्त करता है। मार्थक शब्दों के उच्चारण करने के पूर्व वह उन परिचित शब्दों का अर्थ समझने लगता है। बच्चे में पूछो कि माँ कौन है, गाय कौन, बावू जी कौन, तो इनके उपस्थित रहने पर वह इनकी ओर उँगली उठा देता है। इसके थोड़े ही दिनों बाद वह शब्दों का उच्चारण भी करने लगता है। इस प्रकार बच्चे के दिमाग में अर्थ का प्रवेश शीघ्र ही हो जाता है। कहने हैं कि बच्चा माँ को कुछ ही हफ्तों में पहचानने लगता है। यह समर्ग से ही होता है।

बच्चे के दिमाग में ध्वनियों के समर्ग से अर्थ आता है और काफी जल्दी। उसके अन्तःकरण में ध्वनियाँ शीघ्र जम जाती हैं, और उसके थोड़े ही दिन बाद पदरचना के लिए संबन्धतत्त्व भी। पर अर्थ शीघ्र आने पर भी जमता नहीं है क्योंकि अनुभव के अनुसार शब्द-विशेष के अर्थ में परिवर्तन होना रहता है। गाय का अर्थ बच्चे के दिमाग में पहले पहल घर या पड़ोस की गायों को देखकर आता है और जैसे जैसे वह विभिन्न रंगों और कदों की गाएँ देखता है उसके गाय के सामान्य अर्थ में इस प्रकार परिवर्तन होता जाता है कि वह अपने अनुभव की सभी गायों को उसमें समाविष्ट कर सके। इसी तरह देहात का बच्चा पहले सेठे की कलम को ही कलम समझता है, बाद को लोहे की निब वाले होटडर और फाउटेन-पेन को भी कलम के अन्तर्गत कर लेता है। इसी तरह प्रत्येक शब्द का अर्थ हमारे अनुभव के अनुरूप विस्तृत होता रहता

है। इसीलिए कहा गया है कि अथ हमारा दिमाग म पूर तौर स कभी सीमित नहीं हो पाता—ध्वनियाँ और पदों के सबधतत्व बचपन में ही जम जाते हैं। किसी विविष्ट भाषा के बोलने वाले की ध्वनियों और सबधतत्वों को अपने स्थान में हटाने में बड़ी कठिनाई होती है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले में रहने वाले छात्रों को संस्कृत पढ़ाते समय व और व का अथवा ज य और श स का भेद सिखाने में कठिनाई का मूल कारण यह है कि उनकी बोली में व, य, श है ही नहीं। इसलिए उनको इनके उच्चारण में विशेष कठिनाई होती है। हम हिन्दुस्तानी लोग य और द जानते हैं, अंगरेजी की थ ओर द (θ ओर δ) नहीं और इसीलिए इनके उच्चारण के अभ्यास के अभाव में अथवा अंगरेजों के सपक में आए बिना हम इन ध्वनियों को नहीं सीख पाते। सबधतत्व भी जड़ पकड़ जाने हैं और इनको भी विचलित करना कठिन होता है। स्टैंडर्ड हिंदी के ने का प्रयोग अवधी और भोजपुरी वालों के लिए टेढ़ी खीर है। परन्तु अर्थ के बारे में ऐसी कोई कठिनाई नहीं होती, वह अनायास ही अपना स्थान करता रहता है।

इस प्रकार अर्थ के अनुभव-जन्य होने के कारण यह सभव है कि एक ही भाषा बोलने वाले किन्हीं दो व्यक्तियों के दिमाग में एक ही शब्द का अर्थ (वैज्ञानिक दृष्टि में) बिल्कुल एक न हो, कुछ अंतर हो। किसी शब्द के अर्थ की कोई सीमा निर्धारित कर पाना इसी कारण असभव होता है।

एक ही शब्द के विभिन्न अर्थ होते हैं और उनका निर्धारण प्रकृत्य करना है। जब कोई व्यक्ति किसी वाक्य में विशेष शब्द का व्यवहार करता है तब वह उसे, अनेक अर्थों के होते हुए भी, केवल एक अर्थ में लाना है और प्रायः श्रोता भी उसे उसी अर्थ में ग्रहण करता है। रसोई में बैठा हुआ रसोइया जब कहार से सैन्धवमानय कहता था तो कहार नमक ही लाकर देना था घोडा-नही। और यदि राज-दरबार में जाने के लिए तय्यार सरदार साईंस में सैन्धवमानय कहता तो साईंस घोडा ही लाता नमक नहीं। प्रकरण ही इस प्रकार शब्द के अर्थ का निर्णायक है।

एक समय में एक ही अर्थ उपस्थित रहना है, उस समय अन्य अर्थ गायब रहते हैं यद्यपि वे अन्तःकरण में मुप्तावस्था में पड़े रहते हैं। हों साहित्यिक जहाँ अपनी कला के प्रदर्शन के लिए वक्रोक्ति आदि में श्लेष का प्रयोग करते हैं वहाँ दूसरी बात है, पर वह सब कृत्रिम है, भाषा का स्वाभाविक अंग नहीं।

ऊपर कह चुके हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक ही शब्द को ठीक ठीक उसी अर्थ में नहीं लेता जिसमें दूसरा। और जितनी ही एक जनसमुदाय की घनिष्ठता दूसरे से कम होती है उतनी ही अर्थ के अंतर के बढ़ने की संभावना रहती है। संस्कृत में विहार शब्द का अर्थ विचरण करना, टहलना, आदि था, पालि में वही शब्द निवाम-स्थान के अर्थ में बराबर प्रयोग में आया है, और आज किसी प्रांत में बौद्ध विहारों के कारण ही शायद उसका नाम ही विहार हो गया है। हिन्दी में बाड़ी, बारी शब्द प्रायः संस्कृत के वाटिका शब्द के अर्थ में आज भी काम में आता है, पर बंगाली में उसका अर्थ घर हो गया और घर का अर्थ कमरा। एक जनसमुदाय का दूसरे जनसमुदाय के प्रति जो सामान्य मनोभाव होता है उसके कारण भी अर्थ में भेद पड़ जाता है। संस्कृत में दैव शब्द का जो उत्कर्ष है उसका ठीक उल्टा (अपकर्ष) ईरानी के दैव (दैव) शब्द में मिलता है। ऋग्वेद के कुछ पुराने भागों में असुर शब्द देवता-वाचक है और इसी अर्थ में ईरानी में भी (अहुर) है, किन्तु बाद की संस्कृत में यही शब्द राक्षस, दैत्य आदि का द्योतक हो गया और अ को निषेधात्मक मान कर सुर शब्द देवता-वाचक समझा गया। फारसी में (सिधु का रूप) हिंदू पहले सिन्धु नदी के आस-पास और उसके पूर्व के प्रदेश में रहने वालों के लिए व्यवहार में आया और बाद में हम हिन्दुस्तानियों के प्रति उन लोगों की कुत्सित भावनाओं के कारण चोर, डाकू, गुलाम आदि के अर्थ में फारसी के फोपो में मिलता है। वर्तमान भारत में मुसलमान शब्द का अर्थ हिन्दू दिमाग में “शात धर्म का अनुयायी” नहीं है—है “झगडालू, हिंसक और अपवित्र मनुष्य” का, और इसी प्रकार मुसलमान के दिमाग में हिन्दू शब्द का मानी “नापाक, बुतपरस्त,

छुआछूत आदि का शिकार मनुष्य" है। स्वराज-प्राप्ति के बाद इस मनोवृत्ति में परिवर्तन हो रहा है। अफ्रीका में अन्य जनसमुदायों की भाँति काफिर जाति है पर मुसलमान की भाषा में इसी शब्द का अर्थ 'विधर्मी' हो गया और आज वे लोग हिन्दुओं को भी काफिर कहते हैं यद्यपि हमारा उन अफ्रीका वालों से स्वप्न में भी कोई सम्बन्ध नहीं रहा।

एक भाषा के शब्द जब दूसरी भाषा में ले लिए जाते हैं तब उनके अर्थ में भी सामाजिक वातावरण के अनुसार परिवर्तन दिखाई पड़ता है। हिन्दी के गिलास शब्द का प्रयोग शीशे के अर्थ में नहीं होता बल्कि शीशा, पीतल, फूल आदि से बने हुए पात्र-विशेष के अर्थ में। डा० तारापुरवाला ने गुजराती के व्यवहार में फारसी शब्द दरिया का अर्थ समुद्र और अँगरेज़ी के वेस्टकोट का जनाना कपडा (अँगिया) दिया है।

एक ही जनसमुदाय में दैनिक व्यवहार में एक शब्द का अर्थ एक आदमी के व्यवहार में एक और दूसरे के प्रयोग में दूसरा हो सकता है। माली कलम शब्द को एक अर्थ में और अर्जीनवीस दूसरे अर्थ में काम में लाता है, यह दूसरी बात है कि जब वे दोनों संपर्क में आवे तब जरूरत के हिसाब से उस शब्द का दूसरा अर्थ भी व्यवहार में लावे। इसी प्रकार माली का फूल कसेरा (बर्तन वाले) के फूल (धानु) से भिन्न है, डाकखाने का टिकट रेल के टिकट से, और कचहरी के स्टाम्प से डाकखाने का स्टाम्प, अथवा रजिस्ट्री के दफ्तर की रजिस्ट्री डाकखाने की रजिस्ट्री से। पाठशाला के अध्यापक का बेंत, और कुर्मी बुनने वाले का बेंत, अथवा शाम को टहलने जाने वाले मज्जन का बेंत, एक दूसरे से कितना भिन्न है!

अर्थविज्ञान के प्रमुख मनीषी ब्रील के मत के अनुसार अर्थ का विकास तीन दिशाओं में होता है—अर्थविस्तार, अर्थसंकोच और अर्थविशेष। अर्थ-विकार या अर्थपरिवर्तन सब का सब इन तीनों के अंतर्गत ही मिलता है।

तैल शब्द का अर्थ 'तिल का सार' था किंतु अब यह (तेल) शब्द

सरसो, गोला, अलसी, मूंगफली आदि ही के सार के अर्थ का बोध नहीं कराता, मिट्टी का भी तेल होता है और यदि किसी आदमी में बड़ी मेहनत कराई जाय तब भी हम कहते हैं कि 'उसका तेल निकाल लिया'। कुशल उसको कहते थे जो बिना अपने हाथों का चोट पहुँचाए कुरा तोड़ लावे इसमें चतुराई की जरूरत होती थी और अब कुशल का शब्द चतुर-मात्र के लिए हो गया है। यज्ञ कराने वाला पुरोहित जब काँफ़ेभ्यां दधि रक्ष्यताम् का आदेश देता था तब उसका मतलब था कि केवल कौओ में ही नहीं, अन्य चिड़ियों, अथवा कुत्तों आदि से भी उसकी रक्षा करो। गगा शब्द बोल-चाल की हिन्दी में नदी-विशेष का द्योतक न रह कर सब नदियों के अर्थ में प्रयोग में आता है। गोसाईं शब्द अब केवल गौओं के मालिक के अर्थ में न आकर सभी प्रभुओं का द्योतक है। पत्र शब्द पेड़ के पत्तों का ही सूचक नहीं, उसका अर्थ चिट्ठी और समाचारपत्र भी है। सस्कृत में परश्च शब्द आने वाले कल के बाद वाले दिन के अर्थ में प्रयोग में लाया जाता था किन्तु उसका हिन्दी रूप परमों बीते हुए दिन के पूर्व वाले दिन के अर्थ में भी बराबर आता है और पहाड़ी बोली में तथा दक्खिन हैदराबाद में निकट भूत-काल या भविष्य के किसी भी दिन के अर्थ में आता है। इसी प्रकार कल शब्द आने वाले दिन के अर्थ (कल्य <कल्य=श्रात) में आता था पर हिन्दी में बीते हुए दिन के अर्थ में भी आता है। गोष्ठम् शब्द का अर्थ गाय की रहने की जगह था, पर बाद को किसी भी जानवर के रहने की जगह के लिए यह शब्द काम में आने लगा और गोगोष्ठम् (गाय का निवासस्थान) अविगोष्ठम् (भेड़ का निवासस्थान) शब्द बने। इसी तरह गायुगम् गाय का बैल की जोड़ी के अर्थ में था, फिर जोड़ी मात्र के अर्थ में चल पड़ा और उष्ट्रगोयुगम् (ऊँट की जोड़ी), खरगोयुगम् (गदहे की जोड़ी) आदि शब्द बन गए। इन उदाहरणों से अर्थ-विस्तार किस प्रकार चलता है यह स्पष्ट हो जाता है।

अर्थसकोच के भी बहुत से उदाहरण हैं। नेत्र शब्द का अर्थ था चमकने वाला, प्रकाश करने वाला, आगे चलने वाला, ले जाने वाला,

वाद को 'आँख' के अर्थ में वह सीमित हो गया। रदन का अर्थ फाड़ने वाला था किन्तु बाद को केवल 'दाँत', सर्प का रेंगने वाला प्राणी लेकिन बाद को रेंगनेवाला विशेष प्राणी, वर का चुना हुआ या माँगा हुआ कोड़ भी, बाद को दूल्हा और देवता का दान। घृत भी अर्थमकोच का उदाहरण है। अवधी चटनी (चाटने के योग्य कोई खट्टी चीज) खड़ी बोली की चटनी की अपेक्षा अर्थमकोच का उदाहरण है। मिठाई शब्द अवधी में गुड़ और हलवाई द्वारा बनाई हुई मिठाई दोनों अर्थों में, पर खड़ी बोली में केवल हलवाई की मिठाई के लिए आता है।

अर्थादेय से मतलब अर्थ में इतना अधिक अंतर होने से है कि मौलिक अर्थ स्वतन्त्र ही हो जाय और दूसरा अर्थ उसकी जगह आ जाय। देव और असुर का उदाहरण दिया जा चुका है। दुहिता शब्द का अर्थ 'बुढ़ने वाली' वित्कुल भिट गया और कन्या हो गया। गुल्म शब्द का अर्थ संस्कृत में झाड़ी था किन्तु उसी के हिन्दी रूप गुलम को चोट के गोलाकार निगान को कहते हैं। मौन अब चुप्पी साधने को बताता है न कि मुक्तियों के विशुद्ध आचरण को। माहुर साहुर अवधी में विष का अर्थ रखता है, शायद इसलिए कि मखिया आदि विष मिठाई में मिलाकर दिए जाते रहे हैं।

अर्थविकास की ये तीन दिशाएँ विभिन्न रूपों में काम करती हैं। अलकारों का प्रयोग इस प्रकरण में मुख्य है। मीठी बात, कड़ुई बात के प्रयोग में मीठे और कड़ुए का अर्थ अपने स्वभाव का नहीं बल्कि उस शब्द से उत्पन्न हुई प्रसन्नता अप्रसन्नता का हो सकता है। टेढ़ा आदमी, सीधा आदमी में शरीर की गठन का कोई उल्लेख नहीं। टोस कार्य में चिर-स्थायित्व का संकेत है न कि खोखलापन के उलटे ठोसपने का। यदि हम अपने शब्दों को विश्लेषण की दृष्टि में देखें तो हमें मालूम होगा कि भाषा में स्वाभाविक रूप में अलकार बड़ी मात्रा में मौजूद है।

हम अपने अनुभूत पदार्थों के नाम बहुधा ऐसे पदार्थों को दे देते हैं जिनमें उन पूर्व परिचित पदार्थों का केवल कोई प्रमुख गुण हो। विच्छू

विशेष जन्तु है जो डंस लेता है तो बड़ा दर्द होता है, पर पहाड़ो पर एक पौधा होता है जिमक स्पर्शमात्र मे थोड़ी देर के लिए दर्द पैदा हो जाता है, वह उमको भी बिन्धू कहते है। वच्चे खेलते समय दोनो टांगो के बीच कोई लकड़ी लेकर बसीटते चलते है ओर उसे घोडा कहते है। दीवाली के दिने मे साँप विकते है जो केवल वाक्द की छोटी सी बत्तियाँ ही होने पर भी दियामलाई के लगते ही साँप का आकार धारण कर लेते है।

तारापुरवाला के मत के अनुसार वेद की प्राचीन ऋचाओ मे उप्ट्ट का अर्थ 'भैसा' और बाद वाली ऋचाओ मे 'ऊँट' है। हिन्दी मे भाई और भय्या गब्द अब केवल मस्कृत के भ्रातृ गब्द के अर्थ मे सीमित नही है, बहुत जगह भय्या लडके को भी कहते है और कभी कभी बोलवाल की हिन्दी मे पत्नी पनि से कह बैठती है भाई जरा बच्चे को संभाल लो। इस प्रकार मे भाई का अर्थ केवल सम्बोधन करना है और वह हे, अर आदि का समानार्थक है। चतुर्वेदी, द्विदी, अग्निहोत्री, वाजपेयी, श्रीवान्तव, सम्मेना, माथुर, अग्रवाल आदि नामो की सार्थकता अब केवल इतनी ही है कि नामो से अपने को अलकृत करने वाले भारतीय उन महानुभावो की सतान है जो चतुर्वेदी आदि थे। महाराज का अर्थ होस्टलो मे केवल रमोइया है, न कि महाराज। सूरदास, रयदास आदि मे केवल शरीर की अगहीनता या जाति की नीचता को सुन्दर ढग से जनलाया जाता है। गरीफे की आँख, मूंग की नाक, नारियल की जटाएँ और आँखे आदि प्रयोग भी रोचक है। साराग यह कि शब्दो का व्यवहार मनुष्य की विचारधारा के अनुसार विस्तृत, मकुचिन या परिवर्तित होता रहता है।

अर्थ-परिवर्तन की तीनो दिशाओ का मूल कारण विचार-विभिन्नता है जो व्यक्ति या समुदाय के सम्पर्ग की मात्रा से उत्पन्न होती है। इसी कारण अर्थ-परिवर्तन तर्कशास्त्र का विषय न होकर मनोविज्ञान के जन्तर्गत है, और मनोविज्ञान समाज-विज्ञान की एक शाखा है।

हिन्दी मे चिट्ठी और किताब के पन्ने को पत्र कहते है। इसका कारण शायद यही है कि पूर्वकाल मे कागज के अभाव मे चिट्ठियाँ और

पुस्तक पत्रों (पत्र भूज-पत्र आदि) पर ही लिखी जाती थी। उस समय से उन पर लिखी हुई चीज ही पत्र कहलाने लगी यद्यपि अब जिस मामूरी पर वह लिखी जाती है उसका पत्र से कोई सम्बन्ध नहीं। पालि में परशाकार शब्द उपहार के अर्थ में आता है। कारण शायद यही है कि उपहार हरे हरे पत्तों में ढक कर भजा जाता होगा जिस प्रकार कभी बड़े दिन पर जीहुजूर, माहव लोगो को इस देश में डाली लगाया करते थे।

अशुभ-सूचक बातें बचा बचा कर गौठमोल शब्दों में प्रकट की जाती हैं। वैवय को चूड़ी फूटना कहते हैं मर जान को स्वर्गवास होना या पंचत्व को प्राप्त होना कहा जाता है। गर्भी में जो बाल मुँडाने होते हैं उन्हें बाल बनवाना कहते हैं और माधारण को हजामत। उर्दू बोलने वाले सम्य समाज में वह बीमार है यह न कहकर उनका दुश्मनों की तबियत नासाज है कहा जाता है क्योंकि यह कहा भी नहीं जा सकता कि बीमारी ऐसी अशुभ चीज उनके पास फटकी। लाश को मिट्टी, दैनिक क्रिया-विशेष को पाखाना, दिशा, जगल अथवा इंगलैंड आदि सोंप को कीड़ा, रस्सी इत्यादि उक्तियों में भी अशुभ, लज्जा-जनक या पृणास्पद बातों को गोल-मोल शब्दों द्वारा प्रकट करने की मनोवृत्ति है। इस विषय में भाषा पर स्त्रियों का विशेष प्रभाव पड़ना है, उनके मुँह से अशुभ और असम्य बाल बहुधा नहीं निकलती। लज्जाहीन भारतीय ललना ही नहीं, विदेशी ललना भी अपने पति का नाम नहीं लेती, ललना के लाला, बच्चों के बाबू पंडित जी आदि शब्दों से अथवा यह आदि सर्वनामों से ही उनका उल्लेख करती हैं। गर्भिणी को प्रत्यक्ष ऐसा न कहकर इसका पाँव भारी ऐसा कहा जाता है।

शिष्टाचार में भी सीधे शब्द नहीं बोले जाते। अन्धे को अन्धा न कह कर सूरदास कहो तर्भ ठीक होगा और चमार को रयदास, तथा दर्जी को खलीफा। संहतर-शब्द ही शिष्टाचार का है पर जमादार कहना ज्यादा ठीक समझा जाता है। मूसिफ को जब जब साहब कहा जाता है तब वह गद्गद् हो जाता है।

बहुधा देखा गया है कि प्राचीन भाषाओं के नत्मम शब्दों में अधिक आदर और गौरव समझा जाता है और अपेक्षा की दृष्टि से तद्भव शब्दों में कम। गर्भिणी (मानुषी) गायिका (गाय आदि), ब्राह्मण (शिक्षित) ब्राह्मण (वे पटा-लिखा), स्तन (स्त्री के) यन (गाय के), राजा गव, राजपुत्र राजत, कुक्षि कोख आदि द्वन्द्वों में भेद स्पष्ट है।

रूपों का लेन-देन करने वाले अर्थात् अमीर लोग अच्छे और मज्जन समझे जाते हैं। हिन्दी के महाजन मठ (श्रेष्ठ, श्रेष्ठी), साह (मावु) आदि शब्द इसी परिणाम पर पहुँचाते हैं।

देशवाचक और कालवाचक शब्द बहुधा समानार्थक होते हैं। संस्कृत का अ वन् शब्द 'समय' और 'फासला' दोनों का बोध कराता है। अरबी का अरसा शब्द फासले का द्योतक था पर अब उर्दू में समय के फासले को बताता है, देश के फासले को नहीं। हिन्दी बोलियों के वाग, बेर (<बेला), दौई (<दामन्) शब्द भी देश और काल की अभिन्नता बताते हैं।

शक्ति और दूसरो को हैरान परेशान करना इन दोनों बातों का साहचर्य-सा है। आजस्वी और प्रतापी शब्द उदाहरण हैं। दूसरी ओर स्वभाव की सिधार्ई, मूर्खता और कमजोरी साथ साथ चलती दिखार्ई देती है। ऋजुक' अस्या पति इस वाक्य में उम स्त्री के पति की सिधार्ई का ही अभिप्राय नहीं है वह इतना मूर्ख है कि अपनी पत्नी की धूर्नता नहीं समझ पाता, इस बात का भी संकेत है। हिन्दी के सीधा, सीधा शब्दों से भी ग्रही सकते हैं। अंग्रेजी का सिम्पल (simple) शब्द भी इसी प्रकार सिधार्ई और मूर्खता का द्योतक है। कोमलता और सज्जनता भी साथ-साथ चलती है और स्वभाव की दुष्टता और टेढापन। बन् टेटा आदमी है और तिर्यग्यानि उदाहरण स्पष्ट है।

मनुष्य को कभी-कभी सीधी बात कहने में यहाँ तक अमताप होता है कि वह ठीक उरती बात कहकर अपना अभिप्राय प्रकट करता है। आप बड़े अक्लमन्द है आप बड़े विद्वान् ह आदि प्रयोगों में अक्ल और विद्वत्ता के अभाव की ही सूचना मिलती है। वच्चे को प्यार में जब हम

शतान, चदमाश, दुष्ट आदि शब्दों में संबोधित करने हैं तब उसके नटखटपने से खुश होकर ही। मित्रों ने आपस में एक दूसरे को गद्दहा, सुअर, चदमाश आदि शब्दों में संबोधन करने की प्रथा दिखाई पड़ती है जिसके मूल में है स्नेहातिशय न कि गाली-गलौज।

जैसा ऊपर कहा जा चुका है कि किसी शब्द का अर्थ पूरी तौर से निश्चित नहीं है, उसका वास्तविक अर्थ प्रकरण में और वक्ता की मुवाकूति आदि के देखने से ही जान पड़ता है। संस्कृत में विष भुङ्क्व का उदाहरण बहुधा दिया जाता है। यदि प्रकरण में इसको अलग कर तो अर्थ का अनर्थ हो जाय। यदि कोई शब्द किसी एक ही प्रकरण में सीमित हो जाय तो अर्थसंकोच हो जाता है। सर्प, रदन आदि शब्दों का इसी प्रकार अर्थसंकोच हुआ होगा। फारसी का व शब्द और संस्कृत का गन्ध दोनो अब दुर्गन्ध के अर्थ में आते हैं यद्यपि इनका वास्तविक अर्थ गंध-मात्र था और उन भाषणों में समान रूप में दुर्गन्ध और सुगंध के लिए आता है। इसी प्रकार यदि एक ही शब्द किसी एक प्रकरण में सीमित न रहकर अन्य प्रकरणों में आने लगा तो अर्थविस्तार हो जाता है। गंगा शब्द का व्यवहार केवल भागीरथी के लिए न करके अन्य नदियों के लिए करने से ही उसका अर्थ विस्तृत हुआ है। देवदत्त बटा रुपये वाला है इस वाक्य में रुपये का अर्थ केवल चांदी के टुकड़ों का नहीं बल्कि कागज के नोटों, घर, जायदाद गन्ना, पशु आदि का भी है। इसी तरह यदि कोई शब्द एक प्रकरण में बिल्कुल खतम होकर दूसरे प्रकरण में आने लगे तो अर्थविेश होता है। अवधी का डाड दड शब्द जुमाना, मजा, हर्जाना आदि के अर्थ में आता है, डडे के अर्थ में नहीं, यद्यपि है वह डडे का ही रूपान्तर। माराश यह है कि अर्थ-संकोच, अर्थ-विस्तार और अर्थविेश की दिशाओं में ही चलकर अर्थ का विकास होता है। दो शब्दों में से एक का एक अर्थ में और दूसरे का दूसरे अर्थ में [डॉल डडा-डॉडा, कर्म श्रौत स्मार्त्त आदि और कार्य साधारण पत्रा और पान (ग० पर्षा), पत्ती पाती (म० रत्री-), पत्ता (पत्र)] होना,

अथवा किसी शब्द के अर्थ का अनर्प हो जाना आदि इन्हीं दिशाओं में एक न एक के उदाहरण हैं।

ऊपर कह चुके हैं कि शब्द का अर्थ प्रकरण के अनुसार ही होता है, यदि उसके और कोई अर्थ होते हैं तो वे उस समय गायब रहने हैं, अन्यथा मनुष्य का दिमाग शब्दों का व्यवहार कर ही न सके। तब भी मन्व-तत्वों की भाँति अर्थ ही अपने सबधियों के साथ मनुष्य के अन्तःकरण में जुड़ा रहता है (जैसे दान, दाता, दण्ड, दास, देना आदि) और जब किसी शब्द का भिन्न अर्थ होने लगता है तब उसके सबधी बाधा पहुँचाते हैं पर यदि परिवर्तन होने की मात्रा उत्कट हुई तो अर्थ बदल ही जाता है और यदि वह शब्द अपने वर्ग का प्रबल सदस्य हुआ तो वह अपने सबधियों को भी साथ घसीट ले जाता है अन्यथा अकेला ही चला जाता है। असुर शब्द के अर्थ के साथ आसुरी, आमुर आदि शब्दों का भी अर्थ बदला। नमक के साथ नमस्कीन का भी अर्थ विस्तृत हुआ। सर्प के साथ सर्पिणी का भी अर्थ सकुचित हुआ तथा दुल्हा (<दुर्लभ) के साथ दुल्हिन का भी। दशा ठीक वैसे ही है जैसी वर्म बदलते समय होती है। यदि किसी पौराणिक परिवार का प्रमुख व्यक्ति आर्यममाजी होता है तो सारा परिवार आर्यममाजी या ब्रह्मसमाजी हो जाता है, और यदि जन जमीन, जर के लालच से कोई उच्छृंखल नवयुवक ईमाई होता है तो अकेला।

अर्थविक्रम के अध्ययन से कभी कभी समाज की दशाओं के इतिहास का भी ज्ञान आसानी से मिल जाता है। देव, असुर आदि शब्दों के उदाहरण ऊपर दिये जा चुके हैं। अंगरेजी का पिन्यूनियरी (Pecuniary) शब्द जिसका सबध पशु शब्द से स्पष्ट है, इस बात का द्योतक है कि जब सिक्को का चलन नहीं हुआ था तब पशु सिक्को की तरह बदले जाते थे। जर्मन शब्द फेडर (feder) और फ्रेच का प्लुम (Plume) इस बात के सूचक हैं कि पहले लेखनी विडियों के परो की बनाई जाती थी। हिन्दी का गिलास शब्द इस बात की सूचना देता है कि इस प्रकार के पात्र पहले गीशे के बने हुए इस देश में आए। जहाँ

इतिहास जानन क अन्य साधन (ग्रथ मिक्क शिलालख आदि) न मिलते हो वहाँ अर्थ के तुलनात्मक अध्ययन से खोज में बड़ी सहायता मिलती है। वैदिक-पूर्व आयो के रहन-सहन के बारे में हमें विशेष ज्ञान भाषाविज्ञान की इसी शाखा से प्राप्त होना है।

शब्दकोश

अर्थ की दृष्टि से किसी भाषा के सब शब्दों को एकत्र कर उन्हें शब्द-समूह कहते हैं। भाषा के शब्द-समूह के प्रत्येक शब्द को लेकर उनकी परीक्षा करना उनको प्रकृति-प्रत्यय के हिमाव से वर्गों में बिठाना, वे कहीं से आए, कब बने और अर्थ की दृष्टि में उनमें कब क्या क्या परिवर्तन हुए इसकी विवेचना करना, यह सब काम निरुक्ति का है। वह शब्दों का इतिहास बनाती है। आधुनिक भाषाविज्ञान में इस प्रकार का अध्ययन व्युत्पत्तिविज्ञान के अंतर्गत आता है। निरुक्ति द्वारा प्रतिपादित अर्थ कभी कभी वर्तमान अर्थ में भिन्न होता है। प्रकृति प्रत्यय से बनाए हुए हिमालय का अर्थ बर्फिस्तान है पर साधारण व्यवहार में उस पहाड़ के अंतर्गत नीचे के ऐसे भाग भी हैं जहाँ बर्फ कभी नहीं गिरती। रत्नाकर के सभी भागों में सर्वदा रत्न नहीं निकला करते। इसलिए सदा नैरुक्तिक अर्थ पर ही ध्यान रखकर प्रयोग करने से भाषा के व्यवहार में कड़िनाई पड़ सकती है। टकसाली साहित्यिक हमेशा इस बात की कोशिश किया करते हैं कि वे शब्दों का वर्तमान सर्व-साधारण अर्थ में प्रयोग करें। लोक-गीत और लोक-कथाओं में बहुधा तत्कालीन वर्तमान अर्थ मिलता है, साहित्य के अन्य भागों में शब्दों के प्रयोग में नैरुक्तिक अर्थ का काफी प्रभाव रहता है।

किसी भी भाषा के शब्दसमूह में स्वतः उनके, उनकी प्राचीन भाषाओं के तथा उनके संपर्क में आई हुई अन्य भाषाओं के संबन्ध में पाँच भाग होते हैं—तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी तथा देशज। सस्कृत के संबन्ध से हिन्दी में कुछ तत्सम (ठीक सस्कृत रूप में जैसे, देव, स्वर्ग, पाताल नाग, मनुष्य, बालक आदि) कुछ तद्भव (सस्कृत शब्दों के

विकसित रूप जैसे गाय, गोशू, राजपूत, मक्खी, पानी, आदि), कुछ देगी (देग की अन्य भाषाओं में लिए हुए जैसे टिमाऊ, चाल, गल्प, झैला, पिल्ला, गडा, आदि) तथा कुछ विदेशी (जैसे फारसी-अरबी, तुर्की, अंगरेजी आदि में कुरता, तर्बाज, मवाल, जवाब, शाम, औरत, किताब, नकशा, रेल, टिकट, ट्रन, मास्टर, नोट आदि) है। इनके अतिरिक्त उन शब्दों को हम देगज कहते हैं जो आधुनिक समय की बोलचाल में स्वतः विकसित हुए हैं। जैसे पेड, गडबड, ठडार्ड आदि।

प्राचीन आर्यभाषाओं में विदेशी शब्दों की संख्या बहुत कम है और देगी आर्य भाषाओं के शब्दों की उनसे कुछ ज्यादा पर तब भी कम। और इन दोनों भाषाओं के शब्द भी इस प्रकार ढाल लिए गये हैं कि आर्यभाषा के व्याकरण और ध्वनियों में उनका सामंजस्य बैठ गया। उनका प्रधान शब्द-समूह तत्सम, तद्भव और देशज शब्दों का है। आधुनिक काल में भारतीय आर्य भाषाओं में अधिकतर यही स्थिति है। पर उर्दू, पंजाबी लहँदी और सिन्धी की दशा भिन्न हैं। इनमें अरबी, फारसी आदि पश्चिमी भाषाओं के शब्दों का बाहुल्य है। उर्दू ने तो यहाँ तक अत्याचार किया है कि विदेशी शब्दों की ध्वनियों को तथा व्याकरण के दो एक नियमों को भी ज्यों हा ल्यों कायम रखने का उद्योग किया है। इसी कारण वह भारतीय होती हुई भी अभारतीय सी दीखती है।

आधुनिक फारसी में एक तिहाई के करीब शब्द अरबी के हैं, द्राविड भाषा तेलुगु में संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्दों की संख्या आधी से अधिक है। रोमानी जिप्सी (हवूडी) भाषा भारतीय आर्य भाषा है पर सदियों तक विदेश में रहने के कारण उसमें अविकाश शब्द विदेशी हैं।

किसी ग्रन्थकार या ग्रन्थ के शब्दों की गणना करके इस बात का पता लगाया जा सकता है कि अमुक ग्रन्थकार ने कितने शब्दों का प्रयोग किया है या अमुक ग्रन्थ में कितने शब्द आए हैं। ऐसी गिनती करने समय यदि एक ही शब्द बार-बार आया हो तो उसे एक ही बार गिना

जाता है। इसी तरह व्यक्तियों के शब्दों की गणना करते समय यदि कोई व्यक्ति बहुभाषाविद् हो तो एक ही विचार को जतलाने वाले कई शब्दों (शुक्र, पुस्तक, किताब) में से एक ही गिनना चाहिए बाकी को छोड़ देना चाहिए। हाँ, यदि कोई विदेशी शब्द कुछ नया विचार उपस्थित करता हो तो दूसरी बात है।

विलायत का वेगडा लिखा आदमी केवल ३०० शब्दों का प्रयोग करता है, यही उसकी मारी पूँजी है। गेक्सपियर के सभी ग्रंथों में कुल १५००० शब्द हैं, मित्टन के सात आठ हजार होमर के काव्यों में करीब ९,०००, इजील के पुराने भाग (टेस्टामेंट) में ५६४२ और नए में ४८००।

इसी प्रकार हिन्दी या संस्कृत के ग्रंथों और ग्रंथकारों की यदि ठीक ठीक शब्द सूची तैयार की जा सके तो कौतूहल की भाँति के साथ साथ हमें आगे के लिए पथप्रदर्शन मिलेगा। कालिदास ने कितने शब्दों का प्रयोग करके अपनी अमर रचनाएँ उपस्थित कीं। माघ पंडित को शब्दों के खजाने का अविष्ठाता कहा जाता है और कहते हैं कि शिशुपालवध के नव सर्ग पढ़ लेने पर फिर कोई नया शब्द नहीं रहता (नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते)। बाणभट्ट का शब्दसमूह अथाह बतलाया जाता है और कहते हैं कि संस्कृत साहित्य में सब कुछ बाण का जुठारा हुआ है (बाणोच्छिष्ट जगत्सर्वम्)। तुलसी, सर, कबीर, मीरा, जायसी ने कितने शब्दों का प्रयोग किया इसका अनुसंधान करना रोचक होगा। और जटिया नददास ने जडाव करते हुए कितने शब्दों को निखार कर आभूषण तैयार किए यह जानकारी भी मजे की होगी।

कुशल ग्रंथकार अपनी इच्छा के अनुसार अपने शब्दों की संख्या को सीमित या विस्तृत कर सकते हैं। अयोव्यामिह उपाध्याय संस्कृत-बहुल 'प्रियप्रवास' लिखकर 'उसी सफलता से 'ठेठ हिन्दी का ठाट' भी और 'चोखे चौपदे' भी लिख गए हैं। इशाअल्ला खाँ ने फारसी के विद्वान् होने हुए भी 'रानी केतकी की कहानी' लिख दी जिसमें सारा

पुट हिन्दुई का ही है। टकमाली कलाकार शब्दों का धनी होते हुए भी सरल, सीधे-सादे शब्दों का प्रयोग करता है। वह उस उदारचित्त राजा के सपान है जो अतुल्य संपत्ति का स्वामी होते हुए भी सादी रहन-सहन पसंद करता है जिससे उसकी प्रजा उसके साथ निजत्व का अनुभव करती है। हमारी ओर दुरूह वागाडबर में पढ़ने वाला साहित्यिक अपनी शब्दसंपत्ति का प्रदर्शन कर अपने ओछेपन का परिचय देता है।

हमारे शब्द समूह में कुछ चिडियो और जानवरों के ऐसे नाम होते हैं, जिनका, केवल नाम को छोड़कर, हमें कोई परिचय नहीं। ऐसे शब्द व्यक्तिवाचक शब्दों में भिन्न नहीं। किसी के शब्दों की गणना करने मर्म्य इनको छोड़ ही देना ठीक होगा।

जनसमुदाय अन्य जनसमुदायों के संपर्क में आने पर विचारों का आदान-प्रदान करता है और इसलिए यह स्वाभाविक ही है कि (विशेष रूप से नए विचारों का बोध कराने वाले) एक के शब्द दूसरे जन-समुदाय के व्यवहार में आ जायें। जीवित जनसमुदाय इन्हें लेकर अपनी निजी ध्वनि और व्याकरण के साँचे में ढाल लेता है। कागज, गरीब, ख़ाब, ख़बर, मजदूर, जिद, जुल्म, फिक्र, क़वायद का आधुनिक हिन्दी में कागद, गरीब, ख़ाब, ख़बरि, मजूर, जिद्दी, जुलुम, फिकिर, क़वायद होकर इस्तेमाल में आना स्वाभाविक है। अथवा अँगरेजी के ग्लास, सिगनल, स्टेब्ल, बाट्ल का गिलास, सिगल, अस्तबल, बोटल हो जाना ठीक है। पर उन शब्दों को ज्यों का त्यों हिन्दी में बोलने की कोशिश करना अपनी दासता का परिचय देना है। जीवित भाषा दूसरी भाषाओं से यथेष्ट शब्द लेती है, न उसकी ध्वनियाँ लेती है और न उनका व्याकरण। क़िताब का बहुवचन भारतीय भाषाओं में क़िताबें (न कि कुतुब) अथवा इस्टेशन का इस्टेशनें (न कि इस्टेशनस्) होगा। इसी में स्वाभाविकता है।

शब्द-समूह पर विचार करते समय भाषा की शुद्धि-अशुद्धि पर भी विचार कर लेना अनुचित न होगा। जब से मनुष्य ने भाषा के

विषय में मनन और चिन्तन आरम्भ किया तभी में इस दिशा में विचार होता आया है। पाणिनि ने व्याकरण की रचना इसीलिए की कि भाषा का शुद्ध रूप स्थिर रह सके। पतञ्जलि ने भी म्लेच्छ उच्चारण का उल्लेख किया है। शुद्धता के भी तीन अंग हैं, उच्चारण, पदरचना और शब्दसमूह। सम्प्रति हमें अन्तिम अंग पर विचार करना है। शब्द-समूह में बहुत से शब्द भाषा के अपने रहते हैं जो उसमें पूर्ववर्ती भाषा के क्रम से आते हैं। यह भाषा की निजी अपनी सम्पत्ति कहलाती है। हिन्दी में इस श्रेणी के शब्द संस्कृत में प्राकृत में और प्राकृत में अपभ्रंश में होते हुए आए हैं।

इसके अलावा प्रत्येक भाषा अपनी समकालीन देगी-विदेशी भाषाओं से शब्द लेती है। हिन्दी ने बंगाली में उपन्यास, गैल्प आदि और मराठी में चलतू, टिकाऊ, बाजारू आदि शब्द लिये हैं। पर किसी भी सम्पन्न भाषा में इनके अनिश्चित भी शब्द रहते हैं जो तत्सम्बन्धी प्राचीन भाषाओं से लिये जाते हैं। अंगरेजी, जर्मन आदि भाषाएँ इस प्रकार ग्रीक, लैटिन से शब्द लेती आई हैं और बंगाली, गुजराती, मराठी, हिन्दी आदि संस्कृत से। इसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं। यथा-संभव, जीवित भाषा प्राचीन भाषाओं से शब्द लेकर उन्हें अपने ध्वनि-नियमों के साँचे में ढाल लेती है। विदेशी शब्दों को भी इसी साँचे में ढालकर अपना लेने में भाषा की प्राणशक्ति का प्रमाण है। कम जीवट वाली भाषाएँ ही विदेशी शब्दों को ज्यों का त्यों ग्रहण करती हैं।

विदेशियों के सपर्क से जब हम कोई नई विद्या, कला, खेल, फैशन आदि सीखते हैं तब उस सम्बन्ध के विदेशी शब्द अनायास हमारी भाषा में आ जाते हैं। बहुधा इनके लिए हम अपने शब्द नहीं गढते (लालटेन, स्टेशन, हाकी), पर कभी-कभी गढ भी लेते हैं (माचिस के लिए दियामलाई)। ऐसे शब्दों को अपना देने के समय केवल इतना ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी भाषा में अनावश्यक भरमार तो नहीं कर रहे हैं। यदि हमारे पास उन चीजों और भावों के लिए पहले से शब्द मौजूद हैं और वे अच्छे और सुगम तथा स्पष्ट हैं तो हमें

साग्रधान रहना चाहिए। यह विषय केवल भाषा की शुद्धि-अशुद्धि का नहीं उस भाषा के स्वामी, राष्ट्र के गौरव का भी है। जिस भाषा का जितना ही उज्ज्वल भूतकाल और तत्सम्बन्धी साहित्यिक युग रहा है, उतना ही उस भाषा के निर्माताओं का कर्तव्य अविफ हो जाना है कि अपनी भाषा का गौरव और मान बनाए रखे।

पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की समस्या का हल करते समय हमें इसी सिद्धान्त का ध्यान रखना चाहिए। ऊपर देखा जा चुका है कि कोई भाषा विदेशी ध्वनियाँ नहीं उधार लेती। विदेशी ध्वनियों की अपेक्षा अपनी प्राचीन भाषाओं की ध्वनियों का उच्चारण सुगम पड़ता है और अपन गौरव के अनुकूल। इसी से भारतीय भाषा-विज्ञानी प्रायः सर्व-संमत हैं कि भारतीय भाषाओं की पारिभाषिक शब्दावली संस्कृत, पालि, प्राकृत को उपादान मानकर बनानी चाहिए।

चौबीसवाँ अध्याय

भाषा की गठन


भाषा के लक्षण से हम जान चुके हैं कि यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाय तो प्रति मनुष्य की बोली दूसरे मनुष्य की बोली से भिन्न है क्योंकि यह निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि वह ध्वनियों का उच्चारण ठीक-ठीक उसी स्थान और प्रयत्न से करता है जिससे दूसरा, आर उसके दिमाग में शब्दार्थ बिल्कुल वही है जो दूसरे के। दूसरी ओर समाज की सभी भाषाएँ एक ही प्रयोजन सिद्ध करती हैं—मनुष्य के मनाभावों और विचारों को व्यक्त करना। उस दृष्टि से सभी एक हैं। इस वैज्ञानिक एकत्व और अनेकत्व के बीच, व्यवहार की दृष्टि से, समाज की सभी भाषाओं की सत्ता है। समाज के निवास-योग्य सभी स्थानों, मैदानों, वनों, पर्वतों में मनुष्य बसते हैं। यदि हम एक स्थान से दूर तक बराबर चले जाय तो हम धीरे-धीरे उच्चारण, पदरचना और शब्दसमूह की भिन्नता झलकती जायगी और जब एक स्थान की बोली की दूसरी, दूर की जगह की बोली से तुलना करायें तो काफी अन्तर दिखाई पड़ेगा। जनसमुदाय जितना ही सघन होगा उतनी भाषा भी उतनी ही गठी हुई मुदिलिष्ट होगी, और समाज की जमीर जितनी ही ढीली होगी, भाषा के अंगों में उतनी ही विभिन्नता होगी। तुलनात्मक दृष्टि से, एक परिवार की बोली दूसरे परिवार की बोली से कुछ न कुछ अंशों में भिन्न होगी ही, यद्यपि वह भिन्नता हमें प्रत्यक्ष न दिखाई दे। कई परिवारों द्वारा बन हुए गाँव की बोली, आपेक्षिक दृष्टि से, दूसरे गाँव की बोली से, कुछ बातों में जुदा होगी। पर एक ही गाँव में भिन्न-भिन्न परिवारों की बोलियों में भिन्नता के कण मौजूद हैं। पुरोहित जी शीघ्रबोध, सत्यनारायण की कथा, विष्णु-

सहस्रनाम आदि से परिचित हैं तो कुछ न कुछ देवपूजा करते ही होंगे और कुछ न कुछ संस्कृत के वायुमंडल से शब्दों को उद्धृत कर अपने घर में बोलते ही होंगे। पटवारी साहब उर्दू कागजात रखते-रखते कुछ उर्दू फारसी के शब्दों का प्रयोग करते ही होंगे और यदि "सम्य" समाज में बैठने का अभ्यास होगा तो उनका शीन काफ भी दुस्त होगा। यदि पास-पड़ोस के शहर में मुत्ला जी गाँव में कभी-कभी आते होंगे तो वहाँ के मुसलमान निवासी दीन और अल्लाह का थोड़ा बहुत ज्ञान रखते ही होंगे। गाँव का एकाध नौजवान यदि शहर में चपरासी आदि के पद को सुशोभित करना होगा तो वह भी निश्चय ही अपने दफ्तर से दस-पाँच अंगरेजी शब्द लाकर गाँव वालों पर रोव गाँठेगा। इसी प्रकार भिन्न-भिन्न सपकों से विभिन्न शब्दों और उच्चारणों के आने की सम्भावना बनी रहती है। इस सबके होते हुए भी हम कह सकते हैं कि गाँव की बोली एक है। पर इस एकत्व के पीछे भिन्नत्व के बीज अगोचर रूप से उपस्थित हैं।

निकटस्थ ग्राम-समुदाय की बोली का नाम दिया जाता है उसके भीतर के सूक्ष्म भेदों की अवहेलना करने पर ही यह नाम देना सम्भव है। पड़ोस के दूसरे ग्राम-समुदाय की बोली कुछ इससे भिन्न होगी, उसके बाद वाले की कुछ और भिन्न। यदि इन तीन ग्राम-समुदायों के नाम क, ख और ग हों और क की विशेषताएँ य र ल व श हों तो ख की विशेषताएँ इससे कुछ भिन्न होकर शायद र ल व श ष होंगी और ग की य ल व श ह। बहुधा ऐसा होता है कि एक बोली की कुछ विशेषता दूसरी या तीसरी निकटस्थ बोली में न मिल कर चौथी या पाँचवी में मिल जाती है। इन विशेषताओं के चक्र ऐसे हैं जिनकी परिधियाँ एक दूसरे को काटती रहती हैं।

अवधी की बोलियों में मध्यपुरुष एकवचन सर्वनाम लखीमपुरी में तुड़ है और सीतापुरी में भी तुड़ है पर इसी का सबधस्वक विशेषण लखीमपुरी में तोर है तो सीतापुरी में कुछ अशो में त्वार है। उन्नाव की बोली में भी त्वार है। साथ ही अनिश्चय-वाचक सर्वनाम, लखीम

पुरी और सीतापुरी दोनों में कोई है पर उन्नाव की बोली में कोऊ। अशोक के शिलालेखों में से पितु, का रूप शहवाजगढी, मनसेहरा में पितु, पिति मिलता है, यही कालसी, धौली और जौगढ में, पर ब्राह्मण का श० म० में भ्रतु, भत और का० धौ० जौ० में भाति मिलता है। पर बृद्ध का श० में बुढ, म० में बुभ्र, चत्र कालसी में बुष और धौ० जौ० में वुढ।



शब्दों की विभिन्नता रहते हुए भी जब तक पदरचना की और उच्चारण की विभिन्नता न आवे तब तक यही समझना चाहिए कि बोली एक है। किसी गाँव में दूर के गाँव से आई हुई बहू, सम्भव है, कुछ दिन अपने मायके के दो-चार विशेष प्रयोग करे, निकरब, की जगह निकमब, अलग की जगह बड़बड़ अथवा पदरचना में जाइ की जगह जान, गवा की जगह गआ आदि प्रयोग भी लावे, पर जब तक इस तरह के भिन्न प्रयोग कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित रहेंगे और बाकी गाँव के लोग एक तरह के प्रयोग करेंगे तब तक गाँव की बोली एक ही समझी जायगी। किन्तु यदि यही विभिन्नता कुछ परिवारों में

सिक्का जमा लेती और गाँव का एक भाग इस प्रकार बोलता और दूसरा दूसरी तरह, तो हम कह सकते कि दोनों भागों की बोलियों में विभिन्नता है। किमी प्रदेश की वाणी को बोलियों में बोटने का सिद्धान्त यही है कि जहाँ बहुतेरी विशेषताएँ एक साथ मिलती हैं वह एक बोली, और भिन्नता के अनुपात में विभिन्न बोलियाँ।

बहुधा बोलियाँ किसी भाषा के अतर्गत होती हैं। भाषा उनमें से कोई प्रमुख बोली ही होती है जो अपनी अतर्गत बोलियों से कुछ अंशों में (विशेषताओं में) भिन्न या अधिकांश में समान होती हैं। अवधी के अतर्गत, लखीमपुर, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली आदि बहुतों में जिलों की बोलियाँ हैं। इन जिलों की बोलियों के अतर्गत स्वयं और अधिक सीमित क्षेत्र में काम करने वाली बोलियाँ हैं। पडोस में ब्रज है जो झाँझरपुर, पीलीभीत में और हरदोई के कुछ भाग में बोली जाती है। उसकी भी इन जिलों की बोलियों के अतर्गत, आपेक्षिक दृष्टि से सीमित क्षेत्र में काम करने वाली बोलियाँ हैं। अवधी के जिलों की बोलियों की परस्पर विभिन्नता, आपेक्षिक दृष्टि से, एक जिले के भीतर की आपस की विभिन्नता से कुछ अधिक होगी। और अवधी और ब्रज की परस्पर विभिन्नता प्रत्येक की जिलों की बोलियों की विभिन्नता से और अधिक होगी। इन दोनों की हिन्दुस्तानी से भी विभिन्नता है। उसका वही स्थान है जो ब्रज या अवधी का। और ये तीनों ही हिन्दी के अतर्गत हैं। हिन्दी को हम भाषा कहते हैं और हिन्दुस्तानी, ब्रज और अवधी को उसकी बोलियाँ। और हिन्दी मध्यम वास्तविक निजी रूप में है क्या? केवल हिन्दुस्तानी बोली-समूह की एक बोली जो किन्हीं कारणों से प्रमुख हो गई है और जिसकी प्रमुखता ब्रज और अवधी ने स्वीकार कर रखी है।

किमी बोली की प्रमुखता के विभिन्न कारण होते हैं जिनमें राजनीतिक प्रमुखता विशेष है। जिस विशेष प्रदेश का राजा होगा और जो बोली वह बोलता होगा, वही बोली प्रधान सम्झी जायगी। हर आदमी यही क्रोशिश करेगा कि राजा और उसके कर्मचारियों से वही

वाली बाल हिंदी खड़ा बोली के फलन का यहा मन्व्य कारण हुआ । कई सदियों तक दिल्ली के आसपास जहाँ न रहा वहा की बोली को जो पृष्ठपोषण मिला वह ब्रज और अवधी को नहीं मिल सका । आखिर में इन दोनों को खड़ी बोली की प्रधानता स्वीकार करनी पडी ।

राजनीतिक प्रभुता के अलावा साहित्यिक श्रेष्ठता भी किसी बोली को प्रधान बनाने में सहायक होती है । जिस समय ऋग्वेद की ऋचाएँ बनी, उस समय आर्य लोगों के जत्ये परस्पर कुछ न कुछ विभिन्न बोलियाँ बोलते रहे होंगे । उस समय सामाजिक संगठन इतना सुदृढ होना, जितना आज है, संभव नहीं था, आर्य टोलियाँ में बटे थे । ऐसी परिस्थिति में जिन ऋषियों ने इन ऋचाओं का निर्माण किया वे तत्कालीन समाज में प्रमुख समझे जाने लगे और उनकी बौली प्रधान मानी जाने लगी । वैष्णव मत के कृष्ण सम्प्रदाय के केंद्र मथुरा वृन्दावन बने और वहाँ पराजित हिन्दू जनता को कुछ शांति मिली । वहाँ की धार्मिक प्रधानता से ब्रजभाषा को प्रोत्साहन मिला और वह साहित्यिक माध्यम होकर कई सदियों तक उत्तर भारत में ही नहीं, महाराष्ट्र और बंगाल में भी अपना प्रभाव जमा सकी । जायसी और तुलसीदास ने अवधी को प्राधान्य दिया । लंदन की अंगरेजी बोली ही इंग्लैंड में माननीय समझी जाती है ।

साहित्य के अलावा, किसी जनगण का प्रभाव भी भाषा को प्रधान बना सकता है । कही पर के मारवाडी यदि प्रभुत्व प्राप्त कर ले और उनके कहने-सुनने पर जनता चलने लगे तो उनकी भाषा का विशेष प्रभाव जनता पर पड़ेगा । अथवा पुरोहित-वर्ग भी विशेष प्रभाव डाल सकता है । माराश यह कि भाषा की प्रधानता सभ्यता की शक्ति पर होनी है, वह सभ्यता या संस्कृति चाहे जिस रूप की हो ।

भाषा और बोली में क्या अंतर है ? दोनों शब्द वाणी के ही द्योतक हैं, आपेक्षिक दृष्टि से एक का क्षेत्र सीमित है, दूसरे का विस्तृत । बोली भाषा के अंतर्गत है, भाषा बोली के अंतर्गत नहीं । ध्वनिश्रम

और ध्वनियों में जो अन्तर है, वही अन्तर भाषा और बोली में है। एक ही भाषा की दो बोलियों को बोलनेवालों को परस्पर समझने में अपेक्षाकृत कम कठिनाई होती है, दो भाषाओं को समझने में ज्यादा। जब दो बोलियों में परस्पर अन्तर की विशेषताएँ इतनी अधिक हों कि एक के बोलनेवाले दूसरी का न तो ठीक उच्चारण कर सकें और न ठीक-ठीक उसके शब्द और अर्थ समझ सकें तो उन दो बोलियों को दो भिन्न भाषाओं के अंतर्गत समझना चाहिए।

राजनीतिक, साहित्यिक आदि कारणों से जो बोली एक समय प्रमुख होकर भाषा का रूप धारण कर लेती है वही कालांतर में दूसरी बोली की बोली बन सकती है। अवधी और ब्रज अब केवल बोली-रूप में हैं, पर पिछली कई सदियों तक वे स्वतंत्र भाषा का रूप रखे रही। महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, अर्धमागधी आदि प्राकृत साहित्यिक भाषाएँ जिन विशिष्ट प्रदेशों की वाणियों होकर भाषाएँ दिखाई पड़ीं, खास उन्हीं प्रदेशों के अपभ्रंश भी बाद को साहित्यिक महत्त्व प्राप्त कर सकें, ऐसी बात नहीं है।

जैसे व्यक्तियों के आपस के व्यवहार के कारण, व्यक्तिगत विशेषताओं की अवहेलना कर बोली अपना रूप धारण करती है उसी तरह विभिन्न बोली बोलनेवालों के आपस में व्यवहार के कारण ही भाषा बनती है। बोली वाणी-सबधी नियमों के अनुकूल स्वभाव से ही बनती और विकसित होती रहती है। उसके बनने-बिगड़ने पर किसी विशेष व्यक्ति का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। पर राजनीतिक, साहित्यिक आदि कारणों से बनी हुई भाषा पर व्यक्तियों का विशेष असर होता है। साहित्यिक भाषा पर यह बात विशेष रूप से लागू होती है। एक सफल साहित्यिक अपनी रचनाओं के द्वारा अलक्षित सख्या वाले लोगों की भाषा पर प्रभाव डाल देता है। एक लब्धप्रतिष्ठ आचार्य भाषा गढ़ देता है। स्वाभाविक रीति से बोलियों का विकास मूलरूप से सामाजिक संगठन पर निर्भर है, और उसी संगठन की मात्रा उन बोलियों की सीमाएँ निर्धारित करती है। पर राजनीतिक आदि

कारणों से व्यवहार में आई हुई भाषाओं की सीमा राज्य-विभागा आदि के अनुकूल पड़ती है। महाभारत काल से जो जनपद उत्तर भारत में स्थापित थे, बहुत समय तक उन्हीं के अनुकूल बोलियों की स्थिति रही। इधर अँगरेजी राज्य द्वारा स्थापित सूबों के कारण इनकी सीमाओं में अन्तर पड़ गया है। मुगल आदि राज्यों के समय किन्हीं सूबा-सरकारों की सीमाएँ सौ-सवा सौ साल भी निश्चित नहीं रही इसलिए उन सीमाओं का महत्त्व नहीं सा दिखाई पड़ता है।

कोई बोली इस तरह भाषा बनकर जब छिन्न-भिन्न होती है तो उसका कारण यही होता है कि जिस सामाजिक संगठन ने एक सूत्र में बाँध रक्खा था वही बिखर गया। शौरसेनी प्राकृत के प्रधान बनने का कारण उस प्रदेश की प्रधानता रही होगी, राजनीतिक अथवा साहित्यिक, और शौरसेनी अपभ्रंश तथा ब्रजभाषा द्वारा वह प्रधानता कायम रही। पर इधर, विशेषकर राजनीतिक कारणों से, खड़ी बोली ने प्रभुता कायम कर ली और ब्रज की प्रधानता खत्म हो गई। वर्तमान बँगला साधुभाषा के रूप के बनने में कलकत्ता केन्द्र का विशेष प्रभाव रहा है। मराठी पर पूना केन्द्र की काफी गहरी छाप है। आजकल की साहित्यिक गुजराती पर महात्मा गांधी और उनके अनुयायियों का काफी असर है। इस तरह हर भाषा के बनने-विगडने में विशेष परिस्थितियाँ रहती हैं, और वह राजनीतिक केन्द्र से, साहित्यिक केन्द्र से अथवा किसी और प्रकार के केन्द्र से अथवा महापुरुष से फैलना आरंभ करती है।

जब किसी प्रदेश की बोली स्टैंडर्ड होकर भाषा का रूप धारण कर लेती है तब आसपास की बोलियाँ अपनी छोटी-छोटी विशेषताएँ खो बैठती हैं और उसी में शामिल हो जाती हैं। ऐसा भी होता है कि स्टैंडर्ड बोली भी अपनी छोटी-छोटी विशेषताएँ छोड़ देती है। इटली में रोम की लैटिन भाषा जब स्टैंडर्ड हुई तो रोम के आसपास की बोलियों को हजम कर गई। कलकत्ता की साधुभाषा ने आसपास की बँगला बोलियों में विशेष 'साधुता' का पुट भर दिया है। केन्द्र की बोली से

दूर की बोलियाँ जो उसके अतर्गत होती हैं उनकी एक आध विशेषताएँ केन्द्र की उम स्टैंडर्ड वागी म आना चाहती हैं। खड़ी बोली को पजाबी के मुख से जब सुनते हैं तब हमने करना है आदि प्रयोग कानों में आते हैं और जब भोजपुरी के मुख से तब हम आम खाए आदि। जब तक खड़ी बोली सतर्क रहेगी तब तक ये प्रयोग भाषा में शामिल न हो सकेगे पर यदि उच्चकोटि के लेखकों के मान्य ग्रन्थों में ऐसे प्रयोग आ गए तो 'पजाबीपन', 'पुरवियापन' आदि कहकर उनकी उपेक्षा की जायगी। बोलियाँ स्वाभाविक रीति से विकसित होती रहती हैं पर स्टैंडर्ड भाषा, बोलचाल से दूर रहने के कारण, प्राचीन रूप धारण किए रहती हैं और जितना ही उमका क्षेत्र बड़ा होता है उतनी ही प्राचीनता के अंश के अधिक होने की सम्भावना होती है। साथ ही जितना विस्तृत क्षेत्र है उतनी ही छिन्न-भिन्न होने की सम्भावना रहती है। खड़ी बोली का जो साहित्यिक रूप आज प्रचलित है, उसमें और दिल्ली, मेरठ, विजनाोर, मुजफ्फरनगर आदि जिलों की वर्तमान-कालिक बोली में काफी अन्तर पड़ गया है। यदि उसी प्रदेश के कलाकार जीती-जागती बोलचाल की भाषा का प्रभाव उस पर न ला सके तो खड़ी बोली की प्राचीनता बढ़ती ही रहेगी। यह भी देखा गया है कि खड़ी बोली के काशी, प्रयाग आदि दूर की जगहों के लेखकों के ग्रन्थों में बोलचाल की खड़ी बोली के प्रभाव के बाहर होने के कारण, प्राचीन प्रयोगों की अधिकता रहती है और संस्कृत और फारसी के शब्दों का, तद्भव रूपों की उपेक्षा, अधिक व्यवहार।

स्टैंडर्ड भाषा की प्राचीनता लेख-बद्धता के कारण भी विशेष कायम रहती है। संस्कृत को उसके ग्रन्थों ने ही स्थिर कर रखा है। खड़ी बोली के रूप की गठन पूर्व बने हुए ग्रन्थों पर ही ढलती चलती है। आज जब साहित्यिक ब्रज का चलन नहीं है तब भी सूरदास और केशवदास की भाषा ही दो-चार ब्रजभाषा-भक्त कवियों की रचनाओं को गन्ता दिखाने का काम करती है।

स्टैंडर्ड भाषा की प्राचीनता रहने पर भी, और विस्तृत क्षेत्र रहने

पर भी, कुछ न कुछ वर्तमान-कालिक प्रभाव उस पर पड़ता ही है। बाण, माघ, भारवि की भाषा की तुलना एक ओर कालिदास के ग्रथा से और दूसरी ओर राजशेखर, श्रीहर्ष और जयदेव के ग्रथों से ठिकेपक की दृष्टि से, की जाय तो उन ग्रथकारों के तत्कालीन प्रभाव की भल्लक दिखाई पड़ेगी। अभी तीस साल पहले के खड़ी बोली के ग्रथा को देख तो आजकल के प्रयोगों से भिन्नता दिखाई पड़ेगी। अब कर की जगह करे, पड़ गी की जगह पड़ेगी जाण जावें की जगह जाय व्यवहार में मिलते हैं।

यदि लेखबद्धता न भी सुगम हो तब भी परम्परा से भाषा में प्राचीनता कायम रह सकती है। गिनती और पहाड़े पढ़वा, जडा, सबइया, अटइया आदि से, अथवा छंदोबद्ध कथाओं में प्राचीनता, स्मृति के साधन द्वारा सुरक्षित परम्परा से ही स्थिर रह सकी है। वेदों की भाषा को प्राचीन काल में क्रमपाठ, घनपाठ, जटापाठ आदि कृत्रिम साधनों द्वारा सुरक्षित रखा गया। मूर्खों की जिस प्रकार विचारों की रक्षा कर सकी उसी तरह छंद भाषा को कायम रखने में बड़ी मदद करता है।

स्टैंडर्ड भाषा और साहित्यिक लेखबद्ध भाषा में भी आपस में अंतर होना संभव है और बहुधा रहता है। आजकल खड़ी बोली प्रायः उत्तर भारत के सभी नगरों में आपस के व्यवहार का साधन बन गई है पर इसका साहित्यिक भाषा (उर्दू या हिन्दी) से काफी अन्तर पड़ गया है। हिन्दी और उर्दू साहित्य के वर्तमान महानुभावों से बात करिए और फिर उनकी रचनाओं को पढ़िए, अन्तर प्रत्यक्ष रूप से मालूम पड़ेगा।

लेखबद्ध साहित्यिक भाषा विशिष्ट भाषा होती है। सदियों तक साधारण व्यवहार की भाषाएँ प्राकृत और अपभ्रंश रही पर संस्कृत विशेषरूप से साहित्यिक भाषा रही। आज भी मलयदेश के निवासी कोई आर्यभाषा नहीं बोलते पर उनकी साहित्यिक भाषा कवि में संस्कृत शब्द और शब्दांश बहुतायत से मिलते हैं। साहित्यिक भाषा की अपेक्षा

सामान्य व्यवहार की स्टैंडर्ड भाषा का तल नीचा-सा रहता है। इसका कारण यही है कि स्टैंडर्ड भाषा का व्यवहार सभी करते हैं पर साहित्यिक भाषा ग्रन्थकारों और पाठकों तक सीमित रहती है। पठन-पाठन के सर्वसाधारण होने पर भी साहित्यिक भाषा उस तल तक न आ सकगी क्योंकि ग्रन्थकार हमेशा ही ऊपर के तल के रहेंगे। यह ग्रन्थकार ही साहित्यिक भाषा बनाया करते हैं।

लेखबद्ध साहित्यिक भाषा, भाषा के विकास की एक मजिल मात्र है। उससे उस भाषास्रोत की मजिल ही मालूम होती है, अन्य कुछ नहीं। जिस तरह किसी नदी के प्रवाह के ऊपर किसी जगह बर्फ जम जाय, तो ऊपर तो बर्फ की तह रहेगी पर नीचे ही नीचे पानी बहता रहेगा और आगे बढ़ता जायगा, उसी तरह जनसाधारण की बोलचाल की भाषा अबाध गति में विकसित होती रहती है पर साहित्यिक भाषा रुक जाती है। और जब इस साहित्यिक भाषा से, अबाध गति से विकसित भाषा का बहुत अन्तर पड़ जाता है तब वह मनुष्य-समाज अन्य साहित्यिक भाषा बना लेता है। भारतीय आर्य भाषाओं में इस बात के बहुत उदाहरण मिलते हैं। वेदिक साहित्यिक भाषा जब लाक-भाषा से अधिक भिन्न हो गई तब ईसा के पूर्व सातवी-आठवी सदी में वेदिकोत्तर सस्कृत भाषा साहित्य में लाई गई जिसको पाणिनि के समय में कठोर नियमों से जकड़ा गया। पर लोक-भाषा बढ़ती ही रही और हमें प्रचुर प्रमाणों द्वारा मालूम होता है कि गौतम बुद्ध के समय सस्कृत में और आर्यों की लोक-भाषा में इतना अन्तर पड़ गया था कि बुद्ध भगवान् ने न केवल इतना ही किया कि म्वय सस्कृत से भिन्न भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया बल्कि अपने अनुयायियों को अपनी-अपनी बोली (निरुत्ति) में धर्म सीखने की अनुमति दे दी। इसका नतीजा यह हुआ कि साहित्यिक क्षेत्र में सस्कृत का जो एकछत्र राज्य था वह खत्म हो गया और उससे भिन्न भाषाएँ क्षेत्र में आ गईं। इसी के फलस्वरूप हमें जैन धर्मग्रन्थ अर्ध-मागधी (आर्ष) प्राकृत में और बौद्ध ग्रन्थ मागधी (पालि) में मिलते हैं। अशोक ने धर्म का प्रचार सस्कृत में न करके

प्राकृत में ही किया। इन प्राकृतों का, देश में बाद की साहित्यिक रूप पाने वाली महाराष्ट्री, गौरसेनी, मागधी और अर्धमागधी से काफी अन्तर है। और तो और अश्वघोष के खडित नाटको में जो गौरसेनी प्राकृत मिलती है वह भी ऊपर वाली गौरसेनी से कुछ भिन्न और पहले की है। राजशेखर (ई० १०वीं शताब्दी पूर्वार्ध) के समय तक प्राकृत साहित्य में व्यवहार में आती थी, यद्यपि दंडी (सातवीं शता० उत्तरार्ध) के समय में ही अपभ्रंशों का साहित्य में प्रयोग होने लगा था। इसका मतलब यही है कि दंडी के समय तक साहित्यिक रूप धारण किए हुई गौरसेनी आदि प्राकृतों और उम समय बोली जाने वाली भाषाओं के बीच में काफी अन्तर पड़ गया था। अपभ्रंशों का हेमचन्द्रसूरि (१२वीं श० ई०) के समय तक ही नहीं, विद्यापति (१४वीं श० ई०) के काल तक बोल बाला रहा। पर सिद्धों के बौद्धगान और दोहा (प्रायः १०वीं श० ई०) की भाषा की समीक्षा करने से पता चलता है कि अपभ्रंश अपना स्थान खो रहे थे और आधुनिक आर्य-भाषाएँ प्रयोग में आने लगी थी। इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि साहित्यिक भाषा सदा एक ही नहीं रह सकती और जितना ही उसका बोलचाल की भाषा से फर्क होगा उतना ही उसका क्षेत्र सीमित होता जायगा।

विशिष्ट भाषा

जनमाधारण की भाषा और साहित्यिक भाषा के अतिरिक्त, विशिष्ट जनसमुदाय की विशिष्ट भाषा भी हो सकती है, जैसे कानूनी-भाषा, पुरोहित-भाषा, वणिक्श्रेणि-भाषा, मांसियों की भाषा, विद्यार्थी-भाषा आदि। इस तरह की विशिष्ट भाषा का व्यवहार विशेष जनसमुदाय अपने आपस के काम-काज में विशेष रूप से करता है। इस प्रकार की विशिष्ट भाषा किसी न किसी जीवित लोकभाषा के आश्रय पर ही टिकी रहती है और उससे अन्तर अधिकांश में केवल शब्दावली का ही होता है। हिन्दी की कानूनी भाषा में आजकल

फारसी, अरबी तथा अँगरेजी के बहुतेरे शब्द ह पुरोहित-भाषा में संस्कृत के, विद्यार्थी-भाषा में अँगरेजी के। साँसिये और हब्बे बोलते यद्यपि हिन्दी ही हैं तब भी उनकी भाषा में कुछ शब्द जोर मुहाविरे ऐसे होते हैं जो उनके खाम हैं और जिन्हें जनसाधारण नहीं समझ सकते।

विकृत बोली

विशिष्ट जनसमुदायो में ही शब्दों को तोड़-मरोड़ कर बोलने की प्रथा भी चल पड़ती है। ऐसे शब्द जनसाधारण के शब्दों के ही विकृत रूप होते हैं। हँसी-मजाक, खेलकूद, गाने-बजाने आदि में पहले पहल इनका प्रयोग होता है और फिर इनका क्षेत्र बढ जाता है। शब्द ही नहीं, विशेष मुहाविरे भी चल पड़ते हैं, बालक बाले जानते हैं कि हम बिगाड कर बोल रहे हैं, तब भी शब्दों के इस बिगाडन में एक प्रकार के आनन्द का अनुभव होता है। बँह की जगह बँहिया, पाँव की जगह पडँवा का व्यवहार इसी तरह ब्रजभाषा में आया होगा। वर्तमान काल में गान को गलन, हाथ को हत्थी, हत्थ, कहने का शिवाज अहरो में सुन पड़ता है। प्रयाग में मल-नमाशे में राजा शब्द में नवयुवक परम्पर सम्बोधन करते दिखाइ देते हैं।

विकृत बोली की जड खाम-भास पेगे वाला या विरादरिया में पड़ती है और यदि उम पेगे वाले या बिगदरी वाल गोगे का जनसाधारण में प्रभाव हुआ तो वे विकृत शब्द जनसाधारण की भाषा में भी आकर पर कर लेते हैं।

रहस्यात्मक प्रभाव

विशिष्ट भाषा और विकृत बोली में ही ज्यादातर, वाणी पर कुछ रहस्यात्मक प्रभाव पड़ने आरम्भ होते हैं। सम्मान और श्रद्धा के पात्र के लिए अन्यपुरुष की क्रिया का प्रयोग अथवा भवत, आप, रउवाँ आदि सर्वनामों का प्रयोग इसी रहस्य का उदा-

हरण ह। अंगरेजी म भी इसी तरह राजा-रानी ने अपने कर्म-चारियों को अन्यपुरुष मे सबोवित करने की प्रथा चलाई जो सभवत डम विचार मे उठी कि कर्मचारी परमेस्वर के अग राजा-रानी की बरावरी कैसे कर सके, और आज अंगरेजी म जो मेमो अफमरा की ओर मे कर्मचारी को ही नही प्रजाजन को भी भेजे जाते है उनम बहुधा अन्यपुरुष का प्रयोग देखा जाता है। भारतीय मभ्यता के अनुकूल स्त्रियाँ जो अपने पति का या बडे लडक का नाम नही लेती अथवा शिष्य गुरु का नाम नही लेता, उममे भी विशेष आदर ही जड मे है और साथ ही साथ शायद यह भावना कि कही नाम लने मे अनिष्ट न हा जाय। डम प्रकार के रहस्य की मात्रा एक वार उठ कर अधिक व्यापक हो सकती है। करीव नाम की जगली जाति म पुरुषवग करीव बोली बोलता है और स्त्रियाँ अगेवक बोलती है। दोनो मे काफी भेद है।

कैलीफोर्निया के उत्तरी प्रदेश मे यन नाम के मूल इडियन निवासी है। इनकी भाषा मे भी यही भेद है, उदाहरण के लिए—

	पुरुष	स्त्री
आग	अउन	अउह
मेनी आग	अउनिज	अउनिच्
हरत	वन	व
रीछ	तेच	तेत

की नाम की इडियन जाति मे पुरुष अपनी वहिनो के तथा कुछ अन्य रिस्तेदार स्त्रियों के नाम नही लता।

वर्गों की सामाजिक श्रेष्ठता या हीनता के कारण भी गृहस्थात्मक भेद पैदा हो जाता है। जावा (यवद्वीप) के मूल निवासियों म रवाज है कि उच्च वर्ग के लोग नीच वर्ग वालो मे त्कोको बोली बोलते है और नीच वर्ग वाले उनसे क्रोमो में बोलते है। पूर्वी अफ्रीका मे ममाई जाति मे पुरुषवर्ग आयु के अनुसार दो विभागो मे बँटा रहता है, और खाने की कुछ ऐसी चीजे है जिनका दूसरा वर्ग व्यवहार नही करने पाता और

इसलिए उन चीजों के नाम भी नहीं ले सकती। पारसियों के धर्मग्रन्थ अवेस्ता की भाषा में एक ही वस्तु का बोध कराने के लिए कुछ जोड़ी के शब्द हैं—एक अहुर (असुर) और दूसरे दैव (देव)। इनमें से एक भले और ईश्वररचित सृष्टि के पदार्थों के लिए और दूसरे बुरे और गैतान के बनाए हुए पदार्थों के लिए प्रयोग में आते हैं। पारसी धर्म में अच्छे और बुरे के बीच जो घोर विरोध प्रतिपादित किया गया है उसी का, इस प्रकार का दो तरह का प्रयोग परिणाम है। इन जोड़ी के शब्दों में अशुभ आदि शरीर के सभी अंगों के लिए तथा और भी पदार्थों का बोध कराने वाले शब्द हैं। यहाँ अपने देश में ही भोजपुरी बोली में यदि ब्राह्मण आदि ऊँची जाति के मनुष्य के बारे में कुछ कहा जाय तो क्रिया का एक रूप होगा और यदि चमार आदि के लिए तो दूसरा।

व्याकरण द्वारा भाषा का जो रूप प्रतिदिन किया जाता है। क्या भाषा का वही असली रूप है? व्याकरण भाषा का विश्लेषण कर उसको तरह-तरह के पदों में बाँट देती है। उसके सज्ञा, विशेषण, कारक आदि पद नियत स्थान पर आने चाहिए। पर क्या सचमुच स्वाभाविक रीति से बोली हुई बोलचाल की भाषा में ऐसा होता है? इस सवाल पर विचार करते हुए हमें अपने ध्यान में यह बात अवश्य रखनी चाहिए कि बोलने वाला और सुनने वाला दोनों साख्य के कर्त्ता की तरह उदासीन नहीं हैं, जो भी बात कही और सुनी जाती है उसमें उनका कुछ न कुछ निजत्व है। जब शाम को गपशप करते समय दूर देश चीन, जापान, रूस, जर्मनी की लड़ाई के बारे में हम बातचीत करते थे, उस समय भी हम उदासीन होकर नहीं, ससार के भविष्य और अपने स्वर्णयुग की आकाशा का पुट लेकर ही बोलते सुनते थे। अंग्रेजों के विरुद्ध जो हम खार खाए बैठे थे वह उनकी बड़ी से बड़ी जीत को लघु और उनकी छोटी से छोटी हार को बड़ा आकार प्रदान कर देता था। रूस और चीन के साथ स्वाभाविक सहानुभूति रख कर भी, अंग्रेजों के साथ इन देशों की मित्रता के कारण हम लोगों की सहानुभूति में कुछ उदासीनता आ जाती थी। ठीक ऐसी बात दिन प्रतिदिन

घटित होने वाली घटनाओं के बारे में है। हमारी वाणी के हर-एक वाक्य में हमारा विचार ही नहीं हमारा मनोभाव भी प्रकट होता है। सुग्रीव ने वालि को मार गिराया इसी वाक्य को सुग्रीव के पक्ष वाले एक ढग से और वालि के पक्ष वाले दूसरे ढग से कहे मुनेंगे। तात्पर्य यह है कि हम जो बोलते हैं उसको निरीह उदासीन होकर नहीं उममें अपना भी कुछ रहता है। यह अपमान बहुधा आकार और इगित से प्रकट होता है पर साथ ही साथ व्याकरण-सिद्ध नियमों में हेर-फेर कर और विम्भयादिसूचक शब्दों से भी। अथवा बलाघात, सुर, मात्रा द्रुत अथवा विलम्बित गति से भी मनुष्य अपनी अनुमति, नाराजगी, गाबासी, कृष्णा, सतोष अचरज आदि के मनोभाव प्रकट करना है। किसी वाक्य का पूर्ण अभिप्राय, केवल उसके पदों और उनके संबन्ध, को जान कर ही नहीं मालूम किया जा सकता। वाणी द्वारा व्यक्त तात्पर्य का बाकी हिस्सा ऊपर लिखे अनुसार आकार-इगित आदि से समझ पड़ता है। पर इस बाकी हिस्से की विवेचना करना भाषा-विज्ञानी का काम नहीं, यह काम मनोविज्ञानी का है और उनका प्रदर्शन करना चित्रकार, मूर्तिकार आदि का है। भाषाविज्ञानी के कार्यक्षेत्र की सीमा तो वाणी ही है। जहाँ तक वाणी में ही कुछ हेर-फेर करने से मनोरोग आदि की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ तक भाषाविज्ञानी का ही काम है।

लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा में विशेष अन्तर यह है कि बोलचाल में छोटे-छोटे जुमले दो, तीन, चार पदों के होते हैं पर लिखित भाषा में अपेक्षाकृत लम्बे वाक्य होते हैं। बोल-चाल में वाक्यों को जोड़ने के लिए समुच्चयादि-बोधक अव्ययों का प्रयोग होता है। लिखित भाषा में वाक्य के अंश एक दूसरे पर आश्रित रहते हैं। लिखित भाषा में पदों का क्रम व्याकरण के अनुसार रखना होता है, बोल-चाल में वही क्रम उलट-पुलट जाता है।

बच्चे की बोली एक-एक दो-दो पदों से शुरू होती है। वह जो चीज चाहता है उसी का नाम लेता है, जो देवता है उसका नाम लेता है। धीरे-धीरे ही वह बड़े वाक्यों को बोलने का अभ्यास कर पाता है।

आरम्भ में उसकी वाणी में पदक्रम के नियम का उल्लेख ही मिलता है। उसकी भाषा में प्रायः सज्ञा का व्यवहार संबोधन में (अम्मा) और क्रिया का आज्ञा (दो, लो आदि) में मिलता है। वह अन्य पदों का व्यवहार करना धीरे-धीरे बाद में सीखता जाता है।

भाषा के उद्गम पर विचार करते हुए हम देख चुके हैं कि किसी विशेष जाति और विशेष भाषा में परम्परा में समवाय संबन्ध नहीं होता। एक जाति वाला परिस्थिति के अनुसार दूसरी भाषा सीखकर उसका व्यवहार करने लगता है। किसी विशेष जाति की मनोवृत्ति भी उसकी भाषा से नहीं भलकती। कभी-कभी कोई कोई भावुक विद्वान् कह बैठते हैं कि जन्मक भाषा में हमारी जातीय आत्मा है, अमुक में नहीं। पर भाषाविज्ञानी को जहाँ तक मालूम है किसी भाषा में किसी जाति की आत्मा नहीं मिलती। भाषा के विच्छेपण से केवल इतना मालूम होता है कि उसका प्रवाह कैसा है, वियागावस्था को जा रही है या संयोगावस्था का, बागएँ कौन कौन सी हैं और पूर्वकाल की तुलना करके उनमें क्या क्या अन्तर दिखाई पड़ता है। यदि यही किसी जाति या राष्ट्र की आत्मा है तो ठीक नहीं तो भाषा की आत्मा आदि का हमें कुछ पता नहीं। संगठित जन-समुदाय के विचारों की एक सामान्य एकता होती है और वही भाषा में व्यक्त हुआ करती है, इतना अवश्य है। धर्म, कला, आदि की अपेक्षा जनसमुदाय में भाषा का सूत्र ज्यादा बढ होता है। यही उसका मूल्य है।

पच्चीसवाँ अध्याय भाषा का वर्गीकरण

आकृतिमूलक और इतिहासिक

विभिन्न भाषाओं को माधारण दृष्टि से भी देखने से इस बात का अनुभव होता है कि उनमें परस्पर कुछ बातों में समता है और कुछ में विभिन्नता। समता दो तरह की हो सकती है—एक पदरचना की और दूसरी अर्थतत्त्वों की। उदाहरण के लिए—करना, जाना, खाना, पीना में समानता इस बात की है कि सब में -ना प्रत्यय लगा हुआ है जो एक ही सबधतत्त्व का बोध कराता है, दूसरी ओर करना, करता, करगा, करा, करें आदि में सबधतत्त्व की विभिन्नता है पर अर्थतत्त्व की समानता है। केवल पदरचना अर्थात् सबधतत्त्व की समता पर निर्भर, भाषाओं का वर्गीकरण आकृति-मूलक वर्गीकरण कहलाता है, दूसरा जिसमें आकृति-मूलक समानता के अलावा अर्थतत्त्व की भी समानता रहती है इतिहासिक या पारिवारिक वर्गीकरण कहा जाता है।

(क) आकृतिमूलक वर्गीकरण

आकृतिमूलक वर्गीकरण के हिसाब से, पहले भाषाएँ दो वर्गों में बाँटी जाती हैं—अयोगात्मक और योगात्मक। अयोगात्मक भाषा उसे कहते हैं जिसमें हर शब्द अलग अलग अपनी सत्ता रखता है, उसमें दूसरे शब्दों के कारण कोई विकार या परिवर्तन नहीं होता। प्रत्येक शब्द की अलग अलग, सबधतत्त्व या अर्थतत्त्व को व्यक्त करने की, शक्ति होती है। और उन शब्दों का परस्पर मवध केवल वाक्य में उनके स्थान में मालूम होता है। यदि हिन्दी से ऐसे वाक्य का उदाहरण दें तो इस तरह के वाक्य होंगे—गोविन्द राम को खिलाता है, राम

गोविन्द को सिलाता है। इन दोनों वाक्यों में प्रत्येक शब्द की अलग अलग स्वतंत्र सत्ता है और परस्पर संबध वाक्य में पदक्रम से ही मालूम होना है। पहले वाक्य के गोविन्द और राम का स्थान उलट देने से परस्पर संबध भी उलट गया, पर पदों में कोई विकार नहीं हुआ। अयोगात्मक भाषाओं का सर्वोत्तम उदाहरण चीनी भाषाओं में मिलता है। इसमें हर एक शब्द की अलग अलग स्थिति रहती है, किसी के प्रभाव से दूसरे में परिवर्तन नहीं होता और उन शब्दों का परस्पर संबध पदक्रम से जान पड़ता है। कोई शब्द सज्ञा है या क्रिया या विशेषण यह सब वाक्य में प्रयोग में आने से ही मालूम होता है अन्यथा नहीं। कोई ऐसा शब्द, जिसकी अर्थतत्त्व और संबधतत्त्व दोनों को बताने की शक्ति है, किस तत्त्व को सिद्ध करता है यह भी पदक्रम में जाना जाता है नगो ताने का अर्थ है मैं तुम्हें मारता हूँ, पर नि त नगो का अर्थ हुआ तू मुझे मारता है। त का अर्थ प्रकरण के अनुसार बड़ा, बड़ा होना, बड़प्पन, अधिक आदि होता है। य का अर्थतत्त्व होना है प्रयोग, पर संबधतत्त्व से तिसि का अर्थतत्त्व है स्थान, पर संबधतत्त्व का। एक ही अक्षर व का अर्थ मुर की विभिन्नता से कई प्रकार का हो सकता है और बबबब में प्रत्येक अक्षर में थोड़ा थोड़ा सुर-भेद होने से तीन महिलाओं ने राजा के कृपापात्र के कान उमड़े यह तात्पर्य हुआ। इस प्रकार अयोगात्मक भाषाओं में संबधतत्त्व का बोध स्वतंत्र शब्दों से तथा पदक्रम से होता है, वाक्य के पदों में कुछ जोड़ कर या विकार लाकर नहीं।

योगात्मक भाषाओं में संबधतत्त्व अर्थतत्त्व के साथ जोड़ दिया जाता है, इनमें अर्थतत्त्व और संबधतत्त्व का योग होता है। योगात्मक वर्ग के भी तीन विभाग होते हैं—अश्लिष्ट, श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट। अश्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में अर्थतत्त्व के साथ संबधतत्त्व जुड़ता है पर दोनों की सत्ता स्पष्ट झलकती है। हिन्दी में इनके उदाहरण शिशु-त्व सु-जन-ता, कर-गा, करे-गी आदि होंगे। इस वर्ग की भाषाओं का सर्वोत्तम उदाहरण उराल-अल्ताई परिवार की तुर्की आदि भाषाओं

में मिलता है। तुर्की में सेव् का अर्थ होता है 'प्यार करना' और इसी धातु से सेव् + मेक् (तुमर्थ—'प्यार करना,) सेव्-इस्-मेक् (परस्पर प्यार करना), सेव्-दिर्-मेक् (प्यार करवाना) सेव्-इल्-मेक् (प्यार किया जाना), सेव्-दिर्-इल् मेक् ('प्यार करवाया जाना), आदि गठ् बनते हैं। इसी प्रकार यज् धातु का अर्थ है लिखना और उसके यज्-मक्, यज्-इस्-मक्, यज्-दिर्-मक्, यज्-इल्-मक् आदि गठ्दो की सिद्धि होती है।

अश्लिष्ट भाषाओं के भी अन्तर विभाग किस स्थान पर सबध-नत्व जोड़ा जाय इस विचार में कई होते हैं—पूर्वयोगात्मक, मध्य-योगात्मक, अन्तयोगात्मक अथवा पूर्वान्तयोगात्मक। पूर्वयोगात्मक अश्लिष्ट भाषाएँ अफ्रीका की बाटू परिवार की हैं। इस परिवार की काफिर भाषा में कु का अर्थ संप्रदान का होता है (कु ति-हमको, कु नि-उनको), जुल् में उमु का अर्थ एक वचन और अब का बहुवचन, उमुन्त (एक आदमी) अबन्तु (बहुत से आदमी,) ओर न्ग का से (न्गबन्तु—आदमियों से) होता है। बाटू भाषाओं का यह पूर्वयोग ही प्रधान लक्षण है।

अन्तयोग का सर्वोत्तम उदाहरण उराल-अल्ताई और द्राविड भाषाओं में मिलता है। उराल-अल्ताई की तुर्की भाषा से सेव्-मेक्, यज्-मक् आदि का उदाहरण ऊपर दिया जा चुका है। द्राविड भाषाओं के ये नमूने हैं—

संस्कृत	क्वड	मलयालम
सेवका	सेवक-रु	सेवकन्-मार
सेवकान्	सेवक-रन्नु	सेवकन्-मारै
सेवकै	सेवक-रिद	सेवकन्-माराल्
सेवकभ्य (सम्प्रदान)	सेवक-रिगे	सेवकन् मारकु
		सेवकन्-मारकाइ
सेवकानाम्	सेवक-र	सेवकन्-मारुटे
सेवकेषु	सेवक-रल्लि	सेवकन्-मार-इल्

कन्नड के इन रूपों में इ- बहुवचन का बोधक है, त्- (तु, तन्तु) एकवचन का बोधक होता है। मलयालम में सरकृत नेवक का रूप यवकन् होता है और बहुवचन का प्रत्यय माण् है। कर्ना में अविकृत (मेत्रकन् एकवचन) लाया जाता है। और विभक्तियों के प्रत्ययरूप—ए (कर्म) आल (करण), तु, आड (संप्रदान), टे (संबध) ओर-इल (अविकरण) होते हैं। बहुवचन के रूप ऊपर दिये हैं, एकवचन के क्रम में नेवकने, नेवकवाल, नेवकन्नु, नेवकवाड, नेवकन्टे, नेवकनिल् होते हैं।

पूर्वान्तयोग तथा मध्ययोग के उदाहरण प्रगात महासागर के द्वीपों की भाषाओं में मिलते हैं। इसमें प्रधान (अर्थतत्त्व-बोधक) शब्द के पहले और वाद को और यदि शब्द दो अक्षरों का हुआ तो मध्य में संबधतत्त्व जोड़े जाते हैं। न्यूगिनी की मफोर भाषा से ये उदाहरण दिये जाते हैं—ज-मनफ (मैं सुनता हूँ), व-मनफ (तू सुनता है), इ-मनफ (वह सुनता है), सि-मनफ (वे सुनते हैं), ज-मनफ-उ (मैं तेरी बात सुनता हूँ), सि-मनफ-उ (वे उसकी बात सुनते हैं)। गुडा भाषाओं में मध्ययोग के पर्याप्त उदाहरण मिलते हैं, जैसे सथाली भाषा में सफि (मुखिया), सपफि (मुखिया गण), दल् (मारना) दपल् (परस्पर मारना)।

दिल्लट उन योगात्मक भाषाओं को कहते हैं जिनमें संबधतत्त्व को जोड़ने के कारण अर्थतत्त्व वाले भाग में भी कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है। तथापि संबधतत्त्व की झलक अलग मालूम पड़ती है जैसे स० वेद, नीति, इतिहास, से वैदिक, नैतिक, ऐतिहासिक। स्पष्ट ही यहाँ इक जोड़ा गया है पर परिणामस्वरूप वेद आदि शब्दों में भी विकार आ गया। अथवा अरबी क्तूब् धातु का अर्थ होता है 'लिखना', और उसमें स्वरो को जोड़ कर किताब्, कुतुब्, कातिब्, मकतूब् आदि शब्द बनते हैं। यहाँ भी विभिन्न स्वरों का योग स्पष्ट झलकता है। दिल्लट भाषाओं के भी दो विभाग किए जाते हैं—एक ऐसी जिनमें जोड़े हुए भाग (ध्वनियाँ) मूल (अर्थतत्त्व) के बीच में घुल-मिल कर रहते हैं और दूसरी ऐसी जिनमें जोड़े हुए भाग प्रधानतः मूल भाग के बाद

आते हैं। अरबी आदि सामी परिवार की भाषाएँ प्रथम विभाग की उदाहरणस्वरूप हैं और संस्कृत आदि प्राचीन आर्यभाषाएँ दूसरे की।

प्रश्लिष्ट भाषा उसे कहेंगे जिसमें योग इस प्रकार हुआ है कि स्वध-तत्त्व को अर्थतत्त्व से अलग कर पाना असम्भव ना ह, जैसे संस्कृत के शिशु और ऋजु शब्दों से बने शेषव और आर्जव शब्द। प्राचीन आर्य-भाषाओं की गव्दावली में कुछ अत्र इसी वर्ग का है। प्रश्लिष्ट भाषाओं में न केवल एक अर्थतत्त्व का और एक या अनेक स्वधतत्त्वों का योग होता है बल्कि एक से अधिक अर्थतत्त्वों का समान की प्रक्रिया में योग हो सकता है, जैसे म० राजपुत्र, गजपुत्रगण राजपुत्रगणविजय। प्रश्लिष्ट भाषाओं में कभी-कभी पूरा वाक्य ही जुड़-जुड़ा कर एक शब्द बन जाता है। जैसे ग्रीनलैंड की भाषा में अउलिसरिअतागमुअपाक् (वह मछली मारने के लिए जाने की जल्दी करता है) में अउलिसर (मछली मारना), पेअतोर (किसी काम में लाना) और पेनुसुअपाक (वह जल्दी करता है) इन तीन का सम्मिश्रण है। अमरीका महाद्वीप के मूल निवासियों की भाषाएँ अधिकतर इसी तरह की हैं।

भाषाओं का आकृतिमूलक वर्गीकरण विभिन्न भाषाओं में किसी एक लक्षण की प्रधानता पर (न कि सम्पूर्णता पर) निर्भर है। अंगरेजी और हिन्दी मुख्यरूप से अयोगात्मक भाषाएँ हैं, चीनी इनमें भी अधिक अयोगात्मक है। तुर्की, काफिर, कन्नड आदि अश्लिष्ट योगात्मक हैं पर इनमें भी कहीं-कहीं श्लिष्ट के लक्षण दिखाई पड़ते हैं—यज् मक् में दोनों भागों में -अ- किन्तु सेव्-मेक् में दोनों भागों में ऐं-, सेवकन म आल जोड़ने से -न्- न् आदि विकार श्लिष्ट के लक्षण हैं। इसी प्रकार पालीनेशी भाषाएँ मुख्यरूप से अश्लिष्ट योगात्मक हैं पर कुछ लक्षण अयोगात्मक दिखाई देने हैं। वास्क योगात्मक अश्लिष्ट भाषा है पर कुछ अत्र प्रश्लिष्ट दिखाई पड़ते हैं। यही हाल वाटू भाषाओं का है। संस्कृत में श्लिष्ट और प्रश्लिष्ट दोनों अत्र मिलते हैं।

जिन भाषाओं का इतिहास मालूम है, उनसे पता चलता है कि कल जो भाषा श्लिष्ट थी वही आज कालांतर में अयोगात्मक हो चली

है। सस्कृत से विकसित हिन्दी आदि आधुनिक भाषाएँ उदाहरण-स्वरूप हैं। चीनी भाषाओं में सबधनत्व सूचक शब्द किसी समय पूरे अर्थतत्त्व थे यह अनुमान किया जाना है। परमर्ग के रूप में प्रयोग में आने वाले शब्द (मे का आदि) पूर्वकाल में अर्थ-पूर्ण (मन्थ, कृत आदि) शब्द थे यह तो स्पष्ट ही है। सस्कृत के क्रियापदों में -ति सि मि आदि प्रत्यय वस्तुतः पूर्वकाल के सर्वनामों के अंश हैं यह निश्चय प्रायः भाषाविज्ञानियों ने स्वीकृत किया है। स्वतंत्र शब्द कालांतर में प्रत्यय का रूप धारण कर लेते हैं इस बात के प्रचुर उदाहरण अन्य भाषाओं में भी मिलते हैं। इसका उल्लेख ऊपर ब्राईमवे अध्याय में पृ० १५९ पर किया जा चुका है। इस प्रकार अनुमान है कि प्रश्लिष्ट से श्लिष्ट, उससे अश्लिष्ट योगात्मक और अतः अयोगात्मक अवस्था आती है। और फिर अयोगात्मक में प्रश्लिष्ट योगात्मक, उससे श्लिष्ट और फिर प्रश्लिष्ट अवस्था आती है। अनुमान है कि कालचक्र में भाषा का विकास इसी क्रम से होता आ रहा है। वर्तमान मृष्टि की प्रारम्भिक भाषा प्रश्लिष्ट थी या अयोगात्मक, इसका निश्चय करना, साक्षी प्रमाणों के अभाव में, नितान्त असम्भव है। मैक्समूलर का यह अनुमान कि आदिम आर्य केवल धातुओं का उच्चारण कर विचार विनिमय करता था उपहासास्पद ही सिद्ध हुआ।

(ख) इतिहासिक वर्गीकरण

जिस प्रकार परिवारों के इतिहास में कोड़ आदि पुरुष होता है और उससे फिर शाखाएँ फूट निकलती हैं, उसी प्रकार ऐसा समझा जाता है कि आज जो भाषाएँ ससार में मौजूद हैं उनकी भी आदि-भाषाएँ थीं। यूरोप वालों को जब १७ वीं शताब्दी में सस्कृत का पता चला और बाद में विद्वानों ने उसकी, लैटिन और ग्रीक से तुलना की, तो इनमें इतनी समानता की बातें मिलीं कि इनके आधार पर इनके आदि स्रोत की भाषा की कल्पना की गई। इस आदि भाषा की शाखाएँ प्रशाखाएँ ही वर्तमान काल की आर्यभाषाएँ हैं। आदिम आर्यभाषा की

ध्वनियों और व्याकरण तथा शब्दावली का अनुमान करके कैसे-कैसे वाद की आर्यभाषाएँ उमसे फूट निकली—यह सब अध्ययन उसी प्रकार है जैसा किसी आदि पुरुष के परिवार का। इसी दृष्टान्त से भाषाओं के विषय में भी जननी, भगिनी, दुहिता आदि शब्दों का प्रयोग किया गया। पर मनुष्य-वर्ग के परिवार और इतिहासिक सबद गवनेवाली भाषाओं के बीच की ममता को केवल अलकाररूप समझना चाहिए। जननी, बहिन, बेटा आदि शब्द भाषाओं के बारे में पूरे तौर से उपयुक्त नहीं। जबला की लडकी जाबाली हुई। दोनों का अलग अलग अस्तित्व रहा, दोनों का समकालत्व भी रहा। पर भाषा के विषय में ऐसा नहीं होता। जो बेटा कही जाती है वह दूसरे समय और दूसरे रूप में मा ही है, जो बहने है वह मा के ही कालांतर के रूप है। भाषा-रूपी मा-बहने एक साथ नहीं ठहर सकती। इसीलिए जहाँ तक सम्भव हो मा-बहन आदि शब्दों का प्रयोग ही नहीं करना चाहिए और करे भी तो दृष्टान्त की सीमा समझ कर। भाषा तो प्रवाहरूप है, उसके अलग अलग नाम उमी प्रकार से हैं जैसे एक ही जलप्रवाह के स्थानभेद से भागीरथी, जाह्नवी, गंगा और हुगली।

इतिहासिक सबध स्थापित करने के लिए, भाषाओं के बीच की परम्पर, म्यान की समीपता और माधारण ममानता में विचार उत्पन्न होना है। यह विचार बहुधा ठीक ही उतरता है। हिन्दी, बंगाली, पजाबी, राजस्थानी, गुजराती, मराठी एक-दूसरी के निकट हैं, ममानता भी है, इनका इतिहासिक सबध है। पर मराठी के समीप ही तेलुगु भी हैं और कन्नड भी। इन दोनों के शब्दसमूह में बहुतेरे ऐसे शब्द हैं जो मराठी में भी हैं। तब भी मराठी का इनमें इतिहासिक सबध नहीं है। इसलिए केवल शब्दसमूह की समानता से इस प्रकार का सबध स्थापित नहीं होता।

किसी भाषा के शब्दसमूह को चार भागों में बाँटा जा सकता है—

(क) किसी जन-समुदाय के सभी व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले शब्द—यथा सर्वनाम, माता, पिता, आदि सबधियों

के नाम, एक दो आदि संख्यावाचक शब्द, खाना, पीना, सोना, बैठना, उठना आदि सर्वसाधारण क्रियाओं के द्योतक शब्द, सर्वसाधारण व्यवहार में लाई जाने वाली चीजों के नाम, जैसे पानी, आग, घर, मुँह, आँख, नाक आदि।

(ख) ऐसे शब्द जो सभी व्यक्तियों द्वारा व्यवहार में नहीं आते किन्तु जिनको सम्झते सभी हैं, जैसे विछाने-ओढ़ने के कपड़े, पहनने के साधारण कपड़े, खाने पीने के साधारण वर्तन आदि के बोधक शब्द धोती, थाली, लोटा आदि।

(ग) सभ्य व्यक्तियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले उनके साधारण व्यवहार के शब्द, जैसे लिखना, पढ़ना, कलम, किनात्र, रूपया, पैसा, सवारी, तख्त, चारपाई, मेज, कुर्सी, कमरा, गुमराखाना आदि।

(घ) ऐसे शब्द जो केवल यिरोप कर्गजों और विद्याओं के व्यवहार में आते हैं और जिनका व्यवहार उस जनसमुदाय के बहुत परिमित वर्ग में होता है, जैसे चित्रकला, साहित्यशास्त्र भाषाविज्ञान आदि के पारिभाषिक शब्द।

शब्दसमूह के ये चार वर्ग आपेक्षिक दृष्टि से ही, मोटे तौर पर किए गए हैं इनमें परस्पर कोई नयी-तुली विभाग-रेखा नहीं है। यदि किसी जन-समुदाय की स्थिति जरा सुख-सुविधा की है तो (ख) वर्ग वाले बहुत से शब्द (क) वर्ग के ही होंगे और यदि पढ़ने लिखने आदि का सर्व-कप नियम है तो (ग) वर्ग के भी बहुत से शब्द (क), (ख) में आ जायेंगे। फिर एक देश और दूसरे देश के रहन-सहन के अन्तर से भी भेद पड़ सकता है। इंग्लैंड में मेज, कुर्सी आदि का प्रायः सर्वसाधारण प्रयोग है, काँटे-छुरी आदि का भी। पर अपने देश में इन चीजों का बोध कराने वाले शब्द (ग) वर्ग में ही आ सकेंगे। जापान की जन-समृद्धि अच्छी है और वहाँ के जन-साधारण की रहन-सहन का तल भी ऊँचा है पर उनकी सभ्यता यूरोप की सभ्यता से भिन्न है। इस कारण जापान के जनसाधारण के व्यवहार के बहुत से पदार्थ यूरोपीय जन-साधारण के प्रयोग में नहीं आते और न यूरोप वासी के जापान वालों के, तथा

न इनके लिए शब्द ही एक दूसरे की भाषा में मिठेग। तब भी इतिहासिक सबध की जाँच करने के लिए शब्दावली का यह वर्गीकरण उपयोगी है और ऐसा सबध (क) और (ख) वर्गों की समानता पर निर्भर होता है।

दो भाषाओं के बीच की समानता की जाँच करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इतिहासिक सबध होने के लिए शब्दों की तद्रूपता (एकरूपता) नहीं, बल्कि समानता चाहिए। संस्कृत और हिन्दी का सबध पत्ता, गया, हाथ, पंच, राय, पूत, आदि शब्दों से सिद्ध हो सकता है न कि पत्र, गत, हस्त, पच, गजा, पुत्र, आदि में जिनको हिन्दी ने ज्यो का त्यो संस्कृत में ले लिया है। हर एक भाषा अपने पास-पड़ोस की भाषाओं से अथवा अपनी पूर्ववर्ती साहित्यिक भाषाओं से शब्द अपनी जरूरत के हिसाब से लिया ही करती है। फारसी में बहुत से शब्द ज्यो के त्यो अरबी में ले लिए गए हैं, चीनी से जापानी में, फारसी अरबी से उर्दू में, और हिन्दी बंगाली आदि आधुनिक आय-भाषाओं में ही नहीं, तेलगू, तामिल, कन्नड आदि द्रविड भाषाओं में भी संस्कृत से लिए हुए पाए जाते हैं। हिन्दी, बंगाली, मगधी आदि भी परम्पर एक दूसरे से शब्दों का लेन-देन किए हुए हैं।

शब्दों की समानता मिलने पर, ऐसे शब्द जो तत्सम या अर्ध-तत्सम हो उनको जलग कर देना चाहिए क्योंकि वे तो निश्चय ही मंगे हुए हैं। इतिहासिक सबध के लिए तद्भव शब्द ही विशेष उपयोगी होते हैं।

शब्दावली की समानता से अधिक महत्त्व की चीज व्याकरणात्मक समानता है। जब इतिहासिक सबध न रखने वाली दो विभिन्न भाषाओं के बोलने वाले लोग एक दूसरे के निकट व्यापार, जय-पराजय, यात्रा आदि कारणों से आते हैं तो प्रायः शब्दों का आदान प्रदान होता है। शब्दों में भी सज़ाए विशेष ली जाती है। जब ऐसे दो वर्गों की निकटता चिरकाल तक रहती है, या घनिष्ठता अधिक हो जाती है, तभी यह संभव होता है कि व्याकरण की एकअध बात या बोलचाल के मुहाविरों भी एक भाषा से दूसरी में आ जाते हैं। उर्दू में इजाफत

(शाहे फारस, गरुरे इल्म आदि मे समासमृचक ए), अथवा हिन्दी मे कि (उसने कहा कि) अथवा या का प्रयोग फारसी से, और कई वाक्यों के समूह को मिलाकर बड़े-बड़े वाक्यों के प्रयोग अंगरेजी मे लिए गए है। पर एक भाषा दूसरी भाषा मे इतने छोटे अंगो को छोड़कर व्याकरण उधार नही लेती। सामान्यरूप से व्याकरण अछूनी रहती है। प्रसिद्ध भाषा-विज्ञानी टकर के शब्दो मे "एक भाषा के व्याकरण पर दूसरी भाषा का अधिक से अधिक इतना प्रभाव पडता है कि उसके ऐसे नियमो का जो बहुत आवश्यक विचार-वाराओ को नही प्रकट करने शीघ्र ही विव्वस हो जाय।" इसलिए यदि शब्दसाम्य के अलावा व्याकरण की भी समानता मिले, तो इतिहासिक सबध होने के विचार को अधिक पुष्टि मिलती है।

व्याकरण से भी अधिक महत्त्व की चीज ध्वनिसमूह है। जब दो भाषाएँ एक दूसरे के निकट जाती है और एक भाषा के शब्द दूसरी मे जाते है, तब अपरिचिन ध्वनियो और सयुक्ताक्षरो के स्थान पर उसी प्रकार की देगी ध्वनियाँ और सयुक्ताक्षर आ जाते है। फारसी के गरीब, कागज, यदूत, खसम, मनदूर, मजह, मञ्जलूम, फला, वक्त के हिन्दी रूप गरीब, कागद (कागज) मद्दूत, खसम, मजूर, मजा, मालूम, फलाना, वखत विदेशी ध्वनियो के स्थान पर स्वदेशी ध्वनियो को ही बिठाकर बने ह। अंगरेजी के सिग्नल, लैटर्न, बॉक्स के हिन्दी-रूप सिग्नल लालटेन, बकम अंगरेजी सयुक्ताक्षरो की जगह हिन्दी के प्रचलित सयुक्ताक्षरो को रख कर बनाए गए है। कोई भी भाषा दूसरी के ध्वनिसमूह को ज्यो का त्यो नही लेती। यदि विजित वर्ग की भाषा के स्थान पर अधिकांश मे विजयी वर्ग की भाषा आ बैठे, तब ऐसा हो सकता है कि विजयी वर्ग की भाषा मे कोई कोई ध्वनिविक्राम जो विजित वर्ग की भाषा के अनुकूल हो, द्रुतगति से होने लगता है। द्राविड भाषाओ मे मूर्धन्य ध्वनियो की प्रधानता थी और हे, वैदिकपूर्व आर्य-भाषाओ मे ये ध्वनियाँ बिल्कुल नही थी, यह नतीजा संस्कृत, ईरानी, लैटिन और ग्रीक की तुलना करने से निकलता है। पर वैदिककाल के

उपरान भाषा आर्य-भाषाओं में मूर्धन्य ध्वनियों (टवर्ग और ष) की उत्तरोत्तर वृद्धि दिखाई देती है। ये नई ध्वनियाँ प्राचीन दत्य ध्वनियों से ही विकसित हुई हैं। दूसरी भाषा को स्वीकार कर लेने वाला वर्ग कुछ काल तक विदेशी ध्वनियों के स्थान पर अपनी निकटतम ध्वनियों का प्रयोग करता है और यदि इनकी जनसंख्या भारी हुई और प्रभाव डाल सकी तो यह विजयी वर्ग की ध्वनियों को अपनी विशेष ध्वनियों की ओर विकसित कर लेती है, अन्यथा थोड़े समय के बाद विजयी वर्ग की भाषा पूरे तौर से विजित वर्ग की भाषा को हटा देती है। पर यदि विजित वर्ग विजयी वर्ग से दूर रह कर भी अपना दैनिक व्यवहार कर सकता है, तो वह अपनी भाषाओं को सुरक्षित रख सकता है। यही कारण है कि जंगलो और पहाड़ी प्रदेशों में मुंडा भाषाएँ अब भी मौजूद हैं, और सुदूर दक्खिन में आर्य-सभ्यता को स्वीकार कर लेने पर भी वहाँ के निवासी अपनी भाषाओं को कायम रखे हुए हैं। इस प्रकार अलग बसे हुए जनसमुदाय की भाषा की रक्षा अधिक हो पाती है। कश्मीर के उत्तरी-पश्चिमी भाग की बोलियों में अब भी वैदिक भाषा के रूप की रक्षा पनाब और सयुक्तप्रात की भाषाओं से अधिक मात्रा में मिलती है। जिप्सी (हवूडो की) भाषा में भी भारतीय आर्यभाषा का व्याकरण और ध्वनियाँ मौजूद हैं, यद्यपि शब्दावली अधिकांश में यूरोपीय है।

ध्वनियों का साम्य स्थापित करने के लिए उनकी तद्रूपता अथवा एकरूपता से काम नहीं चलता। इतिहासिक सबंध के लिए चाहिए ध्वनिनियमों के अनुसार ध्वनि-साम्य और ध्वनि-भिन्नता, दोनों मिल कर। ग्रीक बोउस्, स० गौ, जर्मन कृ, अ० काउ शब्दों से आदि आर्य शब्द गाउस् का अनुमान किया गया है, ग्रीक० देकृ, लैटिन देकेम् स० दश, गायिक तेहुन, अ० टेन् के आधार पर आदि-आर्य के *देक्मु की कल्पना हुई है। किन्तु स० हि० पडित और ज० पडित के आधार पर कोई पूर्ववर्ती शब्द नहीं बन सकता क्योंकि इनमें ध्वनि एकता है, और स्पष्ट ही अंग्रेजी में पडित शब्द भारतीय आर्यभाषाओं से उधार लिया

हुआ है। स० घृत, जिप्सी रिल, म० आतृ, जि० फ़ल् भी इन दोनों भाषाओं का सबध स्थापित करने हैं, क्योंकि संस्कृत के मधोप महाप्राण स्पर्श वण जिप्सी में सर्वत्र अधोप मिलते हैं। दो भाषाओं के बीच के ध्वनिसाम्य को नियमों में घटित करना चाहिए। उस समय जहाँ समता की चूल निप्रमानुसार नहीं बैठती, वहाँ उन शब्दों को थोड़ी देर के लिए अलग रखकर नियमों का निर्धारण करना चाहिए, और ऐसे निर्धारण के हो जाने पर उन अपवादों को भी उठा-उठा कर जाँचना परखना चाहिए।

इतिहासिक सबध के लिए प्रायः स्थानिक समीपता से विचार उठता है, शब्दों की समता से विचार को पुष्टि मिलती है, व्याकरण-साम्य से विचार वादरूप हो जाता है, और यदि ध्वनि-साम्य भी निश्चित हो जाय तो सबध पूरी तरह निश्चय-कोटि को पहुँच जाता है। यदि व्याकरण-साम्य न मिलता हो तो विचार विचार-कोटि से ऊपर नहीं उठ पाता। यह अमभव नहीं कि कोई भाषा विकसित होते होते इतनी भिन्न हो जाय कि व्याकरण की समानता न प्राप्त हो, और दोनों भाषाओं की मध्यवर्ती अवस्थाओं के सूचक लेख भी न मिले। आज हिन्दी और अँगरेजी के बीच परस्पर सर्वनामों, मख्यावाचकों, पिता माता आदि सबधों के बोधक शब्दों आदि में समानता प्राप्त है, किंतु दोनों के व्याकरण में समानता का लोप हो गया है। सौभाग्य से इन दोनों भाषाओं की पूर्ववर्ती अवस्थाओं के प्रदर्शक ग्रन्थ दोनों तरफ मौजूद हैं जिनसे इतिहासिक सबध स्थापित हो जाता है। यदि सामग्री उपस्थित न रहती तो हिन्दी और अँगरेजी का सबध विचार-कोटि तक सीमित रहता।

भाषा के विकास के सबध में यह देखा गया है कि पहले एक भाषा में कई भाषाएँ निकल पड़ती हैं, यह अलग क्षेत्रों में काम किया करती है। उनमें की फिर कोई भाषा प्रधान हो जाती है और दूसरी कोलियों और भाषाओं को दबा देती है। कालांतर में फिर इसमें शाखाएँ फूट पड़ती हैं, और फिर उनके स्थान पर कोई भाषा प्रधान बनकर सामान्य हो जाती है। यही क्रम जारी रहता है।

सृष्टि के आरंभ में एक भाषा रही होगी या अनेक, इन कौन-हूँ पूर्ण प्रश्न का उत्तर तब तक मिलना संभव नहीं जब तक यह निश्चयपूर्वक न मालूम हो जाय कि मनुष्य की सृष्टि एक स्थान पर हुई या पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर। सस्यार की भाषाओं की वर्तमान अवस्था के अध्ययन में इस सवाल पर कोई रोशनी नहीं पड़ती।

सस्यार की बहुतेरी जगली जातियों, विशेषकर अमरीका और अफ्रीका की जातियों की भाषाओं का अध्ययन अभी पूरे तौर से नहीं हो पाया है। जब तक यह न हो पाए तब तक निश्चयपूर्वक यह कहना कि सस्यार में कितने भाषापरिवार हैं असंभव है। फ्रीडरिक मलर का अनुमान है कि इस समय प्रायः एक सौ परिवार हैं। कई भाषापरिवार जिनको इस समय तक भाषा-विज्ञानी विभिन्न समझते आए हैं, उनके बारे में इधर कुछ विशेषज्ञों ने इतिहासिक सबध के पक्ष में मत प्रकट किया है। उराल-अल्ताई और द्राविड परिवारों में जो अभी तक प्रायः सर्वसम्मति में भिन्न माने जाते थे, अब परस्पर सबध जोड़ने की कोशिश हो रही है। इधर कुछ विद्वान भूमध्यसागर के क्रीटद्वीप और उस सागर के पूर्व-तटवर्ती प्राचीन भाषाओं से भी इनका सबध स्थापित करना चाहते हैं और मोहनजोदड़ो की संस्कृति को द्राविड सिद्ध करते हैं। आर्य और सामी परिवारों के बीच भी सबध स्थापित करने का हित आदि विशेषज्ञों ने उद्योग किया है। इस प्रकार के प्रयास यदि सफल हो जायें और परिवारों की संख्या कम हो जाय, तो भी वर्गीकरण के जो सिद्धान्त ऊपर निश्चित किए गए हैं उनमें कोई अंतर नहीं पड़ता।

सस्यार की भाषाओं का विवेचन और वर्णन इस पुस्तक के दूसरे खंड में किया जायगा।

छब्बीसवाँ अध्याय

वाक्य-विचार

हम बहुधा कहते हैं कि भाषा वाक्यों का समूह है और वाक्य पदों का। पद के बारे में विचार करते समय हम देख चुके हैं कि वाक्य का पदों में विभाजन करना व्याकरणकार का काम है, बहुधा अशिक्षित आदमी अपने वाक्य के विभिन्न पदों को अलग अलग नहीं रख पाता। तब भी इतना निश्चय है कि मनुष्य के अंतःकरण में पदों की अलग अलग स्थिति है अन्यथा एक ही मनुष्य एक शब्द में विभिन्न सम्बन्ध-सम्बन्ध लगाकर पदों की मिश्रित न कर पाता। माना कि भाषा के स्पष्ट वाहरी रूप में पदों की अलग अलग स्थिति नहीं है, मनुष्य पदों के समूह (वाक्य) को तो समष्टिरूप में बोलता है। लेकिन क्या अशिक्षित मनुष्य व्याकरणकार की तरह अपने वाक्यों को अलग अलग रख सकता है? क्या वह इस बात को समझता है कि बोलते समय 'वाक्य' उसके वक्तव्य का अवयव है?

वाक्य मन्त्रमुच्य है क्या? बातचीत करते समय दो आदमी अलग-अलग अपने-अपने मुँह से कुछ ध्वनियों का उच्चारण करते हैं। ये ध्वनियाँ समष्टिरूप में उनके विचार की प्रतिनिधि हैं। जब एक बोलता होता है, तब दूसरा अधिकतर सुनता रहता है और जब वह बोलता है तब पहला सुनता है। पर यदि बात विवादाम्पद होती है, और विचार ठंडे दिल से नहीं हो पाता, तब जब एक बोल रहा होता है, तभी दूसरा बीच में बोल उठता है, या कोई बात पूछ बैठता है। ऐसी दशा में पहला अपने वक्तव्य की धारा को बीच में रोककर इस नई आई हुई बाधा या प्रश्न का मुकाबिला करता है, या अनुनय-विनय से अथवा जबर्दस्ती बाधक को चुप करके अपनी बात पूरी करता है। इस तरह यह वक्तव्य

या बात ही एक सम्पूर्ण अवयव है। यह वक्तव्य व्याकरणकार का एक वाक्य हो सकता है अथवा उसके कई वाक्य। जब आदमी बातचीत नहीं करना, केवल कोई वर्णन करता है या कोई कहानी कहता है तब भी उसकी बात या वक्तव्य में व्याकरणकार के बहुतेरे वाक्य रहते हैं। लेखक यही बात लेख द्वारा प्रकट करता है। अपेक्षा-दृष्टि से बातचीत की बात का परिणाम छोटा और वर्णन तथा कहानी वाली 'बात' का बड़ा होता है। इस तरह भाषाविज्ञानी की दृष्टि से देखा जाय तो यह 'बात' या 'वक्तव्य' ही बहुधा भाषा का अवयव है, व्याकरणकार का वाक्य नहीं। जब हम किसी 'बात' में मौखिक या मानसिक रूप में व्यस्त होते हैं, तब बीच में अन्य विषय भी आकर बाधा पहुँचा सकते हैं। वाद-विवाद में पड़ी हुई स्त्रियों को गते हुए बच्चे को बहलाना पड़ता है, लेखक देते हुए अव्यापक को क्लासरूम में आ गए चपरासी को विदा करना होता है और व्याख्यान में मस्त वक्ता को बीच में प्यास लगने पर पानी माँगना ही पड़ता है। बीच में आए हुए इन वाक्यों का स्वतन्त्र अस्तित्व अवग्य होता है।

प्रश्न उठता है कि क्या यह बात स्वयं सम्पूर्ण होती है? उत्तर में हम मानना पड़ेगा कि यदि तान्त्रिक दृष्टि से देखा जाय तो वह सम्पूर्ण नहीं कही जा सकती। उसका, वाच्य पुरुष की पूर्वापर बातों से तथा वक्ता की भी पूर्वापर बातों में सबंध रहता है। इन सब का समष्टि रूप में विचार करने पर ही अर्थ स्पष्ट होता है। इसी तरह लेख के एक पैरा का अन्य पूर्ववर्ती और परवर्ती पैराओं से और अव्यय का अन्य अध्यायों से सबंध रहता है। प्रायः किसी पुस्तक को पढ़कर हमारे मस्तिष्क में उसका भाव समष्टिरूप से दो एक वाक्यों में रहता है। 'भाषाविज्ञान' की पुस्तक पढ़ जाने पर हमारे दिमाग में केवल यह भावना रह जाती है कि विषय का प्रतिपादन स्पष्ट हुआ है या नहीं। उसमें यदि कोई महत्वपूर्ण और अति रोचक विवेचन होगा तो उसकी रेखा स्पष्ट रह जायगी, अन्य सब भूला हुआ अनुद्बोधित अवस्था में पड़ा रहेगा। काम पड़ने पर बहुत संभव है कि कुछ बातों का उद्बोध हो सके,

अन्यथा सम्पूर्ण पुस्तक ही का विषय अति मक्षिप्त अवस्था में उपस्थित रहेगा। इस प्रकार हमारी विचारधारा की बात, एक छोटा अवयव मात्र है, उस बृहत्तर विचारधारा का जो हमारी दिन प्रतिदिन की क्रिया है।

मनोविज्ञानी विद्वान् कहते हैं कि जब प्रातः काल हम जगते हैं उस समय से लेकर नींद प्रारम्भ होने तक हमारे मन की क्रिया एक अविच्छिन्न धारा में बहती चलती है। विविध विचार उस धारा में तरंगों के समान हैं, उर्मी में उठते हैं उसी में विलीन हो जाते हैं। यदि कोई ध्यान अकस्मात् हो गई जिम्मे उथल-पुथल मचा दी तो वह उस तरंग की तरह है जो धारा में किसी चीज के डूबने-उठने से गिर पड़ने के कारण ऊँची उठ जाती है। अपनी नित्यप्रति की क्रियाओं को करते समय हमें तत्कालीन तरंग का ही ध्यान रहता है, अन्य तरंग भूली रहती है। और यदि कोई पूर्वकाल की सुखदायक तरंग है तो उसको हम बार-बार उद्बोधित करके (मानसिक) सुख लटते रहने का व्ययम लाल लेते हैं और यदि कोई प्रवृत्त तरंग दुःखदायक है और बार-बार विचारधारा में जाती है तो उसको बलात् हटा देने की कोशिश करते हैं और निर्बल मनवाले उसको हटाने की मदद के लिए मादक वस्तुओं का सेवन करने लगते हैं। मनो-विज्ञानियों का दावा तो यहाँ तक है कि हम जगकर विचारधारा को उसी जगह से पकड़ लेते हैं जहाँ उसे पिछली रात को निद्रा के पूर्व छोड़ा था। इसीलिए आत्मिक उत्थिति की ओर अग्रसर करनेवाले साधु महात्मा यह उपदेश देते हैं कि सोने के पूर्व और जगने के तुरन्त बाद परमेश्वर का ध्यान और उसके नाम का जप करना चाहिए और स्वाध्याय में चिन्तन लगाना चाहिए।

इस तरह यह निश्चय होता है कि हमारी अदृष्ट विचारधारा में हमारी बात या वक्तव्य एक तरंग मात्र है, केवल एक अवयव। लिखित भाषा में इस अवयव का विश्लेषण बड़ी आसानी से किया जा सकता है। बातचीतवाली बात में भी आसानी में, पर लेख की अपेक्षा कम। परन्तु मौन विचार की बात का विश्लेषण जरा कठिन काम है। तब भी

अभ्यास करने से यह काम थोड़ी-बहुत सफलता में हो सकता है। सफल व्याख्याता इस अभ्यास का जादी हो जाता है।

व्याकरणकार 'वाक्य' को संपूर्ण अवयव मानते हैं, पर ऊपर के विवेचन में हमको यह स्पष्ट मालूम पड़ गया कि वाक्य तो मनुष्य की बात या वक्तव्य का अंशमात्र है। जोर जब तात्त्विक दृष्टि से वान ही सम्पूर्ण नहीं, वह विचारधारा की तरंग मात्र है, तब वाक्य क्या सम्पूर्ण होगा? और व्याकरणकार वाक्य का विचार अलग-अलग स्थिति रखने वाले पदों की सम्मिष्टि या सग्रह के रूप में करता है। वह वाक्य को सेना के म्क्वाड के रूप में सोचता है जिसमें प्रत्येक सिपाही को लाकर अपनी-अपनी जगह खड़ा कर दिया जाता है। पर वास्तविक बात है इसकी उलटी। हम म्क्वाड की स्थिति को तात्त्विक पाते हैं और इन सिपाहियों को अपेक्षाकृत काल्पनिक। और कम्पनी की स्थिति म्क्वाड की अपेक्षा अधिक वास्तविक है। इस रूपक को ऊपर बाँधते-बाँधते हम उस सम्पूर्ण सेना तक पहुँचते हैं जो हमारी विचारधारा का प्रति-रूप है।

हमारी यह विचारधारा कोई स्वतंत्र सत्ता की चीज नहीं। इस पर हमारे सम्पर्क में आए हुए अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मनुष्यों की विचारधाराओं का असर पड़ना है, और हमारी विचारधारा का अन्य प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मनुष्यों की विचारधाराओं पर। इस प्रकार हमारी विचारधारा स्वयं एक बृहत्तर विचारधारा का अवयव-मात्र है। विचार की शक्ति तोलने वाले विद्वान और ऋषि तो विचारधारा के प्रभाव को बहुत दूर तक पहुँचाते हैं। योगदर्शन के अनुसार अहिंसा की प्रतिष्ठा में वैरनिरोध अवश्य होता है। बुद्ध भगवान की भैत्री (मैत्री) का प्रभाव अगुलिमाल आदि डाकुओं पर ही सीमित नहीं था नालागिरि ऐसे प्रचंड हाथी पर भी हुआ था। ब्रह्मर्षियों के आश्रम में सिंही के अहिंस हो जाने के बहुत से उदाहरण आर्य साहित्य में मिलते हैं, जिनको काल्प-निक कथानक कह कर सर्वथा नहीं टाला जा सकता। मन्चे धार्मिक मनुष्य को विचारधारा के अप्रत्यक्ष प्रभाव में भी विश्वास होता है,

अन्यथा दूसरो के लिए की गई प्रार्थना, पूजा और जप का कोई मूल्य नहीं। और जब थोड़े-म ही अभ्यास से मेम्मारिज्म जाननेवाला आदमी दूसरो के विचारो तक पहुँच सकता है, तब विचार की अपरपार शक्ति की सहसा अवहेलना नहीं की जा सकती। इसप्रकार यह सिद्ध होता है कि विचार की केवल एक धारा है जिमके अवयव रूप ही व्यक्तियों की विचारधाराएँ हैं। जिस प्रकार भूत-विज्ञान की आधुनिक दृष्टि मन्वन्वित्त्ववाद के पक्ष में है और प्रत्येक भूत का अन्यो पर वास्तविक प्रभाव बतलाती है उसी प्रकार विचार के बारे में भी ज्ञान रखना चाहिए।

इस तरह व्यापक दृष्टि से देखने से पता चलता है कि जब हम वाक्य को सम्पूर्ण कहते हैं तब मनोविज्ञान की दृष्टि से, सम्पूर्णता की विडम्बनाही करने हैं। हमारा यह कहना उसी प्रकार का है जिम प्रकार रसिक महृदय प्रियतमा की जाँव की रमणीयता में मस्त होकर उस प्रेम की सत्ता के बाकी के अंग भूल बैठता है, या मेडिकल कालेज के चीर-फाड़ के हाल में पड़ी हुई लाश में से एक अंग को लेकर विद्यार्थी उसी के विश्लेषण की बुन में मस्त हो जाता है। हमारी भाषा हमारी विचार-धारा का प्रतिरूप है और वाक्य उसका बहुत छोटा अंग है, बहुत जरा सा, जैसे धारा में एक बूँद।

व्याकरणकार या भाषाविज्ञानी जब इस वाक्य को लेकर अध्ययन के लिए उसका विश्लेषण करने बैठता है तब वह सम्पूर्ण स्थिति के एक अवयव का ही अध्ययन करने बैठता है। और उस अध्ययन के द्वारा, यदि उसकी दृष्टि में व्यापकता और अनुपात का प्रमेय परिज्ञान है तो, उसे अवश्य भाषा के तत्वों का ज्ञान हो जायगा, उसी प्रकार जैसे बूँद की वास्तविकता के ज्ञान लेने से जल का, पीपल की गदिया में से निदान्त हुए एक बीज के ज्ञान से वृक्ष का अथवा नमकीन पानी की एक बूँद के चखने से नमक का।

वाक्य हमारी बात या वक्तव्य का अवयव है। एक वाक्य को हमेशा अन्य वाक्यों की परिस्थिति में देखना चाहिए। बोल-चाल में बहुधा सभी भाषाओं में छोटे-छोटे वाक्य होते हैं। लिखित भाषा में अपेक्षाकृत

बड़े-बड़े वाक्य होते हैं। बोल-चाल में कभी-कभी वाक्य एक ही शब्द का होता है, जैसे बातचीत में लगे हुए छात्रों से मास्टर कह पड़ता है 'पटो'। पर व्याकरणकार की दृष्टि से यह वाक्य एक शब्द का नहीं है। प्रकरण के अनुकूल इसमें बहुत सी बातें ऐसी अन्तर्हित हैं जो शब्दों में प्रकट नहीं हुईं तब भी बोलनेवाला और वाच्यपुरुष सभी समझ गए। इसी प्रकार रसोई से खाते हुए बालक ने यदि केवल नमक कहा तो माँ ने यही नहीं किया कि उसको नमक दे दिया बल्कि उसे यह भी ज्ञान हो गया कि किसी चीज में या तो उसने नमक डाला नहीं या कम डाल गई। यह सारा प्रकरण शब्दों से ही प्रकट हो यह जरूरी नहीं, इंगित और आकार द्वारा अधिकांश जाहिर हो जाता है। अशिक्षित मनुष्य की वर्णनशैली और शिक्षित की वर्णनशैली में भी विशेष अन्तर होता है। शिक्षित आदमी लिखित भाषा से प्रभावित होकर बड़े-बड़े वाक्य बोलता है, अशिक्षित छोटे-छोटे और स्वाभाविक। उदाहरणार्थ अवधी की गुलगुठावाली कथा का यह अंश ले—

एक राजा रहई अउ महतारी रहइ। अउ दुलहिन रहइ। महतारी रोज छप्पन परकाल के भोजन बनावइ अउ अपना खाइ अउ अपने लडिकन क ग्वावड। दुलहिन खातिर एक बेभरि कि रोटी सेंकइ। आधी गंटी अउ लोन सवेर देइ अउ आधी सौं क क।

इसी का लिखित भाषा में रूपान्तर कुछ-कुछ इस ढंग का होगा—
एक राजा अपनी माँ और स्त्री के साथ कहीं रहता था। उसकी माँ रोज छप्पन प्रकार का भोजन बनाती, स्वयं खाती और अपने लडके को खिलाती मगर दुलहिन की खातिर बभरि की एक रोटी सकती। उसमें से आधी रोटी नमक के साथ सवेर देती बाकी आधी सन्ध्या को।

इन दो अंगों का परस्पर अन्तर स्पष्ट है। लिखित भाषा का पहला वाक्य ग्यारह शब्दों का है, बोलचाल की भाषा में इसकी जगह तीन छोटे-छोटे वाक्य हैं, दो-दो तीन-तीन पदों के, व्याकरणकार के शब्दों में केवल कर्ता और क्रिया के। ये वाक्य आपस में समुच्चय-बोधक अउ से जुड़े हैं। लिखित भाषा में समुच्चय-बोधक पदों का इतना व्यवहार नहीं है।

लिखित भाषा में एक वाक्य का दूसरे वाक्य में सम्बन्ध भी बार-बार सर्वनामपद (उसकी, उसमें) ला लाकर जतलाया जाता है, बोलचाल में इसकी जरूरत नहीं पड़ती। बड़े-बड़े वाक्य भाषा के लिए स्वाभाविक नहीं हैं।

वाक्य में सामान्य रूप से दो अंश माने जाते हैं उद्देश्य और विधेय। हर वाक्य में पूर्ववर्ती वाक्य का कुछ न कुछ अंश दुहराया जाता है और कुछ नया हाता है। यही नया अंश अगले वाक्य का दुहराया हुआ अंश हो जाता है और अन्य नया अंश उसके साथ आ जाता है। इस प्रकार वाक्य-परम्परा चलती रहती है। इस कथन का उदाहरण व्याकरण में निम्नतः अनभिन्न लोगों से बात करने से मिल जायगा। उदाहरणार्थ यह अवतरण देख।

माई, एक थे राजा। वह राजा रोज सबेरे उठें। उठें तो रोज देखें एक सोने का महल। महल देखकर खुशी से फूल उठें। खुश होकर बुलवावें गरीब अनाथों, विधवाओं और ब्राह्मणों को। बुलवाकर महल के टुकड़े कर करके बाँट दें उनको।

आज हम लिखित भाषा से इतने परिचित हो गए हैं कि स्वाभाविक भाषा को भूल-सा बैठे हैं तब ऊपर दिया हुआ उदाहरण या इसी प्रकार के अन्य अवतरण अटपटे और कृत्रिम से लगेंगे। पर यदि कभी शाम को आपस में किस्से-कहानी कहते हुए अपने ही नौकर-चाकरों की बातें सुने तो मालूम होगा कि उनकी शैली से हम कितनी दूर जा पड़े हैं। पढ़े-लिखे आदमी का दिमाग इतना शिक्षित हो गया है कि उसे बार-बार दुहराए हुए अंशों की जरूरत नहीं। जरूरत तो दूर, उम पर वे अंश भारी गुजरते हैं। पर अशिक्षित मनुष्य के लिए इसकी बराबर जरूरत रहती है। इसीलिए गाँव में जाकर शहर का जेटिलमैन चुनाव की स्पीच जब अपनी स्टैंडर्ड शैली में देकर समझने लगता है कि मैंने बाजी मार ली तो वह भल करता है। उसकी बातें सुनकर अधिकांश जनता भौचक्की-सी बैठी रह जाती है और बाद में गाँव के नेता जब स्पीच का भावार्थ शाम को अलाव पर बैठकर गाँव की भाषा में समझाते हैं तब उस भोली-भाली जनता की समझ में कुछ आता है।

उद्देश्य अधिकतर सज्ञा (कर्ता) के रूप में माना जाता है और विधेय क्रिया के रूप में। यह विभाग हमारी आधुनिक आर्य-भाषाओं के अनुकूल है। पर यह अन्य परिवारों की भाषाओं पर सर्वथा लागू नहीं है। विशेषकर ऐसी भाषाओं में जहाँ सज्ञा, क्रिया आदि पद-विभाग ही नहीं, वहाँ उद्देश्य विधेय के लक्षण ढूँढना असंभव होगा। वहाँ उद्देश्य विधेय केवल दुहराए हुए अशो और नए आए हुए अशो के रूप में अवश्य उपस्थित रहते हैं।

वाक्य का एक लक्षण यह भी बताया जाता है कि बहुधा वाक्य को हम एक साँस में बोल जाते हैं। यह लक्षण भी केवल बोलचाल के छोटे छोटे वाक्यों पर ही घटित हो सकता है, साहित्यिक भाषा के वाक्यों पर नहीं। सामान्य रूप से तीन सेकण्ड तक आदमी बिना गहरी साँस लिए बोल सकता है। पर यह कौशल हम प्लैटफार्म पर बोलते समय ही दिखाते हैं। अन्यथा यदि वाक्य बड़ा हुआ तो चार-पाँच शब्दों के बाद साँस ले लेते हैं। इस प्रकार साँस वाला लक्षण केवल बोलचाल के वाक्यों पर ही लगता है। बोलते समय हमारे मस्तिष्क को भी सावधान रहना पड़ता है। कभी-कभी हम सभी ने अनुभव किया होगा कि हम कई वाक्य पढ़ जाते हैं पर अर्थ का कुछ बोध नहीं होता। ऐसी दशा में अवश्य ही हमारा अवधान पढ़ी हुई चीज पर न था, था कही और। यह अवधान भी अभ्यास की चीज है। साधारण मनुष्य को विशेषकर सेहनत-मजदूरी करके जीविका-उपार्जन करने वाले को, इसका अभ्यास नहीं। इस कारण से भी बड़े बड़े वाक्य उनकी समझ में नहीं आते।

वाक्य में पदक्रम अलग-अलग भाषाओं का अलग-अलग होता है। उदाहरणार्थ अँगरेजी में कर्म का क्रिया के बाद स्थान है, हिन्दी में क्रिया के पूर्व। दोना भाषाओं में कर्ता का स्थान सर्वप्रथम समझा जाता है पर यदि हम बोलचाल की अँगरेजी या हिन्दी का परीक्षण करें तो हमें इस नियम के बहुतसे अपवाद मिलेंगे। इसी प्रकार समस्त पदों के अव्यय पदों का क्रम भी हर भाषा की परम्परा के अनुसार भिन्न-भिन्न होता है।

जितनी ही भाषा अयोगावस्था की होगी उतना ही उसमें पदक्रम का महत्व होगा ।

हमारे देश में प्राचीन तत्त्वविदो व जानि, गुण क्रिया द्रव्य में शब्दों का विभाग किया था, और व्याकरणकारों ने सज्ञा, सर्वनाम कृदन्त, तद्धित और अव्यय में । इसी प्रकार ग्रीस के प्राचीन तत्त्ववेत्ता अरस्तू ने भाषा के चार विभाग माने थे—सज्ञा, विशेषण, क्रिया और अव्यय । बाद को अवान्तर भेद होते-होते ये चार, दस भागों में परिणत हो गए । इनका विचार ऊपर पदव्याख्या का विवेचन करते समय किया गया है और यह बतलाया गया है कि यह वर्गीकरण किसी भी अर्थ में भाषा के लिए मौलिक नहीं कहा जा सकता । माराश यह कि हम इसी परिणाम पर पहुँचते हैं कि वाक्य का कोई ऐसा विश्लेषण नहीं किया जा सकता, जो मसाल की सभी भाषाओं पर सर्वथा लागू हो सके । वह हमारी 'वात' का अंग है, और हमारी 'वान' हमारी भाषा का अवयव । हमारी भाषा हमारी विचारधारा की प्रतिनिधि है ही ।

वाक्य के विभिन्न पदों का समुचित अन्वय होना चाहिए । अन्वय का अर्थ है सगति तथा सबध । योगात्मक भाषाओं में इसका अधिक महत्व है । उदाहरणार्थ, संस्कृत में विशेषण और विशेष्य के लिंग, वचन और विभक्ति, नीनों में अन्वय होना चाहिए तथा कर्मवाच्य की क्रिया का कर्म से और कर्तृवाच्य वाली का कर्ता से । अयोगात्मक भाषाओं में इस प्रकार का बहुत सा काम पद-क्रम से निकाल लिया जाता है । योगात्मक भाषाओं में पद-क्रम का इतना महत्व नहीं यह बात ऊपर कही जा चुकी है ।

वाक्य के पदों में परस्पर तीन गुण रहने हैं आकाक्षा, आसक्ति और योग्यता । इनके बिना वाक्य या तो अपूर्ण रहेगा या अनर्गल प्रलाप । यदि हम केवल अध्यापक कह कर चुप हो जायें और इस पद का सम्बन्ध, प्रकरण न बनावे तो हमें आकाक्षा रहेगी कि अध्यापक का क्या हुआ या उसने क्या किया । इस आकाक्षा की पूर्ति अन्य पदों को करनी ही चाहिए । इसी तरह यदि हम मबरे खाना कहे और कुछ देर बाद नहीं

मिला कहे तो प्रकरण से निर्देश न हाने पर चतुर मेवक भी हमारी बात का कोई अर्थ न निकाल सकेगा। पदों में परस्पर आसक्ति चाहिए। और यदि हम बोले 'आग में सींचो' तो आग में सींचने की योग्यता न होने के कारण लोग हमारे वाक्य को पागल का प्रलाप ही समझेंगे। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि ये तीन गुण वाक्य के लिए आवश्यक हैं।

सत्ताईसवाँ अध्याय

भाषा विज्ञान का इतिहास

भाषा के अध्ययन से हम इस नतीजे पर पहुँचे कि एक ओर प्रत्येक मनुष्य की भाषा, विज्ञान की दृष्टि से, दूसरे मनुष्य की भाषा से भिन्न है, साथ ही दूसरी ओर हम पिछले अध्याय में इस तत्त्व को भी देख चुके हैं कि भाषा विचारधारा की वाह्य प्रतिनिधि है और यह विचारधारा अखण्डस्वरूप है। इस प्रकार भाषा भी विश्व के मौलिक एकत्व और अनेकरूपत्व का उदाहरण है।

भाषाविज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन करना है। मनुष्य भाषा का दर्शन प्राप्त करने की कोशिश जब से उसने होश सँभाला तभी से कर रहा है। इस कोशिश का इतिहास बड़ा मनोरंजक है। भाषा के विषय में सर्वप्रथम विवेचन हमारे देश में हमारे स्वर्णयुग में हुआ, और इधर दो-ढाई सौ बरस में विशेष रूप से यूरोप में किया गया है।

प्राचीन भारतीय अनुसन्धान

किसी भी जनसमुदाय में अपनी भाषा के वैज्ञानिक अध्ययन का सवाल भाषाभेद के कारण उठता है, यह भाषा-भेद आन्तरिक होता है या बाहरी, पहला बोली-विभेद के कारण, दूसरा विदेशी भाषाओं के सम्पर्क से। भारत में वैदिक मन्त्रों को अद्वितीय महत्त्व प्राप्त हुआ, वे दिव्यशक्ति के उपहार माने गए। उनको जैसे का तैसे याद रखना मानव-धर्म का परम कर्तव्य समझा गया। भारतीय धारणा-शक्ति सदा प्रसिद्ध रही है। वैदिक द्विजों ने संहिताओं को कठस्थ करके स्थिर रखा। भाषा सर्वांग में विकसित होती रहती है इसलिए

कालभेद और देगभेद के कारण कठम्य मत्रो के उच्चारण में भेद पड़ जाना अवश्यम्भावी था। ऐसी परिस्थिति में मूल की रक्षा करने के उपाय सोचे गए।

उन उपायों में सहिताओं का पदपाठ सर्वप्रथम सफल प्रयास साबित हुआ। पदपाठ के द्वारा मत्रो का विभाग पदों में करना संभव हो पाया। पदपाठ की युक्ति शक्य ऋषि की रची समझी जाती है।

ब्राह्मणकाल में सहिताओं का स्वाध्याय विभिन्न ऋषियों की परिषदों, चरणों और शाखाओं में होता था। कितने ही ऋग्वेद के द्विजों ने ससारी सुख का मोह छोड़कर अपनी सारी शक्ति इस वैदिक वाङ्मय के स्वाध्याय में लगा दी। वेद (ब्रह्म) के स्वाध्याय के लिए नैष्ठिक ब्रह्मचर्यव्रत का पालन किया गया। इसके फलस्वरूप वैदिक भाषा की यथातथा रक्षा हो सकी। पदपाठ के लिए यह आवश्यक था कि सहिता (सधि), समास और उदात्त, आदि स्वरों का व्यवहार ठीक में समझ लिया जाय। ब्राह्मण-ग्रन्थों में जहाँ-तहाँ शिक्षा (ध्वनि) और व्याकरण के सम्बन्ध के तत्व उदाहरणस्वरूप मिलते हैं। इनमें पता चलता है कि ई० पू० आठवीं-नवीं सदी में ही भारतीयों ने भाषा के शास्त्रीय अध्ययन में आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त कर ली थी। विद्वानों का मत है कि इसी काल में विविध शिक्षा-ग्रन्थ बने। इनमें वर्ण, स्वर, मात्रा, उच्चारण और सहिता के नियमों का विवरण रहा होगा। कुछ समय बाद ही मूल प्रातिशाख्य बने। वर्तमान प्रातिशाख्य इन्हीं मूल प्रातिशाख्यों पर आश्रित हैं यद्यपि हैं पाणिनि के समय के। इन्हीं के मूल प्रातिशाख्यों में पदों का (१) नाम, (२) आख्यात, (३) उपसर्ग, (४) निपात, यह चतुर्विभाग, कुछ मन्त्रों के लक्षण तथा पद का थोड़ा बहुत विश्लेषण करके किया गया होगा। यह सब काम यास्क मुनि के पहले हो चुका था।

निरुक्त के कर्ता यास्क मुनि का काल ई० पू० ८००-७०० माना जाता है। यास्क के सामने वेद के शब्दों की सूची, निघट्ट नाम की, मौजूद थी। इस सूची में पाँच अव्याय हैं। निरुक्त इसी निघट्ट की व्याख्या है। निरुक्तकार ने निघट्ट के शब्दों को लेकर वैदिक सहिताओं

के उद्धरण देते हुए गदो का अर्थ स्थापित करने का उद्योग किया है। अर्थविज्ञान के विषय के अव्ययन का समार में यह सर्वप्रथम प्रयास है। यास्कमुनि के समय तक भाषाविज्ञान सम्बन्धी अन्वेषण इस देश में काफी आगे बढ़ चुका था, इसका इसी बान से यथेष्ट प्रमाण मिलता है कि यास्क ने बहुतेरे (आग्रायण, ऐतिहासिक नैरुक्त, वैयाकरण आदि) पक्षों और गार्ग्य, गालव, शाकटायन, शाकत्य आदि पूर्ववर्ती या समकालीन आचार्यों का उल्लेख किया है और उनके मत को उद्धृत किया है। पदों के चतुर्विभाग के अलावा निरुक्तकार मज्ञा और क्रिया के तथा कृदन्त और तद्धित आदि के प्रत्यय-भेदों से भी कुछ न कुछ परिचित थे। भाषाविज्ञान के लिए निरुक्तकार की यह देन है कि प्रत्येक मज्ञा (नाम) की व्युत्पत्ति किसी न किसी धातु से है। अन्य विद्वानों के मत का खंडन करके उन्होंने अपने मत का सर्वथा पोषण किया है।

यास्क के बाद आर पाणिनि के पूर्व बहुत से वैयाकरण रहे होंगे। पाणिनि ने प्रथमा, द्वितीया आदि विभक्तिनामों का तथा बहुब्रीहि, कृत, तद्धित, आदि मज्ञाओं का प्रयोग बिना इनका अर्थ बताया हुआ किया है जिससे स्पष्ट है कि उनके समय तक ये मज्ञाएँ सुपरिचित हो चुकी थीं और बहुतेरे व्याकरणकार पदविज्ञान को आगे बढ़ा चुके थे। इनमें से आपिशलि और काशकृत्स्न दो का उल्लेख मिलता है। पाणिनि के पूर्व के वैयाकरणों में इन्द्र का नाम सर्वप्रथम उल्लेखनीय है। नैत्तिरीय संहिता (७-४-७) के अनुसार यही पहले वैयाकरण सिद्ध होते हैं—

वाग्वं पराच्यव्याकृताऽवदत् । ते देवा इन्द्रमब्रुवन्निमा नो वाच
व्याकुर्विति । तामिन्द्रो भव्यतोऽवक्रम्य व्याकरोत् ।

वैयाकरणों का ऐन्द्रसम्प्रदाय पाणिनि के पूर्व में आरम्भ होकर उनके बाद भी चलता रहा। वर्तमान प्रातिशाख्य इमी सम्प्रदाय के हैं। कान्यायन भी इसी के थे। ऐन्द्रसम्प्रदाय की परिभाषाएँ सरल और सुबोध थीं।

पाणिनि की अष्टाध्यायी में पूर्ववर्ती वैयाकरणों के सफल कार्य का सार समन्वित है। इन्होंने स्वयं उदीच्य और प्राच्य सम्प्रदायों का तथा आपिशलि, काश्यप, गार्ग्य आदि दस वैयाकरणों का उल्लेख किया है।

पाणिनि मुनि के जीवन के बारे में कुछ पता नहीं। कहा जाता है कि यह (अटक के निकट) आलानुग के निवासी उदीव्य ब्राह्मण थे। इनकी जन्म का नाम दाक्षीण। यदि पञ्चतंत्र की गवही मानी जाय तो इनका देहान्त एक मिह के द्वारा हुआ। कथामरिन्सागर के अनुसार इनके गुरु उपाध्याय वर्ष और सहपाठी कात्यायन, व्याडि और इन्द्रदत्त थे। इन्होंने घोर तपस्या करके चौदह माहेश्वर मंत्रों की प्राप्ति की। अंगरेज विद्वान इनका काल ई० पू० चौथी सदी में और जर्मन तथा भारतीय मनीषी ई० पू० ५०० से पूर्व छठी या सातवीं शताब्दी में मानते हैं।

पाणिनि की रचना अष्टाध्यायी है। हर अव्याय में चार पाद हैं। कुल सूत्रों की संख्या करीब चार हजार के हैं। अष्टाध्यायी की विघेपता संक्षेप है। इन चार हजार सूत्रों में सारी भाषा को ऐसा जकड़ दिया है कि मीन-मेष करना असंभव है। यह प्रत्याहारों के कारण ही संभव हो सका। इसके अलावा संक्षेप के लिए पाणिनि ने अनुबन्ध, गण, घ, लुक् श्लु, आदि सजा, अनुवृत्ति तथा प्रचलित गुण, वृद्धि आदि परिभाषाओं का भी सहारा लिया। अष्टाध्यायी के अलावा उसके महायक ग्रन्थों में से धातुपाठ गणपाठ, और उणादिसूत्र का अविकसित भाग पाणिनि का ही रचा माना जाता है।

भाषाविज्ञान के लिए पाणिनि की छाप अमिट है। माहेश्वर सूत्रों में ध्वनियों का, स्थान और प्रयत्न के अनुसार, वर्गीकरण ध्वनिविज्ञान के तत्त्वज्ञान का उत्तम उदाहरण है। प्रति शब्द किसी न किसी धातु से सम्बद्ध है, इस मत की पुष्कल पुष्टि पाणिनि ने न केवल अष्टाध्यायी के सूत्रों में बल्कि उणादिसूत्रों में की। पर सब में महत्व का काम वैदिक (छन्दम्) और लौकिक संस्कृत का तुलनात्मक विवेचन है। यूरोप में जो काम ईसवी १९वीं सदी में किया गया वही इस देश में ईसा पूर्व छठी या सातवीं सदी में पाणिनि मुनि कर चुके थे। इस प्रकार पाणिनि ने ध्वनिविज्ञान, अर्थ-विज्ञान और तुलनात्मक व्याकरण के अध्ययन को बहुत आगे बढ़ाया।

वैदिकी प्रक्रिया के अध्ययन में यह बात स्पष्ट मालूम होती है कि पाणिनि के समय तक छन्दस् और भाषा दोनों के बीच काफी अन्तर पड़ गया था। छन्दस् में वैकल्पिक रूपों की बहुतायत थी और इसको प्रकट करने के लिए पाणिनि ने बहुल छन्दसि का बहुत जगह निर्देश किया है। छन्दस् की भाषा बराबर चली आ रही थी। वह अपौरुषेय समझी जाती थी। उसको छेड़ना असंभव था और कोई छेड़ भी सकना तो पाप का भागी होता। पाणिनि मुनि ने भाषा को ही पकड़ा और उसको ऐसा स्टैंडर्ड रूप दिया जो आज ठाई हजार वर्ष बाद भी स्टैंडर्ड माना जाता है। इतना सफल व्याकरणकार मसारा में कही नहीं हुआ।

पाणिनि के उपराल बहुत से वैयाकरण हुए। उन सबमें वार्तिककार कात्यायन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। कथामग्निमागर इन्हें पाणिनि का समकालीन बताता है पर यह असंभव है। इनका समय ई० पू० ५००-३५० के बीच में पड़ता है। पतञ्जलि इन्हें दाक्षिणात्य बताते हैं। और संभव है कि यह व्याकरणकारों की किसी भिन्न गण्टिका के रहे हों। इन्होंने पाणिनि के ढंग से ही सूत्रों में पाणिनि के मत की आलोचना की है। इनके सूत्रों को बार्तिक कहते हैं। इनमें कात्यायन ने पाणिनि के १५०० सूत्र एक-एक कर उठाए हैं और उनमें दोष दिखाकर शुद्ध नियम निर्धारित किए हैं। विद्वानों का विश्वास है कि इस शुद्धीकरण द्वारा वार्तिककार ने विशेष रूप से पाणिनि मुनि के समय से उनके समय तक (अर्थात् डेढ़ दो सौ वर्ष में) भाषा में जो परिवर्तन हो गए थे उन्हीं का समावेश किया है। इसलिए आलोचनात्मक होने हुए भी, वार्तिककार की कृति ने अप्टाध्यायी के अध्ययन के लिए सहायक ग्रन्थ का काम किया।

वाजसनेयी प्रातिशास्त्र भी कात्यायन की बनाई समझी जाती है। इसमें छन्दस् (वैदिक) भाषा के नियम दिये हैं जो पाणिनि के सूत्रों के अधिकांश अनुकूल हैं और जहाँ भेद है वहाँ अधिक उपयुक्त।

कात्यायन ने पाणिनि के ही पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग किया है पर जहाँ-तहाँ स्वर (अव्), व्यजन (हल्), समानाक्षर (अक),

भवन्ती (लट्) आदि नए शब्द भी दिए हैं। इनके बाद और पतञ्जलि मुनि के पूर्व अन्य वार्तिककार भी हुए हैं। संभव है कि कोई कात्यायन के पूर्व भी हुए हों।

पतञ्जलि ने अपने ग्रन्थ महाभाष्य में पुष्यमित्र, माकेत के अवरोध आदि समकालीन व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख किया है जिससे उनके काल (ई० पू० दूसरी सदी) का निर्धारण में कोई कठिनाई नहीं पड़ती। इनका उद्देश्य कात्यायन आदि पूर्ववर्ती व्याकरणों द्वारा की गई पाणिनि के ग्रन्थ की आलोचना का बलपूर्वक खंडन करना है। विशेष रूप से इन्होंने कात्यायन के नियमों में दोष दिखाए हैं और पाणिनि के मत का खंडन किया है। इन्होंने जो नियम दिए हैं उन्हें इष्टि का नाम दिया है। महाभाष्य का महत्व संस्कृत भाषा के नियम-निर्धारण में उतना नहीं है जितना भाषा के दार्शनिक विवेचन में। ध्वनि क्या है, वाक्य के कौन-कौन से भाग होते हैं, ध्वनि-समूह (शब्द) और अर्थ में क्या संबंध है इत्यादि महत्वपूर्ण विषयों पर पतञ्जलि ने बहुत सुन्दर विवेचन किया है। इनकी शैली बड़ी ललित और हेतुपूर्ण है और सारे संस्कृत वाङ्मय में शंकराचार्य-कृत शारीरक-भाष्य को छोड़कर अपना मानी नहीं रखती।

पाणिनि, कात्यायन, पतञ्जलि ये तीन ऋषि संस्कृत व्याकरण के मुनित्रय कहे जाते हैं। इनके बाद टीकाकारों का समय आता है। टीकाओं में वामन व जयादित्य की बनाई काशिका सबसे प्रसिद्ध है। यह प्रायः ई० ७वीं सदी की समझी जाती है। काशिका पर की गई टीकाओं में जिनेन्द्रबुद्धि का न्यास और हरदत्त की पदमजरी भी प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। परन्तु भाषा के दार्शनिक विवेचन और मूलतत्वों का स्थापन के लिए भर्तृहरि का वाक्यप्रदीप सबसे अधिक महत्व का है। इसमें तीन कांड हैं, ब्रह्म (आगमकांड), वाक्यकांड और पद (प्रकीर्णकांड)। कैयट ने इस तात्त्विक विवेचन को अपने ग्रन्थ महाभाष्यप्रदीप में और आगे बढ़ाया। इस प्रकार के व्याकरणों में प्रदीप के टीकाकार नागोजि (नागेश) भट्ट का भी उल्लेख कर देना उचित है। विवाहित होने पर

भी यह अस्पष्ट ब्रह्मचारी रहे और अपने ग्रन्थों को ही अपनी सन्तान सम्भल रहे। इन्होंने अन्य शास्त्रों के अलावा व्याकरण के विषय पर ही कई ग्रन्थ लिखे। इनमें से प्रदीपोद्योत, वैयाकरणसिद्धान्त मजूषा आदि परिभाषेन्द्रशरर महत्त्वपूर्ण बताए जाते हैं। वै० सि० मजूषा भाषा के तात्त्विक विवेचन के लिए अद्वितीय ग्रन्थ है।

टीका-सम्प्रदाय के बाद अष्टाध्यायी के सूत्रों पर ही आश्रित किन्तु उसके क्रम को हटाकर विषयानुकूल क्रम रखनेवाले कौमुदीकारों का समय आता है। इस समय तक व्याकरण का वाङ्मय इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि उसको पुराने क्रम में हृदयगम करना असंभव-सा हो गया था। इसीलिए नवीन क्रम निर्धारित किया गया। इस तरह के ग्रन्थों में विमल सरस्वती कृत रूपमाला सबसे पहला ग्रन्थ समझा जाता है। इनका समय १५०० ई० के पूर्व का माना जाता है। इन्होंने प्रत्याहार, मञ्जा परिभाषा, सन्धि, सुबन्त, निपात, भ्रवी-प्रत्यय, कारक, आर्यात, कृत् और तद्धित इस प्रकार विषयानुकूल क्रम रक्खा। पर इस प्रकार के ग्रन्थों में सबप्रचलित और सर्वमान्य भट्टोजिदीक्षित कृत सिद्धान्तकौमुदी है। इनका समय १६५० ई० के आस-पास समझा जाता है। सिद्धान्त-कौमुदी द्वारा ही मस्कृत के व्याकरण की परिपाटी इतनी लोकप्रिय हुई कि अष्टाध्यायी-काशिका की परिपाटी बिलकुल खतम हो गई।

व्याकरणकारों की पाणिनि-शाखा के अलावा चान्द्र, जैनेन्द्र, शाकटायन, कानन्व, सारस्वत आदि कई अन्य शाखाएँ प्रचलित हुईं। इनमें से एकाध का क्रम पाणिनि के क्रम की अपेक्षा सरल और सुबोध है। पर इनसे से कोई भी पाणिनीय शाखा के आगे चल नहीं पाई। अन्य शाखाओं के वैयाकरणों में शब्दानुशासन के लेखक हेमचन्द्र और मुग्धबोध के कर्ता बोपदेव के नाम उल्लेखनीय हैं।

ऊपर, तुलनात्मक व्याकरण के आदिगुरु पाणिनि थे, यह कहा जा चुका है। पतञ्जलि के समय तक वैदिक भाषा के अध्ययन को थोड़ा बहुत महत्त्व मिलता रहा। उसके बाद प्रायः व्याकरणकारों ने अपना सारा ध्यान लौकिक भाषा पर ही लगाया और तुलनात्मक अध्ययन

स्थगित रहा। यह अध्ययन प्राकृत भाषा के वैजकरणों ने फिर से उठाया। इन्होंने संस्कृत को प्रकृति (आधार) मानकर विविध प्राकृतों का विवरण दिया है। इनमें सर्वप्रथम, प्राकृत प्रकाश के कर्ता वररुचि हैं। इनका वररुचिकात्यायन भी कहते हैं। कात्यायन वार्तिककार से निश्चय ही यह भिन्न है। प्राकृतप्रकाश में वारह परिच्छेद हैं। पहले नौ में संस्कृत को आधार मानकर महाराष्ट्री का विवरण है, दसवें में गौरसेनी के आधार पर पैशाची का, ग्यारहवें में शौरसेनी के ही आधार पर मागधी का और बारहवें में संस्कृत का आधार बताकर गौरसेनी का विवरण दे दिया गया है। शौरसेनी के भेदक लक्षणों को देकर अन्त में ग्रन्थकार ने कह दिया है कि बाकी महाराष्ट्री के समान समझना चाहिए।

प्राकृतप्रकाश की ही शैली पर अन्य प्राकृत व्याकरण बन्धु को बने। प्रायः सभी में प्रचलित प्राकृतों का तुलनात्मक विवरण दिया हुआ है। इनमें से हेमचन्द्र और मार्कण्डेय के ग्रन्थ विशेषरूप में उल्लेखनीय हैं। ऊपर कह चुके हैं कि हेमचन्द्र ने शब्दानुशासन नाम का संस्कृत का व्याकरण रचा। इसी को सिद्धहेमचन्द्र भी कहते हैं। इसके जाठवे अध्याय में प्राकृतव्याकरण है। इन्होंने महाराष्ट्री, शौरसेनी, मागधी, पैशाची, चूलिका-पैशाची और अपभ्रंश का बड़ा सुन्दर और विस्तृत वर्णन किया है। मार्कण्डेय ने अपने ग्रन्थ प्राकृतसर्वस्व में तीन वर्ग स्थापित किए, (१) भाषा, (२) विभाषा और (३) अपभ्रंश। पहले के अन्तर्गत महाराष्ट्री, शौरसेनी, प्राच्या, अवन्ती और मागधी, दूसरे में गाकारी, चाडाली, शाबरी, अभीरिका और टाक्की (ढक्की) तथा तीसरे में नागर, ब्राह्मण और उपनागर हैं। इनके अलावा पैशाची का वर्ग अलग माना है और उसके तीन भेद (केकय पैशाचिकी, गौरसेनपैशाचिकी तथा पाचालपैशाचिकी) बताए हैं।

इनके अतिरिक्त पालिभाषा में कच्चायन (कात्यायन) और मोगल्लान (मौद्गलायन) के बनाए हुए व्याकरण प्राचीन और प्रचलित हैं।

वैयाकरणों के अलावा साहित्य-शास्त्रियों तथा नैयायिकों ने भी अपने-अपने शास्त्रों का अव्ययन करते हुए शब्दशक्ति का विशेष विवेचन

किया है। शब्द की अभिधा, लक्षणा व्यजना (ध्वनि) तीन शक्तियों के विषय, प्रयोजन आदि का, तथा तात्पर्य, पदार्थ, वाक्यार्थ, अर्थस्फोट आदि का भी सुन्दर विवेचन 'वन्यालोक काव्यप्रकाश, रसगंगावर आदि ग्रन्थों में मिलता है। आधुनिक ग्रन्थों में जगदीश तर्कालकार का बनाया हुआ शब्दशक्तिप्रकाशिका नाम का ग्रन्थ महत्त्वपूर्ण है।

इस प्रकार भारतवर्ष में भाषाविज्ञान के प्रायः प्रत्येक अंग का विवेचन शास्त्रीय जेठरी से बड़ी लगन से किया गया था। आधुनिक भाषाविज्ञान के पंडितों को यह सामग्री सुकृभ नहीं है। वे इससे प्रायः अनभिज्ञ ही हैं। डा० सिद्धेश्वर वर्मा ने ध्वनिविज्ञान के विषय की पुगनी सामग्री का अन्वेषण और अध्ययन करके भारतीय विवेचन को विद्वद्गर्भ के सम्मुख रक्खा है। शेष सामग्री में से महाभाष्य आदि ग्रन्थों पर एकांगी विचार यूरोपीय सम्कृत-पंडितों ने किया है। पर भाषाविज्ञान के बुरधर प्रायः इस सामग्री से अनभिज्ञ ही हैं।

एशिया के अन्य देशों में भी भाषाविज्ञान का थोड़ा बहुत विवेचन हुआ है।

अरब देश में भाषा के अध्ययन की ओर ध्यान मुहम्मद साहब के आविर्भाव के बाद गया। इन लोगों ने कुरान शरीफ की भाषा का व्याकरण बनाया और इसी के आदर्श पर मुस्लिम देशों के यहूदियों ने इबानी (हिब्रू) का व्याकरण तैयार किया। धातु शब्द का द्योतक यूरोपीय रूट् शब्द हिब्रू व्याकरण से लिया गया है।

चीन-देश-वासियों ने भी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया था और शब्दकोष बनाए थे।

यूरोपीय खोज

यूरोप में भाषा-मवधी विवेचन भारत की अपेक्षा बहुत देर में शुरु हुआ। यूरोपीय सभ्यता का मूलस्रोत ग्रीस-देश रहा है। इस देश के रहने वाले अन्य देशवालों को बर्बर समझते थे और उनकी भाषा आदि संस्कृति के सभी अंगों की अवहेलना करते थे। अपनी भाषा की विवेचना करने

उनके लिए बेकार था क्योंकि वह प्रत्येक ग्रीक को जन्म से ही प्राप्त थी। भारत की तरह वहाँ कोई अपौरुषेय ग्रन्थ नहीं थे जिनका संरक्षण आवश्यक होता। ऐसी परिस्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि भाषा-तत्त्वों का अन्वेषण वहाँ देर से आरम्भ हुआ।

ग्रीक के प्रसिद्ध तत्त्ववेत्ता सुकरात (४६९-३९९ ई० पू०) को यह भान हुआ कि ध्वनि और विचार में समवाय सम्बन्ध नहीं है, उनका विचार था कि ऐसी भाषा की सृष्टि हो सकती है जिसमें ऐसा सम्बन्ध रहे। प्लैटो (४२९-३४७ ई० पू०) ने विचार और भाषा की एकता का अनुभव किया और विचार को भाषा का अन्तरग्रहण निर्धारित किया। उन्होंने ग्रीक भाषा की ध्वनियों का वर्गीकरण अघोष और अघोष में किया। प्रथम वर्ग के अन्तर्गत स्वर रखे और दूसरे में शेष ध्वनियाँ। दूसरे वर्ग के फिर दो भाग किए, पहले में अन्तस्थ वर्ण और दूसरे में व्यञ्जन। अरस्तू (३८५-३२२ ई० पू०) ने भाषा का विश्लेषण करके पदों में विभाजन किया। उत्तरकालीन ग्रीक व्याकरण-कारों ने व्यञ्जनों का विभाग तनु, मध्य और महाप्राण में किया है। यही अभी तक यूरोपीय विद्वान् इस्तेमाल करते हैं। अरस्तू द्वारा किए गए पद-विभाग को बादवाले ग्रीक विद्वानों ने जारी रखा। इस दिशा में स्टोइक वर्ग के दार्शनिकों ने विशेष काम किया। इन्हीं के रखे हुए नाम आज भी यूरोपीय व्याकरणों में किमी न किमी रूप से जारी हैं। ग्रीक भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण के बनानेवाले थैक्स (ई० पू० दूसरी सदी के) थे। इन्होंने कर्त्ता और क्रिया के परस्पर अन्वय पर तथा लिंग, वचन, विभक्ति, पुरुष, काल और वृत्ति पर प्रकाश डाला।

ग्रीस से जब सभ्यता और प्रभुता का केन्द्र रोम पहुँचा तो लैटिन और ग्रीक दोनों भाषाओं का अध्ययन होने लगा और ग्रीक व्याकरण के आधार पर लैटिन के भी व्याकरण बनने लगे। अवश्य ही तब इन दोनों की समानताओं और विषमताओं पर ध्यान गया होगा। ईसाई धर्म के विस्तार से यहूदी भाषा इब्रानी का भी अध्ययन होने लगा। अब तक यही परमेश्वर और स्वर्गलोक की भाषा समझी जाती थी और इसका

ज्ञान पाकर वार्षिक विद्वान् अपने को कृतकृत्य मानते थे । साम्राज्य में स्थित पटोम के देशों की अरबी, सीरी आदि माहिन्विक भाषाओं पर भी थोड़ा बहुत ध्यान गया । पर शीघ्र ही लैटिन के अध्ययन ने सारे यूरोप में महत्त्व प्राप्त कर लिया । वही धर्म और सभ्यता की मूल भाषा मानी जाने लगी और इसलिए उसका यूरोप पर एकछत्र राज्य हो गया । प्रायः १८ वीं ई० सदी के पहले तक सारे यूरोप के विद्यालयों में लैटिन ही पढ़ाई जाती थी । मातृ-भाषा को पढ़ाना बेकार था वह तो स्वयं आ ही जाती थी । उसका कोई विशेष महत्त्व भी न समझा जाता था । लैटिन व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर लेना ध्येय था और व्याकरण का प्रयोजन केवल शुद्ध लिखना और बोलना था । पढ़ानेवाले आचार्य हर देश के अलग-अलग थे । ये लैटिन पुस्तकों से पढ़ते-पढ़ाते थे । परिणाम-स्वरूप एक देश में पढ़ाई जानेवाली लैटिन दूसरे देश की लैटिन से बहुत भिन्न होने लगी । तत्कालीन जन-साधारण की बोलचाल की भाषाओं की अपेक्षा लैटिन में शब्दों के रूपों का बाहुल्य था । यदि तत्कालीन भाषा को देखना हुआ तो लैटिन के चरम से देखा गया । विभिन्न देशों की लैटिन भाषा के उच्चारण में परस्पर बहुत विषमता दिखाई पड़ने लगी । भारत में आज बंगाली संस्कृतज्ञ का उच्चारण वगैरा भाषा के उच्चारण से प्रभावित होकर अन्य प्रातवालों को अटपटा और अस्पष्ट जान पड़ता है । पर लैटिन का यह अटपटापन इसमें कई गुना अधिक था ।

अठारहवीं सदी के पूर्व यूरोपीय भाषाओं पर जो भी काम हुआ उस पर लैटिन के अध्ययन का प्रभाव बहुत स्पष्ट है । उच्चरित भाषा की अपेक्षा लिखित भाषा की प्रधानता, रूप विभिन्नता के अभाव में भी उसके अस्तित्व की खोज, कोष-ग्रंथों में व्युत्पत्ति आदि के लिए लैटिन शब्दों का अस्थान महारा लेना, व्याकरण में लैटिन के नियमों के सदृश नियम खोजना आदि उसी प्रभाव के साक्षी हैं । लोग नवीन संस्कृति (renaissance) से जहाँ अन्य बातों में उन्नति की ओर अग्रसर हुए, वहाँ भाषाओं के अध्ययन में भी दृष्टि विस्तृत हुई और लैटिन के अलावा ग्रीक फिर से पढ़ी जाने लगी तथा इब्रानी और अरबी की ओर भी ध्यान

गया। अमरीका आदि की खोज हो जाने पर वहाँ के मूल निवासियों की शब्दावली इकट्ठी की जाने लगी और पादरियों ने इनके व्याकरण और कोष भी तैयार किए। स्पेनी पादरियों ने १६ वीं सदी में ही यह काम शुरू कर दिया था।

भाषाविज्ञान की नींव

अठारहवीं सदी में कई यूरोपीय विद्वानों का ध्यान भाषा के उद्गम की ओर गया। प्रसिद्ध दार्शनिक रूसो ने यह मत पेश किया कि आदिम मनुष्यों ने भाषा, एक स्थान पर बैठ कर समझौते से बनाई। कोडिकल ने यह विचार रक्खा कि आदिम मनुष्यों पुरुषों और स्त्रियों के महत्व और भावातिरेक में निकले हुए शब्दों के स्तम्भ पर भाषा स्वाभाविक रूप से खड़ी हो गई। पर इस प्रश्न पर इस सदी में सर्वोत्तम गवेषणा हर्डर ने की। बर्लिन अकादमी के लिए उन्होंने एक निबन्ध लिखा जिसमें भाषा के ईश्वरप्रदत्त होने का खंडन किया। उन्होंने कहा कि मनुष्य ने भाषा जानबूझकर नहीं बनाई, वह उसकी प्रकृति से ही निकल पड़ी उसी प्रकार जैसे गर्भ से बच्चा। इसी सदी के अन्त में जेनिश ने 'आदर्श-भाषा' के विषय पर निबन्ध लिखा जिसमें उन्होंने ऐसी भाषा के लक्षणों का विवेचन किया और उनके अनुसार लैटिन, ग्रीक तथा कई यूरोपीय भाषाओं की तुलनात्मक जाँच की। इस सदी में हर्डर और जेनिश ने अपने विवेचन में भाषाविज्ञान की नींव रखी। इस सदी के अन्त में दृष्टि कितनी विस्तृत हो गई थी इसका अन्दाज इस बात से हो सकता है कि पी० एस्० पल्लस (१७४१-१८११) ने रूस की महारानी कैथरीन की आज्ञा पाकर एक शब्दावली ऐसी तैयार की जिसमें यूरोप और एशिया दोनों की भाषाओं के २८५ शब्द तुलना-स्वरूप दिए गए थे। पाँच साल बाद १७९१ में इसका दूसरा संस्करण निकला जिसमें अस्मी और भाषाओं को समावेश मिल गया।

उन्नीसवीं सदी को भाषाविज्ञान की सदी कह सकते हैं क्योंकि इसी में इसका पूर्ण विकास हुआ। नई-नई भाषाओं का अध्ययन शुरू

हुआ। लैटिन, ग्रीक आदि भाषाओं की भी विवेचना पूर्ववर्ती सदियों की अपेक्षा अधिक गहराई से होने लगी। तुलनात्मक अध्ययन को प्रश्रय मिला। सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि किमी च्वनि या रूप के केवल भिन्न रूपों से ही मतोष न हुआ उनका परस्पर इतिहासिक सम्बन्ध अर्थात् विकास बूझा जाने लगा। भाषा प्रवाहस्वरूप समझी गई।

भाषाविज्ञान के बनने में सबसे अधिक प्रभाव संस्कृत के अध्ययन से हुआ। अठारहवीं सदी के अन्त में कलकत्ता की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करने हुए, सर विलियम जोस (१७४६-१७०६) ने संस्कृत का महत्त्व बतलाया था और घोषणा की थी कि गठन में यह लैटिन और ग्रीक दोनों के बहुत निकट है और इन तीनों भाषाओं का कोई एक स्रोत है, तथा प्राचीन फारसी, केल्टी और गाथी भी इसीसे सम्बद्ध है। इस घोषणा के पूर्व ही (१७६७ में) फ्रेंच पादरी कोर्डों ने संस्कृत की ओर अपने देश के विद्वानों का ध्यान खींचा था और संस्कृत और लैटिन की समानता दिखाई थी, पर उनका लेख सर विलियम जोस की घोषणा के बाद प्रकाशित हुआ और जो श्रेय कोर्डों को मिलना चाहिए था वह जोस महोदय को मिला। शुरू के यूरोपीय संस्कृत विद्वानों में कोलबुक का नाम उल्लेखनीय है।

प्राचीन युग

प्रसिद्ध जर्मन विद्वान फ्रीडरिख श्लेगेल (१७७२-१८२९) ने १८०८ में भारतीय भाषा और ज्ञान के विषय पर एक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित किया। इन्होंने चार-पाँच माल तक पेरिस में हैमिल्टन नाम के एक अँगरेज सिपाही से संस्कृत पढ़ी थी और संस्कृत भाषा और वाङ्मय के प्रबल समर्थक हो गए थे। प्रथम बार इन्होंने तुलनात्मक व्याकरण का नाम लिया और कुछ ध्वनिनियमों की ओर भी संकेत किया। इन्होंने भाषा को भी दो वर्गों में विभाजित किया, (१) संस्कृत तथा सगोत्र भाषाएँ, (२) अन्य-भाषाएँ। उद्गम के बारे में श्लेगेल का मत था कि भाषा की उत्पत्ति भिन्न-भिन्न आधारों पर हुई होगी। उदाहरणार्थ

माँचू भाषा में अनुरणनात्मक शब्दों का बाहुल्य है जिसमें पशु-पक्षी आदि जन्तुओं का प्रभाव स्पष्ट है, पर संस्कृत में ऐसी कोई बात नहीं है। फीडरिग्व् ग्लेगेल के भाई अडोल्फ इलेगेल (१७६७-१८४५) भी अपने भाई फीडरिग्व् की तरह ही संस्कृत के अच्छे विद्वान् और समर्थक थे। इन्होंने श्लिष्ट भाषाओं को दो वर्गों, संयोगात्मक और वियोगात्मक, में बाँटा।

उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में ही, भाषाविज्ञान के संस्थापक, बॉप, ग्रिम और रैस्क के नाम आते हैं। वातुप्रक्रिया पर बॉप की पुस्तक १८१६ में, रैस्क की १८१८ में और ग्रिम का व्याकरण १८१९ में प्रकाशित हुआ। इनमें से बॉप का काम स्वतन्त्र था, पर ग्रिम पर रैस्क का बहुत प्रभाव पड़ा था।

रैज्मम रैस्क (१७८७-१८३२) लडकपन से ही वैयाकरण प्रसिद्ध हो गए थे। इन्होंने आइसलैण्ड की भाषा का गाम्त्रीय ढंग से अध्ययन किया और प्राचीन नॉर्म भाषा की उत्पत्ति पर महत्वपूर्ण ग्रन्थ बनाया। इनके मन के अनुसार ग्रन्थों के अभाव में किसी जाति या राष्ट्र का इतिहास उसकी भाषा से जाना जा सकता है, धर्म, कला आदि तो कालचक्र से बहुत बदल जाते हैं पर भाषा अपेक्षा-दृष्टि से स्थिर रहती है, भाषा के अध्ययन के लिए शब्दावली से ज्यादा व्याकरण पर ध्यान देना चाहिए। इन्होंने फीनी-उग्री भाषाओं का बड़ा अच्छा वर्गीकरण किया। यह भारत भी आए थे और सर्वप्रथम जेन्द (अवेस्ती) को आर्य-परिवार में उचित स्थान और महत्त्व दिला सके थे।

यकोब् ग्रिम (१७८५-१८६३) वकील के पुत्र थे और इन्होंने पहले कानून पढ़ा। भाषा का अध्ययन इनके जीवन में बाद को आया। अभी तक प्राचीन भाषाओं को महत्वपूर्ण माना जाता था। इन्होंने प्रतिपादित किया कि छोटी-से-छोटी भाषा भी विज्ञान की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और जिम लगन और अध्यवसाय से इजील की भाषा इब्रानी तथा लैटिन और ग्रीक का अध्ययन होता है उसी से वर्तमान भाषाओं और बोलियों को भी पढ़ना-पढ़ाना शुरू करना चाहिए। इनका बनाया

जर्मन भाषा का व्याकरण (देवभाषा व्याकरण) १८१९ में प्रकाशित हुआ। रैस्क के १८१८ के प्रकाशित ग्रन्थ की इन्होंने बड़ी प्रशंसा की और १८२२ में अपने व्याकरण का परिवर्द्धित दूसरा संस्करण प्रकाशित किया। इसी में ग्रिमनियम का वर्णन है जिसका विवरण जर्मनी भाषाओं के विचार के अन्तर्गत है। ग्रिम ने स्वर-क्रम आदि के लिए पारिभाषिक शब्द गढ़े जो आज भी प्रचलित हैं। जीवन के उत्तरकाल में ग्रिम महोदय बर्लिन में प्रोफेसर हो गए और भाषाविज्ञान के अव्ययन-अध्यापन में लगे रहे।

फ्रान्त्स बाँप ने (१७०१-१८६७) पेरिस जाकर पूर्वी भाषाओं का अध्ययन किया और संस्कृत को विशेष व्यय बनाया। १८१६ में धातु-प्रक्रिया पर इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई और इसी से भाषा के तुलनात्मक अध्ययन की नींव दृढ़ हुई। इस किताब में संस्कृत के रूपों की ग्रीक, लैटिन, ईरानी, जर्मनी के रूपों से तुलना है। १८२२ में यह बर्लिन अकेडमी के प्रोफेसर नियुक्त हुए। १८३३ में इनका दूसरा ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। इसमें संस्कृत, जेन्द, आर्मीनी, ग्रीक, लैटिन, लिथुएनी, प्राचीन स्लावी, गॉथी और जर्मन भाषाओं का सम्पूर्ण तुलनात्मक व्याकरण था। बाँप ने निश्चयपूर्वक यह बात कही कि इन भाषाओं के विभिन्न रूपों से किन्हीं आदिम रूपों का अस्तित्व सिद्ध होता है। बाँप के पूर्व भी हार्नीटुके आदि विद्वानों ने इस बात की ओर निर्देश किया था कि पर-प्रत्यय किसी समय स्वतन्त्र सार्थक शब्द रहे होंगे, पर बाँप ने इस पर अधिक बल दिया। प्रारम्भ में बाँप का विचार था कि संस्कृत में, पच्छिमी भाषाओं के एँ ओँ के स्थान पर, केवल अकार की स्थिति भारतीय लिपि की अपूर्णता के कारण है, परन्तु बाद में ग्रिम के प्रभाव के कारण इन्होंने अ , इ , उ को ही मूल स्वर माना। यह भ्रम १८८० में तालव्य नियम के स्थापित होने पर दूर हुआ। बाँप ने आर्य धातुओं की सामी धातुओं से विभिन्नता प्रदर्शित की। बाँप के पूर्व ही रैस्क आदि विद्वानों ने पुरुषवाचक प्रत्ययों (ति, -सि, -मि आदि) की सर्वनामों से तद्रूपता बताई थी, बाँप ने इसको सर्वत्र व्यापक किया।

इन्होंने भाषा के तीन वर्ग किए, (१) धातु आदि व्याकरण-नियम रहित, यथा चीनी, (२) एकाक्षर धातुवाली यथा जाय और (३) द्वयक्षर धातुवाली यथा मामी। बाँप का विवेचन बहुत-सी भाषाओं पर विस्तृत था, उममे गहराई और सूक्ष्मता की कमी झलकती है।

विल्हेल्म फॉन हम्बोल्ट (१७६७-१८३५) मुख्य रूप से भाषा-विज्ञानी न थे, यह थे राजनीतिक कार्यकर्ता। पर इन्होंने भाषानतत्वों की भी यथेष्ट विवेचना की है। सामान्य भाषाविज्ञान पर सबसे पहले इन्होंने महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा। इनकी दृष्टि पैनी थी और वस्तु की तह तक पहुँचने की इनकी आदत मी थी। इनका कोई विशेष उल्लेख के योग्य काम है, तो जावा की कविभाषा पर। पर भाषा की विवेचना के सम्बन्ध के इनके विचार बड़े सारगर्भित हैं। इन्होंने इस पर बल दिया कि भाषा प्रवाहस्वरूप है, उसका लक्षण पूर्ववर्ती और परवर्ती अवस्था के संबध से ही दिया जा सकता है। हम्बोल्ट का मत है कि प्रत्येक भाषा का स्वयं एक व्यक्तित्व है, सामान्य से सामान्य बोली का भी। भाषा स जाति के मनोभाव प्रकट होते हैं। भाषाओं के वर्गीकरण में इन्होंने अग्लिष्ट और श्लिष्ट का भेद निश्चय किया। इनका विचार है कि मसार की भाषाओं की परस्पर विभिन्नता इतनी ज्यादा है कि कोई सतोषप्रद आकृतिमूलक वर्गीकरण पर पाना असंभव है।

बाँप और ग्रिम के देहान्त के पूर्व, १८५५ के करीब, भाषाविज्ञान की काफी मामग्री इकट्ठी हो गई थी। आर्य परिवार का अस्तित्व अलग निश्चित हो गया था। इस विज्ञान का अध्ययन अभी तक यूरोप भर में विभिन्न राष्ट्रों और जातियों की संस्कृति और साहित्य के अध्ययन के साथ साथ गौण रूप में होता था। अब उसने स्वतंत्र सत्ता प्राप्त कर ली। इसमें इतिहासिक और तुलनात्मक विवेचन ने विशेष मदद पहुँचाई। उत्साही विद्वान इस नवीन विज्ञान को पदार्थविज्ञान आदि भौतिक विज्ञानों का समकक्ष साबित करने लगे। अब तक के अध्ययन में (१) संस्कृत भाषा का विशेष महत्त्व, (२) भाषाओं की तुलना करते समय सामान्य लक्षणों पर बल, (३) प्रायः सर्वांश में गई-गुजरी

भाषाओं पर अपेक्षाकृत अधिक जोर और समकालीन जीवित भाषाओं की उपेक्षा, (४) लिपिबद्ध भाषाओं के एकान्त अव्ययन से वाणी के स्वाभाविक स्वरूप की अवहेलना, (५) जीवित भाषाओं के थोड़े बहुत विवेचन में पुगने लक्षणों की ही खोज, यही मुख्य बातें थीं।

पाँट (१८०२-८०) नाम के प्रसिद्ध निरुक्तिकार तथा अन्य विद्वान् ग्रिम और वॉप की परिपाटी पर चलकर पुरानी लकीर पीटते रहे।

ग्रिम के समकालीन रैप ने भाषा के शरीर (व्यंजन) पर १८३६-४१ में कई ग्रंथ प्रकाशित किए। इनमें जहाँ ग्रिम के अन्य कार्य की प्रशंसा थी वहाँ साथ ही साथ व्यंजन के विवेचन के बारे में ग्रिम के काम की तीव्र आलोचना थी। इस आलोचना के कारण ही रैप के ग्रंथों का उचित स्वागत न हो सका पर इतना मानना आवश्यक है कि रैप ने व्यंजन और लेख का परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया। वॉप और ग्रिम ने भाषा की परिवर्तनशीलता (विकास) पर विन्कुल ध्यान न दिया था। ब्रेड्सडोर्फ ने १८२१ में एक ग्रंथ प्रकाशित कर इसकी ओर विद्वानों का ध्यान रीखा। रैप और ब्रेड्सडोर्फ दोनों ने भाषाविज्ञान में नवीनता और ताजगी उपस्थित कर दी।

आगुस्ट श्लाइखर (१८२१-६८) भाषाविज्ञान के प्राचीन और नवीन युग के सन्धिकाल के प्रतिनिधि हैं। यह अपने को भाषा-विज्ञानी ही घोषित करते थे। इस प्रकार संस्कृत के अव्ययन से इन्होंने सबकुछ तोड़ा। लियुएनी, रूसी आदि कुछ भाषाओं पर महत्त्वपूर्ण विवेचन करके इन्होंने भाषाविज्ञान के मूल सिद्धांत निर्धारित करने में समय लगाया। इस विज्ञान के अलावा, दर्शन और वनस्पतिविज्ञान में भी इनकी अच्छी गति थी। इनके भाषाविज्ञान के विवेचन में हेगेल के दर्शन का और वनस्पतिशास्त्र की परिभाषाओं का पुट बहुत जगह मिलता है। श्लाइखर का मत है कि मनुष्य-जाति का वर्गीकरण खोपड़ी की गोलाई, लम्बाई आदि के आधार पर न करके, भाषा की विभिन्नता पर करना चाहिए क्योंकि भाषा अधिक स्थिर चीज है। इन्होंने भाषाओं का वर्गीकरण अयोगात्मक, अश्लिष्ट योगात्मक और श्लिष्ट

योगात्मक निर्धारित किया। मैक्समूलर और ह्विटनी ने इसको सर्वथा मान लिया। ग्लाइवर का सबसे महत्वपूर्ण कार्य आदिम आर्य भाषा का पुनर्निर्माण है। इसका उल्लेख आर्य परिवार की भाषाओं के विवेचन में मिलेगा। इसके ध्वनिमूह, पद, वाक्य आदि सभी कुछ सिद्ध किए गए। इन्होंने इस अनुमानसिद्ध भाषा में एक कहानी भी लिख कर प्रकाशित की। अनुमान की भित्ति पर कोई भाषा खड़ी करना असंभव ही नहीं व्यर्थ का प्रयास है, क्योंकि भाषा के विकास की जटिलता इसके विरुद्ध पडती है। इसी कारण ग्लाइवर की आदिम भाषा को उत्तरकालीन भाषा-विज्ञानियों ने आगे नहीं बढ़ाया।

गेओर्ग कुर्टिउस् (१८०७-८५) ग्लाइवर के समकालीन थे और उन्हीं की तरह प्राचीन और नवीन युग के सन्धिकाल के। मौभाग्यवश ग्लाइवर का देहान्त उस समय हो गया जब वह प्रसिद्धि और कीर्ति के उच्च शिखर पर थे, कुर्टिउस अपने दुर्भाग्य से कुछ माल और जीवित रहे और उन्हें प्राचीन युग के विद्वानों की तीव्र आलोचना देखनी और सहनी पड़ी। ग्लाइवर की तरह कुर्टिउस भी ध्वनि-नियमों के पालन के पक्षपाती थे पर नवीन युग के इस कथन का कि ध्वनि-नियम का कोई अपवाद नहीं हो सकता, इन्होंने प्रतिवाद किया। पदरचना में सादृश्य का भी वह उतना महत्व न समझते थे जितना नवयुगवाले। इसी काल में भिन्न-भिन्न भाषाओं पर अलग-अलग महत्वपूर्ण ग्रन्थ निकले। इनमें कुर्टिउस की ग्रीक भाषा पर वेस्टरगार्ड व बेनफर्ड की संस्कृत पर, मिक्लोसिख व ग्लाइवर की स्लावी पर, तथा जेउस की केल्टी पर, ये कृतियाँ विशेष उल्लेख के योग्य हैं। मैडविग लैटिन और ग्रीक के ज्ञान के साथ-साथ, भाषाविज्ञान के मूलतत्त्वों पर विवेचन के लिए प्रसिद्ध हुए।

इस समय तक भाषाविज्ञानी भिन्न-भिन्न भाषाओं की छान-बीन कर-कर ही मूल तत्त्वों के निर्माण में व्यस्त थे, किसी को इतनी फुर्तत न थी कि इन तत्त्वों को जनता के सामने पेश करे और दिखाए कि ये लोग गहरे सागर से नये मोती निकाल कर लाए हैं।

इस काम की ओर मैक्समूलर (१८२३-१९००) अप्रसर हुए। इन्होंने १८६१ में भाषाविज्ञान पर व्याख्यान दिए। य शीघ्र ही पुस्तकाकार प्रकाशित हुए और शैली की राचकता और प्रसादगुण के कारण बड़े लोकप्रिय साबित हुए। पढी-लिखी जनता का ध्यान इस विज्ञान की ओर जितना मैक्समूलर न खींचा उतना ओर किसी न नहीं। इस पुस्तक का अच्छा प्रचार हुआ। नया सम्करण १८९० में प्रकाशित हुआ। इसमें ग्रन्थकार ने पिछले तीस वर्षों में किए गए अनुसन्धानों का उल्लेख भूमिका में किया है, और अधिकांश में नवीन-युग के सिद्धान्तों को मान-सा लिया है। मैक्समूलर ने भाषाविज्ञान को विज्ञान सिद्ध किया पर वह इसे भूतविज्ञान आदि के समक्ष न ठहरा सके। तुलनात्मक व्याकरण से भी इसका भेद विशद रूप से उन्होंने दिखाया। भाषा का उद्गम, वर्गीकरण, विकास, विकास का कारण इत्यादि विषयों पर भी तब तक किए गए काम को मग्नहीत कर इन्होंने जनता के सामने उपस्थित किया। मैक्समूलर प्रधान रूप से साहित्यिक ही थे और प्राच्य विद्याओं के उत्साही समर्थक। इनका ऋग्वेद का संस्करण और प्राच्य प्राचीन ग्रंथों का पचास जिल्दों में अंगरेजी में अनुवाद, दोनों इनकी अमर कृति हैं। भाषाविज्ञानी यह गौण रूप से थे। इसी कारण भाषा-विज्ञान-व्याख्यान-माला में यह अन्य साहित्यिकों की तरह थोड़ा-बहुत बहक गए हैं।

द्विटनी (१८२७-९४) प्रधान रूप से वैयाकरण थे और संस्कृत भाषा के विशेषज्ञ। यह मैक्समूलर के प्रतिद्वन्द्वी समझे जाते हैं। जितनी स्याति मैक्समूलर को मिली, विशेषकर भारतवर्ष में, उतनी द्विटनी को नहीं। इसका द्विटनी को आजन्म खेद रहा। इन्होंने मैक्समूलर के काल्पनिक विचारों की कड़ी आलोचना की। मैक्समूलर ने अन्य साहित्यिकों की भाँति रोचक दृष्टांत उपस्थित कर पढी-लिखी जनता को मुग्ध कर लिया था। उन्हीं दृष्टांतों की दुर्गत द्विटनी ने अपने ग्रंथों में की। “भाषा और भाषा का अध्ययन” इस विषय का इनका ग्रंथ १८६७ में प्रकाशित हुआ और “भाषा का जीवन और विकास” १८७५

में। मैक्समूलर के ग्रथ की अपेक्षा ये दोनों भाषाविज्ञान के तत्त्वों का अधिक सुन्दर और गूढ़ विवेचन करते हैं, पर दोनों की शैली मैक्समूलर की शैली से कम रोचक है। ह्विटनी का संस्कृत-व्याकरण भी अपने ढंग का निराला है।

नवीन युग

कुछ बातों में नवयुग के पथप्रदर्शक स्टाइनथाल (१८२५-१९९) थे। इनका प्रथम ग्रथ १८५५ में प्रकाशित हुआ। इसमें व्याकरण, तर्कशास्त्र और मनोविज्ञान के परस्पर प्रभाव की सुन्दर विवेचना थी। पर इस समय श्लाइखर का भाषाविज्ञान के क्षेत्र में बोलवाला था। उन्होंने इस प्रकार के ग्रथों को नौसिखिए वैयाकरणों के ग्रथ कह कर उनकी खिल्ली उड़ाई। स्टाइनथाल ने सुदूर-पूर्व देश की चीनी आदि तथा नीग्रो आदि भाषाओं पर काम किया था, और निकटवर्ती आर्य-परिवार की भाषाओं का विवेचन पिष्टपेषण समझकर छोड़ दिया था। इस कारण भी यह प्रसिद्धि न पा सके। पर भाषा का अध्ययन मनोविज्ञान के सपर्क और सहायता से करना चाहिए, इस दृष्टि को सामने रखने से इनका काम महत्त्वपूर्ण है। आस्कौली ने केन्टुम् और सतम् भाषाओं का भेद स्पष्ट रूप से उपस्थित किया।

प्राय १८७० के करीब भाषाविज्ञान ने ऐसी महत्ता प्राप्त कर ली थी कि मैक्समूलर, ह्विटनी आदि मनीषी उस पर गर्व कर रहे थे। उनका गर्व उचित भी था। इस विज्ञान के मूल सिद्धांतों के अलावा तुलनात्मक व्याकरण के सहारे आदिम आर्य-भाषा का ढाँचा खटा हो गया था, अनुमानसिद्ध ही नहीं। और ग्रीक, लैटिन, संस्कृत आदि के प्राय ९० फीसदी शब्दों की व्युत्पत्ति निश्चित हो चुकी थी।

१८८० में तालव्य-ध्वनि-नियम ढूँड लिया गया जिसके सहारे आदिम आर्यभाषा के तृतीय श्रेणी के कवर्ग की ध्वनियों का संस्कृत में कही तो कवर्ग, पर अन्यत्र चवर्ग, यह द्विधा विकास समझ में आ

गया। इसलिए आदिम तीन मूल स्वर (अँ, एँ, ओँ) निश्चित हुए। यह उम धारणा के विरुद्ध हुआ। जिससे संस्कृत मर्वाशि में आदिम भाषा के सन्निकट समझी जाती थी। इम नई खोज के कारण स्वरक्रम के निष्कर्षों में भी संशोधन करना पड़ा। और यह निश्चय भी कि वातु का मूल रूप ही मौलिक है और गुण वृद्धि वाले रूप उत्तरकालीन, बदलना पड़ा। आदिम आय-भाषा की धातु एकाक्षर थी यह विचार भी बदला। इसी समय वर्नर ने ग्रिम-नियम के अपवादों का सूर के प्रभाव के द्वारा समाधान किया।

अब तक जिन युवकों का मजाक नौसिखिया कहकर उड़ाया जाता था और जो यह प्रतिपादन करते थे कि व्वनि-नियमों में अपवाद असंभव है क्योंकि ये अपवाद स्वयं किन्हीं अवान्तर नियमों के अनुकूल हैं उनकी बात आदर से सुनी जाने लगी। इनमें ब्रुगमन्, डेलब्रुक, ऑस्टोफ और हर्मन पाउल प्रमुख हैं। इन युवकों ने कुछ नई बातों पर बल दिया और पुरानी पीढ़ी के अन्वेषकों के कुछ उन कार्यों की उपेक्षा की जिनको वे भाषाविज्ञान की जड़ समझते थे। यहाँ पर इन बातों पर विचार कर लेना जरूरी है।

पुरानी पीढ़ीवाले व्याकरण के नियमों पर बहुत बल देते थे और शब्दों की व्युत्पत्ति बताते हुए अपवादों को असंगत न मानते थे। वे भाषा में शब्द का अस्तित्व प्रमुख मानते थे। इन नए विद्वानों ने यह दृष्टिकोण बदल दिया। इन्होंने सिद्ध किया कि भाषा के शब्दों को, बोलनेवाला मसग से सीखता है और व्याकरणकार की तरह उमके सामने धातु और प्रत्यय नहीं रहते। वह पूर्व सीखे हुए शब्दों के आधार पर नए शब्दों का प्रयोग करता चलता है और निरन्तर उनको सादृश्य से ढालता रहता है। यदि कहीं विसदृश रूप मिले तो वे अपवाद नहीं हैं, गलत भी नहीं हैं। वे भी शुद्ध रूप हैं, केवल खोजना यह है कि वे कितने अन्य पूर्व-स्मृत रूपों के वजन पर ढले और इनके सदृश न ढल कर उनके सदृश क्यों ढले। क्रिया की जगह करा या डालना की जगह पडवाना गलत नहीं है, भाषा के विकास की दृष्टि से ये रूप भी ठीक हैं।

इस प्रकार सादृश्य का महत्त्व पदरचना में अद्वितीय समझा जाने लगा।

इन्हीं नए विद्वानों ने भाषा के दो अंगों को अलग-अलग मानने की परिपाटी चलाई, ध्वनिजात बहिरंग और अर्थ अन्तरंग। ध्वनि-विकास को ऑस्टोफ ने शरीर-विज्ञान के अन्तर्गत माना और पद-विकास को मनोविज्ञान के। यद्यपि यह विचार गलत साबित हुआ तब भी दोनों के विकास के अन्तर पर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट हुआ। अर्थविज्ञान पर ब्रील का महत्त्वपूर्ण ग्रंथ पेरिस में १८८२ में प्रकाशित हुआ।

इन्हीं विद्वानों ने भाषा के बोले हुए रूप का महत्त्व दिखाया और यह सिद्ध किया कि व्याकरणों और कोषों में केवल भाषा की विडम्बना मिलती है। इसी कारण बोलचाल की भाषाओं के अध्ययन पर विशेष बल दिया जाने लगा। बोलचाल की भाषा का स्वयं अध्ययन करने-वालों में अंगरेज विद्वान हेनरी स्वीट का नाम उल्लेखनीय है।

नई पीढ़ी के विद्वानों ने भाषा के उद्गम और वर्गीकरण को विज्ञान में बहुत गौण स्थान दिया। पहले को उन्होंने हल करना असंभव समझा। पेरिस की भाषाविज्ञान-परिषद् जो आज भी इस विज्ञान की विवेचना के लिए अद्वितीय महत्त्व रखती है, उसने भाषा के उद्गम और सर्वजन-भाषा की सृष्टि इन दो प्रश्नों के विवेचन का अपने नियमों द्वारा ही प्रतिषेध कर दिया। भाषा के वर्गीकरण को भी इन विद्वानों ने कृपादृष्टि से न देखा। इन्होंने बोलियों के मिश्रण की ओर ध्यान खींचा और दिखाया कि पदरचना अथवा ध्वनि-नियम के बहुत से अपवाद, बोलियों और भाषाओं के शब्दों के परम्पर आदान-प्रदान से सम्भक्त हो आ सकते हैं। इन्हीं विद्वानों ने वाक्य-विज्ञान शाखा के अध्ययन पर भी बल दिया। यह शाखा अभी तक प्रायः अछूती ही पड़ी थी। हर्मन ब्रुगमन और डेलब्रुक दोनों इस दिशा में अग्रसर हुए। पाउल ने सामान्य भाषाविज्ञान के सिद्धान्तों की अद्वितीय गवेषणा की और उस पर सुन्दर ग्रंथ लिखे। ब्रुगमन ने आर्य-परिवार की भाषाओं

की पदरचना कर कई जिल्दों में अपना ग्रंथ प्रकाशित किया जो अब भी श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। इन्हीं दिनों भाषा की परिवर्तन-शीलता पर विशेष रूप में ध्यान दिया गया और उसके कारण निर्धारित किए जाने लगे।

वर्तमान प्रवृत्तियाँ

जर्मनी के नवयुवक व्याकरण-पंडितों का बोलबाला प्रायः १८८० से आरम्भ होकर बीसवीं सदी के पहले बीस साल तक रहा। धीरे-धीरे उनका प्रभाव शिथिल पड़ने लगा। इधर पिछले पच्चीस-तीस साल में अमरीका, प्रगान्न महासागर के द्वीपों और अफ्रीका आदि की असाहित्यिक भाषाओं का विशेष अध्ययन किया गया है और फल-स्वरूप भाषा के उद्गम, वर्गीकरण इत्यादि प्रश्नों पर भी जिनको नवयुवक व्याकरण-पंडितों ने अलग रख दिया था विचार किया जाने लगा है। आर्य परिवार की भिन्न-भिन्न भाषाओं पर स्वतंत्र ग्रंथ, तथा अन्य परिवारों की भाषाओं पर भी नए ग्रंथ तैयार हुए हैं। बच्चे की भाषा के विकास को ध्यानपूर्वक देखा जा रहा है और उसके सहारे भाषा के विकास पर प्रकाश पड़ रहा है। मनोविज्ञान के प्रभाव की महत्ता सर्वथा स्वीकार कर ली गई है और अर्थविक्रम को उसी की मदद में समझा जा रहा है। ज्ञानतन्तुओं को उच्चारण के अवयवों का प्रेरक मान कर शरीरविज्ञान के अध्ययन की सामग्री लेकर ध्वनि-विज्ञान पर इधर पच्चीस-तीस साल के भीतर बहुत अच्छा काम किया जा सका है। इस विषय में प्रयोगात्मक ध्वनि-विज्ञान की सफलता विशेष रूप से उल्लेखनीय है। शरीरविज्ञान के मनीषियों में लेकर रोज़ापेल्ली ने १८७६ में ही कायमोग्राफ का ध्वनिविज्ञान में प्रयोग गुरु कर दिया था और दन्तचिकित्सकों में लेकर ओकले कोट्स ने कृत्रिम तालु का प्रयोग १८७१ में। कायमोग्राफ से ध्वनियों के घोपत्व, स्फोटकत्व, स्पर्गसघर्षित्व, सघर्षित्व तथा अनुनासिकत्व का यथातथ्य ज्ञान हो जाता है। कृत्रिम तालु में स्पर्श कहाँ हुआ इसका बिल्कुल

सही ज्ञान प्राप्त होता है। कायमोग्राफ द्वारा अंकित ध्वनियों को मूधम-दर्शक यन्त्र की मदद से देखने से सुर का भी ज्ञान मिल जाता है।*

भाषाविज्ञान के अध्ययन का केन्द्र सौ डेढ़ सौ साल तक जर्मनी था। तत्पश्चात् वह केन्द्र पेरिस पहुँच गया, यद्यपि जर्मनी के वूड्ट, हिर्त, लेस्कीन आदि विद्वानों का काम पेरिस में किए गए ब्रील, मेइए, वान्द्रियाज़, दउज़ा आदि के काम से किमी हालत में नीचे दर्जे का नहीं है। अमरीका के कार्यकर्ताओं में ब्लूमफील्ड, सैपीर तथा स्तुर्तवो और पाइक के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। ध्वनिविज्ञान के विद्वानों में प्रसिद्ध जर्मन प्रोफेसर स्किप्चर और अंगरेज डेनियल जोस प्रमुख हैं। सामान्य भाषाविज्ञान तथा इंग्लिश भाषा पर विशेष रूप से काम करने वाले डेनिंग प्रोफेसर ऑटो जेस्पर्सन हैं। इन सभी विद्वानों ने बहुत से विद्यार्थियों को शिक्षा दी। देश-विदेश के विद्यार्थी इनकी 'उपामना' कर स्वदेश लौटे और अपनी-अपनी भाषाओं के अध्ययन में जुटे हुए हैं।

इन नवीन प्रवृत्तियों के अनिरीकित भाषाविज्ञान की कई नवीन शाखाएँ इधर हाल में विकसित हुई हैं। इनमें से प्रमुख हैं—सुरविज्ञान (Tonetics) भाषा का दार्शनिक स्वरूप-विवेचन (Metalinguistics) वोलियों का वैज्ञानिक अध्ययन (Dialectology) वोलियों का भौगोलिक वर्गीकरण (Linguistic Geography) तथा भाषा के मौखिक रूप को लिखित रूप में परिवर्तित करने का विज्ञान (phonemics)। इन सभी विशेष शाखाओं पर कार्य अधिकतर अमेरिका में हुआ है। मेटालिग्विस्टिक्स को छोड़कर शेष सब को वर्णनात्मक भाषाविज्ञान (Descriptive Linguistics) कह कर भी पुकारा जाता है। सुरविज्ञान के अंतर्गत विभिन्न भाषाओं के सुर का महत्त्व प्रतिपादित किया गया है।

*इस सबके विशेष विवरण के लिए इन पक्तियों के लेखक का 'हिन्दुस्तानी' (प्रयाग) १९३१ की जितद में 'ध्वनिविज्ञान में प्रयोग' शीर्षक लेख देखा जाय। उसमें कायमोग्राफ और कृत्रिम तालु के चित्र और उनके प्रयोगों के भी चित्र दिए गए हैं।

भाषा के मौखिक प्रयोग में सुर का व्यवहार अफ्रीका के निवासी करते हैं। चीनी भाषा में सुर का महत्त्व सुपरिचित है। अन्य भाषाओं में भी प्रधान जयवा गौण रूप से सुर के महत्त्व को पहचाना गया है। इस सुर के वज्ञानिक विश्लेषण तथा उसे लिखित रूप देने में कई महत्त्वपूर्ण विद्वानों ने पराहनीय कार्य किया है। सुर पर लिखी गई पुरानी पुस्तकों के अनिश्चित इधर एक नवीन ग्रंथ तैयार किया है। कनेथ एल० पाइक ने जिसका नाम है 'इटोनेशन ऑफ अमेरिकन इंग्लिश' भाषा के दार्शनिक विवेचन सबधी कुछ कार्य पहले भी हो चुका था। परन्तु इधर विशेष रूप से इस विषय पर गभीर चिन्तन किया गया है। भाषा तथा विचार का पारस्परिक संबंध, भाषा की अनित्यता, ध्वनि की मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि आदि कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर मेटालिग्विस्टिक के अन्तर्गत विचार किया जाता है।

१९वीं शती के नवीन व्याकरणों ने बोली का महत्त्व प्रतिपादित किया था। परन्तु इसके दानजृद अभी तक संभवतः भाषा वैज्ञानिकों को इतना अवकाश न मिल सका था कि वे भाषा की इन जीवित प्रणालियों का सम्यक् अध्ययन कर सकें। इधर विभिन्न देशों की बोलियों पर विशेष ध्यान दिया गया है। 'डाइलेक्टोलौजी' के अन्तर्गत किसी एक प्रदेश की जीवित बोली को लेकर उसे वर्णित किया जाना है उसके ऐतिहासिक विकास पर उतना बल नहीं दिया जाता। मुहाविरों तथा बिगड़ी हुई बोलियों को भी इस वर्ग के वैज्ञानिकों ने उन्ने ही आदर से देखा है जितना कि किमी क्लासिक भाषा को। बोली जाने वाली अंग्रेजी तथा लंदन की कौकनी (cockney) बोली पर कई महत्त्वपूर्ण तथा रोचक ग्रंथ लिखे गए हैं। 'अमेरिकन स्लांग' का भी भलीभाँति विवेचन हुआ है। इसके अतिरिक्त सामाजिक आर्थिक तथा जातिगत आधारों पर बनी बोलियों का भी अध्ययन किया जा रहा है। इस प्रकार "डाइलेक्टोलौजी" अथवा "बोली-विज्ञान" जीवित बोलियों को अधिक महत्त्व देता है, और इन बोलियों का विश्लेषण उनकी मानवीय पृष्ठभूमि में करता है। 'लिग्विस्टिक ज्योग्रॉफी' वस्तुतः

‘डाइलैक्टोलौजी’ से ही मयुक्त है। इसके अतर्गत बोलियों की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया जाता है, और उसी के अनुसार उनके नक्शे बनाए जाते हैं। ‘लिंग्विस्टिक एटलस’ सबधी यह कार्य अभी बहुत नहीं हुआ है, परन्तु जितना कुछ हुआ है, वह काफी महत्त्वपूर्ण है। फ्रान्स में कुछ बोलियों के एटलस तैयार किए गए हैं। सबसे अधिक परिश्रमपूर्ण ढंग से न्यू इंग्लैंड का एटलस बनाया गया है। किसी देश की बोलियों के अध्ययन में तत्सबधी एटलस कितने सहायक सिद्ध हो सकते हैं यह बताने की आवश्यकता नहीं है।

पिछले वर्षों में भाषाविज्ञान के क्षेत्र में सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है ध्वनिग्राम-विज्ञान ‘फोनीमिक्स’ ने। इस विज्ञान की अभी तक पूरी-पूरी रूपरेखा भी तैयार नहीं हो पाई है। पिछली पीढ़ी के अमरीकी विद्वानों, विशेषतः ब्लूमफील्ड तथा एडवर्ड सेपीर ने ‘फोनीम’ अथवा ध्वनिग्राम का काफी गभीर विश्लेषण किया था। इस चिन्तन की अपार सभावनाओं पर कुछ आधुनिक अमरीकी भाषा-वैज्ञानिकों ने ‘फोनीमिक्स’ की नींव रखी। ‘फोनीमिक्स’ वस्तुतः अलिखित भाषाओं को लिखित रूप देने का विज्ञान है। इसमें किसी भी प्राचीन अथवा नवीन बोली की ध्वनियों का तात्त्विक विश्लेषण करके उनमें से कुछ ध्वनिग्राम छांट लिए जाते हैं। इन ध्वनिग्रामों को अंकित करने के लिए व्यवस्थित ढंग से कुछ लिपिचिह्नों का निर्माण किया जाता है। इस प्रकार वर्णमाला के निर्माण के सिद्धांतों की सम्यक् विवेचना इस विज्ञान में होती है। के० एल० पाइक की ‘फोनीमिक्स’ शीर्षक पुस्तक मानो इस विज्ञान की इज्जिल है। इस धारा के अन्य प्रमुख चिंतक हैं—बर्नार्ड ब्लॉख, जी० एल० ट्रेगर तथा ग्लिसन। ‘फोनीमिक्स’ सबधी अब तक के सभी महत्त्वपूर्ण प्रयोग अमरीका में हुए हैं।

आधुनिक युग में भाषा-विज्ञान के अध्ययन का केन्द्र जर्मनी तथा फ्रान्स के पश्चात् इंग्लैंड होता हुआ, लगता है अमरीका पहुँच रहा है। पिछले वर्षों में भाषा-विज्ञान सबधी नवीन कार्य अधिकतर अमरीका के विश्वविद्यालयों में संपन्न हुआ है। वर्णनात्मक भाषाविज्ञान की तो

नीव ही अमरीकी विद्वानो के योग मे पडी है। नवीन युग के ये विद्वान् भाषा के उस रूप का वर्णन तथा विश्लेषण अधिक करते हैं, जिम रूप मे वह हमे मिली है, उसके ऐतिहासिक विकास-क्रम की खोज पर उनका ध्यान उतना नहीं है। जो भी हो, भाषाविज्ञान के इतिहास के आदि-युग तथा मध्य-युग मे ऐतिहासिक प्रणाली ही विद्वानो के चिन्तन का आधार थी। परन्तु इस नवीन युग मे वर्णनात्मक प्रणाली का महत्त्व दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है। वस्तुतः भाषाविज्ञान सबधी सम्यक् परिशीलन के लिए इन दोनो प्रणालियो का उचित समन्वय ही वाञ्छनीय है।

इन नवीन दिशाओ के अनिश्चित भाषाविज्ञान सबधी कार्य कुछ अन्य सबधित क्षेत्रो मे भी हुआ है। स्थानो तथा व्यक्तियो के नामो का अव्ययन भाषाविज्ञान पर आधारित होते हुए भी समाज विज्ञान, सांस्कृतिक इतिहास तथा पुरातत्त्व आदि ज्ञान की अन्य शाखाओ को विकसित करता है। इंग्लैड मे स्थान-नामो के अव्ययन को काफी प्रोत्साहन मिला है। विभिन्न क्षेत्रो मे इसके लिए अलग-अलग सघ कार्य कर रहे हैं, जिनकी शोध-सूचनाएँ उनके मुख पत्रो मे निकलती हैं। इनके विस्तृत वार्षिक विवरण बराबर प्रकाशित होते रहते हैं। इस प्रकार इस विषय से सबधित एक स्वतंत्र साहित्य ही तैयार हो गया है।

इन महत्त्वपूर्ण उद्योगो से प्रेरित होकर हमारे यहाँ भी कुछ इस प्रकार का कार्य प्रारम्भ हुआ है। कुछ दिन हुए प्रयाग विश्वविद्यालय से एक थीसिस 'सयुक्त प्रात के हिन्दू पुरुषो के नाम' शीर्षक से प्रस्तुत किया गया था। स्थान-नामो के महत्त्व की ओर भी लोगो का ध्यान आकर्षित किया गया है। वस्तुतः भारतीय विद्वानो को इस क्षेत्र मे अभी बहुत कुछ करना है। जो कुछ काम हुआ है उससे कुछ आशा तो वैद्यती है, परन्तु सतोष नहीं हो पाता। भाषाविज्ञान मे अधिकाधिक बढ़ती हुई हृत्ति इस बात की ओर संकेत करती है कि इन नवीन दिशाओ मे भी हमारे देश के विद्वान महत्त्वपूर्ण कार्य कर सकेंगे।

भारत भाषाविज्ञान का आदि गुरु था। पर कालचक्र से यही नहीं हुआ कि उसकी पदवी खो गई बल्कि उसके विद्वानो की कृतियो

पर पच्छिम के मनीषियों का उचित ध्यान भी नहीं जाकृष्ट हुआ। वर्तमान युग में काम करने वालों में सर्वप्रथम स्वर्गीय राष्ट्रकृष्ण गोपाल भंडारकर का नाम आता है। व्याकरणशास्त्र का विवेचन संस्कृत विद्या के कन्द्रों में परम्परा से चला आया है। भंडारकर ने देगी परम्परा को अक्षुण्ण रखते हुए यूरोपीय विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों का भी गभीर अध्ययन किया और परिणाम-स्वरूप विलसन व्याख्यान-साला भारतीय जनता को १८७७ में दे सके। संस्कृत विद्या के प्रगाट पांडित्य के कारण यह ग्रन्थ कुछ बातों में तत्कालीन अन्य भाषाविज्ञानियों की कृतियों से अच्छा ही है। इसी समय भारतीय भाषाओं के अध्ययन में भारत में कुछ यूरोपीय विद्वान लगे हुए थे। इनमें से सिन्धी के लिए ट्रम्प, द्राविडी के लिए कैल्डवेल और आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के लिए वीम्स और होयर्नले के नाम प्रमुख हैं। इन्हीं दिनों भारतीय सरकार के भाषा-मवर्क्षण की जिम्मेदारी जार्ज ग्रियर्सन की देख-रेख में प्रकाशित हुई। ये सभी वृद्धजन पुरानी पीढ़ी के मान्य विद्वान थे। इधर बीस साल में टर्नर और ज्यूल ब्लाक ने मत्त परिश्रम से भारतीय भाषाओं पर तुलनात्मक और इतिहासिक विवेचन किया है। टर्नर का नेपाली कोष व्युत्पत्ति-विज्ञान के क्षेत्र में अपना सानी नहीं रखता। और ब्लाक का मराठी का विकास तथा भारतीय आर्य भाषाएँ दोनों ग्रन्थ अद्वितीय महत्त्व के हैं। भारत के वर्तमान भाषा-विज्ञान-सेवियों में बहूतेरे इन्हीं दो महानुभावों के शिष्य हैं। भारत के वर्तमान भाषाविज्ञानियों में सर्वप्रमुख सुनीतिकुमार चटर्जी हैं। इनका बंगाली भाषा के विकास के विषय का ग्रन्थ आज भी कई अंशों में कोष की महत्ता रखता है। चटर्जी महोदय केवल भाषाविज्ञानी नहीं हैं, इनकी गति पुरातत्व आदि अन्य कई विद्याओं में भी अच्छी है। इस कारण यह भाषाविज्ञान को व्यापक दृष्टि में पढते-पढाते आए हैं। केवल भाषाविज्ञानी प्रसिद्ध हैं डा० सिद्धेश्वर वर्मा। इन्होंने दही भाषाओं और बोलियों की बहुत अच्छी खोज की है। इनके अलावा कत्रे (कोकणी), धीरेन्द्र वर्मा (ब्रज), बनारसीदास जैन (पंजाबी),

वानीकान्त काकाती (आसामी), बाबूराम सक्सेना (अवधी) उदयनारायण तिवारी तथा विश्वनाथ प्रसाद (भोजपुरी), रामस्वामी ऐयर (द्राविडी) आदि अपने-अपने क्षेत्रों में लब्धप्रतिष्ठ हुए। अपने विश्वविद्यालयों में संस्कृत और प्राकृत पर काम करने वाले बहुत से पंडित हैं। इनमें से ५० ल० बैद्य तथा हीरालाल जैन का नाम अपभ्रंश के लिए उल्लेखनीय है और प्राकृत के तुलनात्मक अध्ययन के लिए मुकुमार सेन का।

भारतीय विद्वान शायद अभी कुछ साल तक भाषाविज्ञान के मूल सिद्धान्तों पर कोई मौलिक कार्य न कर सके। सभी अपने-अपने सीमित क्षेत्र में संलग्न हैं। यही क्या कम सतोष की बात है कि अपनी भाषाओं के बारे में हमें अब विदेशियों की ओर टकटकी लगाने की जरूरत नहीं। मुख्य-मुख्य भाषाओं का सामान्य परिशीलन हो चुका है, पर बोलियों का अभी बाकी है। इसमें जितने ही अधिक युवक उगे अच्छा है। प्रियर्सन का काम उस समय के लिए ठीक था हम उनके अनुगृहीत भी हैं। पर वह सामग्री सदीष है। जगती जातियों की भाषाओं को भी हमें अध्ययन करना चाहिए। बोर्डिंग आदि मिशनरियों का काम अच्छा है, पर जो काम भारतीय कर सकेंगे उसकी तुलना का वह नहीं ठहर सकता। हर्ष की बात है कि नवयुवक इस ओर आ रहे हैं।

भाषाविज्ञान के अध्ययन में इधर अपने देश में यथेष्ट प्रगति हुई है। लिब्रिस्टिक सोसाइटी जर्ब इंडिया का कार्य लाहौर में आज से पच्चीस साल पहले प्रारंभ हुआ था। डा० ब्रुलनर के देहान्त के बाद यह संस्था शिथिल हो गई और कार्यालय को कलकत्ता उठा ले जाने पर कार्य ने जोर नहीं पकड़ा। अब डा० कत्रे के विशेष उद्योग से और पाँच साल तक राके फेलर फाउंडेशन की मदद से यह संस्था ही केवल कार्यन्तर्ग नहीं हो गई बल्कि प्रायः एक हजार नवयुवकों को भाषा-विज्ञान का शिक्षण ग्रीष्म कालीन सत्रों द्वारा मिल चुका है। पूना का डेकन कालेज आज भाषा-विज्ञान के अध्ययन का सर्वपूर्ण केन्द्र है।

भारतीय भाषाओं का अध्ययन करते समय हमें अपनी प्राचीन

भाषाओं (संस्कृत, पालि, प्राकृत, अपभ्रंश) का महाराग मूल से भी न छोड़ना चाहिए, विशेषकर संस्कृत का। संभव है कि वाक्यपदीय आदि प्राचीन ग्रंथों के परिशीलन से हमें कुछ ऐसे नुस्खाव मिलें जिनके महारे हम एक बार फिर पच्छिमी विद्वानों को कोई मौलिक चीज देकर उद्धरण और वृत्तार्थ हो सकें।

भाषाविज्ञान ने भाषा-सम्बन्धी कुछ मूल तत्त्व पकड़ लिए हैं। प्राचीन और वर्तमान भाषाओं का विश्लेषण करने पर ही यह संभव हुआ है। पर अभी तक यह विश्लेषण चरम कोटि तक नहीं पहुँच पाया है। एक-आध मवालों के उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी। मैक्समूलर ने पुरुष और स्त्री के उच्चारण के भेद का सिद्धार्शन कराते हुए कहा था कि पुंस्व के स्वन-यन्त्र के तार स्त्री के तारों की अपेक्षा लम्बे होने हैं। संभव है, यह ठीक हो। बच्चों की वाणी में एक प्रकार की कोमलता और मधुरता रहती है, यह लड़कियों में स्थिर रहती है पर लड़कों में क्रमशः (प्रायः १६ वर्ष की अवस्था में) समाप्त हो जाती है। पर दो बहिनों या माता-पुत्री, या भाई-भाई या पिता-पुत्र की बोली में एक विलक्षण समानता मिलती है और कभी-कभी हमको भ्रम होना है कि प्रीति बोल रही है या कीर्ति, या सुबोध बोल रहे हैं या मुधीर। इस समानता का क्या कारण है? यह समानता ध्वनिगुणों के विश्लेषण से नहीं जाना होती। यह कौन चीज है? क्या कभी भी हम ज्ञान की उस कोटि को पहुँच सकेंगे जब इस तरह के मवालों का समाधान कर सकेंगे?

आदि में एक भाषा थी या अनेक इत्यादि प्रश्नों का उत्तर देना हम लोगों के ज्ञान की वर्तमान अवस्था में असंभव है। जब सृष्टि का आदि ही नहीं मिलता तब भाषा की बात क्या कही जाय? क्या कभी ऐसा भी हो सकेगा जब ससार के समस्त मनुष्य एक भाषा-भाषी हो जायेंगे? इसका उत्तर यही है कि यदि यह संभव हो जाय कि मनुष्य भेद-भाव छोड़कर देवता बन जायें तो सर्वजन-भाषा का अस्तित्व भी संभव है। अभी तो यह सब स्वप्न-मात्र है पर स्वप्न ही सही मनन करने और उद्योग करने के लायक है।

अठ्ठाईसवाँ अध्याय

लिपि का इतिहास

मूलरूप से भाषा श्रोत्रेन्द्रिय का विषय है। अपौरुपेय श्रुति को छोड़कर अन्य सभी शब्द को सुनने के लिए वक्ता और श्रोता के मम-कालत्व और ममदेगन्व की अपेक्षा होती है। ऐसी परिस्थिति में अपनी बात और भावना को यदि उत्तरकालीन या भिन्न-देशस्थ मनुष्य तक पहुँचाना अभीष्ट हो तो किसी अन्य उपाय का अवलम्बन करना चाहिए। मनुष्य अपने समय की विगेष घटनाओं की स्मृति छोड़ जाना चाहता है। उनका उल्लेख वह अपने पुत्र-पौत्रों से कर दे, और वे अपने नानी-पोतों से, तो परम्परा से स्मृति याकी रह सकती है। पर सदा यह सभव नहीं कि उसके ये निकटस्थ सम्बन्धी उसके पास हों। यदि उसने कोई बात अन्नस्तल में छिपा रक्खी है और उसके बच्चे छोटे छोटे हैं तो वह अपनी बात की स्थिरता किस प्रकार छोड़ जाय? यदि वह उनको भी अपनी बात का भेद न बताकर दूरस्थ प्रेमीजन के पास भेजना चाहता है तो वह किस उपाय का अवलम्बन करे? आज जब लेख, पत्र, तार, टेलीफोन आदि साधन सम्य मनुष्य को सुलभ हैं तब इस प्रकार के प्रश्नों पर विचार करना अनर्गल सा मालूम होता है। पर जब ये साधन नहीं मौजूद रहे होंगे तब क्या होता होगा?

लिपि आदि साधनों के रहने पर भी स्मृति आदि के लिए अन्य साधनों का भी उपयोग चल सकता है। हनुमान जी रामचन्द्रजी की मुद्रिका दिखा कर ही सीताजी को यह विश्वास दिला सके कि वह उनके स्वामी के दूत थे। दुष्यन्त ने अपने नाम की अकित अँगूठी अभिज्ञान-स्वरूप शकुन्तला के पास छोड़ दी थी, ऐसा बालिदाम का प्रतिपादन है। आज भी शादी-ब्याह के न्योतों के रूप में सुपारी भेजने का देश में

गिवाज है। किसी भी मृत्यु की सूचना जिम् चिट्ठी द्वारा दी जाती है उसका एक कोना फाड़ दिया जाता है। यदि किसी बात को याद रखना जरूरी है और उसे भूल जाने का जन्देश है तो गाँठ बाँध ली जाती है। अपने देश में वर्षगाँठ भी निश्चय ही स्मृति के साधनस्वरूप है। बच्चा किन्ने माल का हुआ यह बात डोरी में डाली हुई गाँठों की सख्या से मालूम हो जाती थी। कुछ देगों में विचित्र रेखाओं से खचित छडी को देखकर उन विभिन्न रेखाओं द्वारा स्मृति में आई हुई बातों को दूत बता सकते थे।

इस प्रकार श्रोत्र-ग्राह्य शब्द का प्रतिरूप या उनकी सहायक कोई ऐसी चीज हुई जो नेत्रग्राह्य हो। इस विषय में कुछ जानियों के प्रयत्न उल्लेखनीय हैं। पेरु में कुडपु नाम की डोरियाँ होती थी। ये दो फुट से अधिक लम्बी होती थी। इनमें रंग-विरंगे धागे बँधे रहते थे। इन रंगों और इन धागों में पड़ी गाँठों में विविध अर्थों का संकेत हो जाता था, सफेद धागे से 'चाँदी' या 'शान्ति' का अर्थ निकाला जाता था लाल से 'मोना' या 'युद्ध' का। इसी तरह मृगचर्म में रंग-विरंगे मोती, मूँगे आदि चीजें बाँध कर विविध अर्थों का बोध कराया जाता था। यह तरीका भी उत्तरी अमरीका की कुछ जातियों में प्रचलित थी। ये तरीके संकेत-स्वरूप समझनी चाहिए, उसी प्रकार जैसे एक विशेष आकृति के अक्षरों से एक विशेष शब्द द्वारा किसी विशेष भाव का उद्बोध हो जाता है। भाव के ज्ञान के लिए संकेत के पूर्व ज्ञान की अपेक्षा अनिवार्य है। इस प्रकार संकेतों के लिए किसी विशेष शब्द के माध्यम की जरूरत नहीं। तथा विभिन्न जातियों में युद्ध के लिए विभिन्न शब्द रह सकने हैं और तब भी लाल रंग युद्ध का अर्थ बना सकता है।

इन स्मृति-चिह्नों की अपेक्षा मिस्र देश में प्रचलित चित्रलिपि से भाव का व्यक्तीकरण अधिक आसानी से हो जाता था। दौड़ते हुए बछड़े के पास ही पानी का भी चित्र, प्यास के भाव का उद्बोध कराता था। मनुष्य के चित्र में निकली हुई पसलियों से दुर्भिक्ष का और आँसू ढालती हुई आँखों से दुःख का आभास मिलता था। चीन में दो मिले

हुए हाथों से मित्रता का अर्थ समझा जाता था। इसी प्रकार सूर्य, वृक्ष साँप, भेड़ आदि के चित्रों से उन-उन चीजों और जीवों का बोध होता था। चित्र द्वारा स्थूल विषयों का व्यक्तीकरण सुलभ था, सूक्ष्म का अपेक्षाकृत कठिन। उदाहरणार्थ चीन देश में सुनने का अर्थ दर्वाजे में कान मटाए हुए मनुष्य के चित्र से किया जाता था।

यदि चित्रों द्वारा ही भावों का व्यक्तीकरण होता रहता तो भाषा-विभेद के रहते हुए भी एक जानि या देश के चित्रों में दूमरी जाति या देशवाले भी उन्हीं चिह्नों से उन भावों का बोध कर लेते। पहाड़ या समुद्र के चित्र से हिन्दी भाषा-भाषी को उसी प्रकार उन चीजों का बोध होता है जैसे अँगरेज या हव्की को, यद्यपि इन तीनों की भाषाओं में इन चीजों के लिए अलग-अलग शब्द हैं। पर चित्रों का खींचना आसान काम न था, समय भी काफी लगता था। धीरे-धीरे खराब खिंचे हुए चित्रों से भी काम चलाता रहा। होते होते ये चित्र अपने मूल-रूप से बहुत दूर हट आए। इन शकतों को देख कर ही मूल-चित्रों का उद्बोध होता था और उनके द्वारा उन भावों का। चित्रों की स्थिति तक, ये चाहे कितने भी बुरे खिंचे हुए हो भावों का उद्बोध अन्य भाषा-भाषियों को भी हो जाता था, पर अब शकतों के कारण व्यक्तीकरण उन्हीं तक सीमित रह गया जो उन शकतों से अभिज्ञ थे।

इस प्रकार यदि आँख के भाव का बोध कराने के लिए आँख के चित्र के स्थान पर केवल बिन्दी रह जाय तो बिन्दी में आँख का भाव केवल उसी को मालूम होगा जो उस शकत से परिचित हो। चित्र तक तो भाव और चित्रशकत में, देखनेवाले को एक प्रकार का समवाय सम्बन्ध मालूम देता था, अब तो केवल ऐसा सम्बन्ध रह गया जो स्मृति पर आश्रित था। उदाहरणार्थ चीन देश में, पर्वत का भाव पहले ऐसे चित्र से व्यक्त किया जाता था जिसमें ऊँची-नीची कई चोटियाँ दिखाई पड़ती थी। धीरे-धीरे ऊपर एक चाटी-सी लकीर और मूल में दो छोटी छोटी खड़ी लकीरों से ही पर्वत का भाव प्रकट किया जाने लगा। मनुष्य के चित्र में पहले मिर, दो बाहे, धड़ और दो टाँगें स्पष्ट थी,

बाद को धड के लिए केवल एक खड़ी लकीर और उसके नीचे उसी से दोनों तरफ निकली हुई दो छोटी लकीरे ही दो टाँगों के स्वरूप रह गईं। इसी तरह मिस्र देश में शेरनी का भाव पहले उसके चित्र से प्रकट किया जाता था। बाद को होते-होते केवल इस L चिह्न से उमका बोध कराया जाने लगा।

जब रूढ़ि द्वारा स्थापित इस प्रकार के सकेत विशिष्ट-भाषा-भाषी जाति या देश तक सीमित रह गए तब इन सकेतों से विशिष्ट शब्दों (व्यंजन-समूहों) का ही उद्बोध होना स्वाभाविक था। उदाहरणार्थ यदि हिन्दी जुआ शब्द के लिए एक ही सकेत हो तो 'द्युत' और 'युग' दोनों के अर्थ का बोध करावेगा। ऐसी परिस्थिति में कौन से अर्थ का अभिप्राय है, इसको जतलाने के लिए किसी और उपाय की जरूरत पड़ सकती है। चीनी भाषा में लिपि की इस अवस्था के कारण समान अर्थ के बोधक दो शब्दों को पास-पास रखकर उनके सामान्य अर्थ का बोध कराया जाता है। इस प्रकार ये विशिष्ट सकेत चित्र से इतने दूर हट आए कि केवल विशिष्ट व्यंजन-समूहों (व्यंज्यात्मक शब्दों) का बोध कराने लगे। चीनी में इसी प्रकार के एकाक्षर व्यंज्यात्मक शब्द हैं। और जब केवल सकेत रह गए तो सकेत विकसित होते-होते किसी भी परिवर्तन को स्वीकार कर सके। इस तरह प्रथम सम्पूर्ण वात या वाक्य का बोध करानेवाले एक चित्र, फिर वाक्य के विभिन्न स्थूल भावों के अलग-अलग चित्र, फिर इन चित्रों से विकसित हुए उनके उद्बोधक सकेत, और इनमें अक्षर, लिपि के विकास में यह क्रम रहा।

चीनी आदि ऐसी भाषाओं में जिनमें शब्द एकाक्षर हो, सकेतों का अक्षरों के स्थान पर प्रयोग में आना समझ में आता है। ई० पू० २००० तक चीन देश में ऐसी स्थिति पहुँच गई थी। मिस्र में भी इसी तिथि तक यह स्थिति हो गई थी कि ये सकेत चित्रों से दूर रूढ़ि-ग्राह्य हो गये थे। मिस्री भाषा में भी एकाक्षर शब्दों का वाहुत्य था। जब तक एकाक्षर शब्दों को जतलाने का अभिप्राय हो ये सकेत काम के थे।

चीनी भाषा के सवा चार सौ सकेत इसी प्रकार के ह। पर उत्तमे अलग-अलग ध्वनियों के द्योतन का कोई उपाय नहीं है त के लिए सकेत है, पर त् और अ के लिए अलग-अलग नहीं। चीनी भाषा का काम चल गया, क्योंकि उसमें न उपसर्ग थे न प्रत्यय। सम्बन्ध-तत्त्व का बोध कराने के लिए भी अलग-अलग एकाक्षर शब्द थे, जिनके लिए सकेत पहले से मौजूद थे। पर मिन्नी भाषा की अवस्था इसमें भिन्न थी। उसमें एकाक्षर शब्दों के अलावा उपसर्ग, मध्य-विन्यस्त पद और प्रत्यय भी थे। सोन् (भाई), सोन्-अ (मेरा भाई) सोन्-क् (तेरा भाई), सोन्-फ (उसका भाई), सोन्-उ (कई भाई), सोन्-त् (बहिन) का बोध एक ही सकेत से करना असम्भव था। ऐसी दशा में लिखने वाले की बुद्धि में अ-क् फ-उ-न् आदि ध्वनियों का भान होना सम्भव था। एकाक्षर शब्दों के द्योतक सकेतों में क्या उपाय किया जाय कि इन भिन्न भावों का भी बोध हो सके? ध्वनियों का अलग-अलग भास, एक ध्वनि से आरम्भ होने वाले सकेत एक ओर, और दूसरी ध्वनियों से आरम्भ होने वाले अन्यत्र, इस विभाग से शुरू हुआ होगा। अनुमान है कि ऐसा सकेत जो किसी विशेष ध्वनि से आरम्भ होता था, वह उस सकेत द्वारा द्योतित शब्द की आदिम ध्वनि के लिए भी काम में लाया जाने लगा। अलग ध्वनियों के लिए अलग सकेतों की जरूरत तो सोन्-क् आदि शब्दों के अस्तित्व से महसूस होती थी। इस प्रकार अहोम् (उकाव) का सकेत अ के लिए और रौ (मुख) लबोइ (गेरनी) क्रम से ल् और र् के लिए प्रयोग में आने लगे। एक ही ध्वनि से आरम्भ होने वाले कई सकेत रौ रेत र आदि रहे होंगे। ओर आरम्भ में ये सभी उस आदिम ध्वनि आदि के लिए प्रयोग में आते होंगे। बाद को वह सकेत जिसका भाषा के शब्द के लिए अविक प्रयोग रहा होगा या जो अन्यो की अपेक्षा अविक आसानी से बन सकता होगा, उगने उस ध्वनि-विशेष का द्योतन करने के लिए दूसरों पर विजय पाई होगी। मिन्नी भाषा की पन्चीम ध्वनियों में किसी-किसी के लिए अनेक सकेत पाए जाते हैं। इस तरह मिन्नी देश में ध्वनियों के लिए अलग-अलग

चिह्न (वर्ण) काम में आए। कुछ काल तक साथ ही साथ चित्रात्मक और भावात्मक संकेत भी साथ-साथ चलने रहे, जैसा कि प्राचीन लेखों के अध्ययन से मालूम होता है।

चीन महादेश और मिस्र के अतिरिक्त लिपि का विकास, प्राचीन काल में मेसोपोटैमिया में सुमेरी जाति द्वारा किया गया। यहाँ भी भाव-व्यक्तीकरण चित्र द्वारा ही पाया गया है। पर जहाँ मिस्र में अधिकतर ये चित्र पत्थरों पर खुदे हुए मिले हैं, मेसोपोटैमिया के चित्र नरम ईंटों पर कीलों से खोदे जाते थे। तल की नमी के कारण केवल लाइने खिच सकती थी, गोलाई आदि के प्रदर्शन का कोई साधन न था। उदाहरणार्थ मछली का चित्र केवल तीन-चार लाइनों से खींचा जा सकता था। इस प्रकार ये चित्र आरम्भ में ही संकेत में हो गए, और फिर भावों के व्यक्त करनेवाले। सामी पडोसियों ने इनको अक्षरात्मक बना दिया। बाद में ईरानी लोगों ने भी इनका प्रयोग करना शुरू किया, और इन्हीं का एक रूप हमें दारा के पुराने कीलाक्षर लेखों में मिलता है।

वर्तमान यूरोप की सभी लिपियाँ ग्रीक लिपि में विकसित हुई हैं। ग्रीक के पुराने लेख ई० पू० ९ वीं सदी तक के मिलते हैं। ये थेरा द्वीप में मिले थे। इनमें से कुछ दाहिनी ओर में बाईं ओर को और कुछ बाईं से दाहिनी ओर को लिखे गए हैं। इसके बाद उत्तरी मिस्र के अबूसिम्बेल स्थान पर मिले हुए ७ वीं ई० पू० सदी के, और फिर कोरिन्थ और अथेन के ई० पू० छठी सदी के लेख हैं। ई० पू० चौथी सदी तक इन लेखों के दो विभाग, पूर्वी और पच्छिमी, मिलते हैं। उस समय के डार के लेखों में एकरूपता दिखाई पड़ती है। ग्रीक लिपि के वर्णों के नाम सामी हैं। रोम के उत्थान के पूर्व इटली और पास-पड़ोस के प्रदेशों में एत्रुस्की भाषा बोली जाती थी। इसके कुछ पुराने लेख मिले हैं। इस लिपि के बारे में विद्वानों का मत है कि यह इटली में ९ वीं सदी ई० पू० में एगिया माइनर से आई। और एशिया माइनर में इन्होंने ग्रीस-देगवासियों से प्राप्त किया था। लैटिन के पुराने से पुराने लेख ई० पू० चौथी सदी के हैं। ये रोम में भिट्टी के बर्तनों पर खुदे मिले हैं। यह

लिपि ग्रीक अक्षरों की है, पर इस पर एत्रुस्की लिपि का भी प्रभाव स्पष्ट है। बाद को यही रोमन लिपि कहलाई। आरम्भ में इसमें २३ वर्ण थे। बाद को १४वीं १५ वीं सदी में इसमें २६ वर्ण हो गए जो आज तक कायम है। यूरोप के उत्तरी प्रदेशों की रूनी लिपि प्रचलित ग्रीक लिपि से संबंध नहीं रखती। विद्वानों का विचार है कि यह काले सागर पर बसे हुए किसी ग्रीक उपनिवेश से प्रायः ई० पू० ६०० में ली गई। केल्टी की ओघ (५वीं सदी) लिपि रूनी में ही निकली है। स्लावी की सिरिली और ग्लेगोलिथी (९वीं सदी) का विकास तत्कालीन ग्रीक लिपि में माना जाता है।

आरमीनी लिपि के लेख चौथी सदी ई० के मिलते हैं। कुछ विद्वान् इसे ईरानी अक्षरों का और अग्र ग्रीक अक्षरों का बनाते हैं। ई० पू० पहले सहस्राब्द में एशिया माइनर में कुछ लिपियाँ वर्तमान थीं। वे अरमी की कोई पूर्वकालीन रूप समझी जाती हैं। अरमी के सबसे पुराने लेख प्रायः ८०० ई० पू० के उत्तरी मीरिया के सिन्दिली नाम के स्थान में मिले थे। यह उत्तरी अरमी की लिपियों में सर्वप्रमुख लिपि थी। इसी से हेब्रू लिपि निकली है। अरबी लिपि भी अरमी का ही एक रूप है। इसके ५ वीं सदी ई० पू० तक के लेख मिलते हैं। ७ वीं ८ वीं ई० सदी में इनके दो रूप कूफी और नस्वी मिलते हैं। नस्वी रूप ज्यादा प्रचलित हो गया और वर्तमान अरबी लिपि उसी का विकसित रूप है। ईरान में हुख्तानी बादशाहों ने क्रीकक्षर लिपि का प्रयोग किया था, पर मुकन्दर की विजय के उपरान्त अरमी आ गई। सासानी शाहशाहों की लिपि पहलवी है।

भारत में सर्वप्रथम तिथि पड़े हुए लेख अशोक प्रियदर्शी के हैं। इनकी लिपियाँ ब्राह्मी और खरोष्ठी हैं। खरोष्ठी के लेख ई० पू० तीसरी सदी से लेकर तीसरी सदी ई० तक के मिलते हैं। ये भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में ही मिले हैं। ई० तीसरी सदी में खरोष्ठी चीनी तुर्किस्तान में भी पहुँच गई थी। खरोष्ठी अरमी का ही भारतीय रूपान्तर समझी जाती है। ब्राह्मी लिपि से ही वर्तमान भारत की सभी

लिपियाँ विकसित हुई हैं। कनिंघम, लैसेन और ओभा आदि विद्वान् इस भारत की स्वतंत्र उपज समझते हैं, पर यूरोप के बूलर आदि बहुतेरे मनीषी इसे विदेशी (प्रायः सामी) लिपि से ही विकसित बताने हैं। ब्राह्मी का विवेचन आगे किया जायगा।

वर्तमान यूरोप की लिपियों का मूल-स्रोत ग्रीक लिपि है, यह बात ऊपर के विवरण से स्पष्ट हो गई है। उसके विषय में सवाल उठता है कि ग्रीकवासियों को यह कहाँ से मिली? क्या यह उन्हीं की निजी चीज है? विद्वानों का मत है कि लिपि ग्रीसवासियों की अपनी चीज नहीं है, उन्होंने इसे फोनीशी व्यापारियों से लिया। यूरोपीय भाषाओं में लिपि के लिए अल्फाबेट शब्द है, और इसमें प्रथम दो वर्ण अल्फा और बेटा का समावेश है। ग्रीक लिपि के ये दो वर्ण रोमन में α और β नाम से पाये जाते हैं। अल्फा, बेटा, गम्मा, डेल्टा शब्द केवल सामी अलेफ बंथ, गमेल और दालेय के रूपान्तर हैं। इन शब्दों का सामी अर्थ है (क्रमशः बेल, मकान, ऊँट, कनात का दरवाजा) ग्रीक में ये निरर्थक हैं। अरबी में मेम (पानी) आदि अन्य वर्णों के नाम भी इसी प्रकार सार्थक हैं। इन वर्णों के आदि रूपों से इन अर्थों का भाव भी झलकता है। ग्रीसवासियों ने इनको लेकर इनमें अपनी जरूरत के हिमाव से सगोधन कर लिये। सामी में व्यंजनो के लिए ही वर्ण थे। ग्रीसवालों ने अलेफ, हे, और गेन को स्वरों के लिए इस्तेमाल कर लिया। सामी लिपि में २२ ही वर्ण थे। ग्रीक लोगो ने न केवल इतना किया कि कुछ व्यंजन-वाची वर्णों को स्वरवाची बना लिया, बल्कि कुछ ऐसी ध्वनियों के लिए जो उनकी भाषा में थी पर सामी में न थी, नए वर्ण गढ़ लिए। कुछ विद्वानों का यह विचार है कि लिपि वास्तव में ग्रीक थी और ग्रीसवासियों से फोनीशी लोगो ने अपनाया। पर यह विचार तर्क की समीक्षा पर नहीं ठहरता। यह कहना कि इन वर्णों के नाम मूल-रूप में ग्रीक निरर्थक शब्द हैं और फोनीशी लोगो ने इनको सार्थक कर लिया युक्ति-संगत नहीं जान पड़ता। इनकी मूल आकृति भी भावात्मक संकेतों का निर्देश करती है।

विद्वानों का बहुमत इस पक्ष में है कि ग्रीक लोगो ने लिपि फोनीशी

लोगों से ली। इस फोनीशी लिपि का स्रोत क्या है? इस भवाल के जवाब में कई नाद उपस्थित किए गए हैं। कुछ लोग इसे मिस्र देश के भावात्मक सकेतो में, कोई बेबल की कीलाक्षर लिपि से और कुछ क्रीट की मिनोआ लिपि से निकला हुआ मानते हैं। प्रो० पेट्री नामक एक विद्वान् का मत है कि मिस्री, ग्रीक, फोनीशी, एशिया माइनरवाली और दक्खिनी सामी आदि सभी लिपियाँ भूमध्य सागर के आसपास के रहनेवाले लोगों के कुछ सकेतो से निकली हैं जिन्हें वहाँ व्यापारी काम में लाते थे। इस मत का पोषण अन्य विद्वानों ने नहीं किया। ग्रीक लिपि को सामी से सम्बद्ध मानने में सब से बड़ी कठिनाई यह जान पड़ती थी कि यह लिपि बाईं ओर से दाहिनी ओर चलती है और सामी लिपियाँ दाहिनी से बाईं, पर दक्खिनी सामी के कुछ लेख ६ठी सदी ई० पू० के प्राप्त हुए हैं। नमो से बहुतेरे तो दाईं से बाईं ओर चलते हैं पर कुछ हल की जुनाई की तरह दाईं से बाईं, बाईं से दाईं ओर फिर दाईं से बाईं ओर जाते हैं। इससे अनुमान किया जाता है कि सामी लिपियों में दोनों ओर चलने की प्रथा थी। सामी लिपियों के उत्तरकालीन रूपों में दाईं से बाईं ओर जाने का मार्ग निश्चित हो गया और ग्रीक आदि में बाईं से दाईं ओर। सामी लिपि में जेर, जबर, पेश आदि स्वर-सूचक चिह्न ई० चौथी सदी से लगने शुरू हुए।

सामी जातियों ने लिपि का प्रयोग मिस्र देशवासियों से सीखा, इस मत को अब प्रायः सभी विद्वान् मानने लगे हैं, और सामी से, ऊपर निर्दिष्ट अन्य जातियों ने। अनुमान है कि ई० पू० प्रथम या द्वितीय साहस्री में कुछ सामी जातियाँ मिस्र देश के दक्खिनी भाग के निवासियों के सम्पर्क में आईं और उन्हीं से लिपि का व्यवहार सीखा।

लिपि की अवस्थाओं का विकास, वाक्य-निर्देशक सम्पूर्ण चित्र से भावात्मक चित्र, इन चित्रों से भावात्मक सकेत मात्र, फिर इन सकेतों से उद्बोधित शब्दों के प्रथम अक्षरों से अक्षरात्मक लिपि और उनसे ध्वन्यात्मक लिपि, दर्जा-बदर्जा इस प्रकार मालूम होता है। उत्तरी अमरीका के मूलनिवासियों की लिपियाँ, मिस्र की और चीन की लिपियाँ

तथा प्राचीन सुमेरी आदि की गक्षर लिपियाँ बहुत काल तक भावात्मक सकेतो की अवस्था की गयी हैं। चीनी लिपि अब भी जक्षरात्मक हैं यद्यपि जापान वालों ने इसे अपने लिए ध्वन्यात्मक भी बना लिया है लिपियों में ध्वन्यात्मक लिपि ही सर्वश्रेष्ठ समझी जाती है।

भारतीय लिपि सामग्री

भारत में इधर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो ईमवी मनु से पूर्व कई हजार वर्ष पहले की सामग्री मिली है उसमें भी कुछ लेख जहाँ-तहाँ अंकित हैं। ये ऐसी लिपि में हैं जो ब्राह्मी या खरोष्ठी से मेल नहीं खाती और उसमें सर्वथा भिन्न हैं। विद्वानों का बहुमत इस पक्ष का है कि यह मारी सामग्री ऐसी सभ्यता की द्योतक है जिसका वैदिक आर्य सभ्यता से कोई सम्बन्ध नहीं। लिपि के सम्बन्ध को सुपेरी से जोड़ने का उद्योग हुआ है। इस सामग्री के अलावा हैदराबाद रियासत के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष प्रो० यजदानी ने १९१७ में खुदाई कराते समय प्रागैतिहासिक काल के कुछ मिट्टी के बर्तन प्राप्त किए थे जिन पर कुछ लेख अंकित हैं। इन लेखों की लिपि भी ब्राह्मी से भिन्न है।

इतिहासिक काल की सामग्री में अशोक के गिला-लेखों के पूर्व के केवल दो छोटे-छोटे लेख मिले हैं, एक अजमेर जिले के बडली (बली) गाँव में और दूसरा नेपाल की तराई में पिप्रावा नाम के स्थान में। “पहला एक स्तम्भ पर खुदे हुए लेख का टुकड़ा है, जिसकी पहली पंक्ति में ‘वीर (१) य भगव (त)’ और दूसरी में ‘चतुरासिति’ व (स) खुदा है। इस लेख का ८४ वाँ वर्ष जैनो के अन्तिम तीर्थंकर वीर (महा-वीर) के निर्वाण सवत् का ८४ वाँ वर्ष होना चाहिए। यदि यह अनुमान ठीक हो तो यह लेख ई० पूर्व (५२७-८४) ४४३ का होगा। इसकी लिपि अशोक के लेखों की लिपि से पहले की प्रतीत होती है। इसमें ‘वीराय’ का ‘वी’ अक्षर है। उक्त ‘वी’ में जो ‘ई’ की मात्रा का चिह्न है वह न तो अशोक के लेखों में और न उनसे पीछे के किसी लेख में मिलता है, अतएव वह चिह्न अशोक से पूर्व की लिपि का होना चाहिये,

जिसका व्यवहार अशोक के समय तक मिट गया होगा और उसके स्थान में नया विह्वल व्यवहार में आने लग गया होगा। दूसरे अर्थात् पिप्रावा के लेख से प्रकट होता है कि बुद्ध की अस्थि शाक्य जाति के लोगों ने मिल कर उमन्तूप में स्थापित की थी। इस लेख को बूलर ने अशोक के समय से पहले का माना है। वास्तव में यह बुद्ध के निर्वाण-काल अर्थात् ई० पूर्व ४८७ के कुछ ही पीछे का होना चाहिए। इन शिला-लेखों से प्रकट है कि ई० पूर्व की पाँचवीं शताब्दी में लिखने का प्रचार इस देश में कोई नई बान न थी।” (गौ० ही० ओझा कृत प्राचीन लिपि-माला पृ० २, ३)।

• भारत में लिपिज्ञान की प्राचीनता

ओझाजी ने ऊपर उल्लिखित ग्रन्थ में भारतवर्ष में लिखने के प्रचार की प्राचीनता के पुष्कल प्रमाण दिये हैं। बौद्ध त्रिपिटक में जहाँ-तहाँ लिखने के उल्लेख आए हैं। ब्रह्मजालमुत्त में बच्चों के खेल अम्बरिका का उल्लेख है। “इस खेल में खेलने वालों को अपनी पीठ पर या आकाश में (अगुलि में) लिखा हुआ अक्षर बूझना पड़ता था।” लिखने की कला का उल्लेख अन्य-सूत्र-ग्रन्थों में भी मिलता है। त्रिपिटक के अधिकांश अंश का सकलन बुद्ध भगवान के निर्वाण के बाद ही हो गया था और यद्यपि इसमें बाद को कई बार सशोधन हुए पर नामग्री की दृष्टि से यह ई० पू० ५ वीं शताब्दी के इधर की चीज नहीं। ‘अक्षरो’ का प्रयोग बच्चों के खेल में भी होने लगा हो, यह अवस्था लिपि के आविष्कार के सेकड़ों साल बाद ही संभव है जब लिखने की कला का काफी प्रचार हो चुका हो।

पाणिनि की अष्टाध्यायी में लिपि, लिपि, ग्रन्थ शब्दों का प्रयोग तथा लिपिकर और यावनानी शब्दों के बनाने के नियम पाए जाते हैं। यावनानी का अर्थ कात्यायन और पतञ्जलि ने ‘यवनो की लिपि’ किया है। पाणिनि ने स्वरित के चिह्न का भी उल्लेख किया है। अष्टाध्यायी से यह भी पता चलता है कि “उम समय चौपायों के कानों पर सुव, स्वस्तिक

आदि के और पाँच तथा आठ के जको के चिह्न भी बनाए जाते थे और उनके कान काटे तथा छेदे भी जाते थे।”

ऊपर भाषाविज्ञान के इतिहास का विवेचन करते समय हम देख चुके हैं कि भारतवर्ष में ध्वनियों और पदों के उच्चारण और रचना की चर्चा ब्राह्मण काल और उपनिषद् काल में काफी पाई जाती है। छान्दोग्य उपनिषद् में 'अक्षर' शब्द मिलता है और ईकार, उकार और एकार सजाएँ। तैत्तिरीय उपनिषद् में वर्ण और मात्रा का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में ॐ अक्षर को अकार, उकार और मकार वर्णों के मयोग से बना हुआ बतलाया है। ये सभी ग्रन्थ यास्क और पाणिनि के पहले के माने जाते हैं। ऋग्वेद में गायत्री, उष्णिक् आदि छन्दों के नाम मिलते हैं। अथर्ववेद में एक जगह छन्दों की संख्या ११ लिखी है और तैत्तिरीय, मैत्रायणी, काठक आदि संहिताओं में कई छन्दों और उनके पादों के अक्षरों की संख्या तक गिनाई है।

लिखना न जाननेवाला जनसमुदाय अपनी भाषा के व्याकरण का सूक्ष्म से भी सूक्ष्म विचार कर ले और छन्दों का भी विश्लेषण कर ले परन्तु बिना लिखने की कला की मदद के, यह संभव नहीं प्रतीत होता।

भारतीय आर्य अकों का लिखना जानते थे इस बात के तो और भी जोरदार सबूत हैं। ऋग्वेद में हजार अष्टकर्णों गायों के दान का उल्लेख आता है। यहाँ अष्टकर्ण शब्द का यही अर्थ संभव है कि जिनके कर्ण पर आठ का एक अंकित था। प्राचीन ग्रन्थों में अयुत, प्रयुत आदि संख्याओं के नाम आए हैं जिनका ज्ञान लिखने के बिना संभव नहीं। समय के मुहूर्त, क्षिप्र आदि सूक्ष्म विभाग को भी लेख की मदद के बिना समझ पाना असंभव ही लगता है।

श्रुति को मौखिक सम्प्रदाय से स्थिर रखने के उपाय के कारण यह संभव लेना कि लिखने की कला का अज्ञान था, ठीक नहीं। आज भी कितनी ही चीजों को याद कर रखने का चलन है, यद्यपि लिखना भी साथ साथ मालूम है। बूलर इस अनुमान को मानते हैं कि वैदिक समय में भी लिखित पुस्तकें मौखिक शिक्षा की मदद के लिये काम में लाई

जाती थी। यहाँ ताडपत्र, भोजपत्र आदि लिखने की सामग्री प्राचीन काल से ही प्रकृति ने प्रचुर मात्रा में दे रखी थी और ई० पूर्व चौथी सदी में रूई से कागज बनाया जाने लगा था।

इस द्विवरण में यही एक निष्कर्ष संभव है कि भारतीय आर्य लोगों को लिखने की कला काफी प्राचीन काल से मालूम थी। यदि ऋग्वेद के अन्तिम मटल के सूक्तों को ई० पू० १२०० का भी मान लिया जाय तो उस समय भी यह कला भारतीयों को ज्ञात थी।

खरोष्ठी की उत्पत्ति

भारतवर्ष की प्राचीन लिपियाँ ब्राह्मी और खरोष्ठी हैं। अशोक के शहबाजगढ़ी और मनसेहरा वाले लेख खरोष्ठी में हैं। अशोक के पूर्व का इस लिपि का कोई लेख नहीं मिलता। अशोक के पूर्व इस लिपि का एक-एक अक्षर ईरानी सिक्कों पर मिलता है जो ई० पू० चौथी सदी के माने जाते हैं। अशोक के पीछे भारत में यह लिपि बहुधा विदेशी राजाओं के ही सिक्कों और गिलालेखों में पाई गई है। इस लिपि के लेख ब्राह्मी के लेखों की अपेक्षा बहुत थोड़े हैं। प्रायः यह सभी भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश और पंजाब में ही पाए गए हैं, शेष भाग में ब्राह्मी के लेख हैं। खरोष्ठी दाईं से बाईं ओर को चलती है। इसके ११ अक्षर (क, ज, द, न, ब, य, र, व, ष, स, ह, समान उच्चारणवाले अरमइक अक्षरों से बहुत कुछ मिलते हुए हैं। अनुमान है कि “ईरानियों के राज्यत्वकाल में उनके अधीन के हिन्दुस्तान के इलाकों में उनकी राजकीय लिपि अरमइक का प्रवेश हुआ हो और उसी से खरोष्ठी लिपि का उद्भव हुआ हो।” अरमइक में केवल २२ अक्षर थे। स्वरों की अपूर्णता थी और ह्रस्व और दीर्घ मात्राओं के भेद का अभाव। भारतीय भाषाओं की जरूरत के अनुसार यहाँ उसमें आवश्यक संशोधन और परिवर्धन कर लिए गए और वह राजकीय और व्यापारी काम-काज की लिपि बना ली गई। इस संशोधन के कर्त्ता शायद कोई खरोष्ठी नाम के आचार्य रहे हों। यह भी संभव है कि तक्षशिला में इसका प्रादुर्भाव हुआ हो। इस लिपि का

प्रचार पञ्जाव मे तीसरी सदी ई० तक थोडा बहुत बना रहा । तब मे यह यहाँ से सदा के लिये चल् गयी ।

ब्राह्मी की उत्पत्ति

इस लिपि के लेख इस देश मे पाँचवी सदी ई० पू० से मिलते है । भारत मे यही सर्वश्रेष्ठ समझी जाती रही है । जैनों के पञ्चवणासूत्र मे और समवायगसूत्र मे १८ लिपियो (बभी, जवणालिया, दोसापुरिया, खरोष्ठी आदि) के नाम मिलते है । ललित-विस्तर से ६४ लिपियो के नाम आए है, जिनमे प्रथम ब्राह्मी और द्वितीय खरोष्ठी है । शुद्धता और सपूर्णता की दृष्टि से ब्राह्मी और खरोष्ठी मे आकाश-पाताल का अन्तर है ।

ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के बारे मे विद्वानो के मत दो विभिन्न धाराओ मे बहे है, एक पक्ष विदेशी उत्पत्ति को प्रश्रय देता है, दूसरा इसको भारत की ही उपज मानता है । विदेशी उत्पत्ति माननेवाले विद्वानो मे बहुत मतभेद है ।

(क) विल्सन, प्रिंसेप, आफ्रैड मूलर, सेनार्ट आदि ने ब्राह्मी की उत्पत्ति ग्रीक लिपि या फोनीशी लिपि से मानी थी । सेनार्ट का अनुमान था कि सिकन्दर के आक्रमण के समय भारतीयो ने ग्रीको से लिखना सीखा । कस्ट, का कहना है कि एशिया के पश्चिम भाग मे रहनेवाले फोनीशी व्यापारियो का भारत से वाणिज्य-सम्बन्ध था, उन्ही से भारतीयो ने लिपिज्ञान प्राप्त किया होगा ।

(ख) डीके का विचार है कि ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति असीरी कीलाक्षरो से किसी दक्खिनी सामी लिपि के द्वारा हुई है । कुपेरी नाम के एक फ्रेच विद्वान का अनुमान था कि भारतीय लिपि चीनी लिपि मे निकली होगी । परन्तु असीरी या चीनी लिपि को ब्राह्मी का उद्गम मानने के पक्ष मे अब कोई विद्वान नही है ।

(ग) विल्यम जोम, वेबर, टेलर, बूलर आदि विद्वानो ने ब्राह्मी की उत्पत्ति सामी के किसी न किसी (उत्तरी, दक्खिनी) रूप से बतलाई

है। उत्तरी सामी लिपि के अरमी रूप का सम्बन्ध ईरान से हो गया था, इसको सभी मानते हैं। उसी ओर से यह भारत भी पहुँची होगी, ऐसा अनुमान किया जाता है। बूलर उत्तरी सामी से ही ब्राह्मी की उत्पत्ति मानते हैं। उन्हीं के मत को अब विदेशी उद्गम माननेवाले विद्वान अधिक श्रेय देते हैं।

खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति सभी लोग विदेशी स्रोत से, सो भी उत्तरी सामी से, समझते हैं। उसी से ब्राह्मी लिपि भी निकली हो जो खरोष्ठी से सर्वथा भिन्न है, और सो भी करीब-करीब एक ही समय में, यह बात गले नहीं उतरती। खरोष्ठी के वर्ण अधिकतर लम्बी और तिछी लकीरों के हैं, विकार की स्थूलता ऊपर के भाग में पाई जाती है, नीचे के भाग में केवल दो वर्णों में। उनमें गोलाकार कोई रूप नहीं है। वर्णों की आकृति और कद नियमबद्ध से नहीं हैं। ये वर्ण दाईं से बाईं ओर चलते हैं। ब्राह्मी में नियमित लकीरे और गोल आकार हैं। इनमें विकार नीचे के भाग में पाया जाता है, ऊपर के में कम। वर्णों की आकृति सुन्दर और सुगठित हैं। स्वर-चिन्ह बहुधा ऊपर की ओर बड़ी पाई से सूचित किए गए हैं। यह बाईं से दाईं ओर चलती है। दोनों में समानता का केवल एक लक्षण है, दो व्यंजनों के बीच के स्वर की स्थिति। पर यह समानता स्पष्ट ही खरोष्ठी में ब्राह्मी की नकल है। खरोष्ठी को लेखकों और व्यापारियों की लिपि और ब्राह्मी को सुशिक्षित समाज की लिपि बतला कर विभिन्नता का समाधान नहीं हो पाता। एक ही जनसमुदाय एक ही स्रोत से लेकर, लिपि के रूपों में इतने मौलिक भेद नहीं करता। प्रत्येक अक्षर में एक की दूसरे से कुछ तो समानता रहती।

सामी से ब्राह्मी की उत्पत्ति खोजते समय बूलर ने मनमानी अटकल लगाई है। कहा है कि भारतीयों ने कितने ही वर्णों को उलट दिया जिसे ऊपर का हिस्सा नीचे हो गया, कितनों में कोने निकाल दिए हैं और रुख बदलने में बहुतों की आकृति बदल गई। इस प्रकार की असंगत कल्पना करके तो कोई भी लिपि किसी अन्य लिपि से निकाली जा सकती है। सम्बन्ध स्थापित करने के लिए समान ध्वनि के लिए

समान सकेत होने चाहिए। खरोष्ठी के सामी से उधार लिए हुए २२ अक्षरो में से आठ (च, द, न, प, व, र, व, श) उसी की तरह हैं, नौ (क, ख, ग, ज, म, य, ल, ष, ह) कुछ न कुछ मिलते-जुलते हैं, और किन्हीं अविद्यमान रूपों की कल्पना नहीं करनी पड़ती। ब्राह्मी के वर्णों में से केवल एक (ग) की कुछ समानता है, पाँच (अ, न, थ, ल, श) वर्णों में बहुत खींचतान करने से कुछ समानता भूलक सकती है, और शेष बिल्कुल भिन्न हैं। खरोष्ठी के स्वर एक ही सामी अक्षर (अल्फि) पर निर्भर है। पर ब्राह्मी में अलग अलग सकेतों से ही स्वरों का बोध कराया गया है। ध्वनियों का सूक्ष्म में सूक्ष्म विवेचन कर लेनेवाला जार्य ब्राह्मण इस प्रकार अपनी लिपि में स्वर और व्यंजन का भेद न दिखा सकना और अधपढा खरोष्ठी व्यापारी या लेखक इस ध्वनिविज्ञान के सिद्धान्त को अपनी लिपि में समाविष्ट कर लेता, यह तर्क उपहासास्पद ही हो सकता है।

टेलर दक्खिनी सामी से ब्राह्मी की उत्पत्ति मानते हैं। वह ब्राह्मी व को सामी य, से, घ को सामी ख से ज को ष से, झ को क से निकला हुआ कहते हैं। इस प्रकार तो टेलर की निज भाषा की लिपि को देवनागरी से निकाला जा सकता है, और शायद कुछ अधिक सफल तर्कों के द्वारा।

असल बात तो यह है कि ब्राह्मी लिपि "भारतवर्ष के आर्यों की अपनी खोज से उत्पन्न किया हुआ मौलिक आविष्कार है। इसकी प्राचीनता और सर्वाङ्ग सुन्दरता से चाहे इसका कर्त्ता ब्रह्मा देवता माना जाकर इसका नाम ब्राह्मी पडा चाहे साक्षर समाज ब्राह्मणों की लिपि होने से यह ब्राह्मी कहलाई हो" और चाहे ब्रह्म (ज्ञान) की रक्षा के लिए सर्वोत्तम साधन होने के कारण इसको यह नाम दिया गया हो। इस देश में इसकी विदेशी उत्पत्ति का सूचक कोई प्रमाण नहीं मिलता। मिकन्दर के समय से ग्रीक, चीनी, अरबी आदि कितने ही विदेशी यात्री आए, किसी ने यह न कहा कि यहाँ की लिपि विदेशी है। ब्राह्मी के इस देश की उपज होने के पक्ष में एडवर्ड टामस, डामन और कर्निघम का मत है। इस पक्ष के समर्थन का पथप्रदर्शन श्रद्धेय मन्वीषी गौरीशंकर

हीराचन्द्र ओझा ने किया था। डा० तारापुरवाला का विचार है कि ब्राह्मी लिपि का आदि रूप हैदराबाद में पाया गए प्रागैतिहासिक काल के बर्तनों पर के सकेतो को समझना चाहिए। वह पेट्री के इस मत का कि मिस्र, ग्रीस और अरब आदि की लिपियाँ पूर्ववर्ती व्यापारी सकेतो से निकली हैं, चित्रलिपि आदि से नहीं, समर्थन करते हैं और समझते हैं कि उसी प्रकार ब्राह्मी लिपि भी स्वतंत्र भारतीय सकेतो से विकसित हुई है। पर दोनों में इतना कम साम्य है कि ब्राह्मी को हैदराबाद सकेत चिह्नों से निकालना क्लिष्ट कल्पना ही होगी। जब तक ब्राह्मी लिपि से मिलते-जुलते ई० पू० पाँचवीं सदी से पहले के कोई लेख न मिले तब तक ब्राह्मी के पूर्वरूप के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। इतना निश्चय है कि किसी भी ज्ञात विदेशी लिपि से नहीं निकली।

पिप्रावा, बडली और अशोक की लिपि में परस्पर कोई स्पष्ट अन्तर नहीं है परन्तु अशोक के समय के बहुत पीछे वाले भट्टिप्रोलु के स्तूप के लेखों की लिपि में पिप्रावा, बडली, अशोक की लिपि से बहुत कुछ भिन्नता पाई जाती है। इससे अनुमान होता है कि यह दक्षिण की लिपि उत्तर के लेखों की लिपि से नहीं निकली और उत्तरी तथा दक्खिनी दो लिपिभेद किसी पूर्ववर्ती ब्राह्मी लिपि के परकालीन रूप हैं। संभव है कि यह दक्खिनी लिपि वही हो जिसका नाम ललितविस्तर में द्राविड लिपि आया है। भट्टिप्रोलु का स्तूप मद्रास प्रान्त के कृष्णा जिले में पाया गया है। जैनसूत्रों और ललितविस्तर में उल्लिखित अन्य लिपियों के लेख अभी तक नहीं मिले, इसलिए उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता।

ई० पू० ५०० के निकट से ई० ३५० तक के लेखों को सामान्य नाम ब्राह्मी दिया जाता है। इसके बाद ब्राह्मी लिपि के लिखने के दो प्रवाह दिखाई देते हैं, उत्तरी और दक्खिनी। उत्तरी शैली का प्रचार प्रायः विन्ध्यपर्वत के उत्तर में और दक्खिनी का उसके दक्खिन में रहा है। उत्तरी की नीचे लिखी लिपियाँ हैं।

१ गुप्त लिपि—इसका प्रकार ई० चौथी/पाँचवीं सदी में रहा।

गुप्तवर्गी राजाओं के लेख इसी में हैं, इसलिए इनका यह नाम रखा गया है।

२ **कुटिल लिपि**—यह गुप्त लिपि में निकली और इसका प्रचार छठी से नवीं सदी ई० तक रहा। इसके अक्षरों और विशेषकर स्वरों की मात्राओं की कुटिल आकृति के कारण इसको यह नाम दिया गया है।

३ **नागरी**—उत्तर में इसका प्रचार ई० नवीं सदी के आस-पास से मिलता है पर दक्खिन में आठवीं सदी से ही आरंभ होकर १६ वीं सदी के पिछले भाग तक मिलता है। प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से बँगला लिपि निकली। नागरी से ही कैथी, महाजनी राजस्थानी और गुजराती लिपियाँ भी निकली हैं। दक्खिन में इसको नदिनागरी कहते हैं।

४ **शारदा**—इस लिपि का प्रचार भारत के उत्तर पच्छिमी भाग (पंजाब कश्मीर) में रहा। ८ वीं सदी तक वहाँ कुटिल लिपि का प्रचार था। बाद में उसी से शारदा बनी। शारदा का सबसे पुराना लेख १० वीं सदी ई० का समझा जाता है। इसी लिपि में वर्तमान कश्मीरी और टाकरी लिपियों की उत्पत्ति हुई और गुरुमुखी के अधिकतर अक्षर भी इसी में निकले हैं।

५ **बँगला**—इसका विकास नागरी लिपि से १० वीं सदी ई० के आस-पास हुआ। इसमें नेपाली, वर्तमान बँगला, मैथिली, और उडिया लिपियाँ निकली हैं।

उत्तरी के अतिरिक्त ब्राह्मी के अन्य रूप निम्नलिखित हैं।

१ **पश्चिमी**—यह लिपि काठियावाड़, गुजरात, नासिक, खानदेश, हैदराबाद, कोकण, मैसूर आदि के लेखों में ५ वीं से ९ वीं सदी तक मिलती है। पाँचवीं सदी के आस-पास इसका कुछ-कुछ प्रवेश राजपूताना और मध्य भारत में भी पाया गया है। पच्छिमी प्रदेश में मिलने के कारण ही इसका यह नाम रखा गया है।

२ **मध्यप्रदेशी**—यह लिपि मध्यप्रदेश हैदराबाद के उत्तरी भाग, और बुंदेलखंड में, ५ वीं से लेकर ८ वीं सदी ई० तक मिलती है। इस

लिपि के अक्षरों के सिर चौखूँटे या सद्दक की आकृति के होते हैं जो भीतर में बहुधा खाली पर कभी-कभी भरे हुए हैं।

३ तेलगू-कन्नड़ी—यह लिपि बर्बई प्रान्त के दक्खिनी भाग में, हैदराबाद राज्य के दक्खिनी हिस्से में, मैसूर में तथा मद्रास प्रान्त के उत्तर-पूर्वी हिस्से में ५वीं सदी ई० में मिलती है। १४ वीं सदी तक इसके कई रूपान्तर हुए। इसी से वर्तमान तेलगू और कन्नड़ी लिपियाँ निकली, इससे यह नाम पडा।

४ ग्रन्थलिपि—यह लिपि मद्राम में पाई गई। ७ वीं से १५ वीं सदी तक कई रूपान्तर होने होने इससे वर्तमान ग्रन्थलिपि बनी और उससे वर्तमान मलयालम् और तुलु लिपियाँ निकली। मद्रास के जिन हिस्सों में तमिल लिपि का प्रचार है, वहाँ भी संस्कृत के ग्रन्थ इसी में लिखे जाते हैं, इसी में शायद इसका यह नाम पडा।

५ कालिगलिपि—इसके लेख ७ वीं से ११ वीं सदी तक मिलते हैं। प्राचीन लेख मध्यप्रदेशी लिपि से और पिछले नागरी, तेलगू, कन्नड़ी और ग्रन्थलिपि से मिलते हैं।

६ तमिललिपि—७ वीं सदी से बराबर आज तक तमिल ग्रन्थ इसी लिपि में मिलते हैं। इसके अक्षर अधिकतर ग्रन्थलिपि से मिलते-जुलते हैं। वर्तमान तमिललिपि इसी से विकसित हुई है। तमिल का ही घसीट का एक रूप बट्ट टेळुत्तु है। इसका १४ वीं सदी तक प्रचार रहा।

नागरी लिपि

नागरी लिपि की प्रभुता भारतवर्ष में ८ वीं सदी से इधर बराबर रही है। इस उत्तरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग दक्खिन में मिला यही इसका प्रमाण है। आज संस्कृत के ग्रन्थों को लिखने और छापने के लिए सर्वत्र और मराठी तथा हिन्दी भाषाओं के लिए सर्वथा इसी का व्यवहार होता है। नेपाल की यही राजलिपि है। मिथिला और बंगाल में भी इसका आदर है। भारत की यही राष्ट्रलिपि है।

नागरी लिपि में बराबर विकास होता रहा है। १०वीं सदी की लिपि में “अ, आ, घ, प, म, य, ष, स के सिर दो हिस्सों में विभक्त मिलते हैं, पर ११वीं सदी में ये दोनों अग मिलकर सिर की एक लकीर बन जाने हैं और प्रत्येक अक्षर का सिर उतना लम्बा रहता है जितनी कि अक्षर की चौड़ाई होती है।” ११ वीं सदी की नागरी, वर्तमान नागरी से मिलती-जुलती है और १२ वीं सदी से वर्तमान रूप स्थिर-सा मिलता है, केवल इ और घ की आकृति में पुरानापन नजर आता है और ए, ऐ, ओ और औ की मात्राओं में कुछ अन्तर पाया जाता है। पिछले सौ साल में छापे की सुविधा ने मयुक्त व्यंजनो के ऊपर-नीचे के सम्मिलित रूपों (च, छ, क) आदि को हटाकर (च्, क्, क्व) आदि आगे-पीछे लिखे हुए रूपों को प्रश्रय दिया है।

वर्तमान नागरी लिपि में वर्णों का अकन ध्वनियों के क्रम से होता है, केवल इ की मात्रा (ि) और रेफ (े) अपवाद हैं। उ, ऊ, ऋ की मात्राएँ (ु, ू, ृ) वर्णों के नीचे और ए, ऐ, ओ, औ, की (े, ै, ो, ौ) मात्राएँ वर्णों के ऊपर लिखी जाती हैं। जिन व्यंजनों (ड्, ङ्, ट्, ठ्, ड्, ढ्, द्, ह्) में खड़ी पाई स्पष्ट अन्तिम अक्षर नहीं है, उनमें मयुक्त व्यंजनों को ऊपर नीचे लिखने का क्रम अब भी जारी है। रकार के तीन रूप (र, ्र, ृ) मिलते हैं। ख का कभी कभी र व से विभ्रम हो जाता है। ह्रस्व एँ, औ के लिए व्यतिरिक्त वर्ण और मात्राएँ नहीं हैं। इन त्रुटियों की ओर विद्वानों का ध्यान गया है और इन्हें दूर करने का उद्योग किया जा रहा है।

नागरी नाम की व्युत्पत्ति का अभी तक निश्चय नहीं हो सका है। इसका नागर ब्राह्मणों या नागर अपभ्रंश से स्वध होना मन्दिग्ध ही है। दक्खिन में इसे नन्दिनागरी कहते थे, इससे नन्दिनगर नाम की किसी राजधानी का आभास मिलता है। गाम शास्त्री ने एक “लेख में यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि देवताओं की मूर्तियाँ बनने के पूर्व उनकी उपासना साकेतिक चिह्नों द्वारा होती थी जो कोई त्रिकोण तथा चक्रों आदि से बने हुए मन्त्र के, जो ‘देवनगर’ कहलाता था, मध्य में

लिखे जाने थे। देवनगर के मध्य लिखे जानेवाले अनेक प्रकार के साकेतिक विह्वल कालान्तर में उन-उन नामों के पहले अक्षर माने जाने लगे और देवनगर के मध्य उनका स्थान होने में उनका नाम 'देवनागरी' हुआ।" यह नहीं कह सकते कि यह कल्पना कहाँ तक ठीक है।

उर्दू और रोमन

बाह्यी लिपि से विकसित लिपियों के अलावा, हमारे देश में उर्दू और रोमन लिपियाँ भी वर्तमान हैं जोर दोनों दो विभिन्न राज-सत्ताओं की सूचक हैं। उर्दू लिपि अरबी के फारसी रूपान्तर में आवश्यक भारतीय ध्वनियों के लिए सक्तों का समावेश करके बनी है। इसमें दो गुण हैं, द्रुतगति और दाईं में बाईं ओर चलना। इसलिए लिखने में सहूलियत होती है। पर इसमें पूर्व लिखित अक्षरों के आँखा से छिप जाने की भी संभावना रहती है। द्रुतगति के कारण स्पष्टता में बहुत कमी आ जाती है और कभी-कभी कुछ का कुछ पढ़ लिया जाता है। दो कथित गुणों के होने पर भी उर्दू लिपि में कई दोष हैं। स्वरों को अक्षित करने का कोई माधन नहीं। यदि जेर, जबर, पेश के चिह्न लगावे तब भी भारतीय भाषाओं के सभी स्वर अक्षित नहीं हो पाते और विभ्रम रह जाता है। अच्छी लिपि में एक ध्वनि को अक्षित करने के लिए एक ही सकेत होना चाहिए। उर्दू में एक-एक ध्वनि के लिए तीन-तीन, चार-चार वर्ण हैं (स के लिए से, स्वाद और सीन, त के लिए ते, तोय, ह के लिए छोटी हे और बड़ी हे, ज के लिए जाल, जे, ज्वाद, जोय)। इन वर्णों के प्रतिरूप अरबी भाषा में ध्वनियाँ अलग-अलग हैं, परन्तु उर्दू में नहीं। इन अपूर्णताओं के रहते, उर्दू नागरी के मुकाबिले में नहीं ठहर सकती। इस लिपि का व्यवहार अब हिन्ध, पश्चिमोत्तर प्रदेश, तथा पंजाब में विशेष और संयुक्तप्रान्त के पश्चिमी भाग में थोड़ा बहुत है, अन्यत्र पिछली सदी की फारसी संस्कृति से आक्रान्त कतिपय मनुष्यों में ही यह सीमित है। भारत में यह घट रहा है।

रोमन विगत राजतंत्र की राज-लिपि थी और अभी चल रही है।

इसका विशेष गुण इसकी ध्वन्यात्मकता है (देवनागरी आदि लिपियाँ अक्षरात्मक हैं)। भारतीय भाषाओं को अंकित करने के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने इंडो-रोमन नाम का, रोमन का ही एक समोदित रूप उपस्थित किया है। पर इसके भारतीय जनता द्वारा स्वीकृत होने की कोई संभावना नहीं जान पड़ती। भारत की राष्ट्रलिपि देवनागरी है। रोमन अथवा उर्दू रियायत के तौर पर थोड़े दिन और भले ही चला दी जायँ।

उत्तीसवाँ अध्याय

विविध भाषापरिवार

वर्णन की सुविधा के लिए ममार की भाषाओं को चार चक्रों में बाँटा जाता है—(क) उत्तरी और दक्खिनी अमरीका, (ख) प्रशांत महासागर के द्वीप, (ग) अफ्रीका और (घ) यूरोप-एशिया। इस अध्याय में पहले तीन चक्रों की भाषाओं का विवेचन किया जायगा।

अमरीका चक्र

इस चक्र के अंतर्गत अमरीका महाद्वीप के सभी (उत्तरी, दक्खिनी और मध्य) भागों के मूल निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएँ आती हैं। ईस्वी १५वीं सदी के अंत में यूरोप से एक जहाज भारतवर्ष की खोज करता हुआ, भ्रम से चक्कर खाकर यहाँ पहुँच गया और तभी से यहाँ के मूलनिवासियों का नाम 'इंडियन' पड़ गया। अनुमान है कि कोलम्बस के समय समस्त मूलनिवासियों की संख्या चार-पाँच करोड़ रही होगी, जो अब घटते-घटते डेढ़ करोड़ रह गई हैं। यूरोपीय साम्राज्य का यही प्रभाव प्रशान्त महासागर के द्वीपों के और अफ्रीका के मूलनिवासियों पर भी पड़ता रहा है। इन लोगों में लिखने का कोई रिवाज नहीं था। विशेष घटनाओं की याद, रंग-विरंगी रस्सियों में गाँठे बाँध कर रक्खी जाती थी। पत्थरों, घोघों पर तथा चमड़े आदि पर भी कुछ भाँति-भाँति के चित्र और निशान बने मिलते हैं पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। और जो निकलता भी होगा उसे मूलनिवासी बताते नहीं। तथापि नहुअल्ल और मय भाषाओं में अब लिपि मिलती है। मय भाषा की पुस्तकों में बहुधा साथ ही साथ स्पेनी भाषा में अनुवाद भी मिलता है।

तुलनात्मक व्याकरण के, और बहुधा अन्य व्योरेबार ग्रन्थों के अभाव में इन भाषाओं के विषय में विशेष विवरण नहीं दिया जा सकता। इनमें क्लिक और महाप्राण ध्वनियाँ मिलती हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि इन मूलनिवासियों की जातियाँ इधर उधर आती जाती रही हैं और एक-दूसरी पर आविपत्य पाती रही हैं। इसीलिए भाषा-संबंधी सामान्य लक्षणों के साथ साथ विशेषताओं का बड़ा भारी घोल-मेल मिलता है। कभी-कभी कोई कोई बोली इनकी जालिम भावित हुई है कि उसने जीती हुई जातियों की बोलियों को वर्बाद ही कर दिया है। कोलम्बस के आगमन के पहले, दक्खिनी अमरीका में इका नाम के साम्राज्य की राजभाषा कुइचुआ थी। स्पेनी विजेताओं ने इसी को मूलनिवासियों के बीच ईसाई धर्म के प्रचार के माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। इसी प्रकार विस्तृत क्षेत्र में होने के कारण गुअर्नी-तुपी का भी प्रयोग ईसाई पादरियों ने धर्म-प्रचार के लिए किया। परस्पर जय-पराजय के प्रभाव-स्वरूप ही करीब और अरोवक भाषाओं की स्थिति है जिसका उल्लेख ऊपर (पृ० १६२ पर) किया जा चुका है। अरोवक जाति पर करीब जाति ने विजय प्राप्त कर ली और उसके पुरुषवर्ग को या तो बिन बिन कर मार डाला या दूर भगा दिया। स्त्रियों को रख लिया। ये बराबर अरोवक ही बोलती रही। बाद की पीढ़ियाँ भी इसी प्रकार दोनों भाषाएँ अब तक बोलती चली आ रही हैं और पुरुषवर्ग की करीब पर ही स्त्रीवर्ग की अरोवक का प्रभाव पड़ता दिखाई देता है।

इन भाषाओं के बारे में अभी विशेष अनुसंधान नहीं हो पाया है तब भी इनको कई परिवारों में बाँट सकते हैं। अनुमान है कि इन परिवारों की संख्या सौ सवा सौ के करीब है। प्रायः इन सभी भाषाओं में एक सामान्य लक्षण प्रश्लिष्ट योगात्मक के रूप में पाया जाता है। इनमें बहुधा पूरा पूरा वाक्य ही एक लम्बे शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है। संस्कृत की तरह विभिन्न पदों को जोड़ कर यह समास के रूप में नहीं होता बल्कि हर पद का एक-एक प्रधान अक्षर या ध्वनि लेकर सबको एक साथ मिला देते हैं। चेंरोकी भाषा के पद नधोलिनिन् (हमारे लिए

डोगी लाओ) में इसी प्रकार तीन शब्द नतेन् (लाओ), अमोसोल् (नाव, डोगी), और निन् (हम को) मिले हुए हैं। कभी कभी इस प्रकार एक दर्जन शब्द तक एक पद के रूप में उपस्थित पाए जाते हैं और उन सभी शब्दों का पदार्थ एक साथ वाक्यार्थ के रूप में श्रोता को मालूम हो जाता है। स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग इन भाषाओं में बहुत कम है।

इस चक्र की सभी भाषाएँ जगली नहीं हैं। इन जातियों में से किसी किसी ने साम्राज्य स्थापित किए। मेक्सिको के साम्राज्य का अंत सोलहवीं सदी में यूरोप वालों ने पहुँच कर किया। वहाँ की मध्य और नहुअत्ल भाषाएँ सस्कार की हुईं सी हैं और उनमें साहित्य भी मिलता है।

इस चक्र की भाषाओं का वर्गीकरण प्रायः भूगोलिक आधार पर किया जाता है जो चाहे बिल्कुल यथातथ्य न हो तब भी सुविधा का है।

	{	देश नाम	भाषा नाम
उत्तरी अमरीका	{	ग्रीनलैंड	एस्किमो
		कनाडा	अथबस्की (समूह)
		संयुक्त राज्य	अल्गोनकी (आदि)
		मेक्सिको	नहुअत्ल (प्राचीन)
		युक्तन	{ अज़तेक् (वर्तमान) समय
दक्खिनी अमरीका	{	उत्तरी प्रदेश	करीब, अरोबक
		मध्य प्रदेश	गुअर्नी तुपी
		पच्छिमी प्रदेश	अरोकन, कुइचुआ (पेरु और चिली)
		दक्खिनी प्रदेश	चको, तियरा देल् फूगो

इसमें से तियरा देल् फूगो भाषा और उसके बोलने वाले लोग दोनों, ससार में सबसे अधिक सस्कृति-हीन माने जाते हैं। एस्किमो के बारे में कुछ विद्वानों का मत है कि यह उराल-अल्ताई परिवार की है।

प्रशान्त महासागर चक्र

इस चक्र की भाषाएँ प्रशान्त महासागर और हिन्द महासागर के समस्त द्वीपों में, अफ्रीका के दक्खिन-पूरव में स्थित मडगैस्कर द्वीप में लेकर चाइल के पच्छिम में स्थित ईस्टर द्वीप तक फैली हुई हैं। इनके अतर्गत भाषा-समूहों के नाम बहुधा भूगोलिक नामों पर रखे गए हैं। इन सभी समूहों की पद-रचना और वाक्य-रचना में विचित्र समानता मिलती है और ध्वनि-विभिन्नता भी ऐसी है जिससे भाषा की समानता में कोई बाधा नहीं पड़ती। धातुएँ प्रायः द्व्यक्षर होती हैं, बलाघात प्रायः इनमें से प्रथम अक्षर पर दिया जाता है। अनुमान किया जाता है कि द्व्यक्षर धातु किसी समय एकाक्षर रही होगी। क्रिया में उपसर्ग, प्रत्यय और मध्यविन्यस्त प्रत्यय मिलते हैं। सज्ञा में न लिंगभेद होता है और न उसके रूप ही चलते हैं।

प्रशान्त महासागर द्वीप-चक्र में बहुत-सी भाषाएँ हैं और उनके अन्तर्गत सैकड़ों बोलियाँ हैं। इनमें से बहुत कम साहित्यिक हैं, केवल मलाया (सुमात्रा, जावा) की भाषा में कुछ साहित्य है। प्रायः ये सभी भाषाएँ योगात्मक अद्विलिप्त आकृति की हैं, जो नहीं हैं और अयोगात्मक अवस्था को पहुँच गई हैं उनकी भी पूर्व अवस्था के योगात्मक होने के प्रमाण मौजूद हैं। सारे चक्र की भाषाओं को पाँच परिवारों में विभाजित किया गया है—(१) मलायाई या इंडोनेशियाई परिवार, (२) मलेनेशियाई परिवार, (३) पॉलीनेशियाई परिवार (४) पापुआई परिवार, (५) आस्ट्रेलियाई परिवार। इनमें से पहले तीन बड़े परिवार हैं और बाकी दो छोटे। पहले तीन को कभी-कभी एक वृहत्तर परिवार, मलाया-पॉलीनेशियाई नाम में, माना जाता है और कभी-कभी पाँचों को यही मलाया-पॉलीनेशियाई नाम या आस्ट्रो-नेशियाई नाम दिया जाता है। इन पाँचों का स्रोत एक ही है। पहले तीन आकृति के हिसाब से तीन विभिन्न अवस्थाओं में हैं। मलाया भाषाएँ उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ने वाली योगात्मक अद्विलिप्त अवस्था में हैं।

सजा की विभक्तियाँ उपसर्ग जोड़कर बनती हैं। धातु के बीच में भी प्रत्यय जोड़ा जाता है। धातु प्रायः दो अक्षरों की होती है और उसमें एक या अनेक प्रत्यय बीच में जोड़े जा सकते हैं। फिलिप्पाइन द्वीप में बोली जाने वाली टगल भाषा में मुलत् का अर्थ है लिखना। इसी धातु से मुनुलत् (तुमन्त रूप—लिखना), सुगमुलत् (लिखा) और सिनुलत् (लिखा गया) शब्दों के बीच में एक या अनेक प्रत्यय जोड़ कर वने हैं। मलेनेशियाई भाषाओं में योगात्मक अवस्था का ह्रास और वियोगात्मक की वृद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। इनमें कुछ में उपसर्ग जुड़ते हैं और क्रियाओं के अन्त में सर्वनाम जोड़ कर क्रियापद बनते हैं, पर अधिकांश में स्वतन्त्र शब्दों से भाषा का काम चलता है। पालीनेशियाई भाषाओं को तो योगात्मक कहना अनुचित ही होगा क्योंकि ये प्रायः सम्पूर्णरूप में वियोगात्मक अवस्था को पहुँच चुकी हैं। ऐसा अनुमान किया जाता है कि मलाया से पालीनेशिया तक पहुँचने में, बीच की पापुआई भाषाओं के प्रभाव के कारण ही अयोगात्मक अवस्था हो गई है।

इन तीनों परिवारों का एक समान लक्षण अभ्यास है। उदाहरण के लिए मलयाई भाषा में रज (राजा), रज-रज (बहुत से राजा), पालीनेशियाई की माओरी भाषा में हैरे (जाना), हैरे हैरे (ऊपर नीचे चलना) हवाई की भाषा में हुलि (ढूँढ़ना) और हुलि हुलि अच्छी तरह ढूँढ़ना। तीनों परिवारों का शब्द-समूह भी परस्पर सम्बद्ध है।

मलाया (इंडोनेशियाई) परिवार की भाषाओं के बोलनेवालों की संख्या पाँच करोड़ से ऊपर है। इनमें से मलाया (मलाया और सुमात्रा में), जावी भाषा (जावा के तीन चौथाई अर्थात् प्रायः दो करोड़ लोगों की भाषा), सुन्दियन (जावा के बाकी एक चौथाई, कोई पौन करोड़ लोगों की भाषा), दयक (बोर्नियो की), टगल (फिलिप्पाइन की), फारमोसी (फारमोसा की) तथा मलगसी (जिसे होवा भी कहते हैं, मडगैस्कर की) मुख्य हैं। सुमात्रा और मडगैस्कर में

३००० मील से भी ज्यादा का फासला है, तब भी इन दोनों की भाषाएँ समान और एक ही परिवार की हैं, यह बड़े अचरज की बात है। न मालूम कितने हजार बरसों का इतिहास इनकी पृष्ठभूमि में है।

जावा, सुमात्रा, बाली आदि द्वीप किसी समय भारत के उपनिवेश थे और इनमें संस्कृत भाषा का प्रभुत्व था। यहाँ के नगरो, व्यक्तियों आदि के नाम बहुधा संस्कृत के आश्रय पर बने मिलते हैं। कवि का वास्तविक अर्थ है 'कवियों की भाषा'। इस सारे प्रदेश में भाषा के दो रूप पाए जाते हैं—एक साहित्यिक, राजकीय और उच्चवर्ग का, दूसरा नीचे के वर्ग का। जावा की उच्चवर्गीय भाषा का नाम क्रोमो और निम्न वर्गवाली का नोको है। (देखिए पृ० १८९)। कवि साहित्यिक भाषा है जिसके ई० ८०० तक के पुराने लेख मिलने हैं, यह अब प्राचीन रूप में ही मिलती है। सामान्य रूप से कह सकते हैं कि इंडोनेशियाई भाषाओं में व्यंजनो की स्थिरता वर्तमान है। संस्कृत, अरबी, पुर्तगाली, डच, फारसी, द्राविड और चीनी आदि भाषाओं के शब्द इन भाषाओं में पाए जाते हैं। और दो दो भाषाओं के शब्दों का अजीब घालमेल है जैसे शपथ-मगमग (जाप), जवाहर-मनिकम (रत्न)। सुमात्रा, जावा, बाली में सर्वत्र और जावा में विशेष रूप से सैकड़ों व्यक्तियों के और बीसियों स्थानों के नाम संस्कृत से बने हुए मिलते हैं—सोएरकर्त (सूर्यहृकृत), जोग्यकर्त (अयोध्याकृत), बोर्मा (ब्रह्मा), बोनोसोबा (वनसभा), बिरपोएस्तक (वीर पुस्तक), बोएदिदर्भ (बुद्धिधर्म), जसविदग्द (यशोविदग्ध), मोकनों (सुकर्ण)। गनती में दशम नियम है। ममभिहार के लिए कभी कभी शब्द का कई बार अभ्यास कर दिया जाना है, जैसे—इगि (बहुत) स इगि-इगि-इगि-इगि (बहुत बहुत अधिक)। लिपियाँ भारतीय (देवनागरी), अरबी और रोमन ही प्रयोग में आती हैं।

मलेनेशियाई परिवार की भाषाएँ प्रशान्त महासागर के फीजी आदि छोटे छोटे द्वीपों में बोली जाती हैं। इस परिवार की कुछ भाषाओं में एकवचन के अलावा द्विवचन और त्रिवचन भी हैं। इनमें फीजी

की भाषा मुख्य है और इसकी गठन मलाया भाषा ने बहुत मिलती है। गिनती किसी द्वीप में चार पर, कहीं दस पर और कहीं कहीं बीस पर निर्भर है। लायल्टी द्वीप में 'बीस' और 'मनुष्य' का द्योतक एक ही शब्द होता है क्योंकि मनुष्य के हाथ-पैरों में मिलाकर बीस अँगुलियाँ होती हैं। सर्वनाम का वाच्य पुरुष को समाविष्ट करने वाला एक रूप और व्यतिरिक्त वाला दूसरा रूप होता है।

पॉलीनेशियाई भाषापरिवार में **माओरी** (न्यूजीलैंड की), **टोगी**, **समोअई** तथा **हवाई** (हवाई द्वीप की) प्रधान हैं। दूसरों की अपेक्षा इस परिवार की भाषाओं के बोलने वाले लोग अधिक सभ्य हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि में भी इन भाषाओं का महत्त्व है। पॉलीनेशियाई भाषाएँ मलेनेशिया के पूरव ओर दक्खिन में पाई जाती हैं। समोआ कुक, न्यूजीलैंड, हवाई आदि द्वीपों की भाषाएँ इसी परिवार के अन्तर्गत हैं। पॉलीनेशी परिवार का इंडोनेशी (मलाया) परिवार में घनिष्ठ सम्बन्ध है, पर पालीनेशी में प्रायः व्यञ्जनों का लोप पाया जाता है, जैसे मलाया का अक्षर (जड), न्यूजीलैंड की माओरी भाषा में अक्षर और हवाई में अक्षर पाया जाता है। इस परिवार में सयुक्त (मिश्र) स्वरों तथा सयुक्त व्यञ्जनों का नितान्त अभाव है। गिनती दशम नियम की है। एकवचन, द्विवचन और बहुवचन होते हैं। सर्वनाम के भी मलेनेशिया की तरह दो रूप होते हैं। पॉलीनेशिया की जनसंख्या निरन्तर कम होती जा रही है।

पापुआई परिवार की भाषाएँ मलाया और पॉलीनेशिया के बीच के न्यूगिनी आदि छोटे-छोटे द्वीपों की हैं और अविकतर योगात्मक अश्लिष्ट आकृति की हैं। उपसर्ग और प्रत्यय जुड़ते हैं। उदाहरण के लिए न्यूगिनी की मफोर भाषा में जम्नफ (मैं सुनता हूँ), बन्मफ (तू सुनता है), इन्मफ (वह सुनता है), सीन्मफ (वे सुनते हैं) जन्मफज (मैं नेरी बात सुनता हूँ), सिन्मफि (वे उनकी बात सुनते हैं)।

आस्ट्रेलियाई परिवार की भाषाएँ आस्ट्रेलिया के सभी प्रदेशों

में मूल निवासियों द्वारा बोली जाती है और एक ही स्रोत से निकली है। ये अतः प्रत्यय जोड़ने वाली योगात्मक अग्लिष्ट आकृति की है। इस कारण कुछ लोग इन्हें द्राविड भाषाओं से संबद्ध समझते थे। इस परिवार की **टस्मेनिया** भाषा अब समाप्त हो चुकी। और भाषाएँ भी जगली जातियों की हैं। यूरोपीय उपनिवेशों के कारण इन मूल निवासियों का जीवन सकटमय है और पशु-पक्षियों की तरह ये दिन-प्रति-दिन मौत के गड्ढे में गिरकर विलुप्त होते जाते हैं। सारे आस्ट्रेलिया महाद्वीप की जन-संख्या अस्सी लाख है, इसमें ये मूल निवासी केवल पचास साठ हजार रह गए हैं।

अफ्रीका चक्र

इस महाद्वीप में बुगमैन (गुल्म निवासी) परिवार, बाटू परिवार, सूडान परिवार तथा सामी-हामी परिवार की भाषाएँ बोली जाती हैं।

अमरीका चक्र की भाषाओं की अपेक्षा अफ्रीका चक्र के मूल-निवासियों की भाषाएँ अधिक उन्नत और समृद्ध हैं। इस चक्र में समस्त उत्तर प्रदेश में सामी भाषाओं का आधिपत्य प्रायः दो हजार वर्षों से रहा है। और इधर दो-तीन सौ साल से दक्खिन के कोने पर और समस्त पच्छिमी किनारे पर यूरोपीय जातियों ने कब्जा करके इन मूलनिवासियों को महाद्वीप के भीतरी भागों की ओर खदेड़ दिया है। मध्यता का प्रकाश लाने वाली इन सामी और यूरोपीय जातियों ने इन पूर्व निवासियों को भेड़-बकरी से ज्यादा नहीं समझा। समस्त अफ्रीका में ये आदि निवासी अब भी इस गई-गुजरी हालत में करीब दस करोड़ के हैं। इससे अमरीका चक्र के टेढ़े करोड़ की तुलना से ही यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इन अफ्रीका वालों में अधिक स्थायी शक्ति है। अनुमान किया जाता है कि पिछले चार-पाँच सौ सालों में इन आदि निवासियों में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुए। आज अफ्रीका यूरोपीय साम्राज्य के चंगुल में है। विविध राष्ट्र लूट-खसोट कर रहे

है। बढ़िया बढ़िया उपजाऊ धरती छीन रक्खी है, सारा व्यापार हथिया लिया है। इस व्यापार के फलस्वरूप कुछ मिश्रित भाषाएँ, नीग्रो इङ्गलिश, नीग्रोपुर्तगाली, नीग्रोक्रेञ्च आदि विगेष काम में लाई जाती हैं। उत्तर और मध्य भाग में अरबी का बोलबाला है। उमको छोड़ कर अफ्रीका की भाषा हुआ भी प्रायः अधिकांश अफ्रीका क्षेत्र में बोली और समझी जाती है। युरोपीय भाषाएँ तो है ही।

बुशमैन परिवार—बुशमैन जाति के लोग दक्खिनी अफ्रीका के मूल निवासी समझे जाते हैं, इनकी बहुत-सी बोलियाँ हैं। ग्रामगीनो और ग्राम-कथाओं को छोड़ कर कोई साहित्य नहीं। आकृति की दृष्टि से ये भाषाएँ अतः प्रत्यय जोड़ने वाली योगात्मक अश्लिष्ट अवस्था में हैं। इनके कुछ लक्षण सूडान परिवार की भाषाओं से मिलते हैं और कुछ बाटू परिवार की जुलू भाषा में। संभव है कि जुलू की ध्वनियों पर इस परिवार की भाषाओं का असर पड़ा हो। बुशमैन में क्लिक ध्वनियाँ छ हैं—दन्त्य, मर्धन्य, पार्श्विक, तालव्य और ओष्ठ्य। इन भाषाओं में लिंग पुरुषत्व और स्त्रीत्व पर निर्भर न होकर प्राणिवर्ग अप्राणिवर्ग पर अवलम्बित है। इस बात में द्राविड भाषाओं के चेतन और अचेतन लिंग से समता है। बहुवचन बनाने के बहुतेरे ढंग हैं जिनमें अभ्यास मुख्य है।

होटेटाट भाषाएँ भी बुशमैन के अन्तर्गत समझी जाती हैं, यद्यपि बुशमैन शायद अधिक प्राचीन है। होटेटाट पर हामी भाषाओं का प्रभाव पड़ा है। अनुमान है कि किसी समय होटेटाट जानि वाले बहुत दूर तक फैले हुए थे और हामी के निकट तक पहुँचे थे। होटेटाट शब्द प्रायः एकाक्षर होते हैं। तीन (एक, द्वि, बहु) वचन होते हैं। उत्तम पुरुष के द्विवचन और बहुवचन के सर्वनाम के दो रूप, वाच्य-समावेशक और व्यतिरिक्त पाये जाते हैं।

बाटू परिवार—ये भाषाएँ प्रायः सारे दक्खिनी अफ्रीका में भूमध्य रेखा के नीचे के हिस्से में बोली जाती हैं। पूरब में ५० डिग्री देशान्तर रेखा तक यही हैं। इनके दक्खिन पच्छिम में होटेटाट और बुशमैन हैं,

और उत्तर में सूडान परिवार की विभिन्न भाषाएँ। होटेटाट के उत्तर में इनके बोलने वाले अन्ध महासागर तक फैले हुए हैं। इस परिवार में करीब १५० भाषाएँ हैं जो तीन समूहों में बाँटी जाती हैं —

पूर्वी—प्रधान भाषाएँ काफिर और जुलू

मध्यवर्ती—प्रधान भाषा सेसुतो

पच्छिमी—प्रधान भाषा काँगो

इन भाषाओं में कोई साहित्य नहीं। जजीबार और पडोस के समुद्र तट की भाषा स्वाहिली में अरबी लिपि में लिखे कुछ लेख मिले हैं। इसके अलावा इन भाषाओं का ज्ञान हमें पादरियों की बनाई रोमन लिपि में लिखी किताबों में ही मिलता है। अनुमान है कि बाटू ने पूर्ववर्ती होटेटाट को मार भगाया और अब अंग्रेजी, टच आदि का स्वयं शिकार बन रही है।

बाटू भाषाएँ परस्पर सुसंबद्ध हैं और यागात्मक अश्लिष्ट आकृति की हैं। इनका प्रधान लक्षण उपसर्ग जोड़कर पद बनाने का है, अतः में भी प्रत्यय जोड़कर पद बनाए जाते हैं पर उपसर्गों की अपेक्षा कम। उदाहरण के लिए काफिर भाषा में तन्द-अ (प्यार), तन्द-इस (प्यार कराना), तन्द-अन (परस्पर प्यार करना), तन्द-इसन (परस्पर प्यार कराना), तन्द-एक (प्यार किया जाना) इस तरह के पदों में और उराल-अल्ताई अथवा द्राविड परिवार की भाषाओं की रचना में कोई अन्तर नहीं दिखता। परन्तु साधारण रीति उपसर्ग जोड़ने की है, जैसे काफिर में ही सम्प्रदान कारक का अर्थ कु उपसर्ग से निकलता है—कुति (हमको), कुनि (उनको), कुजे (उसको), बहुवचन—अब-न्तु (बहुत से आदमी), उमु-न्तु (एक आदमी), न्गब-न्तु (आदमियों से)। बाटू भाषाओं में एकवचन के लिए भी उपसर्ग लगता है। काफिर में उम्-, उ-, इलि-, इन्-, इमि-, उलु- से एकवचन और इन्ही के वजन पर क्रम से अब-, ओ-, इ-, अम-, इजिन, इजि- से बहुवचन का बोध होता है। बाटू भाषाओं का दूसरा प्रधान लक्षण व्वनिसामजस्य है, यथा—

उमुन्तु वेतु ओमुन्त्ले उयबोनकल सिम्तन्द

(आदमी हमारा सुन्दर लगता है हम उसे प्यार करते हैं)

अबन्तु वेतु अबन्त्ले बयबोनकल सिबतन्द

(आदमी हमारे सुन्दर लगते हैं हम उन्हें प्यार करते हैं)

यहाँ एकवचन के उपसर्ग उमु के वजन पर और शब्दों में भी सामजस्य के लिए व्, ओमु-, उय-, म्- उपसर्ग लगे हैं और बहुवचन में अब- के वजन पर ब्-, अब-, बय- और ब- लगाए गए हैं। यह ध्वनि-सामजस्य उपसर्ग के अनुकूल होता है और उराल-अल्ताई परिवार के स्व-सामजस्य से भिन्न है। वाटू भाषाओं का तीसरा लक्षण लिंग का नितान्त अभाव है—सर्वनामों में भी नहीं मिलता।

वाटू भाषाएँ सुनने में मधुर होती हैं। सभी शब्द स्वरात होते हैं। सयुक्त व्यंजनो का अभाव-मा है, केवल अनुनामिक के बाद ही व्यंजन का संयोग होता है, या य्, व् के साथ। इसीलिए अन्य भाषाओं से उधार लिये शब्द भी बदल जाते हैं—अँ० क्राइस्ट > बाँ० किरिसित। स्वर-विभिन्नता से अर्थ-विभिन्नता बहुधा प्रकट की जाती है, जैसे—हॉफिर्नल्ला (बाँधना), कितु हॉफिर्नल्ला (खोलना)।

सूडान परिवार—इस परिवार की भाषाएँ अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्यरेखा के उत्तर में बराबर पच्छिम से लेकर पूरव तक फैली हुई हैं। इनके उत्तर में हामी परिवार की भाषाएँ हैं। इस परिवार में कुल ४३५ भाषाएँ हैं जिनमें से केवल पाँच-छ ही लिपिबद्ध पाई जाती हैं। मुख्य भाषाएँ नीग्रोमेनेगल समूह की बाई, नीग्रोकमेरून की मोम और कनूरी हाउसा तथा प्यूली हैं। नूबी के काप्टी लिपि में लिखे हुए चौथी से सातवीं सदी तक के लेख मिलते हैं। इन भाषाओं की आकृति मुख्य रूप से अयोगात्मक है। एकाक्षर धातुओं के अस्तित्व और उपसर्गों और प्रत्ययों के नितान्त अभाव के कारण चीनी भाषाओं की तरह यहाँ भी अर्थ का भेद सुरो द्वारा मालूम होता है। शब्दों में लिंग नहीं होता, ज़रूरत पड़ने पर नर और मादा के बोधक शब्दों द्वारा लिंग

दिखाया जाता है। बहुवचन का भाव साफ-साफ इन भाषाओं में नहीं झलकता। उसका बोध कहीं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम (हिन्दी वे, उन्हें के समानार्थक) को सज्ञा के साथ रख कर कराया जाता है, और कुछ भाषाओं में स्वर की मात्रा दीर्घ कर देने से भी (जैसे रार—जगल औह रार—बहुत से जगल) हो जाता है। वाक्य ज्यादातर एक सज्ञा और एक क्रिया के छोटे-छोटे होते हैं, जैसे 'वह जहाज में समुद्र में कूद पड़ा' इस वाक्य का बोध तीन वाक्यों 'वह कूदा, जहाज छोड़ा, समुद्र में गिरा' में कराया जायगा। मूडान भाषाओं में एक तरह के मुहाविरे होते हैं जिन्हें व्वनिचित्र, शब्दचित्र या वर्णनान्मक क्रिया-विशेषण कह सकते हैं। उदाहरण के लिए ईव भाषा में जो धातु का अर्थ चलना होता है और इससे कई दर्जन मुहाविरे बनते हैं, जैसे जोकक (मीधे चलना), जोत्यत्य (जल्दी-जल्दी चलना), जोसिस (छोटे-छोटे कदम रखकर चलना), जो त्यो त्यो (लम्बे आदमी की चाल चलना) जो लुमो लुमो (चूहे आदि छोटे जानवरों की तरह चलना)।

मूडान परिवार में चार समूह हैं—सेनेगल भाषाएँ, ईव भाषाएँ, मध्य अफ्रीका समूह, और नील नदी के ऊपरी हिस्से की बोलियाँ। इनमें पहले समूह की बोलोफ़ और दूसरे की ईव मुख्य हैं।

मूडान और बाटू दोनों परिवारों में कुछ समान लक्षण पाए जाते हैं। दोनों में सज्ञाओं को विभिन्न गणों में विभक्त करते हैं। इस गण-विभाग के अभाव में सज्ञा और क्रिया का भेद केवल शब्द के वाक्य में स्थान से ही मातूम होता है। सुर भी दोनों में प्रायः मिलता है।

सामी-हामी परिवार—इजील में दिए गए आख्यान के अनुसार हजरत नौह के सबसे बड़े पुत्र सेम एगिया के दक्खिन-पच्छिम भाग के बहुत-से लोगो—अरब, असीरिया और सीरिया निवासियों—के आदि-पुरुष थे। यहूदी लोग भी इन्हीं के भाईबन्द थे। सेम के छोटे भाई हेम अफ्रीका के बहुतरे देशों के निवासियों—मिस्रवालों, फोनीशियम, इथियोपियन कन्नानाइट आदि लोगो—के आदि पुरुष माने जाते हैं।

इन्ही दो भाइयों के नाम से इस परिवार के दोनों भागों के नाम पड़े हैं। हामी भाग की भाषाएँ सारे उत्तरी अफ्रीका में फैली हुई हैं और इन भाषाओं की बोलनेवाली कुछ जातियाँ दक्खिन और मध्यवर्ती अफ्रीका में भी घुमती चली गई हैं। सामी भाग की भाषाएँ मुख्य रूप से एशिया में बोली जाती हैं पर उसकी प्रधान भाषा अरबी ने सारे उत्तरी अफ्रीका में भी घर कर लिया है। पच्छिम में मोरक्को से लेकर पूरब में स्वेडन तक तथा सारे मिस्र में यही सर्वसर्वा है। अल्जीरिया और मोरक्को की राजभाषा अरबी ही है। काथैज, तथा हब्श देश में सामी परिवार की भाषाएँ बहुत प्राचीन काल से रही हैं। हब्शी राजभाषा सामी है। ओर कई सामी भाषाएँ और बोलियाँ यहाँ बोली जाती हैं।

कुछ भाषाविज्ञानी हामी को सामी में विभिन्न परिवार की मानते हैं पर दोनों में साम्य के लक्षण इतने जबरदस्त हैं कि इनको अलग-अलग परिवार न मानना ही ठीक होगा। दोनों के सर्वनाम एक ही स्त्रोत से निकले हैं यह स्पष्ट और विवादहीन है सज्ञा के बहुवचन के प्रत्यय दोनों में एक ही से हैं और उनका उदगम समान है, त्त प्रत्यय दोनों में स्त्रीलिंग का बोध कराता है। दोनों में लिंगभेद भी पाया जाता है और क्रियापद बनाने में दोनों में काल की अपेक्षा क्रिया की सपूर्णता-अपूर्णता का अधिक महत्व है। इन महत्वपूर्ण लक्षणों के कारण दोनों को एक ही परिवार के दो भाग मानने के पक्ष में भाषाविज्ञानी अधिक हैं। सामी परिवार का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण त्रि-व्यजनधानु ओर स्वरव्यत्यय से रूपनिर्माण, हामी में नहीं पाया जाता। पर इसका समाधान इस बात से हो जाता है कि दोनों हजारों बरस पहले अलग हुईं। सम्भव है कि मिस्र आदि देशों की मूल भाषाओं के प्रभाव के कारण हामी में यह महत्वपूर्ण लक्षण हट गया हो।

इस परिवार के हामी भाग के पाँच मुख्य लक्षण हैं —

(१) पद बनाने के लिए उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लगाये जाते हैं। पदरूप देने के लिए सज्ञाओं में उपसर्ग लगते हैं और क्रियाओं में प्रत्यय। प्रेरणार्थक, समभिहार आदि प्रक्रियाएँ मौजूद हैं और संस्कृत के आत्मने-

पद के वजन की भी प्रक्रिया है। समभिहार में धातु के अभ्यास के आधार पर रूप बनते हैं—जैसे सोमाली भाषा में लब् (तह करना) लब् लब् (बार-बार तह करना), गोइ (काटना) गोगोइ (टुकड़े-टुकड़े कर देना), गल (भीतर जाना), गलि (भीतर रखना)।

(२) क्रिया के काल का बोध उतना नहीं होता जितना कार्य के पूर्ण हो जाने या अपूर्ण रहने का—एक में परिणाम तक पहुँच हो जाती है दूसरी में नहीं।

(३) आर्यभाषाओं की तरह लिंगभेद पुरुषत्व और स्त्रीत्व पर निर्भर न होकर कुछ और ही आधार पर आश्रित है। सामान्यरूप से यह कह सकते हैं कि बड़े और शक्तिशाली जीव और पदार्थ (नल-वार, बड़ी मोटी घास, बड़ी चट्टान, हाथी, नर हो या मादा, आदि के बोधक शब्द) पुल्लिंग में तथा छोटे और निर्बल जीव और पदार्थ (चाकू, छोटी घास, पत्थर, खरगोश आदि के बोधक शब्द) स्त्रीलिंग में होते हैं। लिंगों का भेद शब्द की प्रथम व्वनि में होता है—पुल्लिंग कठ्य से और स्त्रीलिंग दन्त्य से। उदाहरणार्थ गल्ल भाषा में कक (तेरा) तते (तेरी), सोमाली में पुल्लिंग के पूर्व कि अव्यय लगता है और स्त्रीलिंग के पूर्व ति।

(४) हमी की केवल एक भाषा (नामा) में द्विवचन मिलता है अन्यो में नहीं। बहुवचन बनाने के भी कई ढंग हैं। अनाज, बालू, घास आदि छोटी चीजों को समूह-स्वरूप, बहुवचन में ही रखा जाता है और यदि एकत्व का विचार करना हाता है तो प्रत्यय जुड़ता है, जैसे लिस (आँसू ब० व०), लिस् (एक आँसू), विल् (पतिगो), बिल् (एक पतिगा)।

(५) हमी भाषाओं का एक विचित्र लक्षण बहुवचन में लिंगभेद कर देना है। इस नियम को द्रुवाभिमुख कहते हैं, जैसे सोमाली में होयोदि (माँ), (स्त्री०) होयो इन-कि (याताएँ), (पुं०) लिविहित (शेर) (पु) लिविसहोदि (बहुत से शेर) (स्त्री०)। बहुत में शेर स्त्रीलिंग में और बहुत-सी माताएँ पुल्लिंग में।

हामी भाषाओ में विभक्तिसूचक प्रत्यय नहीं पाए जाते। सजा और विगेषण के वचन और लिंग का भेद करने के लिए तथा मध्यम और अन्य पुरुष का बोध कराने के लिए प्रत्यय जोड़े जाते हैं—जैसे **मिस्री** में **सोन्** (भाई), **सोन** (भाई व० व०), **सोन्त** (वहिन), **उञ्चोन्क्** (तू० पुं० है) **उञ्चोन्त्** (तू स्त्री० है,) **उञ्चोन्फ** (वह पुं० है), **उञ्चोन्फ्** (वह स्त्री० है)।

हामी भाषाएँ परस्पर काफी भिन्न हैं पर सर्वनाम, तू स्त्रीलिंग आदि, एकता-सूचक लक्षण है ही। हामी की मुख्य प्राचीन भाषाएँ **मिस्री** और **काप्टी** थी। मिस्री भाषा के लेख छ हजार वर्ष पूर्व तक के मिलते हैं। इसके दो रूप थे, एक वर्मग्रथो का और दूसरा जनसाधारण का। जनसाधारण की मिस्री की ही एक भाषा काप्टी है जिसके ई० दूसरी से ८वीं सदी तक के लिखे लेख ओर ग्रथ, विशेषकर ईसाई-मत-प्रचारक ग्रथ, मिलते हैं। यह १६वीं सदी तक बोलचाल में थी, अब केवल साहित्य में पाई जाती है। वर्तमान भाषाओ में हब्श देश की **खमीर** पूर्वी अफ्रीका के **कुशी** समूह की, **सोमालीलैंड** की **सोमाली**, और **लीबिया** की **लीबी** (या **बबर**) प्रसिद्ध हैं। वर्तमान काल की मिस्री भाषा गठन में बड़ी मीधी-सादी है। उनकी धातुएँ (मूल शब्द) कुछ एकाक्षर और कुछ अनेकाक्षर हैं। विभक्तियों के लिये प्रत्यय नहीं जुड़ते।

कुछ भाषाविज्ञानी बुशमैन भाषावर्ग को भी (लिंगभेद के लक्षण के कारण) हामी परिवार में शामिल करते हैं पर यह ठीक नहीं।

सामी-हामी परिवार की सामी शाखा का विचार अगले अध्याय में किया जायगा। यूरोप और एशिया में उराल-अल्ताई, चीनी, सामी, काकेशी, द्राविड तथा आर्य परिवारों के अलावा कुछ असंबद्ध भाषाएँ भी हैं। इन सबका भी विवेचन अगले अध्याय में होगा।

तीसवों अध्याय

यूरेशिया के भाषापरिवार

सामी समूह

सामी भाषाओं के मुख्य लक्षण ये हैं —

(१) अर्थनत्व का बोध करानेवाला शब्द का भाग धातुरूप, त्रिव्यजनार्थक होता है। यह तीनों व्यजन तथा उनका क्रम स्थिर रहता है। इन व्यजनो में स्वर जोड़कर पद बनाए जाते हैं। इस प्रकार संबन्ध-तत्त्व का काम प्रायः सर्वांश में इन स्वरो द्वारा ही लिया जाता है। उदाहरणार्थ —

कत्ल् (मारना), क्त्व् (लिखना) द्र्च् (चोट पहुँचाना), व् ज्द् (पा जाना), क्तूल् से कतल (उसने मारा), कुतिल (वह मारा गया), (य-) क्तुलु (वह मारता है), कातिल् (मारनेवाला), क्तल् (बैरी), किताल् (परस्पर वध), मकत्ल् (मारा हुआ) आदि।

(२) संबन्ध-तत्त्व का भाव इन स्वरो के अत्वा उपसर्ग और प्रत्यय जोड़कर भी प्रकट किया जाता है। प्रायः क्रिया के रूपों की सिद्धि करने के लिए इनका इस्तेमाल होता है। उदाहरणार्थ अरबी भाषा में अक्तब (प्रेरणार्थक, उसने लिखवाया), तक्तब (उसने परस्पर लिखा), इन्कतब (लिखा गया), इक्ततब (उसने दूसरे से बोला हुआ लिखा), इस्तक्तब (उसने किसी से लिखने को कहा)।

सामी भाषाओं में एक-एक ही उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ा जा सकता है, आर्य परिवार की भाषाओं की तरह प्रत्ययों और उपसर्गों के ढेर के ढेर एक धातु के साथ नहीं लगाए जा सकते।

(३) सामी भाषाओं में लिंग-भेद होता है और स्त्रीप्रत्यय

(-त् या अत्) जोड़कर स्त्रीलिंग शब्द बनता है। उदाहरणार्थ अमीरी भाषा में मलक (राजा), मलकत् (रानी), अरबी में इब्न् (बेटा) बिन्त् (बेटी)। इसी त का यहूदी भाषा में विकास थ > ह मिलता है और अरबी में ह (मलकह्)।

(४) आर्य भाषाओं के समास के वजन की कोई चीज सामी भाषाओं में नहीं मिलती। ममाम-सी कोई ज़रा-सी चीज व्यक्ति वाचक सज्ञाओं (बेन्-जमिन मलिक-ह-इजराएल) में मिलती है। यहाँ पदक्रम आर्य भाषाओं से बिल्कुल उल्टा है, यह स्पष्ट दीखता है।

(५) सज्ञा की तीन विभक्तियाँ प्राचीन सामी भाषाओं में मिलती हैं—कर्त, कर्म और सबध (जैसे अब्द्, अब्दी, अब्दा) जो प्रत्यय जोड़कर बनती थी। पर वर्तमान भाषाओं में ये लुप्त-म्पी हैं। अब उपसर्ग जोड़कर काम निकाला जाता है। प्राचीन सामी में एक-वचन, द्विवचन और बहुवचन भी प्रत्यय जोड़कर बनते थे।

(६) सामी भाषाओं में दो काल होते हैं—एक पूर्ण दूसरा अपूर्ण। सज्ञा या विशेषण में सर्वनाम जोड़कर क्रिया का बोध कराया जाता है—अपूर्ण में उपसर्ग-स्वरूप और पूर्ण में प्रत्यय-स्वरूप त-क्तुलु (वह मारती है), न-क्तुलु (हम मारते हैं) किन्तु कतल्-अत् (उमने मारा), कतल्-ना (हमने मारा)। मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष की क्रिया में लिंग-भेद भी किया जाता है—कतल (उस पुँ० ने मारा), कतलत् (उस स्त्री ने मारा), यक्तुलु (वह मारता है) तक्तुल (वह मारती है), कतवत् (तू मर्द ने लिखा), कतव्ते (तू औरत ने लिखी)।

सामी भाषाएँ परस्पर एक-दूसरी में बहुत भिन्न नहीं हैं। क्रमवद्ध त्रिव्यजनात्मक भाग ने भाषा को एक स्थिरता-सी प्रदान कर दी है, यद्यपि अस्थिर स्वरों के कारण भाषा सयोगावस्था में बराबर त्रियोगावस्था की ओर बढ़ती रही है। कुछ शब्दों में वातु त्रिव्यजनात्मक नहीं मिलती (कुल—बोली, काल—वह बोला)। पर प्रायः ऐसे सभी शब्दों में त्रिव्यजन में वातु द्विव्यजन हुई है, ऐसा अनुमान किया जाता है (क् व् ल् > क् ल्)। तब भी कुछ शब्दों (यथा, अब्ब-

पिता, ई० नू—बेटा, य० जादू—हाथ) में ध्वनिविकास भी धातु की द्विव्यजनात्मकता का कारण नहीं दे सकता।

संसार की भाषाओं में सामी भाषाएँ बड़े महत्त्व की हैं—इनकी महत्ता यदि कम है तो केवल आर्य भाषा-परिवार से। वस्तुतः आर्य चीनी और सामी यही तीन भाषा-परिवार संसार की सभ्यता के हजारों वर्षों से माव्यम रहे हैं।

सामी परिवार को पहले दो वर्गों में बाँट सकते हैं—(क) पूर्वी और (ख) पच्छिमी। ओर फिर पच्छिमी को उत्तर-पच्छिमी और दक्खिन-पच्छिमी में।

पूर्वी सामी की भाषा अक्कदी प्राचीन बैबिलोनिया (बाबेरु) और असीरिया में बोली जाती थी। इसका इतिहास ३८०० ई० पू० तक का मिलता है। प्रो० मेयस के मतानुसार इसका संस्कृत भाषा का-सा महत्त्व है। बाबेरु के पतन (५२६ ई० पू०) के बाद अरमी भाषा ने अक्कदी का स्थान ले लिया।

उत्तर-पच्छिमी वर्ग की प्राचीन भाषाएँ फोनीशिया, यहूदी और अरमी रही हैं। फोनीशिया के लेख १०० ई० पू० तक के मिलते हैं। एशिया के भूमध्य सागर के किनारे इसका निवासस्थान था। यहाँ से यह उत्तरी अफ्रीका में पहुँची। इसके बोलने वाले बड़े व्यापार-कुशल थे और अनुमान है कि लिपि के प्रचार में इनका अच्छा खासा हाथ रहा है। इस भाषा को अरमी में समाप्त कर दिया। यहूदी फिलिस्तीन में बोली जाती थी और उसका प्राचीन रूप हमें इज्जिल के प्राचीन भाग से मिलता है। अनुमान है कि इसके कुछ अंश ईसा से पूर्व एक हजार वर्ष तक जाते हैं। ई० पू० पाँचवीं सदी में इज्जिल प्राचीन के भाग का सम्पादन हुआ जिसमें भाषा भी परिवर्तित हुई होगी। लेखों आदि के परीक्षण से पता चलता है कि अरमी उत्तरी मेसोपोटैमिया में बोली जाती थी। यही से वह सीरिया और चैटिडिया में फैली और करीब ८०० ई० पू० में इस सारे प्रदेश की भाषा बन बैठी। इन तीनों के अलावा इस वर्ग की भाषा सीरी भी है जो सीरिया

मे १००० ई० तक बोली जाती थी। तब अरबी ने उसे माग भगाया।

दक्खिन-पच्छिम वर्ग की सर्वप्रधान भाषा अरबी है। अरब देश के दक्खिन भाग के कुछ लेख ई० पू० आठवी सदी के मिलते हैं, और उत्तर भाग के दूसरी सदी तक के। पर इस देश की मध्य भाग की भाषा ही प्रमुख रही है। इस मध्यवर्ती भाषा के लेख, ग्रन्थ आदि ईसवी चौथी सदी के पहले नहीं जाते। मुहम्मद साहब और उनके धर्म इस्लाम के आविर्भाव के पूर्व, अर्थात् ई० सातवी सदी के पहले भी, इस भाषा में अच्छा खासा साहित्य था। कुरानशरीफ इसी मध्यवर्ती अरबी में है और उस ग्रन्थ की साहित्यिक खूबियों में अनुमान होता है कि इस्लामधर्म के प्रचार के पूर्व भी अरब में साहित्य-सेवा होती थी। कुरानशरीफ ने अरबी में अद्वितीय जोग भर दिया और उन्होंने सारे संसार में इस्लाम धर्म के प्रचार की ठानी। फलस्वरूप अरबी भाषा बहुत देशों में फैल गई। अरबी आज सारे अरब, उत्तरी अफ्रीका और उत्तर-पच्छिमी अफ्रीका में बोली जाती है। माल्टा में भी यही बोली जाती है। एक समय स्पेन में मूर लोग भी इसी को बोलते थे। फारसी, तुर्की और हिन्दुस्तानी की उर्दू शैली पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। विज्ञान और भूगोल सबधी, योरोपीय भाषाओं के बहुतेरे शब्द (अल्जेबरा, सिफर, जीरो, मेंगजीन आदि) अरबी भाषा के हैं। बोलचाल की वर्तमान अरबी भाषा अयोगावस्था की, और बहुत सीधी सादी है। कुरान की भाषा का विकसित रूप होते हुए भी यह उस भाषा से भिन्न है, और केवल कुरान को पढने के लक्ष्य से अरबी सीखने वाले लोग वर्तमान अरब की विचारधाराओं में बहुत दूर रह जाते हैं।

अबीसीनिया (हब्श) देश की भाषा हब्शी, सामी ही की एक शाखा है, जो प्रागैतिहासिक काल में लालसागर को पार कर वहाँ पहुँची। गठन में यह हामी और नामी के बीच की है। इसमें इजील का अनुवाद (गीज़ बोन्गी में किया हुआ) ईसवी चौथी सदी का मिलता है।

उराल-अल्ताई समुदाय

इस समुदाय की भाषाएँ बड़े विस्तृत भू-भाग में फैली हुई हैं। वस्तुतः क्षेत्र-विस्तार की दृष्टि में आर्य परिवार के बाद इसी का नम्बर आता है। ये भाषाएँ पश्चिम में तुर्की हंगेरी और फिनलैंड से लेकर पूर्व में ओबोटस्क सागर तक और दक्खिन में भूमध्यसागर में उत्तर में उत्तरी महासागर तक पाई जाती हैं। परिवार की भाषाओं में जो परस्पर साम्य पाया जाता है वह इस समुदाय के भाषा-समूहों में भी परस्पर नहीं मिलता, इसीलिए वर्तमान-कालिक भाषा-विज्ञानियों का विचार इनको दो अलग-अलग परिवारों में बाटना है—(१) उराल परिवार और (२) अल्ताई परिवार।

अनुमान है कि उराल और अल्ताई दो पर्वत के मुख्य स्थानों के जहाँ से इन परिवारों की अतर्गत भाषाएँ उधर-उधर फैलीं। उराल परिवार में दो भाषा समूह (फीनी-उग्रो और ससोयेदी) तथा अल्ताई में तीन (तुर्की, मङ्गोली और तुगूज़ी) माने जाते हैं। इन दोनों परिवारों में दो-तीन ऐसे लक्षण हैं जिनके कारण ही इनकी अतर्गत भाषाएँ एक सम्मिलित परिवार की समझी जाती थी—

(क) पदों की सिद्धि के लिए यौगिक प्रतिक्रिया सर्वत्र मिलती है। इसके द्वारा स्थायी मूल (धातु) में एक या अनेक अस्थायी प्रत्यय एक के बाद एक जुड़ते जाते हैं। सभी समूहों में यह प्रक्रिया है ही, पर कुछ में अश्लिष्ट यौगिक में भाषाएँ श्लेष की ओर बढ़ती गई हैं।

(ख) स्वर की अनुरूपता सभी समूहों की भाषाओं में मिलती है। इसके द्वारा प्रत्ययों के स्वर, धातु के स्वर के अनुरूप गुरु (भारी) या लघु (हल्के) कर दिये जाते हैं। तुर्की भाषा के उदाहरण यज् से यज्मक् और मेव् से सेव् मेक् पहले दिये गए हैं। पर स्वर की इस प्रकार की अनुरूपता कुछ इन्हीं भाषाओं की विशेषता नहीं है, बाँद, परिवार में भी यह मिलती है। और फिर यह अनुरूपता भी कुछ बहुत पुरानी नहीं है।

(ग) शब्दों में सबध-वाचक सर्वनामों का प्रत्ययरूप जोड़ना भी इन भाषाओं की एक विशेषता है। पर यह भी सामी आदि भाषाओं में पाई जाती है। कुछ विद्वान् सामी परिवार की प्राचीन भाषा अक्कदी को यौगिक होने के कारण उराल-अल्ताई समुदाय में ला धरते हैं पर यह ठीक नहीं।

इसके अलावा इन दो परिवारों में परस्पर शब्दकोष और ध्वनि-समूह का कोई साम्य नहीं मिलता। ऐसी परिस्थिति में इनको अलग-अलग परिवार मानना ही युक्ति-सगत जान पड़ता है।

उराल परिवार में फीनी-उग्री समूह में सारे फिनलैंड और स्वीडन के उत्तरी भाग की फीनी (इसे सुओमी भी कहते हैं) और एम्-पडोस की बोलियाँ हैं। वह वल्गा नदी के ऊपर और मध्यभाग के उभयतटवर्ती देशों में बोली जाती है और कुछ साइबेरिया की ओवी नदी के तटवर्ती देश में। इनके अलावा हंगेरी की मगियार (हंगेरी) भाषा भी इसी समूह में सम्मिलित है। फीनी में १६ वीं सदी से इधर बराबर साहित्य पाया जाता है और यह अब फिनलैंड की महत्ता के साथ-साथ स्वयं साहित्यिक महत्व प्राप्त कर चुकी है। शब्दकोष में आर्य परिवार के बहुत से शब्द सम्मिलित हैं। मगियार में १८ वीं सदी से साहित्य मिलता है। फीनी भाषियों की संख्या आधे करोड़ से और मगियार भाषियों की एक करोड़ में कम है। इन दोनों भाषाओं पर जर्मन भाषा का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। न केवल शब्दावली ही काफी ले ली गई है, बल्कि पद रचना भी प्रभावित हुई है। इन भाषाओं में लिंगभेद बिल्कुल नहीं पाया जाता। फीनी-उग्री समूह की भाषाओं की परम्पर समानता यथेष्ट है। उदाहरणार्थ फीनी और मगियार के तीन शब्द ले ले—

फीनी	मगियार	अर्थ
कैसी	केज	हाथ
किवि	को	पत्थर
वेसी	विज	पानी

इसी परिवार के **समोयेदी** समूह में कुछ बोलियाँ हैं जिनमें से कोई भी प्रमुख बन कर भाषा की सत्ता नहीं पा सकी। इन बोलियों के बोलनेवालों की संख्या केवल बीस-पच्चीस हजार है।

अल्ताई परिवार की भाषाओं की समानता के मुख्य लक्षण ध्वनि-साम्य, अक्षरनिर्माण-साम्य तथा शब्दावली-साम्य विशेष हैं, पदरचना की समानता अपेक्षाकृत कम। लिग किसी में नहीं मिलता। स्वर की अनुरूपता भी सर्वत्र मिलती है।

मंगोली बोलने वालों की संख्या कोई तीस लाख है। चीन देश के उत्तरी भाग में, मन्चूरिया का पश्चिम इनका स्थान है। १३ वीं सदी तक के लेख मिलते हैं। साहित्य कोई महत्त्व का नहीं है। मंगोल जाति १३ वीं सदी में चंगेज खा के समय में उत्तरी की ओर बढ़ी थी पर शीघ्र ही उसकी गति रुक गई। तुगूजी बोलने वालों की संख्या कोई दस लाख ही है। इनकी बोलियाँ मन्चूरिया में और साइबेरिया के मध्य भाग में बोली जाती हैं, न कोई बोली प्रधान है और न कोई साहित्य। राज्य और साहित्य दोनों के प्रभाव से मंगोली और तुगूजी दोनों का बड़ा गौण स्थान है, प्रधानता है चीनी भाषा की। अनुमान है कि जैसे मुंडा भाषाएँ हमारे देश में विलोप की ओर जा रही हैं, वैसे ही चीन में मंगोली और तुगूजी। दोनों गठन में बड़ी सीधी-सादी हैं। कुछ विद्वान् तुगूजी के साथ जापानी को शामिल करके अलग ही भाषा-परिवार मानते हैं। चीन में साम्यवाद के आधिपत्य के कारण भाषाओं की परिस्थिति कुछ बदल रही है।

अल्ताई परिवार का प्रमुख भाषासमूह **तुर्की** है, इसको **तुर्क-तातारी** भी कहते हैं। इसमें कुल २८ बोलियाँ हैं। तुर्की देश से लेकर पूर्वी साइबेरिया की लेना नदी तक इनका अस्तित्व है। इनमें लेना तटवर्ती याकूत, तुर्किस्तान की किरगिज, क्रीमिया के कोमक, रुमियो की नोगाइर और तुर्की देश की तुर्की प्रधान हैं। इन सब में भी तुर्की प्रमुख है। इसकी साहित्यिक भाषा को **उस्मानली** कहते हैं। तुर्की समूह की बोलियों के बोलने वालों की संख्या कोई चार करोड़ है।

कोई-कोई लेख ८ वीं सदी तक के मिलते हैं पर साहित्य-निर्माण १४वीं सदी से आरम्भ होता है। इस्लाम धर्म के कारण १९ वीं सदी तक अरबी और फारसी का तुर्की भाषा पर विशेष प्रभाव रहा। पर इधर प्रजातन्त्र-शासन के फलस्वरूप तुर्की में जो जागृति हुई उसके कारण तुर्की ने स्वतंत्र सत्ता प्राप्त कर ली। और २० वीं सदी में मुस्तफा कमालपाशा के नेतृत्व में अरबी के शब्द बिन-बिन कर हटाए गए और उनका स्थान म्बदेशी शब्दों ने ग्रहण किया। इसके अलावा रोमन लिपि म्बीकार कर ली गई और अरबी लिपि निकाल भगाई गई।

चीनी परिवार

इस परिवार की भाषाएँ चीन महादेश के बड़े भारी हिस्से में, अनाम (कोचिन चीन, नम्बोडिया, टोनकिन), थाई देश (स्याम) तिब्बत और ब्रह्मा में बोली जाती हैं। बोलनेवालों की संख्या की दृष्टि से आर्य परिवार के बाद इसी का नम्बर है। इसमें कई भाषा-समूह हैं—(क) अनामी (ख) थाई (ग) तिब्बती-ब्रह्मी और (घ) स्वयं चीनी। ये सभी समूह एक ही परिवार के माने जाते थे, पर अब कुछ विद्वानों को थाई और तिब्बती-ब्रह्मी के इसी परिवार के अगभत होने में मन्देह जान पड़ता है। चीनी परिवार की भाषाओं का मुख्य लक्षण पदों की एकाक्षरता और व्याकरण का अभाव है। पर अनामी की एकाक्षर सामग्री चीनी से बहुत कुछ भिन्न है। थाई और तिब्बती-ब्रह्मी में कुछ शब्दों में एकाक्षरता का अभाव है और उपसर्गों का अस्तित्व नजर आता है। थाई में तो क्रिया की प्रक्रिया के भी कुछ लक्षण हैं। परन्तु हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये दोनों भाषासमूह चिरकाल से भारतीय संस्कृति के प्रभाव में आ गए हैं। ब्रह्मा और थाई देश की धर्मभाषा पालि है और तिब्बती में भी ई० ७ वीं, ८ वीं सदी से ही संस्कृत और पालि भाषा के बौद्ध ग्रंथों का प्रचुर प्रचार और अनुवाद होने लगा था जो कई सौ साल तक जारी रहा। अन्य समूहों में चीनी का प्रभाव अक्षुण्ण रहा। ऐसी परि-

स्थिति में बहुत संभव है कि थाई और तिब्बती-ब्रह्मी में चीनी से जो भेद दिखाई देता है, वह भारतीय प्रभाव के कारण हो।

चीनी जनश्रुति के अनुसार चीनी धार्मिक और इतिहासिक साहित्य, कोई चार-पाँच हजार साल पुराना है और वह व्यवधान-रहित गति में चला आ रहा है। वहाँ इतिहास लिखे जाने की एक प्राचीन प्रथा चली आ रही है, इन इतिहासग्रन्थों को शुकिंग कहते हैं। इन ग्रन्थों का जगत्प्रसिद्ध दार्शनिक कनफुशियस ने ई० पू० छठी शताब्दी में सम्पादन किया। बहुत संभव है कि उस समय पुरानी भाषा में परिवर्तन कर दिए गए हों। तब भी इस साहित्य के द्वारा हमें थोड़ा-बहुत भाषा-संबंधी विवरण मिल ही जाता है। पद्य तुकान्त होते थे, इसलिए ध्वनियों के विकसित हो जाने पर भी उनके प्राचीन रूप का आभास मिल जाता है। विकास तो अबाधगति से होता ही रहा है, उदाहरणार्थ प्राचीन *तित्*, *तिप्*, *तिक्* का वर्तमानकालिक उच्चारण क्रमशः *यि*, *त*, *ये* पाया जाता है। साहित्य के कुछ ग्रन्थों को जाइल्ज जैसे कट्टर यूरोपियन विद्वान् भी ई० पू० १८०० का अर्थात् कोई पौने चार हजार साल पुराना मानते हैं। तिब्बती से ७ वीं सदी से, ब्रह्मी से ११ वीं से और थाई से १३ वीं सदी में लेख और ग्रन्थ मिलते हैं।

साहित्य की तरह चीनी लिपि बहुत पुरानी है। लिपि-विकास की दूसरी अवस्था (भावात्मक) से यह अभी आगे नहीं बढ़ पाई। इसमें प्रति शब्द के लिए एक अलग ही संकेत है। चीनी भाषा की एकाक्षरात्मकता और व्याकरण-हीनता ही शायद इस विकास के अभाव का कारण है क्योंकि यदि लिपि ध्वन्यात्मक या वर्णात्मक होती तो भाषा में विभ्रम की संभावना बढ़ जाती। चीनी लिपि के कारण विभिन्न भाषा-समूह जो इस परिवार के अंतर्गत हैं एक दृढ़ सूत्र में बंधे हुए हैं। तिब्बती और ब्रह्मी की लिपियाँ भारतीय लिपियों में निकली हैं।

प्राचीन चीनी भाषा का काल १० वीं सदी तक, मध्यकालीन का १० वीं से १३ वीं तक तथा आधुनिक का १३ वीं से इधर माना

जाता है। भाषा के लक्षणों के हिमाव से पुरानी और नई भाषा में कोई अन्तर नहीं दिखाई पड़ता। मुख्य लक्षण ये हैं—

(क) एकाक्षर शब्द

(ख) शब्दों का अर्थवान् और अर्थहीन में विभाग

(ग) वाक्य में शब्दों के स्थान का महत्त्व

(घ) सुरभेद का बाहुल्य

(ङ) व्याकरण का अभाव

चीनी भाषा की समस्त पूँजी उसके एकाक्षर शब्द हैं। मन्दारी बोली सर्वप्रधान है, उसमें कोई सवा चार सौ ही शब्द हैं, कटूनी (कैटन की बोली) में आठ-नौ सौ ही हैं। अन्य बोलियों में इसी प्रकार कम या ज्यादा शब्द हैं। पर इनसे प्रायः सौ गुने शब्दों की मिद्धि हो जाती है। मन्दारी में ही कोषसन्निहित बयालीस हजार शब्द हैं। सवाल उठता है कि इतनी कम पूँजी से इतने अधिक शब्द कैसे सिद्ध हो जाते हैं? उत्तर मनोरंजक है। यदि केवल यही अक्षर ही होते तो बात असाध्य थी, पर साथ ही साथ हैं सुर-बाहुल्य और अन्य साधन। एक ही ध्वन्यात्मक शब्द येन् के चार अर्थ (घुँआ, नमक, आँख और हस) सुरभेद के ही कारण होते हैं। यह चार विभिन्न सुरों के कारण ही संभव है। ब का उदाहरण ऊपर (पृ० ७९ पर) दिया गया है। हुओ का एक सुर में अर्थ है 'भला' और दूसरे से 'प्रेम'। सुर के अलावा दूसरा साधन है—दो शब्दों को पास-पास रख कर उन दोनों के सामान्य अर्थ का बोध कराना। उदाहरण के लिए, तओ के अर्थ हैं 'सड़क भड़ा, आच्छादन, अनाज आदि' और लू के 'सड़क, घुमाव, रत्न, ओस आदि'। अब यदि मडक का बोध कराना हो तो तओलू कहने से अभिप्राय सिद्ध हो जायगा। येन् का अर्थ है 'आँख' पर और भी कई एक। अब यदि आँख का बोध कराना हो तो उसके साथ चिंग (आँख का तारा) रख कर आँख का अर्थ निश्चित कर लेंगे। यदि येन् से नमक का बोध कराना हो तो पड़ (बारीक) वा हेड़ (मोटा) जोड़कर अभिप्राय प्रकट कर देंगे।

चीनी के शब्द अर्थवान और अर्थहीन इन दो विभागों में बाँटे जाते हैं। अर्थहीन शब्द का कर्तव्य केवल इतना होता है कि अर्थवान् शब्द का सम्बन्धतत्त्व ही जाय या उसकी परिस्थिति निश्चित रूप से बना दे। अपने व्याकरण में जो काम उपसर्ग, परसर्ग, समुच्चय-बोधक आदि शब्द करते हैं वही काम चीनी भाषाओं में ये अर्थहीन शब्द देते हैं। उदाहरणार्थ लि (का), य (से), यु (को), लि पर त्सुग (से-अपादान), ती (बहुत), शु (सख्या)। पर इतना ध्यान रखना चाहिए कि ये अर्थहीन शब्द केवल यही काम नहीं करते। य अर्थवान् भी होते हैं और तब इनका विशेष अर्थ भी होना है। उदाहरणार्थ लि का अर्थ है 'स्थान, यु का 'देना'। कब कौन शब्द अर्थहीन है और कब अर्थवान्, यह बात केवल उसके वाक्य में इस्तेमाल होने पर मालूम होती है। अर्थवान् शब्दों के भी दो हिस्से हैं, जीवित और मृत। जीवित शब्द किसी क्रिया का बोध कराते हैं और मृत कर्म का। पर यह विभाग भी कोई बहुत निश्चित नहीं है।

चीनी में कोई व्याकरण नहीं मिलता। हम अपने शब्दों को सज्ञा, विशेषण, क्रिया आदि विभागों में बाँटते हैं और इस सज्ञा आदि से इनके विशेष-विशेष प्रयोगों का बोध कराते हैं। पर चीनी में एक ही शब्द कभी सज्ञा, कभी विशेषण और कभी क्रिया आदि का अभि-प्राय सिद्ध करता है और प्रकरण ही इसका निश्चय करता है। ऊपर (पृ० १५२ पर) लश्चो लश्चो का उदाहरण आया है। त का अर्थ प्रकरण के अनुसार 'बड़ा होना बड़ा, बड़ाई, बड़ाई से' हो सकता है। म्यु का अर्थ भी 'मरना, मृत, मार डालना' कोई भी प्रकरण के अनुकूल समझा जायगा। शब्द का वाक्य में जो स्थान होता है वही प्रायः इस बात का निश्चय करता है। कर्त्ता, क्रिया, कर्म यह पद-क्रम है। विशेषण विशेष्य के पहले रखा जाता है। उदाहरणार्थ त जिन् (बड़ा आदमी) पर जिन् त (आदमी बड़ा है) न्गो त नि (मैं तुम्हें मारता हूँ) और नि त न्गो (तू मुझे मारता है)।

चीनी भाषाओं में सुर का जितना प्रयोग मिलता है, ससार की अन्य किसी भाषा में नहीं। किसी-किसी चीनी भाषा में आठ सुर माने जाते हैं, मन्दारी में छ वर्तमान हैं। ऊपर कह चुके हैं कि इस सुर-विभेद के कारण ही चार सवा चार सौ एकाक्षर शब्द प्रयोग में चालीस पैतालीस हजार हो जाते हैं। यह सुर-विभेद चीनी में प्राचीन काल में चला आता है। अनुमान यही है कि आज जो समानध्वन्यात्मक पर भिन्नार्थ-बोधक शब्द हैं वही किसी पूर्वकाल में भिन्नध्वन्यात्मक रहे होंगे और विकसित होते-होते समानध्वन्यात्मक हो गए हैं। इस विकास के समय में ही इस सुरविभेद का प्रादुर्भाव हुआ होगा। इसी तरह यह संभव है कि ये भाषाएँ हमेशा से ही एकाक्षर नहीं हैं और न इस संपूर्ण अयोग्यता की।

थाई समूह की कुछ बोलियाँ आसाम के पूर्वोत्तर भाग में और ब्रह्मदेश के कुछ भागों में बोली जाती हैं। इनमें से शान, आहोम और खाम्ती मुख्य हैं। तिब्बती-ब्रह्मी समूह की बोलियाँ तिब्बत (भोट) और ब्रह्मदेश में बोली जाती हैं। ऐसा अनुमान है कि इनका आदि विकासस्थान चीन महादेश का पश्चिमोत्तर भाग था। वहाँ से इनके बोलने वालों के पूर्वज ब्रह्मपुत्र और इरावदी आदि दक्खिन की ओर आने वाली नदियों के किनारे-किनारे आकर हिमालय के दक्खिन भाग, तिब्बत, भूटान, आसाम और ब्रह्मदेश में बस गए। यहाँ इनकी भाषा में इतना अन्तर पड़ गया कि कुछ विद्वानों को इनके चीनी परिवार से सम्बद्ध होने में ही सन्देह है। इस शाखा के मुख्य लक्षण ये हैं—

(क) प्राणिवाचक और अप्राणिवाचक शब्दों का भेद, (ख) कुछ सर्वनामों में द्विवचन और बहुवचन का अस्तित्व, (ग) उत्तम-पुरुष-वाची सर्वनाम के द्विवचन और बहुवचन में दो-दो रूप, (घ) क्रिया के कुछ रूपों में प्रत्ययों का प्रयोग और (ङ) ऊपर के मध्या-वाची शब्दों में गिनती का दश पर निर्भर न होकर विंशति (बीस) पर निर्भर होना। इनमें से कोई भी चीनी परिवार की अन्य शाखाओं में

नहीं पाया जाता। पर ये सभी लक्षण मुडा भाषाओं में पाए जाते हैं। और स्पष्ट ही तिब्बती-ब्रह्मा में एतद्देशी प्रभाव-स्वरूप है।

तिब्बती भाग की प्रमुख भाषा तिब्बती है। जसा ऊपर कह चुके हैं तिब्बती में अच्छा खासा साहित्य है। इसके अलावा लद्दाखी आदि बहुतेरी बोलियाँ हैं। वही भाग की प्रमुख भाषा ब्रह्मी है तिब्बती-ब्रह्मी शाखा की १५६ बोलियाँ हैं और बोलनेवालों की संख्या डेढ़ करोड़ से ऊपर। भारत और ब्रह्मदेश में इतनी बोलियाँ बोली जाती हैं, बाहर की तो कितनी ज्यादा होगी। इस बोली-बाहुल्य का कारण यही है कि इनका क्षेत्र पहाड़ी प्रदेश है जहाँ आदान-प्रदान के साधन बहुत कम हैं।

चीनी भाषा-समूह की मुख्य भाषा मन्दारी है। यह पीकिंग के आसपास बोली जाती है और इसी में विस्तृत साहित्य है। यही राज-भाषा है। इसमें कोई शब्द सघोष व्यजन में नहीं आरम्भ होता और सभी शब्द किसी अनुनासिक व्यजन (न्, ङ्, ञ्) में अन्त होते हैं। मन्दारी के अलावा फूकियन और कैंटन की बोलियाँ भी मार्को की हैं।

अनामी को कुछ विद्वान चीनी परिवार से अलग रखते हैं, और उसे याई भाषा-समूह और आस्ट्री-एशियाई परिवार के बीच की अवस्था का मानते हैं। पर चीनी परिवार के मुख्य लक्षण अनामी में सर्वत्र पाए जाते हैं। चीनी लिपि में लिखे उनके आदि ग्रन्थ, १५वीं सदी तक के मिलते हैं। दो सदियों के बाद यूरोपीय प्रभाव के कारण रोमन लिपि का इस्तेमाल होने लगा। सब बातों को ध्यान में रखकर अनामी को चीनी परिवार की ही एक शाखा मानना अधिक युक्तिसंगत है।

काकेशी परिवार

काले सागर और कैस्पियन सागर के मध्यवर्ती भूभाग में दो छोटे-छोटे भाषासमूह ऐसे हैं जो पड़ोस के सामी, उराल-अल्ताई या आर्य, किसी के अन्तर्गत नहीं हो सकते। ये हैं काकेशस पर्वत पर के

उत्तरी काकेशी और दक्खिनी काकेशी। पहले की बोलियों के भाषी कोई पाँच लाख और दूसरे के पन्द्रह लाख के करीब हैं। उत्तरी और दक्खिनी शाखाओं में परस्पर काफी भेद है। उत्तरी शाखा में व्यंजनों का बाहुल्य और स्वरों की कमी है। दोनों में पद-रचना की बेहद जटिलता है। इसका अनुमान इसी से हो सकता है कि अबर बोली में सज्ञा की तीस विभक्तियाँ हैं, और चेंचें में सज्ञा के छ लिंग माने जाते हैं। क्रिया की प्रतिक्रिया में इतनी जटिलता है कि धातु की खोज कर पाना टेढ़ी खीर है, कौन मालूम कर सकता है कि अर, उर, अइसर उन्द, अन्द, आ इन रूपों में धातु अइ (बनाना) है? उत्तरी काकेशी में न कोई निजी साहित्य है न लिपि। दक्खिनी शाखा की प्रमुख बोली जाजों है। इसमें १० वीं सदी से इधर बराबर साहित्य मिलता है। इसकी लिपि भी स्वतंत्र है।

विविध समुदाय

ऊपर कई भाषा-परिवारों का वर्णन हो चुका है। भारतवर्ष में बोली जाने वाली भाषाओं के परिवारों (आर्य, द्रविड और आस्ट्रो-एशियायी) का वर्णन अगले अध्यायों में किया जाएगा। पर इनके अलावा कुछ प्राचीन और कुछ अर्वाचीन भाषाएँ ऐसी हैं जो इनमें से किसी भी परिवार के अन्तर्गत नहीं होती। इनका भी यहाँ संक्षेप में उल्लेख कर देना आवश्यक है। प्राचीन भाषाएँ (क) सुमेरी, (ख) मितानी, कोत्सी, बन्नी, एलामाइट, हिट्टाइट-कूपडोसी, और (ग) एत्रुस्कन हैं तथा अर्वाचीन (प) जापानी (फ) कोरियाई (व) ऐनू (भ) हाइपर-बोरी और (म) बास्क

(क) सुमेरी—इसके लेख ई० पू० ४००० तक के मिलते हैं। यह मामी में भिन्न है और अक्कदी (सामी की एक शाखा) जिसका विचार ऊपर कर चुके हैं उससे बिल्कुल अलग है। सुमेरी बोलनेवाले सभ्यता के शिखर पर पहुँचे हुए, बेबल के शासक थे और फारस की खाड़ी तक फैले हुए थे। कुछ विद्वान सिन्ध के तट पर की सभ्यता जो

मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की सामग्री से प्रकाश में आई है, उसका भी सम्बन्ध सुमेरी बोलने वालों से जोड़त है। इन्होंने अपन बाद आने वाले असीरी लोगों के पास काफी सामग्री अपने साहित्य और भाषा सम्बन्धी छोड़ी है। असीरी भाषा में लिखे सुमेरी के काष और व्याकरण तथा असीरी-अनुवाद समेत सुमेरी के कई ग्रंथ भी अब मिलते हैं। ईसा के पूर्व कई हजार वर्ष तक इन लोगों की फलनी-फूलनी सभ्यता थी। ई० पू० ३०० तक जब अक्कदी सुमेरी को दूर भगा रही थी, तब तक भी सुमेरी, धर्म और साहित्य की भाषा रही। पर कालचक्र ने इसे हटा दिया। पदरचना के हिमाब से इसे योगात्मक कहना चाहिए। इसीलिए इसे उराल-अल्ताई परिवार में सम्मिष्टित करते हैं, पर इस सम्बन्ध के लिए आवश्यक प्रमाण नहीं है।

(ख) **मितानी** आदि—मितानी के केवल कुछ व्यक्तियों के नाम तथा एक वार्मिक पुस्तक मिलती है। यह शायद दक्खिनी काकशी से कुछ सबद्ध है और फराद के उत्तरी तट पर बोली जाती थी। कोस्सी के कुछ नाम ही मिलते हैं तथा बन्नी के कुछ ई० पू० ८वीं ९वीं सदी के लेख। एलामाइट के २६०० ई० पू० तक के लेख मिलते हैं। **हिटाइट-कप्प-डोसी** बोलियाँ, काले सागर के दक्खिन की ओर कप्पदोशिया प्रदेश में बोली जाती थी। इनकी कई पुस्तके लेख आदि मिलते हैं। इनकी ध्वनि-सबन्धी और शब्दावली की समानता ऊपर की सभी प्राचीन भाषाओं से तथा सामी और आर्यपरिवार की भाषाओं से दिखती हैं। पर पदरचना की समानता आर्य-परिवार से विशेष है।

(ग) **एत्रुस्कन**—रोम के उत्थान के पूर्व यह भाषा इटली के उत्तरी और मध्य प्रदेश में बोली जानी थी। इसके कुछ लेख तथा एक पुस्तक प्राप्त हुई है। इसका सम्बन्ध मध्यसागर के साइप्रस, क्रीट आदि द्वीपों तथा उस सागर के किनारे वाले एशिया के भाग की पुरानी भाषाओं से निश्चित है। आर्य-परिवार से यह बिल्कुल अलग है।

(घ) **जापानी**—जापानी भाषा में बहुत अच्छा साहित्य है, और ८ वीं सदी तक पुराना है। लिपि चीनी से सबद्ध है। यह छ करोड़

जनता की भाषा है। टोकियो नगरी १९वीं सदी में राजधानी बनी, तभी से वहाँ की बोली को महत्त्व मिला। लिखित भाषा और बोलचाल की भाषा में काफी अन्तर है और उच्चवर्ग और नीच वर्ग में भी भेद है। पदरचना में यह प्रत्यय जोड़ने वाली, श्लेष की ओर झुकने वाली भाषा है। बहुवचन को बहुधा अम्यास करके व्यक्त करते हैं। सयुक्त व्यंजनों का प्रयोग कम है। ध्वनिसमूह जटिल-भा है। कोरियाई भाषा से कुछ सम्बन्ध मालूम पटना है। इसको उराल-अल्ताई अथवा सुमेरी से संबद्ध करने के उद्योग निष्फल मानित हुए हैं। वर्तमान सप्ताह की प्रमुख भाषाओं में गणना पाने पर भी जापानी का अभी तक किसी भी परिवार से ठीक-ठीक युक्तिसंगत संबंध नहीं जोड़ा जा सका है।

(फ) कोरियाई—यह कोरिया में बोली जाती है और इसमें बोलने वालों की जनसंख्या दो करोड़ के करीब है। इसका भी संबंध अभी तक निश्चित नहीं हो सका है। सदियों तक चीनी प्रभुत्व के रहने के कारण इसमें चीनी शब्दों की बहुतायत है। १५ वीं सदी तक यह चीनी लिपि में लिखी जाती थी। उस समय इसकी अपनी लिपि बनी जो मस्कृत (देवनागरी) पर आश्रित है। यह भी प्रत्ययप्रधान श्लिष्ट भाषा है और जापानी से कुछ मिलती-जुलती है।

(व) एनु—इसमें तीन बोलियाँ हैं। बोलने वालों की संख्या बीस-पच्चीस हजार है। साहित्य बिल्कुल नहीं है। जापान के उत्तर में स्थित दो-तीन द्वीपों में इसके बोलने वाले रहते हैं। यह भी योगात्मक अश्लिष्ट भाषा है।

(भ) हाइपर-घोरी—ये बोलियाँ साइबेरिया के उत्तर-पूर्व के कोने में तथा उसके पड़ोस के दो-एक द्वीपों में बोली जाती हैं। कई बोलियाँ हैं जो परस्पर असंबद्ध-सी दीखती हैं।

(म) बास्क—आर्य भाषाओं से घिरी हुई यह अनार्य भाषा यूरोप में पिरिनीज पहाड़ के आसपास बोली जाती है। इसके एक लाख चालीस हजार बोलने वाले फ्रान्स में और छियासठ हजार स्पेन में हैं। इसमें कई (कम से कम आठ) बोलियाँ हैं। ८वीं सदी तक पुराने नाम

मिलते हैं, और १६ वीं सदी से इधर थोड़ा बहुत साहित्य। आकृति अन्तयोगात्मक अश्लिष्ट है। ध्वनि-सामग्री प्रचुर है, और वाक्य-विन्यास जटिल। इस भाषा का सबंध भी किसी प्रचलित भाषा परिवार से नहीं जुड़ता।

अगले अध्याय में आर्योत्तर भारतीय भाषा-परिवारों का विवरण दिया जायगा।

इकत्तीसवाँ अध्याय

आर्येतर भारतीय परिवार

पूर्ववर्ती अध्यायो मे ससार की उन भाषाओं का थोड़ा-सा विवरण दिया गया है, जो अपने देश की नहीं है। अपने गृहों आर्य, द्राविड मुंडा (आस्ट्री) तथा तिब्बती-चीनी परिवारों की भाषाएँ भारतीयों द्वारा बोली जाती हैं। आवादी की १९३२ की रिपोर्ट के अनुसार भारत और ब्रह्मदेश (तब तक ब्रह्मा को अंगरेज सरकार ने हमसे जुदा नहीं किया था) दोनों में मिलाकर एशिया के अन्य देशों, तथा अफ्रीका और यूरोप के महाद्वीपों की भाषाओं के बोलने वाले केवल ६३ लाख से भी कम थे। और ये अधिकतर, भारतीय नहीं, भारत में शासन व्यवसाय आदि तरह-तरह के कामों के लिए टिके हुए विदेशी ही थे।

तिब्बती-चीनी भाषाएँ बोलने वालों की संख्या डेढ़ करोड़ के कुछ ऊपर है। इन भाषाओं का अस्तित्व प्रायः ब्रह्मदेश और तिब्बत, भूटान में है। ऊपर चीनी परिवार की भाषाओं का विचार करते समय इनका उल्लेख किया जा चुका है। भारत में इस शाखा की भाषाएँ जहाँ-तहाँ आसाम के उत्तरी और पूर्वी भाग में बोली जाती हैं, इनके बोलने वाले जंगलों और पहाड़ों पर रहते हैं। इनकी बोलियों का अध्ययन हाजसन आदि विदेशी विद्वानों ने किया है। नागा बोलियों प्रमुख हैं। विशेष विवरण ग्रियर्सन साहब के सर्वे में मिलेगा।

ऊपर प्रशांत महासागर की भाषाओं का विचार करते समय मलाया-पालीनेशिया भाषाओं का उल्लेख आया है। इनका हिन्दी-चीनकी मोन-ह्मेर और भारत की खासी और मुंडा भाषाओं से संबंध है। मोन-ह्मेर जाति किसी समय हिन्दी-चीन को जीत कर उस पर राज्य करती

थी। अब तो थाई देश, ब्रह्मदेश और भारत के कुछ जगली भागों में ही इनके बोलने वाले, आदि निवासियों के रूप में रहते हैं। भारत में केवल आसाम के पूर्वी प्रदेश में इनके बोलने वाले पाए जाते हैं। और आसाम में ही मोन-ख्मेर भाषाओं से सबद्ध खासी, खासी पहाड़ियों पर, बोली जाती है। यह चारों ओर से तिब्बती-चीनी से घिरी हुई है। सदियों से यह मोन-ख्मेर भाषाओं से दूर पड़ गई है। तब भी इसकी शब्दावली और वाक्यविन्यास दोनों की मोन-ख्मेर से गहरी समानता है। मोन-ख्मेर और खासी के अलावा, अपने देश के एक विस्तृत भाग के जगली प्रदेशों में मुंडा भाषाभाषी रहते हैं। इन भाषाओं का थोड़ा अधिक विवरण देना जरूरी है—न केवल इस नजर से कि इनके बोलने वाले काफी बड़े भूभाग में फैले हुए हैं, बल्कि इस विचार से भी कि इनका इस देश की अन्य प्रमुख (आर्य, द्राविड) और अप्रमुख (तिब्बती-चीनी) भाषाओं पर विशेष प्रभाव पड़ा है। मोन-ख्मेर, खासी और मुंडा शाखाओं को मिला कर आस्ट्री-एशियाई परिवार की भाषाओं के बोलने वालों की संख्या अपने देश में करीब ५३१ लाख है। जन्मरया साहित्य, सभ्यता आदि के हिसाब से आर्य (२५३ करोड़) और द्राविड (७३ करोड़) से इनका कोई मुकाबिला नहीं।

मुंडा

नाम—मुंडा शब्द इस भाषा-परिवार की एक भाषा मुंडारी का है और उसका अर्थ है 'मुखिया, जमींदार'। मक्समूलर ने पहले-पहल इन भाषाओं को द्राविड परिवार में भिन्न समझा और उन्होंने इनको मुंडा नाम दिया। इसके पूर्व इनको कोल कहते थे। पर यह शब्द अनुपयुक्त है, क्योंकि कोल जाति के जन्तुगत ओराओ भी हैं जो द्राविडी भाषा बोलते हैं। इसके अलावा संस्कृत में कोल शब्द का अर्थ 'सुर' है जिसका प्रयोग अपने ही निजी देशवासियों के प्रति करना अनुचित भी है। सथागी का काट्टा (लोहार) तथा हिंदी के कोगी, कलार, कलवार करवल आदि इसी से सबद्ध हैं। तमिल में कल्लर और कन्नड

मे कळ्ळस एक आदिवासी जातिविशेष का वाचक है जिनका पेशा चोरी और धानुष्कता है।

क्षेत्र—मुडा भाषाएँ विद्यप रूप से छोटा नागपुर में बोली जाती हैं। उसके अलावा मध्यप्रदेश तथा उड़ीसा के कुछ जिलों में, मद्रास के कुछ भाग में, तथा पच्छिमी बंगाल और बिहार के पहाड़ी और जंगली प्रदेशों में भी मुडा भाषा-भाषी रहते हैं। इसके अतिरिक्त हिमालय की तराई में विहार में लेकर शिमला पहाड़ी तक बराबर ये लोग पाए जाते हैं। मध्यप्रदेश और मद्रास में इनके चारों ओर द्राविड भाषाएँ हैं और उत्तर भारत में आर्य। ऐसा अनुमान है कि आदि मुडा भाषाभाषी भारत में सर्वत्र फेले थे। बाद की आने वाले द्राविड और आर्य जनसमुदायों ने इनको घेरे हुए भगाया और इन्होंने जंगलों और पहाड़ों की शरण ली। हताश हो इन्होंने ऐसे पेश अपनाए जिनका मन्त्र मन्त्र में सम्मेलन न था। और इनमें से जो जनगण तेज और सरकश थे, उन्होंने डाका, चोरी आदि रूप में बसर करना आरम्भ किया। मुडा जाति की ही शाखा 'शबर' थी जिसका उल्लेख रामायण, कादंबरी आदि ग्रंथों में मिलता है।

प्रभाव—मुडा भाषाएँ आर्यता में योगात्मक अश्लिष्ट हैं। इनकी कुछ विशेषताओं का प्रभाव आर्य और द्राविड भाषाओं पर स्पष्ट है। निर्व्यती-बोनी पर पड़े हुए प्रभाव का उल्लेख ऊपर आ चुका है। मुडा में क्रिया-रूपों का बाहुल्य है। भोजपुरी, मगही और मैथिली, इन विहारी बोलियों में क्रिया की जटिलता, मुडा के ही प्रभाव का परिणाम जान पड़ती है। उत्तम पुरुष-वाची सर्वनाम के बहुवचन के दो रूप, एक वक्ता के साथ वाच्य (मध्यम पुरुष) को शामिल करके और एक उसको न शामिल करके, भी मुडा के प्रभाव से आए जान पड़ते हैं, जैसे हिन्दी की बोली मालवी में हम हाट जायेंगे और अपन हाट जायेंगे में भेद है और वह यह कि पहले शक्य में हाट जाने वालों में जिस से बात कही जा रही है वह शामिल नहीं और दूसरे में वह शामिल है। कोडियों में चीजों को गिनना भी मुडा भाषाओं का ही स्पष्ट प्रभाव है।

भाषाएँ—सथाली और मुडारी भाषाओं का थोडा बहुत अव्ययन किया जा चुका है। इनके अलावा हा, कुर्क, गवर आदि बोलिया भी हैं। गिमला की तरफ कनावरी बोली जाती है। सथाली, मुडारी आदि चार-पाँच को मिलाकर सामान्य नाम खेरवारी देते हैं। मुडा की कुल मात बोलियाँ हैं, और समस्त आस्ट्री परिवार की इस देश में उन्नीस।

ध्वनिसमूह—मुडा में स्वर तथा मघोप, अधोप, अल्पप्राण और महाप्राण व्यजन मौजूद हैं। महाप्राणत्व की मात्रा आर्य-भाषाओं की अपेक्षा अधिक मालूम पडती है क्योंकि आर्य भाषाओं के ऐसे शब्द जिनमें महाप्राण है, यदि वे मुडा में ले लिए गए हें तो वे ही यहाँ अल्पप्राण हो गए हैं। हिंदी के सभी स्वर, स्पर्श वर्ण (पाँचों वर्ण), य, र, ल, व, ङ, स, ह मुँटा में पाए जाते हैं, पर इनके अलावा एक प्रवाण के अव्ययन रु, च, त, प भी हैं जिनका उच्चारण अपने व्यजनों में भिन्न हैं। इनके उच्चारण में पहले अन्दर को साँस खींची जाती है, तब स्पर्श होता है और फिर स्फोट। इस स्फोट में साँस कभी-कभी नासिका-विवर से भी निकल जाती है। सथाली के किसी शब्द के आदि में संयुक्त व्यजन नहीं आता। द्वयक्षर शब्दों में यदि अताक्षर दीर्घ और उसके पहले वाला ह्रस्व हो तो बलाघान अंतिम अक्षर पर ही होता है, नहीं तो उसके पहले वाले पर।

व्याकरण—सज्ञा, क्रिया आदि शब्द-विभाग नहीं दिखाई पडता। शब्दार्थ प्रकरण के अनुकूल जाना जाता है। सम्बन्ध-तत्त्व का बोध अधिकतर अन्तयोग और मध्ययोग से होता है, तथा अभ्यास का भी महारा लिया जाता है। उपसर्ग भी जोड़े जाते हैं। उदाहरणार्थ—अ (प्रेरणार्थक) को सैन (जाना) में जोड़ कर अरोन (ले जगना), इसी प्रकार अ-न् (पिलाना) ग (समूहवाचक) जोड़कर मझी (मुषिया) में मपझी (मुखियागण), अ-ववा प- (परस्परवाचक) जोड़कर दल (मारना) में दपल (आपस में मारना-पीटना), -क (समभिहाणार्थक) जोड़कर अल (लिखना) से अकाल (खूब लिखना)। मुडा

के शब्द एक-एक वस्तु और भाव का बोध कराने के लिये प्रयुक्त है परन्तु सामान्य भाव का बोध कराने वाले शब्दों की हसी है।

प्रकरण में ही पदविभाग का पता चलता है। जन्म के अनुरूप, एक ही शब्द-रूप राजा, विशेषण, क्रिया आदि का काम दे देता है। विभक्तिओं का बोध परमार्थों से कराया जाता है। लिंग का बोध मूल शब्द में पुरुषवाचक या स्त्रीवाचक शब्द जोड़कर कराया जाता है, जैसे आडिया कूल (बाघ), पगा कूठ (वाघिन)। कोटा (लडका), कूडी (लडकी) आदि शब्दों में लिंग भेद दिखाई पड़ता है, पर ऐसे प्रयोगों की नितान्त कमी है और स्पष्ट है कि यह आर्य भाषाओं का प्रभाव है। चेतन और अचेतन का भेद अवश्य उपस्थित है।

इन भाषाओं में तीन वचन होते हैं। मेरवागी द्विवचन का प्रत्यय कीन् या कीड है और बहुवचन का को या क, जैसे—हाट (आदमी) हाडकीन् (दो आदमी), हाडको (कई आदमी)। पर सब काफी है—ते (को, में, कारणवाचक से), रे (मे, बीच में), लगित, लगत (लिंग), खान, खान् (में अपादानवाचक), टान, टान् (निकट)। संबन्ध-वाचक परसर्ग, चेतन-संबन्धी होने पर रैन और अचेतन होने पर अक्, अड्, रअक्, रअड् आदि होता है और हिन्दी के विपरीत सबद्र के अनुसार न बदल कर संबन्धी के अनुसार बदलता है।

सथाली के सख्यावाची शब्द मिट (१) चारआ (२) पैआ (३), पौनेआ (४), माडा (५), तरूड (६), एआए (७) इडाल (८), आरे (९), गैल (१०), इसि (२०) है। ऊपर की सरयाएँ बीसके बीच में खन (अधिक) या कम (न्यून) को जोड़कर काम चलाया जाता है, जैसे—गैल खन पौनेआ (१४), चारआ कम वरिसि (१८)।

पुरुषवाचक सर्वनामों में भी द्विवचन और बहुवचन के हम और अपन के वजन के दो-दो रूप हैं 'आप आदि) और

सबधवाचक (जो, जिस आदि) के वजन के कोई सर्वनाम मुंडा भाषाओ में नहीं मिलते।

क्रिया ऐसी कोई अलग चीज नहीं। वही शब्द जो एक जगह सज्ञा-रूप आया है अन्यत्र क्रियारूप हो सकता है, मरड (बड़ा) हाड अ मरड अ (आदमी बड़ा है), है (हाँ) और उसमें केत परसर्ग जोड़कर है केत-अ (हाँ कहा)। यह अ किसी क्रिया या व्यवहार की भावात्मकता का बोधक है, और कुछ नहीं। क्रिया के रूप प्रत्यय जोड़कर सिद्ध होते हैं। किन्तु जब तक यह अ न जुड़े तब तक क्रिया का वास्तविक अस्तित्व नहीं प्रकट होता। उदाहरण के लिए, दल्-कत (मारा) का अर्थ दल्-केत-अ से सिद्ध होगा। सहायक क्रियाओं में यह अ नहीं जुड़ता, जैसे खजुक अलो-ए-दग (यदि पानी न बरसे) में यह अ नहीं जोड़ा गया। सहायक क्रिया के रूप क्रियारूपों और भावात्मक अ के बीच में डाल दिए जाते हैं। वातु का अभ्यास दो तरह किया जाता है (क) पूरी धातु को दुबारा लाकर, या (ख) धातु के प्रथम दो वर्णों को दुहरा कर। प्रथम का अभिप्राय उस धातु द्वारा निर्दिष्ट क्रिया का बार-बार करना और दूसरे का उसी क्रिया को खूब करना होता है, जैसे दल् (मारना) से दल्-दल् (बार-बार मारना) और ददल् (खूब मारना)। विशेषकर स्वर से आरम्भ होनेवाली धातुओं में या बहुक्षर धातुओं में-क्-बीच में जोड़कर समभिहार (पौन पुन्य या भृशार्थ) का बोध कराया जाता है, जैसे अगु (ले जाना), अगु (बार-बार ले जाना या खूब ले जाना)। परस्पर-क्रिया का बोध -प- को बीच में जोड़कर और प्रेरणार्थक का अत में-ओची लगाकर किया जाता है। इन प्रक्रियाओं के अलावा इन भाषाओं में क्रिया का एक विशेष रूप होना है जिससे हिन्दी के सुन रक्खो, ले रक्खो आदि प्रयोगों का अभिप्राय प्रकट होता है, अर्थात् ऐसी क्रिया जिसका भविष्य में कुछ काम पड़े जैसे— अजम-कक् मा (सुन रक्खो)।

पुरुष के अनुसार क्रिया में रूप-विभिन्नता नहीं होती। पर चेतन पदार्थों के विषय में पुरुषवाची सर्वनाम अत में जोड़ दिए जाते हैं

क्रिया-रूप में प्रत्यय जोड़कर उन सभी कालों और वृत्तियों का बोध कराया जाता है जो प्रायः संस्कृत और हिन्दी में मिलती हैं। इनके अतिरिक्त और कई प्रयोग हैं।

मुंडा भाषाओं में अव्यय स्वतंत्र शब्द हैं जिनका अलग ही अर्थ है, जैसे मैंसन (लेकिन) का तात्त्विक अर्थ है 'यदि तुम कहो।'

मुंडा भाषाओं का द्राविडी भाषाओं से मौलिक अंतर है। द्राविडी में अर्ध-व्यंजन सी कोई चीज नहीं। सज्ञाओं का विभाग मुंडा में चेतन-अचेतन का होता है, द्राविडी में विवेकी-अविवेकी उच्चजातीय और अजातीय का। मुंडा में गिनती बीस के कम से होती है। द्राविड में आर्य की तरह दस के कम से। मुंडा में तीन जवन होते हैं, द्राविडी में दो। मुंडा में मध्यविन्यस प्रत्यय होते हैं, द्राविड में नहीं।

द्राविडी

नाम—भारत में क्या जनसंख्या और क्या साहित्य सभी बातों के विचार से द्राविडी भाषाओं का यदि गणस्थान है तो केवल आर्य भाषाओं से। द्रविड शब्द संस्कृत द्रविड का रूपान्तर है। इसी शब्द का पालि रूप दमिळ महावंश में तथा यही जैन प्राकृत ग्रंथों में मिलता है। वराहमिहिर ने द्रमिड शब्द का प्रयोग किया है। ग्रीक ग्रंथों में डमरिक, डेमिरिक शब्द मिलते हैं। तमिळ शब्द द्रविड ही का अन्य रूप है।

सम्बन्ध—द्राविड भाषाओं की मुंडा भाषाओं से विभिन्नता ऊपर दिखाई गई है। आर्य भाषाओं में भी ये प्रायः हर एक बात में भिन्न हैं। इनकी अश्लिष्ट योगात्मक अवस्था है। उराल-अल्ताई भाषाओं में जैसी स्वर-अनुरूपता मिलती है वैसी यहाँ भी दिखाई पड़ती है। इसको मुख्यरूप से ध्यान में रखकर कुछ विद्वानों ने इनका उराल-अल्ताई से परिवार-संबन्ध जोड़ने का प्रयत्न किया है। मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद तो द्राविडी, सुमरी और मोहनजोदड़ो की सम्बन्धता को एक सूत्र में बाँधने की भी कोशिश हुई है और यह भी प्रयत्न हुआ

है कि आस्ट्रेलिया की आस्ट्री भाषाओं में इनका संबंध जोड़ा जाय। इस अतिमवाद को उपस्थित करने वाले विद्वानों का विचार है कि प्रागैतिहासिक काल में लेमुरी महाद्वीप मौजूद था जो आज जम्ब सागर के नीचे पड़ गया है। और इसी पर इन भाषा-समुदाय के बोलने वालों के पूर्वज रहते थे। यदि यह अनुमान ठीक हो तो मडागास्कर द्वीप से लेकर प्रशान्त मद्रासागर के द्वीपों तक की भाषाओं में एक ही सम्बन्ध होना सम्भव में आ सकता है। ऐसी दशा में उगल-उल्टाई या सुमेरी से द्राविड का कोई भी संपर्क नहीं ठहर सकेगा और यह विचार भी कि जायों की तरह द्राविड जन समुदाय भी भारत में पश्चिमोत्तरी दिशा में आए और ब्राह्मण भाषा-भाषी उनकी अन्तिम भाषा है, प्रथम युवितसंगत न रहेगा। पर द्राविडी का आस्ट्री से संबंध होना, मध्य ब्राह्मण की भित्ति पर प्रकाश है क्योंकि जमा उपर दिशा में, दोनों में काफी भिन्नता है।

भाषाएँ—द्राविडी की कुल १४ भाषाएँ हैं। भाषा-विज्ञानी इनको चार वर्गों में बाँटते हैं—(क) द्राविड (ख) मध्यवर्ती (ग) आन्ध्र (तेलुगू) और (घ) पश्चिमोत्तरी (ब्राह्मण)। नीचे हर एक वर्ग की जनसंख्या दी जाती है—

(क) द्राविड	४ करोड़	१५ लाख
(ख) मध्यवर्ती		३६ लाख
(ग) आन्ध्र	२ करोड़	६४ लाख
(घ) पश्चिमोत्तरी		२० लाख

इनका अन्वयतर वर्गीकरण इस तरह किया जाता है—

द्राविड	{	तमिळ	{	तमिळ
		कन्नड		मलयालम
	{	कुळु	{	बडगा
		कोडगु		टोडा
टोडा	कोटा			
मध्यवर्ती	{	गाडी	{	कुळुव
		कुण्ड		
		(ओगओ)		
		कड (कवी)		
कोलामी	माटो			
आन्ध्र	तेलुगु			
पश्चिमोत्तरी	ब्राहुई			

तमिळ—यह मद्रास (तमिलनाडु) में और सिङ्गापूर (लका) के उत्तरी भाग में बोली जाती है। इसके उत्तर में तेलुगू और पच्छिम में कन्नड और मलयालम है। समस्त द्राविडी भाषाओं में यह प्रमुख है। इसका साहित्य तीसरी सदी तक का मिलता है। बोलियों में परस्पर समानता बहुत अधिक है। स्टैण्डर्ड भाषा के दो रूप हैं, शन और कोडुन। शन सभ्य समझी जाती है। कोडुन प्रायः बोलचाल की है। तमिळ की मणिप्रवाल नाम की एक साहित्यिक शैली है, जिसमें संस्कृत शब्दों की प्रचुरता है और साथ ही साथ तमिल शब्द भी खूबमूरती से पिरोए हुए हैं। तमिळ साहित्य बहुत उच्चकोटि का है और बंगाली, हिन्दी, मराठी आदि आर्य भाषाओं का समकक्ष है।

मलयालम—तमिळ की ही एक शाखा समझी जाती है यह तमिळ से ९ वीं सदी में अलग हुई। इसका क्षेत्र भारत का दक्खिन-पच्छिमी कोना है लक्षद्वीप में भी यह भाषा बोली जाती है शब्दावली

संस्कृत प्रचुर है, पर इस भाषा के मुसलमान भाषी (मोपला) इस संस्कृत-बहुल भाषा का प्रयोग नहीं करते। द्रावकोर और कोचिन राज्यों की संरक्षा में मलयालम साहित्य खूब फूला-फला और उन्नत हुआ है और प्राचीनता में १३ वीं सदी तक जाता है।

कन्नड—मसूर राज्य की भाषा है। इसमें भी अच्छा खासा साहित्य है। लिपि तेलुगू में मिलती है, (और ये दोनों ८वीं सदी में किसी पूर्वरूप से अलग अलग विकसित हुई हैं) पर भाषा तामिल से। पद्य की भाषा में कृत्रिमता अधिक है। कई बोलियाँ हैं। इसके अभिलेख ५वीं सदी तक के पुराने मिलते हैं। समस्त द्राविडी भाषाओं में यही सबसे पुराने हैं।

तुळु का क्षेत्र बहुत परिमित है। भाषा सुथरी हुई है पर कोई साहित्य नहीं। कोडगु, कन्नड और तुळु के बीच की है। बडगा, टोडा और कोटा नीलगिरी पहाट पर रहने वाले जंगली लोगों की बोलियाँ हैं।

मध्यवर्ती समुदाय की भाषाएँ प्रायः जंगली जातियों की हैं। ये मध्यभारत में, तथा वगार से लेकर उड़ीसा और बिहार तक फैली हुई हैं। बंगाल के राजमहल जिले में भी एक जगह गगातट पर इनके बोलने वालों का निवास है। इन बोलियों में कोई साहित्य नहीं। इनके बोलने वाले प्रायः सब के सब द्विभाषाभाषी होते हैं क्योंकि आसपास के आर्य भाषा-भाषियों से निरन्तर सम्पर्क रहता है। आर्य-भाषाओं की छाप इतनी गहरी पड़ रही है कि इनमें से कुछ छोटी-छोटी टोलियों की बोलियाँ मर-सी रही हैं और संभव है कि आगे-पीछे समाप्त ही हो जायँ।

गोडी—यह मध्यवर्ती वर्ग में सबसे बड़ी है। गोड हिन्दी प्रान्त में पाए जाते हैं। कुरुख (ओराओ) को मूलरूप से कर्णाट प्रान्त का बताया जाता है जो बाद में बिहार उड़ीसा में छा गई। इसी की एक बोली माटो है। कुरुख भाषा-भाषियों का निवासस्थान वही है जो मुटा का है। दोनों परस्पर एक-दूसरे की भाषा समझते-बुझते हैं, और कुछ जन-समुदाय एक छोड़कर दूसरी बोलने लगे हैं। कूई (कन्धी) का तेलुगू से संबंध है इसके बोलने वाले उड़ीसा के जंगलों में रहते हैं।

कोलामी का क्षेत्र विदर्भ के दक्खिन-पच्छिम में आन्ध्र राज्य में है, और सबंध तेलुगू में। यहाँ वह आर्य परिवार की भीली भाषा के सम्पर्क में है और लुप्त-सी हो रही है।

आन्ध्र प्रान्त की भाषा तेलुगू बड़े महत्व की है। वर्तमान आन्ध्र राज्य की यही भाषा है। तेलुगू भाषा-भाषी बड़े वीर और सम्य रहते हैं। मुगल राज्यकाल में बराबर यह उत्तर भारत में सैनिकरूप से आते रहे। हिन्दी में *तिलगा* शब्द सैनिक का पर्यायवाची है। द्राविडी भाषाओं में तेलुगू वालों की सरया सब से अधिक है। इस भाषा का साहित्य १०वीं सदी तक का मिलता है। आधुनिक साहित्य भी बहुत अच्छा और तमिळ की टक्कर का है। राष्ट्रकूट में बहुतेरे शब्द तेलुगू में स्वाभाविक रीति से ले लिए गये हैं। उस शब्दावली के कारण बंगाली, हिन्दी आदि आर्य भाषाओं में उसका अन्य द्राविडी भाषाओं की अपक्षा घनिष्ठ संबंध है। भाषा में बड़ा माधुर्य है।

बलोचिस्तान के बीच में चारों ओर से इरानी भाषाओं से और एक कोने में सिंधी से घिरी हुई द्राविडी परिवार की ब्राहुई भाषा है। इसने बोलने वाले सभी मुसलमान हैं, और मातृभाषा की विभिन्नता में शादी-व्याह आदि सामाजिक व्यवहार में कोई अंतर नहीं पड़ता। परिणाम-स्वरूप ब्राहुई भाषा-भाषी इरानी भाषा (बलोची या पश्तो) भी मातृ-भाषा सरीखी बोलते हैं। इस भाषा का उस परिस्थिति में टिका रह जाना अचरज की ही बात है।

लक्षण—द्राविडी परिवार की भाषाओं के उच्चारण में शब्द के अंतिम व्यंजन के उपरान्त एक अतिलघु अकार जोड़ दिया जाता है। तमिळ में क, श, त, प, ड के उपरान्त अतिलघु उकार सुन पड़ता है कन्नड और तेलुगू में सभी शब्द स्वरान्त होते हैं और अंतिम व्यंजन के बाद उ बोला जाता है। पर बोलचाल की तेलुगू और कन्नड में यह बहुत लघु सुनाई पड़ता है जैसे साहित्यिक *शूरुमु* (घोडा), इन भाषाओं में उराल-अल्ताई भाषाओं की सी स्वर-अनुरूपता भी पाई जाती है। सभी भाषाओं में और विशेष कर तमिळ में यह प्रवृत्ति है कि किसी

शब्द के आदि में सघोष व्यजन नहीं आ सकता, और शब्द के मध्य में आने वाला अकेला व्यजन या अनुनासिक व्यजन के बाद आनेवाला व्यजन सघोष होना चाहिए। इसी प्रवृत्ति से स० दत्त तमिळ में तदम् हो जाता है। यही प्रवृत्ति तिब्बती-चीनी में पाई जाती है।

सज्ञाओं का विभाग विवेकी और अविवेकी में किया जाता है अथवा इन्हीं को उच्च-जातीय और अजातीय कह सकते हैं। जरूरत होने पर पुल्लिङ्ग-स्त्री-लिङ्ग का भेद नर और मादा के बोधक शब्दों को जोड़कर दिखाया जाता है। अन्य पुरुषवाची सर्वनामों में ही पुं० स्त्री० भेद पाया जाता है और ये विशेषणों तथा सज्ञाओं में लिङ्ग-भेद करने के लिए जोड़े जाने हैं। ब्राह्मणों में यह लिङ्गभेद नहीं पाया जाता।

दो वचन होते हैं। विभक्तिया परस्पर जोड़कर बनती हैं। पर ये परस्पर सज्ञा के प्रिकारों रूपों के अनंतर आते हैं अविकारी के बाद नहीं। विशेषणों के रूप नहीं चलते। गिनती जाय भाषाओं की तरह दस पर निर्भर है। कुछ विद्वानों का मत है कि भारत में जो सोलह पर निर्भर (स्पष्ट आने की) गिनती पाई जाती है, वह भी द्राविड स्रोत की है।

उत्तमपुरुषवाची सर्वनाम में हम और अपन के वजन के दो रूप बहुवचन में होते हैं। सम्बन्धवाची सर्वनाम नहीं होता। कुरुक्ष के ये सर्वनाम हैं—*एन* (मैं) *एम्* (हम), *नीन्* (तू), *नीम्* (तुम), *तान्* (स्वयं एकवचन), *ताम्* (स्वयं बहुवचन)।

बहुत से शब्द सज्ञा और क्रिया दोनों होते हैं, जैसे ता० कौन (राजा), कौन एन (मैं राजा हूँ)। कर्मवाच्य के अलग रूप नहीं होते। सहायक क्रिया में उनका बोध कराया जाता है। क्रिया के रूपों में पुरुष का बोध कराने के लिये पुरुषवाची सर्वनाम का अन्तिम भाग जोड़ा जाता है। काल होते हैं, निश्चित और अनिश्चित, निश्चित भूत और निश्चित भविष्य तथा अनिश्चित वर्तमान या अनिश्चित भविष्य। क्रिया के निषेधात्मक रूप भावात्मक में भिन्न होते हैं। तिङन्त रूपों की जगह कृदन्त रूपों का अधिक प्रयोग होता है।

प्रभाव—भारत में आर्यों के आने के समय यहाँ मुंडा और द्राविड पहले से ही बसे हुए थे। प्रोफेसर चटर्जी के मत के अनुसार मुंडा जाति के लोग कश्मीर तक फैले हुए थे। यह कश्मीर के ओर भी पच्छिम में बोली जान वाली बुरुशस्की को आम्दी परिवार का समझते हैं। शिमला की पहाड़ी तक पर मुंडा की एक शाखा तो वर्तमान है ही। इसी प्रकार द्राविड भाषाओं का भी इस देश में आर्यों के प्रवेश के पहले प्रचार था। जब आर्य इनके सपर्क में आए होंगे तो स्वाभाविक ही है कि उनकी भाषा पर इनका प्रभाव पड़ा होगा। दुर्भाग्य से द्राविडी ने बहुत पुराने जेग या द्रग नहीं मिलते, नहा तो परस्पर सपर्क के परिणाम का जन्यजन अत्रिफ स्पष्ट हो जाता। तब भी भाषा-विज्ञानियों का अनुमान है कि भारतीय आर्य शाखा में मूल्य-शब्दों का अस्तित्व और \sqrt और λ का व्यत्यय द्राविडी प्रभाव के ही कारण से है। परसर्गों का अस्तित्व और सो भी मज्ञा और सर्वनाम के विकारी रूप के बाद द्राविड प्रभाव को ही जतलाता है। हिंदी आदि भाषाओं के चेतन पदार्थवाची कर्म का अचेतन कर्म से भेद (राधा नक्षत्र को सराहा पर राधाने सुरली चुराई) भी द्राविड प्रभाव के कारण समझा जाता है। अन्य आर्य भाषाओं की तुलना में भारतीय शाखा में कृदन्त रूपों का तिङन्त की अपेक्षा अधिकाधिक प्रयोग भी इसी का द्योतक है। यह उत्तरोत्तर बढ़ता गया। द्विदनी ने ऋग्वेद की क्रियाओं को तुलना भगवद्गीता की क्रियाओं से की है और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि भगवद्गीता में तिङन्त रूपों का योग ऋग्वेद की अपेक्षा दसवा हिस्सा ही रह गया है। इसी प्रकार वर्तमान आर्य भाषाओं का सहायक क्रियावाच्य कर्मवाच्य तथा भविष्यकाल के रूप भी द्राविडी प्रभाव के ही परिणाम मानलूम पड़ते हैं। शब्दावली का जो परस्पर आदान-प्रदान हुआ है, वह स्पष्ट ही है।

अगले अध्याय में आर्य-भाषाओं का विवेचन किया जायगा।

सत्तीसवाँ अध्याय

आर्य परिवार

इस परिवार की भाषाएँ मुख्य रूप से हमारे देश के अविकाश में, ईरान में आर्मीनिया में, प्रायः सारे यूरोप महाद्वीप में, सकल अमरीका महाद्वीप में तथा अफ्रीका के दक्खिन-पच्छिमी कोने में और आस्ट्रेलिया में बोली जाती हैं। बोलने वालों की संख्या, क्षेत्र विस्तार, साहित्य आदि सभी बातों को देखते हुए इस परिवार का ससार के भाषापरिवारों में सर्वप्रमुख स्थान है। वस्तुस्थिति तो यह है कि इसी परिवार की कुछ भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन में भाषाविज्ञान का आविर्भाव हुआ।

नाम—इस परिवार का नाम सबसे पहले इन्डोजर्मनिक पड़ा। पिछले दो सौ वर्षों से जर्मन विद्वान बराबर इस विज्ञान के अध्ययन में लगे रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट देखा कि ये परस्पर संबद्ध भाषाएँ एक ओर पूर्व दिशा में भारत (हिन्द) में बोली जाती हैं और दूसरे, पच्छिम ओर पर जर्मनी में (ब्रिटेन आदि जर्मनी के पच्छिम वाले देशों में अँगरेजी, डच आदि भाषाएँ जर्मनी शाखा की ही हैं)। स्वाभाविक ही था कि उन्होंने इनका नाम इ० ज० रख दिया। पर आयलैंड और वेल्ज में बोली जाने वाली केटी गाम्बा की भाषाएँ जर्मनी शाखा की नहीं थीं, इसलिए इ० ज० नाम अनुपयुक्त समझा गया और इडो-केल्टिक सुझाया गया। यह नाम बिल्कुल न चल सका। परिवार की मुख्य भाषा संस्कृत के कारण संस्कृतिक भी सोचा गया, पर इस निश्चय के कारण कि संस्कृत सभी का आदिस्त्रोत नहीं है, यह छोड़ दिया गया। इजीली सम्प्रदाय के अनुसार सामी, हामी के वज्रन पर हजरत नौह के तीसरे बेटे जैफ के नाम पर जैफाइट भी रखने का विचार हुआ पर यह भी आगे न बढ़ सका इनके अलावा

दो नाम और पेश किए गए, आर्य और इन्डोयूरोपियन। इंग्लैंड, फ्रांस आदि देशों के विद्वानों ने इ० यू० नाम पसंद किया और इसी का व्यवहार करते हैं। उनका कहना है कि भारत और यूरोप इन्ही दो महादेशों में ये भाषाएँ गौरव को पहुँची इसलिए यह नाम ठीक है। पर जर्मनी वाले अब भी इ० ज० शब्द का ही प्रयोग करते हैं, उनका विश्वास है कि इ० नाम का बहिष्कार उस नाम की अनुपयुक्तता के कारण इतना नहीं हुआ है जितना जर्मनी नाम तक के द्वेष के कारण। आर्य शब्द के व्यवहार के विरुद्ध यूरोप के विद्वान दो तर्क उपस्थित करते हैं—(१) इस नाम से इस परिवार की भाषाओं और उनके बोलने वालों की जाति का समकक्षत्व होता है अर्थात् यह भ्रम होता है कि इस परिवार की भाषाओं के बोलने वाले आर्यजाति के हैं (२) आर्य शब्द का व्यवहार इस परिवार की शाखा हिंद-ईरानी के लिए अधिक उचित है क्योंकि इन दोनों देशों वाले अपने को आर्य कहते हैं और इस शब्द का निरन्तर प्रयोग अपने साहित्य में पाते हैं। पहला तर्क निरंकुल लचर है। यदि सामी हामी आदि भाषाओं के नामों में सामी आदि जातियों के निषेध में भ्रम नहीं पैदा होता तो आर्य नाम से ही क्यों होने लगा? दूसरे तर्क में कुछ सार है। अवश्य ही भारत और ईरान में आर्य शब्द, परम्परा से मौजूद है और हम उसका गौरव भी मानते हैं। ईरान ने तो इस गौरव का प्रत्यक्ष प्रमाण फारस शब्द का त्याग कर और ईरान *अइराण आर्याणाम्* को प्रयोग में लाकर दे दिया है। पर हिंदी-ईरानी के लिये आर्य शब्द का प्रयोग बहुत उचित नहीं। अन्य शाखाओं के नाम उन देशों के नाम पर रखे गए हैं जिनमें वे मुख्य रूप से उपस्थित हैं। इसलिए जब तक भारत और ईरान को प्राचीन आर्य देश न स्वीकार किया जाय, तब तक इस नाम के बारे में क्यों दूसरी नीति बर्ती जाय? यूरोप में भी आर्य शब्द का गौरव माना गया है। हिटलर उसी का दम भरता था। जर्मनी में प्राचीन आर्य चिन्हों (स्वस्तिक आदि) की पूजा होती रही। इसके अलावा इन्डोयूरोपियन नाम बड़ा भारी है। आर्य छोटा है और उच्चारण

मुगल, सामी हामी, चीनी बाँटू आदि की तरह। इसीलिए जेस्पर्सन ने भी इसे पसन्द किया है। हमारी समझ में हमें सम्पूर्ण परिवार के लिए आर्य, हिंद-ईरानी शाखा के लिए हि० ई० और ईरानी के लिए ईरानी तथा भारतीय के लिए भारतीय या भारतीय-आर्य शब्दों का यथा-समय व्यवहार करना चाहिए। साथ ही साथ हमें यूरोपीय विद्वानों द्वारा किए गए आर्य, इ० यू० और इ०-ज० नामों के प्रयोग और अर्थ पर भी ध्यान रखना चाहिए।

आदिम भाषा

इस परिवार की प्राचीन और अर्वाचीन भाषाओं का मूलम अध्ययन करके यह कल्पना की जाती है कि इन भाषाओं का मूल-स्रोत कोई आदिभाषा रही होगी। संस्कृत, अवेरती, ग्रीक और लैटिन के सबसे पुराने लेखों द्वारा इन भाषाओं का जो स्वरूप मिलता है उगम ही इस आदिभाषा की कल्पना हो सकी है। इन भाषाओं की परस्पर तुलना की गई, और फलस्वरूप यह मालूम हुआ कि आदिम आर्य-भाषा में अमुक-अमुक ध्वनियाँ रही होगी, अमुक-जमुक सन्धि-नियम रहे होंगे, सज्ञा सर्वनाम आदि के रूप इस प्रकार चलते होंगे, क्रिया के ये रूप रहे होंगे, इत्यादि। कुछ उदाहरणों से यह बात स्पष्ट होगी।

संस्कृत पितर, ग्रीक पतर, लैटिन पतर, अंगरेजी फॉदर, अथवा म० प्र, ग्री० प्रो, लै० प्रा, गाथी फ्रा, या स० नपात्, लै० नेपोस्, ज० नेफ्य आदि शब्दों को देखकर यह अनुमान किया गया कि आदिम भाषा में प् ध्वनि रही होगी। इन उदाहरणों में मालूम होता है कि स० प्=ग्री० प्=लै० प्=जर्मन समूह वाली भाषाओं में फ्। यही ध्वनि नियम बना। पर शीघ्र ही देखा गया कि स० ग्यर, लै० म्येकिओ से ही सम्बद्ध प्राचीन जर्मन भाषा में स्पेहोन् शब्द है और अंगरेजी में स्पाइ। निश्चित किया हुआ ध्वनि-नियम गूँबडा गया क्योंकि इन जर्मनी भाषाओं के शब्दों में स० प्, फ् के समकक्ष न मिल कर प् मिली और उसमें संशोधन की जरूरत पड़ी इसी तरह स०

भ् (भरासि), ग्री० फ् (फोगे), लै० फ (फेरो) अँ० व् (वेयर) की बराबरी सिद्ध हुई, और आदिम भाषा में भ के अस्तित्व का अनुमान किया गया। पर म० बन्ध्, और बा, उ की तुलना में स० व्, अँ० व के बराबर मालूम पड़ी, यद्यपि अन्य उदाहरणों से म० भ् की बराबरी अ० व् से और स० व् की बराबरी अँ० फ् के साथ सिद्ध होती थी। कुछ और उदाहरणों की समीक्षा करके अन्तिम निष्चय यह हुआ कि अँगरेजी आदि जर्मनी भाषाओं की व् आदिम की भ् के ही बराबर है, जहाँ संस्कृत की व् अँ० ती व के बराबर दिखाई देती है, वहाँ निश्चय ही आदिम भाषा में भ् गृही होगी जो बाद को संस्कृत के निजी नियमों के कारण इसमें व् हो गई। इसी में रा, बन्ध् के आदिम भाषा क स्वरूप भन्ध की कल्पना हुई। इसी तरह पहले इस आदिम भाषा में अ, इ, उ (हरव) और आ, ई, ऊ (दीर्घ) मूलस्वरों की कल्पना की गई थी, पर बाद को यह निष्कर्ष निकला कि स० और अवेस्ती में के अ के समकक्ष लै० ग्री० में तीन स्वर अ, ष, ओ मिलते हैं। वे तीनों आदिम भाषा में रहे होंगे जो हिं० ई० में एक रूप (अ) में पाए जाते हैं। इस प्रकार परस्पर तुलना में निर्धारित आदि भाषा का स्वरूप कल्पित ही है, अनुमान-सिद्ध, इसके बारे में निश्चयपूर्वक यह कह देना कि उस आदि भाषा में फला शब्द की जोड़ी का फला रूप था, अमगत है। हम केवल इतना कह सकते हैं कि तुलनात्मक अध्ययन से हम अनुमान करते हैं कि अम्क रूप रहा होगा। परन्तु इतना निश्चितप्राय है कि यह आदिम भाषा अवश्य वर्तमान थी और इसी की शाखाओं के रूप में हमें प्राचीन और अर्वाचीन भाषाएँ प्राप्त हैं।

ध्वनियाँ—प्राचीन भाषाओं के तुलना-स्वरूप जो आदिम भाषा निश्चित की गई है, उसी नीचे लिखी ध्वनियाँ थी।

कवर्ग—	(१)	क'	ख'	ग'	घ'
	(२)	क्	ख्	ग्	घ्
	(३)	क्व	ख्व	ग्व	घ्व

तवर्ग—	त्	थ्	ट्	ध्		
पवर्ग—	प्	फ्	ब्	भ्		
ऊष्म—	स्					
अस्त स्थ (व्यजन)	य्	र्	ल्	व्	न्	म्
अत स्थ (स्वर)	इ	ऋ	लृ	उ	न	म
स्वर (मूल ह्रस्व)	अ	ऐ	औ			
स्वर (मूल दीर्घ)	आ	ए	ओ			
स्वर (मिश्र ह्रस्व)	अइ	अऋ	अलृ	अउ	अन	अम
	ऐइ	ऐऋ	ऐलृ	ऐउ	ऐन	ऐम
	आइ	आऋ	आलृ	आउ	आन	आम
स्वर (मिश्र दीर्घ)	आइ	आऋ	आलृ	आउ	आन	आम
	एइ	एऋ	एलृ	एउ	एन	एम
	ओइ	ओऋ	ओलृ	ओउ	ओन	ओम
स्वर उदासीन	अ	(०)				

प्रथम श्रेणी के कवर्ग का उच्चारण तालुस्थान की गौण सहायता से किया जाता था और सभवन क्य् रय् थ्य् ध्य् मा रहा होगा। द्वितीय श्रेणी का उच्चारण वस्तुतः कठ्य था जो अपने (वर्तमान हिंदी के) कवर्ग के उच्चारण से भिन्न था और अरबी क् आदि के समान। तृतीय श्रेणी के उच्चारण में ओठों की गौण सहायता ली जाती थी, इनके उच्चारण में कवर्ग ध्वनि मुख्य और व् ध्वनि बहुत ही अल्प और गौण रहती थी। ऊष्म स यदि दो स्वरो के बीच में आती थी तो उसका उच्चारण सघोप (ज्) होता था। अनुनासिक ध्वनियाँ व्यजनरूप में म् और न् ही थी, पर अनुमान किया जाता है कि प्रथम श्रेणी के कवर्ग वर्णों के पूर्व न् का उच्चारण ज् और बाकी दो के पूर्व ङ होता होगा। यही न् ओर म् शब्दों में विशेष स्थान पर आने की अवस्था में स्वर-रूप न म हो जाते थे। इसी प्रकार य् र् ल् व् भी शब्द में अपनी स्थिति के अनुकूल स्वरूप (इ उ ऋ लृ) धारण कर लेते थे। आदिम

भाषा के म न की जगह मस्कृत म ञ मिलता है। आदिम भाषा में ये अन्त स्थ वर्ण तीन प्रकार से प्रयोग में आते थे—

(क) व्यजनरूप—(१) जब अन्त स्थ वर्ण शब्द के आदि में किसी स्वर या स्वररूप से प्रयुक्त हुए अन्त स्थ वर्ण के पूर्व आता था, या (२) दो स्वरो के बीच में होता था, या (३) किसी व्यजन और स्वर के बीच में आता था, या (४) स्वर और उदासीन स्वर के बीच में आता था।

(ख) मिश्रस्वर के द्वितीय भाग के रूप में, यह अवस्था तब होती थी जब अन्त स्थ वर्ण स्वर और व्यजन के बीच में आता था।

(ग) स्वररूप—(१) जब शब्द के आदि में किसी व्यजन के पूर्व आता था या (२) जब वह दो व्यजनों के बीच में आता था। इनके अलावा (३) कुछ विशेष परिस्थितियों में शब्द के आदि वाला अन्त स्थ वर्ण उसके बाद में स्वर होने पर भी, स्वयं स्वर हो जाता था।

संस्कृत में अन्त स्थ वर्णों की यह तीन तरह की स्थिति प्रायः वैसे ही बनी हुई मिलती है, जैसी आदिम आर्य भाषा में थी, उदाहरणार्थ

(क) यजू, युवा, इयाज, मध्य (ख) ण्ति, वेद गौः, अवाचम् (ग) इदम्, दिक्, उक्तम्, श्रुतम्, ऋक्ष, मृतम्, वृक (ज० बुल्क), पृथु (ग्री० प्लतुस), शतम् (लै० कन्दुम्), गतम्, मति (गा० मुनस्), हतम्।

इतना ध्यान रखना चाहिए कि इ, उ, ऋ, ए मूल रूप में स्वर न थे किन्तु स्वर-स्थानीय अन्त स्थ वर्ण।

उदासीन स्वर का ठीक उच्चारण आदिम भाषा में क्या था इसका पता नहीं। यूरोप के विद्वान् इसको श्वा (s hwa) कहते हैं। संस्कृत और अवेस्ती में इसको हम-इ रूप में पाते हैं (पिता, जनिता)। यही उदासीन स्वर, यदि स्वर-रूप से प्रयुक्त अन्त स्थ वर्ण और तदनन्तर प्रयुक्त अन्त स्थ वर्ण दोनों के बाद आता था, तो यह उदासीन स्वर और इसके पहले वाला अन्त स्थ दोनों मिलकर दीर्घ अन्त स्थ स्वर हो जाता था जिसके हम संस्कृत

मे इ, ऊ, ऋ रूप मिलते हैं, और दीर्घ म न के स्थान पर आ मिलता है।

आदिम भाषा में दो या अधिक व्यंजन एक साथ आ सकते थे पर दो या अधिक मूलस्वर (अ आ, एँ, ए, आ, औ) एक साथ नहीं। अन्तस्थ वर्ण (स्वर या व्यंजन के रूप से अन्य व्यंजनों या स्वरों) के साथ भी आ सकते थे। मानुषात्मिक स्वरों (अँ, आँ, ईँ, आदि) का अभाव था। समीकरण आदि सन्धि-नियम भी अस्तित्व में थे। सामान्यतः दो व्यंजनों के संयोग में, यदि दूसरा सघोष हो तो दोनों सघोष और यदि दूसरा अघोष हो तो दोनों अघोष हो जाते थे।

पदरचना—आदिम आर्य भाषा के पद में तीन अक्षर हो सकते थे—धातु, पूर्वप्रत्यय, परप्रत्यय (सुप् तिङ्)। इन अक्षरों में से धातु तो प्रतिपद में अवश्य होती थी, और बहुधा परप्रत्यय भी परन्तु पूर्वप्रत्यय एक या अनेक संख्या में धातु और परप्रत्यय के बीच में रह सकते थे। उदाहरणार्थ दिश् (दिशा), भुक् (खाने वाला) में केवल धात्वक्षर है और वैयाकरणों ने ऐसे पदों में धातु के साथ सुप् प्रत्यय के अस्तित्व की कल्पना की है और फिर उसके तत्कालीन लोप की, सरित्, विद्वस्, मनस् आदि में दो अक्षर हैं धातु और पूर्वप्रत्यय, इनमें भी परप्रत्यय के अस्तित्व और लोप की कल्पना करनी पड़ी है। दिश्, भुजौ आदि में धातु और परप्रत्यय मौजूद हैं, और स्वान्, मनसा, गन्धमानम् आदि में तीनों अक्षर। आदिम भाषा में उपसर्ग अर्थात् शब्द के आरम्भ में धातु से पूर्व जुड़ने वाले अक्षर नहीं होते थे, संस्कृत अवेस्ती ग्रीक और आरमीनी भाषाओं में पाया जाने वाला अ- (अग्रच्छत्, अग्रमत आदि वाला) अन्य शाखाओं में नहीं मिलता, इसलिए आदिम भाषा में उसका होना निश्चित नहीं है। संस्कृत प्र, परा आदि उपसर्ग-संज्ञा वाले शब्द वस्तुतः स्वतंत्र पद थे और प्राचीन (वैदिक) संस्कृत में उनकी स्थिति क्रिया से दूर भी रह सकती थी। आदिम आर्यभाषाओं में मध्यविन्यस्त-प्रत्यय भी प्रायः नहीं थे। केवल रुधादि कुछ गणों में धातु की ध्वनियों के बीच में कुछ प्रत्यय-सा दीखता है

जैसे (रुध् रुण्)। सागश यह कि आदिम भाषा के पद में बहुधा वातु और परप्रत्यय दो अक्ष होते थे, और यदि उन दो के बीच में कुछ आ सकता था तो पूर्वप्रत्यय, एक या अनेक।

पद के इन तीन अक्षों में से कोई भी एकाक्षर या अनेकाक्षर हो सकता था, किंतु किसी भी अक्ष में एक से अधिक मूलस्वर (अ ए आ, आ ए आ) नहीं हो सकते थे। हाँ एक ही अक्ष में एक मूलस्वर के साथ उदासीन स्वर या अन्तस्थ स्वर रह सकता था। वातु का सादा रूप या अभ्यास-प्राप्त रूप पदों में आता था। अभ्यास करने में पूरी धातु या उसका थोड़ा अक्ष दुहराया जाता था। इसका अभाव धातु के स्वर-क्रम का अनुरूप कई रूप हो सकते थे, उदाहरणार्थ मस्कृत के कृत, करति, कारति इन तीन पदों में से पहले में वातु का स्वर केवल अन्तस्थ (ऋ) है मूल नहीं, दूसरे में ह्रस्व मूलस्वर है और उसके साथ अन्तस्थ, और तीसरे में दीर्घ मूलस्वर और उसके साथ अन्तस्थ। धातु का कौन रूप पद में प्रयोग में आएगा, इस बात का निर्णय उसके बाद आने वाले पूर्वप्रत्यय को देख कर किया जाता है। उदाहरणार्थ कर्तृवाचक तृच (*र्त्) प्रत्यय के पूर्व धातु का पूर्ण रूप आना था (कर्ता, नेता, श्रोता) किंतु निष्ठा क्त (र्त्) प्रत्यय के पूर्व धातु का मक्षिप्त रूप (कृत, नीत, श्रुत)। पद के तीन अक्षों में से उसी अक्ष में कुछ विकार हो सकता था जो परप्रत्यय के तुरन्त पहले हो, उसके पूर्व अक्ष स्थिर रहते थे, उदाहरणार्थ जनि ता, जनिता-रम् जनि-त्रा, जति-तु आदि में जनि-स्थिर है, विकार केवल तृच् प्रत्यय में हो सका है जो परप्रत्यय के पूर्व है। इसी प्रकार जिगमिपुः, जिगमिष्व जिगमिषुणा आदि रूप भी उदाहरण हैं। मस्कृत के वैयाकरणों ने पूर्वप्रत्यय के दो विभाग किए हैं, कृत् और तद्धित। कृत् केवल वे पूर्वप्रत्यय हैं जो धातु के अनन्तर ही आते हैं और तद्धित वे जो कृदन्त आदि सिद्ध रूपों के बाद। जिनको यहाँ परप्रत्यय की सजा दी गई है उन्हें मस्कृत वैयाकरण सुप् तिङ् कहते हैं। इनमें से सुप् कृदन्त या तद्धितान्त शब्दों के बाद और तिङ् क्रियार्थ धातु का आए

है। परप्रत्यय आदिम भाषा में विभिन्न रूप का होता था, कोई केवल एक स्वर, कोई केवल एक व्यंजन, कोई केवल अन्त स्थ कोई एकाक्षर या द्व्यक्षर या कोई केवल शून्य।

सज्ञा के बाद लगनेवाले परप्रत्यय क्रिया वाले परप्रत्ययों में बिल्कुल भिन्न पाए गए हैं इससे सिद्ध होता है कि आदिम आर्यभाषा में सज्ञा और क्रिया में मौलिक भेद था। सज्ञा और क्रिया दोनों में तीन वचन (एक, द्वि, बहु) थे। क्रिया में तीन पुरुषों का भेद था। आदिम भाषा में सज्ञा की आठ विभक्तियाँ थी और तीन लिंग। नपुंसकलिंग का भेद केवल प्रथमा, द्वितीया और संबोधन विभक्ति में था, अन्यत्र उसके रूप पुल्लिंग के ही होते थे। आदिम भाषा की क्रिया में काल की विचारधारा गौण थी, क्रिया किस प्रकार की गई और उसका फल कैसा था और किसको मिला इत्यादि बातों का ज्यादा ध्यान था।

सज्ञा (विशेषण और सर्वनाम सहित) और क्रिया के अलावा आदिम भाषा में क्रिया-विशेषण, उपसर्ग और समुच्चयादि-बोधक अव्यय थे। इन सबके रूप स्थिर मिलते हैं। पर अनुमान है कि ये सब भी पहले विकारी रहे होंगे, धीरे-धीरे अविकारी हो गए। वैदिक संस्कृत में स्वस्तये, स्वस्तिना आदि रूप मिलते हैं, उत्तरकालीन संस्कृत में स्वस्ति अव्यय हो गया, वैदिक संस्कृत में तुमन्त शब्द की विभक्तियाँ होती थी (गन्तये आदि), उत्तरकालीन में वह अव्यय-रूप ही मिलता है। आदिम भाषा के पद पर सामान्य नजर डालने से भी इतना पता चल जाता है कि उसमें अर्थतत्त्व और सम्बन्धतत्त्व का पूरा घाल-मेल था, अधिकांश शब्दों में दोनों को अलग करके रख देना टेढ़ी खीर है। इससे सिद्ध है कि आदिम आर्य भाषा शिल्प योगात्मक अवस्था की थी।

आदिम आर्यभाषा में तीन वचन और थी, समास, स्वर-क्रम और सुर। सुर के अलावा बलाघात का भी अनुमान किया जाता है। सुर पद के किसी भी (घातु, पूर्वप्रत्यय या परप्रत्यय) अंश में हो सकता था दो या अधिक पदों का समास करके अन्तिम पद को छोड़ कर

बाकी के पदों में परप्रत्यय का अक्षर उड़ा दिया जाता था। पदरचना में स्वर-क्रम बड़ी सहायता करता था। आदिम आर्यभाषा के तीन मूल (अ, ऐ, आ) ह्रस्व और दीर्घ आ, ए, ओ) के स्थान पर संस्कृत में केवल अकार (ह्रस्व और दीर्घ) मिलता है, इसे स्वरक्रम समझने में कठिनाई पड़ती है। पर संस्कृत में स्वयं गुण और वृद्धि के रूप में एक प्रकार का स्वरक्रम मौजूद है। आदिम भाषा में स्वरक्रम के मुख्य स्वर थे ए आ। ग्रीक और लैटिन में तीनों मूलस्वर पाए जाते हैं। ग्रीक पदों में ऐ वर्तमान-मूचक और आ भूतकाल-मूचक है। आदिम भाषा में मूलस्वर वर्तमान सूचक पदों में और शून्य (मूल-स्वर-राहित्य) बहुधा भूतकालवाची पदों में रहता था, विभक्ति, भूत उदाहरण है। स्वरक्रम के अनुसार ही श्रु (*क्लु) के ये विभिन्न रूप मिलते हैं—

आदिम	संस्कृत	आदिम	संस्कृत
*क्ल'उ-	श्रो-(त्र)	*क्ल'वा-	
*क्ल'व-	श्रव् (अ)	*क्ल'ओ-	
*क्ल'उ-	(अ-) श्रो-(षीत्)	*क्ल'व-	
*क्ल'व-	(अ-) श्राव्-(ड)	*क्लु	श्रु-(त)
*क्ल'उ-	(शु) श्रो-(य)	*क्ल'व-	*(शु-)श्रु

आदिम भाषा का पद स्वयं अपना सम्बन्ध अन्य पदों से सूचित कर देता था, इसलिए समास के अलावा अन्यत्र पदक्रम का महत्त्व नहीं के बराबर था। ऋग्वेद में नपुंसक बहुवचन के साथ एकवचन की क्रिया बहुत स्थलों पर आई है, ग्रीक भाषा में भी नपुंसक बहुवचन के साथ एकवचन ही की क्रिया लगाने का नियम है। इससे जान पड़ता है कि ऐसे स्थलों पर बहुवचन केवल एक समूह का ही द्योतक होता था।

मिहावलोकन करने में आदिम आर्यभाषा में, श्लिष्ट योगात्मक अवस्था, परप्रत्ययों का बाहुल्य और उनके द्वारा संबन्ध-तत्त्व का बोधन, पद के तीन अक्षर, धातु का अभ्यास, उपसर्ग और मध्य-प्रत्यय का अभाव, समास स्वर क्रम और सुर ये मुख्य लक्षण दिखाई पड़ते हैं

मूल निवासस्थान—वर्तमान और प्राचीन आर्यभाषाओं की विज्ञानी तुलना से ही आदिम आर्यभाषा की पुन रचना हुई है। अनुमान है कि उस समय जब वह सुसंगठित भाषा के रूप में थी और उसकी बोलियों में परस्पर मार्के के कोई भेदक लक्षण नहीं पैदा हुए थे तब अर्यभाषा-भाषी किसी एक स्थान पर रहते थे। यह स्थान कौन या इस सवाल का हल करने के लिए अनेक विद्वानों ने विविध वाद उपस्थित किए हैं। भारतीय आर्य-ग्रन्थों में कहीं यह उल्लेख नहीं मिलता कि आर्य कहीं बाहर में आए। भारतीय आर्य की कल्पना में अपने देश के अलावा स्वर्ग, पाताल, देवलोक आदि का अस्तित्व अवश्य था। देवताओं का निवास मेरु पर्वत पर था, वहाँ प्रकाश और सुख का सर्वदा अस्तित्व, और अन्धकार तथा दुःख का नितान्त अभाव रहता था। भारतीय आर्य प्राचीनता के पुजारी थे, उनको पितरों पर उतनी ही श्रद्धा थी जितनी देवों पर। संभव है कि उस देव-भूमि और पितृभूमि की कल्पना में आर्यों के आदि देश ही झलकें हों। भारतीय विचारधारा के अनुसार आर्यों के जादि देश का प्रतिबिम्ब संभवतः उनकी आदि सृष्टि की कल्पना में भी छिपा हुआ हो। कहते हैं कि मनुष्य का प्रथम सृजन त्रिविष्टप (तिब्बत) में हुआ। जो हो, मेरु पर्वत का हमें पता नहीं, तिब्बत मालूम है। वैदिक संहिताओं में पुरानी ऋचाओं में सप्तसिंधु प्रदेश का और उनकी अपेक्षा अर्वाचीन ऋचाओं में और पूर्व के प्रदेशों का उल्लेख मिलता है। इसी आधार पर सर्वश्री अविनाशचन्द्र दास और सम्पूर्णानन्द ने भारत के ही उत्तरी भाग को आर्यों का आदि देश माना है। स्वर्गीय लोकमान्य बाल-गंगाधर तिलक ने कुछ ऋचाओं के भारी-भारी दिन और रात तथा उषाकाल के वर्णन के आधार पर उत्तरी ध्रुव प्रदेश को आर्यों का आदि देश ठहराया था।

आदिम आर्यभाषा, संस्कृत, अवेस्ती (तथा प्राचीन फारसी), ग्रीक, जर्मनी, लैटिन, केल्टी, स्लावी, बाल्टी, आर्मीनी, अल्बेनी, तोखारी और हिट्टाइट इन सभी भाषाओं का आदि स्रोत समझी जाती है।

एग्लिए आदि आर्य भाषा-भाषियों के तथा उनके मूलस्थान के विषय में विचार करते समय इन सब का ध्यान रखना चाहिए न कि केवल भारतीय आर्यों का। इन सबको उचित महत्व देकर कुछ यूरोपीय विद्वानों ने कुछ सुझाव पेश किए हैं। आज से प्रायः सौ साल पहले मेक्समूलर ने मध्य एशिया को मूलस्थान माना था। पर उनकी धारणा के विरोध में तुर्गन ही वाद उपस्थित किए जाने लगे और एशिया में नहीं बल्कि यूरोप में ही कहीं मूलस्थान माना जाने लगा। यूरोप के पूर्वी हिस्से का कोई प्रदेश (हंगरी और रूस के बीच का प्रदेश, पूर्वी या दक्षिणी रूस, उत्तरी जर्मनी, रोजेनविया, पोलैंड, लियुगनिया आदि) आर्यों का आदि देश था यह वाद बहुत दिनों से चला आ रहा है। अपने देश को आर्य-मूलस्थान साबित कर देने में देश-प्रेम और स्वजाति-प्रेम की कुछ अनुचित आविर्भाव भी किंगी-किमी वाद की तरह में दिखाई पड़ती है। इतिहास में आर्य जाति का आविर्भाव अन्यो (मिस्री, सुमेरी, अक्कदी, असीरी, चीनी आदि) की अपेक्षा अर्वाचीन है। अनुमान है कि आदिम आर्यों का प्रथम संपर्क उत्तरी मेसोपोटैमिया की तत्कालीन मध्य जातियों से, ईसा के पूर्व नैईसवी या बाईसवी सदी में हुआ, ईसा पूर्व २००० वर्ष के आस-पास उनकी स्थिति मेसोपोटैमिया में पाई जाती है। प्रायः १८०० ई० पू० के बोगाज कोट्ट लेख में आर्यों का प्रथम सर्वथा स्पष्ट उल्लेख है। इसमें मितानी जाति के शासक-वर्ग मयन्नि (म० मर्य), तथा इन्दर (इन्द्र), मित्त (मित्र), उरुवन (वरुण), अरुन (अरुण) और नासातिय (नासत्य) देवताओं का नाम आता है। इससे स्पष्ट है कि एशिया माइनर में उस समय आर्य जाति की कोई शाखा उपस्थित थी और इसी से प्रसिद्ध विद्वान सर्जी के इस वाद को, कि एशिया माइनर ही आर्यजाति का मूल-निवासस्थान था, बहुत कुछ बल मिलता है। आदिम आर्य भाषा के शब्दों की सुमेरी आदि अन्य भाषाओं की तुलना और परस्पर आदान-प्रदान से यह निष्कर्ष उचित मान्य पड़ता है कि हमें आदि देश की खोज यूरोप में न करके कहीं एशिया में ही करनी चाहिए इस सम्बन्ध में प्रो०

मुनीतिकुमार चटर्जी ने ब्रैडेस्टाइन के वाद को श्रेय दिया है। ब्रैडेस्टाइन का मत है कि उराल पर्वत का दक्खिनी प्रदेश ही आदिम आर्यों का मूल-निवासस्थान था।

वीरा—इस मूलनिवासस्थान पर रहने वाले सुसंगठित आर्यों को भाषाविज्ञानियों ने* वीरोस् नाम दिया है। स० वीर, लै० उईर, जर्म० वैर, प्राचीन आइरी फ़ैर, ये सब शब्द एक ही मूल-शब्द के उत्तर-कालीन रूप हैं। ये वीर सभवतः अपना आदि निवासस्थान छोड़ने के पूर्व एक ही जाति के थे, गोत्र आदि के रूप में इनकी टोलियाँ रही होगी। उराल पर्वत के दक्खिन में विशाल मैदान है, यही पर अश्व जगलो में पाया गया। वीरो ने उसे शिक्षा देकर पालतू बनाया और यही उनके वाहन का साधन बना। अनुमान है कि यही पर वीरो की एक शाखा जो बाद में ईरान और भारत के आर्यों के पूर्वज के रूप में इतिहास में आई, रहती रही और शेष वीर पच्छिम की ओर जाकर पोन्ड में पहले-पहल बस गए। पर यह भी सभव है कि ईरानी और भारतीयों के पूर्वज आर्य, तथा हिट्टाइट शाखा के पूर्वज, दक्खिन काकेशस पहाड़ और मेसोपोटैमिया पहुँचे और वहाँ से ईरान। और ईरान से एक शाखा भारत के सप्तर्षि प्रदेश में आ गई। यह सब ईसा पूर्व २५००-२००० में हुआ होगा, ऐसा अनुमान है।

वीरो की सबसे बड़ी खूबी अश्व था। इसके महत्त्व का जो वर्णन ऋचाओ में है वह गाय का नहीं। इसके लेकर जब वीर पच्छिम और दक्खिन की ओर बढ़े होंगे तब उनके सामने अन्य जातियों का ठहरना असभव हो गया होगा। मेसोपोटैमिया आदि में उस समय बैल (उत्ता), ऊँट और गदहे का इस्तेमाल था। ये घोड़े के मुकाबिले में ठहर नहीं सके।

ब्रैडेस्टाइन महोदय का मत है कि वीर सूखी चट्टानों वाली पहाड़ियों पर रहते थे। वहाँ हरे भरे जंगल नहीं थे, थे केवल कुछ गुल्म और बाँस आदि वृक्ष। जंगली रीछ, ऊदविलाव, भेंडिया, लोमड़ी खरगोश, चूहा आदि कुछ जानवरों से वीर लोग अनभिज्ञ थे। पालतू जानवरों में घोड़ा भेड़ बकरी कुत्ता सुअर और गाय से परिचय था

गाय उन्हें सुमेरी जाति से मिली। सुमेरी में गाय के लिए गुद् शब्द है। इसी से आर्य *ग्वाउस् शब्द का सबध है। कुछ चिडियो और मछली आदि जलजतुओ को भी जानते थे। पूरब वाली शाखा अपने नए निवासस्थान में ई० पू० १५०० तक भली प्रकार बस गई थी। पच्छिम वाली शाखा पोलैण्ड में बसी और उसके कुछ समुदाय बल्कान पहाडियो पर होते हुए ग्रीस पहुँचे और वहाँ तथा आस-पास के देशो में वे ई० पू० १००० तक अच्छी तरह बसे पाए जाते हैं।

वीरो के विषय में विद्वानो का अनुमान है कि पशुपालन और शिकार इनकी जीविका के मुख्य मावन थे। येती बागी इन्होंने दक्खिन के प्रदेशो में आकर इन प्रदेशो के तत्कालीन मनुष्यो में सीखी। तभी इन्हे गाय और बैल का महत्व मालूम हुआ। इनके मूलस्थान में फलो के वृक्ष भी न थे। फलो का अधिकाधिक प्रयोग भी इन्होंने इन्ही जातियो से सीखा। वीरो में समाज का संगठन पितृ-प्रधान था। बहु-विवाह की प्रथा न थी। कई कुल मिलाकर गोत्र बनता था। इनका दिमाग ऊँचे दर्जे का था। संगठन अच्छा था। स्त्री पुरुष के पररपर व्यवहार में यथेष्ट सयम था। स्त्री जाति का समुचित आदर था। कन्या का विवाह पिता, बडे भाड आदि की इच्छा और आज्ञा से होता था, स्वेच्छा से नहीं। धर्म के क्षेत्र में, इनको अलक्षित दैवी सत्ता पर विग्वास था और इसकी विविध देवशक्तियो के रूप में कल्पना की गई थी। पृथ्वी लोक के परे द्यौलोक दैवी शक्तियो का निवासस्थान था। द्यौ पिता, सविता, पृथ्वी, उषा आदि देवताओ की संख्या परिमित ही थी, मिली और सुमेरी जातियो की तरह इनके देवी-देवता बहुतेरे न थे। स्पष्ट ही है कि इस तरह के सुसंगठित और सयमी, शरीर, मन और आत्मा के हृष्ट-पुष्ट वीर जहा भी गए वहाँ अपनी शक्ति की स्थापना कर सके और अपनी वाणी का प्रभुत्व अन्य वाणियो पर स्थापित कर सके।

आदिम की शाखाएँ

आदिम आर्यभाषा की शाखाएँ कब फूट निकली इसका निर्णय कर पाना असंभव है अनुमान है कि संगठित अवस्था में भी इसकी

बोलियाँ रही होगी। भिन्न भिन्न बोलियों वाली टोलियाँ (गोत्र) मूलस्थान में, अलग अलग कोई किसी समय, कोई कुछ बाद, कोई उसके भी बाद चल निकली होगी। मूलस्थान से दूर जाने पर अन्य भाषा-भाषियों के सम्पर्क में इनकी भाषा में विकार की गति किसी-किसी स्थिति में प्रबल और किसी में क्षीण रही होगी। जब इस नजर से हम आर्य भाषाओं पर विचार करते हैं तो संस्कृत आदिम भाषा के सबसे अधिक निकट मालूम पड़ती है। यद्यपि तीन मूल स्वर (अ, ई, औ) इनमें एक रूप (अ) में मिलते हैं और म न के स्थान पर भी अ पाया जाता है तब भी अन्य ध्वनियों की और पदरचना की आदिम भाषा से पर्याप्त समानता कायम रही है। आधुनिक आर्य भाषाओं का विवेचन करने से हमें पता चलता है कि सभी शाखाओं में विकास की एक ही गति नहीं रही है। उदाहरणार्थ फारसी, विभक्तियों और लिंगभेद की दृष्टि से बहुत कुछ आदिम भाषा से दूर हट आई हैं, अपेक्षा कृत जर्मनी भाषा नजदीक है। लिथुएनी में अभी कुछ बरस पहले तक द्विवचन मौजूद था, यद्यपि अन्य सभी भाषाओं में वह कभी का समाप्त हो चुका।

प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् इग्नाइखर ने आदिम भाषा से, शाखाओं की दूरी के अनुपात से, कब कौन शाखा अलग हुई इसका हिसाब लगाया था। उनका अनुमान था कि स्लावी-जर्मनी भाषाएँ एक तरफ अलग हुईं और दूसरी ओर ईरानी-हिन्दी-ग्रीक-इटाली-केट्टी। पहली की बाद को दो शाखाएँ हुईं, ओर दूसरी की एक ओर ईरानी-हिन्दी शाखा जा पड़ी और दूसरी ओर ग्रीक आदि अलग-अलग हो गईं। वर्तमान भाषाओं की स्थिति देख कर इस प्रकार निश्चयपूर्वक कह देना नितान्त असंगत है क्योंकि यदि शाखाएँ बिना अन्य भाषाओं के सम्पर्क में आए हुए स्वतन्त्र रूप से विकसित होती तब तो ऐसे निष्कर्ष पर पहुँचना ठीक होता, परन्तु भाषा के विकास की परिस्थिति बड़ी जटिल होती है। कितने ही भीतरी और बाहरी कारण आकर उपस्थित हो जाते हैं जो अनुमान के क्षेत्र को बिल्कुल सङ्कुचित कर देते हैं।

पदरचना क हिसाब से हिट्टाइट, आदिम आर्यभाषा के निकट हों पर ध्वनि-समूह, वाक्य-विन्यास और शब्दावली की दृष्टि से उससे दूर हैं। समय की मजर से वह आदिम आर्य से अन्यो की अपेक्षा निकट हैं तब भी अंतर बहुत अधिक है, इसी कारण से विद्वानों का मत है कि हिट्टाइट आदिम की समरूक्ष रही होगी, सन्तान नहीं।

अर्यभाषाओं की परस्पर तुलना करके, पहले उनको दो समूहों में बाँटा जाता है, एक का नाम केन्टुम् और दूसरे का सतम्। ऊपर (पृ० ३२० पर) आदिम भाषा की व्रनियों पर विचार करने समय हमने देखा है कि प्रथम श्रेणी के कवर्ग का उच्चारण तात्व्य गौण सहायता से होता था। ये कवर्ग व्रनिया कुछ भाषाओं में तो स्पर्श वर्ण रह गई हैं, लेकिन अन्य कुछ में सप्रर्षी या स्पर्श मप्रर्षी हो गई है। केन्टुन् (centun) एक भाषा-समूह की प्रतिनिधि भाषा लैटिन का शब्द है और सतम् दूसरे समूह की प्रतिनिधि ईरानी का। नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं।

आ० आ० ग्रीक इटाली कल्टी जर्मनी स्लावी बाव्टो ईरानी भार०

*क'मर्ताम् हेकटोन केन्टुम् केन्ट हड्डेड सुतो शितस् सतम् शतम्

*क लर्नास म्लैकोस् इन्म्लुत्तुस् म्लु- स्लोवो स्रव थव

*वर्षाका'स आइकोम् वीकुस्- वीरस विसि विएश वीस् वेश

*गानु गानु गेनु' मनी जानू जानु

*गेनोस् गेनोस गणुस किन् जनु जनुः

*वेध" आखास हित् अर-वेन् वेगन् वेजाँ वेज्ज वजैति वहति

६ (२) कुन्टुम् और सतम् समूहों का परस्पर एक और भेदक लक्षण है। आदिम भाषा के कवर्ग की तृतीय श्रेणी के उच्चारण में ओठों की गौण सहायता ली जाती थी। इस गौण सहायता का जबशेष केन्टुम् भाषाओं में अब भी मौजूद है पर सतम् भाषाओं में इसका लोप हो गया है उदाहरण के लिये नीचे कुछ शब्दों को देखा जाय

आ०	आ०	ग्रीक	इटाली	जर्मनी	भारतीय	ईरानी
*क्वार्तरास्	पोतेरास्			व्हेदर	कतर	
*क्विद्	ति	क्विद्		विहट	चिद	
*क्वीवोस्	वित्रोस	वीवास्		किउस	जीव.	जीवो
*क्वीमोस्	थेमास्	फार्मिस्		वार्म	घर्म	गर्म (गरम)
*स्नेइन्व	निफ्	निवम्		स्नइवस	स्निग्ध	—

प्रसिद्ध भाषाविज्ञानी ऐस्कोली ने १८७० ई० मे केन्टुम् और सतम् भाषाओ का विभेद स्पष्ट रूप से विद्वन्मडली के सामने रक्खा था। कुछ समय तक केन्टुम् पच्छिमी शाखा और सतम् पूर्वी शाखा समझी जाती रही पर बीसवी सदी के आरभ मे तोखारी निकल पडी जो मध्य एशिया की होते हुए अर्थात् पूरब मे स्थिति रखते हुए भी केन्टुम् शाखा की है क्योंकि उसमे कवर्ग की प्रथम श्रेणी मघर्षी वर्णों मे परिणत नहीं पाई जाती, यद्यपि तृतीय श्रेणी के कवर्ग से विकसित ध्वनियो मे ओष्ठ्य उच्चारण का अभाव है। इसलिए पूर्वी और पच्छिमी शाखाये समझना असगत है। इस द्विधा विभाग के अनुसार केल्टी, जर्मनी, इटाली, ग्रीक, हिट्टाइट और तोखारी केल्टुम् भाषाएँ है तथा अटबेनी, स्लावी, बाल्टी, आर्मीनी और हिंद-ईरानी सतम् है।

यह बात निश्चय-पूर्वक नहीं कही जा सकती कि केन्टुम् और सतम् का भेद आदिम भाषा मे बोली-स्वरूप मौजूद था या नहीं। और यदि था भी तो आज जो शाखाएँ इनके अन्तर्गत है उन्ही के मूलरूपों (विशिष्ट बोलियो) मे ही था या और कही। आरभ से ही यह द्विधा विभाग मान लेना असगत बात होगी। उदाहरणार्थ जर्मनी और आर्मीनी दोनो शाखाओ मे आदिम ब्, द्, ग्, का क्रमश प्, त्, क्, का रूप पाया जाता है पर इनसे दोनो मे आदि काल के किसी सबध की कल्पना कर बैठना निर्मूल है। अगले अध्याय मे केल्टी आदि शाखाओ का विवेचन किया जायगा।

तेतीसवाँ अध्याय

आर्य परिवार की शाखाएँ

केल्टी

इस शाखा की भाषाएँ आज से दो हजार साल पहले आयरलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस के कुछ भाग, बेल्जियम, स्विटजरलैंड, जर्मनी, स्पेन, इटली, ग्रीस आदि यूरोप के विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती थी। पर अब ये आयरलैंड, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के वेल्श और कर्नवाल प्रदेशों में ही पाई जाती हैं। आयरलैंड में जब तक अंग्रेजों का प्रभुत्व रहा तब तक अंगरेजी सर्वोत्तम रही, पर देश की स्वतन्त्रता के साथ-साथ देश की अपनी भाषा आइरी (गैली) भी फिर काम में आने लगी है। गैली का साहित्य ई० पाँचवीं सदी तक का पाया जाता है।

केल्टी में आदिम क्व् कही प् रूप में (क्वैव् पम्) और कही क् रूप में (कोडक्) पाया जाता है।

केल्टी की इटाली शाखा से काफी समानता है, प्रायः उसी प्रकार की जैसी भारतीय और ईरानी की परस्पर है। मुख्य समानताएँ ये हैं—

(क) ओकारान्त पुलग और नपु० मज्ञाओं की पाठी (सम्बन्ध) विभक्ति का प्रत्यय -ई।

(ख) क्रियार्थक मज्ञा का प्रत्यय -शन् (-tion)

(ग) कर्मवाच्य की क्रिया।

केल्टी के तीन वर्ग माने जाते हैं—

(क) गैली (Gaulish)

(ख) गोइडेली (Goidelic)

(ग) ब्राथानी Brythonic)

गोइडेली के अन्तर्गत आइरी, स्काटी और गेली हैं तथा ब्रायानी के वेल्श, ब्रेटन और कार्निश।

ग्रीक और लाथनी में आदिम आर्य का क् प् में (*पेंक्व- पम्न) किन्तु गोइडेली में क् (*पेंक्वे- कोइक) में परिणत हो गया है।

इटाली

इस शाखा की प्राचीन भाषाओं में से लैटिन अब भी वर्तमान है। इसी से रोमांस भाषाएँ (स्पेनी, पुर्तगाली आदि) निकली हैं। पर लैटिन की समकक्ष अन्य प्राचीन भाषाएँ इस शाखा में रही होंगी। कुछ लेखों से पता चलता है कि ओस्की और उम्ब्री भाषाएँ ईसवी पहली सदी तक वर्तमान थीं। इन दोनों में आदिम क् वक्- प् हो जाना है, लैटिन में क् रहती है (स० अश्व, लै० ऐकुउस ओ० एपो)।

लैटिन रोम की भाषा थी। और रोमन साम्राज्य के माथ-माथ मारे यूरोप में फैली। इसके लेख २५० ई० पू० तक के मिलते हैं। यह साम्राज्य कई सदियों तक कायम रहा। उस समृद्धिकाल में कुछ देशों में वहाँ की देशी भाषाओं को परास्त करके यही वहाँ की भाषा बन बैठी। साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने पर केन्द्र से सम्पर्क शिथिल पड़ गया और इन विभिन्न देशों की लैटिन भाषाओं ने अलग-अलग स्वतन्त्र भाषाओं की सत्ता प्राप्त कर ली। पर साहित्यिक लैटिन बराबर साहित्य और धर्मकृत्यों में, संस्कृत की भाँति, काम में लाई जाती रही और आज भी रोमन-कैथोलिक सम्प्रदाय की धार्मिक भाषा है। लैटिन में ग्रीक की तरह का रूप-बाहुल्य नहीं है, पर प्राचीनता की प्रचुर सामग्री तब भी मौजूद है।

रोमांस शब्द का वास्तविक अर्थ है रोम की। अन्य भाषाओं की तरह साहित्यिक लैटिन और बोलचाल की लैटिन में आरम्भ से ही अन्तर पड़ गया था। ईसवी प्रथम शती के अन्त तक तो साहित्यिक भाषा अपना प्रभुत्व जमाए रही पर बाद में बोलचाल की भाषा का बह दबाए न रख सकी। धार्मिक क्रान्ति और ब्रबरो के आक्रमणों में भी साहित्यिक लैटिन को क्षति पहुँचाई विभिन्न प्रदेशों की बोलचाल

की लैटिन उन-उन पदशो में यूब जम गई और ८वीं शती ई० तक साहित्यिक लैटिन की पराजय सम्पूर्ण हो गई। इसी समय में इटाली अथवा रोमास भाषाओं का आविर्भाव माना जाता है। इनमें लैटिन के पूर्व बोली जाने वाली भाषाओं के अवशिष्ट चिह्न नगण्य हैं।

शब्दों के आदि के व्यजन प्रायः अक्षुण्ण रह गए हैं पर मध्य के व्यजनों में काफी परिवर्तन और विकास हुआ है। उदाहरणार्थ सभी रोमास भाषाओं में -ब- का परिणाम -व- हो गया है। प्रायः शब्दों के अन्त्य -म्-न् का सर्वत्र ह्रास है।

पदरचना में दो बातें मुख्य हैं—(क) मज्ञा और क्रिया के रूपों में विकार और (ख) संयोग में वियोग की ओर प्रवृत्ति। सभी भाषाओं में नपुंसक लिंग दूर हो गया है। मज्ञा और विशेषण के एकै वचन में एक ही विभक्ति रह गई है। क्रिया के रूपों में भी बहुत परिवर्तन हो गया है।

वाक्य में पदों के स्थान का महत्त्व बढ़ गया है और कर्त्ता-क्रिया-कर्म यह क्रम प्रायः निश्चित हो गया है। अव्ययों की संख्या बढ़ गई है तथा क्रियाओं के अधिक कालों और क्रिया-विशेषणों एवं उपसर्गों की अधिकता से भाषाओं में एक विशेष निश्चितार्थत्व आ गया है।

नीचे लिखी आधुनिक भाषाओं का विकास लैटिन से ही हुआ है।

इटाली—इटली सिसिली, और कार्जिका में बोली जाती है। वर्तमान इटली राज्य की राजभाषा है। ६६४ ई० तक के लेख मिलते हैं।

रुमानी—रुमानिया, ट्रान्सिल्वेनिया और ग्रीस के कुछ प्रदेश में बोली जाती है। इस पर स्लावी और तुर्की का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। साहित्य १६वीं सदी में आरम्भ होता है।

प्रोवेशल—फ्रांस के दक्खिनी हिस्से में ११वीं-१३वीं सदी में बोली जाती थी और अब भी एक छोटे से प्रदेश में वर्तमान है। गठन में इटली और फ्रेच के बीच की है। ११वीं सदी तक का साहित्य मिलता है।

फ्रेंच—फ्रांस की भाषा है। ८४० ई० तक पुराने लेख मिलते हैं। पेरिस की बोली ही राजभाषा बनी और राजनीतिक प्रभाव के कारण पिछली सदी तक समस्त यूरोप की आधुनिक मस्कृति की भाषा बनी रही।

पुर्तगाली—पुर्तगाल की भाषा है। १२वीं सदी तक का पुराना साहित्य है।

स्पेनी—स्पेन की भाषा है। इसका भी साहित्य १२वीं सदी तक का मिलता है।

पुर्तगाल और स्पेन के यहूदियों की एक विगिष्ट भाषा सेफार्डी है। इसका ढाँचा स्पेनी है पर अन्य बहुतेरी बातें सामी।

इटली, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस आदि के साम्राज्य के साथ-साथ इन देशों की भाषाएँ अमरीका और अफ्रीका के इन देशों के उपनिवेशों में जाकर फैली हैं।

ग्रीक

इस शाखा के अन्तर्गत प्राचीनकाल में ही बहुत सी बोलियाँ थीं। इनमें ई० पू० ७वीं - ८वीं सदी तक के लेख मिलते हैं और इधर तेरहवीं शती (ई० पू०) के भी अभिलेख मिले हैं। होमर के महाकाव्य इलियड और ओडेसी तो ई० पू० १००० के माने जाते हैं। प्राचीन बोलियों में ऐटिक और डोरिक प्रधान थीं। जो बोली कई बोलियों के क्षेत्र में सर्वसामान्य भाषा की सत्ता प्राप्त कर मकी उसे कोइनी (Koine) कहते थे। ऐटिक सर्वसामान्य भाषा के रूप में ई० पू० चौथी सदी से आगे बराबर काम में लाई जाने लगी। परिणामस्वरूप अन्य बोलियाँ मर-मरा गईं। आधुनिक ग्रीक इसी ऐटिक से विकसित हुई है और ग्रीस में तथा पास के समुद्रों के द्वीपों में और आस-पास के देशों में यत्र-तत्र बोली जाती है।

ग्रीक और संस्कृत की तुलना करने पर बहुतेरे समान लक्षण पाए जाते हैं। ग्रीक में मूल स्वर संरक्षित पाए जाते हैं, संस्कृत में मूल व्यंजन। दोनों में सुर है। संस्कृत में विभक्ति-रूप सम्पूर्ण पाए जाते

हैं, ग्रीक में खडित। दोनों में अव्ययो का ताहुत्य है। समास और द्विवचन दानो में है। दोनों में परस्मैपद और आत्मनेपद है। लकारो की समृद्धि मन्थन में अधिक है पर ग्रीक में निष्ठा, तुमन्त, पूर्वकारिक क्रिया आदि की।

प्राचीन इतिहास में थ्रेसी, फ्रिजी और मैसेडोनी भाषाओ का भी पता चलता है। ये ग्रीक और आर्मीनी के बीच की रही होगी। फ्रिजी आर्मीनी के सन्निकट समझी जाती है।

जर्मनी

इस नाम के अन्तर्गत अगरेजी, जर्मन, डच आदि वनभान पच्छिमी यूरोप की कई भाषाएँ आती हैं। 'जर्मनी' शब्द का सर्व-प्रथम प्रयोग केल्तो द्वारा मिला है जो प्राय ३० पू० पहली सदी का है और अनुमान है कि उन्होंने इस शब्द का प्रयोग 'पडोमी' के अर्थ में किया है। इनके एक ओर केल्ट और दूसरी ओर स्लाव जाति के लोग थे। निश्चय है कि ईसा के दो चार सदी पूर्व ही दस शाखा में विभिन्न बोलियाँ हो गई थी। इस शाखा का दूसरा नाम ट्यटानी भी है। ट्यटन शब्द से जर्मन, दगलिश आदि सभी जातियों का बोध होता है। जर्मनी के उत्तरी भाग की भाषा के कुछ लेख रुनी लिपि में खुदे हुए ई० तीसरी सदी के मिलते हैं। यह लिपि इनकी निजी थी और ग्रीक और रोमन से भिन्न। इसके अलावा गायी बोली में विशप उत्फिलस (३११-३८१ ई०) ब्रुत इजील का अन्वाद भी मिलता है। यही इस शाखा की सबसे पुरानी सामग्री है। इस प्राचीन सामग्री के आधार पर, आरभ से ही इस शाखा की अन्तर्गत भाषाओ के तीन समूह हो जाते हैं, उत्तरी पूर्वी और पच्छिमी।

उत्तरी समूह की प्राचीन नाम या प्राचीन स्कैन्डीनेवी के लेख तीसरी सदी से ८वी सदी तक के मिलते हैं। ११वी सदी से दो शाखाएँ फूट निकली मालूम होती हैं। (क) पच्छिमी स्कैन्डीनेवी जिसमें आइसलैण्ड की भाषा आइसलैण्डी और नार्वे की भाषा नार्वेजी है

और (ख) पूर्वी स्कैण्डिनेवी जिसमें स्वीडेन की भाषा स्वीडी और डेनमार्क की डेनी आती है। आइसलैण्ड की एड्डा नाम के गीत (१०००-१३५० ई० के) समारंभ में प्रसिद्ध हैं।

पूर्वी समूह की प्राचीन बोली गायी का उल्लेख हो चुका है। इसके अलावा कई और थी। ये सब अब केवल साहित्य में ही मिलती हैं। पच्छिमी समूह के अन्तर्गत तीन शाखाएँ हैं, (क) इङ्गलिश-फ्रीजी (ख) जर्मन और (ग) डच।

इंगलिश-फ्रीजी के अन्तर्गत दो भाषाएँ हैं, जॅंगरेजी और फ्रीजी। फ्रीजी बोलने वाले लोग हालैंड में और जर्मनी के उत्तर-पच्छिमी भाग में रहते हैं। इनकी बोली के ग्रन्थ १३वीं सदी तक के पुराने मिलते हैं। फ्रीजी गठन में अन्य जर्मनी भाषाओं की अपेक्षा अँगरेजी में सर्व-निकट है।

अँगरेजी का नाम इंगलिश इसके बोलने वाले ऐंगेल (Angel) जाति के कारण पड़ा। मैक्सन, जूट, आदि अन्य सहकारी जातियों के साथ इन्होंने ब्रिटेन पर ५वीं ६वीं सदी में घावा किया और यहाँ के निवासियों को परास्त कर के उन पर अपनी भाषा का आरोप किया। अँगरेजी भाषा के सर्वप्रथम लेख, वर्म-ग्रन्थों की टीका के रूप में ७वीं सदी तक के मिलते हैं। गठन आदि विकास के अनुकूल अँगरेजी के तीन काल निर्धारित किए जाते हैं—(क) प्राचीन, प्रायः ११वीं सदी के अन्त तक, (ख) मध्य, १५वीं सदी तक और (ग) आधुनिक, प्रायः १५०० ई० से इवर। अँगरेजी की ही कई बोलियाँ हैं (Pur उत्तरी पट्ट दक्खिनी पुट्ट), पर १६वीं सदी में ही लन्दन और उसके आस-पास की बोली को राजभाषा का श्रेय मिलता रहा है और आज यही प्रमुख है। अँगरेजी आज बीस पच्छिमी कराट् मनग्यो की बोली है, ब्रिटिश साम्राज्य और अमरीकी साम्राज्य के साथ साथ यह सब ताफ फ़ैरी है। इंग्लैंड की और अमरीका की भाषाओं में विशेष अंतर है, प्रायः इतना कि बोली से ही, बोलने वाला अमरीका निवासी है या इंग्लैंड का रहने वाला यह बात जानी जा सकती है अन्य भाषाओं के क्षत्रो म

फैलने के कारण इंग्लिश के विभिन्न रूपांतर हो गए हैं। चीनी मनुष्य की अंग्रेजी का अँगरेज लोग पिछित इंग्लिश और हमारी को वाबू इंग्लिश कहते हैं। आधुनिक अंगरेजी गठन में सीधी सादी है और प्रायः अयोग्यता आकृति की ओर जा पड़ी है। उसके सीखने में जो कठिनाई है वह इस कारण से कि उसका अक्षर-विन्यास पुराना है, परिणामरूप लिखते कुछ है और बोलते कुछ। इस दोष को मिटाने का कुछ प्रयास अमरीका में हुआ है पर बहुत सफल नहीं हो पाया। अपने प्रसार के कारण अँग्रेजी आज समार की प्रमुख भाषा मानी जाती है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और राजनीति में अब इसका रावत्र प्रयोग होता है और इस क्षेत्र में इन्होंने पिछले तीस चालीस साल में फ्रेंच को हटा भगाया है।

जर्मन—इस समूह की बोलियों का विभाग हाइ (उच्च) जर्मन और लोउ (निम्न) जर्मन के रूप में ८वीं सदी के आरम्भ से ही मिलता है। हाइ बोलियाँ दक्खिनी और पर्वतीय प्रदेश की हैं और लोउ उत्तरी की जो अपेक्षाकृत ऊँचाई में कम हैं। यह विभाग व्यंजनो के एक भेदक विकास के कारण किया जाता है प्राचीन जर्मन के प्(त्) ट् क् यदि दो स्वरो के मध्य में या शब्द के अन्त में किसी स्वर के बाद स्थित हो तो जर्मन में उमाह स्थान पर क्रम से फ् (फफ), स (स्स्) और ह् ह (ख् ch) हो जाते हैं। लोउ जर्मन (और अँगरेजी जो इस विकास के पूर्व ही यहाँ से ब्रिटेन जा पड़ी थी,) उस में यह नहीं होता।

उदाहरणार्थ—

हाइ जर्मन	श्लाफेन	लासन्	त्साइश (ख्वन्) स्प्राख्वन्
इंग्लिश	स्लीप्	लॉट्	स्पीक्

इसी प्रकार प्राचीन जर्मन के शब्द के आदि में या किसी व्यंजन के उपरान्त स्थित प्, पट्, क् के स्थान पर हाइ जर्मन में क्रम से फ्, त्सू (ज) और क्व् हो जाते हैं, यह विकास भी लोउ जर्मन और अँगरेजी में नहीं मिलता

उदाहरणार्थ—

हाइ जमन	फ़ूड्	ल्येहन्	गा० क्लिउ की
इंगलिश	फॉउड्	टेन्	नी (नी)

जर्मन भाषाओं के व्यञ्जनों के इस विकास को द्वितीय ध्वनि-परिवर्तन कहते हैं। पहला ध्वनि परिवर्तन कई सदी पहले हो चुका था। इसका उल्लेख आगे किया जायगा। प्राय ११०० ई० तक की हाई जर्मन को प्राचीन काल की, तब से १५५० ई० वाली तक को मध्यकाल की, और इधर वाली को आधुनिक कहते हैं। आधुनिक काल में ही साहित्यिक और राजकीय जर्मन का विकास हुआ है। आधुनिक जर्मन भाषा भूपियों की संख्या ८ करोड़ से ऊपर है। जर्मनी के अलावा पास पड़ोस के चेकोस्लोवैकिया, स्विटजरलैंड, बेल्जियम आदि राज्यों में जर्मन भाषा-भाषी बहुत लोग हैं। जर्मन भाषा में विज्ञान और दर्शन सबधी बड़ा ऊँचा साहित्य है। इसकी तुलना समार में कोई साहित्य नहीं कर सकता। जर्मन लोग अपनी भाषा को टाइटशे कहते हैं जिसका अर्थ है 'जन भाषा'।

डच भाषा मुख्य रूप से हॉलैंड की भाषा है और इधर १६वीं सदी से लगाकर आज तक बराबर इसकी उत्पत्ति होती आई है। बेल्जियम की भाषा इससे बहुत मिलती-जुलती है।

जर्मनी शाखा की सभी भाषाओं पर सामूहिक रूप से विचार करने पर पता चलता है, कि ये सभी, आर्य परिवार की अन्य शाखाओं की भाँति, श्लिष्ट योगात्मक अवस्था से अयोगात्मक होती जा रही हैं, कोई कम, कोई ज्यादा। जर्मन की अपेक्षा अँगरेजी ज्यादा अयोगात्मक हो गई है। सभी में बलाघात महत्वपूर्ण स्थिति को पहुँच गया है। आदिम आर्य में मुर था, इस शाखा में इसका अवशेष केवल स्वीडी में पाया जाता है। अन्यत्र सब भाषाओं में बलाघात है और सो भी प्रत्यय पर नहीं, घात्वश पर।

जर्मनी शाखा का एक बड़ा महत्वपूर्ण लक्षण उसके कुछ ध्वनि-नियमों के रूप में है इन नियमों में सब प्रमुख ग्रिम नियम हैं सन

१८१९ में याकोब ग्रिम नामक विद्वान ने डोइट्शेस् ग्रामाटिक नाम का जर्मन भाषा का व्याकरण प्रकाशित किया। तीन साल बाद १८२२ में उन्होंने इस पुस्तक का दूसरा संस्करण निकाला। इस संस्करण में उन्होंने जर्मन भाषा संबंधी चन्द ऐसे नियम स्पष्ट और विगद रूप से विद्वानों के सामने रखे जिनसे जर्मन भाषा के विकास के समझने में बड़ी आसानी हुई। इन नियमों का संकेत कई साल पूर्व प्रसिद्ध डेनी विद्वान राम्क ने भी किया था। पर इनका स्पष्ट अभिधान ग्रिम ने ही किया, इसलिये ये ग्रिम के नाम में प्रसिद्ध हुए।

ग्रिम-नियमों के अनुसार जर्मनी शायदा में ये परिवर्तन हुए—

(क) आदिम आर्य भाषा के क्त्प् के स्थान पर क्रम में, ष (ह)

क्त्प्

(ग) " ग्द्व् " क्त्प्

(घ) " घ्घ्म् " ग्द्व्

कुछ उदाहरणों में यह बात स्पष्ट होगी—

आदिम	संस्कृत	ग्रीक	लैटिन	गाथी	आंगरजी
*कर्द	कृद्-(घा)	कर्द्	कार्ट्	हेतों	हार्ट्
*त्रयस्	त्रि	त्रे इस्	त्रेल	त्रिस्	त्री
*पाद्	पाद्	पोजस्	पेस	फोटुस्	फुट
*गेनोस्	जन्तु	गेनोस्	गेनुस्	कुनि	किन्
*दकं	दश	डेक	डेडेम्	तेहुन्	टेन
*स्नेउव्			लुविकुस्	मिन्डरान्	स्लिप
*घन्स्	हंस	खेन् (खान्)	अनुपर	गन्स्	गूज्
*मेधु	मधु	मेधु	*मेदु (केन्टी)		मीड्
*मेरो	मरा मि	फेरा	फेरो	वैरान्	वेअर

ग्रिम द्वारा प्रतिपादित इस ध्वनि-नियम से जर्मनी शाखा के शब्दों में के अधिकांश व्यंजनो का समाधान हो गया, पर ग्रिम ने स्वयं अनुभव किया था कि तब भी बहुतेरे अपवाद रह जाते हैं। इनमें से एक अपवाद यह था कि जहाँ अविकाग आदिम ब् द् की जगह इस शाखा में क्रम से प् त् मिलते हैं, वहाँ गायी बिउद्, बिन्दान्, दा स आदि शब्दों में आदिम ब् और द् की जगह ब्, द् ही पाये जाते हैं, प् त् नहीं। इस अपवाद का समाधान हर्मन ग्रासमन नामक, संस्कृत और ग्रीक भाषाओं के प्रसिद्ध विद्वान ने किया। इन्होंने प्रतिपादित किया कि संस्कृत और ग्रीक के एक स्वकीय नियम के अनुसार, यदि आदिम भाषा में धातु के आदि और अन्त दोनों स्थानों पर महाप्राण ध्वनि थी तो इन दो भाषाओं में, एक महाप्राण के स्थान पर अल्पप्राण कर दी जाती थी। इस प्रकार गायी बिउद् (स० बोध्) बिन्दान् (म० बन्व्-) और दास् (स० दम्-) के आदि भाषा के रूप भेउध्- *भेन्ध्- और धीम् की कल्पना की गई। संस्कृत और ग्रीक दोनों, आदिम भाषा की सर्वप्राचीन प्रतिनिधि हैं, इस बात से यह भी विचार उठा कि संभव है आदिम भाषा की ही दो अवस्थाएँ रही हों, (१) जब धातु में दो महाप्राण रह सकते थे और (२) जब धातु में एक ही महाप्राण संभव था। ग्रासमन द्वारा प्रतिपादित इस विवेचन को ग्रासमन नियम कहा जाता है।

ग्रिम-नियम के अनुसार आदिम क्, त्, प् की जगह जर्मनी शाखा में ख् (ह्), य्, फ् मिलना चाहिए, पर कुछ शब्दों में क्रम से ग्, द्, ब् मिलते हैं। इस अपवाद का समाधान कार्लवर्नर ने किया, और इसलिए इस ध्वनि-नियम को वर्नर-नियम कहते हैं। इसके अनुसार आदिम आर्य क्, त्, प् यदि शब्द के आद्यक्षर हो तो जर्मनी शाखा में अवश्य ख्, य्, फ् हो जाते हैं। पर शब्द के बीच में या अन्त में आने पर ये तभी ख्, य्, फ् में परिवर्तित होते हैं जब आदिम आर्य शब्द में इनके अनन्तर पूर्व स्वरों पर सुर हो अन्यथा (अर्थात् सुर मान्तर पूर्व अथवा बाद में होने पर) इनके स्थान पर ग् द् ब् (वास्तव में ग् द् ब्) हो जाते हैं। उदाहर-

आदिम	संस्कृत	ग्रीक	लैटिन	गाथी	अंगरेजी
*युव्न्कास्	युवरा		युव्न्कुस्	युड्-ग्-स्	यग्
*क मतोम्	शतम्	हेकतोन्	केन्दुम्	हुन्द	हड्रेड्
*लेइप्	लिम्पामि	लिपरंओ	लिप्पुस्	बिलीब्	बेलीफान्(लीव)
*सगतन्	सत	हेप्त	सेटेन्		सिबुन् सेवेन्

अनुमान है कि ऐसे उदाहरणों में विकास का क्रम क् त् प् > ख्, य्, फ्, घ् - ध्, भ् - ग्, द्, ब् - ग्, द्, ब्, रहा होगा।

ग्रिम आदि विद्वानों द्वारा प्रतिपादित इस विकास को ही जर्मनी शाखा का प्रथम स्वनि-परिवर्तन कहते हैं। द्वितीय का विवचन ऊपर किया जा चुका है। यह प्रथम परिवर्तन ईसवी मन् की पूर्व की सदियों में ही हुआ था, द्वितीय प्राय ६०० ई० से आरम्भ होकर ८०० तक पूरा हुआ।

तोखारी

इस सदी के आरम्भ में कुछ जर्मन विद्वानों ने मध्य एशिया के तुफान प्रदेश में अनुसन्धान किया था। अन्य सामग्री के साथ-साथ उन्हें भारतीय लिपि में लिखे कुछ ऐसे ग्रन्थ मिले, जिनकी भाषा अब तक की ज्ञात भाषाओं से भिन्न थी। पढ़ने पर यह आर्य परिवार के केटुम वर्ग की साबित हुई। इस पर उराल-अल्ताई भाषाओं का भी प्रभाव पड़ा है। स्वरों की जटिलता कम हो गई है और स्वर-मात्रा छोड़ दी गई है। सन्धि के कुछ नियम संस्कृत के से हैं। सर्वनाम और मर्यादावाची शब्द निश्चित रूप से आर्य हैं। आठ विभक्तियाँ हैं। क्रिया के रूपों में जटिलता है। शक जाति की एक शाखा की यह भाषा थी। इस शाखा ने ई० पू० दूसरी सदी में मध्य एशिया में साम्राज्य स्थापित किया था।

अल्बेनी

इसके लेख १५ वी सदी ई० से पुराने नहीं मिलते बहुत दिनों

तक इसको स्वतन्त्र शाखा की सत्ता नहीं दी गई थी। पर ध्वनि-समूह और गठन दोनों से इसको स्वतंत्र सत्ता देनी पड़ी। यह गेड्रियाटिक मागर के पूरब वाले पहाड़ी प्रदेश की भाषा है और बोलने वाले केवल करीब १५ लाख हैं। शब्द-समूह अधिकतर विदेशी, ग्रीक लैटिन आदि भाषाओं से उधार लिया हुआ है।

हिट्टाइट

बोगाजकोई में कीलाक्षर लेखों में एक भाषा ऐसी मिली है जो पदरचना की दृष्टि से निश्चय ही आर्य परिवार की है। सज्ञा की ल विभक्तियाँ, शतृ रूपों के समान रूप, सर्वनामा की समानता और क्रिया के पुरुषों और वचनों में रूप-विभिन्नता सभी बातें आर्य होने की पोषक हैं। शब्दावली अवश्य अविकाश में मेल नहीं खाती और ध्वनि-साम-जस्य की भी चूल कहीं कहीं नहीं बैठती पर इस भेद का कारण यही हो सकता है कि यह भाषा विषम परिस्थिति में पड़ गई थी। हिट्टाइट फेन्टुम वर्ग की भाषा है। हिट्टाइट जाति का उल्लेख ऊपर किया गया है।

बाट्टी

बाट्टी शाखा के अंतर्गत तीन भाषाएँ हैं प्रशियाई, लिथुएनी और लेटी। प्रशियाई अब जीवित भाषा नहीं है, पहले यह प्रशिया नाम के जर्मनी के एक प्रदेश में बोली जाती थी। वहाँ अब जर्मन बोली जाती है। प्रशियाई साहित्य में १५ वीं १६ वीं सदी की कुछ पुस्तकें हैं। उन्हीं से हमें इस भाषा का ज्ञान प्राप्त होना है।

लिथुएनी का भी साहित्य १६ वीं सदी में पुराना नहीं मिलता पर इसका विकास इतने धीरे धीरे हुआ है कि इसके विविध रूपों की उत्पत्ति चौथी सदी की गायी से कर सकने है। इसमें ग्रीक की तरह मुर अब भी विद्यमान है। द्विवचन के रूप भी हैं। यह लिथुएनिया राज्य की भाषा है जिसने पिछले महासमर में स्वतंत्रता प्राप्त की थी और अब रूसी (सोवियत) राष्ट्रसंघ में शामिल हो गया है।

लेटी लैट्विया राज्य की भाषा है। यह भी रूस से जा मिली है। इसका भी साहित्य १६ वीं शताब्दी के पहले का नहीं मिलता। यह भाषा लिथुएनी की अपेक्षा अधिक विकसित है।

स्लावी

बाल्टी और स्लावी शाखाओं में परस्पर काफी समानता है, विशेषकर सज्ञा के रूपों की और शब्दावली की। इसलिए कभी-कभी दोनों शाखाओं को मिलाकर बाल्टी-स्लावी कहते हैं। भाषा-विज्ञान की अध्ययन की दृष्टि से इन सबसे लिथुएनी ही प्रमुख है जिसका उल्लेख ऊपर हो चुका है।

स्लावी शाखा के तीन विभाग किए जाते हैं, दक्खिनी, पूर्वी और पश्चिमी। दक्खिनी विभाग के अन्तर्गत बल्गेरिया की भाषा बल्गेरी, और यूगोस्लाविया की सर्बो-क्रोटी है। बल्गेरी में ९ वीं शताब्दी का इजीक का अनुवाद मौजूद है। स्लावी शाखा का यही सबसे प्राचीन ग्रन्थ है। प्राचीन बल्गेरी में तीनो वचन मिलते हैं। आधुनिक बल्गेरी प्रायः जयोंगावस्था की है जो शब्दावली में बहुतेरे शब्द तुर्की, ग्रीक, रमानी आदि भाषाओं से जा गए हैं। बल्गेरीभाषियों की संख्या कोई ३० लाख है। सर्बोक्रोटी का साहित्य उधर पिछली शताब्दी में ही बना है। बोलने वालों की संख्या करीब एक करोड़ की है।

पूर्वी विभाग का साहित्य १२ वीं शताब्दी तक का मिलता है। उसके अन्तर्गत कई भाषण हैं। ये प्रायः १२ वीं शताब्दी तक एकसुत्री थीं। ये सब रूसी भाषण हैं और उस महादेश के विभाग के अनुमान लानु-रूसी, श्वेत-रूसी, और महारूसी कहलानी हैं। लघु-रूसी (या रुथेनी) प्रायः तीन करोड़ जनता की भाषा है और दक्खिनी रूस (उक्रेन) में बोली जाती है। श्वेत-रूसी श्वेत-रूस नाम के अर्थात् पश्चिम-तम प्रदेशों में बोली जाती है। महारूसी को कभी-कभी केवल रूसी कहते हैं। यह रूस के प्रधान नगर मास्को से फैली और अब सत्तार की प्रमुख

भाषाओं में से है। बोलने वाले की संख्या दस करोड़ से ऊपर है। इन्होंने १८ वीं सदी से समस्त रूस की सामान्य और राजकीय भाषा होना आरम्भ किया।

पच्छिमी विभाग के अंतर्गत चेकोस्लोवाकिया की भाषा चेक और पोलैंड की पोलि है। चेक के बोलने वाले करीब अस्सी-नब्बे लाख हैं, पोलि के करीब दो करोड़। चेक का साहित्य १३ वीं सदी में और पोलि का १४ वीं में आरम्भ होता है।

आर्मीनी

आर्मीनी भाषा-भाषियों की संख्या कोई पचास लाख है। आर्मीनिया का ईरान से घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है, ५ वीं सदी ई० तक ईरान का ही युवराज आर्मीनिया का राजा होता था। इस भाषा में दो हजार से ज्यादा फारसी शब्द हैं, अरबी काकेशी आदि के भी हैं पर इतने अधिक नहीं। इन्हीं कारणों से बहुत दिनों तक आर्मीनी ईरानी की केवल शाखा मात्र समझी जाती रही। पर गम्भीर अध्ययन के फलस्वरूप इसकी मत्ता स्वतंत्र शाखा के रूप में स्थापित हो गई है। सम्भवतः इसकी स्थिति ग्रीक और हिन्द-ईरानी के बीच की है। मेसोपोटैमिया के और काकेशस पर्वत के दक्खिनी भाग और काले सागर के दक्खिनी किनारे के बीच में स्थित प्रदेश की यह भाषा है। आर्मीनी भाषा का सबसे पहला ग्रन्थ इजील के शुभ संवाद (गॉस्पेल) का ९वीं सदी में किया हुआ अनुवाद है। इस पुस्तक की भाषा ९ वीं से भी दो-तीन सदी पूर्व की मानी जाती है। बोलियों में सर्व-प्रमुख स्तम्बूल की बोली है।

वाकी वकी हिन्द ईरानी। इसका विवेचन अगले अध्याय में किया जायगा।

चौथीसवाँ अध्याय

हिन्द-ईरानी शाखा

आर्य-परिवार की यह शाखा कई कारणों से महत्त्वपूर्ण है। इसी में आर्यजाति का प्राचीनतम साहित्य मिलता है। ऋग्वेद संहिता को विविध विद्वान ३००० ई० पू० से १५०० ई० पू० तक रखते हैं। अवेस्ता ७०० ई० पू० का ग्रन्थ समझा जाता है। इन दो के मुकाबिले में केवल ग्रीक भाषावाले होमर के महाकाव्य (ई० पू० १०००) ही ठहर सकते हैं। अन्य शाखाओं में साहित्य-निर्माण बहुत बाद को शुरू हुआ। अनुमान है कि हिन्द-ईरानी शाखा के आर्य मेसोपोटैमिया होते हुए पूरब की ओर बढ़े। ई० पू० १४०० के बागाजकोई लेख में कई आर्य गोत्रों का उल्लेख पाया जाता है। प्राय १८०० ई० पू० तक मर्यन्नि, हरि, मन्द और कस्मि नाम के गोत्रों ने बाबेह राज्य पर आधिपत्य प्राप्त करके कई सदियों तक शासन किया। कुछ गोत्र मेसोपोटैमिया में न ठहर कर और आगे बढ़ते हुए ईरान आए। इनमें परशु और मन्द गोत्र मुख्य थे। शक गोत्र वाले और आगे बढ़ते हुए मध्य एशिया और दक्खिनी रूस पहुँचे। इनके अलावा भृगु, भरत, मद्र, कुरु आदि गोत्र ईरान से आकर सप्तसिन्धु प्रदेश में बस गए।

हिन्द-ईरानी शाखा में परस्पर कुछ ऐसे समान लक्षण हैं जिनके कारण हम इस शाखा की भाषाओं को अन्य आर्य भाषाओं से अलग कर सकते हैं।

(१) दोनों समुदायों में तीन म्ल् स्वरों की जगह एक आकार ही मिलता है।

(२) दोनों में उदासीन स्वर की जगह इकार है।

(३) अन्त स्वर र् (ऋ) ल् (लृ) का हिन्द-ईरानी में अमेद

मिलता है, कभी कभी आदिम र् (ऋ) के स्थान पर ल् (लृ) यथा लै० रुन्करै म० लुचामि, और कभी ल् (लृ) की जगह र् (ऋ) यथा लै० लुपुत्, ग्री० लुकं म० वृक, अव० वह्को। विद्वानों का विचार है कि आदिम के यह दोनो अन्त स्थ हि० ई० में एकरूप (र्, ऋ) हो गए और बाद को जो ल् (लृ) मिलता है वह इससे परकालीन परिवर्तन हुआ।

(४) इ, उ, र्, और क् के बाद आने वाला स् इस शाखा में श् हो गया। और यही बाद को भारतीय में प् में परिणत हुआ (म० वक्ष्यामि अव० बखश्या, म० ऊक्षा गा० ओषस, स० पितृषु ग्री० पत्रसि, स० गनुषा, पा० अगरेजी रनोरु।

(५) आदिम के प्रथम श्रेणी के कठ्य स्पर्श हिन्द-ईरानी में क् ख् ग् घ् से श् श्ह् ज् ज्ह् में परिणत हुए। बाद को ईरानी में ये स्, ज् ज्ह् के रूप में मिलते हैं और भारतीय में श् ज् ह के रूप में।

(६) ओष्ठ्य गौण सहायता वाले कठ्य हि० ई० में गौणत्व-विहीन पाए जाते हैं और यदि इनकी स्थिति इ, ए, स्वरों के पूर्व थी तो ये च् छ् ज् झ् में परिणत हो गए हैं।

ध्वनि-संबन्धी इन भेदक लक्षणों के अतिरिक्त पद-रचना संबंधी दो बातें उल्लेखनीय हैं।

(७) एक तो स्वरात सज्ञाओं के पष्ठी बहुवचन का परप्रत्यय नाम और दूसरे,

(८) लोट् (आज्ञा) लकार के अग्रपुरुष में परप्रत्यय -त्तु -न्तु। ईरानी और भारतीय की प्राचीन अवस्थाओं में इतना गाम्भिर्य है कि एक में थोड़े से आवगमक परिवर्तन कर देने में ही तुभ्यं त्वर्षी में रूपान्तर हो जाता है। उदाहरणार्थ उ० वटवृष्ण घाय द्वारा अनु-वादिता, यस्ना (१०८) का संस्कृत रूपांतर देखें—

अव० यो यथा प श्म तउरुनम् हश्चोमम् वन्देँ ता मशयो।

स० यो यथा पुत्र तरुणा सोम वन्देत मर्त्य

अव० का आर्या तनुव्या हश्चोमो नीसदते बर्गेशजाइ॥

स० प्र

सोमो विशते विशते भेषजाय

ईरानी और भारतीय उपशाखाओं के मुख्य भेदक लक्षण ये हैं।

(१) स्वर की मात्रा कहीं-कहीं ठीक नहीं बैठती, जैसे स० ऋतुम् जव० रतुम्।

(२) अवेस्ती में स्वर-भ्रमुदायो का बाहुल्य पाया जाता है, स० ए० ओ की जगह अण अत्रा और ऐ ओ की जगह आइ आउ।

(३)* अवेस्ती में स्वर का अग्रगम (स० रिणक्ति अव० इरिनरित) और वाद के अक्षर के स्वर का पूर्व के अक्षर पर प्रभाव (स० भरति अव० बरइति) अविक पाया जाता है।

(४) ऋकार के स्थान पर अवेस्ती में अण मिलता है, गा, र, या, अ।

(५) अधोप अल्पप्राण (क्, त, प्) अवेस्ती में मघपी (ख, थ, फ) हो जाते हैं (ऋतु खतुण्, सत्य-हइत्या, स्वप्नम्-वाप्नम्) और महाप्राण भी कभी-कभी (सखा-हख, गाशा-गाशा, कफम्-कफम्)।

(६) मघोप महाप्राण (घ्, ध्, भ्) अल्पप्राण (ग्, द्, ब्) परिणत पाए जाते हैं (जघा-जंगा, धारयत्-दारयत्, भूमे-भूमे)।

(७) शब्द के आदि का स् ह् (सिन्धु-हिन्दु, सताह-हफता) हो जाता है।

(८) ईरानी में ज व्ह कागम गृह गए, भारतीय में इनकी जगह ज् और ह् हो गया है। (जानु-जानू, दहति-दहैति)।

(९) मस्कृत की पञ्चमी विभक्ति के एकवचन का प्रत्यय (-अत्) जो केवल अकारान्त मज्ञाओं में मिलता है, अवेस्ती में सब मज्ञाओं में मिलता है (क्षत्रात्-रशथ्रात्, विश-वीसत्, द्विष्यत् त्विश्यन्तत्)।

(१०) भारतीय शाखा में टवर्ग व्णितियाँ हैं, ईरानी में बिल्कुल नहीं।

(११) भारतीय में लृट् (वर्तमान) लृकार के उत्तम पुरुष एकवचन में मि प्रत्यय का सर्वकथ प्रयोग मिलता है, ईरानी में केवल प्राचीन फारसी में, सो भी जहाँ-तहाँ ही (स० भरामि, अव० बग, प्रा० फारसी वरामिय)

ईरानी

हिन्द-ईरानी की उप-शाखा ईरानी में काफी प्राचीन साहित्य रहा होगा। परन्तु दुर्भाग्य है कि इनके ग्रन्थ दो बार जला डाले गए, एक बार मिकदर द्वारा ३२३ ई० पू० में और दूसरी बार अरब विजेताओं द्वारा ६५१ ई० पू० में। प्राचीन चीजों में जो बची हैं वे हैं पारसियों के धर्मग्रन्थ स्वरूप अवेस्ता और हख्मानी बादशाहों के छठी सदी ई० पू० के शिलालेख। इन्हीं में प्रसिद्ध गाहशाह दारा के, बहिस्तन पहाड़ी की चट्टानों पर खुदाए हुए, ससार-प्रसिद्ध प्राचीन फारसी के लेख हैं। ईरानी की दो उपशाखाएँ प्राचीन काल से ही मिलती हैं, (क) परशी (फारसी) और (ख) अवेस्ती। पहली पच्छिम भाग की और दूसरी पूरब की है।

फारसी—इसमें हख्मानी बादशाहों के लेख मिलते हैं। ये कीला-क्षरों में खुदे हुए हैं। इसी भाषा का कई सदी बाद वाला रूप पहलवी है। इसमें अवेस्ता की टीका है। इसकी एक शैली में सामी शब्दों का आधिक्य है जिसे हुज्वारेज कहते हैं, दूसरी में सामी शब्दों का नितान्त अभाव है जिसे पाजन्द या पार्सी कहते हैं। आधुनिक फारसी का साहित्य ई० ९ वी सदी से मिलता है। आकृति में यह बहुत अयोगात्मक हो गई है और सीधी सादी है, सीखने में सरल, सुनने में मधुर। भारत-वर्ष में अंगरेजी आधिपत्य के पूर्व कई सदियों तक यह राजभाषा रही। इसी कारण इसके बहुतेरे शब्द भारतीय भाषाओं में विशेषकर सिन्धी, लहँदी, पजाबी और उर्दू शैली में घुस आए हैं। फारसी में स्वयं अरबी भाषा के एक तिहाई के करीब शब्द हैं, और बहुतेरे फ्रेच के भी।

अवेस्ती—पारसी धर्म की मूल पुस्तक का नाम अवेस्ता है। इसकी भाषा को अवस्ती कहते हैं। इस पुस्तक की टीका जेन्द (पहलवी) में है, इसलिए भाषा को कभी कभी जेन्द और मूल पुस्तक को जेन्दावेस्ता कहते हैं, अवेस्ता में अविकाश में वेदिक संहिताओं की तरह सूक्त हैं। इसमें भी भाषा और भाव की नजर से कई श्रेणियाँ सकती

अश गाथाएँ ह जिनका काल ई० पू० ७ वी

सदी तक जाना है। पर अवेस्ता के कुछ अर्वाचीन जश ईसवी सन् के बाद की दो एक मद्रियों के भी मालूम पड़ते हैं। पारसी धर्म के प्रचारक जरथुश्त ये और देवता अहुर मजदा। भाषा की दृष्टि से अवेस्ता प्राचीन फारसी से मिलती-जुलती है, पर बोली का भेद क़ाफ़ी है। प्राचीन ईरानी की यही सामग्री है, अवेस्ता और प्राचीन फारसी के लेख।

मध्यकालीन ईरानी की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें कोई चालीस साल पूर्व मध्य एशिया (तुर्किस्तान) में प्राप्त हुईं थीं। इनमें से दो-तीन ईसाई धर्म की हैं, जोग बौद्ध धर्म की। प्रायः ये ग़र ८वीं सदी की हैं, केवल एक ईसवी सन् के प्रारंभ के आस-पास की हैं। जिस भाषा में ये हैं उसको पश्चिमोत्तर प्रदेश की ईरानी मान सकते हैं। भाषा का नाम सोगदी है, यह एक समय मचगिया तक फ़ैली हुई थी।

आधुनिक ईरानी में फारसी के अलावा, पश्तो, बलोची और पामीरी विशेष उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त गुर्दी आदि और बोलियाँ भी हैं। पश्तो अफ़ग़ानिस्तान की और भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश की भाषा है। कुल बोलनेवाले कोई ५० लाख होंगे, जिसमें मोलह-सत्रह लाख भारतीय भाग में हैं। इनका अनुकरण पर लिखा हुआ १६ वीं सदी के इधर का साहित्य है। ग्रामगीत प्रसिद्ध है। बलोची बलोचिस्तान और सिन्ध के पश्चिमी हिस्से की भाषा है। इसमें कोई विशेष साहित्य नहीं। पामीरी की तराई में और हिन्दू-कुश पर्वत पर सर्वत्र अधिकांश में ईरानी बोलियाँ पाई जाती हैं। इस बोली समूह को पामीरी कहते हैं। गठन में ये कैस्पियन सागर के आम-पास बोली जाने वाली ईरानी बोलियों से मिलती हैं। इनके पड़ोस में भारतीय आर्य बोलियों के बोलने वाले पूरव और दक्खिन की ओर हैं।

दर्दी

हिन्द-ईरानी शाखा की एक उप-शाखा दर्दी भाषाएँ हैं। इनका क्षेत्र पामीर और पंजाब के बीच में पड़ता है इधर पिछल

तीस-चालीस साल में इन भाषाओं को ध्यान पूर्वक देखा गया है। गठन में यह इरानी और भारतीय आर्य के बीच की है, इरानी की अपेक्षा भारतीय के अधिक निकट। अनुमान है कि हिन्द-ईरानी शाखा की जब प्रशाखाएँ होने लगी तब, सबसे पहले इन दर्दी भाषाओं के मूल भाषा-भाषी अलग होकर पूरब की ओर फैले। बाद में जब भारतीय आर्य भाषा के मूल भाषी इधर बटे तब दर्दी उत्तर की ओर सीमित रह गये। अपने पुराण ग्रंथों में दरद (दराद) जाति का उल्लेख मिलता है। इन्हीं को पिशाच सजा भी दी गई है। भारतीय व्याकरण इनकी भाषा को स्वदेशी समझने आगे हैं। पश्चात् की प्रकृति का विवरण प्राकृत व्याकरणों में बराबर मिलता है और इसका साहित्य भी भारतीय वाङ्मय में सदा समाविष्ट होता रहा है।

दर्दी भाषाओं के कई समूह हैं, खोवार, काफिरी और दर्दी विशिष्ट। समस्त दर्दी भाषाओं के बोलने वालों की संख्या १५ लाख है। खोवार समूह की प्रमुख बोली चित्राली है। दर्दी विशिष्ट समूह की कश्मीरी और शीना उल्लेखनीय हैं। कश्मीर प्रदेश संस्कृत साहित्य का केन्द्र रहा है। कश्मीरी में साहित्य-निर्माण १४ वीं सदी से आरम्भ होता है। लाल देह (लल्ला) की कविताएँ प्रसिद्ध हैं। तब में बराबर साहित्य बनना आया है। दर्दी की अन्य किसी भाषा में कोई साहित्य नहीं।

दर्दी भाषाओं के अध्ययन से पता चलता है कि व्याकरण के प्राचीन लक्षण इसमें अन्य आधुनिक भारतीय आर्यभाषाओं की अपेक्षा अधिक सुरक्षित हैं।

भारतीय आर्य

हिन्द इरानी की इस उप-शाखा को विवरण की सुविधा के लिए तीन भागों में बाँटा जाता है, प्राचीन युग, मध्ययुग और वर्तमान युग। मोटे तौर से प्रथम का समय प्रागैतिहासिक काल से ५०० ई० पू० तक, मध्य युग का ई० पू० ५०० से १००० ई० तक और वर्तमान का १००० ई० से इधर का मानना ठीक मालूम होता है। इन तीनों का अलग-अलग विवेचन करना उचित होगा।

प्राचीन युग

तुलनात्मक भाषा-विज्ञान के अन्वयन में भारतवर्ष में आर्यों के आगमन का समय, १५०० ई० पू० के आस-पास क्ता जाता है। आर्य यहाँ विभिन्न टोलियों में आकर बसते गए और यहाँ के द्रविड मुंडा आदि मूल निवासियों के सघर्ष से भाषा, रहन-सहन आदि में आवश्यक परिवर्तन करते रहे। प्राचीन युग की भाषा का सर्वोत्तम उदाहरण ऋग्वेदसहिता में मिलता है।

आदिम आर्य-भाषा में ऋग्वेदीय भाषा की तुलना करने में पता चलता है कि भारतीय शाखा के स्वरो में घोर परिवर्तन हो गया है। तीन मूल स्वरो के स्थान पर एक कोने के कारण ह्रस्व, दीर्घ और म्रिय स्वरो की समस्या बहुत कम हो गई है। म न स्वरो के स्थान पर अ और अ (इवा) के स्थान पर इ पाया जाता है। लृकार का प्रयोग बहुत सीमित हो गया है। व्यंजनो में कवर्ग की एक ही श्रेणी का रह जाना, चवर्ग और टवर्ग का आविर्भाव तथा श्, प्, ह् का आगमन भी महत्व का है।

ऋग्वेदसहिता के सूक्ष्म अध्पयन से मालूम होता है कि उसके सूक्तो में जहाँ-तहाँ बोली-भेद है। प्रथम मंडल और दशम मंडल के सूक्तो की भाषा अपेक्षाकृत कुछ बाद की है। ब्राह्मण ग्रंथो, प्राचीन उपनिषदो और सूत्र ग्रंथो की भाषा क्रमश विकसित हुई जान पडती है। पाणिनि के समय तक वेदिक वाट्मय की भाषा (छन्दस्) और साधारण पढे जन की भाषा (भाषा) में काफी अन्तर पड गया था। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती वैयाकरणो का उल्लेख किया है। बुद्ध भगवान् के समय तक उत्तर भारत में उदीच्च, प्राच्य और मध्यदेशीय, ये तीन भाग भाषा क विभेदो के कारण हो गये थे।

प्राचीन युग के अन्तर्गत वेदिक और लौकिक दोनो भाग आते है। सस्कृत शब्द से कभी-कभी दोनो भागो का और कभी केवल लौकिक का बोध कराया जाता है। दोनो के मुख्य भेदक लक्षण इस प्रकार है

(१) वातु-रूपों की बहुलता—

वैदिक	लौकिक
इमसि, इम	इम
स्मसि, स्म	स्म
ईष्टये, ईष्टे, ईशे, ईशते	ईष्टे
शुधि, शुणुहि, शृणोधि	शृणु
शेये, शेते	शेते

(२) प्रातिपदिकों की विभक्तियों के शब्द-रूपों की बहुलता—

	वैदिक	लौकिक
प्रथमा व० व०	मर्त्याः, मर्त्यास*	मर्त्या.
	वाक्षसा*, वाक्षसास*	वाक्षसा*
	देवा, देवास*	देवा*
	रुद्रा, रुद्रास	रुद्रा*
तृतीय व० व०	देवेभि, देवे	देवै.
	पूर्वेभि, पूर्वै	पूर्वै
सातमी ए० व०	अग्नी, अग्ना	अग्नौ

(३) लकार—

वैदिक में ११ लकार प्राप्त होते हैं। उसमें 'सभावना' तथा 'आजा' के लिए लेट लकार भी है, जैसे भवति, पतति, तारिषत, आदि। लौकिक में १० लकार हैं। उममें लेट लकार नहीं मिलता।

(४) वैदिक में लुङ् लकार का प्रयोग अपेक्षाकृत बहुत अधिक मिलता है। वैदिक भाषा में इसका प्रयोग ५५१८ बार हुआ है। लौकिक में इसके प्रयोग कम हैं।

(५) प्रत्यय—

वैदिक में 'तुमुन्' (Infinitive) के रूप चलते थे। उममें उसके अर्थ में ८-१० प्रत्ययों का प्रयोग प्राप्त होता है, जैसे तरे, भ्ये,

अग्ने, आदि में पातवै, गम यै, जीवगे आदि। लौकिक में इसके केवल एक रूप तुमुन् से गतुम्, कर्तुम्, पठितुम् आदि।

(६) वैदिक में लोट लकार के मध्यम पुरुष बहुवचन के प्रत्यय त, तन, यन, तात् से शिणोत, सुनोतन, यतिष्ठन, कृणुतात बनते हैं, जब कि लौकिक में केवल त से शिणुत, आदि।

*(७) वैदिक में यु प्रत्यय से बने अनेक शब्द, जैसे यज्यु, देवयु, वाजयु, आदि लौकिक में लुप्त हैं, और उसमें 'दस्यु' जैसे अकेले शब्द रह गए हैं।

(८) वैदिक में अन्य गणों की धातुओं का प्रयोग अधिक मिलता है, और लौकिक में भ्वादिगणी धातुओं की प्रधानता है तथा दिवादि, चुगादि गण की धातुओं का प्रयोग अधिक है।

(९) वर्ण—

वैदिक में ६४ वर्ण प्राप्त होते हैं, जबकि लौकिक में केवल ५०।

(१०) आत्मनेपद और परस्मैपद—

वैदिक में आत्मनेपद और परस्मैपद दोनों में पठित धातुओं में से कई लौकिक में केवल आत्मनेपद में प्रतिष्ठित मिलती हैं।

(११) एकार्थक धातुएँ—

वैदिक में एकार्थवाचक कई धातुएँ दृष्टिगत होती हैं, पर लौकिक में ऐसा नहीं है, जैसे

वैदिक	लौकिक
ग्रम्, ग्रह्	ग्रह
दाति, ददाति	ददाति

(१२) अनेक वैदिक शब्द लौकिक में लुप्त हो गए हैं, जैसे—

दशीक	= सुन्दर
दर्शत	= रमणीय
भ्रमीवा	= रोग

तूप = घी

अमर = अमूट

ये शब्द लौकिक में प्रयुक्त नहीं होते ।

(१३) अनेक वैदिक शब्द ऐसे हैं जिनके लौकिक अर्थों में भेद हा गया है, जैसे—

शब्द	वैदिक अर्थ	" "
वध	कोई भयकर शस्त्र	मार डालना
न	इव	नहीं
अरि	ईश्वर, निवास स्थान	शत्रु
क्षिति	पृथ्वी, मनुष्य	पृथ्वी
मूर्धाक	अनुग्रह	शिव का नाम
ऋददर	कौमलाशय	दयालु

(१४) वैदिक का ऋत्वान प्रत्यय लौकिक में लुप्त हो गया है ।

(१५) वैदिक के लुच् प्रेरणार्थक और रुच् गोचनार्थक रूप लौकिक में गायब हो गए हैं ।

(१६) वैदिक में सप्तमी के एकवचन में ङि का लोप हो जाता है, जैसे व्योमन् में । लौकिक में व्योमनि मिलता है ।

(१७) वैदिक में तिङन्त परस्मैपदी उत्तम पुरुष बहुवचन मसि प्रत्यय से बनता है, जैसे एमसि (इण् धातु का रूप), मिनीमसि । लौकिक में मसि नहीं है, उसमें स से, उदाहरणार्थ इम' मिनीम बनते हैं ।

(१८) वैदिक में 'त्यद्' सर्वनाम प्राप्त होना है, लौकिक में यह लुप्त हो गया है । उसमें 'तद्' मिलता है ।

(१९) वैदिक में स्वस्ति के रूप चलते थे । उससे बना 'स्वस्तये' वैदिक भाषा में मिलता है । लौकिक भाषा में यह अव्यय है ।

(२०) वैदिक में उपसर्ग क्रिया से दूर रहते हैं, जैसे अ ब्रध्वे श्वितिभाय श्वितीचे लेकिन लौकिक में वे क्रिया के ठीक पूर्व पाए जाते हैं

(२१) वैदिक में उदात्त, अनुदात्त और स्वर्गित तीन प्रकार के सुर मिलते हैं। लौकिक में यह भेद उपलब्ध नहीं होता। वैदिक में, जैसे 'वर' सुर में ही जाना जायगा कि वह सज्ञा है या त्रिशेषण। वैदिक में श्रीरु की भाँति सगीतात्मकता है, लौकिक में यह सगीतात्मकता दूर हो गई।

(२२) वैदिक में सुर के कारण सामान्य में भी भेद पड़ जाता है, जैसे यदि आद्योदात्त हो तो बहुव्रीहि, और यदि अतोदात्त हो तो तत्पुरुष, उदाहरणार्थ इन्द्र-शत्रु।

(२३) वैदिक में कर्ता बहुवचन के साथ एकवचन की क्रिया देखी जाती है, जबकि लौकिक में कर्ता के वचन के अनुसार ही क्रिया चलती है, जैसे वैदिक में 'आभ्रा स्वादति', इत्यादि।

(२४) वैदिक में सधिया गूँधी हुई है, जो अपने प्राचीन रूप का बतानी है। लौकिक में सधिया विशेष गूँधी हुई नहीं है। वैदिक में अभिर्निहित, क्षेप, संप्रसारण अधिक प्रचलित थी। लौकिक में स्वर, व्यजन और त्रिसर्ग सधियों के बहुत सख्त नियम बने।

(२५) वैदिक में विशेषण और विशेष्य में विभिनना मिलती है। लौकिक में उनमें सामान्य प्राप्त होता है।

(२६) वैदिक में युष्मद् और अस्मद् शब्द के सग्नमी और चतुर्थी के बहुवचन के रूप क्रमशः युष्मे और अस्मे भी होते हैं। लौकिक में ये युष्मासु और अस्मभ्यम् हैं।

(२७) वैदिक भाषा में प्रथमा और सबोधन का द्विवचन 'आ' प्रत्यय से, तथा इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दों के तृतीया एकवचन का रूप 'ई' प्रत्यय से बनता है, जैसे 'अश्ना' और 'सुप्तुती'। लौकिक में 'अश्नौ' और 'सुप्तुत्या' मिलते हैं।

(२८) वैदिक भाषा में केवल वर्णिक छन्द मिलते हैं। लौकिक में वर्णिक और मात्रिक दोनों प्रकार के प्राप्त होते हैं। वैदिक संस्कृत में त्रिष्टुप्, गायत्री, अनुष्टुप्, जगती, आदि उपलब्ध हैं, और लौकिक में वैदिक के उक्त चार में से केवल अनुष्टुप् और अन्य छन्द सखरा

शार्दूलविक्रीटिन, उपजाति, वशस्थ, वसन्ततिलका, आदि मिलते हैं।

(२९) वैदिक में लौकिक के य व के स्थान पर इय, उव मिलता है, जैसे

वैदिक	लौकिक
वीरियम्	वीये
तुवम्	त्वम्

बोली-भेद को मिटाने का सबसे सफल उद्योग पाणिनि का साबित हुआ। इन्होंने उदीच्य भाग की भाषा को प्रश्रय दिया। इनके समय में संस्कृत शिष्ट समाज के परस्पर विचार-विनिमय की भाषा थी। संस्कृत यह काम कई सदी बाद तरु करती रही। प्राच्य प्रभाव के कारण कुछ सदियों तक संस्कृत का प्रभाव सीमित हो गया परन्तु मौर्य साम्राज्य के छिन्न-भिन्न होने पर संस्कृत भाषा ने फिर अपना आविपत्य जमा लिया। संस्कृत का प्रथम शिलालेख रुद्रदाम का गिरनार वाला है जिसकी तिथि ई० १५० है। अब से बराबर प्राकृतों के प्रश्रय पाने तक संस्कृत हिन्दू राज्यों की राजभाषा रही। प्राय १२वीं सदी तक इसको राज-दरबारों से विशेष प्रश्रय मिलता रहा।

संस्कृत का प्रभाव बराबर उत्तरकालीन मध्ययुग की भाषाओं पर पड़ता रहा है। क्या प्राकृते, क्या आधुनिक भाषाएँ सभी, संस्कृतकोष से अनायास शब्द लेती आई हैं। भारत से बाहर, चीन, तिब्बत, हिन्द-चीन, जावा, सुमात्रा, बाली, कोरिया और जापान तक इसका प्रभाव फैला है। यूरोप में जो प्रभाव लैटिन का, और अफ्रीका तथा एशिया के पच्छिमी भाग में जो प्रभाव अरबी का पड़ा है, वही अथवा उससे भी अधिक संस्कृत का एशिया के बाकी हिस्से पर बराबर रहा है। भारतीय आर्य इसे देववाणी कहते हैं और आज भी यह तीस करोड़ हिन्दुओं की श्रद्धा की चीज है। बोलचाल की भाषा न होते हुए भी आज जो श्रेय इसे प्राप्त है वह ससार की किसी भाषा को नहीं

भाहित्य की रक्षा के लिए प्राचीन युग में जो युक्तियाँ काम में लाई गईं, वे सम्य मसार के इतिहास में अद्वितीय हैं। श्रुति की रक्षा के लिए पदपाठ, क्रमपाठ, जटापाठ आदि कृत्रिम उपायो का सहारा लिया गया। भाव गरिमा की रक्षा सूत्रशैली से की गई। इन साधनों के द्वारा प्राचीन से प्राचीन भाषा की ठीक ठीक संरक्षा हो सकी।

प्राचीन युग में भारतीय आर्य भाषा बराबर अन्य एतद्देशीय और विदेशी भाषाओं से जरूरत के अनुकूल शब्द लेती रही। इस बात की पुष्टि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन और अवेस्ती के शब्दकोषों की तुलना से होती है। उणादि-सूत्रों से जिन शब्दों की सिद्धि की गई है उनमें से कुछ अवश्य अन्य भाषाओं से लिए हुए हैं। इस युग में इस देश में आर्य के अतिरिक्त द्राविड, मुंडा आदि परिवारों की भाषाएँ जीती-जागती, सम्य अवस्था में थीं। उनके शब्दों का आर्य भाषा में आ जाना स्वाभाविक ही था। आर्य भाषा श्लिष्ट योगिक आकृति की थी, उस काल की यहाँ की अन्य भाषाएँ अश्लिष्ट थीं। इस बात का भी असर आर्य भाषाओं पर पड़ा और मध्य युग में हम उत्तरोत्तर श्लिष्ट अवस्था से हटने का प्रमाण पाते हैं। इसी प्रकार उच्चारण में भी प्रभाव पड़ने के सबूत मिलते हैं। किसी अन्य आर्यभाषा में मूर्धन्य वर्ण नहीं मिलते, पर भारतीय आर्य में बराबर मिलत हैं और उत्तरोत्तर इनके अनुपात की वृद्धि होती जाती है। यह सच है कि मूर्धन्य ध्वनियाँ-दन्त्य ध्वनियों से ही विकसित हुई हैं पर इस विकास में देश की परिस्थिति ने अवश्य सहायता की होगी।

मध्ययुग

जो परिवर्तन प्राचीन युग में होने आरम्भ हुए थे वे इस युग में अधिक बढ़े। सामान्य तुलना से पता चलता है कि इस युग के आरम्भ में ही द्विवचन का और आत्मनेपद का ह्रास हो गया था। विभक्तियों में षष्ठी और चतुर्थी का एक-दूसरे के स्थान पर प्रयोग, सज्ञा और सर्वनाम के परप्रत्ययों में परस्पर व्यत्यय सख्यावाची शब्दों में नपुंसक लिंग

के रूपों की प्रमुखता और अन्यो का उत्तरोत्तर ह्रास, क्रिया के लकारों में लुट् (अनद्यतन भविष्य), लृड् (अनद्यतनभूत), लिट् (परोक्षभूत) और लृड् (क्रियातिपत्ति) के रूपों का प्रायः सर्वांश में अभाव और विविर्लिङ्ग तथा आशीर्लिङ्ग का सर्वथा एकीकरण, क्रिया के रूपों में गणविभेद की और मज्ञा के रूपों में व्यजनान्त की जटिलता की कमी, इत्यादि लक्षण मध्ययुग के आदिकाल की सामग्री में भी मिलते हैं। ऐ, औ, ऋ, ॠ का अभाव और ऐँ औँ (ह्रस्व) का आविर्भाव, प्रायः पश्चिमोत्तर प्रदेश को छोड़कर ष् का नितान्त अभाव और प्राच्य देश में श्, प्, स्, के स्थान पर श् तथा अन्यत्र इनकी जगह स्, विभक्ति का सर्वत्र अभाव, सयुक्त व्यञ्जनों का प्रायः बहिष्कार और अनेक स्वरा की एकत्रस्थिति, ये ध्वनि-सवधी लक्षण भी मिलते हैं। शब्दान्तली में भी देवी बन्धों की संख्या बढ़ गई है।

मध्ययुग को तीन कालों में विभाजित किया जाता है, आदि, मध्य और उत्तर। आदिकाल प्रायः ईसवी सन् के प्रारम्भ तक, मध्य ५०० ई० तक और उत्तरकाल १००० ई० तक माना जाता है।

आदिकाल के अन्तर्गत पालि और अशोकी प्राकृत हैं। उपर प्राचीन युग में ही बोली-भेद के कारण उदीच्य, मध्य-देशीय और प्राच्य क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। प्राच्य क्षेत्र में अधिक परिवर्तन होना स्वाभाविक ही था। इतिहास से हमें पता चलता है कि बुद्ध भगवान् ने संस्कृतेतर भाषा में अपने आर्य-धर्म का प्रचार किया। महावीर स्वामी ने भी यही किया था। इसका मतलब यह हुआ कि इन महानभावों के समय में प्राच्य भाग (जर्थात् वर्तमान अवध और बिहार प्रान्त) में संस्कृत की प्रतिष्ठा जनसाधारण में बहुत न थी और उनकी बोलचाल की भाषा संस्कृत से काफी भिन्न हो गई थी। कोई भी प्रचारक ऐसी ही भाषा को अपनाता है जो जनसाधारण की समझ में आती हो पर यह वह अवस्था थी जब संस्कृत और ये विभिन्न बोलियाँ परस्पर समझी जा सकती थी।

पालि को सिंहलद्वीपी लोग मागधी कहते हैं पालि के ग्रन्थों में

भाषा के लिए मागधी शब्द का ही प्रयोग हुआ है और पालि का टीका (अर्थकथा) में भिन्न मूल पाठ के अर्थ में। यूरोपीय विद्वानों ने पालि शब्द का व्यवहार किया है और यही श्रेयस्कर है क्योंकि मागधी शब्द का प्रयोग मागधी प्राकृत के लिए जिम्का उल्लेख आगे किया जायगा, सीमित रखना आवश्यक है। पालि शब्द का प्रारंभ में अशोकी प्राकृत के लिए भी प्रयोग किया गया था किन्तु अब यह हीनयान बौद्धधर्म के धर्म-ग्रन्थों की भाषा के लिए ही काम में आता है।

पालि किस प्रान्त की भाषा थी, इस प्रश्न पर विद्वानों में परस्पर बहुत वादविवाद होता है। रीजनेविच का विचार था कि यह कोसल देश की भाषा थी, अन्यो ने इसे मगध देश ही ठहराने का कोशिश की। गठन पर विचार करते हुए यह किसी पूर्वी प्रान्त का नहीं ठहरती। प्राकृतों के तुलनात्मक अध्ययन से यह पच्छिमी प्रदेश (मध्यदेश) की भाषा सिद्ध होती है और ऐसा समझा जाता है कि यद्यपि बुद्ध भगवान् ने किसी प्राच्य भाषा में उपदेश किया होगा तथापि उनके निर्वाण के सौ दो सौ साल बाद समस्त ग्रन्थों का अनुवाद किसी ऐसी मध्यदेशी भाषा में हुआ जो संस्कृत के समकक्ष स्टांड हो चुकी थी। गठन में पालि बुद्धकालीन नहीं ठहरती, काफी अर्वाचीन (इ० पू० तीसरी सदी की) जान पड़ती है। जब अशोकी प्राकृत से उसकी तुलना करते हैं तब यह बात स्पष्ट हो जाती है।

पालि में बौद्धधर्म के मूल ग्रन्थ, टीकाएँ तथा काफी कथा-साहित्य, काव्य, कोष, व्याकरण आदि हैं। वर्तमान-कालीन सिन्धु, ब्रह्मदेश, थाईदेश आदि में उसे वही गौरव प्राप्त है जो भारतवर्ष में संस्कृत को। इस साहित्य में धम्मपद, जातक आदि अमूल्य सामग्री भरी पड़ी है।

पालि भाषा के सूक्ष्म निरीक्षण से पता चलता है कि इसमें जहाँ-तहाँ बोली-भेद के उदाहरण हैं। एक ही शब्द के अनेक स्थानों पर अनेक रूप मिलते हैं। मूल में एक भाषा है। स् का रावंत्र अस्तित्व और श् का अभाव तथा र् का अस्तित्व और ल् में भेद, आदि लक्षण इस बात को पुष्कल रूप से प्रमाणित करते हैं कि यह पच्छिमी भाषा है त्रिपिटिक के

भी सभी अश एक समय के लिखे नहीं मालूम पड़ते। गेली का काफी भेद है।

पालि ग्रन्थ भारत से सिंहल गए। पौराणिक गाथा के अनुकूल यह माना जाता है कि अशोक के पुत्र महेन्द्र इन बौद्ध ग्रन्थों को वहाँ ले गए। बाद को भी आदान-प्रदान होता रहा। बुद्धघोष के समय ५वीं (ई० सदी) में भारत में केवल मूलग्रन्थों के ही रह जन्मे का पता चलता है। वह अर्थकथा सिंहल से लाए। वर्तमान युग में हम भारतीयों को पालि का पुन ज्ञान यूरोपीय विद्वानों की कृपा में मिला है।

पालि में कुछ लक्षण ऐसे मिलते हैं जिनसे हम यह निश्चयपूर्वक कह सकते हैं कि इसका विकास उत्तर-कालीन संस्कृत की अपेक्षा वैदिक संस्कृत और तत्कालीन बोलियों में मानना अधिक उचित है। तृतीय बहुवचन में अकारान्त सज्ञाओं का -प्भि. प्रत्यय और प्रथमा ब० व० में -आस् के विकल्प में आस, धातु (यथा गम्) और धात्वादेश (यथा गच्छ्.) के प्रयोग में भेद का अभाव, अडागम (हसि अह-स्त्रीत्) का प्राय अभाव, आदि बातें उदाहरण हैं। संस्कृत के इह के स्थान में पालि इध पाया जाता है जो वैदिक-पूर्व भाषा का अवशेष समझा जाता है।

अशोकी प्राकृत—प्रियदर्शी राजा अशोक ने अपने शासनकाल के विविध सवत्सरो में स्थान-स्थान पर स्तम्भों, चट्टानों, गुफाओं आदि में 'धर्म' के प्रचार के लिए बहुतेरे लेख खुदवाये थे। इन लेखों में 'अभिषेक से ८ वर्ष बाद, ९ वर्ष बाद, १० वर्ष बाद आदि' शब्दों में उन लेखों का समय भी दिया हुआ है। भारत में इस प्रकार विवाद-रहित तिथि पडे हुए न इतने पुराने लेख हैं न पुस्तकें। इसलिए इन लेखों का अद्वितीय महत्व है। प्राय ये सब के सब २६२-२५० ई० पू० के हैं और भारत की सभी दिशाओं और कोनों में पाए जाते हैं। इनकी भाषा का समष्टिरूप से नाम अशोकी प्राकृत है। इन लेखों के सूक्ष्म अध्ययन में पता चलता है कि इनमें उत्तर पच्छिमी (शाहबाजगढी, मनसेहरा), पच्छिमी (गिरनार मध्यदेशी पूर्वी (कालसी घौली जौगढ) बोलियाँ

ह और दक्खिनी भी। अनुमान है कि राजधानी से अर्ध-मागधी के किसी रूप में लेख मात्र प्रान्तों में भेजा जाता था और प्रान्त की बोली के अनुकूल उमम परिवर्तन कर लिये जाते थे। राजधानी से जितनी ही दूर लेख पाए गए हैं, परिवर्तन की मात्रा उतनी ही अधिक होती गई है। मध्य-देशी के कोई लेख नहीं मिलते, इससे अनुमान है कि उस समय मध्य-देश में अर्ध-मागधी समझी जाती थी। गिरनार के लेख संस्कृत भाषा और गौरसेनी प्राकृत के, अन्यो की अपेक्षा, अधिक निकट है।

अशोक के लेखों के अलावा और भी लेख प्राकृतों में लिखे हुए पाए गए हैं। प्रायः ये सभी मध्यकाल के गिन जाते हैं, केवल गोरखपुर जिले के सोहृगौरा के लेख को प्रो० सुनीतिकुमार चटर्जी अशोक के पूर्व (ई० पू० चौथी सदी) का मानते हैं।

मध्ययुग के मध्य काल के अन्तर्गत जैन प्राकृतों और महाराष्ट्री आदि साहित्यिक प्राकृतों आती हैं। इस काल में प्राचीन युग की भाषा में भेद की मात्रा, मध्ययुग के आदि काल में भी अधिक बढ़ गई है। संयुक्त व्यंजनों में कवल (क) अपने अपने अनुनासिक के बाद उम-उस वर्ग का स्पर्श वर्ण, (ख) अनुनासिक या ल् के अनन्तर ह् और (ग) व्यंजन की दीर्घमात्रा (स्स, त्, 'प् आदि) बाकी बचे हैं। दो स्वरों के बीच के स्पर्श का प्रायः लोप होना मध्यकाल की विशिष्टता है (काक काओ, कति - कइ, रूप - पूओ)। प्रो० सुनीतिकुमार चटर्जी का विचार है कि व्यंजन का यह ह्रास पहले अवोप से सघोष (क् > ग्) फिर सघोष में सघर्षी (ग् - ग्) और तब लोप की अवस्थाओं के द्वारा आया है। इन सघर्षी ध्वनियों को व्यक्त करने का ब्राह्मी लिपि में कोई साधन नहीं था इसी कारण प्राचीन लेखों में इनका व्यक्तीकरण नहीं मिलता। विद्वानों का विचार है कि जैन ग्रंथों में जो लघु प्रयत्नतर यकार (य) मिलता है यह ग् ज् द् की सघर्षी अवस्था का ही द्योतक है। विभक्ति-योम से चतुर्थी का प्रायः सर्वांश में लोप हो गया है, पंचमी का प्रयोग बहुत कम मिलता है। इसी प्रकार क्रिया में भी रूपबाहुल्य कम होता जा रहा है।

जैन प्राकृतों में प्रमुख आर्ष (अर्धमागधी) है। इसी में श्वेताम्बर सम्प्रदाय के अग (११) और उपाग (१२) आदि ४५ आगम ग्रन्थ मिलते हैं। जैन मत का प्रादुर्भाव उसी प्रदेश (कोसल, वाराणसी, मगध आदि जनपदों) में हुआ जहाँ बौद्ध मत का। कहा जाता है कि इनके धर्मग्रन्थ कई सौ वर्ष तक मौखिक रहे। प्रथम बार इनका संकलन चन्द्रगुप्त मौर्य के काल (चौथी सदी ई० पू०) में पाटलिपुत्र में हुआ और इनका सम्पादन पाँचवीं सदी ई० में देवर्षिगणी ने किया। अन्य ग्रन्थों की अपेक्षा अगो की भाषा पुरानी है, तब भी ई० पू० चौथी सदी की भाषा किमी में नहीं मिलती। गठन में यह अर्धमागधी (शौरसेनी और मागधी के बीच की) जँनती है। श्वेताम्बर सम्प्रदाय का अन्य (कथा आदि) साहित्य महाराष्ट्री (जैन महाराष्ट्री) में है। दिगम्बर सम्प्रदाय का साहित्य जैन शौरसेनी में है। इन दोनों का रूप आर्ष में पुराना नहीं है।

साहित्यिक प्राकृतों के नामों से प्रकट है कि ये विभिन्न प्रान्त की लोकभाषाएँ थी जो समय के अनुकूल साहित्यिक पदवों को प्राप्त कर अब तक बची रह सकी। इनमें सबसे पुरानी सामग्री शौरसेनी में मिलती है।

शौरसेनी—संस्कृत के नाटकों में स्त्रीजन तथा मध्यम वर्ग के पुरुषों की भाषा यही है। इससे जहाँ यह सिद्ध होता है कि नाटक का सर्वप्रथम विकास शौरसेनी प्रान्त में हुआ वहाँ साथ ही साथ यह भी मालूम होता है कि अन्य प्राकृतों की अपेक्षा शौरसेनी का प्रसार अधिक विस्तृत क्षेत्र में था। अनुमान है कि यह संस्कृत की समकक्ष स्टेडेंट भाषा थी। इसमें ई० प्रथम सदी के लिखे हुए अश्वघोषकृत मारिपुत्र-पकरण आदि तीन रूपक पाए गए हैं। इनकी भाषा उत्तर-कालीन शौरसेनी से कुछ भिन्न है पर है शौरसेनी ही। शौरसेनी का मुख्य लक्षण तवर्ग के विकास में पाया जाता है। दो स्वरा के बीच में, म० -रू- -का शौ० में -इ-, -घ- हो जाता है, और दो स्वरो के बीच की -इ-, घ- ध्वनियों में होता, जैसे

गच्छति, गच्छदि, यथा > जथा, जलद > जलदो, क्रोध > क्रोधो।

प्राकृतों में शोरसेनी के बाद महाराष्ट्री का सम्बन्ध आता है।

यह काव्य और विशेषकर गीति-काव्य की भाषा है। जो रिथति ब्रज-भाषा की इधर कई सदियों तक रही है, वही महाराष्ट्री की ईसवी मनु के आरम्भ से कई सदियों तक रही। संस्कृत के नाटको में पद्य भाग यदि प्राकृत में मिलता है तो महाराष्ट्री में इसका साहित्य बहुत ऊँचा है। हालकृत गाथासप्तशती (गाहामत्तमई) और प्रवरमेन के सेतु-बन्ध (रावणवहो) काव्य के टक्कर की कोई चीज संस्कृत बादमय में भी नहीं मिलती।

महाराष्ट्री में दो स्वरो के बीच में आनेवाले अपप्राण स्पर्श-वर्ण का लोप और महाप्राण का ह हो जाता था, नवर्ण का भी। ऊपर उद्धृत शब्दों के महा० रूप गच्छइ, जहा, जलआ और कोहो है। इस लक्षण के कारण कुछ यूरोपीय विद्वानों का विचार यह हुआ था कि यह काव्य की कृत्रिम भाषा रही होगी। पर निश्चय ही यह उनका भ्रम था। डा० ज्यूल् ब्लाख ने मराठी का विकास महाराष्ट्री से होना साबित किया है। कालान्तर में सभी भारतीय आर्य-भाषाओं में स्वरद्वय के बीचवाले स्पर्श वर्ण गायब हो गए हैं। इससे इतना ही सिद्ध हो सकता है कि वयाकरणों और नाटकों की शौरसेनी सभ्यता उनकी महाराष्ट्री से, गठन में पुरानी है। डा० मनमोहन घोष का विचार है कि महाराष्ट्री शोरसेनी की उत्तरकालीन शाखा है जिसे विद्वान् दक्खिन ले गए।

मागधी—यह मगध जनपद की भाषा थी। नाटकों में नीच पात्रों की भाषा यही है। सिंहल आदि बौद्ध देशों में पालि को ही मागधी कहते और जानते हैं। पर इस मागधी प्राकृत में उसका कोई भी वास्तविक सम्बन्ध नहीं। मागधी के मुख्य लक्षण—

(१) संस्कृत ऊष्म वर्णों के स्थान पर श् (सप्त > शत्त)।

(२) र की जगह ल् (गजा लाजा)।

(३) अन्य प्राकृतों की ज् की जगह य् और ज् की जगह य्य यथा याएदि, अय्य, मय्य कय्य)

(१) 'र' की जगह 'ज', (पुञ्ज, लज्जो)।

(२) एकारान्त मञ्जा के प्रथमा एकवचन में 'ओ' की जगह-ए (२वो २१) आदि हैं। ये पालि में जहाँ-तहाँ अपवाद-स्वरूप मिलते हैं, लक्षण-रूप नहीं। मागधी प्राकृत में साहित्य नहीं मिलता, इसका अस्तित्व व्याकरणों और नाटकों में ही है।

अर्धमागधी—इसकी स्थिति शौरसेनी और मागधी के बीच की मानी गई है। यह मुख्य रूप से जैन-आदि धार्मिक साहित्य में काम में आई है। अनुमान है कि बुद्ध भगवान और महावीर स्वामी के समय में इनने यथेष्ट क्षमता प्राप्त कर ली थी। अशोक के लेखों की भी यही मूलभाषा समझी जाती है। इसमें मागधी के दो एक लक्षण, अकारान्त मञ्जा के प्र० एक० के एकारान्त रूप, जहाँ-तहाँ 'र' के स्थान पर 'ल' आदि मिलते हैं, पर इसमें 'श' नहीं।

पैशाची—इस प्राकृत में किसी समय अच्छा खामा साहित्य रहा होगा। गुणाढ्य की बृहत्कथा इसी में थी। यह अमूल्य ग्रन्थ अब अप्राप्य है। इसके सस्कृत भाषा में किए हुए दो मक्षिप्त अनुवादों, बृहत्कथामजरी और कथासरित्सागर, में ही बृहत्कथा के महत्व की सूचना मिलती है। पैशाची के लक्षण प्राकृत व्याकरणों में पाए जाते हैं। मुख्य यह है कि सस्कृत शब्दों में दो स्वरो के बीच में आनेवाले सघोष स्पर्श वर्ण वर्गों के तीसरे, चौथे (अघोष) (पहले, दूसरे) हो जाते हैं जैसे गगन > गकन, मेघो > मेखो, राजा > राचा, वारिद > वारितो आदि।

इन प्रधान प्राकृतों के अलावा नाटकों में जहाँ-तहाँ अन्य प्राकृतों के कुछ अवतरण और व्याकरणों में उनके कुछ लक्षण मिलते हैं। मृच्छकटिक में शाकारी, ढक्की और अन्यत्र शाबरी और चाडाली पाई जाती हैं। आभीरिका और अवन्ती का भी उल्लेख मिलता है। इनमें से प्रथम दो मागधी के ही कोई भेद हैं। शाबरी और चाडाली नामों से जाति-विशेष की भाषा का भास होता है पर ये भी मागधी की ही विशेष बोलियाँ थीं। इसी तरह आभीरिका अहीर जाति की बोली रही होगी अवन्ती उज्जैन की प्राकृत थी

मध्ययुग के उत्तरकाल में व्यंजनों और व्याकरण का और भी ज्यादा विकास पाया जाता है। मयुक्त व्यंजनों के समीकरण के कारण जो व्यंजन का द्वित्व (दीर्घत्व) आदिकार से प्रारम्भ हुआ था और मध्यकाल में चरम सीमा को पहुँच चुका था, अब एकत्व (ह्रस्वत्व) की ओर चलने लगा (त, क्त > त्त = त) और प्रतिकार स्वरूप उससे पूर्व का ह्रस्व स्वर दीर्घ होने लगा। यह प्रवृत्ति आधुनिक युग में पूर्ण रूप से पाई जाती है पर इसका आरम्भ मध्ययुग के उत्तरकाल से ही हो गया था। प्रत्ययों ध्य, म्य > स्स की जगह -ह (मत हो < मतस्स मन्त्रस्य, तहिं तन्सि तस्मिन्) मिलता है। प्रत्ययों नेन, -या, -स की जगह अनुस्वार भी आ गया (रां राजेण राजा, पुं पुं पुच्छामि।) शब्द के अन्त का दीर्घ स्वर ह्रस्व हो गया (सया य, मानिनी माणिसि) और -ओ, -ए का -उ, -इ पुत्तो -पुत्तु, धरं धार। सज्ञा और क्रिया के रूपों की जटिलता और भी कम हो गई। प्रथमा और द्वितीया विभक्तियों के रूपों में निकटता आ गई (पुत्तु एक० व० पुत्त व० व०) इसी तरह षष्ठी और सप्तमी के एकवचन में (ष० पुत्तह ए० व० पुत्तहं व० व०, स० पुत्तहिं)। प्रतिकार रूप परसर्गों का प्रयोग जारी हुआ। क्रिया में भी प्रायः वर्तमान काल (लट्) सामान्य भविष्य (लृट्), आज्ञा (लोट्) के ही रूप पाये जाते हैं, अन्य सब लकारों के रूप गायब हो गए। भूतकाल के लिए निष्ठा का आश्रय सर्वांश में लिया जाने लगा।

उत्तरकाल की भाषा को सामान्यरूप से अपभ्रंश नाम दिया गया है। कालिदास की विक्रमोर्वशीय में अपभ्रंश के कुछ पद्य मिलते हैं। दण्डी (ई० ७वीं सदी) के समय से अपभ्रंश का काव्य में थोड़ा बहुत प्रयोग होने लगा था और यह हिंदी, मराठी आदि आधुनिक भाषाओं के प्रयोग के पूर्व तक जारी रहा। विद्यापति ठक्कुर ने जहाँ मैथिली में अपने अमरपदों की रचना की है, वहाँ साथ ही माथ की तिलता सा सुन्दर ग्रंथ अपभ्रंश (अवहट्ट) में लिखा है। प्राकृतसर्वस्व के रचयिता मार्कण्डेय ने अपभ्रंश का नागर उपनागर और ब्राह्मण में विभाग किया

हे। नागर गुजरात का, ब्राह्मण सिन्ध का और उपनागर इन दोनों के बीच के प्रदेश का समझा जाता है। उनका निश्चय समझना चाहिए कि जिन प्रान्ता में प्राकृते बोलती जाती थी उनमें ही उत्तरकाल में उस-उस प्रान्ता के अपभ्रंशों का प्रयोग होने लगा। इन सब में शौरसेन अपभ्रंश का प्रयोग प्रायः समस्त भागों में साहित्यिक रूप में पाया जाता है। इसमें बड़ा अच्छा साहित्य, विशेषकर कवितो और कथाओं के रूप में है, जो धीरे-धीरे प्रकाशित हो रहा है।

मध्ययुग के उत्तर-काल तक आते-आते प्राचीनयुग की भाषा से यथेष्ट भेद पड़ गया था। प्राचीन युग में कुछ परिस्थितियों में दन्त्य व्यंजन मूक्य होने लगे थे, यह प्रवृत्ति उत्तरोत्तर बढ़ती बढ़ती मध्ययुग के उत्तरकाल में चरम सीमा को पहुँच गई। प्राचीन में मुर था, इसके स्थान पर बलाघात मध्ययुग के आदि काल में ही आ गया था। यह बलाघात प्रायः उपधा के अक्षर पर पड़ता था। मध्ययुग में आर्य-भाषाओं और बोलियों में परस्पर शब्दों का आदान-प्रदान होता रहा। इसका सर्वोत्तम उदाहरण सम्बन्धी शब्दों में मिलता है। द्राविड आदि अन्य देशी भाषाओं में भी शब्द निसकोच लिए जाते रहे। जहाँ संस्कृत के भंडार में जब जम्बरूत हुई शब्द ले लिए गए और एक ही शब्द के तत्सम् और अर्धतत्सम् तद्भव रूपों की प्रचुरता हो गई, वहाँ संस्कृत ने भी मध्ययुग की भाषाओं में बट, नापित, पुनालका, मट, मटारक, छात आदि कुछ शब्द ग्रहण किए। विदेशी भाषाओं से आर्य-भाषाओं में बराबर थोड़े-बहुत शब्द आते रहे हैं और यहाँ की ध्वनियों की चूल बैठ जाने पर घुल मिल गए हैं। इस ध्वनि-चूल के कारण ही द्राविड, मुंडा आदि देशी परिवारों में अथवा विदेशी भाषाओं से आए हुए शब्दों को हम वास्तविक आर्य शब्दों से भिन्न नहीं कर पाते। हेमचन्द्र ने देशीनाममाला में ऐसे शब्दों की सूची दी है। व्युत्पत्ति-विज्ञान के तत्वों का प्रयोग करके हम इनमें से कुछ को आर्य शब्दों से सम्बद्ध कर सकते हैं पर बहुतेरे सधसुच आर्य

नहीं है। यदि द्राविड मुद्रा आदि के प्राचीन कोण होते तो सम्बन्ध खोजने में आसानी रहती। उनके अभाव में भी इस दिशा में प्रयत्न जारी है।

वर्तमान युग

भारतीय आर्य शाखा के वर्तमान युग का आरम्भ प्रायः १००० ई० से माना जाता है। इस समय तक प्राचीन युग की श्लिष्ट अवस्था बदलते-बदलते श्लेष्म से काफी दूर जा पड़ी थी और यह परिवर्तन बराबर जारी है। महत्ता की दृष्टि में आर्य परिवार की भाषाएँ सर्वोपरि हैं। इनके बोलनेवालों की संख्या वर्तमान भारत में २५३ करोड़ है और इसके बाद आनेवाले द्राविड परिवार की ७१ करोड़ हैं।

वर्तमान युग की भाषाओं में ध्वनियाँ प्रायः वही हैं जो मध्ययुग में थीं। प्राचीन युग के उच्चारण शब्दों में प्राचीन युग की विशेष ध्वनियाँ ऋ, ए, वर्तमान काल में लिखी अवश्य जाती हैं, पर इनका उच्चारण शुद्ध नहीं होता। ऋ का उच्चारण उत्तर भारत में रि (रिशि) और दक्खिन में र (रशि) होता है, और ए का श्। इसी प्रकार ज सयुक्ताक्षर का उच्चारण प्रदेशभेद में र्य, र्य होता है, यद्यपि कुछ सुधारक ए भी बोलते हैं। पूर्वी प्रान्तों में व व दोनों व ज य दोनों ज गुनाइ पड़ते हैं। मस्कृत के सगुक्ताक्षर श्लिष्ट समाज के उच्चारण में ज्यादातर ठीक ठीक उतर जाते हैं। इस युग में भारतीय भाषाओं में अरबी-फारसी से भी शब्द काफी तादाद में आ गए हैं और इनमें आइ हुई विदेशी ध्वनियों (क, ख, ग, ज, य, द, फ) के स्थान पर, प्रायः सब प्रदेशों में देशी ध्वनियों को लाकर उच्चारण किया जाता है, केवल पश्चिमोत्तर प्रदेश, सिन्ध, पंजाब और सयुक्त प्रान्त के पच्छिमी भाग में इन ध्वनियों को ठीक-ठीक बोलने की कोशिश श्लिष्ट समाज द्वारा की जाती है। पर देश में राष्ट्रीय भावना की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ यह प्रवृत्ति निर्वल पड़ती जा रही है।

मध्ययुग तक तीन लिंग थे पर वर्तमान में तपसक का प्रायः ह्रास हो गया, केवल गुजराती, मराठी, सिन्धी तथा पश्चिमीय भाषाओं की भदरगाहों और भाषाओं आदि कुछ वर्गों में उगरी शब्दी-वृत्त निशानी बाकी है। लिंग के ह्रास का कारण जगत्प्रद देश की पूर्ववर्ती भाषाओं का प्रभाव है। निम्न वर्तमान ब्रह्मी समूह की भाषाओं में व्याकरणात्मक लिंग का अभाव ही शायद इस बात का कारण है कि बंगाली, असामी और उडिया से लिंग-भेद गायब हो गया और नेपाली तथा बिहारी में थोड़ा सा ही रह गया है। प्राणिवाचक और अप्राणिवाचक का नया भेद भी जिसका अस्तित्व हिंदी, मराठी, गुजराती आदि में प्राणिवाचक कर्म के बाद परसर्ग लगाने से और अप्राणिवाचक कर्म के बाद न लगाने से सिद्ध होता है, मुंडा और द्राविड भाषाओं के प्रभाव का फल जान पड़ता है।

प्राचीन युग में सज्ञा की आठ विभक्तियाँ थीं। मध्ययुग में इनमें बराबर कमी होती गई। वर्तमान युग में केवल दो ही रह गईं, एक विकारी और दूसरी अविकारी। सर्वनाम में अवश्य (मुझ, तुझ, उन, किस) कुछ रूपों में एक और विभक्ति बच रही है। साथ ही साथ परसर्गों का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता गया है और सर्वनाम के (मोर < मो + कैर, मेरा, तेरा, हमारा, तुम्हारा) कुछ रूपों में वह सर्वनाम के रूप के साथ जा मिला है। जहाँ प्राचीन युग में किमी सज्ञा के १७ रूप थे, वहाँ वर्तमान में तीन ही बचे हैं।

क्रिया में कर्मवाच्य के अलग रूप बिल्कुल गायब हो गए। जो सहायक क्रिया से उसका काम चला लिया गया। क्रिया के अर्थों की बारीकी अब सयुक्त क्रियाओं द्वारा व्यक्त की जाती है। प्राचीन युग के लकारों का प्रयोग उत्तरोत्तर घटता रहा। फलस्वरूप पुराने वर्तमान के रूप आजकल, आज्ञार्थ काम में लाए जाते हैं और वर्तमान का बोध शतृ प्रत्यय वाले रूपों के साथ 'होना' सहायक क्रिया के रूपों को जोड़कर होता है। भूतकाल का बोध सर्वांश में तिष्ठा के रूपों में और भविष्य का प्रायः कृत्यों के रूपों से होता है। पुरुष भेद भी प्रायः

मिट-गा रहा है (करगा, करेगे, था, थी, ये, थी)। जान बीम्ज ने प्राचीन युग की धातु के क्रिया-रूपों की संख्या ५८० बताई है। और अबधी की एक बोली (लक्ष्मीमपुरी) में किसी भी धातु के रूप अब केवल तीस-पैंतीस से अधिक नहीं हैं।

इस प्रकार प्राचीनयुग की रूप-भेद की जटिलता बहुत कुछ समाप्त हो गई और हिंदी आदि आधुनिक आर्य भाषाएँ उसी प्रकार क्लिष्ट अवस्था से अयोग्य-वस्था की ओर बढ़ आई हैं, जिस प्रकार यूरोप में इनकी समकालीन अंगरेजी, जर्मन, फ्रेंच, आदि। भारतीय आर्य-भाषाओं में परस्पर भेद की मात्रा भी प्रायः उतनी ही है जितनी यूरोपीय भाषाओं में परस्पर। भारत में भेद और अलगाव, मुख्यरूप से लिपि-भेद के कारण दिखाई पड़ता है, यूरोप में सोभाग्य से लिपि प्रायः एक है।

भारतीय आर्य शाखा के अन्तर्गत नीचे लिखी भाषाएँ हैं—

इस तुलना के विचार से कि बीस वर्षों की अवधि में किस किस भाषा के भाषी कितने बढ़े और कितने घटे, नीचे पहले १९३१ की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार कोठक में बोलने वालों की संख्या दी गई है, और उसके बाद १९५१ की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न भाषा-भाषियों की संख्या के विषय में लिखा गया है।

लहंदी (८६ लाख), सिन्धी (४० लाख), मराठी (२ करोड़ ९ लाख), उडिया (१ करोड़ १२ लाख), बिहारी (२ क० ७९ लाख), बंगाली (५ क० ३५ लाख), आसामी (२० लाख), हिन्दी (७ क० ८४ लाख), राजस्थानी (१ क० ३९ लाख), गुजराती (१ करोड़ ० लाख), पंजाबी (१ क० ३९ लाख), भीली (२२ लाख), पहाड़ी (२८ लाख), हबूडी (जिप्सी), सिहली।

१९५१ में (पाकिस्तान के बन चुकने के कारण) हिंदुस्तान में लहंदी-भाषी बिल्कुल नहीं रहे, और सिन्धी-भाषी केवल ७ लाख ५० हजार रह गए। मराठी-भाषी बढ़ कर २ करोड़ ७० लाख हो गए, और उडिया-भाषी १ करोड़ ३१ लाख बिहारी भाषियों ने अपने को

हिन्दी-भाषी ही माना, उसी प्रकार राजस्थानी-भाषियों ने भी अपने को हिन्दी भाषियाँ न अलग नहीं मन्तीकार किया (अपने का हिन्दी सञ्चिकुल पृथक्, राजस्थानी ही मानन वाले कमर ६ लाख ५० हजार निकले), और इस प्रकार ३ परिवर्तनों के बाद हिन्दी-भाषियाँ का संख्या १८ करोड़ ९० लाख तक पहुँच गई। बंगाली-भाषी केवल २ करोड़ ५१ लाख और पंजाबी भाषी केवल ८ लाख ५० हजार रह गए। आसामी-भाषी ४९ लाख और गुजराती भाषी १ करोड़ ६३ लाख हो गए। और भीली-भाषियों की संख्या घट कर १२ लाख रह गई।

कुछ सामान्य लक्षणों के कारण भाषाविज्ञानी इनको समुदायों में बाँटते हैं। लहदी सिन्धी का पश्चिमोत्तर समुदाय, मराठी का दक्खिनी, उडिया बिहारी, बंगाली, असामी का पूर्वी, पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, भीली का पच्छिमी और पहाड़ी का अलग समुदाय बनता है। पूर्वी हिन्दी की स्थिति भाषा की गठन के हिसाब से पच्छिमी और पूर्वी समुदाय के बीच में पड़ती है। हबूडी और सिहली इस देश के बाहर गई हुई भारतीय आर्य भाषाएँ हैं।

लहदी—पंजाब के पच्छिमी हिस्से की तथा पश्चिमोत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग की भाषा है। पच्छिम की ओर बोलनी जाने वाली पश्तो से भेद करने के लिए इसको कभी-कभी हिन्दकी भी कहते हैं। यह केवल बोलचाल की भाषा है। कुछ भी उल्लेखनीय साहित्य नहीं है।

सिन्धी—सिन्धु प्रान्त की भाषा है। साहित्य अभी तक नाम-मात्र का है, उल्लेखनीय ग्रन्थ केवल 'शाहजी रिस्मालो' है। वाचक अपभ्रंश का एक लक्षण आदिम तू द का ट ड हो जाना सिन्धी में मिलता है (हि० तावा सि० टामो, हि० देना सि० डिअणु)। सिन्धी लिपि अरबी का एक समोहित रूप है। शब्दावली में विदेशी शब्दों की मात्रा अधिक है।

मराठी—महाराष्ट्र प्रान्त की भाषा है। अच्छा-खामा साहित्य है जिसमें उत्तर भारत की तरह सत साहित्य का अच्छा स्थान है

नामदेव और ज्ञानेश्वर की कृतिपाँ उल्लेखनीय है। अन्य आर्यभाषाओं की अपेक्षा इसमें टवर्ग ध्वनिया अधिक है। च के अलावा च व्यंजि भी ह जिसका उच्चारण त्स होता है, इसी तरह ज के अलावा ज। यह ज विदेशी ज से उच्चारण में भिन्न है।

पूर्वी समुदाय की भाषाओं में कुछ सामान्य लक्षण हैं—भूतकाल की क्रिया झ-त्, ध्रिष्य पे-न् और ङि का प्रायः अभाव। झ का उच्चारण हिन्दी के पूरब से ही गोल होता-होता बंगाली में जाकर झो हो गया है।

उडिया—उडीसा प्रान्त की भाषा है। इसका एक शिखलेख १२६६ ई० का मिला है। साहित्य कोई चार गाँ गाल पुराना है।

बिहारी—तीन (मथिली, गगही, भोजपुरी) बालिया काँ समूह है। ये बिहार प्रान्त में बोली जाती हैं और भोजपुरी संयुक्तप्रान्त की शारंगपुर और बनारस कमिश्नरी में भी। मथिली में अच्छा शारा साहित्य है और प्राचीन साहित्य की दृष्टि से इसका महत्व किसी भी अन्य आधुनिक भाषा में कम नहीं। विद्यापति की कृतियाँ उल्लेखनीय हैं।

आसामी—आसाम प्रान्त की भाषा है, इसका भी साहित्य पुराना है, कोई ६०० वर्ष तक का। शंकरदेव का नाम उल्लेखनीय है। इस आसाम प्रान्त को स्वतंत्र सत्ता मिल गई है इसलिए असामों का उद्वार हो रहा है। अभी तक वह बंगाली के बोझ से दबी थी।

मणिपुरीभाषा—मणिपुर भारत का सुदूर प्रान्त तथा पहाड़ों से घिरा हुआ रमणीय प्रदेश है। असल में यह भारत का सिंह द्वार है। इस प्रान्त की भाषा मणिपुरी है। इसको मीतरोल भी कहते हैं। इस भाषा को बोलनेवालों की आबादी करीब दस लाख है।

इसका साहित्य पुराना है। इस भाषा में पुराण, इतिहास, नाटक, पद्य-गद्य आदि हैं। अपनी लिपि है। पर आजकल प्रचलित नहीं है। मणिपुरी बंगला-लिपि में लिखी जाती है। कुछ प्रतिष्ठित लोग बंगला-लिपि के बजाय शारंग-लिपि देवनागरी में मणिपुरी भाषा लिखने का प्रयास कर रहे हैं।

संस्कृत के श्रीमद्भागवत गीता, महाभारत, आदि ग्रंथों का मणिपुरी में अनुवाद किया गया। अब तुलसी-कृत रामायण का भी इसी भाषा में अनुवाद करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

बंगाली—बंगाल प्रान्त की भाषा है। साहित्यिक भाषा को साधुभाषा कहते हैं। इसमें संस्कृत के शब्दों की प्रचुरता है। पर उच्चारण अपना निजी है। इस कारण लिखित शब्द और बोलें हुए शब्द में बहुत अन्तर पड़ गया है (जैसे लक्ष्मी लक्ष्मी)। साहित्य की दृष्टि में बंगाली मसस्त आधुनिक भाषाओं में सर्वोन्नत है। पुराने साहित्य में चण्डीदास और वर्तमान में रवीन्द्रनाथ ठाकुर उल्लेखनीय हैं।

हिन्दी—भाषाविज्ञानी इस शब्द को एक जगह में इतनेमाल करने हैं, साहित्यिक दूसरे में। यह बिहार, मयकत प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमालय के पहाड़ी प्रान्त तथा पंजाब की साहित्यिक भाषा है और इस प्रकार १५ करोड़ जनता की उच्च भावनाओं के व्यक्तीकरण का साधन है। गठन की दृष्टि से इसकी दो उपशाखाएँ हैं, पच्छिमी ओर पूर्वी। पच्छिमी के अन्तर्गत बाँगड़ू, हिन्दुस्तानी, बुदेली और ब्रज ये चार बोलियाँ हैं, और पूर्वी के अन्तर्गत दो, अवधी और छत्तीसगढ़ी। ब्रज और अवधी में उच्चकोटि का पुराना साहित्य है। ब्रज में सूरदास और अवधी में तुलसीदास अमर हैं। कवीर अद्वितीय है। हिन्दुस्तानी के दो साहित्यिक रूप हैं, हिन्दी (खड़ी बोली) और उर्दू। उर्दू की लिपि अरबी का एक मशोघित रूप है, हिन्दी की देवनागरी जिसका विकास ब्राह्मी लिपि से स्पष्ट है। उर्दू में अरबी फारसी आदि (एशियाई) विदेशी शब्दों की प्रचुरता है, हिन्दी में देशी शब्दों की। उर्दू संस्कृत क तत्सम शब्दों का बहिष्कार किए हुए है, हिन्दी उनको हृदय में लगाए हुए है। उर्दू का छन्द और साहित्यिक भावना विदेशी है फारसी की जूठन, पर हिन्दी की स्वदेशी।

राजस्थानी—इसमें कई बोलियाँ हैं जिनमें मारवाड़ी और मेवाड़ी प्रमुख हैं। ये राजपूताना और मध्यभारत में बोली जाती हैं। चारण-साहित्य अच्छा है इन बोलियों में ए ल ध्वनियों का विशेष स्थान है,

और दो स्वरो के बीच की ल का उच्चारण ल् होता है। इसी तरह-मराठी और गुजराती में भी ल् है।

गुजराती—गुजरात, काठियावाड़ तथा कच्छ की भाषा है। गठन में राजस्थानी और पच्छिमी हिन्दी से बहुत मिलती है, मराठी से कम। हिन्दी के ऐ औ की जगह यहाँ ए ओ मिलते हैं जो हिन्दी के ए औ से जरा अधिक विवृत हैं। गुजराती का विकास नागर अपभ्रंश से स्पष्ट है। साहित्य अच्छा खासा है। पुराने साहित्य के ग्रन्थकारों में नरसिंह मेहता उल्लेखनीय हैं।

पजाबी—पजाव प्रान्त की भाषा है। साहित्य पुगना नहीं है, पर अब पजाबीपन की भावना से उन्नति करने लगा है। लिपि गुरुमुखी है।

भीली—इसकी बोलियाँ राजपूताना, मध्यभारत, खानदेश आदि में रहनेवाली कुछ जगली जातियों की हैं। इनमें कोई साहित्य नहीं।

पहाड़ी—हिमालय के निचले भाग में बोली जाती है। इसके अन्तर्गत तीन बोली-समूह हैं मध्य (११ ला०, ७ हजार) पूर्वी (४ ला० १३ ह०) पच्छिमी (२३ लाख २६ ह०)। पच्छिमी बोलियाँ पच्छिम में शिमला पहाड़ों तक बोली जाती हैं। मध्य में गढ़वाली और कुमाउनी है। कुमाउनी में याडा-मा साहित्य है। पूर्वी बोली नेपाली है। इसे खशकुरा या गोर्खाली भी कहते हैं। इसमें इधर सौ साल में कुछ साहित्य हो गया है। नेपाल की यही राजभाषा भी है।

हब्डी—भारत से कुछ जातियाँ ईसवी सन् के सौ-दो-सौ बरस पहले या बाद को पच्छिम की ओर चल पड़ी। ये लोग ईरान, आर्मीनिया, सीरिया, ग्रीस आदि सभी यूरोपीय देशों में पच्छिम में वेल्ज तक पाए जाते हैं। इनकी भाषा की गठन भारतीय आर्य है, यद्यपि शब्दावली में अन्य भाषाओं में से बहुतोंके शब्द आ गए हैं। सेम्मेन ने वेल्ज के इन लोगों की बोली का अच्छा अध्ययन किया है। इसमें संस्कृत के सघोष महाप्राण वर्णों की जगह अघोष मिलते हैं घ ध म की जगह ख थ फ

जि भी लोग अपना अग्नित्व जलज ही रख गये हैं। इनका पेशा हाथ देयना आर छोटी-मोटी चीजे बेचना ह। बेतज के जिपरी रोमानी कहल्यते हैं। यह शब्द हिन्दी के लोम शब्द से सम्बद्ध है।

सिहली—सिहलद्वीप की त्रिनेपकर दक्खिनी भाग की भाषा है। यह भारत में ईसवी सन् के पूर्व किसी समय, शायद सो-दो-सौ बरस पूर्व, गई। इसमें महाप्राण वर्ण अल्पप्राण हो गए हैं। इसमें श पस की जगह म है, सो भी ह में विकसित हो रहा है। अनुमान है कि सिहली किसी पच्छिमी प्रांत (गुजरात काठियावाड़) से सिहल गई। इसके दो लक्षण मराठी से मिलते हैं। सिहली के आदि रूप को एरु कहते हैं। सिहलद्वीप में भाषा मालद्वीप भी गई।

भारत में इस प्रकार कई भाषाएँ बोली जाती हैं। अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार के लिए अभी तक अंगरेजी का इस्तेमाल होता रहा है। पर स्वतन्त्रता प्राप्ति करते ही भारत अब अंगरेजी में ऊब उठा है। प्रान्तीय भाषाएँ अपने-अपने प्रांत में अपना स्वभाव-सिद्ध अधिकार प्राप्त कर रही हैं। इसमें जो देर हो रही है वह या तो प्रान्तों और रियासतों की सीमाओं के, भाषाओं की सीमाओं से भिन्न होने के कारण या कुछ नेताओं की अनौचित्य तक पहुँचने वाली अन्तर्राष्ट्रीय भावना के कारण है। पर विश्वास है कि शीघ्र ही लोकमत के अनुकूल अंगरेजी का बहिष्कार और भारतीय भाषाओं का सिंहासनारोहण हो जायगा। जल्द ही प्रान्तीय भाषाएँ उच्चतम शिक्षा तक के लिए माध्यम बन जायेंगी।

अन्तर्प्रान्तीय व्यवहार के लिए हिन्दी का स्थान निश्चित और सर्वसम्मत रहा है। इसके दो साहित्यिक रूप (हिन्दी और उर्दू) इधर प्रचलित रहे हैं पर हिन्दी रूप दिन-दिन आशातीत विस्तार पाता रहा है। तुलनात्मक दृष्टि में उर्दू उतनी उन्नति और विस्तार नहीं पा सकी है और उसकी बाजी हारती सी दिखाई पड़ती है। मुट्ठी भर राष्ट्रीयता-वादी मुसलमानों को सन्तोष देने के लिए इधर कई साल से महात्मा गान्धी की प्रेरणा में कुछ लोग हिन्दी और उर्दू के बीच की एक शैली का प्रचार कर रहे हैं वे इसे हिन्दुस्तानी कहते हैं पर यह हिन्दुस्तानी

भी हिन्दुओं की लगेपना से प्राप्त हुक्की हिन्दी और मुसलमानों के कलम के जोर से हुक्की फुक्की उर्दू का ही रूप ँ पाई। न इसकी शक्ती निखर पाई और न इगमे किसी उत्तम ग्रन्थ की रचना हो पाई। महात्माजी का यह अनुरोध कि प्रत्येक भारतीय देवनागरी आर उर्दू दोनों लिपियों को सीखे और दोनों का व्यवहार करे, जनता को मान्य न हो सका।

अब पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के दो अलग-अलग स्वतन्त्र राष्ट्रों के रूप में इस उपद्वीप के परिणत हो जाने से, भारत की राष्ट्रभाषा की समस्या सुलझ गई है। भारतीय केन्द्रीय सरकार की राजभाषा हिन्दी और राजलिपि देवनागरी मान ली गई है तथा पाकिस्तान की लिपि फारसी (उर्दू)।

भारत की राष्ट्रभाषा का भविष्य उज्ज्वल है। हमारे राष्ट्र के अधिकारसिद्ध मान प्राप्त करने पर इसकी भाषा का मान बढ़गा। जहाँ-जहाँ भारतीय जायेंगे, यह भाषा भी जायगी, अभी उनके साथ अंगरेजी जाती थी। हिन्दी का आधुनिक साहित्य भी उच्चकोटि का है, जो अब अपूर्ण है वे शीघ्र ही पूर्ण हो जायगे और भारत की भारतीय राष्ट्र के गौरव की वस्तु होगी।

गुप्त भयात्

प्रथम परिशिष्ट

ग्रन्थ-सूची

भाषाविज्ञान के ग्रन्थों की एक बड़ी अच्छी सूची विलेम ग्रैफ की पुस्तक के ६३७—'७१ पन्ना पर दी हुई है। भारतीय भाषाओं के विवेचन के लिए सुनीति-कुमार चटर्जी जी की 'इंडोआर्यन ऐण्ड हिन्दी' के जन्म में पृ० = ५०—'५१ पर भी एक अच्छी सूची दी हुई है। विशेष विवरण के लिए पाठकों का उन सचियों को देखकर अपने जम्हरत के लिए पुस्तकें उठा लेनी चाहिए। विषय के सामान्य ज्ञान और भारतीय भाषाओं के जरा विशिष्ट परिचय के लिए नीचे लिखी पुस्तकों से काम लिया जा सकता है।

W S Allen—Phonetics in Ancient India (Oxford Univ Press)
1953

Armfield, N—General Phonetics (London, 1930)

Belvalkar, S K—Systems of Sanskrit Grammar (Poona)

Bender H H—A Lithuanian Etymological Index (Princeton
1921)

Bhandarkar, R G—Wilson Philological Lectures (Bombay, 1914)

Bloch, J—L'Indo-Aryen (Paris 1934)

Bloomfield, L—Language (London, 1935)

Breil, M—Semantics (Eng translation of the original French
Work, London, 1900)

Brunot, F L—La pensee et la Langue (Paris, 1922)

Buhler, G—On the Origin of the Indian Brahma Alphabet
* (Strassburg, 1898)

Chatterji, S K—Indo-Aryan and Hindi (Ahmedabad 1942)

D Jon The Phonema W Heffer & Sons Cambridge

- Dauzit, A —La Vie du Language (Paris, 1910)
- Dauzit, A —La Philosophie du Language (Paris, 1912)
- Griff, W —Language and Languages (N Y & London, 1932)
- Grierson, G A —Linguistic Survey of India, Vol I part I
(Calcutta, 1928)
- Gune, P D —An Introduction to Comparative Philology (Poona)
- Geschichte der deutschen Sprachen (Munchen, 1919)
- Jespersen, O —Fonetik (Copenhagen, 1899)
- Language its Nature, Development & Origin (London, 1922)
- The Philosophy of Grammar (N Y 1921)
- Logic and Grammar (Oxford, 1924)
- Jones, D —An Outline of English Phonetics (London, 1932)
- Meillet, A —Les Dialectes Indo-Européennes (Paris, 1908)
- Linguistique Historique et Linguistique Général (Paris, 1926)
- Introduction à l'Étude Comparative des Langues Indo-Européennes (Paris, 1924)
- Do & Cohen —Les Langues du Monde (Paris)
- Michem Press Pikes, K. I —Phonetics, (University of Do
—Phonemic do
- Pillsbury & Meader —The Psychology of Language (N Y 1928)
- Saksena, B R —The Evolution of Awadhi (Allahabad 1938)
- Sapir, L —An Introduction to the study of speech (N Y 1921)
- Scripture, L W —The Elements of Experimental Phonetics
(N Y & London, 1904)
- Sturtevant, B. H.—A Comparative Grammar of the Hittite
Language (Philadelphia, 1933)
- Trapporewalla, I. J. S.—Elements of the Science of Language
(Calcutta)
- Traner R. L. Nepali Dictionary London 1931

- Varnai, S—Speculations of Ancient Indian Phonetics
(London)
- Vendryes, J—Linguistique—A Linguistic Introduction to History
(Eng. trans. of original French work *Le Langage*, Paris,
1921)
- Woolner, A. C.—Introduction to Pictet (F. H. G.)
- Encyclopaedia Britannica—Article on Alphabet (14th ed. pp
177-84)
- Fourth Oriental Conference (Proceedings)—Article on the
Origin of Brahmi Alphabet by I. J. S. J. J. J. J.
pp 625-661)
- गौरीजकर हीराचंद अज्ञा—प्राचीन लिपिमाला (अभिलेख, १९१४)
- वीरेन्द्र वर्मा—हिन्दी भाषा का इतिहास (पणाल)
- मंगलदेव वास्त्रा—तुलनात्मक भाषाशास्त्र जयश्री भाषाविज्ञान (बनारस, १९४०)

अपरीकृत का भाषा	आगम agnomic
अथम्भी, अराग, अगीत	आर गे
अयोगिक, अजगणस्कम, अगम	अभे रा (भाषा)
कुदनुअ, गुजना तुषा, गका चैरीका,	आर्क (भाषा)
निथरा देरु हगा, नहु गक, मय	अमान, (भाषा)
अयोगात्मक isolating, analytic	अप (भाषा)
अयोगात्म्या isolating stage	आगत emotion
अरवी (भाषा)	आगत घटक Immediate-
अथ meaning	contents
-अदेश displacement of—	इ
-अस्व semivowel	इच्छा desire
-परिवर्तन change in—	अदम्य-will
-विकार modification in—	उ
-विचार semantics	उच्चारण pronunciation
-विज्ञान semantics	अडिया (भाषा, लिपि)
-विस्तार extension of—	उद्गम source
-सकोच restriction of	उद्देश्य subject
-स्फाट flash of—	उपरनालिका upper part of wind
अलिजिह्वा uvula	pipe
अल्पनी	उप-वर्जन (semi-consonant)
अवगी (भाषा)	उपसर्ग preposition prefix
अवन्ती (प्राकृत)	उप-लिजिह्वा pharynx
अवेस्ता	उर्दू (भाषा, लिपि)
अवस्ती (भाषा)	ऊ
अवस्था state, state	ऊर्ध्व sibilant, spirant
मातृभक्त psychological s	ऊर्ध्व
जातीय भा- national psy	ऊर्ध्व dynamic laws of nature
अयोगा- isolating—	ए
विधोगा- analytic—	एकत्व identity
संयोगा- synthetic—	एकरूपता identity of form
अव्यय indeclinable	एकीकरण identification
विस्फोटिकावक interjection	एड्डा (गोत) Edda
समुच्चयबोधक conjunction	एशुस्कन, एशुस्की, (भाषा, लिपि)
अशाकी प्राकृत	एशुमाइट (भाषा)
(उत्तर पच्छिमी, दक्षिणी, पच्छिमी,	एळ (भाषा)
पूर्वी, मध्यदेशी)	ऐ
असामी (भाषा)	ऐन् (भाषा)
आ	एतिहासिक भाषाविज्ञान में प्रत्याकरण
आख्यात	Reconstruction

ओ	-का प्रकार aspect of v
आच्छिप	-विशेषण exorb
अभङ्ग (अभंग) lila l	अभङ्ग- intransitive v
क	अभङ्ग- transitive
अच्छ	अभङ्ग- reflexive
आच्छिप्टी डिस्क्रिप्टिजन	ख
आच्छि intonation	खडरूप अन्विष्टास segmental
आच्छिप्टीफो लोमोगिप्ल	phoneme
आच्छि	खडरूप तपार्थ (भाषा)
कत (रत्ता) कम, करण, सम्प्रदान	ग
अपादान, अत्रिकरण	गडवाली (गोली)
वारु tense	गण conjugation, group
-प्रक्रिया conjugation	गति speed Pow
अनिश्चित- indefinite t	गाथा (अप्यत के पत्र)
अपूर्ण- imperfect t	गिनता numerals
निश्चित- definite t	गजराती
-पूर्ण perfect t	गुण (व्यक्ति-) quality of--
कालाक्षर लेख (uniform inscription)	गण (सन्धि)
कुडपु	गोवाली (नैराद्य भाषा)
कुमाउनी (बाली)	ग्रा
कैटम (अथ भाषाण) content	-लिपि
कैटम (अथ भाषाण) Peluc	ग्रिम नियम Gimmis law
गन	ग्रिम (भाषा, लिपि)
ग्रय	ग्राममन नियम Gussman's law
-रूप	घ
ग्रदना	घोर,रर voice, voice-ness
कारा decree	अपूर्ण partial voice
निश्चय- d of determination	पूर्ण- full voice
विचार- d of consideration	च
कौशल अर्थि cutilage	चाडाली (प्राकृत)
कामठाल (गुडुमार) volum, soft	चित्र picture
palat	-लिपि pictorial script, hieroglyphic
कोरियायी (भाषा)	-सकेत picture-symbol
कास्पी (भाषा)	चिह्न symbol
कोआ-uvula	नेत्रग्राह्य- visual sy
कत Passive past participle	श्रवणग्राह्य- auditory sy
कतधनु active past participle	स्पर्शग्राह्य tactile sy
क्रिया verb	स्वरसूचक (चेर, जबर, पेश)

छ	द
छत्ता/पगडा (शत्रु)	दाता (दाता)
छन्दस्य (त्रिदश भस्मन्)	-शास्त्र phonology
ज	दशम विभक्ति declension stem
जर्मनी (जा० भा० शा०)	दाल (दाल)
जाति class	इतर विभक्ति declension
जापानी (भाषा)	देवनागरी
जिह्वा tongue	देवनागरी
-जप्रपाय front of—	द्वय म (two, thing)
-तीक्ष्ण tip of—	द्वित्व doubling
-पश्च भाग back of—	द्विभाषाभाषा bilingual
-मूलभाग root of—, corollary	द्वय
ज्ञान knowledge	द्वय root
तर्किक- inductive	प्रतिष्ठा conjugation of
बुद्धिप्राप्त by reason	एकद्वय- monosyllabic
स्वतन्त्र- inductive	द्वय-द्वय- disyllabic
ड	विभक्ति- declension
डक्की (प्राकृत)	वार्ता current category
त	प्रकार- types and currents
तत्त्व principle	-ता in a current
अर्थ- semantic	विचार- current of thought
मूल basic p	व्यक्ति- personal
सम्बन्ध- morpheme	ध्रुव- polarity
तद्धित	ध्रुव- polarity
तद्रूपता similarity in form	ध्रुव- polarity
तर्क argument	ध्रुव- polarity
-शास्त्र logic	ध्रुव- polarity
तापत्र taste, medium,	ध्रुव- polarity
तालु palate	ध्रुव- polarity
रठोर hard p	ध्रुव- polarity
कृत्रिम artificial p	ध्रुव- polarity
कोमल soft p	ध्रुव- polarity
सुकुमार soft p	ध्रुव- polarity
तिङ् conjugational termination	ध्रुव- polarity
-भङ्ग conjugated form	ध्रुव- polarity
तीक्ष्णता intensity	ध्रुव- polarity
तुम्हन्त infinitive	ध्रुव- polarity
तुर्की (उस्मानली)	ध्रुव- polarity
वाक्परी	ध्रुव- polarity

-विभिन्नता phonetic luxury	परिभाषा technical definition
différance	परिस्विति अन्य उदाहरण conditioned variants, allophone
-धिज्ञान phonetics	पारिभाषिक शब्द + technical term
प्रयोगात्मक शब्द वि० experimental phonetics	संश्लेषण change
-सामजस्य phonetic harmony	-शील changing
-साम्य phonetic samity	पहाडा (वालिया)
ध्वन्यात्मक शब्द phonetic word	पाठ
समान-ध्व० श० homophone	क्रम-, वन-, जटा-, पद-, महिला-
न	पाठि
नपुंसकलिंग common gender	पितृप्रधान मगठन patriarchal system
नली pipe, tube	पुरुष person
श्वसत- trachea	जन्म (प्रथम) third
नाम noun	उत्तम first
नालिका pipe	मध्यम second
-मुख mouth of p	पुंलिंग masculine gender
श्वस- wind-pipe	पेशाची
भोजन- food-pipe	पेशाचिहा
निपात	केकय-, नूलिका-, पाचार-, शोरसेन-
निरुक्त	प्रकरण context
निरुक्ति	पद्धति (आधार) base
निरुक्ति (पा०) direct	प्रतिपद crude form
निगम negation	प्रतिमा image
-रत्नक, ने० ति०	श्रुति- sound image
-रत्नकण negative	पिचार- throw hit-image
नैपाती (भाषा)	वाच्य sentence-image
ष	प्रतिपाता ता समतार pattern
पजायी (भाषा)	congruence
पद word	प्रतीक symbol
-क्रम word-order	प्रत्यय suffix, termination
-रचना word-formation	पर- termination
-रचना-विज्ञान morphology	पूर्व suffix
-विकाश evolution of word	मध्य-विन्ध्यस्त- mix
-विज्ञान science of morphology	प्रत्ययहार
गन्मने-	प्रशस्त coin
रश्मि-	-लायक economy of effort
वाच्य word meaning	प्रयोग use
रश्मि postposition	कर्त्तार active use
रश्मि-रश्मिनिमित्त नैपथ्य	कर्मणि passive use

भाषे impersonal use

प्रज्ञान महासागर चक्र

प्राकृत

जवन्ती, अधभाषाधी, भाषाधी (प्राच्या),

महाराष्ट्री, शौरसेनी, पेशाची

प्राण breath force

-त्व breathing

-शक्ति force of breath

प्रातिपदिक

फ

फुसफुसाहट whisper

फारसी

फीनी (मुओमी)

ब

बंगाली (साँसु भाषा)

बंगला (त्रिपि)

बज्रापत्त stress (accent)

बागड (बोली)

वात unit of speech

बाल्टी (भाषाण)

वाटो-म्लावी (भाषाण)

वास्क (५० भा० स०)

विहारी (बोलिया)

बुन्देली (बोली)

बंगालकोट लक्ष

बोत्री dialect

-भेद, विभेद dialectal difference

-विशेष particular dialect

-विशेषता isogloss

विहृत- slang

भौगोलिक सर्वेक्षण d geography

बज (बोली)

भ

भक्तती (लट्)

भाव idea, concept

-चित्र, -रत्न सकेत ideograph,

ideographic symbol

भावात्मक conceptual

-ना conception

भावार्थिक (emotion, passion)

भाषा language, tongue

-की गठन structure of l

-परिवार l -family (दखा

पृष्ठ ३३२)

-भेद difference in l

आन्तरिक भेद internal diff

बाह्य (बाह्य) external diff

-विज्ञान linguistics

-विज्ञानी, -ब्रह्मज्ञान linguistics in

-शास्त्र grammar

आदिम भाषा- primitive ll

आय- Aryan, Indo-l mo

आय-भाषा-समूह group of A

(दखा पृष्ठ - ३२)

इगिन accent l

उच्चारित- spoken l

कानूनी legal l

पुत्री-पुत्री- पुत्री l

मातृ- mother tongue

मन- silent l

मूल- original, basic l

राज- king's l

राष्ट्र- national l

(लेखन) लिखित- written l

(बोकाक) शक- current, con-

current l

रॉल विज्ञान linguistic typology

व्यापक व्यापक- trader's l

विद्यार्थी- student's l

विशिष्ट- special l

शिक्षण l teaching

सर्वजन- universal l

साक्षिणी की l of watermark tribes

साहित्यिक- literary l

स्टैंडर्ड standard l

भूतविज्ञान Physics

भोजन-तलिका food-pipe

म

मगही (बोडो)
 मनोरोग passion
 मनोविज्ञान psychology
 मनोवैज्ञानिक psychologist
 मराठी
 महाराष्ट्री
 जैत-
 मागधी
 मात्रा unit, degree, length
 अर्धदीर्घ half-long
 दीर्घ long
 एतुन longer
 ह्रस्व short
 माध्यम intermediary, medium
 मारवाडी (बोली)
 माफ morph
 शून्य zero m
 मिथ्रस्वर diphthong
 मुहाविरा idiom
 मूर्धा cerebra
 -भाग
 मेवाडी
 मैथिली

य

यकार
 लघुप्रयन्ततर-
 यन्त mechanism
 उच्चारण-, स्वनि- m of speech
 य श्रुति y glide
 यादृच्छिक arbitrary
 योग agglutination
 अन्त- suffix -a
 पूर्व- prefix -a
 मध्य- infix -a
 योगात्मक agglutinative
 अन्त-, पूर्व-, मध्य-, पूर्वान्त- suffix a,
 pre a, in a, pre suf a
 अश्लिष्ट simple agglutinative

प्रश्लिष्ट incorporative
 श्लिष्ट inflexional

र

रहस्यात्मक प्रभाव mystic influence
 राजस्थानी
 राष्ट्रभाषा national language
 राष्ट्रलिपि national script
 रूढि convention
 रूप form, morpheme
 अनियमित irregular f
 नियमित regular f
 निर्बल weak f
 मजल strong f
 विज्ञान morphology

ल

लकार
 (लट्, लोट्, विधिलिट्, लङ्, लृट्,
 लृट्, लृङ्, आशीर्लिङ्, लिट्, लुङ्, लृट्)
 लक्षण definition characteristic
 लहड़ी
 लिंग gender
 अचेतन inanimate g
 चेतन animate g
 नपुंसक neuter g
 पुलिङ्ग masculine g
 स्त्रीलिङ्ग feminine g

व्याकरणात्मक grammatical g
 लिपि script (दे० पृ० ३४०)
 लुक् loss
 लेख record, inscription
 लेमुरी Lemuri continent
 लैटिन
 लोप elision

व

वक्तव्य unit of speech
 वक्ताकिन
 वचन number
 एक- singular n
 द्वि- dual n

त्रि- trilateral	परस्पर- mutualistic
बहु- plural	चिन्तार- c of thought
समूह-वाचक- collective n	चिन्त्रास sequen c
वक्त्रा (भाषा)	विभाषा sub-linguistic
वर्गीकरण classification	भिन्नता diversity, variety
वाक्यार्थमूलक morphological c	बाली- dialectal d
इतिहासिक historical (genealogi- cal) c	भाषा- Linguistic d
वर्ण letter	भूगोलिक- geographic d
वर्णन description	जारीरिक physical d
-त्मक क्रिया विशेषण descriptive adverb	वियोगात्मक भाषाण unidytic
व म्भाग alveolar region	विरोध contrast languages
वनर-निमग Verner's law	विवर opening, cavity
व श्रुति v glide	नासिका nasal c
वाक्य sentence	त्रिवर्त junction
-विज्ञान syntax	मस- buccal (mouth) c
व्यापारात्मक वा० verbal sentence-	विशेषण adjective
सज्ञा वा० substantives s	विशेषणायक गण attributes
वाक्यार्थ meaning of s	विश्लेषण analysis
वाक्यत्र speech organ	विपरीतगण dissimilation
वाङ्मय literature (general)	विस्मयादिवाचक शब्द interjection
वाचिक vocal	त्रिभक्ति case
वाच्य voice	(पथमा, द्वितीया, तृतीया चतुर्थी पञ्चमी, षष्ठी, सप्तमी, सम्बोधन), श्रविकारी, विकारी direct, oblique
कर्तृ- active v	विमपर्यथक प्रत्यय case-
कर्म- passive v	termination
भाव- impersonal v	वीर Wind
वाणी speech	वर्तन mood
वाद theory	वर्द्ध (सन्धि)
विकास evolution	व्यक्ताकरण expression, specification
वाद theory of vo	व्यतिरकर allomorph
विकृत बाली slang	व्यजन consonant
विचार thought	अनुनासिक nasal
-तरंग wave of th	अर्धजिह्वीय uvular
-वारा current of th	अल्पप्राण unspirited
त्रिनिमय exchange of th	उत्क्षिप्त (उत्क्षपात्मक) flipped
विज्ञान science	उपलिंगिजिह्वीय pharyngeal
विधेय predicate	ऊष्म sibilant
विनिमय exchange	

जोष्ठ्य libral	श
कठ्य velar, guttural	शतृ, शानच् present participle
किल्क chick	शब्द word
तनु tenuis	-कोष vocabulary
तालव्य palatal	-चित्र word-picture
दन्त्य dental	-शक्ति power of word
अग्र- pre-dental	(अभिधा, लक्षणा, व्यजना, तात्पर्य)
पश्च- post-dental	-समूह stock of words
म-य- centro-dental	अथवान meaningful w, full w
दन्तोष्ठ्य labio-dental	अथहीन meaningless, empty w
दीर्घ long	तत्सम
पार्श्विक lateral	तद्भव
मध्य media	देशी
महाप्राण aspirated	ध्वन्यात्मक phonetic word
मुधन्य cerebral	शब्दाथ भेदकारी विग्रह distinctive
लोलित rolled	contrast
सयुक्त conjunct	व्याकरणात्मक grammatical word
सघोष voiced	पूर्ण full w
अपूर्ण- partially v	रिक्त empty w
पूर्ण- fully v	शरीरविज्ञान physiology
सन्नर्षी fricative	शकारी (प्राकृत)
स्पर्श stop mute	शास्री (प्राकृत)
स्पर्शमन्नर्षी ultricate	शिक्षा phonetics (Ancient
स्फाटात्मक plosive	Indian)
जस्त implosive	द्वन्द्व स्वर Monophthong
वर्द्ध - explosive	शौरसेनी, जैन
स्वरयन्त्रस्थानीय glottal	श्रुति Veda
ह्रस्व short	श्रुति glide
व्याकरण grammar	य y g
-कार in	व w g
-पडित, नवयुवक neo-, jung	शिल्लिष्ट synthetic (inflectional)
grammarius	अशिल्लिष्ट, प्रशिल्लिष्ट
-रत्मक grammatical	इलेष synthesis, first stage of
लिंग g gender	inflection
धारा g category	इवास wind breath
तुलनात्मक व्यो- comparative g	-नालिका w pipe
ऐतिहासिक ,, historic g	-नली trachea
व्युत्पत्ति etymology	संधि morphophonics
-विज्ञान -icent of e	

स	सम्पन्नायण (संघ)
संस्कृत (वदिक, उदीच्य, प्राच्य, मयदेशीय)	सम्पन्न reduction
सहित	-न १ morpheme
सनेन symbol	सम्बन्ध- necessary connection
-स्वरूप symbolic	सम्बन्धित्ववाद theory of relativity
-चित्र picture-symbol	सर्वजनभाषा universal language
भावात्मक- ideographic symbol	सर्वनाम pronoun
संघटना structure	वाच्य समावेशक inclusive p
संघटनात्मक भाषा विज्ञान Structure Linguistics	व्यतिरिक्त exclusive p
सर्पित्व fiction	सादृश्य analogy
सज्ञा technical term	अस्थान- false n
सज्ञा noun	सामञ्जस्य harmony
अधिकारी, विकारी direct obli- quie	रति- sound-harmony
जावित, मृत living, dead	स्वर vowel-harmony
उच्चजातीय high-caste	साध्य similarity, affinity
नीचजातीय casteless	अक्षरनिर्माण in syllable-for- mation
विवर्क, अतिवर्क irrational, irrationil	रति s in sounds
व्यक्तिवाचक, जतिवाचक, भाववाचक proper n, concrete n, abstract n	व्याकरणान्तर- s in grammar
सज्ञात्मक वाक्य noun-sentence	शब्द- s of words
सतम भाषाण Satama languages	शब्दावली- s of vocabulary
सन्ता position	भिङ्गली (भाषा)
गौण secondary	मिन्वी (भाषा)
मुख्य primary	मुष्द etc-terminations
सत्यनियम static laws of nature	सुबन्त declensional form
समभिहार (पौन पुन्य, भूशाय) intensity	गुंवेरी (भाषा)
समाजशास्त्र sociology	मुर pitch (accent)
समास compound (अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वन्द्व, बहुव्रीहि)	उच्च high p
समीकरण assimilation	नीच low p
पुरोगामी progressive a	सम level p
पश्चगामी regressive a	सूक्ष्मलेखन narrow transcription
सम्प्रदाय tradition	स्त्रीपत्यस feminine affixes
	स्त्रीलिंग f gender
	स्थान position
	स्थान-विषयस्य epenthesis
	स्थिति state
	स्पर्श contact
	-सघर्षी affricate
	-सर्पित्व affrication

स्फोट plosion
 -कत्व plosiveness
 रखावी भाषा
 न्यञ्छेद परिग्रहण flex variation
 स्वर vowel
 -अनुसृतता vowel-affinity
 -ऊँ उblaut
 -व्यत्यय different position of v
 -सामञ्जस्य vowel-harmony
 -साम्य vowel similarity
 -यन्त्र, -यन्त्रपिटक Glottis larynx
 -सम्बुदाय vowel-group
 अग्र front v
 गरु- heavy v
 पश्च- back v
 मध्य- central v
 मध्य- cardinal, simple
 मिश्र- diphthong
 अवनायक- falling d
 उन्नयक- rising d
 लघु (हल्हा)- light v
 तयस्ता conjunct vowels
 एकमात्रिक short v
 द्विमात्रिक long v
 त्रिमात्रिक longer v
 खिलन open v
 अर्धवदन् half-open v
 अर्धवदन् half-close v
 वदन् close v
 गानत्राभिक unaltered v
 उदासीन neutral v, schwa
 स्वर accent (pitch)
 उदात्त high (pitch accent)
 अनुदात्त lowpitch (accent)
 स्वरित level pitch (accent)
 रसरत्नत्री glottal cord, vocal
 cord
 स्वरत्व sonority
 स्वरभक्ति v aptyxis (c l c)

व्यजनभक्ति anaptyxis (conso-
 nantal)
 स्वराघान stress accent
 ह
 हब्डी (जिप्सी)
 हाइपर-बोरी (भाषा)
 हिट्टाइट
 -कम्पडोमी
 हिन्दकी
 हिन्दी
 हिन्दुस्तानी
 भाषापरिवार
 जाय (इडा-केटिक, इडो-जमनिक,
 उडा-युगाण्यन, जेफाइट, साम्प्रतिक)
 उराठ-अन्तर्ई
 तुगजी, मुर्गी (तुक-नातारी) तुर्की,
 विश्विज, तोगादर,
 याकून, फीनी-उया—फीनी
 (सुओमी) मगयाग (हवेरी)
 मगोओ, ममोयेदी
 काकेशी
 उत्तरी, दक्षिणी (अवर, चेंचन, जार्जी)
 चीनी
 अनामी, तिब्बती-ब्रह्मी (तिब्बती-ब्रह्म
 लहागा), थार्ई
 (आहोम, खाम्ती, शान),
 सय चीनी (मन्दारी, कटूर्नी)
 वाटू
 कार्गो, काफिर, जलू,
 समुती स्वहीली
 बुशमैन
 सोमी-हामी
 (क) सामी (अकदी, अरबी, अरमी
 गीज, फीनीशी, यहूदी-उन्नानी, सीरी,
 हब्डी)
 (ख) हामी (काष्टी, कुशी-खमोर,
 मरुल, नामा, लीबी—अवर, मिन्वी,
 सोमाली)
 सुबान

(डन, इन्रो हाज्मा, नुबी, यल मोम, धाउ, वीथाफ, गनेराल)	गाथी
होटेटाट	उन
द्राविडी	उनी
कन्नड, कुखल, कूई (कन्धी), कोटा कोडगु, कोलासी, गोडी, टोटा, तामिल तळ, नैलगु, ब्राहुट, मलयालम, पाल्टो	जमन
मलाया-पाँशेनेशियाई (आस्ट्रोनेशियाई)	गार्, गउ इ-यटम् प्राखेन
(क) आस्ट्रेलियाई (टस्मेनिया)	नानजी
(ख) पापुआई (मफोर)	नार्म
(ग) पॉलिनेशियाई (माजोरी, टोगी, ममोआई, हवाई)	फ्रीजी
(घ) मलयार् (कवि, क्रोमा, न्गोको) जावी, टगल, दयक्, फारमोसी, मरु- गसी (होवा), मुन्दियन	स्कैंडीनेवी
(ङ) मल्लेशियाई (फ्रीजी)	स्वीडी
मुडा	दर्दी
खेरवारी (मुडारी, मथात्री), कना- वरी, क्क, बुसशस्की, मवर, हो	दर्दी विशिष्ट, रुधमीरो, कार्फरी, खाराग,
मोनख्मेर—खासा, नागा	बिनाग,
आय भाषा समूह	शो ॥
इटाली	वाट्टा म्हावी
उम्ब्री, ओस्की, टिन	(१) वाट्टा
इटाला	प्रशियाई,
पूर्वगाली	त्रिगना, उग
प्रोवेशल	(ख) र्गवा
फेच	चेन, पागी, र्गरा,
रुमानी	हयनी (उध रुमी),
सेफार्डी	एनेनरुसी, मराणसी
स्पेनी	* (रुवा), मर्बीकोटी
केन्टी	हिन्द-ईरानी
आइरी (गैली)	(क) ईरानी—जेन्द,
ग्रीक	पर्गी, पहलवी,
ऐटिक, कोइनी, डोरिक, यूशी, फिजी, मैसेडोनी	पाजन्द, पार्सी
जमनी (ट्यूटानी)	हुज्जारेण
आडमलैडी	(१२) भारतीय
इगन्निश (अगरेजी)	(बै) प्राचीन युग
पिडगिन, वाबू	(दिक-कन्दम्)
	लौकिक (भाषा)
	सस्कृत (उदाह्य जादि)
	(२) मध्ययुग
	पालि
	अर्थाकी प्राकृत
	प्राकृते
	अबन्ती पैजाची

जव मागरी,	गीक
मागरी	ग्रेगोरियन
महाराष्ट्री	चित्रलिपि
शौरसेना	टाकरी
जपञ्जग	तामिल
(२) वतमान युग	तुळ
जसामी, उरिया,	तेलुगू
गुजराती, पञ्जाबी,	कन्नडी
पहाडी, बंगाली,	देवनागरी
बिहारी, भीली	-नदिनागरी, नागरी
मराठी, राजस्थानी,	दोसापुरिया
उर्दू, सिंहली,	नम्मः
मिन्धो, ट्वाडी, हिन्दी	नेपाली
लिपि (लिबि) script alphabet	बग्या
अरबी	ब्राह्मी (बर्मी)
अरमी (अरमडक)	उत्तरी, दक्षिणा,
आर्मीनी	पश्चिमी, मध्यप्रदेशी
उडिया	मलयालम
उदू	महाजनी
एथ्युस्की	गिन्ताजा
ओष	मैथिली
कन्नडी	यवनानी (जवणागिया)
कालिंग	राजस्थानी
कश्मीरी	रुगी
कुटिन	रोमन
कर्फी	इटारोमन
खराण्टो (खगोट्टी)	लैटिन
गुजराती	बट्टुत्तु
गुप्त	शाण्डा
गुप्तमूर्त्वा	सिगिली
ग्रन्थ	ह्रस्व

अनुक्रमणिका

अ	१९६, १९७, २१६, २३२, २३४, २८१, ३४०, ३५०
अकमक क्रिया १४	
अक्यूट ७९	अयोगानुसंध्या २११, २८९, २९७, ३३९ ३४५, ३७१
अक्षर-रचना १०२	अक्षर-शेष ५६
अग्र दत्त (व्यजन) ७३	अग्र तन्त्र २१, ११२-२४, १५०, १५१, १०२-१०४, १०६-११७
अग्र स्वर ७०, ७१, ७२, ७६, ११	अग्र परिग्रहण १६८
अग्रगम ५८ २१९	अग्र-त्रिंशत् १६०
अधोप ७७, ६३, ६०, ७२, १०, ८३, ९२, १२८, २२५, ३०६, ३२२, ३६३, ३६६, २७५	अग्र-त्रिंशत् १६५, १७०, १९१
अधोप जन्मप्राण ३४९	अग्र-विस्तार १५३, १६१, १६०
अधोप स्पश ९०	अग्र-विज्ञान २१ ३१ २११, २१९, ३३७
अनियन्त्रित भेद ९९	अग्र मन्त्रोच १६३, १८४, १६९
अनुवाच ७९	अग्र-म्फोट २२१
अननासिका ६४, ७४, ०२, २८१, २९८, २१६, ३२०, ३६३	अग्र-दिश १६३, १६५, १६९
अनुप्रदान ९६	अग्र तन्त्र १०६, ३६१
अनुष्णनात्मक शब्द १५, २२९	अग्र व्यजन ३०६, ३००
अनुस्वार ६४, ७४	अग्र विद्यत ७०, ७१, १४
अन्तयाग १९५	अग्र-सर्व ७०, ७१, ८४
अन्तयोगात्मक १०५	अलिङ्गित ७३
अन्तयोगात्मक अक्षिल्लट ३०२	अल्प-प्राण ७५, ८३, ३०६, ३४२, ३६५, ३७६
अन्तम्य ८, ७०, ८३, ८६, १०२, २२५ ३००-३२३, ३४८	अधिकृत रूप १२१
अन्त म्फोटोत्मक व्यजन ७४	अधनायक मित्र स्वर ८१
अन्त स्वर ३६७	अव्यति १२२
अन्वय २१४	अक्षिल्लट भाषाण १९५, २३१, ३५९
अपश्रुति १३२	अक्षिल्लट यागात्मक १०४, १०७, २३२
अपूण मधोप ७२	अक्षिल्लट यौगिक २९०
अभिगा शक्ति ३९, २२४	आकाशा २११
अभिनिहित १३३	आकृति मलक-वर्गीकरण १९३, १९४, २३१
अभिव्यक्ति १८, १९	
अयोगात्मक (भाषाएँ) १२८ १०३	आद्यात १३१ २१७

आगम १३३
 आदेश १३४ वे
 आवाज-वर्ग १२१
 आपकित ०१८
 आसन्न घटा १४
 इ
 इतिहासिक वर्गीकरण १९३, १९४
 उ
 उच्चारण-यत्र ४४
 उद्घात (ध्वनि) ६५, ७४
 उद्घोषात्मक ७४
 उदात्त (स्वर) ६३, ७९, २१७
 उदात्तान्तर ३२०-३२२, ३४३
 उदात्तान्तर मिथ्य स्वर ८१
 उदात्तान्तर ६१, ६
 उदात्तान्तरान्तर ७३
 उदात्तान्तर १५०, २११, ३२२
 उदात्तान्तरान्तर ५१
 ऊ
 ऊर्ध्व (वर्ण) ८, ८३, २२०
 ऐ
 ऐतिहासिक भाषाविज्ञान में प्रत्याकलन
 ०४
 ओ
 ओष्ठ्य गोणत्व प्राप्त कवर्ग ७६
 ओष्ठ्य ध्वनि २७०
 क
 कट्ट ७३, २१८
 कट्ट्य स्वर ३४८
 कपलीमेट्रो डिस्ट्रीब्यूशन ९८
 कर्ता १४ २०
 कर्माची कृत प्रत्यय १२७
 कर्क ६, १०३
 कायमोर्फ २२८, २३०
 कृदन्त २०
 कोषल तात् २१
 क्लिप्त ध्वनियों ७४, २७२, २७९
 कम-पाठ १८४
 क्षेप १३३

गुण १३२
 ग्राम्यमान नियम ३४२
 ग्रिम नियम २२९, २३६, ३४०, ३४१
 ग्रव ७९
 घनपाठ ३७, १८४
 जटापाठ १८४, ३५९
 डायलेक्टोलोजी २४०, २४१
 तत्सम १६८, १७२, २०१, २६८
 तद्भव १६८ १७२, १८४ २०१, ३६८
 तद्रूप स्वर ७५
 तान्त्रिक २०८
 तान्त्रिक ७३ २७०, २३१
 तात्पर्य गोणत्व प्राप्त कवर्ग ७६
 तात्पर्य नियम (तात्पर्य वर्ति-नियम)
 २३०, २३५
 तिङन्ता २०
 दन्त ७३, २५२, ३५०
 दन्तोष्ठ्य ७३
 द्रव्योष्ठ्य ७३
 देशज (शब्द) १७२
 देशी (शब्द) १७२
 ध्रुवाभिमन्त्र २८४
 ध्वनि-क्रम (sound sequence) ९३
 ध्वनि ग्राम (phoneme) १९, २०,
 ६७, ८९, ९०, ९२-९४, ९७, १०७,
 १८१, २४१
 ध्वनियाम् अन्वयरूप १०१
 ध्वनियाम् स्वररूप १०१
 ध्वनियाम् छन्द १०१
 ध्वनियाम् विज्ञान २१, ८९, ९३, ९७,
 २४१
 ध्वनियाम् विश्लेषण १०५
 ध्वनियाम् व्युत्पत्ति १०६-१०७
 ध्वनियाम् लिपि ९६
 ध्वनियाम् विरोध ९०
 ध्वनि-विद्य २८२
 ध्वनि-नियम १११, ११२, २०३, २२८,
 २३३, २३७, ३१८, ३४०, ३४२
 ध्वनि-भिन्नता २०३

- ध्वनि-यत्र ३९, ६१, ६६, ८५
 ध्वनि-श्लोप ५६
 ध्वनि-त्रिकाम १०८-११३, १४५, १४९,
 १५५, १५८, २३७, २८८
 ध्वनि-विषय ५६
 ध्वनि-विज्ञान ३९, ६९-७०, ११८,
 २१९, २२४
 ध्वनि-साम्य ९६, २०३
 ध्वन्यात्मक शब्द १२४
 नपुंसक लिंग १६, ३५९
 नाम २१७
 निघण्टु २१७
 निपात २१७
 निरुक्ति १७१, २१७
 निगुण प्रत्यय १२७
 पद-पाठ ३७, २१७, ३५०
 पद-रचना १८८, १५१, १६०, १७५,
 १७७, १७९, १९३, २३२, २३७,
 २७४, २९२, २९९-३०१, ३०२,
 ३२५, ३३६, ३४८
 पद-रचना-विज्ञान ११८
 पद-विकाम १३५, १४९, १५५, १५७,
 १५८, २३७
 पद-विभाग २१३, २२५, २०७
 पद-विज्ञान ३९, २१८
 पद-विश्लेषण ११९
 पद-व्याख्या १५०
 परमग ३९, ५९, १४५, १५०, ३०७,
 ३१४, ३६७
 परिस्थितिजन्य उपरूप ९४
 पश्च दन्त्य ७३
 पश्चगामी समीकरण ५७
 पश्च स्वर ७०, ७१
 पारिवारिक वर्गीकरण १९३
 पार्श्वक (त्रि) ६५, ७३, ७४, २७९
 पुरोगामी समीकरण ५७
 पुल्लिग १६
 पूण सवोष ७२
 पूव योग १९५
 पूर्व प्रागात्मक १९१
 पूर्वान्न योग १९६
 पूर्वान्न योगात्मा १०१
 प्रतिभा ११८
 प्रतिरूपता का समतार १२-१००
 प्रतीक १४-१७
 प्रयत्न-लाघव ५२-५५, ५९, ६०, १०८,
 ११८, १५६
 प्रयोगात्मक ध्वनिविज्ञान ३६, २३८
 प्रश्लिष्ट (भाषाएँ) १९७, ९८
 प्रश्लिष्ट योगात्मक १९६, २७२
 प्रश्लिष्ट स्वतन्त्र रवार्त १३३
 प्रातिपदिक २०, ११७
 ष्टा ७७
 कौनीगिका ८०, २२०, २४१
 कञ्च ८०, ५४, ५७, ७५, ७७, ८०,
 १०२, ११५, १२१, १५२, १९०,
 २७३, ३०६, ३२६, ३४०, ३६८
 क्विस्फोटात्मक व्यञ्जन ७४
 क्विस्फो का भौगोलिक गर्भण २४
 कञ्च-विज्ञान २६०
 भाषा-शिक्षण २४
 भाषा-विज्ञान २४
 गन्ध दन्त्य (व्यञ्जन) ७३
 मन्थ योग ३०६
 मन्थ योगात्मक १९६
 मन्थ स्वान ८४
 मध्य स्वर ७०-७१
 मरमर ११५
 महाप्राण ७५, ८३, २२५, २७२,
 ३०६, ३४२, ३६५, ३७६
 मात्रा १०२
 माफ १२६
 मिथ्य स्वर ८३, १०२, ३२१, ३५३
 मीमासा शास्त्र २३
 मूवन्य ७३, २७९, ३१५, ३५९
 मूलस्वर ७१, ८४, २२०, २३६, ३१९,
 ३२२, ३२५, ३३०, ३३६, ३४७,
 ३५३

लिखितसिद्धा २३०	व्यजना २९, २२६
इमल गगान ६३	व्याकृणात्मक शब्द १२४
लिखित १५, १६	वर्द्ध १३२
त्मक (भाषाएँ) १५६, १६६-७७,	त्रिवल ७०, ७१
११६, २१५, ३००	वार्ति १२६
त्मक जशिलक २५६ २७८-८०,	व्युत्पत्ति-विविज्ञान १७१, २४२, ३६८
३०१, ३०५	जब्द-चित्र २८२
त्वा २१४	शब्द-भेदकारी विरोध ९०
१९, २०, १२५	शुद्ध स्वर १०२
विज्ञान २१	शुद्धीकरण १५७
णा ३९, २०४	शुभ वातु १२८
वर्णिक ज्योत्स्नी २२९	शून्य रूप १२५
१३६, ३२२	श्रवण यन्त्र १८
इत ५५, ७४	श्रव्यता ८६
प ७३	श्रुति ७५, १०२, ३५९
निश्चय ३४२	श्लिष्ट (भाषाएँ) १९७, २३१, ३०१,
य १९	३६९, ३७१
य रचना २७४	श्लिष्ट योगात्मक १९४, २३२-२३३,
य-विचार २०६	३२४, ३४०
य-विज्ञान २९, ३९, २३७	श्लिष्ट यौगिक ३५०
य-विश्लेषण १९, २४	सकेल १४, १५, १८
य १५, १८	सगीतात्मक न्वर १०२
वक १६, १५	सद्यतना १४-१६, १८
गमनाद १७, ३१	सद्यतनात्मक भाषाविज्ञान १५, २०
शास १२९	सद्यधी (चदि, वर्ण आदि) ६५, ६८,
योगात्मक (वर्गीकरण) २२९, २७५	७३, ७८, ८५, ८६, ३३१, ३४९,
योगात्मक १९१	३६३
धे १००	सद्यधी अवोप १०९
धि १०३	सद्यधी सहाय १०९
धि अल्प १०४, १३०	सद्य १२८
धि अवरोही १०६	सद्यप्रमाण १३२
धि प्रागेहा १०६	सद्यपणीयता १४
धि निश्चिता १०६	सद्युक्त-वनि ५८, ७५, ८२ ८४
ध्याकारक १९	सद्युक्त व्यजन ६९, ७८, २६५, २७७,
ध्यावागुरुगुण १०२	२८१, ३०१ ३०६, ३५९, ३६३-
धेषण १८	६४, ३६७
धमीकरण ५७	सद्युक्त स्वर २७७
धि ३२८, ३२९	सद्युक्ताक्षर ५८, २०२, ३६९
धिस ३२८	सद्युक्तात्मक २२९

मयोगावस्था १९१-९२, २८७
 मन्त्र ७१, ८४
 महिला (मत्रि) २१७
 महिला पाठ ३७
 सद्योप ४७, ६३, ६९, ७२, ८०, ८३,
 ९२, ११६, २२५, २९८, ३०६,
 ३२०, ३२२, ३८३, ३६६, ३७५,
 मघोष अल्पप्राण ३६९
 मघोष महाप्राण २०८, ३६९, ३७५
 सद्योप स्पश ९२, ३६३
 सन्निधि १९
 समास २१७
 समिश्रित स्वर ८३
 समीकरण ५६, ८३, ३२२, ३६७
 सम्बन्ध तन्व ११९-२४, १३५-३६
 १८५, १५१, १५४, १५९, १०३-
 १९७, २५०, २८६, २०६ ३२४
 मादृश्य १५, १०८, ११६, १५६-
 ५७, २३३
 सानुनामिक स्वर ६४, ६९, ३२२
 सामान्य भूनकाठ १४
 सामान्याकारक १९
 सुर ४०, ६३, ७७, ७९, ८०, ११५
 १२१, १५१, १९०, १९४, २३६,
 २३९-२८०, २८१, २९५, ३२४-
 २५, ३३६, ३४०, ३४२, ३६८
 सुर, उच्च ७७, ७९
 सुर, नीच ७७, ७९
 सुर, सम ७७, ७९
 सुर विज्ञान २३९
 मुष्कार ध्वनि ८
 सूक्ष्म लेखन १०६
 स्थान-विपर्यय ५९, ११२
 स्पश (वण, ध्वनि अथवा व्यजन) ६५,
 ७३, ७८, ८३, ८६, १११, ११६,
 २०८, ३०६, ३३१, ३६३, ३६५
 स्पश-सघर्षी ६५, ७४, ७६, ३३१
 स्फोट ८५, ३०६
 स्फोटात्मक (स्पश) ध्वनि ८५

स्वच्छन्द्र परिव्रतन ९४
 म्बर-क्रम १५२, ३२४-२५
 म्बरतन्त्री ६२-६३, ७७, ७९
 म्बर-भक्ति ५८
 म्बर-यन्त्र ३४ ६१, ६८, ७३
 म्बर-यन्त्रपिटक ६७
 म्बरयन्त्र-स्थानोप ७३
 म्बराघात ८०
 म्बरित ७९, २२६
 म्बीकाय-गरिनि १४
 म्बीकाय-सीमा १६
 ह्रमजा ६३
 नाम
 अगम् २१८, २२५
 अकाबर ७६
 अशोक ३४, १७०, २५२, २५५, २५८,
 २६२, ३६०-३६३, ३६६
 अक्षराप १८ ३६४
 अम्कोली (गस्कोली) २३५ ३३२
 आर्पिर्शात्र २१८
 ऑग्टोफ २३६, २३७
 ओक्षा, गीरीशकर हीराचन्द २५३,
 २५६, २६२
 इशाजन्ला खौं १७३
 इन्द्र २१८
 उपान्याय, वष २१९
 उलिफसल, विशप ३३७
 ऐन्द्र मम्प्रदाय २१९
 ऐयर, गामास्वामी २४४
 कनफशियस २९४
 कनिधम २५३, २६१
 कपिल ऋषि ३
 कय्यट २२१
 कत्रे २४३
 कम्ट २५९
 काकाती, वानीकात २४४
 कातन्त्र शाखा २२२
 कात्यायन (काञ्चायनी) २१८-२२१,
 २५६

- नाथिदास १८, १७३, १८८, २४६,
 ३६७
 नाथ महल २१८
 नाथस २१८
 नूपरी २५९
 कुटिउग, गोआस २३३
 नेशवदास १८४
 कनथ माल ० पाइक ८९, २३९-२४०
 केंद्रधेठ २४३
 काडिकल २२७
 कोटस, ओकते २३८
 कार्डी २२८
 कालवृका २२८
 कोल्मबास २७२
 गाग्य २१८
 गाग्य २१८
 गणाहय २६६
 शाशमन हमा ३६०
 ग्राम, थकोव २७०-२७१, ३४१-
 ३४३
 ग्रियमन गाज २८३
 गलीमन ८९, २४१
 घाय, गामाहन २६५
 घोष, वरुणा ३४८
 नखीदास ३७४
 चटर्जी, सुनीलकुमार २०३, २६७,
 ३२८, ३६३
 चान्द्रशाखा २२२
 जगदीश सार्वात्म्य २०८
 जयदेष १८४
 जयार्दन्य २२१
 जाडव्जा २९४
 जायसी १७०, १८१
 जिनेन्द्र कुद्धि २२१
 जेनिश २२७
 जेसुमन, आंटी २३९, ३१८
 जैन, बनारसदास २४३
 जैन, श्रीरागल २४४
 जेफ ३१६
 जोन्स, डेनियल २३२
 जेउस २३३
 टगर २०२
 टगर २४३
 टामस, गठवड २६१
 टलर २५९-२६१
 ट्रम्प २४३
 ट्रैगर, जी० एल० ८९, २४१
 ठन्कुर, रवीन्द्रनाथ ३७४
 डानिन ३१
 डामन २६१
 डीके २५९
 डलबुव २३६-२३७
 नारायणवाला, ल० १६३, १६६,
 २६२
 तिलक, लोकात्म्य बालगंगाधर ३२६
 तिवागी, उदयनारायण २४४
 तुलसीदास २, ५२, ११०, १७३,
 १८१, ३७४
 थुक्म २२५
 दउजा २३९
 दण्डी १४८, १८६
 दारा ३५०
 दास, अविनाशचन्द्र ३०६
 देवीगण्ठी ३६४
 नददास १७३
 नवीन वैयाकरण (नव्य वैयाकरण,
 नौसर्गिण वैयाकरण) ९१, २३५,
 २४०
 नरसिंह मेहना ३७५
 नागोजि (नागेश) भट्ट २२१
 न्यूटन ३, ११३
 पतञ्जलि २५, १७५, २२१-२२४,
 २५६
 पाउल २३६-२३७
 पाट २३२
 पाणिनि ३०, १२६-१२७, १४४, १७५,
 १८६, २१७-२२१, २५६, २५७
 पाणिनि शाखा २२२

श्री० एम० पटलम् २२७
 पट्टा, प्री० २५१
 पट्टा २६२
 प्रवर सेन ३५५
 प्रिमप २५०
 प्लेटा २२५
 बॉक्स अकेडेमी २२७, २३०
 बाणभट्ट १७३, १८८
 बाँस, फात्म २३०-२३३
 बीम्ज, जान २८३, ३७१
 बुद्धघोष ३६२
 बूलर २५३, २५६, २५७, २५९, २६०
 बैनफर्डी २३३
 बॉडिंग २८८
 बोपदेव २२२
 बील १६३, २५९
 ब्रह्मभन, हैनरी २३६-२३७
 ब्रडस्टोफ ३३२
 ब्रैडेस्टाइन ३२८
 ब्लान्क, ज्यूल डॉ० २४३, ३५५
 ब्लॉक, प्रतीड ८३, २११
 ब्लूमफील्ड १९, २३० २८१
 भंडारकर, रामकृष्ण गोपाल २१३
 भवृत्ति २२१
 भारवि १८८
 महादेवा वर्मा २
 महाभाष्यकार २३
 महन्द्र ३६२
 भट्टोजि दीक्षित २२२
 मान पांडित १७३, ११४
 माकडेय २२५, ३६७
 मिट्टन १७३
 मीरा १७३
 मलर, ऑफोड २५९
 मूजर, फ्रीड्रिक २०५
 मेडए २३९
 मैक्समूलर १५६, १९८, २३३, २३४,
 २८५, ३०६, ३२७
 मडविग २३३

मोनाटगन (सादृशकायन) २२३
 मंगल, इन्द्रगण २६४
 मजिती, प्री० ५५
 मास्य (यान्त मी) ५५ २१७, २५७
 राजशेखर ५१, ११४, ११६
 गयत एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता
 २२८
 गस्क ३६१
 रुद्रवाम ३५८
 रुद्रन बेतम २६
 रुद्रा २७७
 रैप २३२
 रैस्क (रैजमरा रैसा) २२९-२३०
 राजाधिका २३८
 रालर (राला) ३५५
 रानवीत २३९
 रैमन २५३
 रारागिाटर ३०९
 यनर, फाल ३४२
 रमा, गिरेन्द्र २१५
 वररचि २२२
 इरुति तात्वायन २२३
 वार्त्रियाज ५२९
 वागत २२१
 वासीत ७
 वागपति ११३, ३६७, ३७३
 विमल गणेश्वती २२२
 विजिगम जौन, शर २१८, ५०
 विमन २५९
 विरहम फौन हम्भाट्ट २३१
 विश्वनाथ प्रसाद २१६
 वुंडट २६९
 वलनर २१६
 वार २५९
 वस्टर गड २३३
 वेत्र, प० ल० २८६
 ध्याड २६९
 गहरदम ३७३
 शवाज्जाय २२१

शाकटात्त २१८
 शाकटाथन आर्या २२२
 शाकटय २१७-२१८
 शास्त्री, गाम २६५
 शेषनाथियर ७, १७३
 श्रीहय २८४
 श्लाङ्गपुर, आगुर २३२, ३३०
 श्लेगेल, अडांका २०९
 श्लेगेल, फ्रीडरिक २२८
 सक्साना, वाबराम २४८
 सनाट (मैनाट) २५०
 सगपूरानन्द ३२६
 सर्जी ५२७
 सारस्वत शाखा २०२
 सिकन्दर २५२, २५०
 सिद्धेश्वर वर्मा, डा० २०४, २१३
 मुकराना २२५
 सुमिमानन्दन पाल ७
 सुरदास १७३, १८४, ३७८
 सेयम, प्रो० २२८
 सैपीर, एडवर्ड ८९, २३९, २८१
 सैमेटिकुम २६
 सैम्सेन ३७५
 स्टाइनथाल २३५
 स्त्रिकमचर २३९
 स्तुतवा २२९
 स्टोइकवर्ग २२५
 स्वीट, हेनरी २३७
 हजरत नौह ३१६
 हर्डर २२५
 हरदत्त २२१
 हरिऔष, जयोव्याप्तिह उपाध्याय १७३
 हाजसन ३०३
 हार्नोटिके २३०
 हाल ३६५
 हिन २३९
 हेगेल २३५
 हेमचन्द्र सूरि १८६, २२५, ३६८
 हेरोडोटम २६

हैमिस्टल २२८
 होमर १७३, ३३६, ३४५
 होपनले २४३
 ह्विटनी २३३-२३५, ३१५
 अन्त, पत्रिकाय तथा लेख
 अग ३६८
 अथर्ववेद २५७
 अथ कथा ३६१, ३६२
 अवेस्ता ३३, १८९, ३४७, ३५०, ३५१
 जण्डान्यायी १०४, २१८, २१९, २२२,
 २५६
 जण्डान्यायी शाशिका २०२
 आभम ग्रन्थ ३६८
 उर्जा २५, १०, २२०, २४१, २४३,
 २१२, २१८, २८९, ३३७, ३४५,
 ३६६
 इटानशन आफ अमेरिकन इंग्लिश २४०
 उरिगड ३३६
 उणादिसूत्र १५६, २१०
 उर्पानपद २५७
 उर्पाण ३६४
 एडडा ३३८
 एलरेय ब्राह्मण २५७
 ऋग्वेद १५२, १८०, २३८, २५७,
 २५८, ३१५, ३२५, ३४७, ३५३
 आडयो ३३६
 कथा मन्त्रिमाग २१९, ३६६
 काटक महिला २५७
 कादम्बरी ३०५
 काव्यप्रकाश २२४
 काव्यादश १४८
 काशिका २२१
 कातिकला ३६७
 काठाक्षर लेख २५१, ३४४
 कुगन शरीफ २२४, २८९
 गाथा भक्तशानी (गाहासत्तसई) ३६५
 चौखे चौपदे १७३
 छान्दोग्य उपनिषद् २५७

- ज्ञानक ३६१
 जेन्द्रावेस्ता ३५०
 जनसूत्र २६२
 ठठ हिन्दी का ठाठ १७३
 डाइटघम ग्रामटिक ३४१
 तन्त्रिीय उपनिषद् २५७
 तन्त्रिीय संहिता २१८, २५७
 दी साइकोलाजी ऑफ लॅंग्वेज ६७
 देवनागरी व्याकरण २२०
 देवीनाममाला ३६८
 धम्मपद ११६, ३६१
 ध्वन्याशोक २२८
 ध्वनि-विज्ञान में प्रयोग २३९
 न्याम २२१
 निघण्टु २१७
 निरुक्त २१७
 नेपाली काव्य २४३
 पञ्चतंत्र २१९
 पदमञ्जरी २२१
 पञ्चवर्णासूत्र २५९
 परिभाषेन्दु खरर २२०
 पिप्रावा का लेख २५६
 प्रदीप २२१
 प्रदीपाद्योत वैधाकरण सिद्धान्त २००
 प्राकृत-प्रकाश २२३
 प्राकृत सवस्व २०३, ३६७
 प्राचीन लिपिमाला २१६
 प्रानिशास्त्र २१७, २१८
 प्रियप्रसन्न १७३
 फालभिक्ष ८९, २१८
 वाङ्मय और वाङ्मय १८६
 वाङ्मय लिपिक २५६
 वृहत्कथा मञ्जरी ३६६
 ब्रह्मजात मुक्त २५६
 भगवद्गीता १५२, ३१५, ३७४
 भारतीय भाषा-भाषाएँ २६३
 भाषा आर भाषा का अध्ययन २३४
 भाषा का जीवन और विकास २३६
 भाषा-सर्वे २४३, ३०३
 मगडी का विकास २४३
 महाभारत ३७४
 महाभाष्य २२१, २४४
 महाभाष्य-प्रदीप १२२
 माहेश्वर-सूत्र २१९
 मन्वन्तरीय २२२
 मैत्रायणी संहिता २५७
 मूच्छकटिक ३६६
 रघुवश ५३
 रसगंगाधर २२१
 राणी कनका की कहानी १७४
 रामायण ३०५, ३७८
 रत्नमाला २२०
 उचित विवरण २१९, २६२
 उचित लिपिक एकरण २४१
 वाचस्पतीय २०६, २४५
 वाजपयनी शालिशाय २२०
 वालिका १२०
 विश्वामित्राय ३६७
 विष्णुना याग्यानागाला २४३
 वेद २५, १६६, १८४, १९६, २१७
 वैदिक साहित्य ३२६, २५०
 अद्वैत-शास्त्र प्रशासिका २०४
 अद्वैतशास्त्र २२२, २२३
 आचार्य भाष्य २२१
 आ. का विष्णुना ३७१
 जिज्ञासा तथा १७२
 ज्ञानि २०६
 ज्ञान ७५, १५७
 गद्य-विज्ञान के लिखू पुष्पा के नाम
 २४२
 गीता २१६-१७
 गमनाय सूत्र २५९
 नसजानक ५०
 भारिपुर प्रकरण ३६४
 सिद्धमन्त्र २२३
 सिद्धान्त कौमुदी २२२
 मेतवन्धु (संवर्णना) २६५
 हिन्दुस्तानी (प्रभाग) २३९

त्रिपिटक ३६१

भाषाएँ

अग्रग्री ६, १३, १५, २९, ३०, ६७,
४९, ५८, ६०, ७०, ९०, ९१,
९४, ९७, ९८, ९९, १०२, १०३,
१०५-६, १०७, ११८, १३५, १३७,
१४०-४३, १४८, १५०, १६३,
१६८, १७०-१७२, १७५, १७८,
१८१, १८८, १९७, २०२-६,
२१३, २३४, २८०, ३१६, ३१८,
३१९, ३३३, ३३७-४३, ३४८,
३७१, ३७६, ३७७

अवधकी २८८, २९१ २९०-३००
अजोती २७३
अयवन्की २८, २७३
अनामी २९८
अनामी भाषा-संग्रह २०३
अनाय भाषा ३०१
अपभ्रंश १३५, १४४, १४५, १७५,
१८२, १८५-८८, २२३, २४४-४५,
३६७, ३६८ (अवहट्ठ)

अपभ्रंश, उपनागर २२३, ३६७-६८
अपभ्रंश ब्राह्मण २२२, १६७-६८, ३७२
अपभ्रंश, नागर २२३, ३६७-६८, ३७५
अपभ्रंश, शारंगनी ३६८
अर्भोग्रन्त-रत्नाग, २४०
अरबी १२, ३३, ७३, १३६-३७, १४८,
१५१, १६८, १७२, १९६, २०१,
२२६, २७६, २७९, २८३, २८६,
२८९, २९३, ३२०, ३४६, ३५०,
३५८, ३६९, ३७४

अरमी २८८
अरीकन २७३
अरोवक १८८, २७२, २७३
अल्मगिनकी २७३
अल्ताई परिवार २९०-९२
अल्बेनी ३२६, ३३२, ३४३
अवधी ६ १११ १४० १४४ १४५

१५९, १६१, १६४, १६९, १७८-
१८१, २११, २४४, ३७१, ३७८
अवन्ती २२३, ३६६
अवर २९९
अरेस्ती ५६, ५०, ३१८-१९, २२१-
२२, ३२६, ३४९, ३५०, ३५९
अवेम्नी उपशाखा ३५०
असामी २४४, ३७०-७१, ३७२, ३७३
अमीरी २८७, ३००
आडिया ३०७
आइरी ३३३, ३३४
आइगी, प्राचीन ३२८
आइसलैन्डी ३३७
आर्यभट्ट भाषा-भाषा १९८, २३५, २३६,
२१८, ३२१-२७, ३२४, ३२५-२६,
३२७-२२, ३४१-४२, ३५३,
आदिम भाषा ७६, १९८ २३८,
३१८-१९, ३२०-२५, ३३०-३२,
३०१, ३१२ ३४७
आन्ध्र ३१०
आभीरिका २२३, ३६६
आर्मीनी २२०, ३२२, ३२६, २२२,
३३७, ३४६
आर्य भाषाएँ ७०, ७९, ८०, ११५,
१२२, १३९, १५२, १५८, १७२,
१९७, २१३, २८४, ३०१, ३०४-
३०७ ३०९, ३१२, ३१५, ३३०-
३१, ३५१, ३५९, ३६८, ३७३
आर्यभाषा, प्राचीन ७४, १२२, १५१,
१७२, १९७, ३२६
आर्य-परिवार २०५, २२९, २३१,
२३३, २३५, २८५, २८६, २८८-
८९, २९०, २९३, २९८, ३००,
३०३, ३१३, ३१६-१७, ३४३,
३८८, ३४७, ३६९
आर्यतर भारतीय परिवार ३०३
आस्ट्री परिवार ३०६, ३१५
आस्ट्री भाषाएँ ३०९-१०
आस्ट्रेलियाई परिवार २७४ २७७

अन्तर्जातीय परिवार २७८, २९८
 ३०४
 जाहीम २५७
 इंग्लिश ३३८-४०
 इंडो कैटिक ३१६
 इंडो-जर्मनिक परिवार ३१६-१८
 इंडोनेशियाई भाषाएं २७६
 इंडो यूरोपियन परिवार ३१७-१८
 इटाली २३४, २३५, ३३०-३२
 इटाली शाय २३३
 इब्रानी २५, २२५-२६, २२०
 उरानी ३३ ७०, १६२, २०२, २२०,
 ५१३, ३३०-३२, ३८६, २१८-
 ५१, ३५२
 ईरानी, प्राचीन ३५१
 ईरानी, मध्यकालीन ३५१
 ईरानी शाय ११८
 ईरानी-हिंदी शाय ३३०, ३-२,
 ३५०
 ईव २८२
 जटिया ३७०-७३
 उर्दू ३५, १६७, १६८, १७८, १८५,
 २०१, २८०, ३५०, ३७४, ३७६,
 ३७७
 उम्ब्री ३३४
 उराठ जलनाई परिवार १९४-२५
 २०४, २७३, २८०, २८५, २९०-
 ९१, २९८-३०१, ३०९, ३१३,
 ३४३
 उराठ परिवार २९०-९१
 उम्मानली २९२
 एगा ३०७
 एलासाइट २९९-३००
 एल ३७६
 एस्किमो २७३
 एथ्युस्कन २९९-३००
 एथ्युस्की २५१
 ऐटिक ३३६
 ऐनु ३५१

जोगा ३११-१२
 ओस्की ३३४
 मूवेदाय भाषा ३५३
 फटनी २९५
 कसत १९५, १९७, १९९, २०१,
 ३०४, ३११ १७
 कनावरा बोला ३०६
 कनरी हाउसा २८१
 करीब १८८, २७०, २७३
 'कलब' की बोली ९१
 कवि भाषा १८५, २७६
 कश्मीरी ३५०
 कागा २८०
 काकेशी ३४६
 काकेशी, उत्तरी २१०
 काकेशी, दक्षिणी २९९-३००
 काकेशी परिवार २८५, २९८
 काफ्री २८५
 काफिर (काफिरी) १०५, १०७,
 २८०, ३५२
 कार्निंग २३८
 कार्निग २९०
 कुम्बुजा २७०, २७३
 कुमाउली ४०, ३७५
 कुर्कू प्राची ३०६
 कुम्भ ३११-१४
 कुर्दी ३५१
 कुषी २८५
 कुइ (कथा) ३११, ३१६
 केंद्रीय समूह २३५, ३३१-३२, ३८३-
 ४४,
 केल्टी १५३, २२८, २३३, ३०६,
 ३३०-३३३
 कैट्टी शाखा ३१६
 कोमक २९२
 कर्लसिक भाषा २४०
 कोवणी २४३
 कोउनी ३३६
 कोटा ३११ १२

काष्ठग ३११-१२
 कोहन ३११
 कोनी (गायत्री) २०५, ३००
 काग्या २०९-२०१
 काष्ठ ३०८
 कोनामा ३११-३१३
 काकना २४०
 क्रोमी १८९, २७६
 खटी मोली ६, ११० १६०, १६६-४५,
 १६४, १८०, १८२-८५, ३७०
 धमीर २८५
 खसकुग १७५
 खाभनी १७७
 पाणी (गाम्भी) ३०३, ३०६, ३७०
 खमारो ३०६, ३०७
 खादीर ३५१
 महाराठी ४०, ३७५
 ग २८८
 गार्थी २०३, २०४, २३०, ३१८,
 २२५, ३३७, ३८१, ३४३-४४,
 ३४८
 गीज बोली २८९
 गअना-तुपी ७२-२७३
 गजगना ६, १३७, १५५, १७५,
 १८३, १९०, ३७०, ३७१, ३७५
 गौली ३३३, ३३४
 गाडी ३११-१२
 गाडडली ३३०-३४
 गोखाडी ३७५
 गाडी ३३३, ३३४
 शोक १३, ७०, ७५, १४४, १९८,
 २०२, २०३, २२५, २६०, ३१८,
 ३१०, ३५१-२२, ३२५-२६,
 ३३०-३२, ३३४, ३३६-३७, ३०१,
 ३४२, ३४३-३४६, ३४७-४८, ३५७,
 ३५९
 श्रीरु, आधुनिक ३३६
 श्रीरु, प्राचीन १३३
 चको २७३

चाटाली २२३, ३६६
 चित्राडी ३५२
 त्रिपेव्यल १०८
 चीनी ६, ७९, ८०, ११५, १२६, १४७
 १५१-५२, १०६, १२७, १९८,
 २३१, २४९, २७६, २९२, २०६-
 ९७, ३१८
 चानी परिवार २८५, २८८, २९३,
 २९७-९८, ३०३
 चीनी समूह २९३, २९८
 चेक ३४६
 चैचन २९९
 चिगाकी २७२
 छन्दग (तदिक) २१०-२०
 छत्तीसगडी ३७८
 जमन ६, १२, ४७, ७२, १०६,
 १८५, १७०, १७५, २०२, २३०,
 २०१, ३१८, ३२१, ३२६, ३२८,
 ३३०-३२, ३३७, ३३८-३९, ३४४,
 ३७१
 जमन आगिन ३६०
 जमन प्राचीन ३१८, ३३३
 जमल लीड (निम्न) ३३९
 जमल हार्ड (उच्च) ३३९-४०
 जमनी गाखा ३१६, ३३७, ३००-
 ३४२
 जापानी ६, २०१, २९२, २९९-३०१
 जार्जी २९९
 जावी २७५
 जिम्मी २०३-४
 जैन प्राकृते ३६३-६०
 जैफाइट खाखा ३१६
 जुहु भाषा १९५, २७९-८०
 जेन्द (अवस्ती) २३०, ३५०
 जेन्द (पहचवी) ३५०
 टगल २७५
 टस्मेनिया भाषा २७८
 टाकका (ढक्की) २२३
 टोपी २७७

टोडा ३११-१२
 ट्यूटानी शाखा ३३७
 उच्च २७६, २८०, ३१६, ३३७, ३३८,
 ३४०
 डच शाखा ३४०
 डाइटो ३६०
 डेनी ३३८
 डोरिक ३३६
 डक्की २२३, ३६६
 तामिल (तमिल) २०१, ३०४, ३११-
 १५
 तिब्बती २९४-९८
 तिब्बती-चीनी परिवार ३०३
 तिब्बती-यानी भाषाए ३०३, ३०५,
 ३१४
 तिब्बती-ब्रह्मी भाषा समूह २०३,
 २१७-०८, ३७०
 तियरा दक्षिणी २७३
 तुमजी २९०, २९२
 तुल ३११-१२
 तुको ६, ३५, १७२, १०५, १०७,
 २८९-९०, २९२ ३३५, ३४५
 तुकी (तुर्क-तानारी) समूह १२३,
 २९०, २९२
 तेलगू १७२, १९९, २०१, ३१०-१३
 तापारी ३२६, ३३२, ३४३
 टार्ट भाषा समूह २९३, २९७, २९८
 थोवी ३३७
 थयक २७५
 दर्दी २८३, ३५१, ३५२
 देववाणी ३५८
 द्राविड ३४, १३७, १७२, १९५, २०१-
 २, २०४, २८३, २७६, २७८,
 २७९, ३०४-५, ३०९-१६, ३६८-
 ७०
 द्राविड-परिवार २०५, २८०, ३६९
 नहुअरल २७१, २७३
 नागा बोलियाँ ३०३
 नामा २८४

नाबेजी ३३७
 नार्स २२९
 नाम, प्राचीन ३३७
 नीग्रो २३६
 नीग्रो-इंग्लिश २७९
 नीग्रो-पुतगाली २७९
 नीग्रो-फ्रेंच २७९
 नीग्रो कमेकन २८१
 नीग्रो सेनेगल समूह २८१
 नवी २८१
 नेपाला ४६ ३७०, ३७५
 नागाइर २०२
 न्योका १०० २७६
 पञ्जाबी ५८, १७२, १०, २४३,
 २५०, ३७१ ७५, २७५
 पलित्रोभा समूह २७०
 परजा (फारना) उपाखा २५०
 पश्ता ५१, २७२
 पश्चिमात्तर समूह २७०
 पश्चिमात्तरी २१०
 पहलया २५०
 पहा १६८, ३१५, ३७१, ३७५
 पहा भाषा समूह ३१२
 पाञ्चन्द्र ३५०
 पापुआई परिवार २७८, २७७
 पापुआई भाषाए २७५
 पामारी ३५१
 पार्सी ३५०
 पालि २६, ३३, ५९, ११५, १३०,
 १४३, १५५, १५६, १६२ १६७,
 १७६, १८२, २२३, २४५,
 २५३, ३०९, ३६०, ३६१, ३६२,
 ३६५-६६
 पौलीनेशियाई परिवार २७४, २७६-
 ७७
 पौलीनेशी भाषाए १९७, २७५-५७
 पिडगिन इंग्लिश २३०
 पुर्तगाली २७६, ३३४, ३३६
 पूर्वी समूह ३७२

पेशाचिका, केंकेय २२३
 पेशाचिका, पात्ताल २२३
 पेशाचिका, वौरसेन २२३
 पेशाची २२३, ३५२, ३६६
 पेशाची, च्चिका २२३
 पाली ३४५
 प्यूली २८१
 प्रशान्त महासागर चक्र २७४
 प्रशियाई ३४४
 प्राकृत २६, ३५, ५१, ५७, ५८,
 ५९, ८३, ११२, ११५, १३५,
 १४३, १५५, १५८, १७५, १७६,
 १८०, १८५, १८६, २२३, २४६,
 २००, २१२, ३५८, ३५९, ३६५
 प्राकृत, द्विभाषी २६, १८१, १८५,
 ३६३-६६, ३६६
 प्राकृत, अशोक ३६०-६०
 प्राकृत, महागण्ठी ११०, १६५, १८१,
 १८६, २२०, ३६३-६५
 प्राकृत, मागधी २६, १७०, १८०,
 २२०, ३६०, ६१, ३६४, ३६५-६६
 प्राकृत, शौर्यगो ११०, १११, १८१-
 ८०, १८६, २२३, ३६२-६६
 प्राच्या २२३
 प्राचीन भाषा ३७६
 प्राच्य ३३५
 फेच १३, ३८, ५०, ७२, १२६, १६०,
 १२३, ३३६, ३३७, ३५०, ३७१
 फारमोगा २७५
 फारसी १२, ३५, ५१-५२, १०६,
 ५९, १३७, १६५, १६३, १६०,
 १७२, १७३, १७८, १८०, २०१-
 २, २२८, २७६, २८०, २०३,
 ३३०, ३६६, ३५०-५१, ३७८
 फारसी, आधुनिक १७०, २५०
 फारसी, प्राचीन २०८, ३०६, ३६९-
 ५१
 फिजा (फीजी) २६, ३३७-३८
 फीना २९१

फीनी-उग्र भाषा १८०, १५१, २२९
 फीनी-उग्र या तुर्की-नामानी भाषापरि-
 चार १२२
 फीनी-उग्र समष्ट २०७-०१
 फल भाषा ८०, १-१
 फारसी २८८
 बंगाली ६, ८, ३५, ४६, ५०, १३५,
 १६८, १६२, १७५, १८२, १९०,
 २०१, २२६, ३११, ३१३, ३७०-
 ७१, ३७२-७६
 वज्जा ३११-१२
 वसा २९०-३००
 वल्लाना (पदना) ३१, ३११
 वला, वारिच ५५
 वगरी, वारिच ५५
 वज ६, २५, १००, १००, १००-
 १२, १०८, २१३, २५५, ३७६
 वज, माहिषिक १८६
 वाग २१६
 वाग १०५, १२५, २०१, १०७
 ७८०, २१८
 वादू परिवार ७७१-७९, २८, २००
 वादी ३०६, ३०९-२५, २८६
 वादी-वादी भाषा १६५
 वाक १०७, २०१, २००
 वादी २१६, २०८
 वादीना ३३३-३४
 वादू ३१०-११, २१-१६
 वादी ५०५, ५७०, ३७१-३३
 वादी ३७६
 वादीना ३१५
 वादी परिवार ३७१-३०, ५६५
 वादी ३३४
 वादी २८०
 वादीना ३०
 भारतीय वादी-वादी ३५०
 भारतीय वादी-वादी ४३, १८, २०३,
 २८५, ३५०, ३६५, ३७१-७२,
 ३७५

भारतवाच्य त्रय भाषायां आरम्भिक
(वृत्तमान) ७४, ८८, ११२, १८८,
३२६ ३३०, ३५२
भारतीय भाषा-परिवार ३०२
भारतीय भाषायां ७५, १७४ १७६
२५८, ३०१-३२, ३४८-५०, ३६९,
३७६
भारतीय जाय-शाखा ३१५, ३६९,
भारतीय शाखा ३१५, ३५३
भोली ३१३, ३७१, ३७५
भोजपुरी ७९, १६१, १८३, १८९,
२४४, ३०५, ३७३
मगोली २०० २९२
मगही ३०५, ३७३
मगियाण (मगरी) २९५
मणिपुरी ३७३
मणि प्रवारण ३११
मन्मथी ३१०
मन्दागी २९५, २९७-९८
मफोर १९६, २७७
मथ भाषा २७१, २७३
मराठी ६, ३५, १२७, १७५, १८३,
२००, २०१, २६४, ३११, ३६५,
३६७, ३७०-७२, ३७५-७६
मलयालम १५५, ३११
मलयासी २७५
मलाया-पोलागियाई परिवार २७४,
३०३
मलाया-भाषा २७४-७९
मलायाई वा इंडोनेशियाः परिवार
२७४, २७५, २७७
मलेनेशियाई परिवार २७४, २७६-
७७
माचू २२९
माजारी २७५-७७
माग्वाडी ३७४
मालवी ५४, ३०५
माल्टी ३११, ३१२
मितानी २९९-३००

मिया २५२, २८५
मीनरी ३७२
मिया १३१, १४६ २०२ २९८,
३०८, ३०८-१, ३०८-२, ३१२,
३६८७०
मुजा (जाङ्गी) परिवार ३०३, ३५९
मजारी ३०४६
मेवागी ३७४
मेथिली २०५, ३६७, ३७३
मैसैडोनी ३५७
मोन-मेर ३०३-३०४
मोम २८१
मड्डी २५ २७५, २८७-२८८
याना २७२
गुरुक्षिमा भाषा परिवार २८६
राजस्थानी १९० १७ ३०१, ३०४-
७५
रगना ३०५
रमागी २५५ २७७
रुमी २११ ३१५
रमा, मला ३६५
रमा, मथ ६५
रमा, इम १६५
रोगाणि विद्या १७१
रामान भाषायां ३०४ ३५
लायापुगा ३७१
लहाय २०८
रुदी १५०, १५१, २७२
रिगना १२८, १८३, २७७, ३३०,
३४८
रीती (मल) २८५
ले ३८८-४५
रुटिन १३, ७०, १८८, १८३, १९८,
२०२, २०३, २७५-७६, २२८,
२३०, २३२, २३५, २५१, ३६८-
१० २७१, ३०५-२६, ३३१,
३२८, ३३५, ३४१, ३४३, ३४८,
३५८-५९
वाही २८१

विविध समस्य २२९
 वेत्त ३३१
 वै-शुव भावभागा ७६, २०२ ३६२
 जोगली १५१
 शाकरी २२२, ३६६
 शान ७२, २०७
 शावरी २२३, ३६६
 शाना ३१०
 शोन ३११
 श्याली १९६, ३०४-८
 सस्कृत १, १६, १६, १७, १८, २०,
 २५, ३३, ३७, ४५, ५१ ५६,
 ५७, ६०, ७०, ७३, ७६, ८०,
 ८८, ९३, ९८, १०१, १०२,
 १०३ ५, १०७-९, ११२, ११६,
 १२७, १२६, १३१, १२७, १२५-
 ६५, १५१, १५५, १६१, १६८-
 ७६, १८८-९, १९५-९८, २०१ ६,
 २०१, २८, २६५, ३१६, ३०१,
 ३०६, ३०९, ३११-१२, ३१६,
 ३१८, ३२१-२७, ३१७, ३३०,
 ३३६-३७, ३४१-३४३, ३८८-९०,
 ३५८-३६५, ३९६, ४७५
 सम्प्रत, उत्तरवाचीन ५, ७, ७०, १०१,
 ३२४
 सम्प्रत, शक्ति १०२, ३५३-५८
 मस्कृत, वेदिक ३०, ३८, ७०, ७६,
 ७०, १०३, १३३, १५७, १५१,
 १५३ १८६, २०३, २१७, ३२२,
 ३२६, ३५३-५८, ३६२, ३७६
 मस्कृत वैदिकोत्तर १८६
 मस्कृत ३१६
 मनम २३५, ३३१-३२
 समय २७३
 समोभार २७७
 समोयदी २९०-९२
 सबरी बोली ३०६
 सर्वो-काटी ३६५
 सामी १५१, २७८, २८३, २८५,

२७-२८, २९८, २९९, ३१७,
 ३३६, ३५०
 सामी परिवार १९७, २८५, २८८
 सामी-हामी परिवार २७८, २८२
 २८५
 मिहली ३७०, ३७१-७२, ३७६
 मिवा ७४, १७२, ३१३, ३५०, ३७१-
 ७२
 मीरी २२६, २८८
 मुआमी २९१
 मुन्दियत २७५
 मुमेरी २९९-३०१, ३१०, ३२७-२९
 मूडाल परिवार २७८-८०
 मनेगल भाषाएँ २८२
 मेफार्डी ३३४
 मेसुतो २८०
 मोगदी ३५१
 सोमाका २८८-८५
 मकाटी ३३८
 स्कैडनेवी, पश्चिमी ३३७
 स्कैडनेवी, प्राचीन ३३७
 म्पेनी २७१, ३३८, ३३६
 म्चावी २३३, ३२६, ३३१-३२,
 ३३५
 म्चावी-जमनी भाषाएँ ३३०
 म्चावी, प्राचीन २३०
 म्चावी-शाखा ३५५
 म्चात्रिणी २८०
 म्चाडी ३३८, ३४०
 म्चभा २७९
 म्बुडा (जिर्नी) ३७१-७२, ३७४
 म्न्शी २८९
 म्वाई २७५-७७
 मादप-नोरी २९९, ३०१
 हामी २७०, २८३-८५, ३१७
 हामी परिवार २८१, २८३, २८५,
 ३१६
 मिट्टाइट २९९, ३२६, ३३१, ३३२,
 ३४४

हिद्दाइट शाखा ३२८	उडो-रोमग २६७
हिन्द-ईरानी ३३२, ३४६ ३४८	उल्थिया २६३
हिन्द-ईरानी शाखा ३१७, ३१८, ३४७, ३५०-५२	उर्दू २६६, २६७, ३७४, ३७६
हिन्दकी ३७२	उन्नक्की २५१
हिन्दी ६, १४-१६, २१, ३५, ३९, ५४, ५६, ५७, ५९, ७२, ७३-७४, ७५, ७६, ७९, ९०, ९४, ९६, ९७-९८, १०१, १०९, ११४, १३५-३७, १४४, १५६, १६३- ६६, १७०-७१, १७३, १८०, १८५ १८७, १९३, १९४, १९७- ९० २०२, २०४, २१३, ३०५, ३०७, ३०८, २११, ३१३, ३१५, ३३०, ३६७, ३७०, ३७१, ३७२- ७७	गजिया माइनर वाली २५४
हिन्दी, आवुनिक ७६ १७४	कन्नडी २६४
हिन्दी, पश्चिमी १००, ३७८, ३७५- ७५	कॉरिंग २६४
हिन्दी, पूर्वी १०६, ३७२, ३७४	कश्मीरी २६३
हिन्दी, वर्तमान ३२०	काप्पी २८१
हिन्दी, स्टैन्डर्ड १६१	कीलाक्षर लिपि २५०-२५५
हिंदुई १७४	कुटिल २६३
हिंदुस्तानी ११०, ११०, २१९, ३७४, ३७६	कूफी २५२
हुज्जागेश ३५०	केन्टीकी नाव २५२
हो ३०६	कैथी २६२
होटेटाट २७९-८०	नगोर्टी २५९
होया २७५	गजरातो २५५, २५५, २५६/६१
लिपि	गजरातो २६३
अरबी २५२, २६६, २७६, २८०, २९३, ३७४	गण २५२
अरमइक २५८	गन्मगा २६२, ३७५
अरमी २५२	ग्रय २५४
अशोक की लिपि २६२	ग्राक २५१-४, २५९, ३३७
असीरी २५९	ग्लेगालिया २५२
अमीरी कीलाक्षर २५९	चात्री २५५, २५९, २९४, २९८ ३०१
आर्मीनी २५२	चित्र २४७, २६२
अक्षगत्मक ८५, २५५	जवणालिया २५९
	टाकगी २६३
	नामक २५४
	तिब्बती २९८
	तुल २६८
	तेलुग २६४, ३१२
	तेलुग-कन्नड-ब्राह्मी २६४,
	देवनागरी ७८-७९, ८०, ८५, ९६, २६१, २६६-६७, २७६, ३०१, ३७४, ३७७
	दोमागुनिया २५९
	द्राविड २६२
	नन्द नागरी २६३, २६५
	नखी २५२
	नागरी २६३-६६

नेपाली २६३
 पहलवी २५२
 पिप्रान्त २६२
 फारसी २६६
 फोनीशिया २५४-२५९
 बगला २६३
 बभी २५९
 बट तेल्तु २६४
 बडली २६२
 ब्रह्मी २९४
 ब्राह्मी २५२, २५५, २५८, २५९-६२,
 ३६३, ३७४
 ब्राह्मी उत्तरी २६२
 ब्राह्मी दक्षिणी २६२
 ब्राह्मी पश्चिमी २६३
 ब्राह्मी मध्यप्रदेशी ५६३
 भागनोय २००, २५९, १०४
 मलयालम २६४
 महाजनी २६३

मिनोआ २५४
 मिन्नी २५४
 मैथिली २६३
 यवनानी २५६
 राजलिपि २६४, ३७७
 राजस्थानी २६३
 राष्ट्रलिपि २६४, २६७
 रूनी २५२, ३३७
 रोमन ७८, ८०, २५२, २५३, २६६,
 २६७, २७६, २८०, २९३, २९८,
 ३३७
 ग्रामी २५३-४, २५९-६०
 ग्रामी उत्तरी २५२-६०
 ग्रामी दक्षिणी २५६, २५९
 सिन्धी २५२
 गुमेरो २५५
 रलावी २५२
 शारदा २६३
 हत्र २५२

अशुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप
४	२८	वाद	वाद
८७	—	(‘प्रथम गज’ का आरम्भ यथा स न मानकर पहला अंश याय स समजिग)	पृष्ठ १,
२१३	११	तीन	तीस
२४२	२१	क्रिया भया था। स्थानोन्वामा के शिगा भया था। रूपनऊ दिग्गर्भा। ता व्य रे डान ता अत्र	क्रिया भया था। स्थानोन्वामा के शिगा भया था। रूपनऊ दिग्गर्भा। ता व्य रे डान ता अत्र
२४६	२०	लिखितिक सौगा ७१ अरन् उरिया	लिखितिक सौगा ७१ अरन् उरिया
२७२	१	व्याख्या	व्याख्या
२७२	६-७	प्रोडभेड	प्रोडभेड
२७२	२२	गता	गिता
२८०	१०	उपि	उपि
२८२	४-५	शार्-जगज अह शर	शोर-जगज ओर शर
२८२	१०	जो	जो
२८२	१८	वाशोक	वाशोक
२८२	२७	फानीजियम	फानीजिया
२८४	२२	जैम क्रिम (ग्राम २०१०), लिम (एक ग्राम), लिट् (पलिंग), विल (एक पलिंग)।	जैम क्रिम (ग्राम १०१०), क्रिम (एक ग्राम), लिट् (पलिंग) क्रिम (एक पलिंग)।
२८४	२६ २७	लिखितिक (शर) (१०) लिखितिक (शर) (१०) लिखितिक (शर) (१०)	लिखितिक (शर) (१०) लिखितिक (शर) (१०) लिखितिक (शर) (१०)
२८५	४	सोन् (भाई), सान	सोन् (भाई), सान
२८५	५	(नू० पु० है)	(नू० पु० है)

पृष्ठ	पंक्ति	अशुद्ध रूप	शुद्ध रूप
२८६	१०	तत्	कत्
२८७	०	ह	ह्
२९०	१४	तुगजा	तुग्जी
२९५	१८	(पृ० ७९ पर)	(पृ० ७९-८० पर)
३०८	२	निब्वनी-ब्रह्मा	निब्वनी-ब्रह्मी
३०६	११	ड	ड
३१४	१०	ऐन	ऐन
३२२	१	इ	ई
५२३	५	(ज, ण जी,	(ज ऐं जी)
३३१	१	(प० ३२० पर)	(प० ३१९-२० पर)
३३१	२२	केन्दुम्	केन्दुम्
३३२	१६	केन्दुम्	केन्दुम्
३३५	२७	इटली	इटली
३३७	३	पूवकारिका	पूवकारिका
३३९	२५	पू, प्, क्	पू, ट्, क्
३४३	७	पू, फू, बू, धू	पू, फू, घू, धू
३५१	२०	पामार का तराई में	पामार का तराई में
३५२	९	पेशाची प्रकृति	पेशाची प्राकृत
३५३	१०	कोले	कोले
३५३	१४	क्, प्, ह्	क्, प्, ह्
३६६	१९	स्पदा वण वर्गा के तीसरे, चौथे (जघाव) (पहले, दूसरे)	स्पदा वण (वर्गों के तीसरे, चौथे) जघोप (पहले, दूसरे)